



वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

वाणिज्य रिपोर्ट 2021-22



वाणिज्य विभाग

सूची विषय

सिंहावलोकन	2
1. संगठनात्मक संरचना और कार्य	6
2. वैश्विक आर्थिक और व्यापार स्थिति	22
3. भारत के विदेशी व्यापार की प्रवृत्तियां	26
4. विदेश व्यापार नीति, आयात-निर्यात व्यापार और प्रमुख स्कीम	33
5. निर्यात संवर्धन तंत्र	56
6. वाणिज्यिक संबंध, व्यापार समझौते और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन	83
7. विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) और निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू)	120
8. विशिष्ट एजेंसियां	130
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और दिव्यांगजन के कल्याण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम	199
10. पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता तथा संबद्ध गतिविधियां	207
अनुलग्नक	216

सिंहावलोकन

1. वैश्विक आर्थिक सिंहावलोकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत लेकिन वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण हुई गिरावट के बाद असमान पुनरुद्धार के लिए तैयार है। अब जबकि महामारी का सर्वाधिक बुरा आर्थिक प्रभाव पड़ चुका है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास की गति फिर से बहाल होने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अक्टूबर 2021 के अनुसार, वैश्विक सुधार जारी है, लेकिन महामारी से बाधित होकर गति धीमी हो गई है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की महत्वपूर्ण कड़ियों में महामारी के प्रकोप के परिणामस्वरूप आपूर्ति में अपेक्षा से अधिक लंबी रुकावटें आई हैं, जिससे कई देशों में मुद्रास्फीति और बढ़ गई है। आईएमएफ ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्ष 2020 में 3.1 प्रतिशत संकुचन के बाद, वर्ष 2021 में 5.9 प्रतिशत और 2022 में 4.9 प्रतिशत की दर पर बढ़ने का अनुमान लगाया है। तथापि, कोविड-19 के नए रूपों के प्रकोप से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक जोखिम अभी भी बने हुए हैं।

क्षेत्रीय और देशगत संभावनाओं में व्यापक भिन्नता है और चिंता का मुख्य सबब बना हुआ है। आईएमएफ के नवीनतम अनुमानों से देखा जा सकता है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के कुल उत्पादन में वर्ष 2021 में 5.2 प्रतिशत और वर्ष 2022 में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके विपरीत, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) का कुल उत्पादन वर्ष 2021 में 6.4 प्रतिशत और इसके बाद वर्ष 2022 में 5.1 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।

2. वैश्विक व्यापार

कोविड-19 के फिर से उभरने के कारण पैदा हुए आर्थिक व्यवधानों के बावजूद, वैश्विक व्यापार की संभावनाएं अनुकूल दिखाई देती हैं, हालांकि इसमें महामारी के दोबारा आ जाने के कारण बड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने अक्टूबर 2021 में विश्व पण्यवस्तु व्यापार की मात्रा में वर्ष 2021 में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है, जो मार्च में अनुमानित 8.0 प्रतिशत के स्तर से संशोधित करके बढ़ाया गया है, इसके बाद वर्ष 2022 में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है जो वर्ष 2020 में (-)5.3 प्रतिशत की तुलना में मार्च में अनुमानित 4.0 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाया गया है। वर्ष 2021 और 2022 के लिए व्यापार पूर्वानुमानों में ये ऊर्ध्वगामी संशोधन वैश्विक आर्थिक गतिविधि के पुनरुद्धार के कारण हुए हैं, जो वर्ष 2020 में महामारी के कारण हुए विनाश के बाद पण्यवस्तु व्यापार में एक

पलटाव की ओर अग्रसर है। हालांकि, जोखिम का रुख महामारी से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक पक्ष की ओर अधिक रहता है।

डब्ल्यूटीओ के अनुसार समग्र व्यापार में मजबूत वृद्धि के पीछे तथापि, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएं भी व्याप्त हैं, जहां विश्व व्यापार संगठन के अनुसार कुछ विकासशील क्षेत्र वैश्विक औसत से काफी कम पड़ रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन के नवीनतम अनुमानों से पता चलता है कि वर्ष 2021 में एशिया के पण्यवस्तु निर्यात में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) के निर्यात में वर्ष 2021 में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

3. भारत का पण्यवस्तु व्यापार

भारत के पण्यवस्तु निर्यात ने महामारी के कारण लगातार जारी व्यवधानों के बावजूद, पलटाव दिखाया था। सरकार द्वारा उठाए गए त्वरित निर्णायक कदमों के साथ-साथ तेजी से बढ़ते टीकाकरण, कोविड-19 की दूसरी लहर के मंद पड़ने से उत्साहित घरेलू आर्थिक कार्यकलाप के पुनरुद्धार के साथ पण्यवस्तु निर्यात में तेजी आई। वर्ष 2020-21 के लिए पण्यवस्तु निर्यात 291.81 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि 2019-20 के दौरान यह 313.36 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर था इस प्रकार इसमें (-) 6.88 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। निर्यात में दिसंबर 2020 से पलटाव शुरू हुआ, और सकारात्मक निर्यात प्रदर्शन 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर 2021) में जारी है। अप्रैल-दिसंबर 2021 (क्यूई) के दौरान निर्यात 301.38 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान 201.38 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर रहा, इस तरह इनमें 49.66 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

पण्यवस्तु आयात में भी 2020-21 के दौरान (-)16.91 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो 2019-20 में 474.71 बिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर 2020-21 में 394.44 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। अप्रैल-दिसंबर 2021 (क्यूई) के दौरान आयात 3.82 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान के 262.76 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 68.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वर्ष 2020-21 में व्यापार घाटा 102.63 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि 2019-20 में यह 161.35 बिलियन अमरीकी डॉलर था। अप्रैल-दिसंबर 2021

(क्यूई) के दौरान, व्यापार घाटा अप्रैल-दिसंबर 2020 के 61.38 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 142.44 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

4. भारत का सेवा व्यापार

महामारी से निपटने के असाधारण उपायों जैसेकि लॉकडाउन और सामाजिक दूरी का 2020-21 में सेवा क्षेत्र पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। हालाँकि, इस क्षेत्र ने अत्यधिक उलटाव दिखाया है और यह भारत के आर्थिक विकास में अत्यधिक योगदान दे रहा है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, भारत वर्ष 2020 के लिए वाणिज्यिक सेवाओं के प्रमुख निर्यातकों में सातवें स्थान पर है, जहां कुल वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में इसकी 4.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। सेवा निर्यात 2020-21 (पी-अनंतिम) में 206.09 बिलियन अमरीकी डॉलर रहे, जबकि 2019-20 में यह 213.19 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो (-) 3.33 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। भारत का सेवा निर्यात अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान बढ़कर 177.68 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है, जो अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान के 150.09 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 18.39 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

सेवा आयात 2020-21 (पी) में 117.52 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि 2019-20 में 128.27 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में, (-)8.38 प्रतिशत की गिरावट आई थी। अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान आयात का अनुमानित मूल्य 103.30 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो अप्रैल-दिसंबर 2020 की तुलना में 21.52 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है।

वर्ष 2020-21 (पी) में सेवा व्यापार में 88.57 बिलियन अमरीकी डॉलर का अधिशेष सृजित किया गया और अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान 74.39 बिलियन अमरीकी डॉलर का अधिशेष होने का अनुमान है।

5. भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा की गई पहलें

वाणिज्य विभाग निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई सकारात्मक कदम उठा रहा है। उठाए गए कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

- ◆ महामारी की अवधि के दौरान नीतिगत स्थिरता प्रदान करने के लिए विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20

को वर्ष 2021-22 अर्थात 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया था।

- ◆ 'निर्यात केंद्र के रूप में जिले' (डीईएच) पहल जिसके तहत देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की गई है। प्रत्येक जिले में जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) के रूप में एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। डीईपीसी का मुख्य कार्य केंद्र, राज्य और जिला स्तरों के सभी संबंधित हितधारकों के सहयोग से जिला विशिष्ट निर्यात कार्य स्कीमों को तैयार करना और उन पर कार्य करना है।
- ◆ केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम 'निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए)' कार्यान्वित की जा रही है ताकि कृषि उत्पादों के निर्यात और कृषि उत्पादों के विपणन के लिए माल ढुलाई के दोष को कम करने हेतु माल ढुलाई के अंतरराष्ट्रीय घटक के लिए सहायता प्रदान की जा सके।
- ◆ बाज़ार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम निर्यात संवर्धन स्कीम है जो सतत आधार पर भारत के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए परिकल्पित की गई है। यह स्कीम बाज़ार अध्ययन/सर्वेक्षण के माध्यम से विशिष्ट बाज़ार और विशिष्ट उत्पाद विकसित करने के लिए उत्पाद केंद्रित-देश केंद्रित के दृष्टिकोण पर तैयार की गई है। निर्यात संवर्धन संगठनों/व्यापार संवर्धन संगठनों / राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों / अनुसंधान संस्थानों / विश्वविद्यालयों / प्रयोगशालाओं, निर्यातकों आदि को नए बाजारों तक पहुंच देकर या मौजूदा बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ाकर निर्यात में वृद्धि करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
- ◆ इसके अलावा, कृषि उत्पादों के निर्यातकों को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), तंबाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड और स्पाइसेस बोर्ड की निर्यात संवर्धन स्कीम के तहत भी सहायता उपलब्ध है।
- ◆ निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) वित्त वर्ष 2017-18 से चालू है जिसका उद्देश्य निर्यात वृद्धि के लिए उपयुक्त अवसंरचना के निर्माण हेतु केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करना है।

- ◆ सरकार ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) की शुरुआत की है। इस स्कीम में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर विभिन्न चरणों में ऐसे केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों / करों / लेवी की छूट दी जाती है, जो निर्यातित उत्पादों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में खर्च की जाती हैं, लेकिन वर्तमान में किसी अन्य शुल्क छूट स्कीम के तहत धन वापसी नहीं की जा रही हैं।
- ◆ अग्रिम प्राधिकरण (एए)/ईपीसीजी, ईओयू स्कीम के तहत एकीकृत माल एवं सेवा कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है।
- ◆ व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा एफटीए उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म।
- ◆ ईपीसी, कमोडिटी बोर्ड और विदेशों में स्थित भारत के मिशन भी भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं।
- ◆ व्यापारिक समुदाय की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने

के लिए, डीजीएफटी ने अपने सभी हितधारकों के साथ कागज रहित, निर्बाध इंटरफेस अपनाने के लिए अपने वर्तमान आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार की प्रक्रिया शुरू की है।

- ◆ 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों के लिए विशिष्ट कार्य स्कीम लागू करके सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना और उसमें विविधता लाना।
- ◆ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए वाणिज्य विभाग ने 20 से 26 सितंबर, 2021 तक 'वाणिज्य सप्ताह' का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य यह विशेष रूप से दर्शाना था कि भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सकने वाले गुणवत्तायुक्त उत्पादों के उत्पादन करने के लिए प्रत्येक हितधारक को कैसे सशक्त बना रहा है। इसके लिए वाणिज्य विभाग ने सप्ताह भर की गतिविधियों को संचालित करने के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और संपूर्ण देश में निर्यात प्रक्रिया से जुड़े सभी संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर काम किया।

अध्याय 1

संगठनात्मक संरचना और कार्य

1. विजन और मिशन

विभाग का दीर्घकालिक विजन, भारत को विश्व व्यापार में एक प्रमुख दावेदार बनाना और भारत के बढ़ते महत्व के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठनों में नेतृत्व की भूमिका प्राप्त करना है।

अपनाए जा रहे नीतिगत साधनों में ऐसी कार्यनीति शामिल है जिसमें मध्यम अवधि में लक्षित उत्पाद और देश और दीर्घावधि में विदेश व्यापार नीति पर फोकस किया जाता है।

2. कार्य

विभाग, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) बनाता है, उसका कार्यान्वयन करता है और उसकी निगरानी करता है जिसमें आधारभूत रूपरेखा और अपनाई जाने वाली कार्यनीति का प्रावधान किया गया है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के उभरते आर्थिक परिदृश्यों के अनुरूप आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करने के लिए व्यापार नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, विभाग को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, राज्य व्यापार, निर्यात संवर्धन और व्यापार सुविधा, और कतिपय निर्यात-उन्मुखी उद्योगों और उत्पादों के विकास एवं विनियमन से संबंधित उत्तरदायित्व भी सौंपे गए हैं।

विभाग की अध्यक्षता, सचिव द्वारा की जाती है, जिसकी सहायता के लिए एक विशेष सचिव, एक अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, तीन अपर सचिव/स्तरीय अधिकारी, बारह संयुक्त सचिव और संयुक्त सचिव स्तरीय अधिकारी और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी होते हैं।

विभाग कार्यात्मक रूप से निम्नलिखित 10 प्रभागों में संगठित है:

- ♦ अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति प्रभाग
- ♦ विदेश व्यापार क्षेत्रीय प्रभाग
- ♦ निर्यात उत्पाद प्रभाग
- ♦ निर्यात उद्योग प्रभाग
- ♦ निर्यात सेवा प्रभाग
- ♦ आर्थिक प्रभाग
- ♦ प्रशासन और सामान्य सेवा प्रभाग
- ♦ वित्त प्रभाग

- ♦ आपूर्ति प्रभाग
- ♦ लॉजिस्टिक प्रभाग (10.11.2021 से डीपीआईआईटी को हस्तांतरित)

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन आने वाले विभिन्न कार्यालय/संगठन हैं:

- ♦ दो संबद्ध कार्यालय,
- ♦ दस अधीनस्थ कार्यालय,
- ♦ दस स्वायत्त निकाय,
- ♦ पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम,
- ♦ कंपनी अधिनियम, 2013 (सरकारी ई मार्केटप्लेस) की धारा 8 के तहत स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) बनाया गया।
- ♦ चौदह निर्यात संवर्धन परिषदें
- ♦ एक सलाहकार निकाय और
- ♦ छह अन्य संगठन।

इन कार्यालयों/संगठनों की पूरी सूची, डाक पते के साथ, अनुलग्नक-क पर दी गई है।

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों/संगठनों की व्यापक संगठनात्मक संरचना और प्रमुख भूमिका और कार्यों के संबंध में नीचे चर्चा की गई है:

(क) संबद्ध कार्यालय

(i) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है, और विदेश व्यापार महानिदेशक इसके अध्यक्ष हैं। अपनी स्थापना से लेकर 1991 तक, जब सरकार की आर्थिक नीतियों में उदारीकरण आया, इस संगठन ने अनिवार्य रूप से विदेश व्यापार के विनियमन और संवर्धन का कार्य किया है। उदारीकरण और वैश्वीकरण और निर्यात बढ़ाने के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, डीजीएफटी को तब से एक "सुविधाप्रदाता" की भूमिका सौंपी गई है। देश के हितों को ध्यान में रखते हुए, यह परिवर्तन, आयात/निर्यात के प्रतिबंध और नियंत्रण से निर्यात/आयात संवर्धन और इसकी सुगमता की ओर था।

इस निदेशालय के अध्यक्ष विदेश व्यापार महानिदेशक हैं और इसका मुख्यालय, नई दिल्ली में है। यह विदेश व्यापार नीति बनाने में सरकार की सहायता करता है और भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से एफटीपी के तहत विदेश व्यापार नीति और योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, यह विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 और उसके तहत अधिसूचित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है। डीजीएफटी, निर्यातकों को प्राधिकार भी जारी करता है और 24 क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से उनके संबंधित दायित्वों की निगरानी करता है। क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं।

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय
1	अहमदाबाद	14	लुधियाना
2	बैंगलोर	15	मुंबई
3	भोपाल*	16	नागपुर
4	चेन्नई	17	नई दिल्ली (सीएलए)
5	कोयंबटूर	18	पानीपत
6	गुवाहाटी	19	पुणे
7	हैदराबाद	20	राजकोट
8	इंदौर	21	श्रीनगर
9	जयपुर	22	सूरत
10	जम्मू	23	वाराणसी
11	कानपुर	24	विशाखापत्तनम
12	एर्नाकुलम (कोचीन)	25	वडोदरा
13	कोलकाता		

*माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश प्रधान पीठ, जबलपुर के दिनांक 4 अक्टूबर 2019 के आदेश अनुपालन में, रिट याचिका 21039/2019 में जबलपुर में प्रधान सीट के संबंध में, अंतिम/अगले आदेशों के अध्यक्षीन भोपाल में डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालय पर यथास्थिति बरकरार रखी गई है।

क्षेत्रीय कार्यालय, विदेश व्यापार नीति और एफटीडीआर अधिनियम, 1992 के कार्यान्वयन के अतिरिक्त, निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय गतिशील वातावरण में उनके आयात और निर्यात निर्णयों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में घटनाक्रमों अर्थात् डब्ल्यूटीओ समझौतों, उत्पत्ति के नियमों और एंटी-पाटन मुद्दों आदि के

संबंध में सुविधा प्रदान करते हैं।

यह मानते हुए कि निर्यात को बढ़ावा देने में राज्य सरकारें प्रमुख हितधारक हैं, डीओसी अब निर्यात संवर्धन के लिए उनके साथ सक्रिय तौर पर जुड़ा हुआ है। डीओसी ने राज्य सरकारों को निर्यात संवर्धन पर फोकस करने के लिए प्रधान सचिवों की अध्यक्षता में राज्य निर्यात संवर्धन समितियों का गठन करने का परामर्श दिया है, जिसमें डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरण सह-संयोजक हैं। डीओसी से अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के नोडल अधिकारियों के लिए राज्य निर्यात संवर्धन समिति की बैठकों में भाग लेना निर्धारित किया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य निर्यात संवर्धन समितियों का गठन किया गया है। यह समिति, निर्यात संवर्धन परिषदों और एफआईआईओ के परामर्श से राज्य निर्यात संवर्धन कार्यनीतियां बनाने और उनके कार्यान्वयन की निगरानी कर रही है।

डीजीएफटी के क्षेत्रीय अधिकारियों को राज्य निर्यात नीति/कार्यनीति बनाने/उसके कार्यान्वयन में सहायता करने और राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों में वाणिज्य विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकारों के साथ संपर्क करने के लिए बड़ी हुई भूमिका और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

(ii) व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) (जिसे पहले पाटन रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय कहा जाता था) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। पाटन रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी), जिसका गठन 1997 में किया गया था, को सिंगल विंडो फ्रेमवर्क के तहत सभी व्यापार उपचारात्मक कार्यों अर्थात् पाटन रोधी शुल्क (एडीडी), प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (सीवीडी), सेफगार्ड शुल्क (एसजीडी), रक्षोपाय उपाय (क्यूआर) को समाहित करके डीजीएडी को डीजीटीआर में पुनर्गठित और पुनः डिजाइन करके मई 2018 में डीजीटीआर के रूप में पुनर्गठित किया गया है। इस प्रकार का गठन, डीजीएडी, वाणिज्य विभाग, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड्स, के कार्यों डीजीएफटी के रिवेन्यू एण्ड सेफगार्ड्स (क्यूआर) कार्यों को इसके दायरे में आमेलित कर किया गया है। डीजीटीआर, एक व्यावसायिक रूप से एकीकृत संगठन है जिसमें विभिन्न सेवाओं और विशेषज्ञता से आने वाले अधिकारियों के पास विविध प्रकार के कौशल हैं। डीजीटीआर, एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें देने से पहले स्वतंत्र जांच करता है।

यह पाटन रोधी, प्रतिकारी शुल्क और सुरक्षा उपायों सहित सभी व्यापार उपचारात्मक उपायों को प्रशासित करने वाला एकल राष्ट्रीय प्राधिकरण है। डीजीटीआर, डब्ल्यूटीओ व्यवस्थाओं, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और नियमों और अन्य प्रासंगिक कानून और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रासंगिक ढांचे के तहत व्यापार उपचारात्मक तरीकों का उपयोग करके किसी भी निर्यातक देश से पाटन और कार्रवाई योग्य सब्सिडियों जैसे अनुचित व्यापार व्यवहारों को प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध घरेलू उद्योग में पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से एक समान अवसर का प्रावधान करता है। यह हमारे घरेलू उद्योग और निर्यातकों को अन्य देशों द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई व्यापार उपचार जांच के मामलों के निपटान में व्यापार रक्षा सहायता भी प्रदान करता है।

(ख) अधीनस्थ कार्यालय

(i) वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस)

वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) भारत के व्यापार संबंधी आंकड़ों और वाणिज्यिक सूचनाओं के संग्रह, संकलन और वितरण के लिए भारत सरकार का प्रमुख संगठन है। निदेशालय, जिसके अध्यक्ष महानिदेशक हैं, का कार्यालय कोलकाता में है और यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, व्यापारियों के साथ-साथ विदेशों में खरीदारों द्वारा अपेक्षित व्यापार के आंकड़ों और विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक सूचनाओं को एकत्र करने, संकलित करने और प्रकाशित करने/प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। यह निर्यात और आयात संबंधी आंकड़ों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करने वाला पहला बड़े पैमाने पर डाटा प्रोसेसिंग संगठन है और भारत के विदेश व्यापार आंकड़ों के संकलन और प्रसार के लिए इसका आईएसओ प्रमाणन 9001:2015 है।

(ii) कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र और नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में विकास आयुक्तों के कार्यालय।

एसईजेड योजना का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों

का सृजन करना, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का संवर्धन करना, घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना, अवसरचानागत सुविधाओं के विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर पैदा करना है। भारत के सभी कानून एसईजेड में लागू होते हैं जब तक कि एसईजेड अधिनियम/नियमों के अनुसार, उन्हें विशेष रूप से छूट न दी गई हो। प्रत्येक क्षेत्र की अध्यक्षता एक विकास आयुक्त करता है और इसका प्रशासन एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियमावली, 2006 के अनुसार किया जाता है। एसईजेड में विनिर्माण, व्यापार या सेवा गतिविधि के लिए इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। एसईजेड में इकाइयों को शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जक होना चाहिए, लेकिन वे (रत्न और आभूषण इकाइयों) या न्यूनतम निर्यात प्रदर्शन अपेक्षाओं को छोड़कर किसी भी पूर्व निर्धारित मूल्यवृद्धि के अध्यक्षीन नहीं हैं। एसईजेड इकाइयों से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री को माल आयात किया जाना माना जाता है और ये लागू सीमा शुल्क भुगतान के अध्यक्षीन हैं।

(iii) वेतन एवं लेखा कार्यालय (आपूर्ति)

डीजीएसएंडडी सहित आपूर्ति प्रभाग का भुगतान और लेखांकन, विभागीय लेखा प्रणाली के तहत नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में अपने क्षेत्रीय वेतन और लेखा कार्यालयों के माध्यम से मुख्य लेखा नियंत्रक (आपूर्ति प्रभाग) के अधिकारी द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के डीजीएसएंडडी को 31.10.2017 से बंद करने के निर्णय के परिणामस्वरूप, सीसीए (आपूर्ति) का कार्यालय बंद कर दिया गया है और बचे शेष कार्यों को अब सीसीए (वाणिज्य) द्वारा नई दिल्ली और कोलकाता में नाममात्र कर्मचारियों और 02 पीएओ द्वारा निपटाया जा रहा है। आरपीएओ (आपूर्ति), मुंबई और आरपीएओ (आपूर्ति), चेन्नई का काम क्रमशः आरपीएओ (वाणिज्य), मुंबई और आरपीएओ (वाणिज्य), चेन्नई ने ले लिया है।

(iv) वेतन एवं लेखा कार्यालय (वाणिज्य और वस्त्र)

सचिव, मुख्य लेखा प्राधिकारी होता है। वह मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार के परामर्श से मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) की मदद से अपने दायित्व का निर्वहन करता है। सचिव, विनियोजन लेखाओं को प्रमाणित करता है और लोक लेखा समिति और लेखा पर स्थायी संसदीय समिति में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है।

वाणिज्य विभाग और कपड़ा मंत्रालय, दोनों के लिए एक साझा

लेखांकन शाखा है। लेखा विंग, मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) के पर्यवेक्षण में कार्य करता है और लेखा नियंत्रक (सीए), सहायक लेखा नियंत्रक (एसीए) और 10 वेतन और लेखा कार्यालयों (पीएओ), दिल्ली में 4 पीएओ और चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, प्रत्येक स्थान पर दो-दो पीएओ से इसके सहायक हैं। मंत्रालय के बजट प्रभाग का दायित्व भी सीसीए को सौंपा गया है। सीसीए, वित्तीय सलाहकार को बजट, निगरानी और व्यय के नियंत्रण में सभी सहायता प्रदान करता है, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मामलों में, एफआरबीएम अधिनियम, वार्षिक वित्त लेखा, विनियोजन लेखाओं के तहत आवश्यक प्रकटीकरण विवरण, गैर-कर राजस्व प्राप्तियों आदि का अनुमान और प्रवाह तैयार करने में व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करता है।

लेखा विंग के कार्यों में दावों का भुगतान करना, लेखांकन संव्यवहार, लेखाओं का समेकन करना और अन्य संबंधित मामले जैसे पेंशन को अंतिम रूप देना और भुगतान करना, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) की मदद से पेंशन का संशोधन और अंतिम जीपीएफ मामलों का भुगतान, ऋण और अग्रिम, सहायता अनुदान, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ)/अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ), नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का रखरखाव, अवकाश वेतन अंशदान और पेंशन अंशदान (एलएससी और पीसी) आदि शामिल हैं। इसके अलावा, सीसीए कार्यालय द्वारा पीएफएमएस मॉड्यूल अर्थात् ईआईएस, ईएटी, पेंशन, जीपीएफ, सीडीडीओ पैकेज, एनटीआरपी, एलओए आदि के सुचारु कार्यकरण की निगरानी के साथ-साथ विभिन्न संस्थाओं में पीएफएमएस (ईएटी / डीबीटी) के कार्यान्वयन और सुचारु कामकाज का भी समन्वयन किया जाता है।

विभाग की एक आंतरिक लेखापरीक्षा विंग है जहां सभी विभागों का आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य किया जाता है। वाणिज्य विभाग और वस्त्र मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में 347 इकाइयाँ हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सही और पर्याप्त हैं, लेखांकन और निर्धारित प्रक्रिया के कार्यान्वयन का अध्ययन करना है।

(ग) स्वायत्त निकाय

(i) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक सांविधिक संगठन है, जिसका गठन कॉफी अधिनियम 1942 के तहत किया गया है। बोर्ड में सचिव, जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सहित

33 सदस्य हैं, और शेष 31 सदस्यों में संसद सदस्य, कॉफी उत्पादक राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक सदस्य और कॉफी उद्योग के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल हैं। कॉफी बोर्ड अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार आसूचना, बाहरी और आंतरिक संवर्धन और श्रम कल्याण उपायों के क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों पर फोकस करता है। कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु में अपने प्रधान कार्यालय के साथ कार्यात्मक है। बालेहोनुरु, चिक्कमगलुरु जिला, कर्नाटक में केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई) अनुसंधान विभाग का मुख्यालय है, जिसका एक उप-स्टेशन, चेतल्ली (कर्नाटक) में है और इसके क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चुंडाले (केरल), थंडीगुडी (तमिलनाडु), नरसीपट्टनम (आंध्र प्रदेश) और दीफू (असम) में हैं। विस्तार नेटवर्क, पारंपरिक तौर पर कॉफी उगाने वाले क्षेत्रों (कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु), गैर-पारंपरिक क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश और ओडिशा) और पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश) में फैला हुआ है। अनुसंधान विभाग का कॉफी गुणवत्ता प्रभाग, गुणवत्ता मानकों का निर्धारण, कॉफी भूने और खुदरा व्यापार के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुसार कॉफी के प्रमाणीकरण का कार्य करता है। संवर्धन विभाग, निर्यात बाजार में भारतीय कॉफी को बढ़ावा देने और घरेलू बाजार में कॉफी की खपत को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

(ii) रबर बोर्ड

रबर बोर्ड, रबर अधिनियम, 1947 की धारा (4) के तहत गठित एक सांविधि निकाय है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यात्मक है। बोर्ड की अध्यक्षता, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष द्वारा की जाती है और इसमें कार्यकारी निदेशक, संसद सदस्य (लोकसभा से दो और राज्यसभा से एक) और प्राकृतिक रबर उद्योग के विभिन्न हितों के प्रतिनिधि जैसेकि रबर उत्पादक क्षेत्र, रबर निर्माण उद्योग, श्रम हित के प्रतिनिधियों, प्रमुख रबर उत्पादक राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधियों सहित 28 अन्य सदस्य हैं। बोर्ड की कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियाँ, कार्यकारी निदेशक में निहित हैं। बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोट्टायम में स्थित है। बोर्ड द्वारा भारतीय रबर उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला से संबंधित विकासात्मक और नियामक कार्यों का निर्वहन, प्राकृतिक रबर (एनआर) से संबंधित अनुसंधान, विकास, विस्तार और प्रशिक्षण गतिविधियों में सहायता और प्रोत्साहन द्वारा किया जाता है। बोर्ड के कार्यों

में रबर के आंकड़ों का संग्रह, रबर के विपणन को बढ़ावा देना और श्रम कल्याण गतिविधियां करना भी शामिल है। 1955 में स्थापित भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान (आरआरआईआई), कोट्टायम में स्थित है और देश के विभिन्न रबर उत्पादक राज्यों में इसके इसके नौ क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र (आरआरएस) स्थित हैं। आरआरआईआई ने देश में प्राकृतिक रबर का जैविक और तकनीकी सुधार सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान गतिविधियां की हैं। बोर्ड का कोट्टायम में स्थित एक प्रशिक्षण विभाग अर्थात्, राष्ट्रीय रबर प्रशिक्षण संस्थान (एनआईआरटी) भी है और यह अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए विस्तार गतिविधियों के बीच लिंक का कार्य करता है और इसके लिए एनआर उद्योग के सभी क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास अधिदेशित है।

(iii) चाय बोर्ड

चाय बोर्ड, चाय अधिनियम, 1953 के तहत भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास के लिए अधिनियम में परिकल्पित विभिन्न प्रकार्यों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए गठित एक सांविधिक निकाय है। बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और चाय उद्योग के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले 31 सदस्य शामिल हैं। मौजूदा बोर्ड को 11 फरवरी 2019 और 9 मार्च 2019 को राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया था। बोर्ड का मुख्य कार्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अध्यक्ष, गैर-कार्यकारी प्रमुख है और उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और दो कार्यकारी निदेशक हैं जो आंचलिक कार्यालयों में तैनात हैं, एक असम के गुवाहाटी में (पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए) और दूसरा तमिलनाडु के कुन्नूर में (पूरे दक्षिण भारत क्षेत्र के लिए)। बोर्ड का कार्य, चाय उद्योग को बढ़ावा देना और उसका विकास करना, उत्पादन के उत्पादन और चाय की खेती की सीमा को विनियमित करना, चाय की गुणवत्ता में सुधार करना, चाय के उत्पादकों और निर्माताओं के बीच सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान में सहायता करना या उसे प्रोत्साहित करना और प्रदर्शन फार्मों और विनिर्माण स्टेशनों का रख-रखाव करना अथवा रखरखाव में सहायता करना, चाय को प्रभावित करने वाले कीटों और अन्य पीड़कों और बीमारियों के नियंत्रण में सहायता करना, चाय की बिक्री और निर्यात विनियमित करना, चाय चखने में प्रशिक्षण और चाय के ग्रेड मानक तय करना, भारत और अन्य स्थानों पर चाय की खपत बढ़ाना और इस प्रयोजनार्थ प्रचार करना,

निर्माताओं, दलालों, चाय अपशिष्ट डीलरों और चाय के मिश्रण का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण करना और लाइसेंस देना, भारत और अन्य जगहों पर चाय के विपणन में सुधार करना, आंकड़े एकत्र करना और काम करने की बेहतर स्थिति और प्रावधान प्राप्त करना और श्रमिकों के लिए सुविधाओं और प्रोत्साहन में सुधार करना है। वर्तमान में, बोर्ड के भारत के भीतर प्रधान कार्यालय/आंचलिक/ क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों सहित छत्तीस (36) कार्यालय हैं और विदेश अर्थात् मॉस्को में एक (1) कार्यालय है।

(iv) तम्बाकू बोर्ड

तम्बाकू, भारत में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। उत्पादन विनियमित करने, विदेशी विपणन को बढ़ावा देने और आपूर्ति व मांग में बार-बार असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के तहत तम्बाकू बोर्ड की स्थापना की गई थी। तम्बाकू बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है और इसकी अध्यक्षता, एक अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 का उद्देश्य, देश में तम्बाकू उद्योग का नियोजित विकास करना है। अधिनियम में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उल्लिखित बोर्ड की विभिन्न गतिविधियाँ हैं:

- ◆ भारत और विदेशों में मांग के संबंध में वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन और क्यूरिंग (पकाई तराई) विनियमित करना।
- ◆ वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादकों, डीलरों और निर्यातकों (पैकर्स सहित) और तम्बाकू उत्पादों के निर्माताओं और अन्य संबंधित लोगों के लिए उपयोगी जानकारी का प्रचार करना।
- ◆ उत्पादकों के स्तर पर तम्बाकू ग्रेडिंग को बढ़ावा देना।
- ◆ पंजीकृत उत्पादकों द्वारा वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामी मंचों की स्थापना करना और नीलामी मंच पर नीलामीकर्ता के रूप में कार्य करना।
- ◆ मौजूदा बाजारों का रखरखाव और सुधार और भारत के बाहर नए बाजारों का विकास।
- ◆ भारत और विदेश, दोनों में वर्जीनिया तम्बाकू बाजार की निरंतर निगरानी करना और उत्पादकों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना।
- ◆ उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए, भारत सरकार

के पूर्वानुमोदन से, उत्पादकों से वर्जीनिया तम्बाकू खरीदना, जब ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए।

(v) स्पाइसेस बोर्ड

स्पाइसेस बोर्ड, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा (3) के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यात्मक है। बोर्ड में सचिव, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, सहित 31 सदस्य हैं, और इसका संचालन, एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय केरल में कोच्चि में है। मसाला बोर्ड, इलायची उद्योग के समग्र विकास और 52 मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है जैसाकि स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। बोर्ड के कार्यों में छोटी और बड़ी इलायची का अनुसंधान एवं विकास और घरेलू विपणन, कटाई के बाद गुणवत्ता में सुधार करना, मसालों का विकास और निर्यात संवर्धन और भारत से निर्यात किए जाने वाले मसालों का गुणवत्ता नियंत्रण करना शामिल है। बोर्ड के देश भर में 84 कार्यालय हैं, जिनमें निर्यात संवर्धन कार्यालय, छोटी और बड़ी इलायची के लिए विकास कार्यालय, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं (क्यूईएल), अनुसंधान स्टेशन और मसाला पार्क शामिल हैं।

बोर्ड मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम और परियोजनाएं चलाता है; मसालों के प्रसंस्करण, गुणवत्ता, पैकेजिंग में सुधार के लिए अध्ययन और अनुसंधान में सहायता करता है; निर्यातकों को अवसंरचनागत विकास और मूल्यवर्धन के लिए सहायता करता है; निर्यात के लिए मसालों के लिए उपयुक्त गुणवत्ता मानक विकसित करता है; किसानों, निर्यातकों और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के बीच बाजार संबंध स्थापित करने के लिए क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करता है; प्रमुख उत्पादक केंद्रों में स्पाइसेस पार्कों के माध्यम से प्रमुख प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करता है, अंतरराष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में हितधारकों की सह-भागीदारी का आयोजन करता है; परीक्षण और प्रमाणन के माध्यम से निर्यात के लिए मसालों की विश्लेषणात्मक सेवाएं और गुणवत्ता नियंत्रण सेवाएं प्रदान करता है; मसालों के आयात-निर्यात संबंधी मामलों पर केंद्र सरकार को परामर्श देता है, मसालों के निर्यातकों को पंजीकृत करता है और इलायची डीलर और नीलामीकर्ता प्रमाण पत्र आदि जारी करता है।

(vi) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा)

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एमपीईडीए अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है जिसके लिए समुद्री उत्पादों के लिए देश में एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और भारत से इसके निर्यात को बढ़ावा देना अधिदेशित है।

(vii) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम (एपीडा)

भारत सरकार द्वारा संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत 1985 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना की गई थी। एपीडा का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसके प्रमुख, अध्यक्ष हैं। इसने मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में पांच क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

एपीडा का प्रमुख उद्देश्य, एपीडा अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध 14 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात का विकास और संवर्धन करना है। इसके अलावा, एपीडा, दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध विशेष उत्पादों के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों (भारत में या भारत के बाहर) के पंजीकरण और संरक्षण के लिए भी उत्तरदायी। वर्तमान में, दूसरी अनुसूची में केवल चावल शामिल हैं। एपीडा को इसके अलावा, चीनी के आयात की निगरानी की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एपीडा, जैविक निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।

(viii) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)

भारत सरकार द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) की स्थापना की गई थी ताकि गुणवत्ता नियंत्रण और पूर्व शिपमेंट निरीक्षण के माध्यम से और उससे जुड़े मामलों के लिए भारत के निर्यात व्यापार का स्वस्थ विकास सुनिश्चित किया जा सके। ईआईसी, भारत सरकार का एक सलाहकार निकाय है और इसका प्रमुख, अध्यक्ष होता है। ईआईसी के कार्यकारी प्रमुख, निदेशक (निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण)

हैं जो निर्यात के लिए सरकार द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत अधिसूचित विभिन्न वस्तुओं के गुणवत्ता नियंत्रण और प्री-शिपमेंट निरीक्षण को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। ईआईसी नई दिल्ली में स्थित है और अधिनियम की धारा 7 के तहत स्थापित निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (ईआईए) पर तकनीकी और प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। ईआईए का मुख्यालय मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, चेन्नई और दिल्ली में है, जिसमें 24 उप कार्यालयों का नेटवर्क है, जो पूरे भारत में व्याप्त आईएसओ 17025 के अनुसार एनबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं द्वारा समर्थित है और अखिल भारतीय आधार पर निर्यातकों की जरूरतों को पूरा करता है। ईआईसी की प्रमुख भूमिका, आयातक देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की है। यह आश्वासन एक खेप-वार निरीक्षण प्रणाली या गुणवत्ता आश्वासन/खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रदान किया जाता है। आयातक देश की आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य पदार्थों के निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र में पचास से अधिक वर्षों के अनुभव से, ईआईसी ने एक वैश्विक स्वीकृति विकसित की है। ईआईसी प्रमाणन को भारत के व्यापारिक भागीदारों, जैसे, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कस्टम यूनियन, सऊदी अरब, वियतनाम, चीन, दक्षिण अफ्रीका, आदि द्वारा मान्यता दी गई है। ईआईसी ने खाद्य सुरक्षा घटनाओं के बढ़ते प्रचलन के साथ आयातक देशों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यातक भाईचारे सहित हितधारक विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

ईआईसी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक निर्धारण प्रक्रिया में हमेशा सक्रिय रूप से शामिल है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है कि निर्यातकों के हित भलीभांति सुरक्षित हैं। ईआईसी ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित है।

(ix) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

- भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) की स्थापना 2 मई, 1963 को एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी, जिसका फोकस विदेश व्यापार से संबंधित अनुसंधान और प्रशिक्षण पर था।

- इसकी सर्वांगीण उपलब्धियों को मान्यता देते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मई 2002 में संस्थान को "समवत विश्वविद्यालय" का दर्जा दिया गया था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जून 2018 में श्रेणी – I "समवत विश्वविद्यालय" के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने आईआईएफटी को 2015 में 3.53 के समग्र सीजीपीए स्कोर के साथ उच्चतम ग्रेड 'ए' के साथ मान्यता दी। आईआईएफटी एएसीएसबी प्रत्यायन प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।
- एनआईआरएफ (राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा) रैंकिंग 2021 में, आईआईएफटी को प्रबंधन श्रेणी के तहत 25वां स्थान दिया गया है
- एमबीए यूनिवर्स बी-स्कूल रैंकिंग में, आईआईएफटी को समग्र श्रेणी में 11वां स्थान मिला है।

प्रबंधन बोर्ड, संस्थान का प्रमुख कार्यकारी निकाय है। प्रबंधन बोर्ड में 11 सदस्य होते हैं और इसका संचालन, संस्थान के निदेशक करते हैं। सचिव, वाणिज्य विभाग, संस्थान के अध्यक्ष हैं। संस्थान के निदेशक, संस्थान के प्रमुख कार्यकारी हैं और संस्थान के मामलों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण करते हैं।

(x) भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी)

भारतीय पैकेजिंग संस्थान, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक स्वायत्त निकाय है, जिसे 1966 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत स्थापित किया गया था। संस्थान का मुख्यालय मुंबई में है और इसके क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता (1976), चेन्नई (1971), दिल्ली (1986), हैदराबाद (2006), अहमदाबाद (2017) और विशाखापत्तनम (2021) हैं।

संस्थान, घरेलू और निर्यात बाजार के लिए पैकेजिंग सामग्री और पैकेजों के परीक्षण और प्रमाणन जैसी विभिन्न गतिविधियां कर रहा है जिनमें जिसमें हानिकारक/घातक सामानों के परिवहन के लिए पैकेजिंग का अनिवार्य संयुक्त राष्ट्र प्रमाणन, पैकेजिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श, परियोजनाएं और अनुसंधान एवं विकास शामिल है।

शासी निकाय, संस्थान का शीर्ष सलाहकार निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष और उद्योगों के अन्य सदस्य हैं जो

पैकेजिंग सामग्री, पैकेजिंग मशीनरी और उपयोगकर्ता उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा, शासी निकाय के कुछ सदस्यों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उत्पाद बोर्डों द्वारा नामित किया जाता है। निदेशक, संस्थान का प्रमुख और प्रधान कार्यकारी अधिकारी होता है जो संगठन का समग्र प्रभारी होता है।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

(i) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसी)

एसटीसी की स्थापना 18 मई 1956 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करना और देश से निर्यात के विकास में निजी व्यापार और उद्योग के प्रयासों में सहायता करना था। एसटीसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत में बड़े पैमाने पर खपत वाली आवश्यक वस्तुओं (जैसे गेहूं, दाल, चीनी, खाद्य तेल, आदि) और औद्योगिक कच्चे माल के आयात की व्यवस्था की और साथ ही, भारत से बहुसं-सी मर्दों के निर्यात के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

एसटीसी की चुकता इक्विटी ₹60 करोड़ है। 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, एसटीसी की इक्विटी में भारत सरकार का हिस्सा 90% था। 01.10.2021 को निगम में कुल कार्मिक 171 थे। एसटीसी ने प्रशासनिक कारणों से व्यावसायिक गतिविधि बंद कर दी है।

एसटीसीएल लिमिटेड (पूर्व में स्पाइसेस व्यापार निगम लिमिटेड), एसटीसी की एक सहायक कंपनी, बंद होने की प्रक्रिया में है और इसने 2014-15 से अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी हैं।

(ii) एमएमटीसी लिमिटेड

एमएमटीसी लिमिटेड को मुख्य रूप से खनिजों एवं धातुओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए 1963 में निगमित किया गया था। एमएमटीसी राष्ट्रीय आवश्यकताओं / व्यवसाय के नए अवसरों को देखते हुए अपने कारोबार के क्षेत्र में विविधता लाया है और एमएमटीसी के उत्पाद पोर्टफोलियो में कृषि उत्पादों, उर्वरकों, कीमती धातुओं, कोयला को जोड़ा गया था।

लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क / कंसन्ट्रेट के लिए कैनलाइजिंग एजेंसी का काम करने के अतिरिक्त, एमएमटीसी अन्य जीएस में व्यापार करने के अलावा सोना-चांदी तथा यूरिया

के आयात के लिए नामित एजेंसी के रूप में काम करती है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, (एमटीपीएल) सिंगापुर, एमएमटीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है तथा इसे सिंगापुर के कानूनों के तहत अक्टूबर 1994 में निगमित किया गया जिसका उद्देश्य, जीएस के व्यापार के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजार का दोहन करने के लिए व्यापार और वाणिज्य के उदारीकरण/वैश्वीकरण का लाभ उठाना था। शुरुआत से, यह कंपनी जिसों का व्यापार कर रही है और इसने स्वयं को सिंगापुर में एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित व्यापार कंपनी के रूप में स्थापित किया है।

(iii) पीईसी लिमिटेड

पीईसी लिमिटेड को “भारतीय परियोजना एवं उपकरण निगम लिमिटेड” के रूप में राज्य व्यापार निगम की सहायक कंपनी के रूप में 1971 में निगमित किया गया और यह 1991 में स्वतंत्र कंपनी बनी। 25 नवंबर 1997 को कंपनी का नाम बदलकर पीईसी लिमिटेड रखा गया। पीईसी लिमिटेड के मुख्य कार्यों में इंजीनियरिंग उपकरण तथा परियोजनाओं का निर्यात करना, बुलियन का आयात करना तथा औद्योगिक कच्चा माल एवं कृषि वस्तुओं का व्यापार करना शामिल है।

कंपनी ने प्रशासनिक कारणों से सितंबर 2019 से नए कारोबार का प्रचालन बंद कर दिया है।

पीईसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी अर्थात भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड भी है जो 2002 से विघटन के अधीन है।

(iv) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (पूर्व में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) और राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एनईआईए)

(क) ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)

भारत से निर्यात को बढ़ावा देने एवं इसमें सहायता प्रदान करने के लिए निर्यातकों और बैंकों को “न लाभ न हानि” आधार पर अल्पावधि (एसटी) और मध्यावधि एवं दीर्घावधि (एमएलटी) आधार पर निर्यात ऋण बीमा सेवा प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1957 में मुंबई में, ईसीजीसी लिमिटेड, भारत सरकार की प्रमुख निर्यात ऋण एजेंसी (ईसीए) का गठन, किया गया था। यह वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है। ईसीजीसी लिमिटेड का मिशन, भारतीय निर्यात की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा लागत प्रभावी बीमा एवं व्यापार संबद्ध सेवाएं प्रदान करके भारतीय निर्यात उद्योग को सहायता प्रदान करना है। ईसीजीसी सेवाएं बैंक वित्त तक पहुँच, जानकारी तक पहुँच और विदेशी क्रेता/देश से अपचारी ऋण की वसूली में सहायता करती हैं।

(ख) राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता न्यास (एनईआईए)

भारत सरकार ने कार्यनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2006 में एनईआईए ट्रस्ट स्थापित किया था। यह न्यास 66 करोड़ रुपए के शुरुआती कोष से स्थापित किया गया था। वर्षों के दौरान भारत सरकार से 3,091 करोड़ रु. के योगदान से, यह कोष बढ़कर 4,917 करोड़ रु. (30.09.2021 को) हो गया है।

एनईआईए के तहत कवर किए गए प्रमुख क्षेत्र निर्माण, इंजीनियरिंग वस्तुओं की आपूर्ति, जल शोधन संयंत्र, विद्युत पारेषण और वितरण परियोजनाएं आदि हैं, जबकि कवर किए गए प्रमुख देशों में श्रीलंका, ज़ाम्बिया, ज़िम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक, तंजानिया, सेनेगल, ईरान, मालदीव, कोटे डी' आइवर, घाना, कैमरून, सूरीनाम और मॉरिटानिया शामिल हैं। सफल परियोजना निर्यात से विदेशों में परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में भारत की क्षमता पर स्पष्ट स्थायी प्रभाव पड़ता है। एनईआईए, परियोजना निर्यात के लिए अपने कवर के माध्यम से भारतीय परियोजना निर्यातकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और राष्ट्रीय रणनीतिक हित के क्षेत्रों में अधिक पकड़ बनाने में मददगार है। सफल परियोजना निर्यात से विदेशों में परियोजनाएं क्रियान्वित करने में भारत की क्षमता पर निरंतर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है।

(व) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण (टीएफएआई) का नाम बदलने और भारतीय व्यापार विकास प्राधिकरण (टीडीए) के विलय के बाद वर्ष 1976 में भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) का गठन किया गया था। आईटीपीओ, वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अनुसूची 'ख' मिनीरल्टन श्रेणी-1 सीपीएसई है जिसमें भारत सरकार की 100 प्रतिशत शेयर धारिता है। इसका पंजीकृत कार्यालय, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में है। आईटीपीओ के क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में हैं जिससे भारत व विदेश में इसके कार्यक्रमों में देश के

विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार और उद्योग की प्रतिनिधित्व भागीदारी सुनिश्चित होती है।

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), भारत की प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी है और यह व्यापार और उद्योग के लिए सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी उपलब्ध करता है और भारत के व्यापार के विकास के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। आईटीपीओ, भारत और विदेश में व्यापार मेलों का आयोजन करके/उनमें भागीदारी कर व्यापार संवर्धन/ इसकी सुगमता से संबंधित सेवाएं प्रदान करता और इस प्रकार, भारत के निर्यात में वृद्धि करता है।

आईटीपीओ के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- ◆ भारत और विदेश में औद्योगिक व्यापार तथा अन्य मेलों एवं प्रदर्शनियों को बढ़ावा देना, आयोजित करना और भाग लेना।
- ◆ भारत और विदेश में आयोजित किए जाने वाले व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों का प्रचार-प्रसार करना और विदेशी प्रतिभागियों को उनमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करना
- ◆ भारत में और विदेशों में मेलों, प्रदर्शनियों एवं सम्मेलनों के संबंध में या सिलसिले में माल एवं सेवाओं में व्यापार का संवर्धन करना;
- ◆ निर्यात का संवर्धन करना तथा निर्यात की परंपरागत मद्दों के लिए नए बाजारों की तलाश करना और निर्यात व्यापार का विस्तार करने, विविधता लाने और बनाए रखने के उद्देश्य से नई मद्दों के निर्यात का विकास करना।

(ड) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत सृजित गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस— विशेष प्रयोजन व्हीकल (जेम-एसपीवी)

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के संगठनों द्वारा अपेक्षित माल एवं सेवाओं के प्रापण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत धारा 8 कंपनी के रूप में राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल के रूप में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के गठन के लिए मंजूरी प्रदान की। दिनांक 8 दिसंबर 2017 की अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियमावली 1961 में निम्नलिखित प्रविष्टि की है: "32 राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल-गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस का विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण"। जीएफआर 2017 के नियम 149 के अनुसार, जो वस्तुएं एवं सेवाएं जेम

पर उपलब्ध हैं उनका क्रय अनिवार्य रूप से जेम के माध्यम से किया जाना चाहिए। खुले एवं पारदर्शी प्रापण मंच के माध्यम से प्रापण की सरलता की दृष्टि से प्राप्त प्रचुर लाभों को पूरी तरह से साकार करने के उद्देश्य से सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों (सिक्किम को छोड़कर) ने उन्हें आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के सहज प्रापण के लिए जेम के साथ समझौता ज्ञापन किया है। जेम से विक्रेताओं और खरीदारों को नकदरहित, संपर्करहित और कागजरहित अनुभव मिलता है, और सरकारी खरीदारों द्वारा सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एंड-टू-एंड समाधान का कार्य करता है। जेम (जेम) की पारदर्शिता और दक्षता के प्रति प्रतिबद्धता से यह मंच वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट मंचों में शामिल हो गया है जिनमें जीएमवी के संदर्भ में दक्षिण कोरिया का कोनेप्स (केओएनईपीएस) और सिंगापुर का जीबिज (जीईबीआईजेड) शामिल हैं। आज, जेम ने 1.55 लाख करोड़ रुपये का संचयी सकल पण्यवस्तु मूल्य सक्षम किया है। जेम, सार्वजनिक खरीद में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और उनकी भागीदारी और भुगतान चक्र दोनों को आसान बनाने के लिए विक्रेताओं के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसके अलावा, पूरे वित्त वर्ष 20-21 में 38,585 करोड़ रुपये की तुलना में नवंबर, 21 तक वित्त वर्ष 21-22 के पहले आठ माह में कुल ऑर्डर मूल्य 53,748 करोड़ रु. तक पहुंच गया है।

(च) निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी)

इस समय वाणिज्य विभाग के अधीन 14 निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं जैसा नीचे उल्लेख किया गया है। ईपीसी, कंपनी अधिनियम/सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत लाभ न कमाने वाले संगठन के रूप में पंजीकृत हैं। इन परिषदों की भूमिकाएं एवं कार्य, विदेश व्यापार नीति 2015-20 द्वारा निर्देशित हैं जिसमें उनको निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है।

(i) मूलभूत रसायन, कास्मेटिक्स और डाई निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्ससिल)

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1963 में मूलभूत रसायन, कास्मेटिक्स और डाई निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्ससिल) का गठन किया गया। परिषद का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो नई दिल्ली, बंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद में स्थित हैं। परिषद, अपनी

प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन में तथा वाणिज्य विभाग के समग्र पर्यवेक्षण में काम करती है।

परिषद को निम्नलिखित उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन की गतिविधियों का आयोजन करने का दायित्व सौंपा गया है:

- ◆ डाई एंड डाई इंटरमीडिएट
- ◆ अकार्बनिक, जैविक और कृषि रसायन
- ◆ प्रसाधन सामग्री, साबुन, टॉयलेटरीज़ और आवश्यक तेल
- ◆ विशेषता रसायन, स्नेहक और अरंडी का तेल

(ii) रसायन और संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (केपेक्सिल)

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 1958 में कैपेक्सिल, एक प्रमुख निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई थी। परिषद का पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थित है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नई दिल्ली में स्थित हैं। परिषद अपनी प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन में तथा वाणिज्य विभाग के समग्र पर्यवेक्षण में काम करती है। परिषद को प्रकाशनों एवं मुर्शि, पेपर बोर्ड एवं उत्पाद, ग्लास एवं ग्लास वेयर, विविध उत्पाद, प्रसंस्कृत खनिज, सिरेमिक्स एवं संबद्ध उत्पाद, प्लाईवुड एवं संबद्ध उत्पाद, रबर के उत्पाद, ओसीन एवं जिलेटिन, बल्क मिनरल एवं अयस्क, प्राकृतिक रत्न एवं उत्पाद, पेंट, मुर्शि स्याही एवं संबद्ध उत्पाद, ऑटो टायर एवं ट्यूब, पशु उपोत्पाद, सीमेंट, सीमेंट क्लिकर तथा ऐसबेस्टोस सीमेंट उत्पाद, ग्रेफाइट एवं विस्फोटक की निर्यात संवर्धन गतिविधियां सौंपी गई हैं।

(iii) चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई)

चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई) का गठन जुलाई 1984 में किया गया था। यह भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत लाभ न कमाने वाली स्वायत्त कंपनी है जिसे भारतीय चमड़ा उद्योग के निर्यात संवर्धन एवं विकास के कार्य सौंपे गए हैं। यह सदस्य निर्यातकों तथा पूरे विश्व में क्रेताओं के बीच सेतु का काम करती है। इसका पंजीकृत प्रधान कार्यालय चेन्नई में है तथा इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई एवं मुंबई में स्थित हैं तथा विस्तार कार्यालय आगरा, उत्तर प्रदेश और जालंधर, पंजाब में हैं।

(iv) ईईपीसी इंडिया

वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में इंजीनियरिंग क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) स्थापित की गई है। यह भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र की निर्यात संवर्धन की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत स्थापित कंपनी (लाभ न कमाने वाली) है। ईईपीसी इंडिया, विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के तहत इंजीनियरिंग निर्यात के लिए पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में है और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यातकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद (सिकंदराबाद) और जालंधर में हैं। इंजीनियरिंग विनिर्माताओं एवं निर्यातकों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने तथा बेहतर पहुंच प्राप्त करने के उद्देश्य से ईईपीसी इंडिया ने 12 टियर II और टियर III के 12 शहरों अर्थात् तमिलनाडु (11 मई 2019), छत्तीसगढ़ (19 जून 2019), झारखंड (3 जुलाई 2019), कर्नाटक (23 जुलाई 2019), पश्चिम बंगाल (3 अगस्त 2019), हिमाचल प्रदेश (10 अगस्त 2019), मध्य प्रदेश (24 अगस्त 2019), आंध्र प्रदेश (19 सितंबर 2019), महाराष्ट्र (18 अक्टूबर 2019), ओडिशा (8 नवंबर 2019), राजस्थान (9 नवंबर 2019) और उत्तराखंड (22 नवंबर 2019) में अपने चैप्टर खोले हैं।

(v) प्लास्टिक ईपीसी

भारत से प्लास्टिक एवं लिनोलियम के उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के उद्देश्य से 1955 में प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित की गई और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत की गई। परिषद का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और नई दिल्ली में हैं। परिषद, अपनी प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन में तथा वाणिज्य विभाग के समग्र पर्यवेक्षण में काम करती है।

(vi) खेल सामग्री ईपीसी

खेल की सामग्रियों एवं खेलौनों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1958 में खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद (एसजीईपीसी) की स्थापना की गई थी। परिषद, अपने सदस्यों को घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उद्योग में होने वाले महत्वपूर्ण विकास

के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करती है। भारत में खेल सामग्री उद्योग क्रिकेट के अलावा कई प्रकार के अन्य खेलों की ओर आगे बढ़ रहा है जिससे खेल-संबंधी उद्योगों का विकास हो रहा है। इससे भारतीय बाजार पर नजर रखने वाले निवेशकों के लिए व्यवसाय के नए अवसर—ब्रांड निर्माण एवं अवसरचक्रा से लेकर प्रमुख उद्यमियों वेंचर तक उत्पन्न हुए हैं।

(vii) शैलेक एवं वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सल)

शैलेक निर्यात संवर्धन परिषद कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जून, 1957 में स्थापित की गई थी। 08 फरवरी, 2007 को इसका नाम बदलकर शैलेक एवं वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सल) किया गया। परिषद का पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में स्थित है तथा इसकी कोई अतिरिक्त शाखा या क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। परिषद अपनी प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन में तथा वाणिज्य विभाग के समग्र पर्यवेक्षण में काम करती है।

शेफेक्सल गैर इमारती वन उपज के लिए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र से उत्पादों के लिए भी नामित नोडल निर्यात संवर्धन परिषद है। इस समय परिषद को निम्नलिखित उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन की गतिविधियां सौंपी गई हैं:

- ◆ शैलैक और लैक आधारित उत्पाद;
- ◆ सब्जियों के रस और जड़ी बूटियों के अर्क;
- ◆ ग्वार गम;
- ◆ पौधे एवं उनके भाग (जड़ी-बूटियां);
- ◆ नियत वनस्पति तेल, खली तथा अन्य;
- ◆ अन्य वनस्पति खनिज;
- ◆ पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित अनेक उत्पाद

(viii) भारतीय फार्मास्युटिकल निर्यात संवर्धन परिषद (फार्मेक्सल)

भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग की विशेष आवश्यकताओं के मद्देनजर, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 2004 में भारतीय फार्मास्युटिकल निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई थी। परिषद का मुख्यालय हैदराबाद में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय

मुंबई एवं नई दिल्ली में हैं और शाखा कार्यालय अहमदाबाद, चेन्नई और बेंगलुरु में हैं। परिषद में लगभग 4000 सदस्य हैं। यह परिषद अपने सदस्यों को, सरकार के साथ इंटरफेस के रूप में काम करने के अतिरिक्त, पेटेंट से संबंधित मुद्दों, विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यापार संबंध सहजता आदि जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक परामर्श भी प्रदान करती है।

फार्मेक्सिल, पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नोडल एजेंसी का भी काम करते हैं। फार्मेक्सिल के दायरे में आने वाले उत्पाद एवं सेवाएं हैं: सक्रिय फार्मास्युटिकल इनग्रेडियंट्स (एपीआई); फिनिश डोसेज फार्मा (एफडीएफ); हर्बल/ आयुर्वेद, यूनानी; सिद्धा; होम्योपैथी; बायोलॉजिकल; डायग्नोस्टिक; सर्जिकल्स; न्यूट्रास्युटिकल्स; सहयोगात्मक अनुसंधान; संविदा विनिर्माण; क्लीनिकल परीक्षण एवं परामर्श; विनियामक सेवाएं। फार्मेक्सिल के भीतर, विशेष रूप से भारतीय औषधि प्रणालियों के संवर्धन के लिए एक अलग प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

परिषद, विभिन्न देशों में महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेती है और भारत में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और क्रेता-विक्रेता बैठकों का भी आयोजन करती है। सदस्यों की पेटेंट पर अद्यतन जानकारी में सहायता के लिए, हैदराबाद में पेटेंट सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है।

(ix) सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी)

सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के सेवा निर्यातकों की सुविधा के लिए 2006 में स्थापित शीर्ष व्यापार निकाय है। सलाहकार संस्था के रूप में एसईपीसी भारत सरकार की नीतियों के निर्माण में सक्रिय योगदान करती है तथा सेवा उद्योग एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। यह भारतीय सेवा निर्यातक समुदाय के प्रयासों को प्रोत्साहित करने तथा भारतीय सेवा उद्योग की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए विदेश में उच्च-गुणवत्ता युक्त सेवाओं के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की छवि का निर्माण करने में प्रमुख रहा है। यह बहुत-सी प्रचार प्रसार गतिविधियों जैसे कि क्रेता-विक्रेता बैठकों / रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करता है, विदेश में आयोजित व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी करता है और चुनिंदा विदेशी प्रदर्शनियों में भारतीय मंडप/ सूचना बूथ स्थापित करता है।

परिषद, सेवा निर्यातकों को प्रोत्साहित करती है और उन्हें सेवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुझानों एवं अवसरों की जानकारी प्रदान करती रहती है। एसईपीसी ऐसे अवसरों का लाभ उठाने में अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने निर्यात का विस्तार कर सकें। एसईपीसी के सदस्य डीजीएफटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस) का लाभ ले सकते हैं।

(x) परियोजना ईपीसी

परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद, भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति की रूपरेखा के अंदर तथा उनके ज्ञापन पीईएम (परियोजना निर्यात मैनुअल) में यथा उल्लिखित विदेशी परियोजनाओं का निष्पादन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसरण में विदेशों में परियोजनाएं प्राप्त करने, उन्हें सुगम बनाने एवं निष्पादित करने के लिए भारतीय परियोजना निर्यातकों के लिए शीर्ष समन्वय एजेंसी के रूप में काम करती है।

पीईपीसी न केवल निर्यात संवर्धन की आवश्यक पहलें निष्पादित करता है अपितु भारतीय सिविल एवं इंजीनियरिंग (ईपीसी) को सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी तथा भारतीय परियोजना निर्माण की मदों का प्रयोग करके इंजीनियरिंग सेवा के निम्नलिखित माड्यूल में से किसी भी माड्यूल में विदेश में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए-सरकारी या निजी क्षेत्र में प्रोसेस इंजीनियरिंग संविदाकारों और परामर्शदाताओं सहित आवश्यक तकनीकी सूचना, मार्गदर्शन एवं सहायता भी प्रदान करता है:

- ◆ सिविल निर्माण (संरचना / अवसंरचना)
- ◆ टर्नकी
- ◆ प्रक्रिया तथा इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं
- ◆ परियोजना निर्माण मदें (स्टील एवं सीमेंट को छोड़कर) / परियोजना माल

(xi) ईओयू एवं एसईजेड यूनिटों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीईएस)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा देश में 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुखी यूनिटों (ईओयू), विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) यूनिटों तथा एसईजेड विकासकर्ताओं की निर्यात संवर्धन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनवरी 2003 में ईओयू

एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीईएस) स्थापित की गई है। ईपीसीईएस, पूरे देश में फैले 7000 से अधिक ईओयू एवं एसईजेड का प्रतिनिधित्व करता है।

ईपीसीईएस के उद्देश्य:

- ◆ भारत से निर्यात को बढ़ावा देना और देश के लिए अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करना।
- ◆ केन्द्र तथा राज्य, दोनों स्तरों पर ईओयू / एसईजेड समुदाय और सरकार के बीच बातचीत को सुगम बनाना।
- ◆ भारतीय निर्यातकों को उनके निर्यात बाजार विकास के प्रयासों में मदद करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा के लिए चलाई जा रही बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना का लाभ प्रदान करना।
- ◆ भारत में अन्य निर्यात संवर्धन परिषदों/निर्यात संवर्धन संगठनों तथा विदेशों में समान संस्थाओं और इस क्षेत्र में कार्यरत अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना।

(xii) भारतीय तिलहन एवं उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी)

भारतीय तिलहन एवं उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) का सरोकार तिलहनों, तेलों एवं खलियों के विकास एवं निर्यात संवर्धन से है। इसका गठन 23 जून, 1956 को किया गया था। आईओपीईपीसी, पूर्व में इसका नाम आईओपीई था, छः दशक से अधिक समय से निर्यातकों की आवश्यकताएं पूरी कर रही है। परिषद भारत में तिलहनों की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से निर्यात पर फोकस करने के अलावा, किसानों, विक्रेताओं, प्रोसेसर, सर्वेयर एवं निर्यातकों को प्रोत्साहित करके घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने की दिशा में भी काम कर रही है।

(xiii) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई)

सरकार ने भारत से काजू गिरी, काजू, शैल लिक्विड तथा संबद्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 17 अगस्त 1955 को भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई) की स्थापना की। इसकी स्थापना से ही परिषद इन उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुधार के लिए संस्थानिक रूपरेखा प्रदान कर रही है।

परिषद विदेशी आयातकों तथा काजू गिरी के सदस्य निर्यातकों को एक साथ लाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करती है। विदेशी निर्यातकों से प्राप्त पूछताछ को परिषद के सदस्यों के बीच परिचालित किया जाता है।

परिषद विस्तृत अध्ययन करती है और व्यापार / बाजार सूचना तथा काजू के संभावित बाजारों से संबंधित अन्य ब्यौरे एकत्र करती है और उनको निर्यातकों को उपलब्ध कराती है। यह अंधिकांशतः अंतरराष्ट्रीय मेलों में भागीदारी के माध्यम से विभिन्न पक्षों से प्राप्त व्यापारिक पूछताछ का भी जवाब देती है तथा इन्हें अपने सदस्यों को प्रसारित करती है। काजू एवं काजू उत्पादों के लिए बदलती वैश्विक व्यापार सूचना नियमित आधार पर अद्यतन की जाती है।

(xiv) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी)

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी), जो भारतीय रत्न एवं आभूषण उद्योग की शीर्ष व्यापार संस्था है, इस वर्ष अपने गठन के 55 वर्ष पूरे कर रही है। नवंबर 2021 की स्थिति के अनुसार इसके सदस्यों की संख्या लगभग 6700 है। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र, भारत के अग्रणी विदेशी मुद्रा अर्जक क्षेत्रों में एक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान (सितंबर 2021 तक) भारत से रत्न एवं आभूषण के निर्यात का मूल्य 19,383.13 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समान अवधि के लिए 8,744.87 मिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 121.65% की वृद्धि दर्शाता है। दुनियाभर में लॉकडाउन/ यात्रा प्रतिबंधों के कारण व्यवसाय बंद हो जाने की वजह से अन्य क्षेत्रों की तरह, कोविड-19 ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को भी प्रभावित किया है जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मांग का अभाव रहा है। तथापि, यात्रा प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद, भारतीय रत्न एवं आभूषण निर्यात में वर्ष की शुरुआत से ही तेजी आई है और वित्त वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान यह गति बनी रही है और सरकारी की सहायक नीतियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मद्देनजर इसके आगे भी जारी रहने की संभावना है।

(छ) सलाहकार निकाय

व्यापार बोर्ड (बीओटी)

विदेश व्यापार नीति विवरण 2015-2020 के पैरा 300 के तहत प्रदान किए गए अधिदेश के अनुसार दिनांक 23 मार्च 2016 के व्यापार नोटिस संख्या 21 के माध्यम से व्यापार बोर्ड (बीओटी) का पुनर्गठन किया गया है, जो कुछ समय से अस्तित्व में था।

बीओटी का उद्देश्य, व्यापार एवं उद्योग जगत के साथ निरंतर चर्चा एवं परामर्श करना तथा सरकार को भारत के व्यापार में तेजी लाने के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विदेश व्यापार नीति से संबंधित नीतिगत उपायों के संबंध में परामर्श देना है।

परामर्श प्रक्रिया में अधिक सुसंगति लाने के लिए, व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद (सीटीडीपी) को, जो राज्यों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए समर्थकारी माहौल प्रदान करने के लिए उपायों के संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित वार्ता सुनिश्चित करने और भारत का निर्यात बढ़ाने में राज्यों को सक्रिय साझेदार बनाने के लिए रूपरेखा का निर्माण करने के लिए 3 जुलाई 2015 को गठित किया गया था, 17 जुलाई 2019 की अधिसूचना संख्या 11/2015-20 के माध्यम से व्यापार बोर्ड के साथ विलय कर दिया गया है। पुनर्गठित व्यापार बोर्ड (बीओटी) के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- ♦ सरकारों राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को व्यापार नीति पर अपने परिप्रेक्ष्यों को व्यक्त करने के लिए मंच प्रदान करना
- ♦ भारत सरकार को राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भारत की व्यापार संभावनाओं एवं अवसरों को प्रभावित करने वाले अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों से अवगत कराने तथा उन्हें नई स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने के लिए मंच प्रदान करना
- ♦ राष्ट्रीय विदेश व्यापार नीति के अनुरूप निर्यात रणनीतियों का विकास करने एवं इसे लागू करने में राज्य सरकारों की मदद करना
- ♦ व्यापार के संवर्धन के लिए संगत अवसंरचना की आवश्यकता तथा ऐसी बाधाओं एवं अवसंरचना अंतरालों की पहचान करने की आवश्यकता पर विचार विमर्श करने के लिए मंच प्रदान करना जिनसे भारत का निर्यात प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है
- ♦ व्यापार अवसंरचना को कार्यात्मक बनाने पर चर्चा करने के लिए तंत्र को सुगम बनाना
- ♦ सरकार को आर्थिक परिदृश्य बढ़ाने के लिए अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक, दोनों प्रकार की योजनाएं तैयार करने एवं लागू करने के लिए नीतिगत उपायों के संबंध में परामर्श देना
- ♦ विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा करना, बाधाओं की पहचान करना और निर्यात आय को इष्टतम

करने के लिए उद्योग विशिष्ट उपायों का सुझाव देना

- ♦ आयात एवं निर्यात के लिए विद्यमान संस्थानिक रूपरेखा की जांच करना और वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इसे युक्तिसंगत बनाने के उपायों का सुझाव देना, और
- ♦ आयात और निर्यात के लिए नीतिगत उपकरणों और प्रक्रिया की समीक्षा करना और उपयोग को युक्तिसंगत बनाने के लिए सुझाव देना तथा
- ♦ ऐसे मुद्दों की जांच करना जिन्हें भारत के व्यापार के संवर्धन तथा भारतीय माल एवं सेवाओं की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए संगत माना जाता है।

2 दिसंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यापार बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी और इसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों-मंत्रियों/सरकार और अन्य शामिल प्रतिनिधिमंडलों के साथ-साथ शीर्ष व्यापार मंडलों के सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें अन्य मुद्दों के साथ-साथ भारत में एक सक्रिय विनिर्माण केंद्र बनाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का मूल्यांकन योग्य सदस्य बनाने के लिए आवश्यक प्रयासों, कृषि उपज/अन्य उत्पादों के लिए निर्यात डाटा पता लगाने की क्षमता में सुधार करने, बेहतर व्यापार के लिए पूर्वी समर्पित कॉरिडोर के साथ ही पश्चिमी समर्पित कॉरिडोर के कार्यान्वयन, राज्य को राज्य निर्यात योजना और जिला निर्यात योजना बनाने और कार्यान्वित करने में सहायता के लिए परामर्श और संव्यवहार सहायता के लिए आवश्यक प्रयासों, पूंजी की लागत को कम करना, रसद और अवसंरचनागत बाधाओं को कम करने, व्यापार करने में आसानी, जीएसटी का तीव्र रिफंड, सेवाओं का स्वचालन, कोविड-19 प्रभावों को दूर करने आदि मुद्दों पर चर्चा की गई।

(ज) अन्य संगठन

(i) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ)

1965 में निर्यात संवर्धन संगठनों की शीर्ष संस्था के रूप में भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ) स्थापित किया गया। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 (1960 की अधिनियम संख्या 21) के तहत पंजीकृत है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, कानपुर, लुधियाना, अमृतसर, अहमदाबाद, इंदौर, हैदराबाद, कोची, बंगलौर, कोयंबटूर, भुवनेश्वर, रांची और गुवाहाटी में हैं। एफआईईओ आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित है।

एफआईआईओ की 34,000 से अधिक प्रत्यक्ष सदस्यता है। परिसंघ की विदेश व्यापार नीति 2015-20 के परिशिष्ट 2टी के तहत निर्यात संवर्धन परिषद के रूप में पहचान की गई है। इसे स्टेटस होल्डर निर्यातक फर्मों तथा अनेक उत्पादों का कारोबार करने वाले अन्य निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण विनिर्दिष्ट किया गया है। यह निर्यातकों को पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) जारी करता है। यह उत्पत्ति प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) भी जारी करता है, जो माल की उत्पत्ति के प्रमाण के रूप में अनेक देशों द्वारा अपेक्षित है।

(ii) भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई)

सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत तथा बाम्बे सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1950 के तहत भी 1978 में भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई) स्थापित किया गया जिसमें हीरा, रत्न एवं आभूषण के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने पर फोकस किया गया था। आईडीआई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है तथा यह रत्न एवं आभूषण (जीएंडजे) निर्यात संवर्धन परिषद की एक परियोजना है। आईडीआई हीरा विनिर्माण, हीरा ग्रेडिंग, आभूषण डिजाइनिंग एवं आभूषण निर्माण, जेमोलॉजी के क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा स्तरीय कार्यक्रमों का संचालन करता है, इस प्रकार रत्न एवं आभूषण शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र को एक ही श्रृंखला में कवर करता है। संस्थान, स्वर्ण मूल्यांकन तथा अपरिष्कृत हीरा छंटाई और हीरा ग्रेडिंग के पहलुओं के संबंध में कस्टम अधिकारियों का कौशल उन्नयन करता है/ कौशल प्रदान करता है। संस्थान, उद्यमी विकास संस्थान (सीईडी), गुजरात सरकार की कौशल संवर्धन योजना के तहत एमएसएमईजीएंडजे यूनिटों के मौजूदा कर्मचारियों का कौशल उन्नयन भी करता है।

(iii) फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई)

सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत वर्ष 1986 में फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई) स्थापित किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य चमड़ा एवं फुटवियर उद्योग को कुशल मानव संसाधन तथा तकनीकी सेवाएं प्रदान करना है।

एफडीडीआई को फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान अधिनियम 2017 के अनुसार "राष्ट्रीय महत्व की संस्था" का दर्जा प्रदान किया गया है। फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान फुटवियर, लेदर, फैशन, रिटेल एवं प्रबंधन के क्षेत्रों में कौशल अंतराल को पाटकर भारतीय उद्योग को सुगमता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस संस्थान की पूरे

भारत में मौजूदगी है तथा नोएडा, फुर्सतगंज, चेन्नई, कोलकाता, छिंदवाड़ा, रोहतक, जोधपुर, गुना, पटना, हैदराबाद, अंकलेश्वर एवं बनूर (चंडीगढ़) में इसके भलीभांति बनाए गए परिसर हैं।

एफडीडीआई, अल्पकालिक उद्योग विशिष्ट कार्यक्रमों को प्रस्ताव करने के अतिरिक्त, फुटवियर डिजाइन एवं उत्पादन, प्रबंधन और रिटेल एवं फैशन जींस, चमड़ा वस्तुओं और एक्सेसरीज डिजाइन और फैशन डिजाइन के क्षेत्रों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों का संचालन करता है।

एफडीडीआई को दिनांक 10.11.2021 से डीपीआईआईटी को हस्तांतरित कर दिया गया है।

(iv) राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एनसीटीआई)

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एनसीटीआई) को बंद करने का अनुमोदन किया है। राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र, एनसीटीआई के लिए औपचारिक परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए परिसमापक नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

(v) मूल्य स्थिरीकरण कोष ट्रस्ट (पीएसएफटी)

मूल्य स्थिरीकरण कोष ट्रस्ट को इनके कॉफी, चाय, रबर एवं तंबाकू जैसी जींसों की निरंतर कम कीमतों के कारण इनके उत्पादों की कठिनाई को कम करने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू की गई मूल्य स्थिरता निधि योजना को लागू करने के लिए शुरू में 10 वर्ष की अवधि के लिए नाबार्ड और वाणिज्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत सार्वजनिक न्यास के रूप में 11 सितंबर 2003 को पंजीकृत किया गया। ट्रस्ट को 11 सितंबर 2013 के बाद 10 वर्ष की अगली अवधि अर्थात् 11.09.2023 तक के लिए पुनः पंजीकृत किया गया।

(vi) इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ)

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक न्यास है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य, 'ब्रांड इंडिया को प्रोत्साहित करना और विदेशी बाजारों में इसके बारे में अंतरराष्ट्रीय जागरूकता पैदा करना तथा भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में जानकारी के प्रसार को सुगम बनाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, सरकार एवं उद्योग जगत के हितधारकों के साथ घनिष्ठता से काम करता है।

अध्याय 2

वैश्विक आर्थिक और व्यापार स्थिति

1. वर्ष 2021-22 में वैश्विक अर्थव्यवस्था

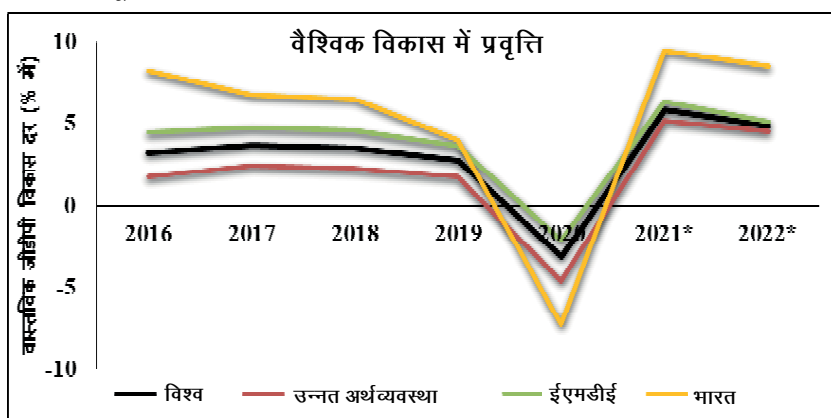
- कोविड-19 महामारी के फिर उभर आने, और दीर्घावधि आपूर्ति बाधाओं के कारण उत्पन्न व्यवधानों के बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार हो रहा है। हालाँकि, आर्थिक स्थितियों, महामारी-जन्य व्यवधानों, टीके की पहुंच में असमानता और नीति समर्थन की सीमा के कारण, राष्ट्रों में यह सुधार असमान होने का अनुमान है। अब जबकि महामारी का सबसे खराब आर्थिक प्रभाव पड़ चुका है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के अब और बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, कोविड-19 के नए रूपों के फैलने के कारण जोखिम बना हुआ है।
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अक्टूबर 2021 के अनुसार, वैश्विक सुधार जारी है, लेकिन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्वपूर्ण संपर्कों में महामारी के प्रकोप से उत्पन्न हुई बाधा, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति में हुए उम्मीद से अधिक व्यवधान और कई देशों में मुद्रास्फीति बढ़त

हुई, इसके कारण गति धीमी हो गई है। सामान्य तौर पर, आर्थिक जोखिम बढ़ गए हैं, और नीतिगत व्यापार-गतिरोध अधिक कठिन हो गए हैं। जुलाई के पूर्वानुमान की तुलना में, आईएमएफ ने 2021 के लिए वैश्विक विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर घटाकर 5.9 प्रतिशत कर दिया है, जबकि 2022 के लिए अनुमान 4.9 प्रतिशत पर ठहर गया है, जो 2020 में (-)3.1 प्रतिशत से काफी अधिक है। 2021 के लिए, यह निम्नस्तरीय संशोधन, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और निम्न-आय वाले विकासशील देशों के लिए कमतरी को दर्शाता है।

- उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का कुल उत्पादन 2021 में 5.2 प्रतिशत और 2022 में 4.5 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। इसकी तुलना में, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) का कुल उत्पादन 2021 में 6.4 प्रतिशत और 2022 में 5.1 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। आईएमएफ के विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार नवीनतम विकास अनुमान (: परिवर्तन) इस प्रकार हैं:

		अनुमानित		जुलाई 2021 डब्ल्यूईओ अद्यतनीकरण से अंतर	
	2020	2021	2022	2021	2022
विश्व उत्पादन	-3.1	5.9	4.9	-0.1	0.0
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	-4.5	5.2	4.5	-0.4	0.1
संयुक्त राज्य अमेरिका	-3.4	6.0	5.2	-1.0	0.3
यूरो क्षेत्र	-6.3	5.0	4.3	0.4	0.0
उभरता बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था (ईएमडीई)	-2.1	6.4	5.1	0.1	-0.1
उभरता और विकासशील एशिया	-0.8	7.2	6.3	-0.3	-0.1
चीन	2.3	8.0	5.6	-0.1	-0.1
भारत	-7-3	9-5	8-5	0-0	0-0

स्रोत: आईएमएफ, डब्ल्यूईओ अद्यतन, अक्टूबर 2021



स्रोत: आईएमएफ
नोट: 'प्रक्षेपित'

2. 2021-22 में वैश्विक व्यापार

◆ कोविड-19 व्यवधानों के बीच, वैश्विक व्यापार संभावनाएं अनुकूल दिख रही हैं। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, विश्व पण्यवस्तु व्यापार की मात्रा, 2020 में (-)5.3 प्रतिशत की तुलना में, 2021 में 10.8 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है— मार्च में अनुमानित 8.0 प्रतिशत से संशोधित, और 2022 में 4.7 प्रतिशत— मार्च में अनुमानित 4.0 प्रतिशत से ज्यादा। इस वर्ष की दूसरी तिमाही में तिमाही व्यापार वृद्धि 22.0 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष थी, लेकिन 2020 की गिरावट और पुनर्प्राप्ति को दर्शाते हुए, चौथी तिमाही तक धीमी होकर 6.6 प्रतिशत होने की

संभावना है। हालांकि, खराब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और कोविड-19 के अधिक घातक रूपों के प्रकोप के कारण नकारात्मक जोखिम हैं।

◆ विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार पद्धति और सुधार में बिखराव आया है, और असमानताओं की बढ़त बने रहने की संभावना है। 2021 में एशिया का निर्यात 2020 की तुलना में 14.4 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, जबकि अल्प विकसित देशों (एलडीसी) के निर्यात में 2021 में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, सेवा व्यापार खासकर यात्रा और मनोरंजन से संबंधित क्षेत्रों में, माल व्यापार से पीछे रहने की संभावना है।

◆ विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रक्षेपित वर्ष 2021 और 2022 में विश्व के प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि इस प्रकार है:

वार्षिक : परिवर्तन						
	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*
विश्व पण्यवस्तु व्यापार की मात्रा	4.8	3.1	0.1	-5.3	10.8	4.7
निर्यात						
उत्तरी अमेरिका	3.4	3.8	0.3	-8.6	8.7	6.9
दक्षिण और मध्य अमेरिका	2.2	-0.2	-2.2	-4.7	7.2	2
यूरोप	4.1	1.9	0.6	-7.9	9.7	5.6
सीआईएस	3.9	4.1	-0.3	-1.5	0.6	8.5
अफ्रीका	5.3	3.6	-0.7	-8.8	7	6
मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट)	-2.2	4.8	-2.2	-11.6	5	9.6
एशिया	6.7	3.7	0.8	0.3	14.4	2.3
अल्प विकसित देश	4.3	4.0	2.1	-2.0	5.3	4.7
आयात						
उत्तरी अमेरिका	4.4	5.1	-0.6	-6.1	12.6	4.5
दक्षिण और मध्य अमेरिका	4.4	5.6	-2.6	-9.9	19.9	2.1
यूरोप	3.9	1.9	0.3	-7.6	9.1	6.8
सीआईएस	13.9	4	8.5	-5.6	13.8	-0.8
अफ्रीका	-1.7	5.3	2.8	-11.1	11.3	4.1
मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट)	1.2	-4.1	2.4	-13.9	9.3	8.7
एशिया	8.5	5	-0.5	-1.2	10.7	2.9
अल्प विकसित देश	4.9	5.3	7.6	-6.7	5.5	8.6

स्रोत: डब्ल्यूटीओ प्रेस विज्ञापित दिनांक 4 अक्टूबर 2021

नोट: 'प्रक्षेपित

3. 2021-22 में अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का व्यापार

- नीचे सारणी में चुनी हुई अर्थव्यवस्थाओं अर्थात् ब्राजील, कनाडा, चीन, भारत, नीदरलैंड, जापान, कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की निर्यात (बाजार+सेवाएं) वृद्धि की तुलना की गई है। विश्व व्यापार

संगठन के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2021 से इन सब अर्थव्यवस्थाओं में सकारात्मक निर्यात वृद्धि प्रदर्शित हुई है। इन अर्थव्यवस्थाओं में, अप्रैल 2021 में भारत की उच्चतम निर्यात वृद्धि देखी गई है और इसके बाद कनाडा और ब्राजील है। जबकि सितंबर 2021 में ब्राजील की उच्चतम निर्यात वृद्धि रही, उसके पीछे चीन और भारत रहे।

कुल निर्यात: माह-वार वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)

माह	ब्राजील	कनाडा	चीन	भारत	नीदरलैंड	जापान	कोरिया	यूके	अमेरीका
अप्रैल-21	45.1	54.8	32.4	83.2	30.7	41.8	45.5	17.8	37.8
मई-21	47.8	58.8	26.9	39.4	36.3	44.0	35.8	29.9	42.6
जून-21	56.6	44.0	34.4	35.2	36.8	39.6	27.6	19.7	32.6
जुलाई-21	32.1	26.4	20.4	32.4	29.3	31.6	21.0	14.6	24.1
अगस्त-21	54.4	27.2	27.7	34.8	22.6	37.9	23.4	10.2	22.7
सितम्बर-21	33.7	16.9	30.2	21.5	7.0	20.9	19.2	13.2	16.6

स्रोत: डब्ल्यूटीओ डेटाबेस

टिप्पणी: किसी विशेष माह की वृद्धि दर उसके पूर्व वर्ष के समान माह की तुलना में आंकलित है

- नीचे सारणी में चुनी हुई अर्थव्यवस्थाओं अर्थात् ब्राजील, कनाडा, चीन, भारत, नीदरलैंड, जापान, कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की आयात (पण्यवस्तु सेवाओं) की तुलना की गई है, अप्रैल से अगस्त 2021 के दौरान इन सब अर्थव्यवस्थाओं में आयात में

सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2021 में भारत का आयात 110.7% से घटकर, अगस्त 2021 में 39.3% रहा जो सितंबर 2021 में बढ़कर 67.3% हो गया।

कुल आयात: माह वार वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)

माहिना	ब्राजील	कनाडा	चीन	भारत	जापान	कोरिया	नीदरलैंड	यूके	अमेरीका
अप्रैल-21	34.6	45.9	38.9	110.7	11.9	31.2	41.7	34.0	35.1
मई-21	53.0	58.7	45.5	48.8	20.7	37.0	34.7	43.9	39.0
जून-21	55.8	28.9	34.4	69.0	24.8	38.2	26.7	25.4	35.1
जुलाई-21	40.4	17.9	25.5	45.7	23.3	35.3	21.0	11.6	21.5
अगस्त-21	58.6	18.2	31.4	39.3	33.1	40.7	25.4	2.6	23.4
सितम्बर-21	42.3	11.1	18.5	67.3	26.2	27.9	20.6	(-)2.5	20.7

स्रोत: डब्ल्यूटीओ डेटाबेस

टिप्पणी: किसी विशेष माह की वृद्धि दर उसके पूर्व वर्ष के समान माह की तुलना में आंकलित है

अध्याय 3

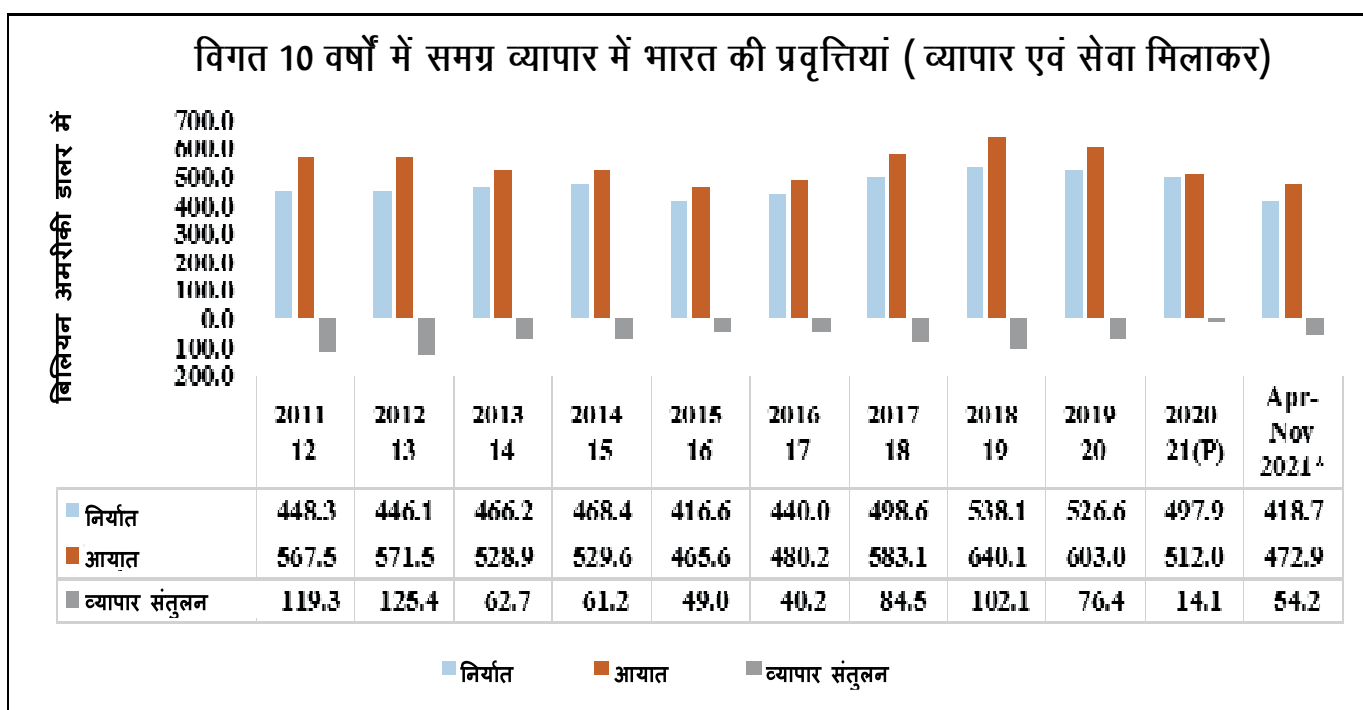
भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियां

1. संक्षिप्त अवलोकन

- वर्ष 2020-21 (पी) में भारत का कुल निर्यात 497.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि वर्ष 2019-20 में 526.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले (-) 5.44 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। अप्रैल-दिसंबर 2021¹ की अवधि के लिए निर्यात का अनुमान 479.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान 351.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 36.31 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। इसी प्रकार अप्रैल-दिसंबर 2019 की तुलना में, अप्रैल-दिसंबर 2021¹ के दौरान निर्यात में 20.25 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।
- समग्र तौर पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के संबंध में (वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर) निर्यात में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से गिरावट की प्रवृत्ति देखने को मिली। वर्ष 2020-21 में यह अनुपात 18.7 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2020-21 (पी) में समग्र आयात 511.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में (-) 15.09 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि

दर्शाता है। अप्रैल-दिसंबर 2021¹ की अवधि के लिए आयात का अनुमान 547.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि यह अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान 347.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 57.33 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। अप्रैल-दिसंबर 2019 की तुलना में, अप्रैल-दिसंबर 2021¹ की अवधि के दौरान आयात में 18.57 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

- समग्र रूप में वर्ष 2020-21 (पी) में कुल व्यापार घाटा 14.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2019-20 में 76.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के घाटे से कम था। अप्रैल-दिसंबर 2021¹ की अवधि के लिए समग्र व्यापार घाटा 68.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान 3.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अधिशेष था। अप्रैल-दिसंबर 2019 की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2021¹ की अवधि के दौरान समग्र व्यापार घाटे में 8.00 प्रतिशत का सुधार हुआ था।
- पिछले दस वर्षों में समग्र निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन में व्यापक प्रवृत्तियां नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाई गई हैं:



स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, आरबीआई डेटाबेस और आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति

* नोट: आरबीआई द्वारा जारी सेवा क्षेत्र के लिए नवीनतम आंकड़े नवंबर 2021 के लिए हैं। दिसंबर 2021 का आंकड़ा एक अनुमान है, जिसे आरबीआई द्वारा बाद में जारी आंकड़ों के आधार पर संशोधित किया जाएगा। (ii) तिमाही भुगतान डेटा का उपयोग करते हुए, वर्ष 2019, 2020 और अप्रैल से सितंबर 2021 के डेटा को आनुपातिक आधार पर संशोधित किया गया है।

2. भारत का पण्यवस्तु व्यापार

- ◆ चूंकि कोविड-19 का प्रभाव वर्ष 2020-21 में भी जारी रहा, फिर भी भारत के उत्पाद व्यापारिक निर्यात ने सहनशीलता का प्रदर्शन किया है। पूरे वित्तीय वर्ष, अर्थात् वर्ष 2020-21 के लिए निर्यात 291.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान यह 313.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें (-) 6.88 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। यदि पीओएल और रत्न तथा आभूषण को अलग कर दिया जाता है, तो उत्पाद व्यापारिक निर्यात में वृद्धि सकारात्मक थी, और यह 1 प्रतिशत से अधिक थी।
- ◆ दिसंबर 2020 के दौरान भारत के निर्यात ने फिर से मजबूत पकड़ आरंभ की। सकारात्मक निर्यात प्रदर्शन वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर 2021) में जारी है। अप्रैल-दिसंबर 2021 (त्वरित अनुमान) के दौरान निर्यात 301.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान यह 201.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 49.66 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। अप्रैल-दिसंबर 2019 की तुलना में, अप्रैल-दिसंबर 2021 (त्वरित अनुमान) के दौरान निर्यात ने 26.49 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की।
- ◆ सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में व्यापारिक निर्यात जो वर्ष 2018-19 में 12.2 प्रतिशत था, वर्ष 2019-20 और 2020-21 में घटकर लगभग 11 प्रतिशत रह गया है।
- ◆ वर्ष 2020-21 के दौरान आयात ने भी (-) 16.91 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो वर्ष 2019-20 में 474.71 बिलियन

अमेरिकी डॉलर से वर्ष 2020-21 में 394.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अप्रैल-दिसंबर 2021 (त्वरित अनुमान) के दौरान आयात 443.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान 262.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 68.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल-दिसंबर 2021 (त्वरित अनुमान) में आयात ने अप्रैल-दिसंबर 2019 की तुलना में 21.87 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

- ◆ वर्ष 2020-21 में व्यापार घाटा 102.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि वर्ष 2019-20 में यह 161.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-दिसंबर 2020 में 61.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अप्रैल-दिसंबर 2021 (त्वरित अनुमान) में व्यापार घाटा बढ़कर 142.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अप्रैल-दिसंबर 2019 की तुलना में, अप्रैल-दिसंबर 2021 (त्वरित अनुमान) के दौरान व्यापार घाटा 13.13 प्रतिशत बढ़ गया।
- ◆ विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, विश्व निर्यात में 1.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी दर्ज करते हुए, भारत वर्ष 2020 में व्यापारिक उत्पाद निर्यातकों के मामले में 21वें स्थान पर था, जबकि विश्व आयात में 2.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ, वर्ष 2020 के लिए व्यापारिक उत्पाद आयातकों में भारत का स्थान 14वां था।
- ◆ पिछले दस वर्षों के दौरान व्यापारिक निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन की व्यापक प्रवृत्तियां नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई हैं।

पण्यवस्तु व्यापार

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	वर्ष	निर्यात	वृद्धि %	आयात	वृद्धि %	व्यापार संतुलन
1	2011-12	305.96	22.48	489.32	32.33	(-)183.36
2	2012-13	300.40	(-)1.82	490.74	0.29	(-)190.34
3	2013-14	314.41	4.66	450.20	(-)8.26	(-)135.79
4	2014-15	310.34	(-)1.29	448.03	(-)0.48	(-)137.69
5	2015-16	262.29	(-)15.48	381.01	(-)14.96	(-)118.72
6	2016-17	275.85	5.17	384.36	0.88	(-)108.50
7	2017-18	303.53	10.03	465.58	21.13	(-)162.05
8	2018-19	330.08	8.75	514.08	10.42	(-)184.00
9	2019-20	313.36	(-)5.06	474.71	(-)7.66	(-)161.35
10	2020-21	291.81	(-)6.88	394.44	(-)16.91	(-)102.63
	अप्रैल-दिसंबर 2021 'क्यूई')	301.38	49.66	443.82	68.91	(-)142.44

स्रोत : डीजीसीआई एवं एसए क्यूई से तात्पर्य त्वरित अनुमान है।

लक्ष्य 400— दिसंबर 2021 तक की उपलब्धि

- ♦ भारत का व्यापारिक निर्यात दिसंबर 2021 तक 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने निर्यात लक्ष्य के 75.35% तक पहुँच गया है, जिसका मासिक औसत 33.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और दैनिक औसत गति दर (रन-रेट) 1.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- ♦ कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, सूती धागे/ फैब्स/इनसे बनी वस्तुएं, हथकरघा उत्पाद आदि, पेट्रोलियम उत्पाद; अन्य दाने; समुद्री उत्पाद, प्लास्टिक और लिनोलियम, इंजीनियरिंग सामान, अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, प्रसंस्कृत खनिजों सहित खनिज आदि उच्च निष्पादन वाली वस्तुएं हैं।
- ♦ निर्दिष्ट 200 देशों में से 59 देश ऐसे हैं जहां निर्यात उनके संबंधित औसत लक्ष्य से अधिक हो रहा है। तुवालु, किरिबाती गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान, मालदीव और टोंगा शीर्ष 5 उच्च प्रदर्शन करने वाले देश हैं। (नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, नवंबर, 2021 तक)

3. भारत का सेवा व्यापार

- ♦ वर्ष 2020-21 में महामारी, उसके बाद के लगाए गए लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के उपायों का सेवा क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2019-20 में दर्ज 213.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में, वर्ष 2020-21 (पी) के दौरान सेवा निर्यात 206.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो (-) 3.33 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।
- ♦ भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा निर्यात का योगदान वर्ष 2018-19 में 7.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में 7.4 प्रतिशत हो गया। इसके बाद यह वर्ष 2020-21 में वापस बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गया है।
- ♦ भारत का सेवा निर्यात (अनुमानित) अप्रैल-दिसंबर 2021 में 177.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2020 में यह 150.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि 18.39 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।
- ♦ वर्ष 2019-20 में 128.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में, वर्ष 2020-21 (पी) में सेवा आयात 117.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो (-) 8.38 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान आयात का संचयी मूल्य 103.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसने अप्रैल-दिसंबर वर्ष 2020 की अवधि के दौरान 21.52 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की।
- ♦ वर्ष 2020-21 (पी) और अप्रैल-दिसंबर 2021 में क्रमशः सेवा व्यापार में 88.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 74.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अधिशेष सृजित हुआ।
- ♦ विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, वर्ष 2020 के लिए वाणिज्यिक सेवाओं के प्रमुख निर्यातकों में कुल विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में 4.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ भारत 7वें स्थान पर रहा है। इसी प्रकार, वर्ष 2020 में वाणिज्यिक सेवाओं के प्रमुख आयातकों हेतु भारत दुनिया में 10वें स्थान पर है, जिसमें वाणिज्यिक सेवाओं के कुल विश्व आयात में भारत का 3.3 प्रतिशत हिस्सा है।
- ♦ विगत दस वर्षों के दौरान सेवा निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन में व्यापक रुझान नीचे दी गई तालिका में वर्णित हैं।

सेवा व्यापार

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	वर्ष	निर्यात	वृद्धि%	आयात	वृद्धि %	सेवाओं का निवल
1	2011-12	142.32	14.19	78.23	(-)2.89	64.10
2	2012-13	145.68	2.36	80.76	3.24	64.91
3	2013-14	151.81	4.21	78.75	(-)2.50	73.07

क्र.सं.	वर्ष	निर्यात	वृद्धि%	आयात	वृद्धि %	सेवाओं का निवल
4	2014-15	158.11	4.15	81.58	3.59	76.53
5	2015-16	154.31	(-)2.40	84.63	3.75	69.68
6	2016-17	164.20	6.41	95.85	13.25	68.34
7	2017-18	195.09	18.81	117.53	22.61	77.56
8	2018-19	208.00	6.62	126.06	7.26	81.94
9	2019-20	213.19	2.50	128.27	1.75	84.92
10	2020-21 (पी)	206.09	(-)3.33	117.52	(-)8.38	88.57
	अप्रैल-दिसंबर 2021*	177.68	18.39	103.30	21.52	74.39

स्रोत: आरबीआई डेटाबेस और आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति, पी का अर्थ अनंतिम है

* नोट: आरबीआई द्वारा जारी सेवा क्षेत्र के लिए नवीनतम आंकड़े नवंबर 2021 के लिए हैं। दिसंबर 2021 का आंकड़ा एक अनुमान है, जिसे आरबीआई द्वारा बाद में जारी आंकड़ों के आधार पर संशोधित किया जाएगा। (पप) तिमाही भुगतान डेटा का उपयोग करते हुए, वर्ष 2019, 2020 और अप्रैल से सितंबर 2021 के डेटा को आनुपातिक आधार पर संशोधित किया गया है।

4. वर्ष 2020-21 में निर्यात और आयात की प्रमुख वस्तुएँ

वर्ष 2020-21 में शीर्ष दस वस्तुओं के निर्यात

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	वस्तु	2019.20	2020.21	अप्रैल-दिसंबर 2021	वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में वृद्धि %	वर्ष 2020-21 में शेयर %
1	इंजीनियरिंग सामान	78.70	76.72	81.76	(-)2.52	26.29
2	रत्न एवं आभूषण	35.90	26.02	28.91	(-)27.51	8.92
3	पेट्रोलियम उत्पाद	41.29	25.80	43.88	(-)37.50	8.84
4	ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स	20.70	24.44	18.18	18.07	8.38
5	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	22.08	22.09	21.38	0.03	7.57
6	सभी वस्त्रों का आरएमजी	15.49	12.27	11.12	(-)20.76	4.21
7	इलेक्ट्रॉनिक सामान	11.70	11.09	11.02	(-)5.19	3.80
8	सूती धागे / फैब / निर्मित, हथकरघा उत्पाद आदि	10.03	9.83	11.29	(-)1.99	3.37
9	चावल	6.40	8.83	6.83	37.89	3.03
10	प्लास्टिक और लिनोलियम	7.55	7.46	7.32	(-)1.17	2.56

(स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता)

2020-21 में शीर्ष दस वस्तुओं के आयात

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	वस्तु	2019.20	2020.21	अप्रैल-दिसंबर 2021	वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में वृद्धि %	वर्ष 2020-21 में शेयर %
1	पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद	130.55	82.68	118.26	(-)36.67	20.96
2	इलेक्ट्रॉनिक सामान	54.40	54.29	50.99	(-)0.20	13.76
3	सोना	28.23	34.60	38.02	22.58	8.77
4	मशीनरी, विद्युत और गैर-विद्युत	37.69	30.08	28.68	(-)20.18	7.63
5	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	20.62	19.83	22.40	(-)3.84	5.03
6	मोती, बहुमूल्य और कम-बहुमूल्य रत्न	22.46	18.89	22.09	(-)15.90	4.79
7	परिवहन उपकरण	25.28	18.65	12.25	(-)26.24	4.73
8	कोयला, कोयला पत्थर और ब्रिकेट्स, आदि।	22.46	16.27	21.63	(-)27.52	4.13
9	कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक सामग्री, आदि	14.63	13.51	14.78	(-)7.68	3.43
10	लोहा और इस्पात	15.37	12.04	12.48	(-)21.69	3.05

(स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता)

5. वर्ष 2020-21 में प्रमुख निर्यात गंतव्य और आयात स्रोत

वर्ष 2020-21 में भारत के शीर्ष दस निर्यात गंतव्य

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	देश	2019.20	2020.21	अप्रैल-दिसंबर 2021	वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में वृद्धि %	वर्ष 2020-21 में शेयर %
1	अमेरीका	53.11	51.63	55.17	-2.78	17.69
2	चीन	16.61	21.19	17.02	27.53	7.26
3	संयुक्त अरब अमीरात	28.85	16.68	19.89	-42.19	5.72
4	हांग कांग	10.97	10.16	8.43	-7.34	3.48
5	बांग्लादेश	8.20	9.69	10.53	18.18	3.32
6	सिंगापुर	8.92	8.68	8.23	-2.77	2.97
7	यू.के.	8.77	8.21	7.72	-6.39	2.81
8	जर्मनी	8.29	8.13	7.02	-1.99	2.78
9	नेपाल	7.16	6.84	6.66	-4.50	2.34
10	नीदरलैंड	8.37	6.47	7.72	-22.64	2.22

(स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता)

वर्ष 2020-21 में भारत के शीर्ष 10 आयात स्रोत

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	देश	2019.20	2020.21	अप्रैल-दिसंबर 2021	वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में वृद्धि %	वर्ष 2020-21 में शेयर %
1	चीन	65.26	65.21	67.66	(-)0.07	16.53
2	अमेरीका	35.82	28.89	32.27	(-)19.35	7.32
3	यूएई	30.27	26.62	33.06	(-)12.03	6.75
4	स्विट्ज़रलैंड	16.90	18.23	19.67	7.88	4.62
5	सऊदी अरब	26.86	16.19	23.48	(-)39.73	4.1
6	हॉन्ग कोंग	16.94	15.17	13.79	(-)10.41	3.85
7	इराक	23.74	14.29	22.65	(-)39.82	3.62
8	जर्मनी	13.69	13.64	9.90	(-)0.35	3.46
9	सिंगापुर	14.75	13.30	13.29	(-)9.78	3.37
10	कोरिया आरपी	15.66	12.77	12.80	(-)18.43	3.24

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

अध्याय 4

विदेश व्यापार नीति, आयात–निर्यात व्यापार
और प्रमुख स्कीम

1. परिचय

महामारी की अवधि के दौरान नीतिगत स्थिरता प्रदान करने की दृष्टि से पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 को वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए विस्तारित कर दिया गया। वर्ष 2015–20 की नीति में एफटीपी विवरण, प्रक्रिया पुस्तिका, परिशिष्ट और आयत–निर्यात प्रपत्र शामिल हैं। एक ओर जहां एफटीपी आयात और निर्यात की नीति निर्धारित करता है, वहीं प्रक्रिया पुस्तिका विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं (किसी निर्यातक या आयातक, या लाइसेंसिंग/क्षेत्रीय प्राधिकरण, या किसी प्राधिकरण द्वारा) को अधिसूचित करती है। प्रक्रियाएं निम्नलिखित दस्तावेजों में अंतरनिहित हैं:

- ◆ प्रक्रिया पुस्तिका
- ◆ परिशिष्ट और आयत–निर्यात प्रपत्र, और
- ◆ मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एसआईओएन)

वर्ष 2015–20 के लिए एफटीपी व्यापार और सेवाओं, नियमों को लिंक करने, प्रक्रियाओं और प्रोत्साहनों में विदेशी व्यापार के लिए एक स्थिर और टिकाऊ नीति वातावरण प्रदान करना चाहता है। यह “निर्यात संवर्धन मिशन” बनाने के लिए “मेक इन इंडिया”, “डिजिटल इंडिया” और “स्किल्स इंडिया” जैसी अन्य पहलों के अनुरूप है, भारत की निर्यात टोकरी के विविधीकरण को बढ़ावा देता है, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा हासिल करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मदद करता है। इसका उद्देश्य मौजूदा वैश्विक बाजारों में गहरी पैठ बनाने और प्रमुख क्षेत्रों के साथ बेहतर एकीकरण के लिए भारतीय बाजारों का विस्तार करना भी है; जिससे भारत के उत्पादों और सेवाओं की मांग बढ़ रही है। समय–समय पर नीति में संशोधन किया गया है, और नई पहल जैसे निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और कर छूट योजना (आरओडीटीईपी), केंद्रीय टैक्स और शुल्क में छूट योजना (आरओएससीटीएल), निर्यात हब के रूप में जिले का विकास आदि को बाद में इसमें शामिल किया गया है, ताकि बदलते वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में आवश्यक गतिशीलता प्रदान की जा सके।

2. विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य

भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेश व्यापार महा निदेशालय (डीजीएफटी) और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की गई

विभिन्न पहल, भारतीय आर्थिक विकास के पुनरुद्धार और गति देने के लिए, सार्थक रोजगार के अवसर पैदा करने और बनाने के लिए, भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बताए गए आदर्शों, सिद्धांतों और नीतियों द्वारा निर्देशित हैं ताकि भारत “आत्मनिर्भर” बनाते हुए “भारत को वैश्विक विनिर्माण और व्यापार का हब” बनाया जा सके।

संशोधित विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में पर्याप्त योगदान देना और वैश्विक बाजारों में भारतीय स्थानीय व्यवसायों की अपार संभावनाओं को उजागर करना है। यह एक ब्रांड अर्थात “ब्रांड इंडिया” के रूप में भारत की अभिव्यक्ति भी है।

इन अतिरिक्त पहलों के साथ एफटीपी 2015–20 का उद्देश्य एक पूर्वानुमानित और न्यायसंगत वातावरण का निर्माण करना, सर्वोत्तम और टिकाऊ व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देना, वैश्विक बाजार में गहरी, व्यापक और अधिक मूल्य वर्धित पैठ प्रदान करना, तथा लेन–देन की लागत को कम करके और वैश्विक मूल्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बनकर दक्षता में सुधार और कारोबार में सुगमता लाना है।

इसे प्राप्त करने के लिए, तकनीकी उन्नयन, रसद बुनियादी ढांचे के विस्तार, निरंतर डिजिटल परिवर्तन, पुनः कौशल और कार्यबल के कौशल को बढ़ाने, डिजिटल वाणिज्य को उच्च महत्व प्रदान करने, महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार, छोटे और मध्यम उद्यमों का समर्थन, वैश्विक बाजार के लिए और इष्टतम उत्पादन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाकर, उत्तर पूर्व और पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश के असंगठित क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्रों में पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

यद्यपि अधिकांश उच्च मूल्य वृद्धि–उन्मुख क्षेत्रों में तकनीकी उन्नयन महत्वपूर्ण है, कुछ पारंपरिक रोजगार–उन्मुख क्षेत्रों में, पारंपरिक पारिस्थितिकी तंत्र को छेड़छाड़ किए बिना, उच्च संवेदनशीलता और सम्मान के साथ, कारीगरों और आदिवासी लोगों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जातीय मूल्य, विशेष रूप से उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों और अन्य पहाड़ी राज्यों में उत्पादन तकनीकों में न्यूनतम या वृद्धिशील तकनीकी हस्तक्षेप पर जोर दिया जाता है। नीति का उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन की दिशा में राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभिन्न अन्य विभागों द्वारा की गई कई पहलों को एकीकृत करना है।

3. प्रमुख स्कीमें

(क) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी)

(i) आरओडीटीईपी योजना का कार्यान्वयन

◆ निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना (आरओडीटीईपी) को 1 जनवरी 2021 से निर्यात पर अधिसूचना संख्या 19/2015-20 दिनांक 17 अगस्त 2021 द्वारा अधिसूचित किया गया है और यह योजना लागू हो गई है। यह योजना करों/शुल्कों/लेवी की प्रतिपूर्ति के लिए एक प्रणाली का निर्माण करती है, जो वर्तमान में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर किसी अन्य प्रणाली के तहत वापस नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो निर्यात किए गए उत्पादों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में खर्च किए गए हैं। ऐसे करों का प्रमुख घटक परिवहन/वितरण में उपयोग किए जाने वाले ईंधन पर बिजली शुल्क और वैट है।

◆ आरओडीटीईपीयोजना लगभग 8555 एचएस लाइनों को शामिल करती है, जिसमें छूट की दर 0.01% से 4.3% तक है, जो परिशिष्ट 4R में आरओडीटीईपीअनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।

◆ आरओडीटीईपीयोजना एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण के साथ संचालित होती है, और आरओडीटीईपीलाभों का दावा करने के लिए कोई अलग आवेदन दायर करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), वित्त मंत्रालय इस योजना को लागू कर रहा है। सीबीआईसी का आइसगेट ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू हो गया है, और निर्यातकों ने इस योजना के तहत ई-स्क्रिप्स का लाभ उठाना शुरू कर दिया है।

(ii) विदेश व्यापार नीति की ड्यूटी क्रेडिट आधारित योजनाओं के तहत लंबित बकाया राशि की स्वीकृति

◆ सितंबर 2021 में, निर्यातकों को देय सभी लंबित निर्यात

प्रोत्साहनों को वितरित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु.56,027 करोड़ का बजट प्रदान करने का निर्णय लिया गया था।

◆ रु.56,027 करोड़ रुपये के लिए योजनावार विवरण इस प्रकार है: भारत से व्यापारिक निर्यात योजना (एमईआईएस - रु.33,010 करोड़), भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस - रु.10,002 करोड़), राज्य और केंद्रीय करों की छूट के लिए योजना और लेवी (आरओएससीटीएल - रु.5,286 करोड़), स्क्रिप्स मैकेनिज्म के तहत राज्य लेवी की छूट (आरओएसएल - रु.330 करोड़), अन्य विरासती योजनाएं, जैसे टारगेट प्लस आदि (रु.4,831 करोड़)। इस राशि में वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में आरओएससीटीएल और आरओडीटीईपी के दावे भी शामिल हैं।

(iii) वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु एसईआईएस स्कीम की अधिसूचना

◆ वित्त वर्ष 2019-20 में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए, भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) को अधिसूचना संख्या 29 दिनांक 23.09.2021 द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसमें पात्र सेवा श्रेणियों और दरों की सूची शामिल है, जैसा कि परिशिष्ट 3R में निहित है।

(ख) भारत से व्यापारिक निर्यात योजना (एमईआईएस) और भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस)

विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत निर्दिष्ट बाजारों में निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात के लिए भारत से व्यापारिक निर्यात योजना (एमईआईएस), और अधिसूचित सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के लिए भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) शुरू की गई थी।

निम्न तालिका वर्ष 2019-20, 2020-21 और अप्रैल-नवंबर 2021-22 के दौरान एमईआईएस और एसईआईएस के तहत स्क्रिप जारी करने के विवरण और निर्यात के एफओबी मूल्य के साथ विवरण दिखाती है:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं		2019-20	2020-21	अप्रैल-नवंबर 2021
भारत से व्यापारिक निर्यात (एमईआईएस)	स्क्रिप्स की संख्या	2,88,023	1,15,413	1,25,749
	स्क्रिप्स का मूल्य	39,04,5.65	14,405	17,548
	निर्यात का एफओबी मूल्य	12,02,958	5,04,537	6,11,328

भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस)	स्क्रिप्स की संख्या	8,280	6,098	879
	स्क्रिप्स का मूल्य	7,114	4,740	720
	निर्यात का एफओबी मूल्य	27,64,377	10,08,971	45,390

(ग) राज्य और केंद्रीय टैक्स और शुल्क में छूट योजना (आरओएससीटीएल)

राज्य और केंद्रीय टैक्स और शुल्क में छूट योजना

(आरओएससीटीएल) की छूट के तहत वर्ष 2020-21 और अप्रैल-नवंबर 2021-22 के दौरान प्राधिकार जारी करने, शुल्क परित्यक्त मूल्य और निर्यात के एफओबी मूल्य का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

आरओएससीटीएल योजना		
	2020-21	अप्रैल-नवंबर 2021
प्राधिकार की संख्या	50,284	9,213
शुल्क परित्यक्त राशि	6,811	581
निर्यात का एफओबी मूल्य	139,673	14,733

(घ) पूर्व विदेश व्यापार नीतियों के तहत अन्य निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं

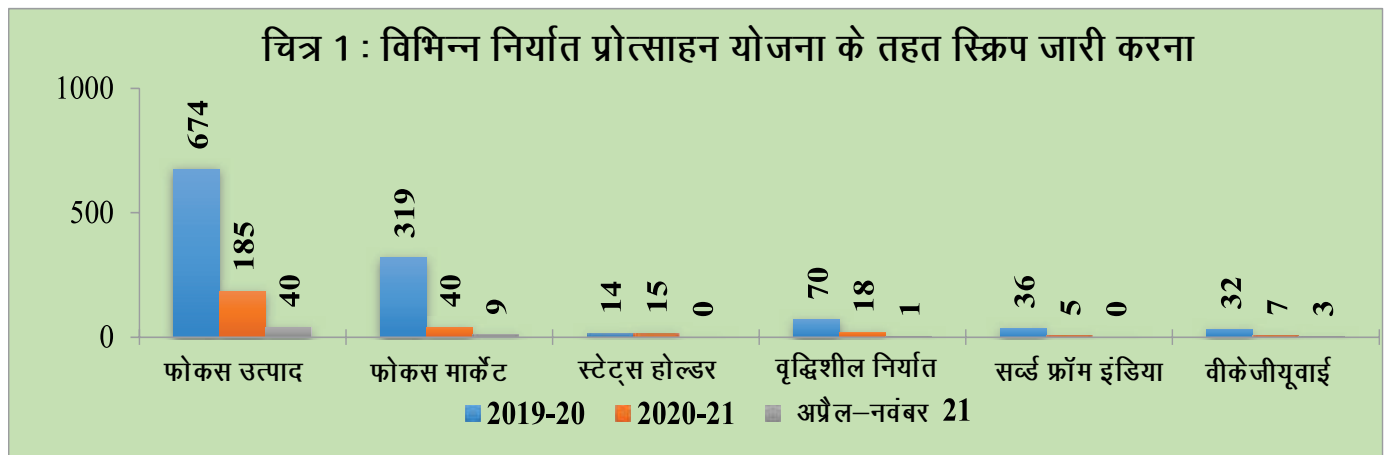
विभिन्न योजनाओं के तहत भी स्क्रिप जारी किए जाते हैं, जैसे, (i) फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस), (ii) फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस), (iii) विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), (iv) वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना, (v)

सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम, और (अप) स्टेटस होल्डर इंसेंटिव स्क्रिप (एसएचआईएस)। वर्ष 2019-20, 2020-21 और अप्रैल-नवंबर 2021-22 के दौरान निर्यात के मूल्य और निर्यात के एफओबी मूल्य के साथ विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत स्क्रिप जारी करने का विवरण, निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

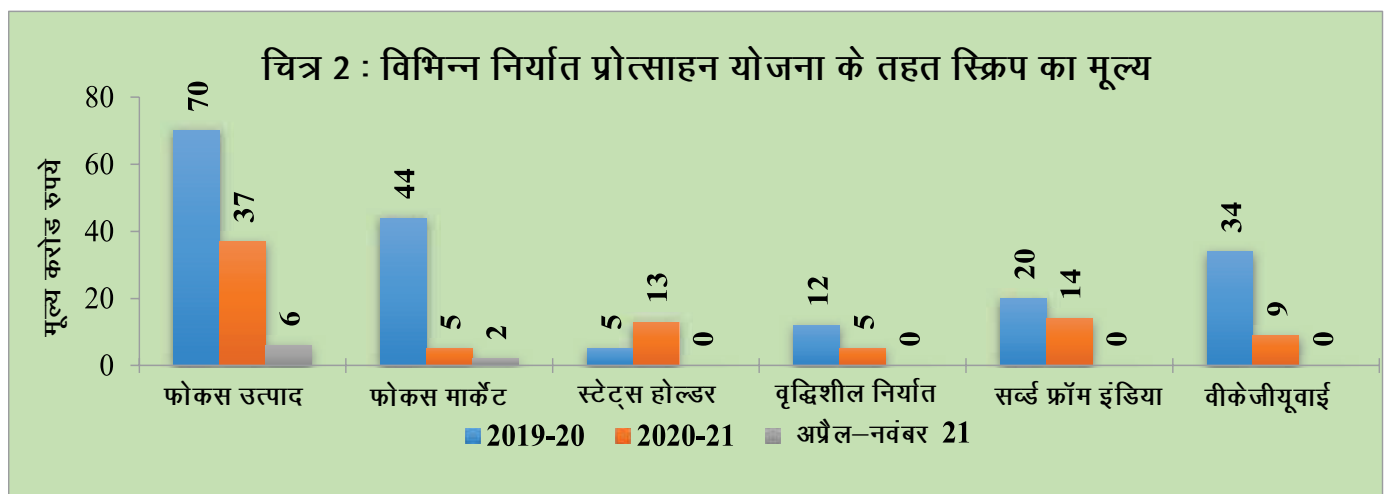
(मूल्य करोड़ रुपये में)

निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं		2019-20	2020-21	अप्रैल-नवंबर 2021
फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस)	स्क्रिप्स की संख्या	319	40	9
	स्क्रिप्स का मूल्य	44	5	2
	निर्यात का एफओबी मूल्य	1400	131	50
फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस)	स्क्रिप्स की संख्या	674	185	40
	स्क्रिप्स का मूल्य	70	37	6
	निर्यात का एफओबी मूल्य	3172	1160	308
विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना	स्क्रिप्स की संख्या	32	7	3
	स्क्रिप्स का मूल्य	2	0	0
	निर्यात का एफओबी मूल्य	34	9	4
सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसएचआईएस)	स्क्रिप्स की संख्या	36	5	0
	स्क्रिप्स का मूल्य	20	14	0
स्टेटस होल्डर इंसेंटिव स्क्रिप (एसएचआईएस)	स्क्रिप्स की संख्या	14	15	0
	स्क्रिप्स का मूल्य	5	13	0
वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना (आईआईएस)	स्क्रिप्स की संख्या	70	18	1
	स्क्रिप्स का मूल्य	12	5	0

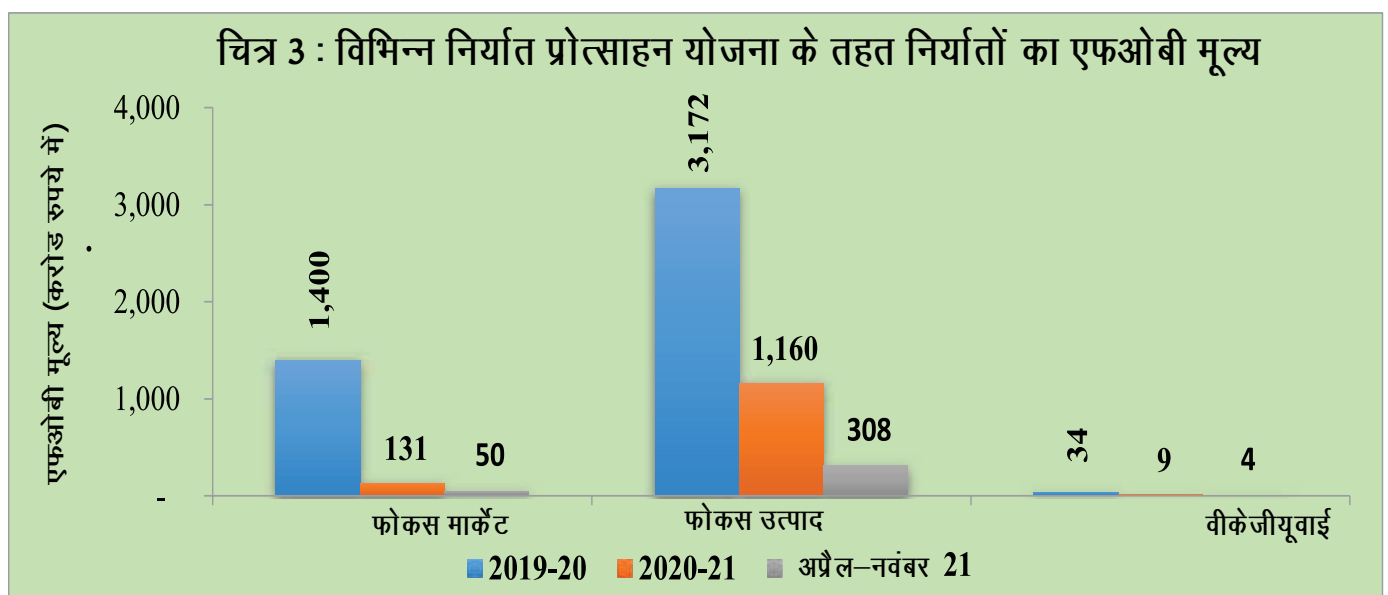
चित्र 1 वर्ष 2019-20, 2020-21 और अप्रैल-नवंबर 2021-22 के दौरान विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत जारी किए गए स्क्रिप्स की संख्या को दर्शाता है।



चित्र 2 वर्ष 2019-20, 2020-21 और अप्रैल-नवंबर 2021-22 के दौरान विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत जारी किए गए स्क्रिप्स के मूल्य को दर्शाता है।



चित्र 3 वर्ष 2019-20, 2020-21 और अप्रैल-नवंबर 2021-22 के दौरान विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत निर्यात के एफओबी मूल्य को दर्शाता है।



(ड) शुल्क छूट योजनाएं

इयूटी न्यूट्रलाइजेशन/छूट योजनाएं सरकार के सिद्धांत और प्रतिबद्धता पर आधारित हैं, कि “वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया जाना है, न कि कर और लेवी का”। इसका उद्देश्य इनपुट के शुल्क मुक्त आयात/खरीद की अनुमति देना है, या उपयोग किए गए इनपुट या उपयोग किए गए इनपुट पर शुल्क घटक के लिए पुनःपूर्ति की अनुमति देना है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(i) अग्रिम प्राधिकरण योजना

अग्रिम प्राधिकरण (एए) विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 के अध्याय 4 के तहत विस्तृत एक डब्ल्यूटीओ अनुपालन शुल्क छूट योजना है। एए योजना का उपयोग इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए किया जाता है, जो निर्यात उत्पाद बनाने में भौतिक रूप से शामिल या उपयोग किए जाते हैं। एए योजना के तहत, इनपुट पर सभी आयात शुल्क, जैसे कि मूल सीमा शुल्क, आईजीएसटी, उपकर, डंपिंग रोधी शुल्क आदि को पूरी तरह से छूट दी गई है। इसके अलावा, एए के तहत प्रत्यक्ष आयात के स्थान पर इनपुट की स्थानीय खरीद की अनुमति है, जिसमें इनपुट आपूर्ति के लिए आईजीएसटी वापस किया जाता है। इनपुट की आवश्यक मात्रा की गणना मानक इनपुट आउटपुट नॉर्म्स (एसआईओएन) के आधार पर की जाती है। एए का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एक आवेदक आम तौर पर पहले आयात करता है और फिर अपने निर्यात में आयातित इनपुट का उपयोग करता है, हालांकि, प्राधिकार धारक अभी भी पुनःपूर्ति के आधार पर इनपुट आयात कर सकते हैं। योजना के तहत शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए) भी अनिवार्य रूप से निर्यात के बाद के आधार पर जारी किए जाते हैं, और ये मुफ्त हस्तांतरणीय प्राधिकार हैं।

यह योजना इस अर्थ में अधिक व्यापार अनुकूल है कि यह निर्यातक को इनपुट के आयात के समय सीमा शुल्क और आईजीएसटी के भुगतान से अग्रिम छूट प्रदान करती है। इस प्रकार, यह कार्यशील पूंजी को अवरुद्ध नहीं होना सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह एक अग्रिम छूट प्रदान करता है।

(क) पात्रता और शर्तें

समर्थन करने वाले निर्माताओं से जुड़े सभी निर्माता निर्यातक और व्यापारी निर्यातक अग्रिम प्राधिकरण (एए) का लाभ उठाने के पात्र हैं। इनपुट को एए की वैधता के भीतर आयात करने

की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर एए के जारी होने की तारीख से 12 महीने का होता है। निर्यात आमतौर पर एए जारी होने की तारीख से 18 महीने के भीतर पूरा करना होता है। इस योजना के तहत 15% मूल्यवर्धन (जी एंड जे सेक्टर के लिए कम) को बनाए रखना है।

एए के शोधन के लिए निर्यात के पूरा होने के बाद विदेशी मुद्रा में वास्तविक भुगतान के प्रमाण के साथ निर्यात के प्रमाण को डीजीएफटी के क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, और आरए निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) जारी करता है।

(ख) आवेदन प्रक्रिया/प्रौद्योगिकी का उपयोग

एए के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाता है। एक आवेदक किसी प्राधिकरण की प्रतीक्षा किए बिना, प्राधिकरण आवेदन दाखिल करने पर सीधे निर्यात शुरू कर सकता है। आम तौर पर एक पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को एए जारी किया जाता है। कुछ दस्तावेजों में कमी के मामले में कुछ और समय की आवश्यकता हो सकती है।

इसके अलावा, अप्रैल 2019 से, सभी एए पेपरलेस मोड में ऑनलाइन जारी किए जाते हैं, और निर्यातक डीजीएफटी कार्यालय में आए बिना अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप पर प्रिंटआउट ले सकते हैं। व्यापार पर कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, डीजीएफटीने समय पर उपाय किए हैं। अग्रिम प्राधिकरण योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं:

- ♦ एए/ईपीसीजी, ईओयू योजना के तहत एकीकृत माल और सेवा कर और मुआवजा उपकर से छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, आईजीएसटी रिफंड और पूंजी अवरुद्ध के मुद्दों के निवारण के लिए ऑनलाइन ई-वॉलेट मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है।
- ♦ ब्याज समानीकरण योजना को समान दायरे और कवरेज के साथ 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। योजना के आगे विस्तार पर विचार किया जा रहा है।
- ♦ व्यापार को और सुविधाजनक बनाने के लिए इस प्रभाग द्वारा जारी अग्रिम प्राधिकरणों/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार

के लिए जारी व्यापार नोटिस/सार्वजनिक नोटिस/अधिसूचनाएं, नीचे दी गई हैं:

- डीजीएफटी ने व्यापार नोटिस 49/2020-21 दिनांक 3 मार्च 2021 के माध्यम से अग्रिम प्राधिकरणों (एए) को बंद करने के अनुरोधों को ऑनलाइन भरने के लिए अपने आईटी सिस्टम में सुधार किया।
- डीएफआईए (ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथराइजेशन) स्क्रिप्स के हस्तांतरण और डीएफआईए स्क्रिप्स के पेपरलेस जारी करने के बारे में जानकारी की अनिवार्य रिकॉर्डिंग के प्रावधान को ट्रेड नोटिस 06/2021-22 दिनांक 25 मई 2021 के तहत लागू किया गया था।
- व्यापार नोटिस 14/2021-22 दिनांक 4 अगस्त 2021 को समामेलन/डी-विलयन/अधिग्रहण के मामले में अग्रिम प्राधिकरण के हस्तांतरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अधिसूचित करने हेतु जारी किया गया था।
- अनुपालन बोझ को और कम करने के लिए, डीजीएफटी ने सार्वजनिक सूचना 06/2015-20 दिनांक 22 जुलाई 2021 के माध्यम से एचबीपी 2015-20 में संशोधन किया, जिसमें 12 महीने की अवधि के लिए या 15 अगस्त 2020 के बाद केवल एक पुनर्वैधीकरण की अनुमति देने के लिए, अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन मोड में रिकॉर्ड जमा करने की अनुमति देने के लिए पैरा 4.51 और 4.57 में संशोधन किया गया।
- महामारी के ध्यान में रखते हुए, निर्यात/पुनःपूर्ति/आयात/आहरण की अंतिम तिथि को छह महीने तक बढ़ाने के लिए प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.82, 4.83, 4.84 में संशोधन किए गए।
- निर्दिष्ट अग्रिम और ईपीसीजी प्राधिकरणों की निर्यात दायित्व अवधि को अधिसूचना 28/2015-20 दिनांक 23 सितंबर 2021 के माध्यम से 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था।

(ii) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए)

दिनांक 1 मई 2006 से परिचालित इस डीएफआईए योजना के तहत, निर्यात पूरा होने के बाद, उन उत्पादों के लिए निर्यात के बाद के आधार पर शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण जारी किया जाएगा, जिनके लिए मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) अधिसूचित किए गए हैं। योजना के उद्देश्यों में से एक निर्यात पूरा होने के बाद प्राधिकरण या एसआईओएन के अनुसार आयातित इनपुट के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना है। डीएफआईए योजना के प्रावधान अग्रिम प्राधिकरण योजना के समान हैं। योजना के तहत न्यूनतम 20: मूल्यवर्धन की आवश्यकता है। उन मर्दों के लिए जहां परिशिष्ट में अग्रिम प्राधिकरण के तहत उच्च मूल्य संवर्धन निर्धारित किया गया है, वही मूल्यवर्धन डीएफआईए के लिए भी लागू होगा। एफटीपी 2015-2020 में पूर्व-निर्यात डीएफआईए को बंद कर दिया गया है।

(iii) रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए योजनाएं

रत्न और आभूषण निर्यात हमारे कुल व्यापारिक निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है। यह एक रोजगारोन्मुखी क्षेत्र है। वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण इस क्षेत्र से निर्यात को काफी नुकसान हुआ है। नामित एजेंसियों से कीमती धातु (सोना/चांदी/प्लैटिनम) के शुल्क मुक्त आयात/खरीद की अनुमति अग्रिम में या पुनःपूर्ति के रूप में दी जाती है। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण योजना उपलब्ध नहीं होगी। रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए योजनाएं इस प्रकार हैं:

- ◆ नामांकित एजेंसियों से कीमती धातुओं की अग्रिम खरीद/पुनःपूर्ति।
- ◆ रत्नों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकरण।
- ◆ उपभोग्य सामग्रियों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकरण।
- ◆ कीमती धातुओं के लिए अग्रिम प्राधिकरण।

उद्योग द्वारा उठाई गई मांग को ध्यान में रखते हुए, पोस्ट, पुश बैक, लॉक जैसे निष्कर्षों को भी शुल्क छूट योजना के तहत अनुमति दी गई है, जो आभूषण के टुकड़ों को एक साथ मिलाने में मदद करते हैं, जिसमें 3 कैरेट और उससे अधिक के सोने की अधिकतम सीमा 22 कैरेट है।

इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वर्ण पदकों और सिक्कों और पूरी तरह से यंत्रीकृत आभूषणों के निर्यात के लिए कीमती धातुओं के आयात हेतु अग्रिम प्राधिकरण योजना को बंद कर दिया गया है।

(iv) शुल्क छूट योजनाओं के तहत प्राधिकार जारी करना

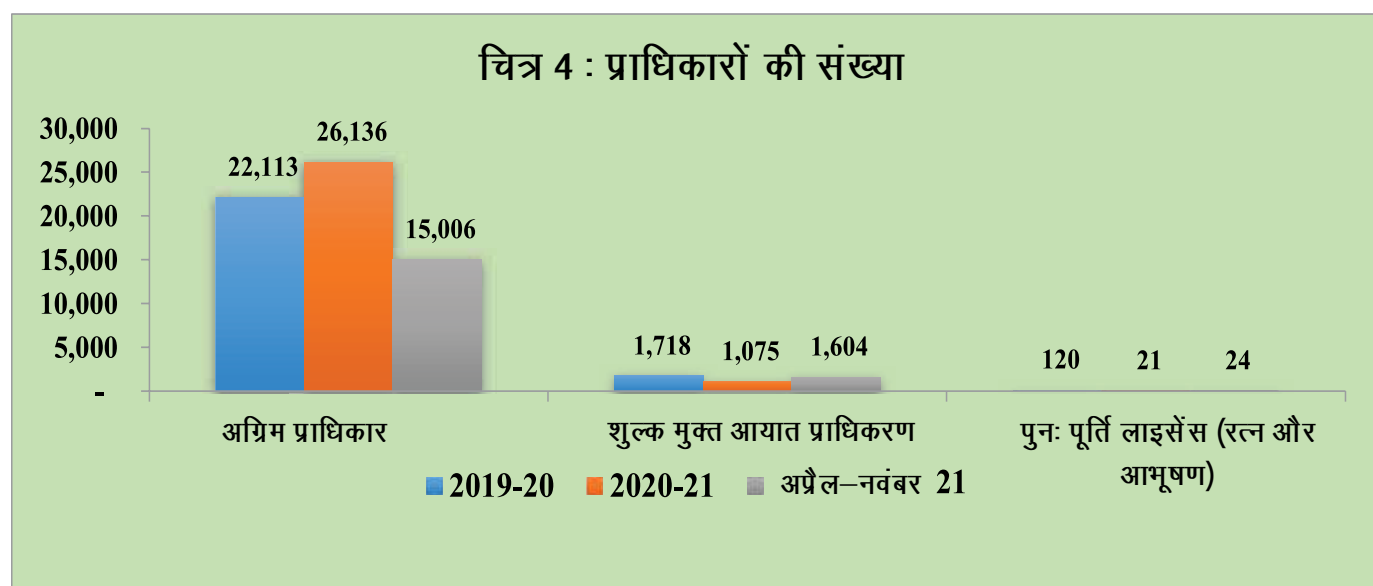
विभिन्न योजनाओं के तहत प्राधिकरण जारी किए जाते हैं, जैसे अग्रिम प्राधिकरण, शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए), और पुनःपूर्ति लाइसेंस (रत्न और आभूषण)। वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत जारी किए गए कई प्राधिकारों, आयात के सीआईएफ मूल्य और निर्यात के एफओबी मूल्य का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

शुल्क छूट योजनाएं		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	अप्रैल-नवंबर 2021
अग्रिम प्राधिकार	प्राधिकार की संख्या	21,505	23,042	22,113	20,703	15,006
	आयात का सीआईएफ मूल्य	1,79,243	2,05,060	1,67,567	184,601.10	1,62,241
	निर्यात का एफओबी मूल्य	3,00,915	3,78,808	3,19,346	324,053.44	2,29,517
शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए)	प्राधिकार की संख्या	815	1,321	1718	1,075	1,604
	आयात का सीआईएफ मूल्य	2,247	3,253	3070	1,986.57	3,114
	निर्यात का एफओबी मूल्य	3,047	5,183	5157	2,896.31	6,478
पुनःपूर्ति लाइसेंस (रत्न और आभूषण)	प्राधिकार की संख्या	63	103	120	21	24
	आयात का सीआईएफ मूल्य	59	77	116	18.45	26
	निर्यात का एफओबी मूल्य	668	1,001	930	371.60	279

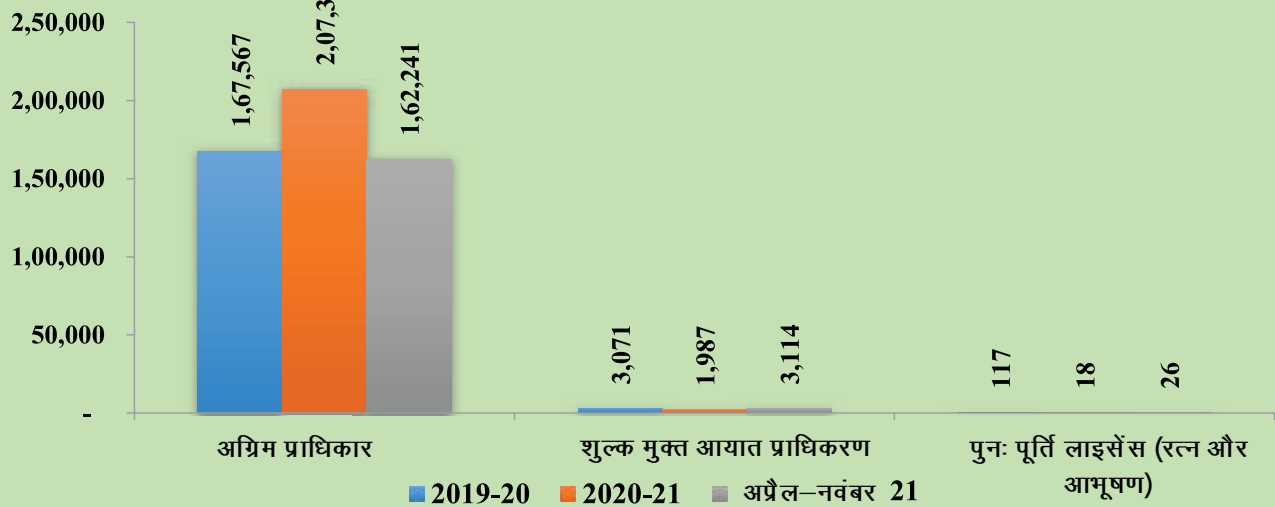
इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जीएसटी के आगमन के बाद भी, शुल्क छूट योजनाएं निर्यातकों के बीच लोकप्रिय रही हैं।

चित्र 4 वर्ष 2019-20, 2020-21 और अप्रैल-नवंबर 2021-22 के दौरान विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत जारी किए गए प्राधिकारों की संख्या को दर्शाता है।



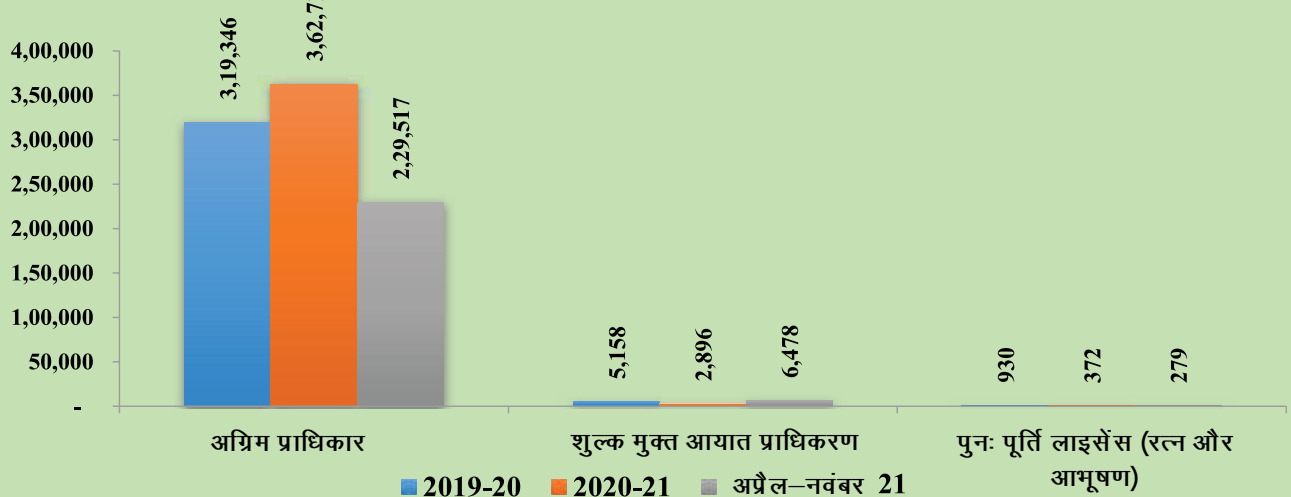
चित्र 5 वर्ष 2019-20, 2020-21 और अप्रैल-नवंबर 2021-22 के दौरान विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत आयात के सीआईएफ मूल्य को दर्शाता है।

चित्र 5 : आयात (करोड़ रु.) का सीआईएफ मूल्य



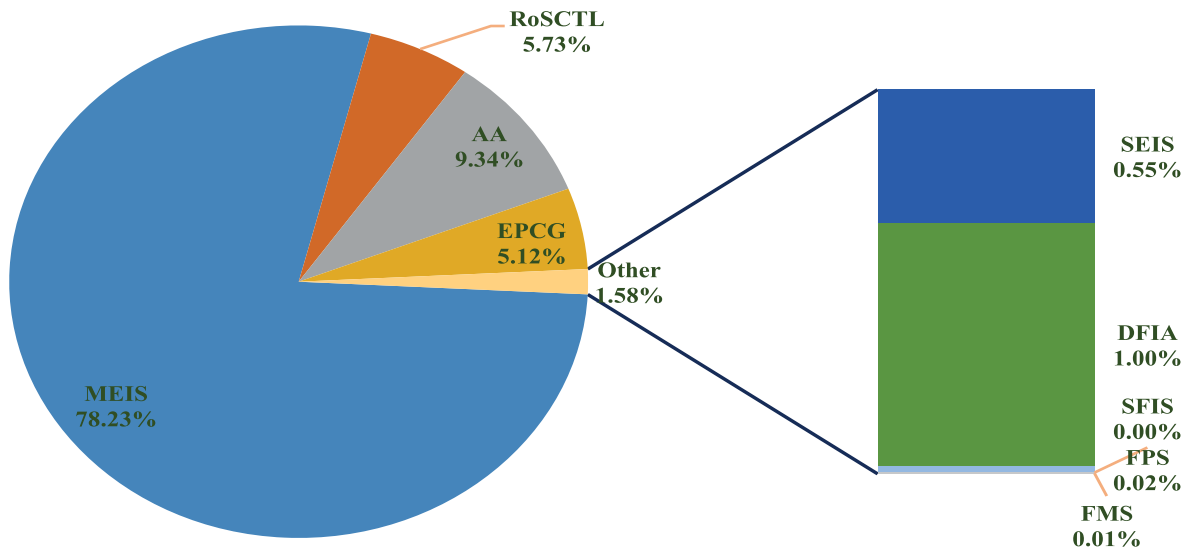
चित्र 6 वर्ष 2019-20, 2020-21 और अप्रैल-नवंबर 2021-22 के दौरान विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत निर्यात के एफओबी मूल्य को दर्शाता है।

चित्र 6 : शुल्क रियायत स्कीम के तहत निर्यात का एफबीओ की मूल्य



चित्र 7 अप्रैल-नवंबर, 2021 के दौरान कुल स्क्रिप्स की संख्या जारी करने में विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रतिशत हिस्से को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान एमईआईएस के तहत सबसे अधिक 78.23 फीसदी शेयर स्क्रिप्स किए गए, इसके बाद एए योजना का हिस्सा आता है जो 9.34% जारी की गई थी।

चित्र 7 : अप्रैल-नवंबर 2021-22 के दौरान स्क्रिप्ट/प्राधिकरण जारी करने में विभिन्न स्कीमों के हिस्से का प्रतिशत



(v) शिपमेंट से पूर्व और बाद में रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समानीकरण योजना

भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से डीजीएफटी द्वारा शिपमेंट से पूर्व और बाद में रुपया निर्यात ऋण हेतु ब्याज समानीकरण योजना (आईईएस) कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना 1 अप्रैल 2015 से लागू हुई, और 5 साल की अवधि के लिए थी। इस योजना के तहत, पात्र निर्यातकों को 3: प्रति वर्ष की दर से ब्याज समानीकरण उपलब्ध कराई गई है, जिसमें 416 चार-अंकीय टैरिफ लाइनों में निर्यात के लिए विनिर्माण निर्यातक और उनके सभी व्यापारिक निर्यात में सभी एमएसएमई निर्यातक शामिल हैं। इस प्रकार, बैंक शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया निर्यात क्रेडिट के माध्यम से पात्र निर्यातकों को ऋण प्रदान करते हैं, और आईईएस के तहत आने वाले निर्यातकों के संबंध में, ब्याज दर प्रति वर्ष 3% कम हो जाती है।

एमएसएमई से निर्यात के खराब प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण प्राप्त करने में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, एमएसएमई पैकेज के एक हिस्से के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि एमएसएमई निर्यातकों को बढ़ाने के माध्यम से ब्याज समानीकरण दर में 3% से 5% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। तदनुसार, 2 नवंबर 2018 से, शिपमेंट से पूर्व और बाद में रुपया निर्यात ऋण पर जारी ब्याज समानीकरण योजना (आईईएस) के तहत एमएसएमई क्षेत्र द्वारा

किए जा रहे निर्यात के लिए ब्याज समानीकरण दर को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है।

इसके अलावा, निर्यातक समुदाय द्वारा मर्चेन्ट निर्यातकों को भी चालू योजना में शामिल करने की लगातार मांग को देखते हुए, 02.01.2019 से मर्चेन्ट निर्यातकों को भी शिपमेंट से पूर्व और बाद में रुपया निर्यात ऋण हेतु ब्याज समानीकरण योजना (आईईएस) के तहत शामिल किया गया है और उन्हें इस योजना के तहत पहचाने गए 416 टैरिफ लाइनों के तहत कवर किए गए उत्पादों के निर्यात के लिए ऐसे क्रेडिट पर 3: की ब्याज समानीकरण दर की अनुमति देता है।

यह योजना निर्यातकों के बीच बहुत लोकप्रिय रही है। पिछले साल आईआईएम काशीपुर द्वारा योजना पर एक प्रभाव आकलन अध्ययन आयोजित किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में निम्नानुसार अवलोकन किया है:

“इस अध्ययन से पता चलता है कि ब्याज समानता योजना ने भारत के निर्यात प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इस योजना के तहत लाभ पाने के पात्र अधिकांश क्षेत्रों ने अपने औसत निर्यात राजस्व में वृद्धि का अनुभव किया है। अतिरिक्त विश्लेषण इस योजना के लाभकारी पहलुओं के लिए और सहायता प्रदान करता है। इस निष्कर्ष की पुष्टि बैंक अधिकारियों और निर्यातकों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार से भी होती है। इस योजना ने लाभान्वित क्षेत्रों के निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों

में कम कीमत वसूलने और प्रतिस्पर्धी बने रहने में सक्षम बनाया है।”

इसी दायरे और कवरेज के साथ इस योजना को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। योजना के आगे विस्तार पर विचार किया जा रहा है।

पिछले छह वर्षों के दौरान जारी की गई निधियाँ

(मूल्य रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष के अनुसार धनराशि जारी करना
2015-16	1100
2016-17	1000
2017-18	2000
2018-19	2600
2019-20	2890.30
2020-21	1667
2021-22 (आज तक)	1900
कुल	13157.30

(च) निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत सामान योजना

ईपीसीजी योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुविधाजनक बनाना और भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। ईपीसीजी योजना पूर्व-उत्पादन, उत्पादन और उत्पादन-उपरांत चरणों हेतु शून्य सीमा शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं (परिशिष्ट 5 एफ में नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट को छोड़कर) के आयात की अनुमति देती है। भौतिक निर्यात के लिए ईपीसीजी प्राधिकरण के तहत आयातित पूंजीगत सामान को भी 31 मार्च 2022 तक आईजीएसटी और प्रतिपूर्ति उपकरण से छूट दी गई है। प्राधिकार धारक एफटीपी के पैराग्राफ 5.07 के प्रावधानों के अनुसार स्वदेशी स्रोतों से पूंजीगत सामान भी खरीद सकता है। प्राधिकार जारी होने की तारीख से 18 महीने के लिए आयात के लिए प्राधिकार वैध होगा।

(i) ईपीसीजी योजना के प्रयोजन के लिए पूंजीगत सामान में शामिल होंगे:

- ♦ अध्याय 9 में परिभाषित पूंजीगत सामान, जिसमें सीकेडी/एसकेडी शर्त शामिल है;

- ♦ कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर, जो आयात किए जा रहे पूंजीगत सामान का एक हिस्सा हैं;
- ♦ स्पेयर्स, मोल्ड्स, डाईज, जिग्स, फिक्स्चर्स, टूल्स और रिफ्रेक्ट्रीज; और
- ♦ प्रारंभिक प्रभार के लिए उत्प्रेरक, साथ ही उसके बाद का एक प्रभार।

(ii) ईपीसीजी योजना निर्माता निर्यातकों के साथ या बिना निर्माता निर्यातकों को शामिल करती है, व्यापारी निर्यातकों को सहायक निर्माता(ओं) और सेवा प्रदाताओं से जुड़ा हुआ है। जब तक निर्यात दायित्व पूरा नहीं हो जाता है और ईओडीसी प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक आयातित पूंजीगत सामान वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के अधीन होगा।

(iii) ईपीसीजी योजना के तहत आयात, पूंजीगत वस्तुओं पर सहेजे गए शुल्क, करों और उपकरण के 6 गुना के बराबर निर्यात दायित्व के अधीन होगा, जिसे प्राधिकार जारी होने की तारीख से 6 वर्षों में पूरा किया जाना है। निर्यात दायित्व (ईओ) प्राधिकार धारक द्वारा माल के निर्यात के माध्यम से पूरा किया जाएगा, जो उसके द्वारा निर्मित या उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली निर्माता/सेवाएं हैं, जिसके लिए ईपीसीजी प्राधिकार प्रदान किया गया है। योजना के तहत ईओ, समान और समान उत्पादों के लिए पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में आवेदक द्वारा प्राप्त निर्यात का औसत स्तर, विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, सहित समग्र ईओ अवधि के भीतर होगा; ऐसा औसत समान और समान उत्पादों के लिए पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में निर्यात निष्पादन का अंकगणितीय माध्य होगा।

(iv) निर्यात भौतिक निर्यात होगा। हालांकि, निर्दिष्ट समतुल्य निर्यात भी निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए पात्र हैं।

(v) हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यातकों के लिए, विशिष्ट ईओ निर्धारित किए गए अनुसार ईओ का 75% होगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों और लद्दाख में स्थित इकाइयों के लिए, यह विशिष्ट ईओ ईओ का 25% होगा। निर्यात में तेजी लाने की दृष्टि से, उन मामलों में जहां प्राधिकरण धारक ने विशिष्ट निर्यात दायित्व का 75% या अधिक और अब तक औसत निर्यात दायित्व का 100% पूरा किया है, तो निर्दिष्ट मूल निर्यात दायित्व अवधि के आधे या आधे से कम में शेष निर्यात दायित्व माफ किया जाएगा, यदि कोई

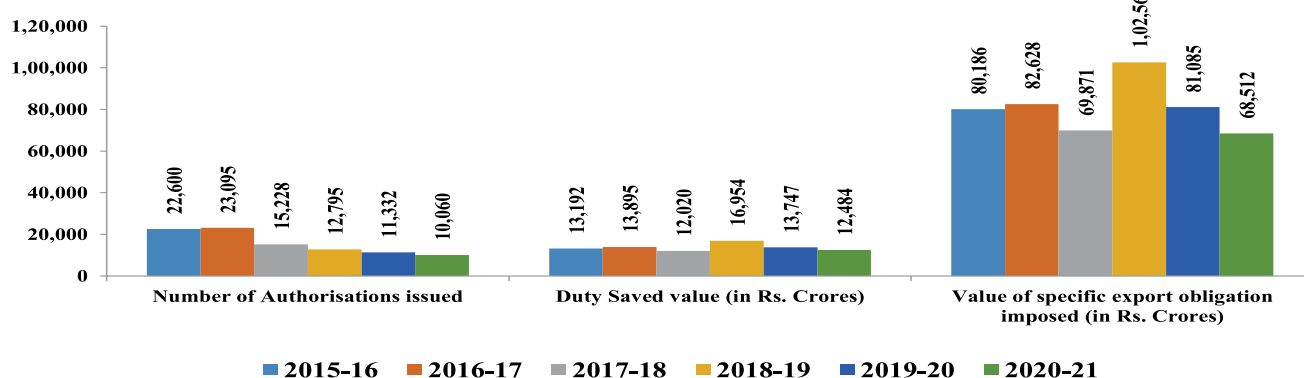
हो। लगाए गए औसत ईओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यदि कोई हो।

ईपीसीजी द्वारा जारी किए वर्षों के आंकड़े (वर्ष 2015–2021)

(मूल्य करोड़ रुपये)

क्र.सं.	वर्ष	जारी किए गए प्राधिकारों की संख्या	बचाई गई ड्यूटी	लगाए गए विशिष्ट निर्यात दायित्व का मूल्य
1	2015-16	22,600	13,192	80,186
2	2016-17	23,095	13,895	82,628
3	2017-18	15,228	12,020	69,871
4	2018-19	12,795	16,954	1,02,568
5	2019-20	11,332	13,747	81,085
6	2020-21	10,060	12,484	68,512
	कुल	95,110	82,292	4,84,850

ईपीसीजी स्कीम के तहत 2015–16 से 2020–21 तक प्राधिकारों का निर्गमन



निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू), इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी), सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी), और जैव प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी)

इन योजनाओं का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि करना, निर्यात उत्पादन के लिए निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजन करना है। वस्तुओं और सेवाओं के अपने पूरे उत्पादन (डीटीए में अनुमेय बिक्री को छोड़कर) का निर्यात करने वाली इकाइयों को योजनाओं के तहत स्थापित किया जा सकता है। ट्रेडिंग इकाइयां इन योजनाओं के अंतर्गत नहीं आती हैं।

इस योजना के तहत, ईओयू आदि को सीमा शुल्क के भुगतान के बिना डीटीए या डीटीए में बंधुआ गोदाम, या भारत में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी से 31.03.2022 तक आयात और / या खरीद करने की अनुमति है, जैसा कि सीमा शुल्क टैरिफ

अधिनियम 1975 और अतिरिक्त शुल्क, यदि कोई हो, धारा 3(1), 3(3) और 3(5) के तहत लगाए जाने योग्य सीमा शुल्क और धारा 3 (7) और 3 (9) के तहत लगाए जाने योग्य एकीकृत कर और जीएसटी मुआवजा उपकर के भुगतान के बिना की पहली अनुसूची के तहत प्रदान किया गया है। इसके अलावा, डीटीए से जीएसटी के तहत आने वाले सामानों की खरीद लागू जीएसटी और प्रपूर्ति उपकर के भुगतान पर होगी। ईओयू केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की चौथी अनुसूची में आने वाले उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना डीटीए से उत्पाद शुल्क योग्य सामान भी खरीद सकते हैं। डीटीए से ईओयू को आपूर्ति के लिए जीएसटी की पुनर्वापसी आपूर्तिकर्ता को जीएसटी नियमों और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के तहत उपलब्ध होगी। निर्यात के लिए उनके निर्माण में उपयोग के लिए डीटीए से ईओयू/

ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों को आपूर्ति "एफटीपी के अध्याय 7 के तहत लाभ" के लिए पात्र हैं। डीटीए 'आपूर्तिकर्ता एफटीपी के अध्याय 7 के तहत प्रासंगिक हकदारियों के लिए पात्र है, इसके अलावा आपूर्तिकर्ता पर निर्यात दायित्व, यदि कोई हो, का निर्वहन करता है।

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयां निम्नलिखित हेतु पात्र हैं:

- ◆ भारत में निर्मित वस्तुओं पर केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति। यदि पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मामले का निपटारा नहीं किया जाता है, तो सीएसटी की वापसी में देरी पर 6: प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देय होगा। भारत में निर्मित ऐसे माल पर डीटीए से खरीदे गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में आने वाले माल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट होगी।
- ◆ चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एसईजेड/ईओयू को इस योजना के तहत अक्टूबर 2021 तक सीएसटी/डीबीके को वापस करने के लिए 50.01 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से 48.20 करोड़ रुपये सेज/ईओयू द्वारा 31 अक्टूबर, 2021 तक उपयोग किए जा चुके हैं।

(छ) एफटीपी 2015-20 के अध्याय 7 के तहत समतुल्य निर्यात

विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य के लिए "समतुल्य निर्यात" उन लेनदेन को संदर्भित करता है, जिसमें आपूर्ति की गई वस्तुएं देश नहीं छोड़ती हैं, और ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान भारतीय रुपये में या मुफ्त विदेशी मुद्रि में प्राप्त होता है। एफटीपी के पैराग्राफ 7.02 में निर्दिष्ट माल की आपूर्ति को "समतुल्य निर्यात" माना जाएगा, बशर्ते कि सामान/वस्तुएं भारत में निर्मित हो।

(i) उद्देश्य

- ◆ सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए कुछ विशिष्ट मामलों में घरेलू निर्माताओं को समान अवसर प्रदान करना और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना।
- ◆ भारत में निर्मित उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त आयात और शुल्क छूट/वापसी प्रदान करना।

- ◆ आयात पर निर्भरता कम करने के लिए।

(ii) लाभ

समतुल्य निर्यात माल के निर्माण और आपूर्ति के संबंध में निम्नलिखित में से किसी/सभी लाभों के लिए पात्र होंगे, जो समतुल्य निर्यात के रूप में योग्य हैं:

- ◆ **शुल्क छूट:** वार्षिक आवश्यकता/डीएफआईए योजनाओं के लिए अग्रिम प्राधिकरण/अग्रिम प्राधिकरण के तहत निर्माण और आपूर्ति हेतु शुल्क मुक्त इनपुट प्रदान करना।
- ◆ **टीईडी रिफंड/छूट:** समतुल्य निर्यात आपूर्ति पर भुगतान किए गए टर्मिनल उत्पाद शुल्क की वापसी या ऐसे शुल्क का भुगतान करने से छूट।
- ◆ **शुल्क त्रुटि वापसी:** समतुल्य निर्यात की निर्दिष्ट श्रेणियों को माल के निर्माण और आपूर्ति में उपयोग किए गए इनपुट पर भुगतान किए गए मूल सीमा शुल्क की वापसी।

आपूर्ति किए जाने और ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान प्राप्त होने के बाद डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत किए गए दावों के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है।

टीईडी/शुल्क त्रुटि वापसी की योजना को वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें कुल परिव्यय रु.695 करोड़ है। रिफंड के लिए वर्ष 2021-22 में आवंटित रु.160 करोड़ की राशि का उपयोग दिसंबर 2021 तक किया गया।

(ज) निर्दिष्ट कृषि उत्पाद योजना के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए): निर्दिष्ट कृषि उत्पाद योजना के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए), एफटीपी, 2015-20 का (अध्याय 7 (ए),

वाणिज्य विभाग ने अधिसूचना संख्या 17/3/2018-ईपी (एग्री. IV) दिनांक 27 फरवरी 2019 के माध्यम से समुद्री सहित एचएसएन अध्याय 1 से 24 में शामिल वृक्षारोपण उत्पाद और कुछ उत्पादों और निर्यात की श्रेणियों को छोड़कर, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए 'परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए)' योजना को अधिसूचित किया है। इस योजना के तहत, हवाई और समुद्र मार्ग द्वारा निर्यात के लिए निर्धारित दर पर परिवहन सहायता नकद में सीधे

बैंक हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। योजना को डीजीएफटी की अधिसूचना संख्या 58/2015-20 दिनांक 29 मार्च 2019 के तहत एफटीपी के अध्याय 7 (ए) में शामिल किया गया है। योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया को सार्वजनिक सूचना संख्या 82/2015-20 दिनांक 29 मार्च 2019 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

वर्ष 2021-22 में रिफंड के लिए आवंटित 250 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग नवंबर, 2021 तक किया गया है।

(झ) निर्यात बंधु योजना

निर्यात बंधु योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो वर्ष 2013 में शुरू हुई थी। निर्यात बंधु योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यक्तिगत और ऑनलाइन मोड में लागू किया जा रहा है, यह व्यक्तिगत फर्मों की प्रारंभिक कौशल आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो निर्यात बंधु के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उद्यम करते हैं। वर्ष 2013-14 से देश भर में लगभग एक लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों की साझेदारी में दिनांक 20 से 26 सितंबर 2021 तक वाणिज्य सप्ताह समारोह (व्यापार और वाणिज्य सप्ताह) के दौरान भारत को एक बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करने के लिए निर्यात बंधु योजना के तहत समर्थन दिया गया था। देश भर के 700 से अधिक जिलों में एक्सपोर्टर्स कॉन्फ्लेव, सेमिनार, निबंध प्रतियोगिताएं, व्यापार प्रदर्शनी और क्रेता-विक्रेता सम्मेलन जैसी गतिविधियां आयोजित की गईं।

निर्यात से संबंधित मामले

(i) निर्यात स्कोमेट

विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी (स्कोमेट): स्कोमेट आइटम दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं हैं जिनमें नागरिक और सामूहिक विनाश के हथियार (डब्ल्यूएमडी) अनुप्रयोगों दोनों के लिए क्षमता है। ऐसी वस्तुओं का निर्यात या तो प्रतिबंधित है, या उनके निर्यात के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता है, या निषिद्ध है।

स्कोमेट सूची को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) की सूचियों के साथ सामंजस्य स्थापित किया गया था, जिससे भारत जून 2016 में एमटीसीआर में शामिल हो गया। निर्यात

नियंत्रण सूची को वासेनार व्यवस्था (डब्ल्यूए) और ऑस्ट्रेलिया समूह (एजी), और अधिसूचना संख्या 05/2015-20 दिनांक 24.04.2017 (1 मई 2017 से प्रभावी) द्वारा अधिसूचित व्यापक सूची की नियंत्रण सूची के साथ और अधिक सुसंगत बनाया गया है। स्कोमेट सूची को वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाता है और अंतिम बार जून, 2020 में अद्यतन किया गया है (अधिसूचना संख्या 10 दिनांक 11.06.2020), इस अधिसूचना के माध्यम से, स्कोमेट वस्तुओं की अद्यतन निर्यात नियंत्रण सूची को अनुसूची 2 (निर्यात नीति) के मौजूदा परिशिष्ट 3 से बदल दिया गया था। ऐसी वस्तुओं की आठ श्रेणियां हैं। ऐसी वस्तुओं की सूची निर्यात और आयात वस्तुओं के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के परिशिष्ट 3 से अनुसूची 2 में दी गई है।

स्कोमेट मदों से संबंधित निर्यात नीति विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 के पैरा 2.09 में दी गई है, और नीति को लागू करने की प्रक्रिया प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीपी) के पैरा 2.73 से 2.82 के तहत निर्धारित की गई है। हाल ही में एचबीपी के पैरा 2.76 के तहत डीटीए से एसईजेड/ईओयू और देश के बाहर स्कोमेट मदों की निर्यात क्षमता को स्पष्ट किया गया है।

ऑनसाइट सत्यापन, स्कोमेट आदि के तहत मदों के कवरेज के लिए स्पष्टीकरण सहित स्कोमेट मदों (माल, सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी) के निर्यात के लिए सभी आवेदनों पर डीजीएफटी की अध्यक्षता में गठित एक अंतर-मंत्रालयी कार्य समूह (आईएमडब्ल्यूजी) द्वारा गुण-दोष के आधार पर विदेश व्यापार के अतिरिक्त महानिदेशक, एचबीपी के पैरा 2.74 में निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार विचार किया जाता है। आईएमडब्ल्यूजी के सदस्यों में अन्य बातों के साथ-साथ, कैबिनेट सचिवालय, डीआरडीओ, इसरो, डीईईरसायन और पेट्रो-रसायन विभाग (डीसीपीसी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), जैव प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग शामिल हैं। पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, स्कोमेट आवेदन दाखिल करने और आईएमडब्ल्यूजी सदस्यों के साथ परामर्श प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। डीजीएफटी (मुख्यालय) अब स्कोमेट नीति और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के सभी उद्देश्यों के लिए केंद्र बिंदु है।

व्यापार और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (कारोबार करने में सुगमता) की सुविधा के लिए, डीजीएफटी ने उद्योग के परामर्श से प्रक्रिया को और सरल बनाया है और रिपीट ऑर्डर, रिपेयर/

प्रतिस्थापन/आयातित माल की वापसी, डेमो/प्रदर्शनी मरम्मत आदि के लिए अस्थायी निर्यात के लिए नीति निर्धारित की है। दोहरे उपयोग की वस्तुओं का और पोस्ट रिपोर्टिंग आधार पर स्टॉक और बिक्री के तहत माल के थोक निर्यात को उदार बनाया। डीजीएफटी ने अपनी विदेशी मूल कंपनी और/या विदेशी मूल कंपनी की सहायक कंपनियों को भारतीय सहायक कंपनी के बीच स्कोमेट आइटम/सॉफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी के निर्यात के लिए इंटर-कंपनी ट्रांसफर (जीआईसीटी) के लिए वैश्विक प्राधिकरण के लिए नीति/प्रक्रिया भी निर्धारित की है।

डीजीएफटी (मुख्यालय) में सभी स्तरों पर उद्योग के साथ नियमित बातचीत के अलावा, विभिन्न सरकारी एजेंसियों और उद्योग संघों के सहयोग से क्षेत्र विशिष्ट उद्योग अभिगम/जागरूकता कार्यक्रम भी पूरे वर्ष आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान, डीजीएफटी ने फिक्की, सीआईआई, एसआईडीएम, नैसकॉम, आईसीसी, यूएसआईबीसी के सहयोग से दोहरे उपयोग निर्यात नियंत्रण पर वेबिनार का आयोजन/भागीदारी की है। भारत के निर्यात नियंत्रण प्रणाली और स्कोमेट पर एक वृत्तचित्र राज्यसभा टीवी द्वारा तैयार किया गया था, और व्यापक रूप से उद्योग के बीच जागरूकता के लिए प्रकाशित किया गया था। स्कोमेट पर दो और महत्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज, अर्थात् 'क्या आप जानते हैं? स्कोमेट के तहत विनियमित सामान्य वस्तुएं' और 'स्कोमेट सूची कैटेगरी और आईटीटी' भी क्रमशः फिक्की और नैसकॉम द्वारा विदेश मंत्रालय और डीजीएफटी के परामर्श से तैयार की गई थी, और उद्योग की सुविधा के लिए वेबिनार के दौरान जारी की गई थी।

वर्ष 2021-22 (31.10.2021 तक) के दौरान, स्कोमेट वस्तुओं के निर्यात के लिए प्राधिकार की मांग करने वाले कुल 438 आवेदन आए थे। इसी अवधि के दौरान, 337 आवेदनों को प्राधिकार प्रदान किया गया था। सितंबर 2021 तक आईएमडबल्यूजी द्वारा अनुमोदित निर्यात का फ़ोब मूल्य यूएस+350.30 मिलियन था। वर्ष 2020-21 (31.03.2021 तक) के दौरान, कुल 567 स्कोमेट आवेदन प्राप्त हुए, और यूएस+330 मिलियन के एफओबी मूल्य के लिए 533 प्राधिकार प्रदान किए गए।

(ii) निर्यात प्राधिकार

डीजीएफटी का निर्यात प्रकोष्ठ निर्यात और आयात के लिए आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के तहत वस्तुओं की निर्यात नीति से संबंधित है, जिसे 'मुक्त'/'प्रतिबंधित' या 'निषिद्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और राज्य व्यापार

उद्यमों (एसटीई) के माध्यम से मार्गित वस्तुएं/आइटम आदि। संबंधित वाणिज्य विभाग और मंत्रालय/विभाग के संबंधित विषय वस्तु प्रभाग के परामर्श से वस्तुओं की निर्यात नीति की समीक्षा की जाती है, और समय-समय पर अधिसूचित की जाती है। तदनुसार, निर्यात प्रकोष्ठ जब भी संबंधित व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों या मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा मांगे जाने पर वस्तुओं की निर्यात नीति पर स्पष्टीकरण/व्याख्याएं प्रदान करता है। निर्यात के लिए आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 में 'प्रतिबंधित' के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं का निर्यात प्राधिकार/लाइसेंस के अधीन होते हैं।

(ज) आयात से संबंधित मामले

डीजीएफटी में आयात नीति प्रभाग संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से वस्तुओं की आयात नीति तैयार करता है और नियमित रूप से भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सामंजसपूर्ण प्रणाली) को अद्यतन करता है, जो आयात की जाने वाली वस्तुओं की आयात नीति और नीति शर्तों को प्रदान करता है। यह वस्तुओं के आयात और निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रावधानों को तैयार और अद्यतन भी करता है।

यह प्रभाग आयातक निर्यातक कोड (आईसीसी) जैसे व्यापार संबंधी प्रमाणपत्रों/अनिवार्य अनुपालनों से संबंधित है; जिसमें पंजीकरण सह निर्माता प्रमाणपत्र (आरसीएमएस); धातु अपशिष्ट और स्क्रेप के आयात के लिए निः शुल्क बिक्री प्रमाण पत्र (एफएससी), आरईएक्स, उत्पत्ति प्रमाणपत्र (गैर-तरजीही) जारी करने के लिए एजेंसियों की सूची, प्री-शिपमेंट निरीक्षण एजेंसियों (पीएसआईए) की मान्यता शामिल है।

संभाग ने वर्ष 2021-22 के दौरान व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न गैर-टैरिफ व्यापार उपाय किए हैं, जिन्हें अनुसूची-1 (आयात नीति) के विभिन्न अध्यायों के तहत शामिल किया गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित मदों की आयात नीति को संशोधित किया गया:

- ♦ पाम तेल, उड़द औरतुअर की नीति को 31 दिसंबर 2021 तक "प्रतिबंधित" से "मुक्त" में संशोधित किया गया, इस प्रकार, इन वस्तुओं के आयात के लिए किसी भी लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को दूर किया गया।
- ♦ मूंग की नीति को 31 अक्टूबर 2021 तक "प्रतिबंधित" से "मुक्त" में संशोधित किया गया।

- ◆ चिप्स इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (चिम्स) के तहत इंटीग्रेटेड सर्किट्स (आईसी) के आयात को अनिवार्य पंजीकरण के तहत लाया गया।
- ◆ खरबूजे के बीज की नीति को 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' में संशोधित किया गया।
- ◆ भूटान से आलू के आयात की 30 जून 2022 तक बिना किसी लाइसेंस के स्वतंत्र रूप से अनुमति दी गई।
- ◆ अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप होने के लिए एफटीपी के पैरा 2.07 के तहत निषेध और प्रतिबंध के सिद्धांतों में संशोधन किए गए थे।
- ◆ मीनामता कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार पारे की नीति को 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' में संशोधित किया गया।
- ◆ जीएटीटी के अनुच्छेद 7 और एफटीपी, 2015-2020 के पैरा 2.07 में निर्धारित प्रतिबंधों के सिद्धांतों के अनुसार मच्छर मारने वाले रैकेट के आयात पर 'निषेध' लगाया गया है।
- ◆ उपरोक्त के अलावा, सामान्य नोट अनुसूची-1 (आयात नीति) के प्रावधानों में ढील दी गई थी, ताकि घानी/कुचले हुए और तेल-रहित जीएम सोया केक (केवल निर्जीव जीव) के आयात की अनुमति दी जा सके। साथ ही, लेन-देन की लागत को कम करने और कारोबार करने में सुगमता के लिए, विमान और हेलीकाप्टरों के आयात पर नीतिगत शर्तों को सरल बनाया गया।
- ◆ यूरिया आयात के लिए स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज के रूप में राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड (आरसीएफ) और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनसीएल) को शामिल करने के लिए यूरिया के लिए आयात नीति को संशोधित किया गया था।
- ◆ आयात नीति प्रभाग प्रिफ़ेरेन्शियल टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) और मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) टैरिफ रेट कोटा के तहत कोटा आवंटित करने के अलावा "प्रतिबंधित" वस्तुओं के लिए आयात प्राधिकरण भी प्रदान करता है।

(ट) आयात प्राधिकार

(i) प्रतिबंधित मद

आयात प्रकोष्ठ उन आयात मदों के आवेदनों पर विचार करता

है जो आयात के लिए "प्रतिबंधित" हैं। ऐसी प्रतिबंधित वस्तुओं (जैसे जीवित पशु, अनाज, पेट्रोलियम और रासायनिक उत्पाद; खनिज; अपशिष्ट और स्कैप आइटम, यूएवी, सेकेंड हैंड सामान, गोल्ड डोर, मर्करी, पेट कोक, हथियार और गोला-बारूद, टायर, टीवी आदि) के आयात के लिए आयात प्राधिकरण जारी करने के लिए आवेदन पर एक्जिम फ़ैसिलिटेशन कमेटी (ईएफसी) द्वारा विचार किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों के तकनीकी निविष्टियों/टिप्पणियों की प्राप्ति उपरांत मामलों पर निर्णय लिया जाता है। उपरोक्त के अलावा, ईएफसी वस्तुओं (जैसे ईंधन, चावल, गेहूं, ईंधन और पेट्रोलियम उत्पादों आदि) के आयात के लिए डीजीएफटी के अनुमोदन के साथ एफटीपी के पैरा 2.20 के तहत भी अनुमति देता है, जो अन्यथा केवल राज्य व्यापार उद्यम के माध्यम से अनुमति दी जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान (1 जनवरी 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक) प्राप्त कुल 1078 आवेदनों में से 729 मामलों में आयात अनुमति प्रदान की गई।

(ii) प्रिफ़ेरेन्शियल टैरिफ दर कोटा

भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते/नेपाल के तहत काली मिर्च, वनस्पति/बेकरी शॉर्टनिंग और मार्जरीन और देसी नारियल के आयात की अनुमति परिशिष्ट 2ए (आई) के अनुसार दी गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान, काली मिर्च के लिए 252, वनस्पति/बेकरी शॉर्टनिंग और मार्जरीन के लिए 17, और भारत-श्रीलंका के तहत सूखे नारियल के लिए 46 आवेदकों को अनुमति दी गई थी। 1 अप्रैल 2021 से लागू हुए भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के तहत इस साल टीआरक्यू आवेदन भी आमंत्रित किए गए हैं।

(iii) मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ दर कोटा

टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत आयात एचबीपी 2015-2020 के पैरा 2.60 के तहत नियंत्रित होता है। वर्तमान में चार वस्तुएँ, (1) स्किम्ड और साबुत दूध पाउडर, शिशुओं के लिए दूध का भोजन आदि और सफेद मक्खन, मक्खन का तेल, निर्जल दूध वसा (2) मक्का (मकई) (3) कच्चा सूरजमुखी के बीज या सूरजमुखी का तेल या उसके अंश, और (4) टीआरक्यू के तहत रिफाइनड रेप, कोल्ज़ा या सरसों का तेल, कुछ मात्रा तक और साथ ही कस्टम ड्यूटी की रियायती दरों की अनुमति है। तथापि, इस वर्ष के दौरान कोई एमएफएन टीआरक्यू आवंटित नहीं किए गए थे।

(ठ) कोविड-19 के दौरान निर्यात हस्तक्षेप

कोविड-19 महामारी द्वारा लाई गई चुनौतियाँ अभूतपूर्व थीं और डीजीएफटी द्वारा तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। डीजीएफटी ने तदनुसार इस संकट के समय में निर्यातकों की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु कई कदम उठाए, और इस महामारी से लड़ने के लिए भारत में महत्वपूर्ण वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्यात नीति में नियमित रूप से आवश्यक संशोधन किया। कोविड अवधि के दौरान, 2/3 प्लाई मास्क, एन-95 मास्क, सैनिटाइज़र, पीपीई कवरऑल, फेस शील्ड, मेडिकल गॉगल्स, दस्ताने, सभी प्रकार के वेंटिलेटर, 13 एपीआई और ड्रग फॉर्मूलेशन, डायग्नोस्टिक किट और 12 जैसी वस्तुओं की निर्यात नीति संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से प्रयोगशाला अभिकर्मकों, मास्क और कवरऑल आदि के लिए कपड़ा कच्चे माल आदि में समय-समय पर संशोधन किया गया। डीजीएफटी ने कोविड अवधि के दौरान विभिन्न वस्तुओं की निर्यात नीति में संशोधन करते हुए 31 अधिसूचनाएँ जारी कीं। इस महामारी से लड़ने के लिए भारत में महत्वपूर्ण वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किए गए। डीजीएफटी ने नियमित रूप से संबंधित मंत्रालयों के साथ कोविड अवधि के दौरान निर्यातकों के मुद्दों को उठाया और घरेलू उत्पादन में वृद्धि के रूप में इन वस्तुओं की नीतिगत छूट की सुविधा प्रदान की। इन वस्तुओं के उत्पादन में भारी वृद्धि और पर्याप्त स्टॉक उपलब्धता के कारण हाल के महीनों में इनमें से अधिकांश प्रतिबंधों/निषेधों में ढील दी गई है।

डीजीएफटी ने अपनी कोविड कूटनीति में एमईए की भी सहायता की और अप्रैल 2020 से जून 2020 के दौरान, इन देशों को कोविड महामारी से लड़ने के लिए निर्यात हेतु हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, पैरासिटामोल, वेंटिलेटर, मास्क और कवरऑल आदि जैसी वस्तुओं की अनुमति देते हुए, 114 देशों को लगभग 250 छूट जारी की। डीजीएफटी ने समय-समय पर विभिन्न एजेंसियों जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय, फार्मास्युटिकल विभाग, विदेश मंत्रालय आदि को इनपुट प्रदान किया और कोविड से संबंधित विभिन्न चिकित्सा आपूर्ति के निर्यात की निगरानी की। कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत की सहायता के हिस्से के रूप में, इन देशों को इन चिकित्सा वस्तुओं की आपूर्ति हेतु निषेध से विशेष छूट दी गई थी। डीजीएफटी ने पूर्व-निर्धारित मानदंड और प्रक्रिया के आधार पर इन वस्तुओं की निर्यात नीतियों में धीरे-धीरे ढील देकर और प्रतिबंधित वस्तुओं के लिए निर्यात लाइसेंस जारी करके, पीपीई कवरऑल, 2/3 प्लाई मास्क, एन -95 मास्क,

डायग्नोस्टिक किट, नाइट्राइल दस्ताने, मेडिकल गॉगल्स आदि जैसी वस्तुओं के निर्यात की सुविधा प्रदान की। इन वस्तुओं के निर्यात के धीरे-धीरे खुलने से हमारे निर्यातकों के लिए बाजार के अवसर सुनिश्चित हुए और साथ ही यह सुनिश्चित हुआ कि कोई घरेलू स्तर पर इनकी कोई कमी न हो। इसके अलावा, रेमेडिसेविर, एम्फोटेरिसिन-बी, सीरिंज, कोविड एंटीजन किट का निर्यात भी वर्ष 2021 में कोविड संकट के दौरान प्रतिबंधित कर दिया गया था। स्थिति में सुधार के साथ, डायग्नोस्टिक किट और मेल्टब्लाऊन फैब्रिक का निर्यात अब मुफ्त कर दिया गया है।

डीजीएफटी नियमित रूप से सुई के साथ या बिना रेमेडिसेविर इंजेक्शन और एपीआई, एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन और सीरिंज के निर्यात के संबंध में निर्यात प्राधिकरण जारी कर रहा है।

(ड) प्रतिबंधित निर्यात लाइसेंस

अन्य 'प्रतिबंधित' मदों (स्कोमेट मदों के अलावा) के लिए निर्यात प्राधिकरण जारी करने के लिए आवेदन। जैसे प्याज के बीज, जीवित जानवर, समुद्री शैवाल, गैर-बासमती चावल धान (भूसी) बीज गुणवत्ता के अलावा, चारा सामग्री, रसायन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत और लकड़ी के मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात आदि को निर्यात सेल में संसाधित किया जाता है और एक द्वारा माना जाता है एकजिम फैसिलिटेशन कमेटी (ईएफसी), जिसकी अध्यक्षता निर्यात के अतिरिक्त डीजीएफटी प्रभारी करते हैं और इसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ईएफसी आम तौर पर महीने में एक बार मिलता है और डीओसी और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के विषय वस्तु प्रभाग की एनओसी/टिप्पणियों के आधार पर मामलों का फैसला किया जाता है और लाइसेंस केवल डीजीएफटी मुख्यालय से जारी किए जाते हैं।

वर्ष 2021-22 (दिनांक 08.11.2021 तक) के दौरान, 767 आवेदनों को मंजूरी दी गई और निर्यात अनुमति दी गई।

(ढ) जिले को निर्यात हब के रूप में विकसित करना

प्रत्येक जिले को एक निर्यात केंद्र में बदलने के लिए भारत के माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए, जैसा कि उनके द्वारा वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषित किया गया था, भारत सरकार राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन उद्देश्यों को एक

संस्थागत तंत्र के माध्यम से जिला स्तर पर बनाया जा रहा है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के माध्यम से वाणिज्य विभाग जिलों में इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ जुड़ रहा है, और देश के प्रत्येक जिले को एक निर्यात हब के रूप में अपनी क्षमता हासिल करने हेतु जिलों की क्षमता को जुटाने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से इसके कार्यान्वयन को सक्षम कर रहा है।

प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों/सेवाओं (जीआई उत्पादों, कृषि समूहों, खिलौना समूहों आदि सहित) की पहचान देश के सभी जिलों में की गई है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर (सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गठित) राज्य निर्यात संवर्धन समितियों के रूप में संस्थागत तंत्र गठन किया गया है, और सभी जिलों में जिला स्तर पर जिला निर्यात संवर्धन समितियों (पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिलों में गठित) को निर्यात प्रोत्साहन के लिए सहायता प्रदान करने और निर्यात वृद्धि के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। जिला निर्यात संवर्धन समितियां (डीईपीसी), डीजीएफटी क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय प्राधिकरणों के सहयोग से, केंद्र, राज्य और जिले के सभी संबंधित हितधारकों के परामर्श से जिला विशिष्ट निर्यात कार्य योजनाएं तैयार कर रही हैं।

भारत सरकार इन योजनाओं को लागू करने, निर्यातकों और निर्माताओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करने के लिए स्थानीय स्तर पर राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ काम कर रही है। निर्यात हब के रूप में जिलों का उद्देश्य देश में ऐसे क्षेत्रों और क्षेत्रों से निर्यात की सुविधा प्रदान करना है, जिन्हें पहले संभावित निर्यात गंतव्यों के रूप में नहीं देखा जाता था। जिलों में पहचाने जाने वाले विशिष्ट उत्पाद जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से टूना (मछली), कामरूप से मूंगा रेशम, कोहलापुर से कोहलापुरी चप्पल, झाबुआ से नीम उत्पाद, जयपुर से आभूषण, पश्चिम जंंटिया हिल्स से लकडोंग हल्दी, इडुक्की से मालाबार काली मिर्च, श्रीनगर जिले से पेपर मैशे, विशाखापत्तनम से अराकू कॉफी, कांगड़ा से चाय आदि को वैश्विक मानचित्र पर जिलों और इन उत्पादों को रखने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।

निर्यात हब के रूप में जिले भारत सरकार की पहली ऐसी पहल है जो जमीनी स्तर पर निर्यात संवर्धन, विनिर्माण और रोजगार सृजन को लक्षित करने का प्रयास करती है, और देश के जिलों से निर्यात वृद्धि के लिए राज्यों और जिलों को जवाबदेह बनाती

है। निर्यात प्रोत्साहन पहले ग्रामीण क्षेत्रों या देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में कभी भी फोकस क्षेत्र नहीं था। इस पहल के माध्यम से, भारत सरकार का इरादा शहरी क्षेत्रों से विनिर्माण और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि करके, देश के ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में रुचि और आर्थिक गतिविधि पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, नए निर्यात व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर मिशन में योगदान देना है।

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जिला प्रशासन द्वारा व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समन्वित और समन्वित प्रयास, विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ाएंगे, माल और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देंगे, एमएसएमई और स्थानीय कारीगरों/शिल्पकारों का समर्थन करेंगे, जिलों के साथ ई-कॉमर्स लिंकेज का व्यापक कवरेज करेंगे, जीआई उत्पादों को बढ़ावा देना, रसद और कृषि क्षेत्रों में सुधार करना, और जिलों में रोजगार के अवसरों का समर्थन करना, जिससे निवेश, विनिर्माण और निर्यात वृद्धि सहित व्यापक आर्थिक लाभ हो।

एसईपीसी और डीईपीसी के रूप में संस्थागत प्रणाली का निर्माण, निर्यातकों को सुलभ जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए एकल खिड़की के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन और व्यापार सुविधा के प्रयासों को और मजबूत करेगा। जिला निर्यात कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन से व्यापार रसद और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, स्थानीय व्यापार के बीच सूचना प्रसार की वापकता बढ़ेगी और निर्यात शुरू होगा। डीईपी में पहचाने गए मात्रात्मक लक्ष्य केंद्र और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, दोनों में विभिन्न सरकारी एजेंसियों को जिले के निर्यातकों के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे।

कुल **372 जिलों** में जिला कार्य योजना का प्रारूप तैयार किया गया है और **110 जिलों** में योजनाओं को अंतिम रूप दिया/अधिसूचित किया गया है।

वर्चुअल ग्लोबल आउटरीच इवेंट/क्रेता-विक्रेता बैठक 29-30 जुलाई 2021 को इंडिया/75 के उपलक्ष्य में यूएस, जापान और यूईई में भारतीय दूतावासों के सहयोग से आयोजित की गई, जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश के जिलों के कृषि उत्पादों के 100 से अधिक विक्रेता, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, और अमेरिका, जापान और संयुक्त अरब अमीरात के 100 खरीदारों ने भाग लिया।

नए निर्यातकों को संभालने और निर्यातकों/उद्योग की चिंताओं और मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान देने के साथ जिला प्रशासन के सहयोग से डीजीएफटी आरए द्वारा जिलों में **संवेदीकरण कार्यशालाएं** आयोजित की गई हैं।

वाणिज्य सप्ताह में निर्यात हब के रूप में जिले: निर्यात हब पहल के रूप में जिलों के तहत चिन्हित उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु देश भर के 550 से अधिक जिलों में निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें विदेशी व्यापार के मुद्दों पर स्थानीय निर्यातकों/उद्यमियों के लिए हैंडहोलिंग सत्र शामिल थे, जिसमें जिले में पहचाने गए निर्यात क्षमता वाले उत्पादों/सेवाओं की प्रदर्शनी के साथ-साथ अग्रणी बैंक, स्थानीय निर्यात कक्षों/संघों और निर्यात संवर्धन परिषद जैसे हितधारकों को शामिल किया गया था।

निर्यात के बारे में जानकारी के साथ जिलों के तहत निर्यात हब के रूप में तैयार किए गए राज्यनिर्यात ब्रोशर को भी वाणिज्य सप्ताह के दौरान विमोचन किया गया था। ब्रोशर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डीईएच पहल और प्रासंगिक जानकारी के बारे में जानकारी थी।

(ण) निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं और डेटा विश्लेषण की निगरानी

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के लिए, डीजीएफटी के सांख्यिकी प्रभाग द्वारा निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं वर्ष 2021 पर एक व्यापक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। एमआईएस रिपोर्ट को मासिक आधार पर भी संकलित किया जा रहा है जो डीजीएफटी वेबसाइट में होम पेज पर सांख्यिकी रिपोर्ट के तहत उपलब्ध है और लिंक <https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=bulletin-foreign-trade-statistics> पर दी गई है। वाणिज्य विभाग की वेबसाइट के मॉनिटरिंग डैशबोर्ड में लिंक <https://dashboard.commerce.gov.in/commercedashboard.aspx> पर विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत स्क्रिप और प्राधिकरण जारी करने का एक विस्तृत विवरण दिया गया है।

दिसंबर 2017 में एफटीपी (2015-20) की मध्यावधि समीक्षा के बाद डीजीएफटी के सांख्यिकी प्रभाग में एक डेटा विश्लेषण इकाई (डीएयू) के गठन के उपरांत विदेश व्यापार सांख्यिकी का एक मासिक बुलेटिन, जो निर्यात और आयात डेटा पर एक

तैयार संदर्भ और विश्लेषण प्रदान करता है, भारत की प्रमुख वस्तुओं और प्रमुख देशों पर त्वरित अनुमान, अनंतिम अनुमान और अंतिम 8 अंकों के स्तर के अनुमानों के उद्देश्य से लाया जा रहा है। बुलेटिन राज्य-वार निर्यात डेटा भी प्रदान करता है, जो डीजीएफटी वेबसाइट में होम पेज पर सांख्यिकी रिपोर्ट के तहत उपलब्ध है और लिंक <https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=bulletin-foreign-trade-statistics> है। डेटा एनालिटिक्स यूनिट (डीएयू), सांख्यिकी प्रभाग, डीजीएफटी ने दो डैशबोर्ड विकसित किए हैं, अर्थात् वाणिज्य विभाग का मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड।

(त) वर्ष 2021-22 में व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात के लिए 400 बिलियन अमरीकी डॉलर का लक्ष्य

वाणिज्य विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए 200 देशों और 30 त्वरित अनुमान वस्तु समूहों के लिए यूएस+ 400 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों में पिछले रुझान, वर्तमान परिदृश्य और नीतिगत गतिशीलता पर आधारित है। पिछले तीन वर्षों 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान भारत का निर्यात क्रमशः यूएस+ 330 बिलियन, यूएस+ 313 बिलियन और यूएस+ 292 बिलियन था।

लक्ष्यों की प्राप्ति की मासिक निगरानी के लिए, डीजीएफटी के सांख्यिकी प्रभाग के तहत एक निर्यात निगरानी डेस्क की स्थापना की गई है। अलग-अलग लक्ष्य देश/क्षेत्र/मिशन/उत्पादों/वस्तु समूहों/निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा कड़ी निगरानी को सक्षम बनाते हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 के 8 महीनों में भारत ने यूएस+ 262.97 बिलियन का निर्यात हासिल किया है। कड़ी निगरानी के साथ, निर्यात प्रोत्साहन उपायों द्वारा समर्थित, भारत इस वर्ष यूएस+ 400 बिलियन का निर्यात हासिल करेगा।

माननीय प्रधान मंत्री ने 6 अगस्त 2021 को "लोकल गोज ग्लोबल - मेक इन इंडिया फॉर" विषय पर द वर्ल्ड", यूएस+ 400 बिलियन के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजदूतों/एचसी/वाणिज्यिक मिशनों, लाइन मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, ईपीसी, कमोडिटी बोर्डों/प्राधिकरणों, उद्योग/व्यापार संघों आदि को संबोधित किया।

(थ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" (कारोबार में सुगमता) हेतु की गई पहल

डीजीएफटी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) हेतु प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों की एक श्रृंखला शुरू की है, जो भारतीय उद्यमों की विदेश व्यापार संबंधी गतिविधियों और समग्र "आत्मनिर्भर भारत" अभियान को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। वे हैं:

- ◆ वर्ष 2021-22 में चरणबद्ध तरीके से एक नया डीजीएफटी ई-प्लेटफॉर्म आरंभ किया गया था। नए प्लेटफॉर्म ने केंद्रीकृत और क्लाउड-आधारित डेटा स्टोरेज, ओपन फ्रेमवर्क आधारित डेवलपमेंट, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, डेडिकेटेड हेल्पडेस्क सुविधाओं, बिजनेस एनालिटिक्स और एआई संचालित वर्चुअल असिस्टेंट के साथ नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया। नया प्लेटफॉर्म निम्नलिखित हेतु उपयोगी माना गया है:
 - डीजीएफटी दस्तावेज जारी करने में लगने वाले समय को महत्वपूर्ण रूप से कम करना।
 - व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ रीयल टाइम डेटा परस्पर विमिमय सुनिश्चित करना।
 - आवेदनों की स्थिति की वास्तविक समय निगरानी के माध्यम से निर्यातकों/आयातकों को पारदर्शिता प्रदान करता है।
 - आवेदनों का कागज-रहित और संपर्क रहित संसाधन सुनिश्चित करना।
- ◆ नए प्लेटफॉर्म पर डिजिटलीकृत व्यापार नीति, आईटीसी (एचएस) आधारित आयात/निर्यात नीति और अन्य दस्तावेजों की उपलब्धता से व्यापार हितधारकों को सूचना विषमता संबंधी मुद्दों को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, निर्यातकों/आयातकों के प्रोफाइल डेटा के उपयोग के माध्यम से, अधिसूचना से संबंधित समय पर सूचना, आवेदन की स्थिति आदि के बारे में एसएमएस और ईमेल संचार के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- ◆ विदेश व्यापार नीति अद्यतन, आयात/निर्यात नीति, निर्यात/आयात सांख्यिकी, आवेदनों की स्थिति, 24x7 वर्चुअल सहायता पर सभी जानकारी डीजीएफटी व्यापार सुविधा ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। ऐप को माननीय सीआईएम द्वारा दिनांक 12.04.2021 को आरंभ किया

गया था।

- ◆ निम्नलिखित विशिष्ट कार्यान्वयन हाल ही में पूरे किए गए हैं:
 - दिनांक 15.04.2021 से गैर-प्रिफ़ेरेन्शियल सीओओ के लिए प्रिफ़ेरेन्शियल प्रमाण पत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को लाइव किया गया था। प्लेटफॉर्म पर 100+ईपीसी, कमोडिटी बोर्ड और चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनबोर्ड शामिल किए जा चुके हैं। ई-प्लेटफॉर्म से अब तक 7 लाख से अधिक सीओओ जारी किए जा चुके हैं।
 - नई डीजीएफटी आईटी प्रणाली सीबीआईसी, सीबीडीटी, एमसीए, पीएफएमएस सहित अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ सुव्यवस्थित ऑनलाइन डेटा विनिमय प्रदान करती है। यह प्रणाली को निर्बाध बनाता है, और संबंधित निर्यातकों/आयातकों को एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण प्रदान करता है।
 - यह प्रणाली दोतरफा ऑनलाइन संचार और प्रसंस्करण, डीजीएफटी द्वारा जारी दस्तावेजों की प्रामाणिकता का ई-सत्यापन, और आयातकों/निर्यातकों और डीजीएफटी के बीच एक कागज रहित, संपर्क-रहित परस्पर विनिमय प्रदान करने के लिए प्राधिकरण की सुविधा प्रदान करती है। सीमा शुल्क के साथ इलेक्ट्रॉनिक रीयल-टाइम डेटा विनिमय ने डीजीएफटी द्वारा संचालित की जा रही निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए पेपर कॉपी को समाप्त कर दिया है।
 - यह एए/ईपीसीजी/डीएफआईए/आयात/निर्यात लाइसेंसिंग आदि के जीवनचक्र के प्रबंधन के लिए कागज रहित, इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाएं प्रदान करता है। विभिन्न पूर्व व्यापार प्रक्रियाओं के तहत किसी भी दस्तावेज या किसी कार्यालय के दौरे को भौतिक रूप से जमा करने की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है।
 - डीजीएफटी निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग करते हुए एक मजबूत नियम-आधारित जोखिम प्रबंधन

प्रणाली (आरएमएस) प्रदान करने का भी प्रयास करता है।

- 24x7 ई-आईईसी (आयातक निर्यातक कोड) का ऑटो-जेनरेशन। आईईसी के लिए किसी अनुमोदन के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आईईसी विवरण स्वचालित रूप से सीबीडीटी, एमसीए और पीएफएमएस सिस्टम के खिलाफ मान्य हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गुणवत्ता शिकायतों और विवादों को पारदर्शी तरीके से हल करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल जारी किया गया। यह प्रणाली डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकरणों, विदेश में भारतीय मिशन, वाणिज्य विभागों के विभाग को एक मंच पर एक साथ लाती है।
- निर्यातकों के प्रश्नों, शिकायतों और सुझावों को हल करने के लिए संपर्क केंद्र और हेल्पडेस्क सेवाएं शुरू की गईं। यह हेल्पडेस्क सहायता टोल फ्री हेल्प-लाइन, समर्पित ईमेल, ऑनलाइन टिकट, सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध है। प्रश्नों और टिकटों को हल करने के लिए औसत समय में लगातार कमी आई है। 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुद्दों' के लिए कोविड-19 हेल्पडेस्क की स्थापना व्यापार समुदाय को तत्काल सहायता प्रदान करने और किसी भी व्यवधान को कम करने के लिए की गई थी। वर्ष 2020-21 में 1300 प्राप्त अनुरोधों में से 900 से अधिक का समाधान किया गया।
- नीति छूट समिति, ईपीसीजी समिति और अन्य के अनुरोधों पर ऑनलाइन प्रस्तुत करने और विचार करने के लिए ई-मीटिंग प्रबंधन प्रणाली जारी की गई।
- विदेश व्यापार नीति और प्रक्रियाओं के तहत निर्यातकों/आयातकों को उनके अनुरोधों को प्रबंधित करने के लिए एक पूर्ण 360-डिग्री दृश्य प्रदान करने के लिए एक उन्नत बिल रिपोजिटरी के साथ एक सिंगल साइन-ऑन एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट डैशबोर्ड।
- एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट (चैटबॉट) को 24x7 ऑनलाइन व्यापार से संबंधित प्रश्नों के उत्तर

प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है।

दी गई प्रणालियों में 'कुल निर्यातक नेटवर्क' के रूप में व्यवस्थित रूप से विकसित होने की क्षमता है, ताकि सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी सेवाएं एकल प्रणाली और खिड़की के माध्यम से प्रदान की जा सकें।

4. अन्य स्कीमें

(क) निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस)

भारत सरकार ने राज्यों से निर्यात के विकास के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2017-18 से निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस) नामक एक योजना शुरू की है। यह योजना केंद्र/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एजेंसियों को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्यात बुनियादी ढांचे की स्थापना या उन्नयन के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की सहायता-अनुदान सहायता के रूप में होती है, आमतौर पर कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लगाई जा रही इक्विटी से अधिक नहीं। परियोजना में कुल इक्विटी का 50% (जम्मू-कश्मीर सहित पूर्वोत्तर में स्थित और हिमालयी राज्य परियोजनाओं के मामले में, यह अनुदान कुल इक्विटी का 80% तक हो सकता है)। इसके अलावा, अपेक्षाकृत खराब निर्यात बुनियादी ढांचे वाले राज्य, अच्छी डीपीआर तैयार करने के लिए संस्थागत क्षमता की कमी है, लेकिन सकारात्मक निर्यात क्षमता है, यह अनुदान कुल इक्विटी का 80% तक हो सकता है। सहायता अनुदान सामान्यतः प्रत्येक परियोजना के लिए रु.20 करोड़ की सीमा के अधीन है। इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए, अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें कुल परिच्यय रु.360 करोड़ है।

वित्त वर्ष 2021-22 (31 दिसंबर 2021 तक) के दौरान, दिनांक 02.08.2021 और 24.11.2021 को टीआईईएस पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दो बैठकें हुई हैं।

टीआईईएस के तहत अब तक (31 दिसंबर 2021) कुल 51 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, और ये असम, तमिलनाडु, चंडीगढ़, राजस्थान, मणिपुर, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश,

केरल, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं।

(ख) मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई) स्कीम

मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई) योजना एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है, जिसे निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया गया है। एमएआई योजना के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- ◆ विश्व स्तरीय वस्तुओं और सेवाओं के प्रदाता के रूप में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करना और बढ़ावा देना;
- ◆ भारत को एक आकर्षक सोसिंग गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना;
- ◆ भारत के लिए एक मजबूत ब्रांड छवि निर्मित करना;
- ◆ भारतीय वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव पैदा करने के लिए, निर्यातकों/उद्योग निकायों को पहचान किए गए बाजारों में विदेशों में प्रमुख आयोजनों में भाग लेने हेतु सुविधा प्रदान करना;
- ◆ निर्यातकों को नए/संभावित बाजारों में पहुँच प्राप्त करने और वैश्विक व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना; आदि।

एमएआई योजना के तहत सहायता निर्यात संवर्धन परिषदों, कम्पोजिटी बोर्डों और शीर्ष व्यापार संगठनों को योजना के तहत शामिल विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों को करने के लिए प्रदान की जाती है।

कोविड-19 के प्रकोप के कारण दुनिया भर में यात्रा पर विभिन्न प्रतिबंधों के कारण, भौतिक सेटिंग में निर्यात संवर्धन गतिविधियाँ बाधित हो गईं। निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों को जारी रखने के लिए उद्योग को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए, वर्चुअल निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों के आयोजन के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया था। तदनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 244 वर्चुअल निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों को शुरू करने के लिए ईपीसी और व्यापार निकायों को रु.29.85 करोड़ की एमएआई सहायता को मंजूरी दी गई थी।

सरकार ने योजना को संशोधित रूप में जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसमें रु.1000 करोड़ का परिव्यय 31 मार्च 2021 से आगे अर्थात् 31 मार्च 2026 तक की अवधि में करना शामिल किया गया है। संशोधित योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- ◆ मानकों और विनियमों, निर्यात पैकेजिंग, निर्यात उन्मुख कौशल विकास और निर्यात हब के रूप में जिलों के विकास पर निर्यातकों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है; पारंपरिक भारतीय उत्पादों और सेवाओं जैसे आयुष, योग, जीआई उत्पादों, शिल्प और कलात्मक उत्पादों, जिनमें खिलौने, आदिवासी उत्पाद को बढ़ावा देना; ई-बिजनेस टूल्स, संचार प्रौद्योगिकी आदि को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।
- ◆ पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पहाड़ी क्षेत्रों के निर्यातक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग और महिला निर्यातक प्राथमिकता क्षेत्र के वित्त पोषण के लिए पात्र होंगे, और उन्हें योजना के तहत गतिविधियों में प्राथमिकता भी दी जाएगी।
- ◆ नई योजना वस्तुओं और क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक रणनीति तैयार करने का प्रावधान करती है। नए और उभरते बाजारों की खोज के अलावा, ऐसी योजनाएं विभिन्न बाजारों के लिए क्षमता निर्माण, उत्पाद विकास, मानकों और नियामक आवश्यकताओं आदि पर भी ध्यान केंद्रित करेंगी।
- ◆ कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति से निपटने के लिए भौतिक परिवेश में गतिविधियों/आयोजनों के अलावा डिजिटल/हाइब्रिड निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों को शामिल किया गया है।
- ◆ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला और छोटे निर्यातक निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम में 5 बार भाग ले सकते हैं। वे मौजूदा दो के बजाय एक वर्ष में पांच कार्यक्रमों में भी भाग ले सकते हैं।
- ◆ खाद्य पदार्थों को मिलाकर जूट, कृषि उत्पाद सहित मौजूदा हस्तशिल्प, हथकरघा, कालीन, चमड़ा, खिलौने, खेल सामग्री, जिसमें लघु वनोपज के अलावा रोजगार पैदा करने वाले कृषि आधारित क्षेत्रों ऊन, रेशम और जीआई को प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।

- ◆ हवाई यात्रा किराया प्रतिपूर्ति के लिए निर्यात कारोबार की सीमा को रु.30 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़ाकर रु.50 करोड़ प्रति वर्ष कर दिया गया है।
- ◆ भारत में आयोजित रिवर्स क्रेता-विक्रेता मीट में विकसित देशों/बाजारों के विदेशी खरीदारों की मेजबानी पर प्रतिबंध हटा दिया गया है।

वित्तीय/वर्चुअल/हाइब्रिड माध्यम से आयोजित करने संबंधी

निर्यात संवर्धन गतिविधियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों के 416 प्रस्तावों हेतु बाजार पहुंच पहल योजना के तहत रु.209.35 करोड़ की सहायता स्वीकृत की गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बाजार पहुंच पहल योजना हेतु किया गया बजटीय आवंटन और योजना के तहत उपयोगिता निम्नानुसार हैं:

(मूल्य करोड़ रु. में)

वर्ष	बीई प्रावधान	आरई प्रावधान	वास्तविक व्यय	फंड का : उपयोग
2018-19	250.00	270.00	270.00	100
2019-20	300.00	325.00	325.00	100
2020-21	300.00	171.40	171.40	100
2021-22 (31.12.2021 तक)	200.00	--	83.40	--

(ग) चैंपियन सेवा क्षेत्र स्कीम (सीएसएसएस)

- ◆ सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद, एफडीआई प्रवाह, निर्यात और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पिछले दो दशकों में सेवाओं की वृद्धि भारत के समग्र विकास में सहायता कर रही है, और भारत के व्यापारिक व्यापार घाटे के लगभग 50: का वित्तपोषण कर रही है।
- ◆ आजकी तिथि तक, सीएसएसएस के तहत उपयोग की जाने वाली कुल रु.5000 करोड़ की समर्पित निधि में से रु.3839.25 करोड़ की निधि की क्षेत्रीय योजनाओं को ईएफसी/एसएफसी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान नोडल विभागों/मंत्रालयों ने सीएसएसएस के तहत स्वीकृत प्रस्तावों का कार्यान्वयन जारी रखा है।

- ◆ वाणिज्य विभाग लगातार नोडल मंत्रालयों/विभागों के साथ संपर्क में है, और सीएसएसएस के तहत सुधार एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है। सीएसएसएस उच्च क्षमता वाले सेवा क्षेत्रों में व्यापकता-आधारित विकास को बढ़ावा देगा। यह भारत को एक वैश्विक सेवा का केंद्र बिन्दु बनाने के माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में हमारी मदद करेगा।

अध्याय 5

निर्यात संवर्धन तंत्र

1. निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी)

निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) कंपनी अधिनियम/सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत गैर-लाभकारी संगठनों के रूप में पंजीकृत हैं। इन परिषदों की भूमिकाएं और कार्य विदेश व्यापार नीति 2015–20 (31.03.2022 तक विस्तारित) के अनुसार निर्देशित होते हैं जो उन्हें निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में भी मान्यता देती है। विभिन्न ईपीसी का विवरण इस प्रकार है:

(क) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी)

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी), जो भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग की शीर्ष व्यापार संस्था है, ने इस वर्ष अपने गठन के 55 वर्ष पूरे कर लिए हैं। नवंबर 2021 तक इसके लगभग 6700 सदस्य थे। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले भारत के अग्रणी क्षेत्रों में से एक है। वित्त वर्ष 2021–22 (दिसंबर 2021 तक) के दौरान भारत से हुए रत्न और आभूषण का निर्यात 28,892.81 मिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 16,884.11 मिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 71.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अन्य क्षेत्रों की ही तरह, कोविड-19 ने लॉकडाउन/यात्रा प्रतिबंधों के कारण कारोबार बंद होने के चलते, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आने वाली मांग में कमी हो गई, दुनिया भर में रत्न और आभूषण क्षेत्र को प्रभावित किया है। तथापि, यात्रा प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद, भारत के रत्न और आभूषण निर्यात में वर्ष की शुरुआत से तेजी आई है और चालू राजकोषीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के दौरान यह गति बरकरार रही है जो सरकार की समर्थनकारी नीतियों और व्यापार करने में सुगमता की स्थिति को देखते हुए आगे भी जारी रहने की संभावना है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने निम्नलिखित प्रदर्शनों का आयोजन किया:

- ♦ दिनांक 15–19 सितंबर 2021 तक बंगलुरु में आईआईजेएस प्रीमियर 2021 का आयोजन जो कोविड शुरू होने के बाद से विश्व का पहला सबसे बड़ा केवल-वास्तविक प्रदर्शन था।
- ♦ दिनांक 11 से 13 अक्टूबर, 2021 तक दुबई में अंतरराष्ट्रीय

रत्न एवं आभूषण प्रदर्शन (आईजीजेएस) 2021 जो बाजारों के खुलने पर वैश्विक बाजारों, विशेष रूप से मध्य पूर्व के बाजार की सोर्सिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए आयोजित किया गया।

- ♦ मोरक्को, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, कतर और थाईलैंड के साथ इंडिया ग्लोबल कनेक्ट बैठक आयोजित की गई ताकि रत्न और आभूषण क्षेत्र के संबंध में वर्तमान कारोबार परिदृश्य को समझा जा सके तथा व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए प्रत्येक देश के विनिर्माताओं, निर्यातकों और आयातकों के साथ चर्चा की जा सके।
- ♦ रत्न एवं आभूषण निर्यात को पुनर्जीवित करने के लिए भारतीय रत्न और आभूषण विनिर्माताओं को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से जोड़ने के लिए दो वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक।
 - हीरा जड़ित वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक (14–16 जून, 2021)
 - अव्यवस्थित (लूज़) रत्न वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक (20–22 जुलाई 2021)
- ♦ अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनों में भारतीय विनिर्माताओं/निर्यातकों की भागीदारी अर्थात् जेसीके लास वेगस 2021 (27–30 अगस्त 2021), विसेंज़ा ओरो फॉल (10–14 सितंबर 2021) और ज्वेलरी अरेबिया (16–20 नवंबर 2021)।
- ♦ रत्न और आभूषण क्षेत्र से जुड़े एमएसएमई के लिए विभिन्न विषयों पर अनेक वेबिनार, कार्यशालाएं, बैठकें, प्रेरक सेमिनार आयोजित किए गए, जैसेकि ई-इन्वोइसिंग, क्रेडिट रेटिंग, ई-संचित, अन्य निर्यात संवर्धन स्कीम के साथ अनुबद्ध मालगोदाम का विश्लेषण और तुलना, रत्न और आभूषण क्षेत्र का वित्त पोषण, निर्यात के अवसर और सरकारी सहायता, हॉलमार्किंग, उद्यम पंजीकरण और चैंपियंस पोर्टल आदि।
- ♦ रत्न एवं आभूषण उद्योग के कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जीजेईपीसी की अन्य पहलों में स्वास्थ्य रत्न बीमा स्कीम, परिचय कार्ड और स्वास्थ्य कोष शामिल हैं।

(i) सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी)

वाणिज्य विभाग ने जीजेईपीसी के माध्यम से रत्न और आभूषण

विनिर्माण क्लस्टर में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करने की एक स्कीम लागू की। इस स्कीम का उद्देश्य यह है कि रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के एमएसएमई को गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए इष्टतम लागत पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी/उपकरणों का उपयोग करने का अवसर प्रदान करके इस क्षेत्र को मजबूत किया जाए। विसनगर, पालनपुर, अमरेली, जूनागढ़, कोलकाता, कोयंबटूर, राजकोट और हैदराबाद में 8 सीएफसी की स्थापना के बाद स्कीम का कार्यकाल 31.03.2021 को समाप्त हो गया है।

(ii) अपरिष्कृत हीरों की खेप आयात के लिए विशेष अधिसूचित क्षेत्र (एसएनजेड)

मुंबई में बनाया गया एसएनजेड अपने संचालन के छठे वर्ष में है और यह पिछले 5 वर्षों से बहुत सफलतापूर्वक संचालन करता आ रहा है। विश्व की सभी प्रमुख खनन कंपनियाँ नियमित रूप से अपना प्रदर्शन कर रही हैं। इसे भारतीय हीरा उद्योग से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और यह एमएसएमई के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहा है, जिसमें प्रति प्रदर्शन देखने वाले दर्शकों की औसत संख्या 187 है और प्रति प्रदर्शन कंपनियों की औसत संख्या 76 है। पूरे भारत से कुल 977 विशिष्ट कंपनियों ने एसएनजेड का दौरा किया है और प्रदर्शन में भाग लिया।

आईडीटीसी-एसएनजेड में इसकी स्थापना से लेकर दिसंबर 2021 तक, 2.6 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के 12 मिलियन कैरेट से अधिक अपरिष्कृत हीरे प्रदर्शित किए गए थे। प्रमुख विदेशी खनन कंपनियां जैसे अलरोज़ा-रूस, डी बीयर्स-यूके, रियो टिंटो-ऑस्ट्रेलिया, डोमिनियन डायमंड कॉर्प्स-कनाडा और ओकावांगो डायमंड कंपनी-बोत्सवाना, जो दुनिया भर में वैश्विक अपरिष्कृत हीरे के उत्पादन का 85 प्रतिशत हिस्सा हैं, यहाँ अपने हीरे प्रदर्शित करती हैं।

सूरत में सूरत इंटरनेशनल डायट्रेड सेंटर (एसआईडीसी) में एक और एसएनजेड स्थापित किया गया है जो भारत का सबसे बड़ा हीरा विनिर्माण केंद्र है। इस एसएनजेड के निर्माण ने देश में, विशेष रूप से छोटे विनिर्माताओं के लिए सीधे अपरिष्कृत हीरे की आपूर्ति की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की है।

(ख) चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई)

चमड़ा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान रखता है, जो लगभग 4.42 मिलियन ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया करता है, जो अधिकांशतः समाज के कमजोर वर्गों से आते हैं। चमड़ा उत्पाद क्षेत्र में महिला रोजगार प्रमुख है जिनकी इसमें लगभग 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। चमड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल की प्रचुरता है क्योंकि भारत में मवेशी और भैंस की वैश्विक आबादी 20 प्रतिशत तथा बकरी और भेड़ की वैश्विक आबादी 11 प्रतिशत है। देश में चमड़ा उद्योग की ताकत कुशल जनशक्ति, नवीन प्रौद्योगिकी, उद्योग द्वारा अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण मानकों के अनुपालन में वृद्धि और संबद्ध उद्योगों के समर्पित समर्थन में निहित है। भारत फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, चमड़े की पोशाकों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक, दुनिया में सैडलरी और हार्नेस का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक और दुनिया में चमड़े के सामान का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है।

(i) निर्यात निष्पादन

(क) 2020-21 के दौरान निर्यात निष्पादन

चमड़ा और चमड़ा उत्पादों का निर्यात अप्रैल 2019-मार्च 2020 में 5093.09 मिलियन अमरीकी डॉलर का रहा था जबकि अप्रैल 2020-मार्च 2021 की अवधि में ये निर्यात 3681.68 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के रहे, जो 27.71 प्रतिशत की गिरावट का द्योतक है।

(ख) 2021-22 के दौरान निर्यात निष्पादन

आधिकारिक तौर पर अधिसूचित डीजीसीआईएंडएस के मासिक निर्यात आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-नवंबर 2021 की अवधि के लिए चमड़ा-भिन्न फुटवियर सहित चमड़ा और चमड़ा उत्पादों का निर्यात अप्रैल-नवंबर 2020 के 2227.43 मिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले 3066.03 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें 37.65 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-नवंबर 2021 के संबंध में निर्यात सारांश इस प्रकार है:

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

श्रेणी	अप्रैल-नवंबर 2020	अप्रैल-नवंबर 2021	% परिवर्तन
परिष्कृत चमड़ा	222.73	296.94	33.32
चमड़े के फुटवियर	880.49	1263.20	43.47

फुटवियर के घटक	126.27	160.56	27.16
चमड़े के वस्त्र	199.51	233.67	17.12
चमड़े की वस्तुएँ	576.76	820.17	42.20
सैडलरी और हार्नेस	108.41	180.71	66.69
गैर चमड़ा फुटवियर	113.25	110.78	(-)2.18
कुल	2227.42	3066.03	37.65

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

(ii) नीति और सहायता उपाय

कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने चमड़ा, चमड़ा उत्पाद और फुटवियर क्षेत्र के लिए कई उपाय लागू किए। प्रमुख उपायों में ये शामिल हैं:

- 31 मार्च 2022 तक विदेश व्यापार नीति का विस्तार
- रुपये के निर्यात क्रेडिट पर 30 सितंबर 2021 तक ब्याज समकरण को जारी रखना।
- चमड़े, चमड़े के उत्पादों और फुटवियर के लिए निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर-छूट (आरओडीटीपी) दरों को अधिसूचित किया गया था, जिससे निर्यात उत्पादों के लिए अंतर्निहित (एम्बेडेड) और वापसी न किए गए करों की वापसी संभव हो गई थी।
- चमड़ा क्षेत्र ने वाणिज्य सप्ताह के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया और इस क्षेत्र की शक्ति और विकास का प्रदर्शन किया। आयोजनों के दौरान नई इकाइयों की स्थापना हेतु राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए।

(iii) निर्यात अवसंरचना और संबद्ध गतिविधियों के विकास (एएसआईडीई)/निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) के तहत निर्यात क्लस्टर में अवसंरचना परियोजनाएं हेतु राज्यों को सहायता।

चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई) देश भर में चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसे पूर्ववर्ती एएसआईडीई स्कीम के तहत और वर्तमान में निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) के तहत वित्तीय सहायता मिलने के साथ-साथ राज्य सरकार(रों) से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

वाणिज्य विभाग की निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) के तहत सीएलई द्वारा वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही दो परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है।

(मूल्य लाख रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना	कुल परियोजना लागत	स्वीकृत अनुदान	एसपीवी योगदान
1	सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना मेलविशरमए रानीपेट जिलाए तमिलनाडु में,	2468.07	1234.00	1234.07
2.	वीआईएसएचटीईसी सीईटीपीए मेलविशरमए रानीपेट जिलाए तमिलना. डु में जेडएलडी प्रणाली की अतिरिक्त 750 केएलडी क्षमता का निर्माण	1864.00	932.00	932.00
	कुल	4332.07	2166.00	2166.07

उपर्युक्त परियोजनाएं वर्तमान में निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं और संबंधित परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) अर्थात् सामान्य सुविधा केंद्र परियोजना के लिए, विशटेक सीईटीपी परियोजना के लिए इंडियन लेदर इंडस्ट्री फाउंडेशन (आईएलआईएफओ) और तमिलनाडु वाटर इन्वेस्टमेंट कंपनी

लिमिटेड (टीडब्ल्यूआईसी) इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में चमड़ा निर्यात परिषद की सहायता कर रहे हैं।

उपर्युक्त केंद्रीय परियोजनाओं के अलावा, सीएलई वर्तमान में निर्यात संवर्धन ब्यूरो (ईपीबी), उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा

वित्तपोषित स्टेट एसआईडीई स्कीम के तहत 1582.66 लाख रुपये के वित्तीय परियोजना के साथ आगरा में टेस्टिंग लैब और डिजाइन स्टूडियो की स्थापना के लिए एक परियोजना भी कार्यान्वित कर रहा है। परियोजना आंशिक रूप से पूर्ण हो गई है और इस परियोजना का उद्घाटन 07.08.2020 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था।

निर्यात संवर्धन ब्यूरो (ईपीबी), लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्टेट एसआईडीई स्कीम के तहत टेस्टिंग लैब और डिजाइन स्टूडियो आगरा परियोजना की स्थापना के लिए 1582.65 लाख रुपये की मूल परियोजना लागत की बहाली के लिए मंजूरी दे दी है और 02.12.2020 को 203.21 लाख रुपये का शेष अनुदान जारी कर दिया है।

(ग) मूलभूत रसायन, कॉस्मेटिक्स एवं डाई निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल)

केमेक्सिल का गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत रासायनिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1963 में किया गया था। परिषद का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है और इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, बंगलूरु, कोलकाता और अहमदाबाद में हैं। 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार, परिषद की कुल सदस्यता 2881 है। परिषद को निम्नलिखित उत्पादों के निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों का सौंपा गया है:

- ◆ डाई एवं डाई इंटरमीडिएट
- ◆ अकार्बनिक, कार्बनिक और कृषि रसायन
- ◆ प्रसाधन सामग्री, साबुन, टॉयलेटरीज़ और एसेंशियल ऑयल
- ◆ केस्टर ऑयल

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, केमेक्सिल ने निम्नलिखित निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों/ गतिविधियों का आयोजन किया था:

- ◆ अंकारा, तुर्की स्थित भारत के दूतावास की सक्रिय सहायता से तुर्की क्षेत्र के लिए दिनांक 11-12 अगस्त 2021 को वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक।
- ◆ संबंधित मिशनों की सहायता से 15-16 नवंबर 2021 तक इंडोनेशिया और थाईलैंड में भारतीय रासायनिक और प्रसाधन-सामग्री की वर्चुअल प्रदर्शनी।
- ◆ इन विषयों पर कई वेबिनार आयोजित किए गए जैसे

कि रीच (ईयू/तुर्की/कोरिया/ चीन/ भारत/यूके/ ऑस्ट्रेलिया/थाईलैंड/ताइवान/), यूएन टीआईआर, एक्विजम बैंक स्कीमें, निर्यात बिल नियमितीकरण, जीएसटी धन-वापसी और विनियमन में हालिया घटनाक्रम, वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और विदेशी मुद्रा संबंधी जोखिम के प्रबंधन के लिए हेजिंग समाधान, प्रसाधन सामग्री विनियमन श्रृंखला, कृषि रसायन विनियमन श्रृंखला, उत्पाद सुरक्षा वेबिनार श्रृंखला।

- ◆ इस उद्योग के सामने आ रही समस्याओं पर चर्चा करने के लिए विदेश स्थित उच्चायोगों के साथ कई वेबिनार और वीसी बैठकों का आयोजन किया गया।
- ◆ देश के 5 अलग-अलग स्थानों पर "आजादी का अमृत महोत्सव वाणिज्य सप्ताह" का आयोजन किया और उसमें भाग लिया।

(घ) प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद (प्लेक्सकॉन्सिल)

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना 1955 में की गई थी और यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत की गई थी, इसका उद्देश्य भारत से प्लास्टिक और लिनोलियम उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना था। परिषद का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और नई दिल्ली में हैं। 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार परिषद की कुल सदस्यता 2856 है। परिषद को निम्नलिखित उत्पादों के निर्यात संवर्धन के कार्यक्रमों का सौंपा गया है:

- ◆ फ्लोर कवरिंग, लेदर क्लॉथ और लैमिनेट्स
- ◆ उपभोक्ता और घरेलू उत्पाद
- ◆ एफआरपी/ कम्पोजिट्स
- ◆ मानव बाल एवं संबंधित उत्पाद
- ◆ लेखन उपकरण एवं स्टेशनरी
- ◆ प्लास्टिक पाइप और फिटिंग
- ◆ कॉर्डेज, फिशनेट्स और मोनोफिलामेंट्स
- ◆ प्लास्टिक कच्चा माल
- ◆ एफआईबीसी, बुने हुए बोरे, बुने हुए कपड़े, तिरपाल
- ◆ प्लास्टिक फिल्म और शीट्स

- ♦ विविध उत्पाद और आइटम
- ♦ पैकेजिंग आइटम – लचीला और कठोर
- ♦ प्लास्टिक के मेडिकल आइटम

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान प्लेक्स्कोसिल ने निम्नलिखित निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों/कार्यकलाप का आयोजन किया था:

- ♦ **वेबिनारों में इस तरह के विषय शामिल थे: वर्तमान समय में निर्यात कैसे शुरू करें;** सीमा शुल्क अनुबद्ध विनिर्माण स्कीम, एमएसएमई स्कीमों के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना, प्लास्टिक क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास, पॉलिमर की कीमतों में अस्थिरता को समझना; तमिलनाडु में एमएसएमई निर्यातकों के लिए अवसर, निर्यात ऋण जोखिम प्रबंधन, एटीए कारनेट और यूएन टीआईआर प्रणाली के तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुविधा, उद्गम के नियमों के बारे में जागरूकता, निर्यात के लिए आरबीआई मास्टर निर्देश, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, बीआईएस मानकीकरण और प्लास्टिक उत्पादों का गुणवत्ता आश्वासन और लाजिस्टिक एवं शिपिंग में लागत अनुकूलन तकनीक। "आरओडीटीईपी: लाभ का दावा करने के लिए विशेषताएं और प्रक्रिया, "लाजिस्टिक एवं शिपिंग में लागत अनुकूलन तकनीक", भारत के प्लास्टिक और रबड़ उत्पाद: पेरू और बोलीविया के साथ व्यापार और कारोबार के अवसर," राष्ट्रीय लोजिस्टिक्स पोर्टल (मरीन), का परिचय, बीएसई एसएमई एक्सचेंज पर इक्विटी आईपीओ योजना पर मार्गदर्शन, महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं के साथ एसएमई के लिए सीएफओ सेवाएं/बोर्ड सलाह तथा एसएमई के लिए ऋण वित्त जुटाना।
- ♦ प्लेक्स्कोसिल ने 30 से 31 जुलाई 2021 तक यूरोप में भारतीय प्लास्टिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल बी2बी बैठक का आयोजन किया।
- ♦ जापान के खरीदारों के लिए भारतीय दूतावास, टोक्यो, जापान की मदद से संयुक्त रूप से 8 दिसंबर 2021 को वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक।
- ♦ सितंबर 2021 के दौरान, प्लेक्स्कोसिल ने आंध्र प्रदेश के लिए 'वाणिज्य सप्ताह – आजादी का अमृत महोत्सव' का संचालन किया।

- ♦ 22.10.2021 को, प्लेक्स्कोसिल ने डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के साथ उनके 'डी यू एन एस' पंजीकृत समाधानों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि भारतीय प्लास्टिक निर्यातकों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में साख बढ़े और उनकी उपस्थिति दर्ज हो।
- ♦ प्लेक्स्कोसिल ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 15 से 18 नवंबर 2021 तक आयोजित की गई अरबप्लास्ट 2021 प्रदर्शनी में भारतीय भागीदारी सुगम बनाई।
- ♦ 1–4 दिसंबर 2021 के दौरान प्लास्ट यूरोशिया इस्तांबुल 2021 में इंडिया पवेलियन का आयोजन किया।

(इ) रसायन और संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (केपेक्सिल)

केपेक्सिल की स्थापना 1958 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत की गई थी। परिषद का पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थित है और इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नई दिल्ली में स्थित हैं। 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार, परिषद की कुल सदस्यता संख्या 3573 थी। परिषद को निम्नलिखित उत्पादों के निर्यात संवर्धन कार्यकलाप सौंपे गए हैं:

- ♦ नमक, कोयला और एल्युमिनियम धातु सहित थोक खनिज और अयस्क
- ♦ उन्नत इल्मेनाइट अयस्क सहित प्रसंस्कृत खनिज
- ♦ प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद
- ♦ रेफ्रेक्ट्रीज सहित सिरामिक और संबद्ध उत्पाद
- ♦ रबड़ उत्पाद
- ♦ ऑटो टायर और ट्यूब
- ♦ सीमेंट, सीमेंट क्लिंकर और एस्बेस्टस सीमेंट उत्पाद
- ♦ पेपर, पेपर बोर्ड और पेपर उत्पाद
- ♦ कांच और कांच के बने पदार्थ
- ♦ पेंट्स, प्रिंटिंग इंक एवं संबद्ध उत्पाद
- ♦ प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद
- ♦ कार्बन ग्रेफाइट, विस्फोटक और ऐक्सेसरीज़ के विनिर्मित उत्पाद
- ♦ पुस्तकें, प्रकाशन एवं मुर्ति

- ♦ विविध रासायनिक उत्पाद
- ♦ पशु उप-उत्पाद
- ♦ ओसेन और जिलेटिन

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान केपेक्सिल ने निम्नलिखित निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों/कार्यकलाप का आयोजन किया:

- ♦ दिनांक 27 से 30 अप्रैल 2021 तक बी2बी (वर्चुअल) 2020-21 के माध्यम से भारत अंतरराष्ट्रीय सिरेमिक और भवन निर्माण सामग्री मेला (आईआईसीबीएमएफ) का आयोजन।
- ♦ दिनांक 10 अगस्त 2021 को एमएसएमई, निर्यात निरीक्षण परिषद और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ "संगोष्ठी सह संवाद सत्र" का आयोजन किया और सदस्य निर्यातकों को अपनी सेवाओं के बारे में जानकारी दी।
- ♦ आरओडीटीईपी स्कीम और अनुबंध के तहत विनिर्माण, पेरू और बोलीविया के साथ भारतीय सिरेमिक एवं कारोबार के अवसर आदि जैसे विषयों पर कई वेबिनार आयोजित किए।
- ♦ दिनांक 27 जुलाई 2021 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अज़रबैजानी आयातकों और सिरेमिक उत्पादों के प्रमुख भारतीय निर्यातकों के बीच बी2बी बैठक आयोजित की गई जिसमें लगभग 21 अज़रबैजानी और 13 भारतीय प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- ♦ भारतीय प्रकाशक परिसंघ के सहयोग से 3 से 5 सितंबर 2021 तक दिल्ली पुस्तक मेला 2021, वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- ♦ कोलकाता में "आजादी का अमृत महोत्सव" के तहत "वाणिज्य उत्सव" में भारत को एक "उभरती आर्थिक शक्ति" के रूप में प्रदर्शित करने के विषय पर दो दिवसीय कार्यक्रम (21 और 22 सितंबर) का आयोजन किया गया।

- ♦ भारतीय दूतावास, कुवैत के सहयोग से 25 अक्टूबर 2021 को निर्माण सामग्री पर कुवैती आयातकों और भारतीय निर्यातकों के बीच एक वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया।

(च) शैलैक और वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सिल)

शैलैक निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना जून 1957 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत की गई थी, जिसे 8 फरवरी 2007 को शेफेक्सिल का नया नाम दिया गया था। इस परिषद का पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में स्थित है और इसकी कोई अतिरिक्त शाखा या क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार, परिषद की कुल सदस्यता 634 है। शेफेक्सिल गैर इमारती वनोपज के लिए और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के उत्पादों के लिए भी नामित नोडल ईपीसी है। परिषद को वर्तमान में निम्नलिखित उत्पादों के निर्यात संवर्धन के कार्यकलाप सौंपे गए हैं:

- ♦ शैलैक और लाख आधारित उत्पाद
- ♦ वनस्पति के रस और जड़ी बूटियों के अर्क
- ♦ ग्वार गम
- ♦ पौधे और पौधे का भाग (जड़ी बूटी)
- ♦ फिक्स वैजिटेबल खली और अन्य
- ♦ अन्य वनस्पति सामग्री
- ♦ पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित बहु उत्पाद

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, शेफेक्सिल ने निम्नलिखित निर्यात संवर्धन जागरूकता संगोष्ठियों का आयोजन किया:

- ♦ महामारी में वित्तीय बाजार संभावनाएं और निर्यात कारोबार के प्रबंधन पर 28 मई 2021 को आयोजित वेबिनार।
- ♦ आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 'वाणिज्य उत्सव' 21 से 22 सितंबर 2021 के दौरान रांची और रायपुर में आयोजित किया गया था।

निर्यात निष्पादन

(मूल्य मिलियन अमेरिकी)

ईपीसी	2018-19	2019-20	2020-21	अप्रैल से नवंबर 2020	अप्रैल से नवंबर 2021 (पी)
केमेक्सिल	19142.37	18267.42	17531.84	10669.96	15332.87
प्लेक्सिल	11019.94	10011.11	9860.99	6293.70	8762.00

केपेक्सिल	22698.13	22484.48	24888.13	12512.60	19561.32
शेफेक्सिल	2651.07	2608.72	2362.30	1462.26	1705.58
कुल	55511.51	53371.73	54643.26	30938.52	36599.77

(पी): अनंतिम

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, निर्यात की स्थिति में सुधार हो रहा है और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान दर्ज किए गए निष्पादन की तुलना में अब दोहरे अंकों की सकारात्मक वृद्धि देखी गई है।

ईपीसी की प्रमुख भूमिका/कार्य इस प्रकार हैं:

- ◆ सदस्यों और सरकार/अन्य एजेंसियों के बीच एक संपर्क-साधन के रूप में कार्य करना, और सदस्यों की ओर से निर्यात संबंधी मुद्दों को उनके समाधान के लिए संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना।
- ◆ विदेश व्यापार नीति तैयार करने के लिए जानकारी प्रदान करना और सदस्यों को विदेश व्यापार नीति, व्यापार समझौतों, सीमा शुल्क, आरबीआई आदि के बारे में अद्यतन जानकारी देना।
- ◆ भारत और विदेशों में व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों और रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकों, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि का आयोजन करना।
- ◆ विभिन्न देशों में व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को ले जाना और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना।
- ◆ कारोबार आयोजनों और अन्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए विदेश स्थित भारतीय राजनयिक मिशनो और भारत स्थित विदेशी राजनयिक मिशनो के साथ संपर्क करना, जिससे अंतरराष्ट्रीय आयातकों की माल प्राप्त करने की जरूरतों को पूरा करने और भारतीय निर्यातकों की बिक्री की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।
- ◆ दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात का विस्तार करना तथा ऐसे नए और संभावित बाजारों में निर्यात-स्थिति को मजबूत करना जहां भारत की उपस्थिति कम है।
- ◆ सदस्य निर्यातकों को पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी), वीजा सिफारिशें, उद्गम प्रमाणपत्र, निर्यात निष्पादन प्रमाणपत्र, केंद्रीय उत्पाद शुल्क बांड के नवीनीकरण के लिए पत्र आदि जारी करना।
- ◆ उद्योग और संबंधित संगठनों के परामर्श से तैयार उत्पादों

के निर्यात को बढ़ावा देने और अनावश्यक आयात को कम करने के लिए कार्यनीति तैयार करना।

- ◆ विशिष्ट क्लस्टर विकास कार्यक्रमों पर उनके उत्पादों के आधार पर उनके हितधारकों को जोड़ते हुए ध्यान केंद्रित करना ताकि क्लस्टर अपनी उत्पादकता में वृद्धि कर सकें और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार कर सकें, जिससे निर्यात में वृद्धि हो सके।
- ◆ औद्योगिक क्लस्टर में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए विभिन्न उद्योग निकायों/संघों के साथ काम करना और नए बाजारों तक पहुंचने एवं मौजूदा बाजारों को मजबूत करने के लिए सुझाव देना।
- ◆ सदस्यों को व्यापार संबंधी प्रश्नों/व्यापार की जानकारी का प्रसार करना और सरकार एवं सदस्यों को व्यापार संबंधी आंकड़े और बाजार संबंधी आसूचना प्रदान करना।
- ◆ भागीदार देशों के समक्ष कम लागत, अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले उत्पादों की स्थिर और सतत आपूर्ति की पेशकश करने की भारत की क्षमता को उजागर करना, भारत को एक विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी माल-प्राप्ति केंद्र (सोर्सिंग हब) के रूप में प्रदर्शित करना।

(छ) खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद (एसजीईपीसी)

खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद भारत से खेल सामग्री और खिलौनों के निर्यात को बढ़ावा देने में प्रभावी भूमिका निभा रही है। यह परिषद भारतीय खेल सामग्री और खिलौना उद्योग के लिए एक साझा मंच के रूप में कार्य करती है और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए सूचना-प्राप्ति का एकल स्रोत भी है।

वर्ष 2020 की शुरुआत से अर्थव्यवस्था में वैश्विक व्यापार तंत्र के मोर्चे पर अनिश्चितता देखी जा रही है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में जीवनशैली और काम के माहौल को बदल दिया है, जिससे कारोबार में विश्वास, निवेश, निर्णयों और व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। इस चुनौतीपूर्ण समय में, जब सभी वास्तविक आयोजनों को रद्द कर दिया गया था, एसजीईपीसी

पर जिम्मेदारी थी कि वह अपने सदस्यों को अधिकारियों के साथ जुड़ने और निर्यात संवर्धन कार्यकलाप जारी रखने के लिए एक मंच प्रदान करके उनका मनोबल बढ़ाए।

महामारी के दौरान, एसजीईपीसी ने अपने सदस्यों को उनके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सरोकार को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक मंच की व्यवस्था करने के लिए अनेक कदम उठाए। इस उद्योग के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए वाणिज्य विभाग, भारतीय मिशन, प्राधिकरणों और एजेंसियों के साथ कई ऑनलाइन बैठकें की गईं। महामारी से पैदा हुई सभी बाधाओं के बावजूद, भारतीय खेल सामग्री और खिलौना उद्योग अपनी विकास गति को बनाए रखने में कामयाब रहा। भारतीय खेल सामग्री और खिलौना उद्योग की निर्यात वृद्धि ने सकारात्मक संकेत दिखाए हैं और वर्ष 2020-21 में परिषद द्वारा दर्ज कुल निर्यात लगभग 176.46 मिलियन अमरीकी डॉलर था, जो पिछले वित्तीय वर्ष (174.21 मिलियन अमरीकी डॉलर) की तुलना में 1.29 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है जो रुपये मूल्य के संदर्भ में 6 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि का द्योतक है।

वर्ष 2020-21 में भारतीय खेल सामग्री और खिलौनों का निर्यात 129 देशों में किया गया। खेल सामग्री और खिलौनों के निर्यात के लिए शीर्ष दस गंतव्य लगभग वही रहे। यूके ने शीर्ष दस गंतव्य रैंकिंग में अपना पहला स्थान हासिल किया, उसके बाद संयुक्त राज्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और यूएई का स्थान रहा। इस क्षेत्र को निर्यात की जा रही शीर्ष दस मदें थीं: नेट, इम्प्लेटेबल बॉल्स और एक्सेसरीज़, बॉक्सिंग उपकरण, एथलेटिक सामान, क्रिकेट के लिए सुरक्षात्मक उपकरण, सॉफ्ट टॉय, क्रिकेट बैट, टेबल टेनिस टेबल और झूले।

(i) नए औद्योगिक पार्क और निवेश क्षेत्र

स्थानीय खिलौनों की सहायता करने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री के स्पष्ट आह्वान के बाद कई राज्यों ने इस क्षेत्र के महत्व को पहचाना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक राज्यों ने खिलौना क्लस्टर की स्थापना के लिए भूमि चिह्नित की, जहां राज्य में इन इकाइयों की स्थापना के लिए उत्कृष्ट अवसंरचना और इस क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन की पेशकश की गई जिससे राज्य और राष्ट्र की समग्र अर्थव्यवस्था में योगदान हुआ।

खेल सामग्री और खिलौना उद्योग लगातार विकास कर रहा है

और यह बाजार अब और भी तेजी से बढ़ रहा है। उद्योग की मांग को पूरा करने और नए निवेशों से अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए तथा अतिरिक्त अवसंरचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 100 से अधिक उद्योगपतियों ने कारखाने स्थापित करने के लिए नोएडा के टॉय पार्क में भूमि का अधिग्रहण किया। एसजीईपीसी के 27 सदस्य, जिन्हें पहले ही खुशखेड़ा, भिवाड़ी में भूमि आवंटित की जा चुकी है, अब अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता बनाने के लिए अपने कारखाने स्थापित करने की प्रक्रिया में लगे हैं।

(ii) आजादी का अमृत महोत्सव

भारत आजादी के 75 वर्ष को “आजादी का अमृत महोत्सव” के रूप में मना रहा है। इन समारोहों के अंतर्गत, एसजीईपीसी ने चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र सरकार और पंजाब सरकार के साथ मिलकर 20 से 26 सितंबर 2021 के सप्ताह के दौरान ‘वाणिज्य उत्सव’ का आयोजन किया।

निर्यात संवर्धन कार्यक्रम और प्रदर्शनी 22 सितंबर 2021 को जालंधर और संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी, जिसमें भारत को ‘उभरती आर्थिक शक्ति’ के रूप में दिखाया गया, ‘पंजाब से होने वाले निर्यात में सुधार के लिए कार्यनीतियाँ’ और “पंजाब राज्य के लिए निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र कैसे बनाया जाए” विषय पर ‘मेड इन पंजाब’ उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। प्रतिष्ठित निर्यातकों ने विभाग के साथ अपने सरोकारों को साझा किया और उन विशिष्ट क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जिनमें सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। निर्यातक सम्मेलन के समान ये कार्यक्रम पंजाब के सभी प्रमुख जिलों में भी आयोजित किए गए थे।

(iii) वर्ष (2020-21) के दौरान बाज़ार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के तहत किए गए निर्यात संवर्धन कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

(क) 1 से 5 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आईएसपीओ म्यूनिख मेला

महामारी के कारण खेल उद्योग की अग्रणी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी आईएसपीओ म्यूनिख 2021 इस वर्ष 1-5 फरवरी 2021 तक डिजिटल रूप से आयोजित की गई थी। खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद ने अपने सदस्यों की भागीदारी को वर्चुअल रूप से इंडिया पैविलियन में आयोजित किया। आईएसपीओ म्यूनिख ऑनलाइन 2021 में 110 देशों के 545 प्रदर्शकों ने अपने उत्पादों

और नवाचारों को प्रस्तुत किया। एक डिजिटल कार्यक्रम होने के बावजूद, आईएसपीओ म्यूनिख सम्पूर्ण खेल उद्योग के लिए एक अग्रणी मंच और प्रेरणा स्रोत के रूप में अपनी भूमिका के अनुरूप खरा उतरा।

(ख) 16 से 20 फरवरी 2021 तक खेल सामग्री और खिलौनों के लिए एसजीईपीसी वर्चुअल फेयर

एसजीईपीसी ने एमएआई स्कीम के तहत अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए 16 से 20 फरवरी 2021 तक इस क्षेत्र हेतु 'इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज शो' नामक एक वर्चुअल व्यापार मेला आयोजित किया। एसजीईपीसी ने विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावासों के सहयोग से खरीदारों को आमंत्रित किया और उन्हें वर्चुअल इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज शो के बारे में बताया। दुनिया के सामने भारतीय खेल सामग्री और खिलौनों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच का उपयोग किया गया था। इस मंच पर उत्पादों, कैटलॉग, उत्पाद वीडियो, मैचमेकिंग और खरीदारों के साथ चैट और वीडियो मीटिंग की पेशकश की गई। इस कार्यक्रम में 43 देशों के 133 खरीदारों ने भाग लिया।

(ग) 17 से 31 मार्च 2021 तक एचकेटीडीसी इंटरनेशनल सोर्सिंग शो (वर्चुअल) 2021

चूंकि हांगकांग टॉयज एंड गेम्स फेयर के 11 से 14 जनवरी 2021 तक आयोजित किए जाने वाले 47वें संस्करण को महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था, इसलिए एचकेटीडीसी ने 17 से 31 मार्च 2021 तक एचकेटीडीसी इंटरनेशनल सोर्सिंग शो ऑनलाइन शुरू किया। एचकेटीडीसी इंटरनेशनल सोर्सिंग शो कारोबारियों को नए सोर्सिंग मॉडल से तालमेल बैठाने में मदद करने के लिए एक पहल था। प्रदर्शन के इस ऑनलाइन खंड ने खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं को कारोबार मिलान और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साधन के ज़रिए जुड़ने में सक्षम बनाया।

(iv) एसजीईपीसी के 2021-22 के लिए प्रस्तावित संवर्धन कार्यक्रम

परिषद महामारी की स्थिति को एक अवसर में बदलने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु अपने सदस्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एसजीईपीसी मौजूदा और नए बाजारों, मौजूदा और नए उत्पादों तथा खोए हुए बाजार के हिस्से को वापस पाने पर निर्यात संवर्धन कार्यनीति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर

रही है। एसजीईपीसी ने वर्ष 2021-22 के पहले छह महीने में निर्यात लक्ष्य का 59 फीसदी लक्ष्य हासिल कर लिया है। यदि अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति होगी, तो एसजीईपीसी वित्त वर्ष 2021-22 में इन देशों में निर्यात संवर्धन कार्यक्रमलाप आयोजित करने की योजना बना रहा है; संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, आयरलैंड और हांगकांग।

(ज) दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (टीईपीसी)

भारत से दूरसंचार उपकरण और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (टीईपीसी) की स्थापना की गई है। एक परिषद के रूप में टीईपीसी दूरसंचार हार्डवेयर विनिर्माताओं, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, दूरसंचार सॉफ्टवेयर विक्रेताओं और सलाहकारों सहित संपूर्ण दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है और भारत से दूरसंचार निर्यात को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा अपनी सदस्य कंपनियों की उनके संबंधित निर्यातों को सुसाध्य बनाने में सहायता करता है।

टीईपीसी दूरसंचार विभाग (डीओटी) के नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संस्था है।

(i) टीईपीसी का विजन

- ◆ भारत से दूरसंचार निर्यात को बढ़ावा देना और उसमें वृद्धि करना।
- ◆ भारत में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र सहित दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना।
- ◆ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत भारत में निजी और विदेशी निवेश दोनों को प्रोत्साहित करना।
- ◆ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कार्यनीतिक गठबंधनों, समझौता ज्ञापनों और तकनीकी/वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- ◆ भारत में डिजाइन के लिए स्थानीय आईपीआर और आरएंडडी कार्यक्रमलाप तथा विश्वस्तरीय दूरसंचार उत्पादों के निर्माण में सहायता करना।

(ii) वर्ष 2021-22 के दौरान टीईपीसी द्वारा आयोजित/भाग लिए गए कार्यक्रम

♦ **कनेक्टेक एशिया 2021, 14–16 जुलाई 2021 (वर्चुअल):** टीईपीसी ने कनेक्टेक एशिया सिंगापुर, वर्चुअल, जो 14 से 16 जुलाई 2021 के दौरान निर्धारित की गई थी, में 11 कंपनियों के साथ भाग लिया। कम्युनिक एशिया इनफॉर्मा के 5जी एशिया, ब्रॉडबैंड एशिया, टेल्को एआई एशिया और एज एशिया प्रदर्शन को एक मंच पर लाता है जो इस क्षेत्र के दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नेटवर्किंग और पावर-इवेंट की जानकारी सृजित करता है। समूचे क्षेत्र के 130 से अधिक दिग्गज वक्ताओं ने नई सेवा पेशकशों, मुद्रीकरण के अवसरों और प्रौद्योगिकी विकास के लिए अंतर्दृष्टि, अनुभव और विज्ञान साझा किया, साथ ही एक संवादात्मक प्रदर्शनी भी रही जहां खरीदारों और प्रगतिशील भागीदारों को प्रौद्योगिकी और एफ2एफ होने का भी अनुभव हुआ।

♦ **16 से 18 अगस्त 2021 के दौरान टीईपीसी ब्रिक्स व्यापार मेला 2021(वर्चुअल):** टीईपीसी सदस्यों ने ब्रिक्स व्यापार मेला 2021(वर्चुअल) में भाग लिया जिसका आयोजन 16 से 18 अगस्त 2021 तक निर्धारित था। ब्रिक्स व्यापार मेला वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है और वर्ष 2021 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा एक महत्वपूर्ण कार्य है। फिक्की इस आयोजन के लिए प्रबंधनकर्ता है।

○ ब्रिक्स व्यापार मेला वर्ष 2021 में 5000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस आयोजन में 2500 से अधिक पूर्व-निर्धारित बी2बी बैठकें हुईं। व्यापार मेले में कारोबार प्रतिनिधियों द्वारा 8000 से अधिक वर्चुअल बूथ का दौरा भी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 2000 से अधिक व्यापारिक वार्ताएं हुईं। इस आयोजन में टीईपीसी की 10 कंपनियों ने भाग लिया।

♦ **9 सितंबर 2021 को भारत-सूडान क्रेता-विक्रेता बैठक:** टीईपीसी ने सूडान में भारतीय दूतावास के सहयोग से 9 सितंबर 2021 को 'दूरसंचार के क्षेत्र में भारत-सूडान व्यापार और निवेश अवसर'(वर्चुअल बीएसएम) का आयोजन किया। आवश्यकतानुसार तैयार मैच-मेकिंग प्लेटफॉर्म ने खरीदारों को उनकी उत्पाद आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय दूरसंचार और आईटी कंपनियों (विनिर्माता/ सिस्टम इंटीग्रेटर) से जुड़ना संभव बनाया।

यह कार्यक्रम 9 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया था जिसमें भारतीय दूतावास, खार्तूम ने सूडान के दूरसंचार और डाक विनियामक प्राधिकरण (टीपीआरए) द्वारा प्रदान किए गए सभागार में सूडान की ओर से वास्तविक बैठक की मेजबानी की, जबकि टीईपीसी ने भारत में एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया था। इसमें सूडान के दूरसंचार संबंधी उत्पादों और सेवाओं में काम करने वाले 60 से अधिक प्रतिभागियों और 12 भारतीय विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं ने भाग लिया।

♦ **21 सितंबर 2021 को भारत-अज़रबैजान क्रेता-विक्रेता बैठक – दूरसंचार क्षेत्र:** टीईपीसी ने अज़रबैजान में भारत के दूतावास के सहयोग से 21 सितंबर 2021 को दूरसंचार क्षेत्र में वर्चुअल इंडिया अज़रबैजान क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया। यह आयोजन भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष-आजादी का अमृत महोत्सव के समारोह का हिस्सा था। इस आयोजन का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में दोनों देशों के इच्छुक पक्षों के बीच व्यापारिक बातचीत को सुगम बनाना था। इस कार्यक्रम में 40 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख भारतीय और अज़रबैजानी कंपनियां, टीईपीसी के प्रतिनिधि और दूतावास के अधिकारी शामिल थे।

♦ **5 और 6 अक्टूबर 2021 के दौरान भारत अफ्रीका आईसीटी एक्सपो और सम्मेलन (वर्चुअल):** भारत, घाना और अन्य अफ्रीकी देशों के बीच संबंधों और प्रतिबद्धता पर बल देने के लिए, टीईपीसी ने वाणिज्य मंत्रालय और संचार मंत्रालय के सहयोग से 5 और 6 अक्टूबर 2021 के दौरान 'इंडिया अफ्रीका आईसीटी एक्सपो और सम्मेलन' की मेजबानी की। यह 2015 से हर वर्ष टीईपीसी द्वारा आयोजित किए जा रहे भारत अफ्रीका आईसीटी एक्सपो की सफलता के बाद से जारी है। इस आयोजन में 31 से अधिक कंपनियों ने प्रदर्शित किया।

(झ) भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी)

पीईपीसी सरकार द्वारा स्थापित परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद एक शीर्ष समन्वय एजेंसी है, जो निम्नलिखित में से किसी भी मॉड्यूल में अनुबंधित विदेशी परियोजनाओं वाले परियोजना निर्यातों को सुगम बनाती है :

- ◆ सिविल निर्माण परियोजनाएं
- ◆ टर्नकी परियोजनाएं जिनमें इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (अवधारणा से कमीशनिंग तक) शामिल हैं और इनमें मूलतः सिविल कार्य/निर्माण और इन टर्नकी परियोजनाओं के लिए विशिष्ट समस्त आपूर्ति शामिल हैं।
- ◆ प्रक्रिया और इंजीनियरिंग परामर्शी सेवाएं
- ◆ परियोजना निर्माण मर्दे (इस्पात और सीमेंट को छोड़कर): निर्माण इंजीनियरिंग उत्पाद (फिटिंग और फिक्स्चर/सामग्री); निर्माण उपकरण और सहायक उपकरण; और अन्य परियोजना सामग्री

(i) विकास के क्षेत्र:

पीईपीसी, आर्थिक और औद्योगिक विकास के लगभग सभी क्षेत्रों जैसे बांधों, जलविद्युत और ताप विद्युत संयंत्रों, औद्योगिक संयंत्रों, उपयोगिता भवनों, बड़े पैमाने पर तेल और प्राकृतिक गैस की पाइपलाइनों, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी और कॉम्प्लेक्स, मोटरवे मार्ग, सुरंग और पुल, बंदरगाह और हवाई अड्डे, बड़े पैमाने की आवास परियोजनाओं, ऊंची और प्रतिष्ठित इमारतों, होटल और पर्यटक रिसॉर्ट आदि के निर्माण में परियोजना निर्यात के विकास और प्रचार में सक्रिय रूप से संलग्न है।

(ii) वर्ष 2021-22 के दौरान पीईपीसी द्वारा आयोजित/भाग लिए गए कार्यक्रम

- ◆ पीईपीसी ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई वर्चुअल बैठक में 6 अगस्त 2021 को अपने 25 सदस्यों के साथ दिल्ली और पुणे के दो स्थानों से भाग लिया।
- ◆ पीईपीसी ने "निर्माण और अवसंरचना क्षेत्र में अवसरों पर भारत - फिलीपींस बी2बी सम्मेलन" में अपने सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की और 5 अगस्त 2021 को आयोजित वर्चुअल गोलमेज के व्यावसायिक संवाद सत्र में अपनी कार्य समिति के सदस्य को एक वक्ता के रूप में भी नामित किया। यह आयोजन फिलीपींस के निर्माण उद्योग प्राधिकरण के फिलीपींस ओवरसीज कंस्ट्रक्शन बोर्ड (पीओसीबी), नई दिल्ली में फिलीपीन व्यापार और निवेश केंद्र (पीटीआईसी) और फिलीपींस में भारत के दूतावास द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। वर्चुअल गोलमेज बैठक का उद्देश्य था - निर्माण और अवसंरचना के क्षेत्र में और दोनों देशों के लिए पारस्परिक

रूप से लाभकारी अन्य क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों के माध्यम से फिलीपींस और भारत के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करना।

- ◆ पीईपीसी ने दिल्ली सरकार और विभिन्न हितधारकों के सहयोग से 21 और 22 सितंबर 2021 को स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए "आजादी का अमृत महोत्सव" के अंतर्गत वाणिज्य उत्सव का आयोजन किया जिसमें आर्थिक विकास पर, विशेष रूप से भारत से किए जाने वाले निर्यात को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।
- ◆ पीईपीसी ने अपनी सदस्य कंपनियों के साथ 23 सितंबर, 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव, वाणिज्य सप्ताह, मुंबई में भाग लिया, जिसमें निर्यातकों ने माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ बातचीत की। माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने मुख्य भाषण दिया और परियोजना निर्यातकों द्वारा उठाए गए निर्यात संबंधी मामलों पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

(ज) इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ईएससी)

इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ईएससी), भारत और शेष विश्व के बीच सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापार को बढ़ावा देने वाली प्रमुख नोडल एजेंसी के रूप में उभरी है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में हैं और साथ ही दुबई में एक प्रतिनिधि कार्यालय भी है। ईएससी के पास 2000 से अधिक विनिर्माताओं और निर्यातकों का सदस्यता आधार है। 1989 में 200 मिलियन अमरीकी डॉलर के निर्यात निष्पादन के साथ आरंभ हुई, ईएससी ने 2020-21 के दौरान भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर एवं सेवाओं के निर्यात की दिशा को 156 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के अब तक के सर्वाधिक स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंचाया है। परिषद के तत्वावधान में, भारत के निर्यात भारत की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता की पहचान स्थापित करते हुए दुनिया भर के 220 से अधिक देशों में पहुंच गए हैं। यह वाकई गर्व का विषय है कि ईएससी के सदस्य मिलकर भारत की कुल निर्यात आय में 25 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं।

ईएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संस्था है।

ईएससी सदस्य निर्यातकों को निम्नलिखित सुविधाएं देती है:

- ♦ व्यापार संबंधी जानकारी और व्यापार सुविधा संबंधी सूचना का एकल स्रोत।
- ♦ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, बीएसएम, कैटलॉग प्रदर्शन और विदेशों में व्यापार प्रतिनिधिमंडल में भाग लेने के लिए सदस्यों की मदद करना।
- ♦ नीतिगत और प्रक्रियात्मक मामलों में सदस्यों की मदद करने के लिए उद्योग और सरकार के बीच एक मंच का कार्य करना।

ईएससी वाणिज्य विभाग की बाज़ार पहुंच पहल (मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव) स्कीम के तहत भारत और विदेशों में निर्यात संवर्धन के कार्यक्रमों के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

ईएससी अपने सदस्यों को विश्व आर्थिक परिदृश्य में हो रही नवीनतम घटनाओं के बारे में जानकारी देती है और सदस्यों को नवीनतम घटनाओं, व्यापार पूछताछ, खतरों और वैश्विक निविदाओं के बारे में सूचित करती है। ईएससी संयुक्त उद्यम, सहयोग, उप-अनुबंध टाई-अप, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि की सुविधा के लिए एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करती है।

भारत की विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 के पैरा 2.55 के अनुसार, निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) निर्यातकों के संगठन हैं, जिन्हें भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। ईपीसी अपने सदस्यों को पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) जारी करने के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करती हैं। ईएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/सेवा निर्यातकों को आरसीएमसी जारी करती है।

(i) वर्ष 2021-22 के दौरान ईएससी द्वारा आयोजित/भाग लिए गए निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों का

- ♦ 22-23 अप्रैल 2021 के दौरान ईएससी ने एमएआईटी के साथ संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार विनिर्माण शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया।
- ♦ 30 अप्रैल 2021 को एसएमई/स्टार्टअप के लिए पूंजी बाजार से निधि जुटाने पर परामर्श सत्र। इस सत्र में 100 से अधिक ईएससी सदस्य कंपनियों ने भाग लिया।

- ♦ लाओस के साथ वर्चुअल बी2बी बैठक : 12 मई 2021 को, ईएससी ने लाओस में भारतीय दूतावास की मदद से भारतीय और लाओस इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सॉफ्टवेयर उद्योग के बीच बी2बी नेटवर्किंग बैठक का आयोजन किया।
- ♦ "ऑनलाइन फॉरेक्स - एफएक्स - रिटेल" पर सत्र: 21 मई 2021 को, ईएससी ने ऑनलाइन फॉरेक्स - एफएक्स - रिटेल पर एक वर्चुअल सत्र का आयोजन किया, जो यूएसडी/आईएनआर मुद्रा युग्म में अनाम और ऑर्डर संचालित डीलिंग सिस्टम के लिए एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है। उपयोगकर्ता इस प्लेटफॉर्म पर सीधे ऑर्डर दे सकते हैं और कैश, टॉम, स्पॉट के आधार पर यूएसडी खरीद और बेच सकते हैं और वायदा संविदा (फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट) बुक कर सकते हैं।
- ♦ 28 मई 2021 को ईएससी ने 'महामारी के दौरान उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम)' पर एक सत्र का आयोजन किया।
- ♦ ईएससी और बीएसई लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन: 1 जून 2021 को, बीएसई लिमिटेड (जिसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जाना जाता था) ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) एसएमई और स्टार्टअप के बीच सूचियन (लिस्टिंग) के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ईएससी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब तक बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध 337 कंपनियों ने बाजार से 3,497.52 करोड़ रुपये जुटाए हैं। उनका बाजार पूंजीकरण अब 26,314 करोड़ रुपये है।
- ♦ भारत-साइप्रस जी2जी बैठक : साइप्रस गणराज्य के ऊर्जा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच 09 जून, 2021 को एक जी2जी बैठक आयोजित की गई थी। ईएससी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और भारतीय एवं साइप्रस की कंपनियों के बीच सहयोग के लिए विभिन्न अवसरों के संबंध में प्रस्तुति दी।
- ♦ 11 जून 2021 को, ईएससी ने सदस्य कंपनियों के लाभ के लिए "गोइंग ग्लोबल विड डिजिटल मार्केटिंग" पर एक सत्र का आयोजन किया।

- ♦ **वियतनाम के साथ वर्चुअल बी2बी बैठक :** 18 जून 2021 को ईएससी ने वियतनाम में भारतीय दूतावास की मदद से भारतीय और वियतनामी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सॉफ्टवेयर उद्योग के बीच बी2बी नेटवर्किंग बैठक का आयोजन किया।
- ♦ **पीएलआई और स्पेक्स योजनाओं पर सत्र:** 25 जून 2021 को, ईएससी ने पीएलआई और स्पेक्स योजनाओं पर एक सत्र आयोजित किया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आईएफसीआई के वक्ताओं को आमंत्रित किया गया। सत्र में 150 से अधिक ईएससी सदस्य कंपनियों ने भाग लिया।
- ♦ **भारत-एलएसी आईसीटी व्यापार गठबंधन बैठक:** 29-30 जून 2021 के दौरान, ईएससी ने भारतीय आईटी कंपनियों और एलएसी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के बीच एक संरचित बी2बी बैठक का आयोजन किया। 28 भारतीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों ने एलएसी के 70 से अधिक खरीदारों के साथ कारोबारी बैठकें कीं।
- ♦ 9 जुलाई 2021 को ईएससी ने आईसीटी निर्यातकों के लिए डिजिटल बिजनेस कनेक्ट पर एक सत्र का आयोजन किया।
- ♦ 26 जुलाई 2021 को, ईएससी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी कंपनियों के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया।
- ♦ 27 जुलाई 2021 को, ईएससी ने भारतीय और बांग्लादेश की आईसीटी कंपनियों के बीच बी2बी बैठक का आयोजन किया। 35 भारतीय आईसीटी कंपनियों ने बांग्लादेश की 48 कंपनियों से भेंट की।
- ♦ **भारत-अफ्रीका इलेक्ट्रॉनिक्स बी2बी बैठक:** 29-30 जुलाई 2021 के दौरान, ईएससी ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातकों और अफ्रीकी देशों के खरीदारों के बीच विशेष बी2बी बैठक का आयोजन किया। 27 भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने 21 अफ्रीकी देशों के 100 खरीदारों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। ईएससी ने इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न प्रतिरूप संघों और विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ करार किया है। इस कार्यक्रम की वेबसाइट www.indiaelectronicsexpo.com है।
- ♦ 6 अगस्त 2021 को, ईएससी ने जीएसटी तथा संबंधित अनुपालन पर एक वर्चुअल सत्र का आयोजन किया। मैसर्स अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) इस सत्र के लिए नॉलेज पार्टनर थे।
- ♦ **आईसीटी में भारत-सेनेगल बी2बी :** 11 अगस्त 2021 को, ईएससी ने भारत और सेनेगल की आईसीटी कंपनियों के बीच बी2बी बैठक का आयोजन किया।
- ♦ 24 अगस्त 2021 को, ईएससी पूर्वी क्षेत्र चैप्टर ने मलेशिया को फोकस देश के रूप में रखते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्र में व्यापार की संभावना तलाशने पर एक वर्चुअल सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारत और मलेशिया के 180 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- ♦ ईएससी ने 25 अगस्त 2021 को "गोपनीयता प्रतिमान में सॉफ्टवेयर और सेवाएँ – प्रभाव, विचार और चुनौतियाँ" पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में व्यापक रूप से व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019, सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन निर्मित गोपनीयता, डेटा विषय अनुरोध और अधिकार, गोपनीयता विनियम आदि शामिल थे।
- ♦ 31 अगस्त 2021 को, ईएससी ने आरओडीटीईपी स्कीम को लेकर सदस्यों के और विभिन्न गणनाओं से जुड़े संदेहों को दूर करने के लिए लक्ष्मीकुमारन एण्ड श्रीधरन अटॉर्नी के विशेषज्ञों के साथ एक संवाद सत्र का आयोजन किया।
- ♦ 2 सितंबर 2021 को, ईएससी ने सीमा शुल्क अनुपालन और प्रोत्साहन, जीएसटी ऑडिट और जांच के तहत प्रमुख मुद्दों पर एक वर्चुअल सत्र का आयोजन किया।
- ♦ **भारत में ईएमएस उद्योग:** 2 सितंबर 2021 को ईएससी ने संयुक्त रूप से ईएमएस नाउ के साथ मिलकर ईएमएस नाउ, संयुक्त राज्य अमरीका के साथ एक संवाद सत्र का आयोजन किया।
- ♦ ईएससी के पश्चिम बंगाल के सदस्यों की 16 सितंबर 2021 को आयोजित बैठक में राज्य स्तर के मुद्दों एवं सिफारिशों और किए जाने वाले निर्यात संवर्धन कार्यकलाप के बारे में चर्चा की गई।
- ♦ ईएससी के ओडिशा सदस्यों की 17 सितंबर 2021 को आयोजित बैठक में राज्य स्तर के मुद्दों एवं सिफारिशों और

किए जाने वाले निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करने की गई।

- ♦ **वाणिज्य उत्सव:** 21-22 सितंबर 2021 के दौरान, ईएससी ने एमपीएसआईडीसी के सहयोग से भोपाल के मिंटो हॉल में वाणिज्य उत्सव का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, ईएससी ने दिल्ली में वाणिज्य उत्सव में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातकों की भागीदारी का आयोजन किया। अन्य राज्यों में जहां वाणिज्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा था, वहाँ वक्ताओं की व्यवस्था की।
- ♦ 24 सितंबर 2021 को, ईएससी ने एसएमई के लिए व्यापार वृद्धि में तेजी लाने पर एक सत्र का आयोजन किया जिसमें मार्केटिंग कार्यनीतियों पर ध्यान देने पर चर्चा की गई।
- ♦ **इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत-टोगो बी2बी :** 29 सितंबर 2021 को, ईएससी ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों और टोगो के खरीदारों के बीच बी2बी बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता लोम, टोगो स्थित भारतीय दूतावास में भारतीय राजदूत श्री संजीव टंडन ने की।
- ♦ **म्यूनिख में भारत के सीजीआई के साथ बैठक:** जर्मनी में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ाने के लिए कार्यनीति तैयार करने हेतु म्यूनिख, जर्मनी स्थित सीजीआई के अधिकारियों और ईएससी अधिकारियों एवं सदस्यों के बीच 29 सितंबर 2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में वाणिज्य स्कन्ध के प्रमुख डॉ. सुयश चव्हाण और वाइस कान्सुल श्री वीरेंद्र कुमार ने भाग लिया।
- ♦ **इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के साथ बातचीत:** 30 सितंबर 2021 को, ईएससी ने निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी स्कीमों पर विस्तृत चर्चा करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी कंपनियों को आमंत्रित किया।
- ♦ 13 अक्टूबर 2021 को, ईएससी ने प्रत्यक्ष कर अनुपालन पर मार्गनिर्देशन करने पर एक सत्र का आयोजन किया।
- ♦ **बांग्लादेश के साथ बी2बी बैठक:** 21 अक्टूबर, 2021 को ईएससी ने बांग्लादेश स्थित भारतीय मिशन के साथ मिलकर भारतीय और बांग्लादेशी आईसीटी कंपनियों के बीच बी2बी बैठक का आयोजन किया।
- ♦ **व्यापार ऋण पर सत्र – कंपनी की व्यापार प्राप्तियों की सुरक्षा कैसे करें:** व्यापार ऋण बीमा से संबंधित

विभिन्न बारीकियों के बारे में सदस्यों को जानकारी देने के लिए, परिषद ने 22 अक्टूबर 2021 को व्यापार ऋण पर एक ऑनलाइन सत्र 'व्यापार प्राप्तियों की सुरक्षा कैसे करें' का आयोजन किया।

(ट) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) भारत

ईईपीसी इंडिया इंजीनियरिंग क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में स्थापित परिषद है। यह परिषद निर्यात संवर्धन के लिए भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम 1956 (कंपनी लाभ के लिए नहीं) की धारा 25 के तहत स्थापित एक कंपनी है। ईईपीसी इंडिया विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के तहत पूरे देश में इंजीनियरिंग निर्यात के लिए पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र जारी करने वाली नोडल एजेंसी है। संगठन का मुख्यालय कोलकाता में है और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यातकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में हैं तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बंगलुरु, हैदराबाद (सिकंदराबाद) और जालंधर में हैं। इंजीनियरिंग विनिर्माताओं और निर्यातकों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने और बेहतर पहुंच के लिए, ईईपीसी इंडिया ने टियर II और टियर III शहरों में भी अपने चैप्टर खोले हैं। नवंबर 2021 में जम्मू-कश्मीर में ईईपीसी इंडिया के एक नए चैप्टर के उद्घाटन के साथ, अब देश भर में परिषद के कुल 15 चैप्टर हैं।

सलाहकार निकाय के तौर पर, यह परिषद भारत सरकार की नीतियों में सक्रिय रूप से योगदान देती है और इंजीनियरिंग उद्योग एवं सरकार के बीच संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करती है। 1955 में स्थापित ईईपीसी इंडिया के पास अब लगभग 13,000 का सदस्यता आधार है, जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत एसएमई हैं। ईईपीसी इंडिया भारत से माल-प्राप्ति की सुविधा प्रदान करती है और एसएमई को अपना स्तर अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों के अनुरूप करने के लिए प्रेरित करती है। यह एसएमई को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ अपना व्यवसाय एकीकृत करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इंजीनियरिंग द फ्यूचर को आदर्श वाक्य के रूप में देखते हुए, ईईपीसी इंडिया भारत को एक प्रमुख इंजीनियरिंग निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अपने प्रयासों के रूप में भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुदाय

के लिए संदर्भ बिंदु की भूमिका निभाती है।

(i) इंजीनियरिंग निर्यात परिदृश्य

इंजीनियरिंग निर्यात भारत के कुल पण्यवस्तु निर्यात का एक चौथाई से अधिक और सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत है। 2011-12 से 2020-21 की अवधि में इंजीनियरिंग निर्यात ने 2.41 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) हासिल की। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड -19 महामारी के कारण विश्व भर में व्यापार सहित सभी आर्थिक कारकों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। लॉकडाउन और आर्थिक कार्यकलाप के बंद होने से आपूर्ति श्रृंखलाओं और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं पर भारी प्रभाव पड़ा। इंजीनियरिंग निर्यात में 2.95 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जो 2019-20 के 75.34 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर से गिरकर 2020-21 में 73.11 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया।

फिर भी, वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार से संभव हुए विकास के अवसर का लाभ उठाने और वापस पटरी पर आने के प्रयास के चलते, वाणिज्य विभाग ने हितधारकों के परामर्श से, चालू वर्ष 2021-22 में भारतीय निर्यात के लिए लक्ष्य (400 बिलियन अमरीकी डॉलर का) निर्धारित किया है। इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदस्य निर्यातकों के साथ वर्चुअल बैठकें/संवाद आयोजित किए जाते हैं, जहां इंजीनियरिंग क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के अवसरों और सामने आ रही चुनौतियों पर और साथ ही वर्चुअल व्यापार कार्यक्रमों के आयोजन/प्रचार के संबंध में, कारोबारी माहौल की समझ आदि के बारे में चर्चा की जाती है।

अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान, भारत का इंजीनियरिंग निर्यात 71.8 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा जबकि अप्रैल-नवंबर 2020 में यह 45.88 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा था, इस प्रकार इसमें 56.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान कुल पण्यवस्तु निर्यात में इंजीनियरिंग निर्यात का हिस्सा 27.31 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह 26.34 प्रतिशत था। संचयी रूप से, अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान, 33 में से 31 पैनेल ने वर्षानुवर्ष सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की।

क्षेत्रवार देखें तो, अप्रैल-नवंबर 2021 की अवधि के दौरान, यूरोपीय संघ और उत्तरी अमरीका क्रमशः 19 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ इंजीनियरिंग निर्यात के लिए

भारत के शीर्ष गंतव्य बने रहे, जबकि आसियान और उत्तर पूर्व एशिया भारत की कुल इंजीनियरिंग निर्यात के 12 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

(ii) ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग

भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों और सेवाओं की इंजीनियरिंग गुणवत्ता और क्षमताओं से जुड़ी "मेड इन इंडिया" की ब्रांड छवि को बढ़ावा देकर निर्यात में तेजी लाने के लिए, ईईपीसी इंडिया वर्ष 2014 से ब्रांड "इंडिया इंजीनियरिंग" अभियान चला रही है। इस पहल को वाणिज्य विभाग के अधीन एक ट्रस्ट इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के सहयोग से लागू किया गया है। इस पहल के तहत, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित उत्पादों और सेवाओं के स्तरीय भारतीय आपूर्तिकर्ताओं की खोज के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में ई-कैटलॉग का सृजन किया गया है। ईईपीसी इंडिया ने पहले ही आठ क्षेत्रों जैसे पंप और वाल्व, विद्युत मशीनरी, चिकित्सा उपकरण और वस्त्र मशीनरी, मशीन टूल्स, कृषि मशीनरी, निर्माण और अर्थमूविंग मशीनरी और हैंड टूल्स में ई-कैटलॉग लॉन्च कर दिए हैं।

विदेशी बाजारों में 'मेड इन इंडिया' ब्रांड छवि को लोकप्रिय बनाने के लिए, ईईपीसी के प्रचार कार्यक्रम में विभिन्न संगोष्ठियों/सम्मेलनों, क्रेता-विक्रेता बैठकों और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में परिषद की 'मेड इन इंडिया' नामक फिल्म की स्क्रीनिंग करना शामिल है, जिसमें भारत की औद्योगिक छवि पर प्रकाश डाला गया है। इस फिल्म की प्रतियां भारत और विदेश स्थित वाणिज्य मण्डलों और व्यापार परिसंघों में, पहचाने गए प्रमुख देशों में भारतीय मिशनो और भारत में विदेशी मिशनो में वितरित की जाती हैं।

(iii) इंजीनियरिंग निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन की पहल

वाणिज्य विभाग की एक प्रमुख पहल है ईईपीसी इंडिया के साथ भागीदारी करते हुए प्रौद्योगिकी के उन्नयन को संभव बनाना ताकि इंजीनियरिंग निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसा अग्रणी अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और उद्योग के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करके किया जा रहा है जिससे अत्याधुनिक निर्यातोन्मुखी प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा सके। इस प्रयोजनार्थ, विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टरों में प्रौद्योगिकी बैठकें/उद्योग-अकादमिक संवाद आयोजित किए जाते हैं ताकि अनुसंधान एवं विकास सहायता के लिए उत्पादों

और प्रक्रियाओं की पहचान की जा सके। इस पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी स्कीमों के बारे में उद्योग को संवेदनशील बनाना और क्लस्टर आधारित पद्धति से उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार प्रौद्योगिकी विकास की पहलों को लागू करना है। वाणिज्य विभाग इस प्रयास में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और ईईपीसी इंडिया के साथ मिलकर काम कर रहा है।

प्रौद्योगिकी पहल के तहत, ईईपीसी इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान (आईआईडब्ल्यूएम), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के विभिन्न संस्थानों के साथ पहले ही सहयोग शुरू कर दिया है, जहां शीर्ष वैज्ञानिक इंजीनियरिंग विनिर्माताओं को अपनी प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने में मदद करेंगे और उन्हें अपने वैश्विक समकक्षों के बराबर आने में सहायता करेंगे। मौजूदा कोविड-19 महामारी के परिदृश्य में, ईईपीसी इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर ने वर्चुअल सेमिनार/वेबिनार की एक श्रृंखला का आयोजन किया था जिनमें कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया जैसेकि गुणवत्ता प्रमाणन, विशिष्ट वेल्डिंग, माप-विज्ञान और निरीक्षण, कार्बन फुटप्रिंट, 3डी डिजाइन और प्रिंटिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, उद्यमिता और इंजीनियरिंग स्टार्ट-अप, उद्योग की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियां जैसेकि जापानी प्रबंधन और हाउसकीपिंग की औद्योगिक एस तकनीकें, एवं कार्यान्वयन, गुणवत्ता एवं उत्पादकता सुधार तकनीकें। इन वेबिनारों के साथ-साथ, ईईपीसी इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर ने कुछ एमएसएमई इकाइयों के लिए 13 3डी मॉडलिंग परियोजनाएँ भी निर्मित की थीं।

(iv) निर्यात संवर्धन कार्यकलाप

वाणिज्य विभाग ईईपीसी इंडिया के माध्यम से भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की क्षमताओं को प्रदर्शित करने और विदेशी खरीदारों को ब्रांड "इंडिया इंजीनियरिंग" द्वारा यथाप्रचारित उचित मूल्य देने के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन कार्यकलाप करता है।

कोविड-19 महामारी और इसके परिणामस्वरूप यात्रा और विश्व भर में आवाजाही पर लगाए गए अन्य प्रतिबंधों ने वैश्विक व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। भारत का इंजीनियरिंग समुदाय जिसमें निर्यातक भी शामिल हैं, इसी प्रकार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस स्थिति का सामना करने के लिए, ईईपीसी इंडिया

ने निर्यातक समुदाय की मदद करने हेतु वैश्विक खरीदारों के साथ जुड़ने के लिए अनेक वर्चुअल प्रदर्शनियों, क्रेता विक्रेता बैठकों और शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया है। ईईपीसी इंडिया द्वारा आयोजित वर्चुअल प्रदर्शनियों में पंप्स और वाल्व्स एक्सपो 2021 शामिल हैं, जिसमें अफ्रीका, आसियान, एलएसी, यूरोप, सार्क और जीसीसी पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें पंप और वाल्व और उनके पुर्जों; कंप्रेसर; पाइप, ट्यूब और फिटिंग्स जैसे उत्पाद क्षेत्रों को शामिल किया गया है; चिकित्सा उपकरण एक्सपो 2021 में अफ्रीका, आसियान, सीआईएस, एलएसी, उत्तरी अमरीका, सार्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए चिकित्सा उपकरणों; सर्जिकल और प्रयोगशाला उपकरण और हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और आपूर्ति जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर किया गया है; भारत-आसियान इंजीनियरिंग भागीदारी शिखर सम्मेलन 2021 में व्यापार के विभिन्न पहलुओं के बारे में उद्योग को संवेदनशील बनाना, जिसमें व्यापार के उभरते क्षेत्र, नीतिगत विनियम और सभी आसियान देशों में निवेश के अवसर शामिल हैं; इंडिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपो 2021 में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण उपकरण तथा संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया गया; बिल्डर हार्डवेयर 2021 जहां उत्तरी अमरीका, यूरोपीय संघ, मध्य-पूर्व और पश्चिम एशिया (एमईडब्ल्यूए), उत्तर-पूर्व एशिया, आसियान, अफ्रीका, दक्षिण एशिया, सीआईएस और लैटिन अमेरिका पर ध्यान देते हुए क्लैडिंग और ग्लेज़िंग; खिड़कियाँ, दरवाजे और क्लैडिंग रेलिंग; बिल्डर्स हार्डवेयर और सहायक उपकरण; निर्माण उपकरण और उपस्कर; पाइप, जल आपूर्ति उपकरण; प्रकाश और विद्युत प्रणाली; पूर्व निर्मित भवन और मॉड्यूलर निर्माण; फर्नीचर, स्मार्ट बिल्डिंग और कार्य सुरक्षा उपकरण जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर किया गया।

(v) ईईपीसी इंडिया डिजिटल इंटरफेस

ईईपीसी इंडिया अत्याधुनिक डिजिटल इंटरफेस रखता है जिसमें वेब उपस्थिति एवं मोबाइल ऐप भी शामिल हैं और यह सेवाओं के वितरण में सुधार लाने के लिए अधिकांश कार्यकलाप को पहले ही डिजिटाइज कर चुका है। ईईपीसी इंडिया की कुछ उल्लेखनीय डिजिटल पहलों में पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी), उद्गम प्रमाणपत्र (तरजीही और गैर-तरजीही दोनों), सदस्य निर्यात विवरणी, ई-स्टोर और डिजिटल कैटलॉग को ऑनलाइन जारी करना, डीजीएफटी और ई-संचित के साथ एकीकरण करना आदि शामिल है।

(vi) वेबिनार

ईईपीसी इंडिया ने कोविड-19 महामारी के दौरान सदस्यों को व्यवसाय की गति बनाए रखने के लिए सुविधा देने के अपने प्रयास में, वर्ष 2020 से ई-सत्र/ वेबिनार का आयोजन शुरू किया। ईईपीसी ने अब तक लगभग 215 वेबिनार आयोजित किए हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमरीका, यूएई, जर्मनी, वियतनाम, फ्रांस, ओमान, दक्षिण कोरिया, रूस, पेरू, सेनेगल, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, थाईलैंड, ग्वाटेमाला, होंडुरास, अल सल्वाडोर, कुवैत, दक्षिण अफ्रीका, उजबेकिस्तान, ब्राजील, कनाडा, मैक्सिको, कतर, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया, तंजानिया, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, इथियोपिया, यूरोपीय संघ, वियतनाम और कैमरून में 33 से अधिक भारतीय मिशन जुड़ चुके हैं।

(ठ) सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी)

एसईपीसी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित निर्यात संवर्धन परिषद है जिसका कार्य भारत से सेवाओं के निर्यात को सुगम बनाना है। एसईपीसी सेवा उद्योग और सरकार के बीच संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करती है और भारत सरकार की नीतियों के निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान देती है।

यह परिषद भारत और विदेश दोनों में बड़ी संख्या में संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जैसे कि क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम), व्यापार मेले/प्रदर्शनियां और चयनित प्रदर्शनियों में भारत मंडप/सूचना बूथ ताकि भारतीय सेवा उद्योग की क्षमताओं को प्रदर्शित किया जा सके। एसईपीसी सदस्य भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस) तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अन्य स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।

(i) एसईपीसी की भूमिका और कार्य

एसईपीसी सेवा क्षेत्र उद्योग और सरकारी नीति निर्माताओं के बीच संवाद के एक मंच के रूप में कार्य करती है। विशेष रूप से, यह निम्नलिखित कार्य करती है:

- ◆ सेवा निर्यात संवर्धन के लिए निर्यात संवर्धन कार्यनीति का कार्यान्वयन
- ◆ विदेशी सेवा पूछताछ सुविधा प्रदान करना
- ◆ संवाद और प्रचार को चैनलाइज करना

(ii) एसईपीसी को निम्नलिखित सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देने का अधिदेश प्राप्त है

- ◆ नर्सों, फिजियोथेरेपिस्ट और पैरामेडिकल कर्मियों द्वारा सेवाओं सहित स्वास्थ्य सेवाएं
- ◆ शैक्षणिक सेवाएँ
- ◆ ऑडियो-विजुअल सेवाओं सहित मनोरंजन सेवाएँ
- ◆ परामर्शदात्री सेवाएँ
- ◆ वास्तुकला सेवाएँ और संबंधित सेवाएँ
- ◆ वितरण सेवाएँ
- ◆ अकाउंटिंग/ऑडिटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज
- ◆ पर्यावरण सेवाएँ
- ◆ समुद्रीपरिवहन सेवाएँ
- ◆ विज्ञापन सेवाएँ
- ◆ विपणन अनुसंधान और जनमत मतदान सेवाएं/प्रबंधन सेवाएँ
- ◆ मुर्गि और प्रकाशन सेवाएँ
- ◆ कानूनी सेवाएँ
- ◆ होटल और पर्यटन संबंधी सेवाएँ
- ◆ अन्य

(iii) वर्ष 2021-2022 के दौरान एसईपीसी द्वारा किए गए प्रमुख संवर्धन कार्यक्रम/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

- ◆ एसईपीसी ने 9 जून 2021 को "भारत एक वैश्विक शिक्षा केंद्र" पर एक वेबिनार का आयोजन किया जिसमें 165 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने विदेशी छात्रों के लिए एक प्रमुख शिक्षा केंद्र बनने की भारत की क्षमता; चुनौतियां और अवसर, भारत से शैक्षिक सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका, सीमा पार ऑनलाइन शिक्षा में विनियामक बाधाओं आदि पर विचार-विमर्श किया।
- ◆ एसईपीसी ने द पॉलिटी टाइम्स और अन्य के सहयोग से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 4-5 जून 2021 को दो दिवसीय वर्चुअल "वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी सम्मिट

2021" का आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन में 80 देशों के 1200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- ◆ एसईपीसी ने भारत-अमरीकी वाणिज्य मण्डल, उत्तर भारत परिषद के सहयोग से 31 जुलाई 2021 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म से दूसरा भारत-अमरीकी सेवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें आईटी, यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा और मीडिया और मनोरंजन सहित सेवा उद्योग के घटकों के लिए ज़रूरी नीतिगत समर्थन, इस क्षेत्र के समक्ष चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा की गई।
- ◆ एसईपीसी ने 7 जुलाई 2021 को "भारत से विज्ञापन सेवाओं के निर्यात के उभरते अवसर, प्रवृत्ति, और संभावनाएं" पर एक सूचनाप्रद वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार का समापन विपणन और विज्ञापन क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने की जानकारी देने के साथ हुआ ताकि भारत में विज्ञापन निर्यात की क्षमता का दोहन किया जा सके।
- ◆ एसईपीसी ने 13 जुलाई 2021 को "सेवा क्षेत्र में कराधान के मुद्दे" पर एक वेबिनार का आयोजन किया। यह वेबिनार शिक्षाप्रद और सूचनाप्रद था जहां वैश्विक बाजार में सेवा क्षेत्रों में कराधान के मुद्दों की प्रवृत्ति और समीक्षा, पर्यटन सेवा के निर्यातकों द्वारा सामना किए जा रहे कराधान के मुद्दों, सेवा क्षेत्रों के सामने खड़ी चुनौतियों और अन्य बाजारों की तुलना में कराधान के मुद्दों को दूर करने की कार्यनीति और एफटीपी 2021-26 से कराधान सुधार और उम्मीदों पर प्रमुख सुझाव साझा किए गए।
- ◆ एसईपीसी ने 11 सितंबर 2021 को एक नई पहल 'एसईपीसी मास्टर क्लास श्रृंखला' शुरू की। मास्टर क्लास श्रृंखला का उद्देश्य सेवा निर्यातकों को उनके निर्यात व्यवसाय को समुत्थानशील और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कौशल और प्रशिक्षण देना है। मास्टर क्लास श्रृंखला में मौजूदा, आगामी और इच्छुक सेवा निर्यातकों के लिए कार्यशालाएं, प्रशिक्षण सत्र और केंद्रित संवाद शामिल होगा। यह भविष्य में मासिक आधार पर हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा।
- ◆ **आजादी का अमृत महोत्सव – वाणिज्य सप्ताह:** एसईपीसी ने 21 और 22 सितंबर 2021 को कर्नाटक और उत्तराखंड में 2 दिवसीय कार्यक्रम – वाणिज्य उत्सव का

आयोजन किया। इस आयोजन में भारत से उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा दिया गया।

- ◆ **वैश्विक सेवा सम्मेलन (ग्लोबल सर्विसेज कॉन्क्लेव):** एसईपीसी ने 9 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में प्रथम ग्लोबल सर्विसेज कॉन्क्लेव, "इंडिया सर्व्स: एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल ग्रोथ सैक्टर बियॉन्ड आईटी/आईटीईएस" आयोजित किया। इसमें सरकार, सेवा उद्योग, निर्यातक समुदाय के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने 2030 तक भारत द्वारा 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के सेवा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की।

(ड) भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी)

भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) तिलहन, तेल और तेल की खली के विकास और निर्यात संवर्धन से संबंधित है। इसका गठन 23 जून 1956 को किया गया था। आईओपीईपीसी, जिसे पहले आईओपीईए के नाम से जाना जाता था, छह दशकों से अधिक समय से निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, यह परिषद भारत में तिलहन की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों, विक्रेताओं, प्रसंस्करण कार्ताओं, सर्वेक्षकों और निर्यातकों को प्रोत्साहित करके घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में भी काम करती है।

आईओपीईए का गठन एक प्रतिनिधि निकाय के माध्यम से सामूहिक और ठोस तरीके से तिलहन, वनस्पति तेल और तेल की खली जैसी वस्तुओं में भारत के निर्यात व्यापार के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का वस्तुतः पहला संगठित प्रयास था।

(i) यूरोपीय संघ को तिल के निर्यात की प्रक्रिया का कार्यान्वयन

वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ने तिल विकास और संवर्धन कार्य परिषद को सौंप दिया है। आईओपीईपीसी वैश्विक बाजारों में गुणवत्तापूर्ण तिलहन और तेल के सतत आपूर्तिकर्ता के रूप में भारतीय छवि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत से आयातित तिल की गुणवत्ता के संबंध में यूरोपीय संघ के सरोकारों के समाधान के रूप में, आईओपीईपीसी को तिल

निर्यात के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

तदनुसार, आईओपीईपीसी उन गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों को मान्यता प्रदान करता है जो यूरोपीय संघ को तिल निर्यात करने में लगे हुए हैं। परिषद ने यूरोपीय संघ को तिल के निर्यात के लिए निर्यात प्रमाणपत्र और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी जारी किया।

(ii) किसानों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना

परिषद भारतीय किसानों के बीच अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी करती है और हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट (एचएसीसीपी) तथा अच्छी विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) को अपनाने के लिए प्रसंस्करण इकाइयों के लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करती है। परिषद ने जीएमपी के विभिन्न पहलुओं पर एक शिक्षाप्रद फिल्म बनाई है जिसका उद्देश्य आयातक देशों के गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करने वाली मूंगफली का निर्यात करना है। परिषद ने जीएपी पर एक फिल्म भी बनाई है ताकि मूंगफली की उपज और गुणवत्ता में सुधार हो सके।

(iii) खेत के स्तर पर एफ्लाटॉक्सिन और कीटनाशकों से जुड़े मुद्दों का समाधान

आयातक देश हमेशा अन्य देशों द्वारा आपूर्ति किए जा रहे कृषि उत्पादों में एफ्लाटॉक्सिन (मूंगफली के मामले में), कीटनाशक के अवशेषों और अन्य रासायनिक एवं सूक्ष्मजीवविज्ञानी संदूषण के बारे में चिंतित रहते हैं। किसानों के बीच एफ्लाटॉक्सिन को नियंत्रित करने और सुरक्षित एवं अनुमेय कीटनाशक इस्तेमाल करने हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए, परिषद विभिन्न कार्यकलाप (जैसे कार्यशालाएं, पैमफलेट का वितरण) करती है ताकि समस्या को खेत स्तर पर ही कम किया जा सके।

(iv) आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना

भारत के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं ताकि आपूर्ति-श्रृंखला को मजबूत किया जा सके और व्यापार एवं उद्योग से जुड़े हितधारकों जैसे तिलहन एवं तेल क्षेत्र के निर्यातकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, व्यापारियों, दलालों और सेवा प्रदाताओं के बीच गुणवत्ता के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

(v) परिषद के कुछ प्रमुख कार्यों की रूपरेखा निम्नलिखित है:

(क) मेले और प्रदर्शनियाँ

- ♦ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, जिनमें से अधिकांश को वाणिज्य मंत्रालय, भारत की बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के तहत अनुमोदित किया जाता है।
- ♦ विभिन्न बाजारों में निर्यात क्षमता के बारे में आगंतुकों को शिक्षित करने के लिए घरेलू मेलों में भागीदारी।
- ♦ भारत में और विदेशी बाजारों में विशिष्ट क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम) आयोजित करके संभावित खरीदारों के साथ संपर्क स्थापित करना।
- ♦ विदेशी बाजार के अवसरों का पता लगाने के लिए विदेशों में अपने सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के दौरों का आयोजन।

(ख) सरकार और अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क करना

- ♦ अतीत में एक संघ के रूप में और निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) के रूप में, आईओपीईपीसी भारतीय तिलहन (मूंगफली सहित) निर्यातकों, विदेशी खरीदारों, भारत सरकार, भारत में तिलहन और खाद्य तेलों के लिए अनुसंधान एवं विकास करने वाली एजेंसियों, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और कई अन्य आधिकारिक निकायों एवं वैश्विक प्राधिकरणों के लिए साझा मंच के रूप में कार्य करती है।
- ♦ यह परिषद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यातकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों, व्यापार निकायों और संघों के साथ नियमित रूप से संवाद करती है। परिषद भारत से सुचारु निर्यात सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्राधिकरणों जैसेकि सीमा शुल्क, बैंक, डीजीएफटी, कृषि मंत्रालय और पादप एवं संगरोध प्राधिकरणों के समक्ष भी मुद्दों को उठाती है।

(ग) वैश्विक बाजारों में हितों की रक्षा

- ♦ गंतव्य बाजारों में व्यावसायिक हितों की रक्षा व्यापार विरुद्ध उपायों जैसेकि पाटन रोधी शुल्क, रक्षोपाय शुल्क का विरोध करके किया जाता है और भारतीय निर्यात को प्रभावित करने वाली टैरिफ-भिन्न बाधाओं को दूर करने

की दिशा में काम किया जाता है।

- ◆ विश्व व्यापार संगठन, यूएनसीटीएडी जैसे बहुपक्षीय स्तर पर परामर्श के दौरान, यह परिषद भारत के तिलहन और व्युत्पादों के हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को जानकारी देती है।
- ◆ निर्यातकों के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए परिषद नियमित रूप से विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावासों, व्यापार निकायों और संघों के साथ संवाद करती है।

(घ) व्यापार बैठकें, सर्वेक्षण और अध्ययन आयोजित करना

- ◆ आपूर्ति-मांग की स्थिति का पहले से आकलन करने के लिए फसल सर्वेक्षण करना ताकि प्रभावी निर्यात कार्यनीति तैयार की जा सके।
- ◆ बाजार सर्वेक्षण करना और विभिन्न क्लस्टर अध्ययनों, अनुसंधान रिपोर्टों और पत्रिकाओं के माध्यम से बाजार आसूचना प्रदान करना।
- ◆ तिलहन और तेल क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान को सहायता देना और प्रोत्साहित करना।

(ङ) प्रभावी विवाद निपटान तंत्र की व्यवस्था करना

परिषद बहुत कम लागत पर त्वरित न्याय करने के लिए संस्थागत मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करती है, जिससे एक उत्कृष्ट विवाद निवारण/निपटान तंत्र उपलब्ध होता है।

(च) प्रशिक्षण और उत्पादकता

- ◆ इस क्षेत्र में लगे पेशेवर लोगों के तकनीकी कौशल को उन्नत करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए, परिषद भारत भर में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है।
- ◆ कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना और गुणवत्ता का उन्नयन करना।
- ◆ सदस्यों को प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, मानक और विनिर्दिष्टियों, प्रमाणन जैसे एचएसीसीपी के क्षेत्रों में पेशेवर सलाह और सेवाएं देना।

(छ) सूचना प्रसार

- ◆ तिलहन और तेल क्षेत्र से संबंधित सरकारी अधिसूचना/सार्वजनिक नोटिस/आदेश, सांख्यिकी, वैश्विक कार्यक्रम, सरकारी योजनाएं, व्यापार पूछताछ और अन्य महत्वपूर्ण लेखों का ईमेल के साथ-साथ मासिक समाचार बुलेटिन के माध्यम से प्रसार करना।
- ◆ परिषद एक वार्षिक स्मारिका भी जारी करती है जिसमें सदस्यों की व्यापार संबंधी संक्षिप्त जानकारी और संपर्क विवरण होता है।

(vi) परिषद द्वारा निर्यात संवर्धन उपायों के तहत 2021-22 के दौरान किए गए कार्यकलाप

भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए कि तिलहन निर्यात विकास के पथ पर बना रहे।

परिषद द्वारा किए गए प्रमुख व्यापार संवर्धन और संबंधित कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

(क) ऑनलाइन वैश्विक तिलहन सम्मेलन (आईजीओसी) 2020

वर्ष के दौरान, परिषद ने 15-16 अक्टूबर 2020 के दौरान अपना पहला ऑनलाइन वैश्विक तिलहन सम्मेलन (आईजीओसी) आयोजित किया। परिषद को इस आयोजन के लिए उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली और भारत एवं विदेशों से लगभग 200 प्रतिभागियों ने इस बैठक में भाग लिया। विभिन्न देशों के तिलहन व्यापार और उद्योग के विशेषज्ञों ने मूंगफली और तिल के बाजार, उत्पादन, मांग और आपूर्ति तथा मूल्य पूर्वानुमान का समग्र चित्र प्रस्तुत किया। आईओपीईपीसी के अधिकारियों ने भी वैश्विक और भारतीय मूंगफली, तिल और अन्य तिलहनों पर बहुत जानकारीपूर्ण विचार प्रस्तुत किए।

(ख) भारत के विदेश व्यापार में तिलहन और तेल से संबंधित प्रवृत्ति

- ◆ तिलहन निर्यात क्षेत्र (परिषद की परिधि में आने वाले तिलहन) का आकार 2020-21 के दौरान लगभग 9444.81 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष यह 9502.15 करोड़ रुपये रहा था।

- ♦ निर्यात की दृष्टि से, मूंगफली और तिल भारत के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण तिलहन हैं। जहां 2020–21 के दौरान तिलहन के कुल निर्यात में मात्रा की दृष्टि से मूंगफली का हिस्सा 59.43 प्रतिशत था, वहीं कुल तिलहन निर्यात में तिल की हिस्सेदारी 25.42 प्रतिशत थी।
- ♦ वित्तीय वर्ष अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान, भारत से मूंगफली का निर्यात पिछले वर्ष के 6,64,443 टन की तुलना में 3.89 प्रतिशत घटकर 6,38,583 टन रह गया। हालांकि, मूल्य के संदर्भ में मूंगफली का निर्यात वित्तीय वर्ष 2019–20 के 5,096.39 करोड़ रुपये की तुलना में 5.6 प्रतिशत बढ़कर 5,381.61 करोड़ रुपये हो गया।
- ♦ वित्तीय वर्ष 2020–2021 के दौरान, भारत से तिल का निर्यात पिछले वर्ष के 2,82,257 टन से मामूली सा लगभग 3 प्रतिशत घटकर 2,73,126 टन के स्तर पर आ गया। मूल्य के संदर्भ में तिल का निर्यात वित्तीय वर्ष 2019–2020 के 3,723.31 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत घटकर 3,159.22 करोड़ रुपये रहा।
- ♦ कई अफ्रीकी देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश सबसे बड़े आयातक चीन को निर्यात करने पर भारत की तुलना में 8 प्रतिशत आयात शुल्क का लाभ उठाते हैं।

(ग) वनस्पति तेलों का निर्यात

वनस्पति तेलों के निर्यात में अरंडी के तेल का वर्चस्व था और 10,40,843.13 टन की निर्यात मात्रा दर्ज की गई, जिसका मूल्य वर्ष 2020–21 के दौरान 11,151.72 करोड़ रुपये था जबकि पिछले वर्ष के दौरान 6,82,325.60 टन का निर्यात हुआ था जिसका मूल्य 7,383.32 करोड़ रुपये था।

(ढ) वस्त्र

वस्त्र निर्यात के क्षेत्र में पहल/उपलब्धियां

- ♦ वाणिज्य विभाग, अपनी बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के तहत, वस्त्र और परिधान निर्यात के संवर्धन में लगी विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और व्यापार निकायों को व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठक आदि का आयोजन करने एवं उनमें भागीदारी करने के लिए वित्तीय सहायता देता आ रहा है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के समय में, वैश्विक बाजारों में अवसरों का दोहन करने के लिए, वस्त्र ईपीसी द्वारा

विपणन के वैकल्पिक मोड के तौर पर वर्चुअल प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है।

- ♦ परिधान/वस्त्र और तैयार-निर्मित के निर्यात पर राज्य एवं केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट को मौजूदा दरों पर 31 मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। परिधान/वस्त्रों और तैयार-निर्मित के लिए आरओएससीटीएल को जारी रखने से सभी अंतर्निहित करों/लेवी में छूट देकर इन उत्पादों के विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की उम्मीद है, जिन्हें वर्तमान में किसी अन्य तंत्र के तहत छूट नहीं दी जा रही है। यह भारतीय वस्त्र निर्यातकों को समान अवसर प्रदान करेगा।
- ♦ निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट स्कीम (आरओडीटीईपी) को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर करों/शुल्कों/लेवी की प्रतिपूर्ति के लिए एक ऐसा तंत्र बनाया जाएगा, जिनकी धन-वापसी वर्तमान में किसी भी अन्य तंत्र के तहत नहीं की जा रही है। इस स्कीम से वैश्विक बाजारों में भारत के वस्त्र निर्यात और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- ♦ केंद्रीय बजट 2021–22 में वृहत एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (मित्र) पार्क स्कीम की घोषणा की गई है ताकि वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके, यह बड़े निवेश को आकर्षित कर सके और रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सके। इस स्कीम के तहत तीन वर्षों में विश्वस्तरीय अवसंरचना और प्लग एंड प्ले सुविधाओं वाले 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे ताकि वस्त्र निर्यात में भारत की विश्व विजेता समर्थ बनाया जा सके।
- ♦ देश में उच्च मूल्य वाले एमएमएफ फैब्रिक, परिधान और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्र खंडों के लिए उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को मंजूरी दी गई है। यह स्कीम एमएमएफ परिधान और तकनीकी वस्त्रों में विश्व विजेता बनाने में मदद करेगी और इन क्षेत्रों में वैश्विक व्यापार में पर्याप्त हिस्सेदारी हासिल करने की दिशा में काम करेगी।

(ण) फार्मास्यूटिकल्स निर्यात संवर्धन परिषद (फार्मेक्ससिल)

भारतीय औषधि निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना 2004 में

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारतीय औषधीय उद्योग की अनूठी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्यात संवर्धन के लिए की गई थी।

परिषद का मुख्यालय हैदराबाद में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई एवं नई दिल्ली में हैं तथा शाखा कार्यालय अहमदाबाद, चेन्नई और बंगलुरु में हैं। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार परिषद की सदस्य संख्या लगभग 3881 थी। सरकार के साथ एक संपर्क-कड़ी के रूप में कार्य करने के अलावा, परिषद अपने सदस्यों को पेटेंट संबंधी मुद्दों, विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यापार से संबंधित मदद जैसे क्षेत्रों में पेशेवर सलाह भी देती है।

फार्मेक्सिल पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। फार्मेक्सिल के कार्यक्षेत्र में आने वाले उत्पाद और सेवाएं हैं-एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई); तैयार खुराक प्रपत्र (एफडीएफ); हर्बल/आयुर्वेद; यूनानी; सिद्ध; होम्योपैथी; जीवविज्ञान; नैदानिकी; शल्य चिकित्सा; न्यूट्रास्यूटिकल्स; सहयोगात्मक अनुसंधान; अनुबंध विनिर्माण; नैदानिक परीक्षण और परामर्श; विनियामक सेवाएं। फार्मेक्सिल के भीतर एक अलग सेल की स्थापना की गई है जो विशेष रूप से भारतीय औषधि पद्धति को बढ़ावा देता है।

परिषद विभिन्न देशों में महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेती है तथा भारत में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों का भी आयोजन करती है। पेटेंट पर अद्यतन जानकारी देने के लिए सदस्यों की सहायता, हैदराबाद में पेटेंट सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है।

(i) निर्यात निष्पादन

वर्ष 2020-21 के दौरान, भारतीय फार्मा निर्यात में 18.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 24.46 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया, जो देश की जेनेरिक दवाओं की ज़बर्दस्त मांग से प्रेरित हुआ है। वर्ष 2020 में वैश्विक फार्मा बाजार में 1-2 प्रतिशत की गिरावट आने के बावजूद इस उद्योग ने मूल्य के संदर्भ में पिछले वर्ष अपना सर्वश्रेष्ठ निर्यात निष्पादन दर्ज किया। दवा निर्माण और जैविक निर्माण भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी वस्तु रही। 2020-21 में भारत के शीर्ष पाँच फार्मा निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमरीका, दक्षिण अफ्रीका, यूके, नाइजीरिया और रूस थे। संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा

और मेक्सिको में किए गए निर्यात में क्रमशः 12.6 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 21.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

एलएसी, अफ्रीका और एशिया के दोहन न किए गए लेकिन संभावित बाजारों में भारतीय विनिर्माताओं के लिए विशाल बाजार के अवसर उभर रहे हैं। इसके अलावा, भारत के कौशल, लागत और वितरण लाभों के चलते, अनुबंध अनुसंधान और विनिर्माण सेवाओं (सीआरएएमएस), नैदानिक अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव-सूचना विज्ञान आदि मुहैया कराने के एक आउटसोर्सिंग गंतव्य के रूप में भारत के लिए मजबूत विकास संभावनाएं हैं। वाणिज्य विभाग निर्यात वृद्धि के अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए जीन थेरेपी, बायोसिमिलर और विशिष्ट दवाओं जैसे नए उत्पादों के संवर्धन के लिए सीडीएससीओ के साथ काम कर रहा है।

(ii) फार्मेक्सिल के सहयोग से किए गए प्रमुख कार्यकलाप

♦ **ब्रांड इंडिया फार्मा परियोजना:** अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय फार्मा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012 से ब्रांड इंडिया फार्मा परियोजना शुरू की गई है और इस क्षेत्र की क्षमता को उजागर करने तथा गुणवत्ता और वहनीयता के कारण भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में पेश करने के लिए "मेड इन इंडिया" लोगो पर जोर दिया जा रहा है। फार्मेक्सिल ने फार्मास्यूटिकल्स में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोरिया, चीन, फिलीपींस, यूक्रेन आदि जैसे विभिन्न देशों के अनुसंधान संघों और परिषदों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किए। लक्षित देशों के विनियामक प्राधिकरणों के बीच परस्पर मान्यता समझौतों पर भी प्राथमिकता आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीकी क्षेत्रों जैसे व्यापार भागीदारों द्वारा भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता दिया जाना भी एक प्राथमिकता है। निरंतर प्रयासों के बाद, भारतीय फार्माकोपिया को अफगानिस्तान और घाना ने स्वीकार कर लिया है।

♦ एपीआई के आयात पर निर्भरता कम करना: भारत घरेलू क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने और फॉर्मूलेशन के विनिर्माण के लिए एपीआई/महत्वपूर्ण आरंभण सामग्री (केएसएम)/ड्रग इंटरमीडिएट्स (डीआई) के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। आत्म-निर्भरता

पहल के तहत, देश की दवा सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान करने के लिए, फार्मेक्सिल ने वाणिज्य विभाग की वित्तीय सहायता से, औषध विभाग के लाभार्थ एपीआई/केएसएम/इंटरमीडिएट पर भारत की आयात निर्भरता को कम करने के तरीकों पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद, सरकार ने देश भर में तीन बल्क ड्रग पार्क और चार मेडिकल डिवाइस पार्क के विकास के लिए स्कीम शुरू की हैं और इन पार्कों में थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माताओं के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) की शुरुआत की है। महत्वपूर्ण आरंभण सामग्री (केएसएम)/दवा इंटरमीडिएट्स (डीआई) और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) और उच्च मूल्य वाले उत्पादों जैसे बायो-फार्मास्युटिकल्स, जटिल जेनेरिक दवाओं, पेटेंट दवाओं या पेटेंट-समाप्ति के करीब दवाओं के लिए पीएलआई स्कीम शुरू की गई हैं।

- ◆ फार्मा निर्यात के लिए प्रमाणीकरण प्रणाली: यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत से नकली/घटिया दवाओं का निर्यात न हो, भारत से फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन के निर्यात के लिए ट्रेक एंड ट्रेस की प्रणाली 10.01.2011 से चरणों में शुरू की गई है। यह उद्योग पैकेजिंग के द्वितीयक और तृतीयक स्तरों पर और प्राथमिक स्तर पर भी स्वैच्छिक आधार पर बारकोडिंग की प्रणाली को अपना सका है। फार्मेक्सिल ने प्रौद्योगिकी-तटस्थ और प्रयोक्ता-अनुकूल वेब पोर्टल 'आईवीडीए' (दवा निर्यात और उसके प्रमाणीकरण का एकीकृत सत्यापन) भी विकसित किया गया है और यह भारत से निर्यात की जाने वाली दवाओं के प्रमाणीकरण के लिए आरंभ किया गया है। आईवीडीए पोर्टल का बीटा संस्करण 24 जून 2020 को आरंभ किया गया है।
- ◆ उद्योग को सहायता: वाणिज्य विभाग विदेश में उत्पाद पंजीकरण के लिए दो करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक की प्रतिपूर्ति की अपनी स्कीम के माध्यम से फार्मा उद्योग की सहायता करता है ताकि इस उद्योग को नए और संभावित बाजारों में अधिक उत्पादों को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वाणिज्य विभाग ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न बाधाओं और व्यवधानों पर काबू पाने और विशेष रूप से लाजिस्टिक एवं आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधानों के समाधान के लिए संबंधित मंत्रालयों के

साथ मुद्दों को उठाने में इस उद्योग के लिए एक सहायक की भूमिका निभाई। वाणिज्य विभाग वैश्विक विनियामक एजेंसियों और व्यापार मंत्रालयों, भारतीय मिशन के साथ भी बातचीत कर रहा है ताकि विदेशी बाजारों तक पहुंचने में भारतीय उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे विनियामक और बाजार पहुंच के मुद्दों का समाधान किया जा सके। कोविड की स्थिति के कारण यूएसएफडीए और ईएमए जैसे वैश्विक विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निरीक्षण और जीएमपी प्रमाणपत्र जारी करने में हुई देरी पर दृढ़तापूर्वक कार्रवाई की गई ताकि निरीक्षण में तेजी लाई जाए और निर्यात आसानी से किए जा सकें। फार्मेक्सिल ने वैश्विक विनियामक मानकों और विनियमों का पालन करने के लिए भारतीय उद्योग के मार्गदर्शन हेतु उन देशों की बाजार और विनियामक रिपोर्टें प्रकाशित की जो हमारे शीर्ष 30 निर्यात गंतव्य हैं। वाणिज्य विभाग भी कम पैठ किए हुए/संभावित अंतरराष्ट्रीय बाजारों जैसे जापान, कोरिया, चीन, अफ्रीका और इंडोनेशिया आदि में अपनी छाप छोड़ने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

- ◆ बढ़े हुए वैक्सीन उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने अपने स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों नेशनल सेंटर फॉर सैल साइंस (एनसीसीएस), पुणे और राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, (एनआईएबी) हैदराबाद में टीकों के परीक्षण और प्री-रिलीज़ प्रमाणन में तेजी लाने के लिए दो अतिरिक्त सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं। यह अबाध और त्वरित अनुमोदन की सुविधा प्रदान करेगा। आयुष के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, आयुष मंत्रालय के तहत एक आयुष निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना को भी जून 2021 में मंजूरी दी गई है।

- ◆ ग्लोबल आउटरीच और बी2बी एंगेजमेंट: वाणिज्य विभाग के सहयोग से फार्मेक्सिल द्वारा आयोजित कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

- 11 सितंबर 2020 को यूएनओपीएस द्वारा मेक्सिको मेडिसिन प्रोक्योरमेंट टेंडरिंग पर वेबिनार।
- 20 अक्टूबर 2020 को भारत-ब्राजील फार्मा बिजनेस कॉन्फ्रेंस।
- 15 से 19 फरवरी 2021 तक नाइजीरिया, तंजानिया, इथियोपिया, सूडान के साथ फार्मास्युटिकल

सहयोग और विनियामक विकास पर वर्चुअल वेबिनार।

- 23 से 27 फरवरी 2021 तक वर्चुअल इंडो-लैटम कनेक्ट और फार्मा बीएसएम।
- 12 से 19 मार्च 2021 तक चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव वर्चुअल सम्मेलन एवं एक्सपो।
- 15 से 22 मार्च 2021 तक भारत-आसियान फार्मा मीट।
- 22 से 26 मार्च 2021 तक सीआईएस क्षेत्र के साथ वर्चुअल बीएसएम जिसमें फोकस देश रूस, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान रहे।
- 7 मई 2021 को पीएमडीए, जापान के साथ भारतीय फार्मा उद्योग की वर्चुअल बैठक।
- फार्मेक्सिल ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, साउथ कैरोलिना, संयुक्त राज्य अमरीका के सहयोग से 10 जून 2021 को साउथ कैरोलिना में लाइफ साइंसेज क्लस्टर के लिए मौजूद अवसर प्रदर्शित करने के लिए निवेशकों की एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया।
- 22 जून 2021 को साइनो-इंडिया फार्मास्युटिकल एक्सचेंज।
- 24 जून 2021 को "व्यापार विनियमों" पर भारत न्यूजीलैंड व्यापार परिषद शिखर सम्मेलन पैनल चर्चा।
- 16 से 18 अगस्त 2021 तक आयोजित ब्रिक्स व्यापार मेला 2021 (वर्चुअल) में फार्मेक्सिल की भागीदारी।
- 3 से 5 अक्टूबर 2021 तक काहिरा, मिस्र में फार्माकोनेक्स भागीदारी और भारत मंडप।

2. अन्य संगठन

(क) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईओ)

भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईओ) की स्थापना 1965 में निर्यात संवर्धन संगठनों के शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 21) के तहत पंजीकृत है, जिसका मुख्यालय

नई दिल्ली में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हैं तथा जयपुर, कानपुर, लुधियाना, अमृतसर, अहमदाबाद, इंदौर, हैदराबाद, कोच्चि, बेंगलूर, कोयंबटूर, भुवनेश्वर, रांची और गुवाहाटी में चैप्टर हैं। एफआईओ ISO 9001:2015 प्रमाणित है।

एफआईओ की प्रत्यक्ष सदस्यता 34,000 से अधिक है। परिसंघ की पहचान विदेश व्यापार नीति 2015-20 के परिशिष्ट 2न के तहत एक निर्यात संवर्धन परिषद के रूप में की गई है। इसे प्रतिष्ठित निर्यातक फर्मों और बहु-उत्पादों से जुड़े अन्य निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। यह निर्यातकों को पंजीकरण-सह-सदस्यता-प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) जारी करता है। यह उद्गम प्रमाणपत्र (गैर-तरजीही) भी जारी करता है जो कई देशों में माल के उद्गम के प्रमाण के रूप में आवश्यक होता है।

एफआईओ भारतीय निर्यातकों और केंद्र एवं राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों, बंदरगाहों, रेलवे, भूतल परिवहन और निर्यात व्यापार सुविधा में लगी अन्य एजेंसियों के बीच एक संपर्क-कड़ी का काम करता है। परिसंघ व्यापार के विभिन्न मामलों पर सरकार को जानकारी देता है। यह कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ओपन हाउस बैठकों आदि का आयोजन करता है। यह निर्यातकों की समस्याओं को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष रखकर उनके निवारण में मदद करता है और नीतिगत मामलों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार आदि पर निर्यातकों का मार्गदर्शन भी करता है।

एफआईओ विभिन्न वैश्विक बाजारों के लिए भारतीय निर्यातकों को तैयार करने हेतु कई देश विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करता है। यह व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान करता है, प्रदर्शनियां आयोजित करता है, विभिन्न देशों के व्यापार-क्षेत्र से आए सदस्यों के साथ बी-2-बी बैठकें आयोजित करता है। एफआईओ कोविड-19 के समय में निर्यातकों को कुछ नया करने और आगे बढ़ने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने में सहायता कर रहा है। यह सभी हितधारकों के साथ नए जोश के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि व्यापार में पुनरुद्धार हो सके और निर्यात वापस पटरी पर आ सके। एफआईओ एंटरप्राइज यूरोप नेटवर्क में भारतीय भागीदार है और अंतरराष्ट्रीयकरण में एमएसएमई की सहायता करता है। निर्यातक विदेश व्यापार से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बुधवार को अपराह्न 3.00 बजे से

एफआईआईओ के डीजी और सीईओ, डॉ अजय सहाय के साथ डिजिटल रूप से बात कर सकते हैं।

एफआईआईओ निर्यातक समुदाय को अधिकांश सेवाएं अपनी वेबसाइट (www.fieo.org) और मोबाइल ऐप (निर्यात मित्र) के माध्यम से ऑनलाइन मोड में प्रदान करता है। भारतीय व्यापार पोर्टल (www.indiantradeportal.in) का रखरखाव परिसंघ द्वारा किया जाता है। यह पोर्टल भारत की निर्यात/आयात नीतियों और 87 देशों के निर्यात प्रोत्साहन जैसे शुल्क वापसी, परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए), ब्याज समकरण योजना, माल और सेवा कर (जीएसटी), सर्वाधिक अनुग्रह प्राप्त राष्ट्र (एमएफएन)/अधिमान्य टैरिफ, उद्गम के नियम, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय (एसपीएस)/ व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) आदि के संबंध में टैरिफ लाइनों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। एफआईआईओ मासिक ई-बुलेटिन – एसपीएस फोकस और टीबीटी फोकस, जो एसपीएस और टीबीटी उपायों पर वैश्विक घटनाक्रम को कवर करता है, को प्रकाशित करता है और निर्यातकों को निःशुल्क परिचालित करता है।

परिसंघ निर्यातकों और निर्यात सहायकों की उपलब्धियों को मान्यता देता है और उन्हें क्रमशः “निर्यात श्री” और “निर्यात बंधु” पुरस्कार प्रदान करता है।

एफआईआईओ ने विभिन्न अनुसंधान परियोजनाएं/अध्ययन शुरू किए हैं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट जागरूकता सत्र भी शुरू किए हैं। कंटेनरों की कमी के कारण निर्यातकों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, एफआईआईओ ने “ईज ऑफ लाजिस्टिक्स पोर्टल” (www.easeoflogistics.com) तैयार किया है। एफआईआईओ ने “जिले निर्यात केंद्र के रूप में” पहल के तहत 20 जिलों का अध्ययन भी शुरू करवाया है।

(ख) इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ)

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। आईबीईएफ का मुख्य उद्देश्य विदेशी बाजारों में ब्रांड इंडिया के बारे में अंतरराष्ट्रीय जागरूकता पैदा करना और भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में जानकारी बढ़ाना है। इस प्रयोजनार्थ, आईबीईएफ सरकार और उद्योग के हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है। आईबीईएफ ने वर्ष 2021-22 में

प्रमुख पहलों और क्षेत्रों की सहायता करने के लिए कई ब्रांडिंग कार्यकलाप किए। कुछ प्रमुख पहलों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) भारतीय खिलौनों के लिए प्रचार अभियान

आईबीईएफ ने घरेलू और विदेशी बाजारों में भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खिलौना अभियान शुरू किया। आईबीईएफ ने कार्यशालाओं से लेकर उद्योग साक्षात्कारों तक कई कार्यकलाप आयोजित किए। भारतीय खिलौनों और भारतीय विनिर्माताओं के महत्व को बढ़ाने के लिए एक पूर्ण सोशल मीडिया प्रचार अभियान चलाया गया।

(ii) मेड इन इंडिया अभियान

आईबीईएफ ने डीपीआईआईटी के सहयोग से, मेड इन इंडिया लोगो बनाने के लिए कई कार्यकलाप आयोजित किए हैं और कई परामर्शों में भाग लिया है।

(iii) ब्रांड इंडिया अभियान

आईबीईएफ ने ब्रांड इंडिया अभियान के लिए संकल्पना और कार्यनीति पर काम किया है। संकल्पना नोट तैयार किया गया है और उसे विभिन्न स्तरों पर प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, डलब्लवअ प्लेटफॉर्म पर ब्रांड इंडिया की पहचान के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।

(iv) खाड़ी देशों में ब्रांड इंडिया कृषि अभियान

आईबीईएफ ने एपीडा और कृषि मंत्रालय के सहयोग से खाड़ी देशों में भारतीय उत्पादों का ब्रांड बनाने और बढ़ावा देने के लिए एक अभियान तैयार किया है। इस अभियान का उद्देश्य खाड़ी देशों में भारतीय उत्पाद – फल और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना है। इसका प्रत्याशित परिणाम मध्य पूर्व में भारतीय उपज को लोकप्रिय बनाना, लोगों को इससे जोड़ना और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि उपज के प्रति अधिक आकर्षण पैदा करना है।

(v) 41वें इंडिया कार्पेट एक्सपो की ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार-वर्चुअल संस्करण

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) ने आईबीईएफ के सहयोग से 27 से 31 जनवरी 2021 तक 41वें इंडिया कार्पेट एक्सपो-मेगा वर्चुअल संस्करण का आयोजन किया। आईबीईएफ ने विभिन्न सोशल मीडिया और ऑनलाइन

प्लेटफॉर्म पर इस कार्यक्रम का प्रचार और ब्रांडिंग करके प्रदर्शनी का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

(vi) आईबीईएफ वेबसाइट

आईबीईएफ ने अपनी वेबसाइट www.ibef.org के माध्यम से भारतीय व्यापार और अर्थव्यवस्था के बारे में विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी प्रसारित करके अपने लक्षित दर्शकों को जोड़े रखना जारी रखा। इस वेबसाइट को 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 तक 11 मिलियन पेज-व्यू के साथ 5 मिलियन हिट मिले। आईबीईएफ वेबसाइट का भारत की शीर्ष 2,000 वेबसाइटों में स्थान है।

(vii) वाणिज्य विभाग को ब्रांडिंग समर्थन

आईबीईएफ ने वाणिज्य विभाग को निम्नलिखित कार्यकलाप में सक्रिय रूप से समर्थन दिया है:

- ◆ **लोकल गोज़ ग्लोबल:** मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड कार्यक्रम के लिए 6 अगस्त 2021 को प्रस्तुतीकरण की तैयारी।
- ◆ आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत वाणिज्य उत्सव के लिए ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता।
- ◆ वाणिज्य विभाग के लिए निरंतर आधार पर सोशल मीडिया मार्केटिंग।

3. राज्य/संघ, राज्यक्षेत्र विशिष्ट निर्यात कार्यनीतियां

राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के साथ बेहतर समन्वय करने के

लिए, वाणिज्य विभाग ने अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है ताकि राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ नियमित और प्रभावी समन्वय और सम्प्रेषण हेतु एक तंत्र को संस्थागत रूप दिया जा सके।

नामित नोडल अधिकारी वाणिज्य विभाग से जुड़े राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित सभी मामलों के लिए एकल संपर्क बिंदु हैं। नोडल अधिकारी समय-समय पर अपने आवंटित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का दौरा करते हैं। वे व्यापार संबंधी विभिन्न मामलों पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें 'निर्यात कार्यनीति' का निर्माण/कार्यान्वयन और व्यापार के किसी भी मुद्दे या बाधाओं का समाधान करना शामिल है।

वाणिज्य विभाग देश से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक समर्थकारी वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है और उनके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा वह राज्य की क्षमता के आकलन के आधार पर एक व्यापक निर्यात कार्यनीति तैयार करने में उनकी सहायता करके कर रहा है। राज्यों के साथ मिलकर निर्यात निष्पादन में सुधार लाने के लिए, राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे निर्यात क्षमता वाली वस्तुओं की पहचान करें। राज्य की निर्यात कार्यनीति तैयार करने के लिए विभाग द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। अब तक, 24 राज्यों ने अपनी निर्यात कार्यनीतियां तैयार की हैं। 03 राज्यों (ओडिशा, बिहार और राजस्थान) की निर्यात कार्यनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अध्याय 6

वाणिज्यिक संबंध, व्यापार समझौते
और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन

1. पूर्वी एशिया के साथ व्यापार

आसियान क्षेत्र

(i) परिचय

भारत ने पूर्वी एशियाई देशों के साथ अधिक जुड़ाव की दृष्टि से वर्ष 1991 में अपनी श्रृंखला की ओर देखो नीति की घोषणा की। वर्ष 2014 में, नीति को “पूरब की ओर काम करो नीति” (एक्ट ईस्ट पॉलिसी) में उन्नयन किया गया था जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस पर केंद्रित है। ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ की आर्थिक सहयोग सामग्री को संबोधित करने के लिए आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) देशों के साथ एक सतत संवाद बनाए रखा जाता है जैसे ब्रुनेई, दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिखर सम्मेलन स्तर की संलग्नताएं, मंत्री-स्तरीय बैठकें और आधिकारिक स्तर की चर्चाएं आयोजित की जाती हैं।

(ii) व्यापार ढांचा

(क) आसियान के साथ समझौते

भारत और आसियान ने 13 अगस्त 2009 को भारत और आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) के व्यापक ढांचे के तहत आसियान माल व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) पर हस्ताक्षर किए। समझौता 1 जनवरी 2010 को मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के संबंध में और अन्य आसियान देशों के मामले में वर्ष 2010 और 2011 में अलग-अलग तारीखों पर लागू हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा किया। भारत एआईटीआईजीए की समीक्षा के लिए आसियान देशों के साथ प्रयास कर रहा है। 29 अगस्त 2020 को आयोजित 17वें आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श के दौरान भारत और आसियान के मंत्रियों ने एआईटीआईजीए समीक्षा के दायरे को निर्धारित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा शुरू करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दायरे पर चर्चा चल रही है।

भारत और आसियान के सदस्य देशों ने सेवाओं में व्यापार और निवेश पर समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते 1 जुलाई 2015 से प्रभावी हुए।

(ख) भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)

दिनांक 29 जून 2005 को सिंगापुर के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) पर हस्ताक्षर किया गया जो 1 अगस्त 2005 से लागू हुआ। भारत-सिंगापुर सीईसीए की पहली समीक्षा 1 अक्टूबर 2007 को संपन्न हुई और दूसरी समीक्षा 1 जून 2018 को संपन्न हुई। भारत-सिंगापुर सीईसीए की तीसरी समीक्षा 1 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। समीक्षा का दायरा दोनों पक्षों के बीच अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारत सीईसीए में सेवा कार्यक्रम का विस्तार बाजार पहुंच और लाभों के लिए करना चाहता है।

(ग) भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता

18 फरवरी 2011 को मलेशिया के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) पर हस्ताक्षर किए गए जो 1 जुलाई 2011 से चालू हो गया। सीईसीए के तहत भारत और मलेशिया ने एशियान-भारत व्यापार के तहत उनके द्वारा दी गई प्रतिबद्धताओं के अलावा आसियान माल व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) हेतु प्रतिबद्धताओं की पेशकश की है।

(घ) भारत-थाईलैंड मुक्त व्यापार समझौता

भारत और थाईलैंड ने भारत-थाईलैंड मुक्त व्यापार समझौते की स्थापना के लिए 9 अक्टूबर 2003 को एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस फ्रेमवर्क समझौते के तहत एक अर्ली हार्वेस्ट योजना है जिसमें आपसी हित की 84 मदें शामिल हैं जिसके लिए दोनों पक्षों ने 1 सितंबर 2006 तक 100% कटौती के साथ चरणबद्ध तरीके से टैरिफ रियायतें देने पर सहमति व्यक्त की है।

(iii) सीएलएमवी (कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम) क्षेत्र के लिए परियोजना विकास कोष

सीएलएमवी क्षेत्र में भारतीय निवेश की सुविधा के लिए 500 करोड़ रुपये के कोष के साथ परियोजना विकास कोष (पीडीएफ) बनाया गया है। पीडीएफ को एक्विजिशन बैंक के माध्यम से संचालित किया जाना है। पीडीएफ का उपयोग उन परियोजनाओं की पहचान करने के लिए किया जाएगा जो क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला (आरवीसी) का समर्थन करती हैं और भारतीय कंपनियों को आरवीसी में एकीकृत करने में मदद करती हैं। पहल के तहत चिन्हित की गई परियोजनाओं को सीएलएमवी देशों में विशेष प्रयोजन साधनों (एसपीवी) के माध्यम से शामिल किया जाएगा।

पीडीएफ की निगरानी और प्रशासन एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा की जा रही है। एक्जिम बैंक द्वारा किए गए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार आईएमसी द्वारा मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल/मेडिकल कॉलेज/शैक्षिक संस्थान/फार्मास्युटिकल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए सीएलएमवी क्षेत्र में चार परियोजनाओं को अप्रैल 2017 में मंजूरी दी गई थी। इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है और हाल ही में कंबोडिया और वियतनाम में दो परियोजनाओं के लिए एसपीवी (विशेष प्रयोजन साधन) की स्थापना की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

(iv) हाल के व्यापार संबंधी कार्यकलाप



व्यापार और निवेश पर पहली भारत-इंडोनेशिया कार्यकारी समूह (डबल्यूजीटीआई) बैठक (वर्चुअल)

(च) आसियान-भारत वरिष्ठ आर्थिक अधिकारियों और आर्थिक मंत्रियों की वार्षिक बैठकें

आसियान सचिवालय द्वारा आयोजित 33वीं और 34वीं एसईओएम-भारत परामर्श (आसियान-भारत वरिष्ठ आर्थिक अधिकारियों की बैठक), क्रमशः 15 जून 2021 और 11 अगस्त 2021 को आयोजित की गई थी। इसके बाद 18वीं आईएम-भारत परामर्श (आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक) का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन भी

(ड) व्यापार और निवेश पर पहली भारत-इंडोनेशिया कार्यसमूह (डबल्यूजीटीआई) बैठक

व्यापार और निवेश पर हाल ही में गठित भारत-इंडोनेशिया कार्यसमूह (डबल्यूजीटीआई) की पहली बैठक वस्तुतः 5 अगस्त 2021 को हुई थी। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा की और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की। बैठक में भारतीय पक्ष ने कृषि और पशु उत्पादों के लिए बाजार पहुंचाए इंडोनेशिया द्वारा पाम तेल पर लगाए गए निर्यात शुल्क और लेवी, फार्मा क्षेत्र, ऑटो क्षेत्र और सेवा क्षेत्र आदि से संबंधित मुद्दों को उठाया।

आसियान सचिवालय द्वारा वर्चुअल रूप में 14 सितंबर, 2021 को किया गया था। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व सुश्री अनुप्रिया पटेल, माननीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री और ने किया था। मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया और प्रभाव को कम करने के लिए की जा रही पहलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। मंत्रियों ने एआईटीआईजीए समीक्षा के लिए स्कोपिंग अभ्यास में हुई प्रगति की भी समीक्षा की।



18वीं आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक

(v) आसियान व्यापार

वर्ष 2020-21 के दौरान आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार यूएस\$ 78.91 बिलियन और वर्ष 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान यूएस\$ 68.72 बिलियन था। इस क्षेत्र में भारत के निर्यात और आयात के प्रमुख गंतव्य सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड हैं। निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में खनिज

ईंधन और उसके उत्पाद, लोहा और इस्पात, इंजीनियरिंग उत्पाद, कार्बनिक रसायन और गोजातीय मांस शामिल हैं। आयात की प्रमुख वस्तुओं में पाम तेल, कोयला, खनिज ईंधन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, प्लास्टिक और लेख और कार्बनिक रसायन शामिल हैं।

(क) आसियान क्षेत्र के लिए देश-वार व्यापार के आंकड़े

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	देश	2020.2021			2021.2022 (अप्रैल-नवंबर) (पी)		
		निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
1	ब्रुनेई	62.91	329.25	392.16	26.64	329.32	355.96
2	कंबोडिया	168.86	39.35	208.21	111.12	53.05	164.17
3	इंडोनेशिया	5,026.21	12,470.17	17,496.38	5,121.57	11,233.54	16,355.11
4	लाओ पीडी आरपी	27.34	1.70	29.03	10.36	0.47	10.83
5	मलेशिया	6,057.68	8,373.05	14,430.73	4,483.52	7,726.75	12,210.27
6	म्यांमार	772.56	526.79	1,299.35	523.94	599.49	1,123.43
7	फिलीपींस	1,457.30	572.47	2,029.77	1,403.57	478.29	1,881.86
8	सिंगापुर	8,675.50	13,304.92	21,980.41	7,328.78	11,178.53	18,507.31
9	थाईलैंड	4,237.59	5,682.27	9,919.86	3,485.09	5,817.58	9,302.67
10	वियतनाम	4,999.64	6,120.66	11,120.30	4,437.74	4,372.08	8,809.82

कुल	31,485.59	47,420.63	78,906.22	26,932.34	41,789.10	68,721.44
भारत का योग	2,91,808.48	3,94,435.88	6,86,244.36	2,63,948.31	3,81,457.76	6,45,406.07
शेयर का प्रतिशत	10.79	12.02	11.50	10.20	10.96	10.65

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

(पी): अनंतिम

2. उत्तर पूर्व एशिया के साथ व्यापार

उत्तर पूर्व एशिया

चीनी जनवादी गणराज्य, हांगकांग, कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया), जापान, ताइवान, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया), मंगोलिया और मकाओ सहित उत्तर पूर्व एशिया (एनईए) क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार वर्ष 2020–21 के दौरान यूएस\$ 150 बिलियन पर रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.96% कम है। वर्ष 2020–21 के दौरान एनईए क्षेत्र को निर्यात यूएस+ 42.11 बिलियन का था जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.95% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान क्षेत्र से आयात 5.4% घटकर यूएस+ 108.14 बिलियन हो गया। वर्ष 2020.21 के दौरान एनईए देशों के साथ व्यापार घाटा वर्ष 2019.20 में यूएस डालर 75.69 बिलियन से घटकर यूएस\$ 66.02 बिलियन हो गया है।

(i) एनईए क्षेत्र के साथ कमोडिटी संरचना

एनईए क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार की कमोडिटी संरचना में कई बदलाव हुए हैं, और यह व्यापार नीति अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव और घरेलू मांग के बदलते पैटर्न से प्रेरित है। निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में मोती कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, पेट्रोलियम उत्पाद, लौह अयस्क, लोहा और इस्पात और जैविक रसायन शामिल हैं।

इस क्षेत्र से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक्स, पुर्ण दूरसंचार उपकरण, डेयरी उत्पादों के लिए औद्योगिक मशीनरी, कंप्यूटर हार्डवेयर, सहायक उपकरण, जैविक रसायन शामिल हैं।

(ii) व्यापार समझौते

(क) भारत-कोरिया (सीईपीए)

भारत और कोरिया गणराज्य के बीच एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर 7 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर

किए गए और यह 1 जनवरी 2010 को लागू हुआ। दोनों पक्षों ने वर्ष 2016 में सीईपीए के उन्नयन के लिए बातचीत शुरू की और प्रत्येक देश की घरेलू अनुमोदन प्रक्रियाओं के अधीन वस्तुओं, मूल नियमों और सेवाओं में अर्ली हार्वेस्ट पैकेज (ईएचपी) पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। 2.3 मार्च 2021 को आयोजित अंतिम दौर के साथ अब तक उन्नयन वार्ता के आठ दौर आयोजित किए गए हैं।

(ख) भारत-जापान (सीईपीए)

भारत और जापान के बीच एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर 16 फरवरी 2011 को हस्ताक्षर किए गए, जो 1 अगस्त 2011 को लागू हुआ। सीईपीए के संस्थागत तंत्र के तहत, संयुक्त समिति की छठी बैठक 15 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप में आयोजित की गई थी। भारत-जापान सीईपीए के प्रावधानों के तहत, भारत ने जापान से दोनों पक्षों के पारस्परिक लाभ का पता लगाने के लिए समझौते की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है।

(iii) हाल की व्यापार संबंधी गतिविधियां

(क) चीन

♦ **व्यापार घाटे को पाटना:** चीन के साथ व्यापक व्यापार घाटा वर्षों से चिंता का विषय रहा है। पिछले चार वर्षों में व्यापार घाटा घटती प्रवृत्ति दर्शा रहा है और वर्ष 2020–21 में यूएस+ 44 बिलियन था, जिसमें निर्यात में वृद्धि और आयात में गिरावट दर्ज की गई थी। वर्ष 2020–21 में चीन को हमारा निर्यात बढ़कर यूएस\$ 21.18 बिलियन हो गया, जबकि वर्ष 2019–20 में यह यूएस\$ 16.61 बिलियन था, जबकि आयात वर्ष 2020–21 में यूएस\$ 65.26 बिलियन के मुकाबले मामूली रूप से घटकर यूएस\$ 65.21 बिलियन हो गया है। वर्ष 2019–20 में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 में व्यापार घाटा यूएस\$ 4.6 बिलियन कम हो गया है।

- ◆ बाजार पहुंच से संबंधित मुद्दों को हल करने हेतु चीनी पक्ष के साथ जुड़ने के हमारे मिशन के परामर्श से नियमित प्रयास किए जा रहे हैं। चीन को समुद्री उत्पादों का निर्यात करते समय भारतीय समुद्री उद्यमों द्वारा अपनाए गए कोविड-19 संबंधित निवारक उपायों पर चर्चा करने के लिए एफटी (एनईए) डिवीजन ने दिनांक 10-8-2020, 22-12-2020 और 15-6-2021 को जीएससीसी चीन के साथ तीन बैठकें कीं।
- ◆ फरवरी 2020 के दौरान चीन में कोविड-19 महामारी ने ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया था, जहां हम चीन से आयात पर निर्भर हैं। एफटी-एनईए डिवीजन ने आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों पर निर्यातकों/ईपीसी को संवेदनशील बनाया और विदेशी मिशनों के साथ ईपीसी को उनके संबंधित समकक्षों के साथ संपर्क बनानेए सामग्री/उत्पादों की सोर्सिंग के लिए और उन्हें इन उत्पादों की आपूर्ति के लिए भी सुविधा प्रदान की। हमारे मिशनों द्वारा कई डिजिटल संगोष्ठियों, बैठकों आदि की सुविधा प्रदान की गई है।

(ख) कोरिया

- ◆ भारत और दक्षिण कोरिया की सरकारों ने 9 जुलाई 2018 को भविष्य रणनीतिक समूह पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय पक्ष से हस्ताक्षरकर्ता हैं। भारत-कोरिया भविष्य रणनीतिक समूह की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन का उद्देश्य, भविष्य की प्रौद्योगिकियों का संयुक्त रूप से दोहन करना और व्यावहारिक विज्ञान तथा औद्योगिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। भावी विनिर्माण के फोकस क्षेत्र के तहत दो परियोजनाएं और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, भावी विनिर्माण, भावी उपयोगिता और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों पर फोकस क्षेत्र वाली चार परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं।
- ◆ भारत और कोरिया ने वर्ष 2016 में सीईपीए के उन्नयन के लिए बातचीत शुरू की, ताकि वस्तुओं और उत्पत्ति के नियमों में टैरिफ को सुव्यवस्थित करने की संभावना का पता लगाया जा सके और सेवाओं, व्यापार और निवेश को बढ़ाया जा सके। दोनों देशों के मंत्रियों ने जुलाई 2018 में मुलाकात की और प्रत्येक देश की घरेलू अनुमोदन प्रक्रिया

के अधीन अर्ली हार्वेस्ट पैकेज पर सहमति व्यक्त की। दिनांक 3.4 मार्च 2021 को आयोजित अंतर-सत्रीय दौर की वार्ता के दौरान, आईकेसीईपीए के दायरे में व्यापार घाटे, गैर-टैरिफ बाधाओं (एनटीबी) और बाजार पहुंच से संबंधित मुद्दों को हल करने पर ध्यान दिया गया है।

- ◆ कोरिया ने दक्षिण कोरियाई निरीक्षकों द्वारा आम की पूर्व-मंजूरी को 2020 के आम सीजन से बंद करने और कोरिया आरपी को निर्यात के लिए भारतीय एनपीपीओ को जिम्मेदारी सौंपने की हमारी लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार कर लिया।
- ◆ पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में व्यापार घाटा यूएस\$ 2.7 बिलियन कम हुआ है।

(ग) जापान

- ◆ भारत ने 15 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप में आयोजित संयुक्त समिति की छठी बैठक के दौरान भारत जापान सीईपीए की समीक्षा करने की अपनी इच्छा दोहराई है। हालांकि, जापानी पक्ष की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया की अभी भी अपेक्षित है।
- ◆ जापान ने भारत के राष्ट्रीय पौध संरक्षण संगठन (एनपीपीओ) को जापानी निरीक्षकों द्वारा पूर्व-मंजूरी के बजाय भारतीय आमों के निर्यात निरीक्षण का जिम्मा सौंपा है।
- ◆ जापान ने निर्यात करने से पहले जापानी निरीक्षकों द्वारा ब्लैक टाइगर झींगा के 100% अनिवार्य निरीक्षण को बंद करने की हमारी लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार कर लिया है। जापान पिछले निरीक्षणों के ट्रैक रिकॉर्ड के बाद अब भारतीय संवर्धित ब्लैक टाइगर झींगा को नियमित निगरानी प्रणाली के अधीन करेगा।

(घ) ताइवान

- ◆ भारत और ताइवान व्यापार पर कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजीटी) के संस्थागत तंत्र के तहत बैठकें करते हैं। अब तक 6 डब्ल्यूजीटी बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिसमें से 3 भारत में, 2 ताइवान में और 1 वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई हैं। छठी डब्ल्यूजीटी बैठक वर्चुअल माध्यम से दिनांक 22.10.2021 को आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान, भारत और ताइवान ने जैविक प्रमाणिकरण की पारस्परिक मान्यता पर हस्ताक्षर किए, जिससे

एक दूसरे के जैविक उत्पादों की पारस्परिक मान्यता का मार्ग प्रशस्त हुआ।

- ◆ आईटी/आईटीईएस, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और पर्यटन सहित सेवा क्षेत्र में सहयोग पर एक बैठक वर्चुअल माध्यम से दिनांक 28 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी। दोनों पक्ष आईटी/आईटीईएस और पर्यटन के क्षेत्र में एक वर्ष के लिए भावी मार्ग तैयार करने पर सहमत हुए। दोनों पक्ष पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग को आगे बढ़ाने और पारंपरिक चिकित्सा में सेमिनार और सामान्य सर्वेक्षण (सिनोप्सिस) आयोजित करने पर भी सहमत हुए।

3. दक्षिण एशिया और ईरान के साथ व्यापार

(क) दक्षिण एशिया

वाणिज्य विभाग में एफटी (दक्षिण एशिया) प्रभाग अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के संबंध में व्यापार संबंधी मुद्दों को देखता है।

(i) अफगानिस्तान

अफगानिस्तान और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी समझौते के तहत व्यापार और आर्थिक सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वाणिज्य सचिव के स्तर पर दोनों देशों के बीच व्यापार एवाणिज्य और निवेश कार्यो पर एक संयुक्त कार्य समूह (जेडबल्यूजी) कार्य करता है। जेडबल्यूजी की तीसरी बैठक अक्टूबर 2018 में काबुल में आयोजित की गई थी जिसमें कई द्विपक्षीय व्यापार और कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी। बैठक में चर्चा के परिणामस्वरूप, अफगानिस्तान भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने के लिए सहमत हो गया है, जिससे अफगानिस्तान को भारतीय फार्मास्यूटिकल निर्यात की सुविधा की उम्मीद है।

(ii) बांग्लादेश

भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता बिना किसी प्रिफ़ेरेन्शियल शुल्क के व्यापार और आर्थिक सहयोग के विस्तार का प्रावधान करता है। हालांकि भारत ने शराब और तंबाकू से संबंधित 25 लाइनों को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों पर बांग्लादेश सहित साफ्टा के अल्प विकसित देशों (एलडीसी) के सदस्यों को शून्य शुल्क बाजार पहुंच प्रदान की है।

दोनों देश एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते

(सीईपीए) में प्रवेश करने की संभावनाओं की खोज करके व्यापार संबंधों को मजबूत करने में लगे हुए हैं जिसमें एक संयुक्त अध्ययन के माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं और निवेश को शामिल किया गया है जिसमें भारत के संविधान के माध्यम से व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने और सुविधाजनक बनाने हेतु बांग्लादेश सीईओ फोरम दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाना आदि भी शामिल है।

बांग्लादेश को भारत के निर्यात को ऐसे मुद्दों की पहचान और समाधान करके सुगम बनाया जा रहा है जो इस तरह के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। कनेक्टिविटी और सीमा व्यापार बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी स्थानों से सभी बंदरगाह प्रतिबंधों को हटाने का भी प्रयास किया जा रहा है। बुनियादी ढांचे पर उप-समूह का गठन नियमित बैठकों के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच अवसंरचनात्मक और प्रक्रियात्मक बाधाओं भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए किया गया है। अक्टूबर 2019 से भारत से और भारत में माल की आवाजाही के लिए चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाह के उपयोग पर समझौते के कार्यान्वयन से भी बांग्लादेश के माध्यम से दुनिया के अन्य हिस्सों के साथ उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों के व्यापार संबंधों में वृद्धि होने की उम्मीद है।

भारत और बांग्लादेश ने स्थानीय बाजारों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के विपणन की पारंपरिक प्रणाली स्थापित करके सीमा हाट की स्थापना की है ताकि दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भलाई को बढ़ावा दिया जा सके। चार स्थानों पर मौजूदा सीमा हाटों के अलावा मेघालय में तीन सीमा हाटों के निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका है और उनका उद्घाटन भारत के माननीय प्रधान मंत्री और बांग्लादेश के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 27/03/2020 को किया गया था।

(iii) भूटान

भारत और भूटान के बीच व्यापार, व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर समझौते द्वारा नियंत्रित होता है, जो दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार को निर्धारित करता है। भूटान से किसी भी उत्पाद के आयात या भूटान को निर्यात पर कोई मूल सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा व्यापार भारतीय रुपये और भूटानी मुद्रा (नगुलट्रम्स) में किया जाता है। यह समझौता बंदरगाह विहीन भूटान को तीसरे देशों के साथ अपने

व्यापार को सुविधाजनक बनाने और भारतीय क्षेत्र के माध्यम से भूटान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में माल की आवाजाही के लिए पारगमन सुविधाएं भी प्रदान करता है।

दिनांक 3 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में व्यापार और पारगमन मुद्दों पर भारत और भूटान के बीच एक वाणिज्य सचिव स्तर की द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी। भारत-भूटान समझौते के प्रोटोकॉल में सात अतिरिक्त प्रवेश/निकास बिंदुओं को शामिल करने के लिए एक आदान-दान विलेख (लेटर ऑफ एक्सचेंज) बैठक के दौरान व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

(iv) नेपाल

भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार भारत-नेपाल व्यापार संधि द्वारा शासित होता है, जिसे अंतिम बार 27 अक्टूबर 2016 को सात साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था। संधि के तहत, भारत ने तंबाकू, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन और शराब से संबंधित कुछ उत्पादों को छोड़कर नेपाल से आयातित लगभग सभी उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त बाजार पहुंच प्रदान की है। कुछ टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) नेपाल से चार उत्पादों, अर्थात् वनस्पति वसा, एक्रिलिक यार्न, कॉपर उत्पादों और जिक ऑक्साइड के आयात पर लागू होते हैं। दोनों देश व्यापार संधि की व्यापक समीक्षा करने पर सहमत हुए हैं। भारत नेपाल को जाने वाले तीसरे देश के माल के पारगमन और अपने क्षेत्र के माध्यम से तीसरे देशों को नेपाली सामान के निर्यात की भी अनुमति देता है जो भारत-नेपाल ट्रांजिट संधि द्वारा अभिशासित है। संधि के तहत एक परिभाषित प्रक्रिया के अंतर्गत निर्दिष्ट मार्गों के माध्यम से माल का पारगमन होता है।

द्विपक्षीय व्यापार पारगमन और अनधिकृत व्यापार संबंधी मुद्दों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए एक द्विपक्षीय तंत्र के रूप में एक अंतर-सरकारी समिति (आईजीसी) वाणिज्य सचिव स्तर पर कार्य करती है। आईजीसी के अलावा एक अंतर-सरकारी उप-समिति (आईजीएससी) भी संयुक्त सचिव के स्तर पर कार्य करती है।

दोनों पक्ष भारत-नेपाल सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) के विकास सहित व्यापार बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। रक्सौल और जोगबनी में आईसीपी पहले से ही चालू हैं और व्यापार की

मात्रा सहित विभिन्न कारकों के आधार पर इस तरह के विकास के लिए अन्य स्थानों की पहचान की गई है।

(v) श्रीलंका

भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (आईएसएफटीए) 1 मार्च 2000 से प्रचालन में है। इस समझौते के तहत दोनों देश एक-दूसरे से व्यापार शुल्क को एक निश्चित समय सीमा के भीतर समाप्त करने पर सहमत हुए सिवाय उन वस्तुओं के जो एक दूसरे के नकारात्मक सूची में शामिल हैं। भारत ने लगभग सभी लाइनों के लिए शुल्क मुक्त बाजार पहुंच प्रदान की है, और 429 उत्पादों पर कोई रियायत नहीं दी गई है। श्रीलंका से परिधान, चाय, काली मिर्च, सूखे नारियल और वनस्पति, बेकरी शॉर्टिंग और मार्जरीन के आयात पर भारत द्वारा टैरिफ रेट कोटा निर्धारित किया गया है। आईएसएफटीए के तहत, श्रीलंका ने 1180 उत्पादों को छोड़कर लगभग सभी उत्पादों के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान की है जिस पर आईएसएफटीए के तहत कोई टैरिफ रियायत प्रदान नहीं की गई है।

(vi) पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं है। द्विपक्षीय व्यापार मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) के समझौते के तहत होता है। हाल के दिनों में व्यापार संबंधी मुद्दों पर कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई है। सरकार ने पाकिस्तान से उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले सभी उत्पादों पर 200 प्रतिशत का शुल्क लगाया है।

भारत से पाकिस्तान द्वारा उत्पादों के आयात पर कुछ उत्पादों के निषेध और बंदरगाह प्रतिबंध पहले से ही मौजूद थे। अगस्त 2019 में भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को पाकिस्तान द्वारा पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद भारत से कुछ फार्मास्युटिकल उत्पादों के आयात के लिए पाकिस्तान द्वारा आंशिक छूट प्रदान की गई है।

(vii) मालदीव

भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोनों देशों के बीच एक व्यापार समझौते द्वारा सुगम बनाया गया है। समझौता दूसरे देश में उत्पादों के आयात के लिए कोई प्रेफरेंशियल शुल्क निर्धारित नहीं करता है और यह केवल द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए एक सुविधाजनक तंत्र है। समझौते के प्रावधानों के तहत भारत मालदीव को आवश्यक वस्तुओं

के प्रावधान की सुविधा प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक अधिसूचनाओं को जुलाई 2021 में प्रक्रियागत और जारी किया गया था।

(क) ईरान के साथ व्यापार

भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और ईरान के इस्लामी गणराज्य में उद्योग खान और व्यापार मंत्रालय के बीच एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी)ए द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वाणिज्य सचिव के स्तर पर कार्य कर रहा है। दोनों देशों के बीच जेडब्ल्यूजी की पिछली बैठक में दोनों पक्ष अधिमान्य व्यापार समझौते (पीटीए) के लिए टेक्स्ट-आधारित वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। प्रस्तावित पीटीए के लिए टेक्स्ट आधारित वार्ता प्रगति पर है। पांचवें दौर की बातचीत दिनांक 12.13 फरवरी 2020 के दौरान ईरान में हुई थी।

अंतर्राष्ट्रीय विकास के परिणामस्वरूप भारत-ईरान द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करने वाली उभरती चुनौतियों का समाधान करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

4. अफ्रीका के साथ व्यापार

(क) उप-सहारा अफ्रीका के साथ व्यापार

वर्ष 2020-21 के दौरान उप सहारा अफ्रीका (एसएसए) क्षेत्र के साथ भारत का कुल व्यापार वर्ष 2019-20 में यूएस+ 55.70 बिलियन की तुलना में यूएस+ 46.82 बिलियन था। जबकि वर्ष 2020-21 में एसएसए क्षेत्र में भारत का निर्यात यूएस+ 22.93 बिलियन था, जबकि वर्ष 2019-20 में यूएस+ 23.55 बिलियन था, जबकि वर्ष 2019-20 में यूएस+ 32.15 बिलियन की तुलना में भारत का आयात वर्ष 2020-21 में यूएस+ 23.89 बिलियन का था।

अप्रैल-नवंबर 2021 की अवधि के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में (78.45%) उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एसएसए क्षेत्र में भारत के निर्यात ने अप्रैल-नवंबर 2020 में यूएस+ 13.52 बिलियन से अप्रैल-नवंबर 2021 में यूएस+ 21.17 बिलियन से 56.54% की वृद्धि दर्ज की, जबकि इसी अवधि के दौरान एसएसए क्षेत्र से भारत के आयात में 102.14% की वृद्धि दर्ज की गई (अर्थात् अप्रैल-नवंबर 2020 में यूएस+ 12.51 बिलियन से अप्रैल-नवंबर 2021 में यूएस+ 25.28 बिलियन)।

(i) व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए)

भारत और मॉरीशस ने 22 फरवरी 2021 को व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (सीईसीपीए) पर हस्ताक्षर किए जो 1 अप्रैल 2021 को लागू हुआ।

सीईसीपीए अफ्रीका के किसी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है। समझौता एक सीमित समझौता है जिसमें माल के व्यापार उत्पत्ति के नियम सेवाओं में व्यापार व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं (टीबीटी)ए स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) उपाय विवाद निपटान प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही दूरसंचार वित्तीय सेवाएं सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और अन्य क्षेत्रों में सहयोग शामिल होंगी।

भारत-मॉरीशस सीईसीपीए दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और सुधारने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। भारत और मॉरीशस के बीच सीईसीपीए में भारत के लिए 310 निर्यात वस्तुओं को शामिल किया गया है। सेवाओं में व्यापार के संबंध में भारतीय सेवा प्रदाताओं की 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों के लगभग 115 उप-क्षेत्रों तक पहुंच होगी।

(ii) भारत और दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (एसएससीयू) अधिमान्य व्यापार समझौता (पीटीए)

भारत और एसएससीयू (दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ जिसमें दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना लेसोथो नामीबिया स्वाज़ीलैंड शामिल हैं) के बीच एक अधिमान्य व्यापार समझौते (पीटीए) के लिए बातचीत वर्ष 2002 में शुरू हुई थी और अब तक पांच दौर की बातचीत हो चुकी है। अंतिम दौर अक्टूबर 2010 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बाद में एसएससीयू के भीतर राजनीतिक कारणों से वार्ता ठप्प हो गई थी। 15 जुलाई 2020 को एक वरिष्ठ आधिकारिक बैठक (एसओएम) आयोजित की गई जिसमें भारत और एसएससीयू के बीच पीटीए वार्ता को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया। दोनों पक्षों ने व्यापार और टैरिफ डेटा के आदान-प्रदान और पीटीए वार्ता हेतु संशोधित तौर-तरीकों को प्रस्तुत करने की समय सीमा पर भी सहमति व्यक्त की। तदनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

(iii) कपास तकनीकी सहायता कार्यक्रम (सी-टैप) चरण -II

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा 7 अक्टूबर 2019 को

जिनेवा में मनाए जाने वाले विश्व कपास दिवस के उद्घाटन के हिस्से के रूप में आयोजित पार्टनर्स सम्मेलन के दौरानए भारत सरकार ने सी-टैप के दूसरे चरण के शुभारंभ की घोषणा की। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पांच साल की अवधि में कुल 11 देशों (बेनिनए बुर्किना फासोए चाडए मालीए मलावीए नाइजीरियाए युगांडाए घानाए टोगोए तंजानिया और जाम्बिया) को शामिल करते हुए 5 अतिरिक्त अफ्रीकी देशों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। कपास टैप-द्वितीय का फोकस भाग लेने वाले देशों में कपास उत्पादन बढ़ाने और फसल के बाद और संयंत्र उप-उत्पाद उद्योग में सुधार के साथ-साथ कपास आधारित कपड़ा क्षेत्र की क्षमता का निर्माण करना है।

कोविड-19 के कारण कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियाँ प्रभावित हुई थीं। कार्यक्रम के तहत गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कार्यवाही अभी चल रही है।

(iv) भारत-केन्या जेटीसी का दसवां सत्र

वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव (एफटी-अफ्रीका) की सह-अध्यक्षता में भारत-केन्या जेटीसी के दसवें सत्र हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) 18 अक्टूबर 2021 वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आयोजित की गई थी।

दोनों पक्षों ने मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी को बढ़ाने पर सहमत हुए।

(v) 16वां सीआईआई-एक्सिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव

भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर 16वां सीआईआई-एक्सिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव 13.15 जुलाई 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। विचार-विमर्श में व्यापार और निवेश क्षमता सहित भारत-अफ्रीका सहयोग के कई पहलुओं को शामिल किया गया। साझेदारीए बुनियादी ढांचेए ऊर्जाए कृषि वित्तपोषण आदि के पारंपरिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्सए पर्यटन और आतिथ्यए और आईटी/आईटीईएस जैसे सेवा क्षेत्र पर भी जोर दिया गया। अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (एएफसीएफटीए) के पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। क्योंकि इसमें मानकों में सामंजस्य स्थापित करने और क्षेत्रों के बीच व्यापार तथा निवेश में तेजी लाने की क्षमता है।

कॉन्क्लेव में 18 अफ्रीकी देशों के 32 मंत्रियों ने भाग लिया। भारत और अफ्रीका के अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के अलावा 3 भारतीय मंत्री (वाणिज्य और उद्योग मंत्रीए विदेश मंत्री और विदेश राज्य मंत्री) भी इसमें सम्मिलित हुए। सम्मेलन में 74 देशों के 3000 से अधिक पंजीकृत प्रतिनिधि शामिल थे। जिनमें 47 अफ्रीका सेए और 27 दुनिया के अन्य हिस्सों से थे।

(vi) अफ्रीका डिवीजन में भारतीय मिशनो के साथ बैठक

वाणिज्य विभाग ने हितधारकों के परामर्श से चालू वर्ष 2021-22 में भारतीय निर्यात हेतु (यूएस+ 400 बिलियन) का लक्ष्य निर्धारित किया है।

एसएसए क्षेत्र में प्रत्येक देश के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, अफ्रीका में मिशनो के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठकें आयोजित की गईं, ताकि अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की जा सके, साथ ही भारत और इन देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। मिशनो को भारतीय निर्यातकों और निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के साथ वर्चुअल व्यावसायिक कार्यक्रमों के आयोजन/प्रचारए कारोबारी माहौल की समझ, आवश्यकताओं और उपलब्ध अवसरों के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।

5. पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका (वाना) के साथ व्यापार

वर्ष 2020-21 में भारत और वाना क्षेत्र के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार यूएस+ 119.81 बिलियन था। वर्ष 2020-21 में वाना क्षेत्र में भारत का निर्यात यूएस\$ 38.54 बिलियन था, जबकि वाना क्षेत्र से आयात वर्ष 2020-21 में यूएस+ 81.27 बिलियन था। भारत से वाना क्षेत्र में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद, सोना और अन्य कीमती धातु के आभूषण, बासमती चावल, मोती, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थर आदि शामिल हैं। कच्चा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद, मोती, कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थर, निर्मित उर्वरक आदि वाना क्षेत्र से भारत द्वारा आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं।

(i) भारत-यूई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) वार्ता

भारत-यूई सीईपीए वार्ता 22 सितंबर 2021 को यूई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री महामहिम डॉ थानी बिन अहमद अल

जायौदी के नेतृत्व में यूएई प्रतिनिधिमंडल की 22-24 सितंबर 2021 के दौरान नई दिल्ली की यात्रा के दौरान शुरू की गई थी। भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर अब तक तीन दौर की बातचीत हो चुकी है। भारत-यूएई सीईपीए के टेक्स्ट और रियायतों की अनुसूची को अंतिम रूप देने के लिए अंतिम दौर 6-10 दिसंबर 2021 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। समझौते पर मार्च 2022 तक हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव है। वार्ता के दौरान, दोनों पक्षों ने न केवल भारत-यूएई सीईपीए के महत्व और आर्थिक और निवेश के अवसरों का विस्तार करने की क्षमता को दोहराया, बल्कि सहयोग और समन्वय के एक नए चरण को भी चिह्नित किया। संयुक्त अरब अमीरात वर्तमान में वर्ष 2019/2020 में द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका मूल्य यूएस\$ 59 बिलियन है। इस नए रणनीतिक आर्थिक समझौते से हस्ताक्षरित समझौते के पांच वर्षों के भीतर वस्तुओं के द्विपक्षीय व्यापार को यूएस\$ 100 बिलियन तक बढ़ाने और सेवाओं में व्यापार को यूएस\$ 15 बिलियन तक बढ़ाने की उम्मीद है।

(ii) भारत-इजरायल मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)

भारत और इजरायल एफटीए पर बातचीत कर रहे हैं जो माल के व्यापार और सेवाओं में व्यापार के क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभ उठाना चाहता है। अब तक नौ दौर की बातचीत हो चुकी है। अंतिम दौर इजरायल में 19.20 फरवरी 2018 को आयोजित किया गया था। भारत को फिर से व्यापार शुरू करने की घोषणा इजरायल एफटीए वार्ता 17.18 अक्टूबर 2021 को माननीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की इजरायल यात्रा के दौरान की गई थी। दोनों पक्षों का लक्ष्य एक दूसरे की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जून 2022 तक वार्ता को समाप्त करना है।

(iii) वाना देशों में भारतीय मिशनों के साथ बैठक

भारत और इन देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए वाना क्षेत्र में भारतीय मिशनों के वाणिज्यिक विंग के साथ डिजिटल विडियो कांफ्रेंस (डीवीसी) नियमित रूप से आयोजित किए गए थे। वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित यूएस+ 400 बिलियन के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने को सुगम बनाने के उपायों पर भी चर्चा हुई।

6. लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के साथ संबंध

(i) लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के साथ संबंध

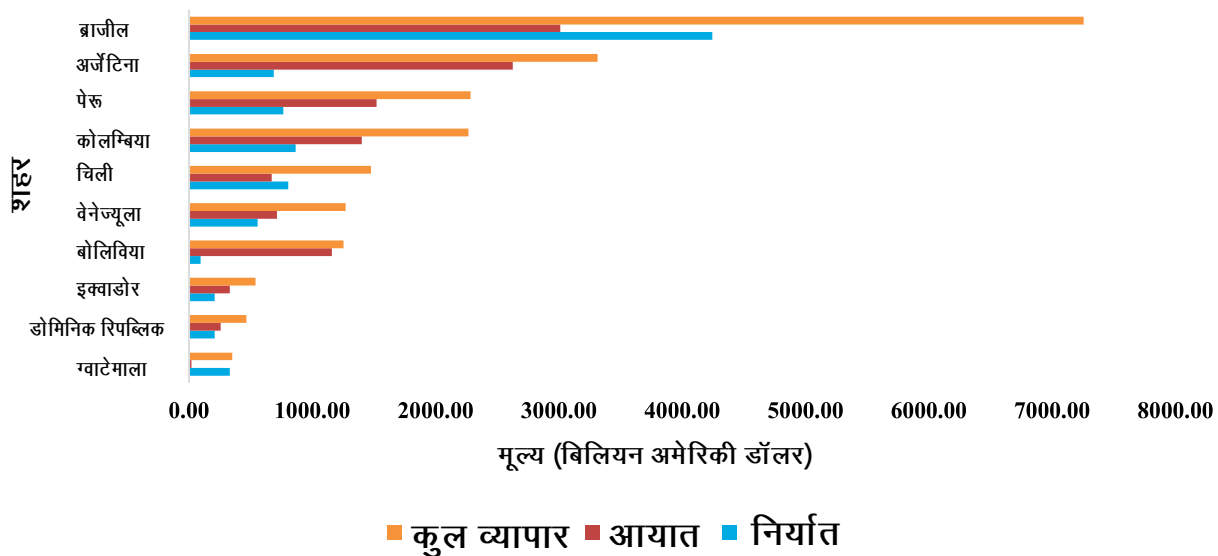
लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र व्यापार और व्यापार में महत्वपूर्ण पूरकताओं तथा सहक्रियाओं के साथ भारत के लिए संभावित विकास बाजार के रूप में उभरा है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन (एलएसी) क्षेत्र में 43 देश शामिल हैं। भारत लैटिन अमेरिका के शीर्ष दस वैश्विक निर्यात गंतव्यों में से एक है। इस क्षेत्र के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार वर्ष 2000-01 में यूएस+ 1.49 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2020-21 में यूएस\$ 22.58 बिलियन हो गया। एलएसी क्षेत्र में भारत के वैश्विक व्यापार का 3.30% हिस्सा है।

वर्ष 2020-21 के दौरान एलएसी क्षेत्र में भारत का निर्यात यूएस+ 10,103.87 मिलियन और आयात यूएस\$ 12475.91 मिलियन रहा। एलएसी को भारत के निर्यात में 0.45% की वृद्धि हुई है, जबकि एलएसी से आयात में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान (-) 26.93% की कमी आई है। एलएसी के साथ भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2020-21 के दौरान घटकर यूएस+ (-) 2372.04 मिलियन हो गया, जो वर्ष 2019-20 के दौरान यूएस+ (-) 7015.94 मिलियन था।

ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, चिली, वेनेजुएला, बोलीविया, इक्वाडोर, डोमिनिक गणराज्य और ग्वाटेमाला शीर्ष दस व्यापारिक भागीदार हैं। एलएसी क्षेत्र में भारतीय माल के सबसे बड़े आयातक ब्राजील (42.01%), कोलंबिया (8.56%), चिली (7.97%), पेरू (7.57%), अर्जेंटीना (6.81%), वेनेजुएला (5.51%), ग्वाटेमाला (3.28%), डोमिनिक गणराज्य (2.07%), इक्वाडोर (2.06%) और होंडुरास (1.62%) हैं।

एलएसी देशों से भारत का आयात कुछ अर्थव्यवस्थाओं के हाथों में अत्यधिक केंद्रित है। एलएसी क्षेत्र में भारत के शीर्ष आयात भागीदार ब्राजील (24.15%), अर्जेंटीना (21.06%), पेरू (12.19%), कोलंबिया (11.24%), बोलीविया (9.29%), वेनेजुएला (5.72%), चिली (5.38%), इक्वाडोर (2.67%), डोमिनिक गणराज्य (2.06%) और त्रिनिदाद (1.52%), एलएसी से भारत के कुल आयात का 95.29% बनाते हैं। नीचे दिया गया ग्राफ एलएसी क्षेत्र में शीर्ष 10 व्यापार साझेदारों पर प्रकाश डालता है।

एलएसी में प्रमुख 10 व्यापारिक साझेदार



स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

एलएसी क्षेत्र में भारत का निर्यात विविध है और इसमें तैयार उत्पादों का वर्चस्व है जैसे कृषि रसायनय दवा निर्माणय पेट्रोलियम उत्पादय मोटर वाहन और कारेंय दो और तीन पहिया वाहनय मानव निर्मित कपड़े, यार्न, कपड़े और बने-बनाए परिधानय जैविक रसायनय थोक दवाएं और दवा सहायक घटकय ऑटो घटकय और सूती धागे आदि। एलएसी क्षेत्र से भारत को आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं हमारे उद्योगों के लिए इनपुट और कच्चे माल हैं और इसमें सोनाए पेट्रोलियम कच्चा तेलए वनस्पति तेलए चीनी और थोक खनिज और अयस्क शामिल हैं।

(ii) एलएसी क्षेत्र के साथ जुड़ाव

एलएसी क्षेत्र के देशों के साथ भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न तंत्रों जैसे संयुक्त आर्थिक व्यापार समितियोंए व्यापार निगरानी तंत्र, व्यापार विकास सहयोग की संयुक्त समिति और अधिमान्य व्यापार समझौतों के माध्यम से भागीदार देशों को शामिल करने हेतु लगातार प्रयास किए जाते हैं।

(iii) संस्थागत तंत्र

(क) भारत-कोस्टा रिका संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति (जेटको): भारत और कोस्टा रिका के बीच आर्थिक सहयोग पर वर्ष 2013 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के ढांचे के भीतर, व्यापार को बढ़ावा देने के

उद्देश्य से जून 2021 में, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, पारस्परिक लाभ के आधार पर भारत-कोस्टा रिका संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति (जेटीसीओ) हेतु प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) भारत-ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र (टीएमएम):

टीएमएम की स्थापना अक्टूबर 2008 में आयोजित तीसरे आईबीएसए बिजनेस समिट के दौरान भारत और ब्राजील के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के परिणामस्वरूप हुई थी। इसका उद्देश्य बाधाओं की पहचान करना और द्विपक्षीय व्यापार के लिए परिचालन/टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए उचित उपाय करना है। टीएमएम की अब तक पांच बैठकें हो चुकी हैं पिछली बैठक दिनांक 24.01. 2020 को आयोजित की गई थी।

(ग) भारतीय-अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी):

भारत और अर्जेंटीना के बीच वर्ष 1981 में हस्ताक्षरित व्यापार समझौते के अनुच्छेद XI में संयुक्त व्यापार समिति के निर्माण का उल्लेख किया गया है। जेटीसी की अब तक तीन बैठक हो चुकी है, तीसरी बैठक दिनांक 20-10-2020 को आयोजित हुई।

(घ) भारत-इक्वाडोर संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (जेटको):

भारत और इक्वाडोर के बीच आर्थिक सहयोग पर वर्ष 2013 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

(एमओयू) के ढांचे के भीतर, पारस्परिक लाभ के आधार पर व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में जेटको की स्थापना की गई है। जेटको की पहली बैठक दिनांक 17-05-2017 को आयोजित की गई थी।

(ड) भारत कोलम्बिया व्यवसाय विकास सहयोग संयुक्त समिति (जेसीबीडीसी): भारत और कोलंबिया ने वर्ष 2010 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके माध्यम से व्यापार विकास सहयोग संयुक्त समिति (जेसीबीडीसी) का गठन किया गया। जेसीबीडीसी की अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं, पिछली बैठक दिनांक 19-05-2017 को आयोजित की गई थी।

(iv) जारी पहल

(क) भारतीय दूतावास के साथ वर्चुअल बैठक एलएसी क्षेत्र में भारतीय दूतावास के साथ वर्चुअल बैठक फरवरी— मार्च 2021 में आयोजित की गई थी, ताकि द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने, भारतीय निर्यातकों के लिए नए रास्ते खोलने, व्यापार कार्यक्षेत्र के विस्तार, व्यापार में हाल के परिवर्तनों का उपयोग करने के लिए रणनीति तैयार की जा सके और एलएसी देशों में नए व्यापार गतिशीलता समझौतों/मौजूदा व्यापार समझौतों के विस्तार की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। वर्ष 2021-22 के दौरान यूएस+ 15180.1 मिलियन के निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एलएसी देशों में प्रचलित मुद्दों का जायजा लेने हेतु दिनांक 27-08-2021 को भारतीय दूतावास के साथ भारतीय राजदूतों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। अप्रैल-अक्टूबर 2021 की अवधि के लिए, भारत ने यूएस+ 8600.15 मिलियन (56.65%) का निर्यात लक्ष्य हासिल किया है।

(ख) भारत-मर्कोसुर पीटीए और इसका विस्तार: भारत ने 25 जनवरी 2004 को मर्कोसुर (अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे) के चार मूल सदस्यों के साथ एक अधिमान्य व्यापार समझौते (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए, जो 1 जून 2009 से लागू हुआ। भारत-मर्कोसुर दोनों पीटीए का विस्तार करने के लिए सहमत हुए हैं, चूंकि दोनों पक्षों के

लिए समानताओं का पता लगाने और बढ़े हुए द्विपक्षीय व्यापार से लाभ की पर्याप्त गुंजाइश मौजूद है। विस्तार प्रक्रिया को फिर से तेज करने के लिए हाल ही में दिनांक 08.09.2021 को एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने समझौते के दायरे, महत्वाकांक्षाओं के स्तर, क्षेत्रों और संदर्भ की शर्तों पर चर्चा करने हेतु फिर से मिलने का प्रस्ताव रखा जो आगे की बातचीत की नींव रख सकते हैं।

(ग) भारत-चिली पीटीए और इसका दूसरा विस्तार: भारत-चिली पीटीए पर 8 मार्च 2006 को हस्ताक्षर किए गए थे, और इसे दिनांक 16-5-2017 से पहली बार विस्तारित किया गया है। दोनों पक्ष भारत-चिली पीटीए के दूसरे विस्तार के लिए सहमत हो गए हैं। पीटीए पर आगे विस्तार और गहनता हेतु बातचीत वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। दूसरे और तीसरे दौर की बातचीत क्रमशः 8-9 अप्रैल 2021, और 6-7 अक्टूबर 2021 के दौरान वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी।

(घ) भारत-पेरू व्यापार समझौता: भारत, पेरू के साथ एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है, जिसमें माल, सेवाओं और निवेश में व्यापार शामिल है। अब तक, पांच दौर की बातचीत हो चुकी है, और अंतिम दौर दिनांक 20-22 अगस्त 2019 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पेरू के मुख्य वार्ताकार के साथ एक वर्चुअल बैठक 19 जुलाई 2021 को आयोजित की गई थी, ताकि भारत-पेरू व्यापार वार्ता वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जा सके।

7. स्वतंत्र राष्ट्र राष्ट्रमंडल (सीआईएस) के साथ व्यापार

स्वतंत्र राष्ट्र राष्ट्रमंडल (सीआईएस) में रूस फेडरेशन, आर्मेनिया गणराज्य, अज़रबैजान गणराज्य, बेलारूस गणराज्य, जॉर्जिया, मोल्दोवा, यूक्रेन गणराज्य, कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिस्तान गणराज्य, ताजिकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान गणराज्य और उज़्बेकिस्तान गणराज्य शामिल हैं। इन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार के संबंध में डेटा नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

सीआईएस के साथ व्यापार

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	व्यापार की कुल वृद्धि	व्यापार जमा
2017-2018	3,007.37	12,875.6	15,883	31.08	(-)9,868.24
2018-2019	3,467.04	9,442.97	12,910	(-)18.72	(-)5,975.93
2019-2020	4,191.84	11,916.5	16,108.4	24.77	(-)7,724.67
2020-2021	4,059.2	9,153.11	13,212.3	(-)17.979	(-)5,093.91
अप्रैल-नवंबर 2021	3,122.46	8,282.71	11,405.17	-	(-)5,160.25

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान भारत के कुल निर्यात में सीआईएस क्षेत्र की हिस्सेदारी 1.17 प्रतिशत और कुल आयात में 2.17 प्रतिशत थी।

सीआईएस क्षेत्र में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में फार्मास्युटिकल उत्पाद, विद्युत मशीनरी और उपकरण, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, जैविक रसायन, कॉफी, चाय और मसाले, लोहा और इस्पात, रेलवे या ट्रामवे रोलिंग स्टॉक के अलावा अन्य वाहन, मछली व कड़े खोलवाला जलजीव और अनाज शामिल हैं। सीआईएस क्षेत्र से भारत में आयात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं खनिज ईंधन और तेल, पशु या वनस्पति वसा और तेल, उर्वरक, प्राकृतिक या सुसंस्कृत मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर, जहाज, नाव और तैरती संरचनाएं, अकार्बनिक रसायन, कागज और पेपरबोर्ड, प्लास्टिक, नमक, सल्फर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण हैं।

(i) रूसी संघ (रशियन फ़ेडरेशन)

अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान सीआईएस क्षेत्र के साथ भारत के कुल व्यापार का लगभग 72.2% हिस्से के साथ रूसी संघ इस क्षेत्र में भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। विदेश मंत्रालय अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) हेतु भारत और रूसी संघ के बीच नोडल मंत्रालय है। भारत और रूसी संघ के पास व्यापार और आर्थिक सहयोग पर एक संयुक्त कार्य समूह है, साथ ही व्यापार, अर्थव्यवस्था और निवेश क्षेत्रों में बाधाओं के उन्मूलन पर एक उप-कार्य समूह है, जिसका नेतृत्व वाणिज्य विभाग करता है।

(ii) मध्य एशियाई गणराज्य

कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और

उजबेकिस्तान मध्य एशियाई गणराज्य का गठन करते हैं। वाणिज्य विभाग (डीओसी) क्रमशः किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) और संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) के लिए नोडल विभाग है। विदेश मंत्रालय तुर्कमेनिस्तान के साथ आईजीसी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है, और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय कजाकिस्तान के साथ आईजीसी के कार्यों को देखता है।

(iii) अन्य सीआईएस देश

अर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, मोल्दोवा और यूक्रेन इस समूह का निर्माण करते हैं। रूस के बाद यूक्रेन सीआईएस क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान सीआईएस क्षेत्र के साथ भारत के कुल व्यापार का लगभग 16.98% हिस्सा है।

वाणिज्य विभाग अज़रबैजान के साथ अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) के लिए नोडल विभाग है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) बेलारूस के साथ अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) के लिए नोडल विभाग है। विदेश मंत्रालय अर्मेनिया, जॉर्जिया और यूक्रेन के साथ अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। मोल्दोवा के साथ एक नए आईजीसी के गठन के लिए एक प्रस्ताव शुरू किया गया है।

(iv) सीआईएस क्षेत्र की प्रमुख पहल

(क) यूरेशियन आर्थिक संघ (ईईईयू) के साथ व्यापार समझौते के लिए वार्ता की शुरुआत: ईईईयू में पांच देश शामिल हैं; रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस,

आर्मेनिया और किर्गिस्तान। भारत और ईईईयू के बीच माल में व्यापार समझौते के लिए अगले दौर की बातचीत के दृष्टिकोण और एजेंडे पर चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों के मुख्य वार्ताकारों के बीच 13 अक्टूबर 2020 को एक बैठक हुई। वर्तमान में एफटीए का कार्यक्षेत्र, नियमावली और निबंधन व शर्तें वाणिज्य विभाग में तैयार/समीक्षा की जा रही हैं।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी): आईएनएसटीसीसमन्वय परिषद की 7वीं बैठक 4-5 मार्च 2019 को तेहरान में आयोजित की गई, जिसमें सीमा शुल्क, शिपिंग, सड़क परिवहन, बैंकिंग और बीमा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सभी सदस्यों के बीच टीआईआर और ई-टीआईआर प्रणाली का उपयोग करने, कॉरिडोर के साथ एक नया परीक्षण करने और कार्गो की परेशानी मुक्त आवाजाही प्रदान करने के लिए एक मल्टी मॉडल संयुक्त कॉर्पोरेट स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने का निर्णय लिया गया।

चाबहार पोर्ट को आईएनएसटीसी परियोजना में शामिल करने और इस मुद्दे को अजरबैजान में होने वाली अगली आईएनएसटीसी बैठक के एजेंडे में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि कॉनकॉर के सहयोग से जितनी जल्दी हो सके आईएनएसटीसी मार्ग पर वाणिज्यिक संचालन शुरू किया जाए, जिसने जेएससी आरजेडडी लॉजिस्टिक्स, रूसी संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है।

(ग) जॉर्जिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की शुरुआत: भारत और जॉर्जिया के बीच एफटीए की व्यवहार्यता पर संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट को दोनों पक्षों ने 11 जनवरी 2019 को स्वीकार कर लिया है। आगे की प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की समीक्षा की जा रही है।

(घ) उज्बेकिस्तान के साथ पीटीए के लिए संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन (जेएफएस): भारत और उज्बेकिस्तान गणराज्य के बीच एक पीटीए होने की संभावना का पता लगाने के लिए एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन (जेएफएस) आयोजित किया गया था। रिपोर्ट

जमा कर दी गई है और विभाग में इसकी समीक्षा की जा रही है।

(ङ) सीआईएस देशों में आयोजित एमएआई प्रस्ताव: एफटी (सीआईएस) डिवीजन में 59 प्रस्ताव (विदेशी) और 13 प्रस्ताव (वर्चुअल) प्राप्त हुए हैं और उनमें से 7 वर्चुअल प्रस्ताव और 41 विदेशी प्रस्तावों की सिफारिश एफटी (सीआईएस) डिवीजन द्वारा की गई थी।

(च) वार्षिक निर्यात लक्ष्य: वर्ष 2021-22 के लिए सीआईएस देशों के लिए यूएस+ 5400 मिलियन का वार्षिक निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से यूएस+ 124.27 मिलियन नवंबर 2021 तक हासिल कर लिया गया है। लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी और कमी के कारणों की जांच करने के लिए, और लक्ष्य की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, दूतावासों, ईपीसी, कमोडिटी बोर्ड के साथ क्रमशः दिनांक 27.08.2021, 21.10.2021, 25.11.2021 और 24.12.2021 को 4 वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठकें आयोजित की गई हैं।

8. उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा) देशों के साथ व्यापार

उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा) जो वर्ष 1994 में लागू हुआ, दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), कनाडा और मैक्सिको शामिल हैं, जिसे 1 जुलाई 2020 से अब यूएसएमसीए के रूप में पुनः नामित किया गया है। भारत की नाफ्टा देशों के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी है और द्विपक्षीय संबंध हमेशा घनिष्ठ, गर्म और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। इन देशों के साथ नियमित रूप से उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राएं हो रही हैं और दोनों पक्षों के नेता व्यापार संबंधों को विस्तारित और गहरा करने के लिए कृतसंकल्प हैं। पिछले कुछ वर्षों में माल और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पर्याप्त व्यापार अधिशेष के परिणामस्वरूप भारत का नाफ्टा देशों के साथ माल में समग्र व्यापार अधिशेष है, कनाडा और मैक्सिको के साथ इसका व्यापार घाटा है। भारत के पास नाफ्टा देशों के साथ सेवाओं में व्यापार अधिशेष भी है।

पिछले 5 वर्षों में नाफ्टा देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार (निर्यात और आयात) के आंकड़े इस प्रकार हैं:

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

देश	व्यापार संकेतक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कनाडा	निर्यात	2,004	2,506	2,851	2,852	2,960
	आयात	4,132	4,729	3,515	3,880	2,686
	कुल व्यापार	6,136	7,235	6,367	6,732	5,646
मेक्सिको	निर्यात	3,461	3,783	3,842	3,624	3,087
	आयात	2,944	3,930	5,577	4,297	2,846
	कुल व्यापार	6,405	7,713	9,419	7,921	5,933
संयुक्त राज्य अमे. रिका	निर्यात	42,217	47,882	52,406	53,089	51,623
	आयात	22,307	26,611	35,549	35,820	28,888
	कुल व्यापार	64,524	74,493	87,956	88,909	80,511
नाफ्टा के साथ कुल व्यापार	निर्यात	47,682	54,171	59,099	59,564	57,671
	आयात	29,383	35,270	44,642	43,997	34,420
	कुल व्यापार	77,065	89,441	103,741	103,561	92,091
नाफ्टा देशों के साथ भारत के व्यापार का हिस्सा (%)		11.67	11.63	12.29	13.14	13.42
नाफ्टा देशों को भारत के निर्यात का हिस्सा (%)		17.29	17.85	17.9	19.01	19.76

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस कोलकाता

पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) के 8 महीनों के लिए नाफ्टा देशों के साथ माल हेतु भारत के द्विपक्षीय व्यापार (निर्यात और आयात) के आंकड़े इस प्रकार हैं:

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

नाफ्टा मर्चेंडाइज ट्रेड						
देश	2020-21 (अप्रैल-नवंबर)			2021-22 (पर)) अप्रैल-नवंबर)		
	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
संयुक्त राज्य अमे. रिका	31,321	16,320	47,641	48,704	27,345	76,049
कनाडा	1,798	1,908	3,706	2,354	1,974	4,328
मेक्सिको	1,912	1,587	3,499	2,863	2,644	5,507

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस कोलकाता

(पी): अनंतिम

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका

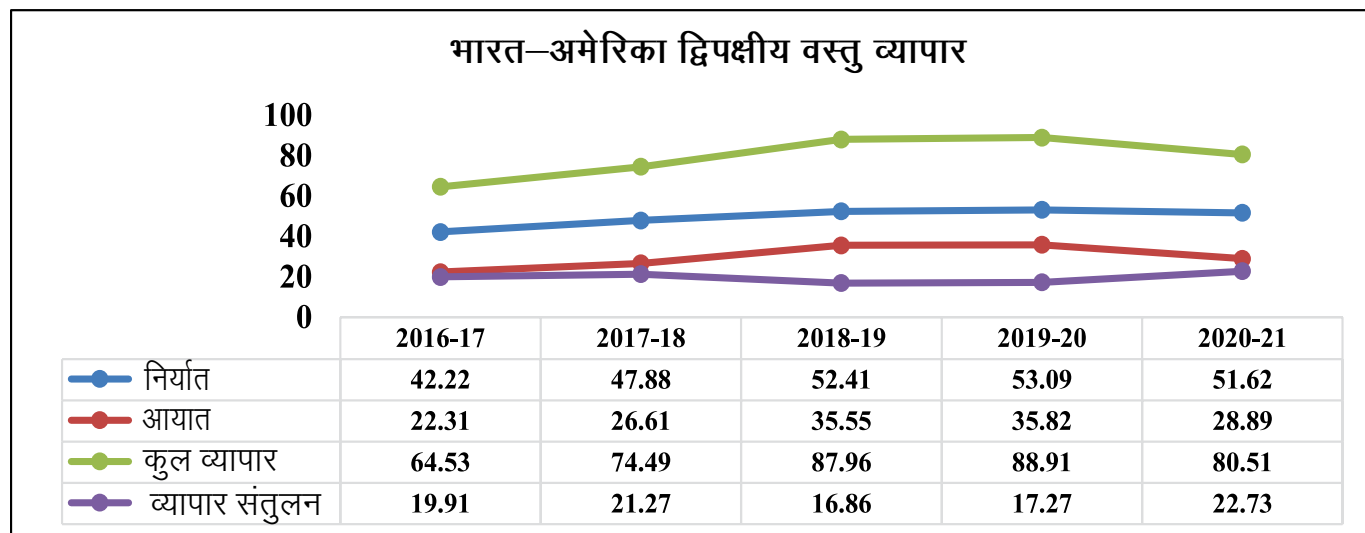
माल और सेवाओं में कुल द्विपक्षीय व्यापार हाल के वर्षों में बढ़ रहा है, जो वर्ष 2014 में यूएस+ 107 बिलियन से कैलेंडर वर्ष 2020 में यूएस+ 121 बिलियन हो गया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना हुआ है (वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर)। वित्त वर्ष 2020-21 में, अमेरिका को भारत का

माल निर्यात पिछले वर्ष के यूएस+ 53.09 बिलियन से घटकर यूएस\$ 51.62 बिलियन हो गया, जो वर्ष 2019-20 की तुलना में नकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है, जबकि अमेरिका से वर्ष 2019-20 में यूएस\$ 35.82 बिलियन से यूएस+ 28.89 बिलियन, (-)19% की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज करते हुए आयात घटा है। सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2014 में यूएस+37 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2020 में लगभग यूएस+43 बिलियन हो गया है।

चालू वित्त वर्ष 2021-22 में, पिछले 8 महीनों (अप्रैल-नवंबर) के दौरान, माल का निर्यात 31.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल-नवंबर 2020) से बढ़कर (अप्रैल-नवंबर 2021) में 48.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें 55% की

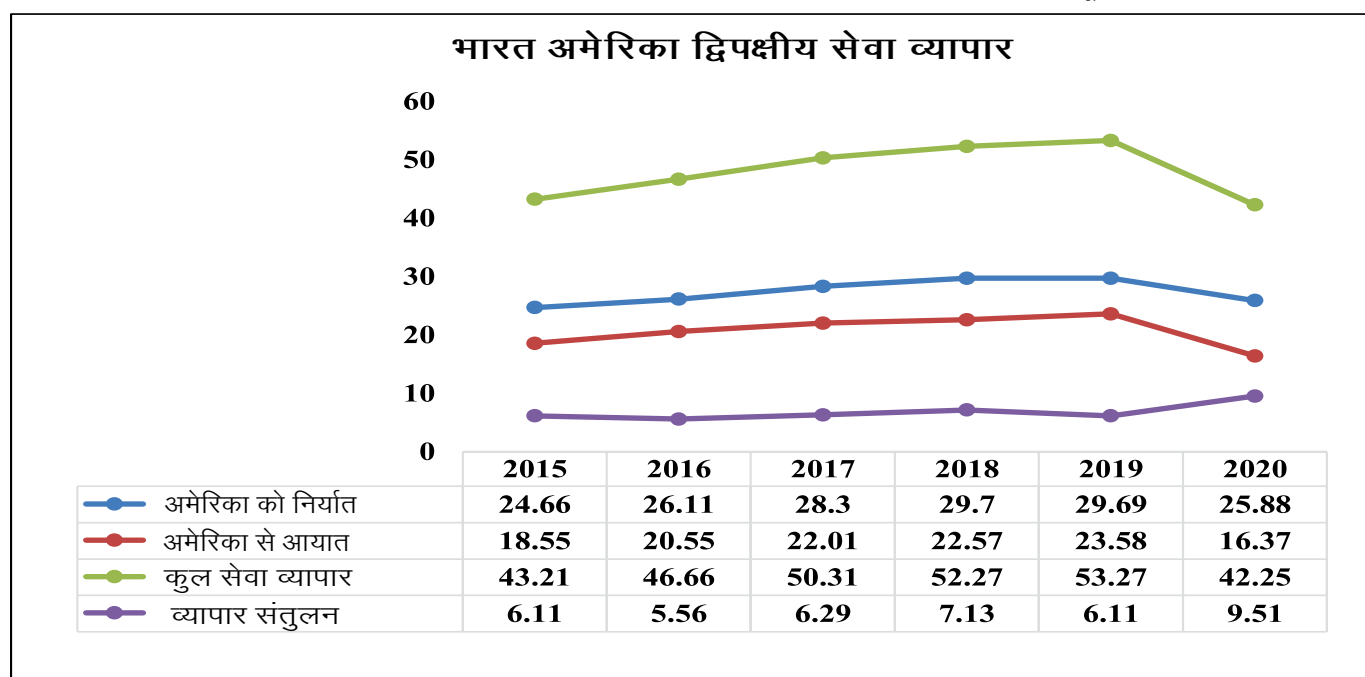
दर से वृद्धि दर्ज की गई; जबकि अमेरिका से आयात 16.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल-नवंबर 2020) से बढ़कर 27.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल-नवंबर 2021) में हो गया, जिसमें 68% की वृद्धि दर दर्ज की गई।

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)



संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सेवाओं में भारत का व्यापार वर्ष 2020 में 42.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह देखा जा सकता है कि अमेरिका को सेवा निर्यात वर्ष 2015 में 24.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2019 में 29.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पहली दो तिमाहियों में वर्ष 2021 (जनवरी-जून) में, यूएस को सेवाओं का निर्यात वर्ष 2021 में बढ़कर 13.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वर्ष 2020 में 12.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और वर्ष 2021 की पहली दो तिमाही में अमेरिका से आयात वर्ष 2020 (जनवरी-जून) में 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)



स्रोत: अमेरिकी जनगणना व्यापार ब्यूरो

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से दो संस्थागत तंत्र हैं। अर्थात् वाणिज्यिक संवाद और व्यापार नीति मंच जो समय-समय पर द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के मुद्दों को संबोधित करने तथा व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।

भारत-अमेरिका वाणिज्यिक संवाद और सीईओ फोरम: भारत-अमेरिका वाणिज्यिक संवाद भारत की ओर से माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और अमेरिकी वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में संयुक्त रूप से एक मंच है। वाणिज्यिक वार्ता के तहत, दोनों पक्ष मानक सहयोग, पर्यटन सहयोग और व्यावसायिक माहौल और निवेश पर चर्चा करते हैं। सीईओ फोरम के साथ पिछला चौथी भारत-अमेरिका वाणिज्यिक संवाद 14 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दोनों सरकारों के विचार के लिए वाणिज्यिक संवाद तंत्र को संयुक्त सिफारिशें देने वाले वाणिज्यिक संवाद के संयोजन में सीईओ फोरम भी आयोजित किया जाता है। पिछला सीईओ फोरम वर्चुअल रूप में जून 2020 को आयोजित किया गया था। भारत के माननीय प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान जारी भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, दोनों नेताओं ने वर्ष 2022 की शुरुआत में वाणिज्यिक संवाद आयोजित करने की आशा की।

भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम: जुलाई 2005 में

घोषित भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम (टीपीएफ) को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों का विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मंच दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से व्यापार के कई मुद्दों को हल करने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने में सहायक रहा है। इसने एक-दूसरे की वस्तुओं तक बाजार पहुंच पर बातचीत, प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने, निवेश के अवसरों पर चर्चा करने और बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए एक अच्छा मंच प्रदान किया है।

संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने 12वीं भारत अमेरिकी व्यापार नीति फोरम (टीपीएफ) मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 22-23 नवंबर को नई दिल्ली का दौरा किया। 4 साल के अंतराल के बाद आयोजित टीपीएफ बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री और यूएसटीआर ने संयुक्त रूप से की और इसने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद की। टीपीएफ बैठक के दौरान मंत्रियों ने उत्कृष्ट द्विपक्षीय व्यापार मुद्दों के कैनवास के घटनाक्रम की समीक्षा की और दोनों पक्षों से कुछ बाजार पहुंच मुद्दों पर अभिसरण भी पहुंचे। द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक मुद्दों के दायरे को कवर करते हुए एक टीपीएफ संयुक्त वक्तव्य के साथ भावी कार्यनीति भी जारी की।



23 नवंबर, 2021 को 12वीं भारत-यूएसए व्यापार नीति फोरम की बैठक माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल और राजदूत कैथरीन टाई, यूएसटीआर की अध्यक्षता में हुई।

(ख) कनाडा

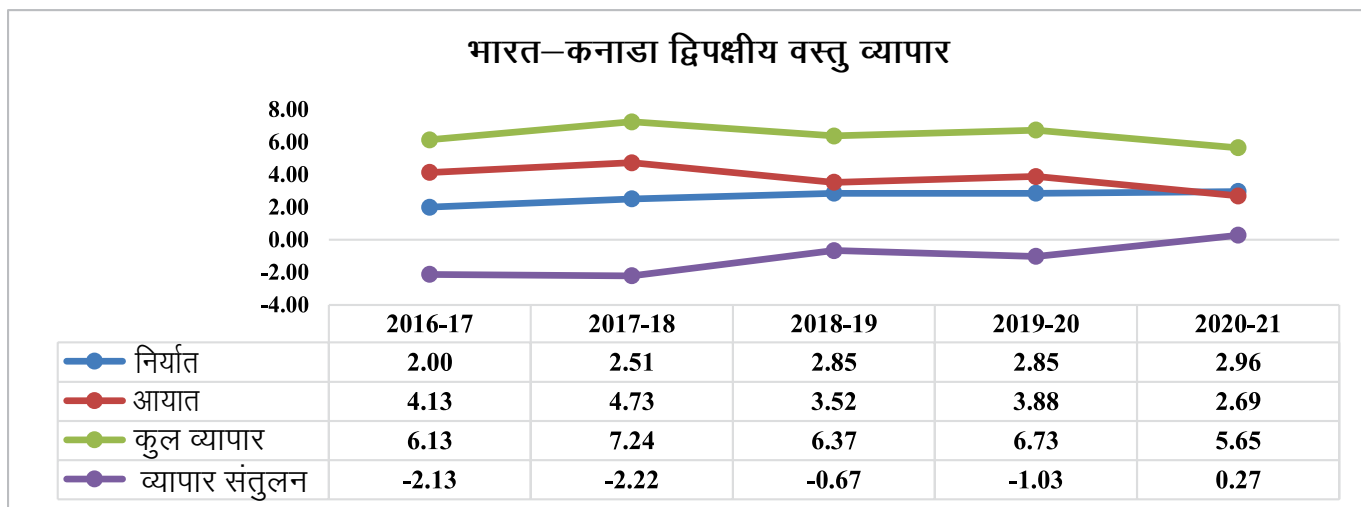
कनाडा अमेरिकी डॉलर 6-7 बिलियन के पारस्परिक द्वि पक्षीय व्यापार के साथ नाफ्टा क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है, जो दो मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के बीच इनकी

क्षमताओं से काफी कम है। कनाडा के साथ भारत का कुल द्वि पक्षीय व्यापारिक व्यापार वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में (-)16 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए घट गया। वर्ष 2019-20 में यूएस\$ 6.73 बिलियन

की तुलना में वर्ष 2020–21 में माल व्यापार में कुल द्विपक्षीय व्यापार यूएस+ 5.65 बिलियन (निर्यात यूएस+ 2.96 बिलियन और आयात यूएस+ 2.69 बिलियन) था (निर्यात यूएस+ 2.85 बिलियन और आयात यूएस + 3.88 बिलियन) था। जबकि कनाडा को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2020–2021 में मामूली रूप से बढ़ा है, कनाडा से भारत के आयात ने वित्त वर्ष 2020–21 में (-) 31 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दिखाई है।

चालू वित्त वर्ष 2021–22 में, पिछले 8 महीनों (अप्रैल–नवंबर 2021) के दौरान, कनाडा को माल का निर्यात यूएस+ 1.79 बिलियन (अप्रैल–नवंबर 2020) से बढ़कर (अप्रैल–नवंबर 2021) में 31: की वृद्धि दर दर्ज करते हुए यूएस+ 2.35 बिलियन हो गया; जबकि कनाडा से आयात यूएस+ 1.90 बिलियन (अप्रैल–नवंबर 2020) से बढ़कर यूएस+ 1.97 बिलियन (अप्रैल–नवंबर 2021) हो गया, जिसमें 3 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई।

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

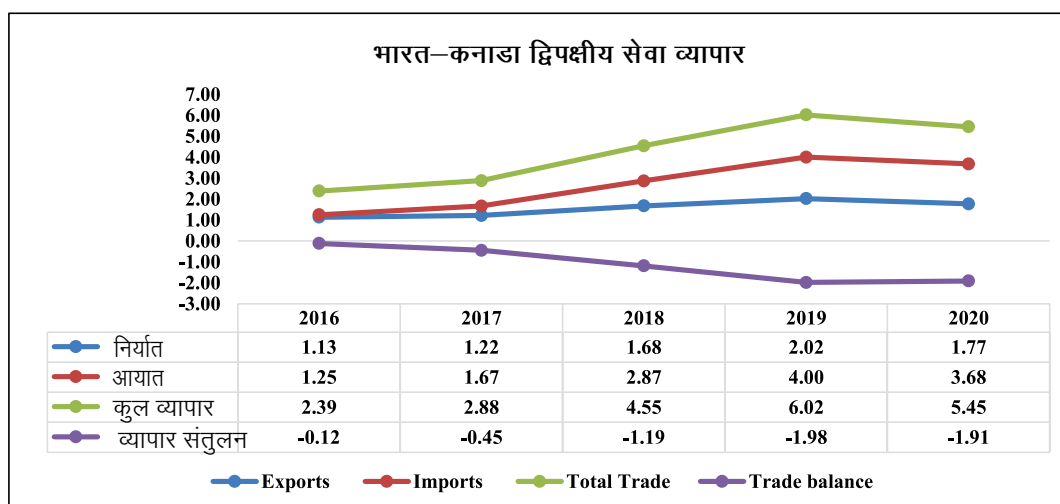


स्रोत: डीजीसीआई एंड एस कोलकाता

सेवाओं के मोर्चे पर, वर्ष 2020 में कनाडा को भारत का सेवाओं का निर्यात यूएस+ 4.03 बिलियन था, जबकि कनाडा से सेवाओं का आयात यूएस+ 1.95 बिलियन था। नीचे दिए गए चित्र में भारत और कनाडा के बीच सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार के रुझान को दर्शाया गया है। इन आंकड़ों से देखा जा सकता है कि भारत और कनाडा के बीच सेवा व्यापार में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है, और यह वर्ष 2016 में यूएस+ 2.39 बिलियन से बढ़कर

वर्ष 2020 में यूएस+ 5.45 बिलियन हो गया है। जनवरी–सितंबर 2021 की अवधि के दौरान, भारत से निर्यात वर्ष 2020 में इसी अवधि में यूएस+ 1.36 बिलियन से मामूली रूप से घटकर यूएस+ 1.28 बिलियन हो गया, और आयात भी वर्ष 2020 में यूएस+ 2.58 बिलियन से घटकर यूएस+ 2.09 बिलियन हो गया। इसलिए, इस अवधि के दौरान जनवरी–सितंबर 2021 में कुल सेवा व्यापार यूएस+ 3.94 बिलियन से घटकर यूएस+ 3.38 बिलियन हो गया।

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)



स्रोत: 150.statcan.gc.ca

व्यापार और निवेश पर भारत-कनाडा मंत्री-स्तरीय संवाद (एमडीटीआई): व्यापार और निवेश पर मंत्री-स्तरीय संवाद (एमडीटीआई) दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसे सितंबर में ओटावा में आयोजित पहली बैठक के साथ वर्ष 2010 में आरंभ किया गया था। अगला एमडीटीआई उचित समय पर वर्ष 2022 में आयोजित होने की उम्मीद है।

भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए): सितंबर 2010 में कनाडा-भारत संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट जारी होने के बाद नवंबर 2010 में भारत-कनाडा सीईपीए वार्ता औपचारिक रूप से शुरू की गई थी। समझौते में माल का व्यापार, सेवाओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, स्वच्छता और फाइटो-स्वच्छता उपाय, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्र शामिल हैं। अब तक, दस दौर की बातचीत हो चुकी है, आखिरी दौर अगस्त 2017 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, इसके बाद फरवरी 2018 में एक अंतर-सत्र बैठक आयोजित हुई थी।

वार्ता को तेजी से ट्रैक करने के उद्देश्य से दोनों पक्ष दो चरणों की प्रक्रिया में सीईपीए को समाप्त करने का विकल्प तलाश रहे हैं जिसमें एक अंतरिम समझौता शामिल है जिसमें पहले चरण के रूप में प्राथमिकता और पारस्परिक रूप से लाभप्रद क्षेत्रों को शामिल किया गया है इसके बाद एक व्यापक समझौता

निष्पादित किया गया है।

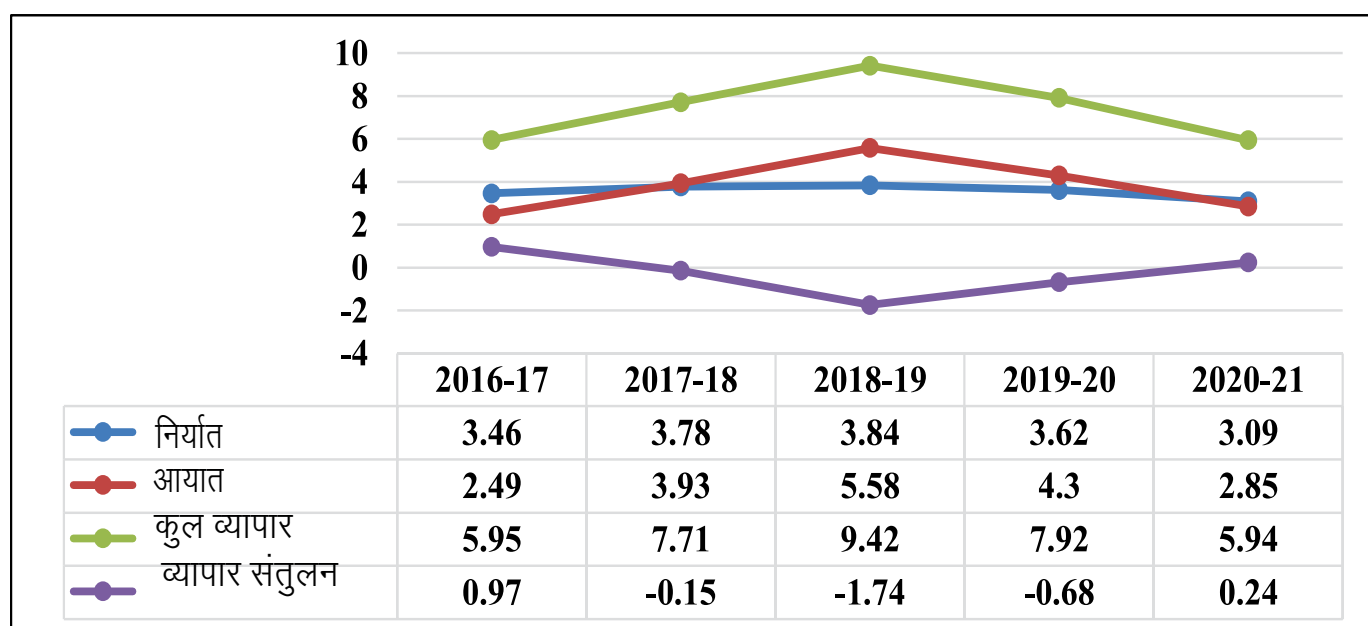
(ग) मेक्सिको

वित्त वर्ष 2020.21 में लगभग छह बिलियन के आपसी द्विपक्षीय व्यापार के साथ लैटिन अमेरिका में मेक्सिको भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है जो दो देशों के बीच इनकी क्षमताओं से कम है। मेक्सिको के साथ भारत के कुल द्विपक्षीय व्यापारिक कारोबार ने वित्त वर्ष 2019.20 की तुलना में वित्त वर्ष 2020.21 में (-) 25: की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की। वर्ष 2019.20 में सामानों में कुल द्विपक्षीय व्यापार यूएस+ 7.92 बिलियन (निर्यात यूएस+ 3७62 बिलियन और आयात यूएस+ 4७30 बिलियन) था जबकि वर्ष 2020-21 में यह यूएस+ 5.94 बिलियन (निर्यात यूएस+ 3.09 बिलियन और आयात यूएस+ 2७85 बिलियन) था।

चालू वित्त वर्ष 2021-22 में पिछले 8 महीनों (अप्रैल-नवंबर) के दौरान मेक्सिको को माल का निर्यात यूएस+ 1.91 बिलियन (अप्रैल-नवंबर 2020) से बढ़कर यूएस+ 2.86 बिलियन (अप्रैल-नवंबर 2021) हो गया है जिसमें 50% की दर से वृद्धि दर्ज की गई है। मेक्सिको से आयात यूएस+ 1.58 बिलियन (अप्रैल-नवंबर 2020) से बढ़कर यूएस+ 2.64 बिलियन (अप्रैल-नवंबर 2020) हो गया है जिसमें इसने 67: की वृद्धि दर दर्ज की।

माल में भारत-मेक्सिको द्विपक्षीय व्यापार

(मूल्य अरब अमेरिकी डॉलर में)



स्रोत: डीजीसीआई एंड एस कोलकाता

जून 2016 में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मैक्सिको यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में तेजी आई है जब दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को “रणनीतिक साझेदारी” के स्तर तक और अधिक उन्नत करने का निर्णय लिया।

भारत मेक्सिको बीएचएलजी: व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह (बीएचएलजी) में मुख्य रूप से द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक, वाणिज्यिक, तकनीकी और अन्य संबंधित क्षेत्रों और सूचना विनिमय में संपर्क बनाए रखना शामिल है। इसकी सह-अध्यक्षता भारतीय पक्ष से वाणिज्य सचिव और मेक्सिको की ओर से विदेश व्यापार के उप-मंत्री द्वारा की जाती है।

व्यापार निवेश और आर्थिक सहयोग पर 5वीं द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह बैठक (बीएचएलजी) वर्चुअल रूप में 9 अक्टूबर 2020 को आयोजित की गई थी। अगली बीएचएलजी बैठक वर्ष 2022 में बुलाए जाने की उम्मीद है।

9. ओशिनिया क्षेत्र के साथ व्यापार

एफटी (ओशिनिया) डिवीजन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 12 प्रशांत छोटे द्वीप विकासशील राष्ट्रों (पीएसआईडीएस)ए जैसे फिजी, पापुआ न्यू गिनी, किरिबाती, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप, नागुरु, पलाऊ, समोआ, सोलोमन आइलैंड टोंगा, तुवालु और वानुअटु के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों से संबंधित है।

ओशिनिया क्षेत्र में भारत की प्रमुख व्यापारिक गतिविधियाँ हैं:

(क) ऑस्ट्रेलिया

(i) भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री-स्तरीय आयोग (जेएमसी) की बैठक

17 वीं भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री-स्तरीय आयोग (जेएमसी) की बैठक 30 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। सत्र की सह-अध्यक्षता माननीय सीआईएम और माननीय डैन तेहान सांसद व्यापार पर्यटन और निवेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया सरकार ने की थी। बैठक में, दोनों मंत्रियों ने कई मुद्दों पर चर्चा की जिसमें द्विपक्षीय सीईसीए की त्वरित बातचीत ऑस्ट्रेलिया में भारतीय सॉफ्टवेयर फर्मों द्वारा सामना किए जाने

वाले कर संबंधी मुद्दों का समाधान दोतरफा व्यापार में वृद्धि सुनिश्चित करना और इस साल के अंत में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री-स्तरीय सम्मेलन शामिल था।

(ii) भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए वार्ता

भारत द्वारा माल ए सेवाओं निवेश और संबंधित मुद्दों में व्यापार को कवर करते हुए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) पर वार्ता जारी है। वार्ता का पहला दौर जुलाई 2011 में और 9वां दौर 21.23 सितंबर 2015 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दिनांक 30/09/2021 को नई दिल्ली में आयोजित 17वीं भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री-स्तरीय आयोग (जेएमसी) की बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने औपचारिक रूप से वार्ता की शुरुआत कर दी है और दिसंबर 2022 तक सीईसीए वार्ता को पूरा करने पर सहमत हुए हैं।

(ख) न्यूजीलैंड

(i) भारत न्यूजीलैंड संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग (जेएमसी) की बैठक

जेएमसी की आखिरी बैठक 26 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में हुई थी। इसकी सह-अध्यक्षता श्री पीयूष गोयल, माननीय रेल एवं वाणिज्य और उद्योग मंत्री और श्री डेविड पार्कर माननीय व्यापार और निर्यात विकास मंत्री, न्यूजीलैंड सरकार ने की। बाजार पहुंच और निवेश को बढ़ावा देना इस दौरान चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दे थे।

(ii) भारत-न्यूजीलैंड सीईसीए वार्ता

भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) पर बातचीत कर रहा है जिसमें माल ए सेवाओं, निवेश और संबंधित मुद्दों में व्यापार शामिल है। अब तक दस दौर की बातचीत हो चुकी है। पहला दौर अप्रैल 2010 में आयोजित किया गया था और नवीनतम दौर अर्थात् 10वां दौर 17 से 18 फरवरी 2015 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

10. यूरोप के साथ व्यापार

एफटी-यूरोप डिवीजन यूरोप के निम्नलिखित देशों के साथ व्यापार संबंधों से संबंधित है:

क्र.सं.	क्षेत्र और देशों की संख्या	देशों के नाम
1.	यूरोपीय संघ (ईयू) (27)	ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन।
2.	यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) (4)	आइसलैंड, लिकटेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड।
3.	अन्य यूरोपीय देश (7)	अल्बानिया, बोस्निया-हर्जेगोविना, उत्तर मैसेडोनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम।

वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, यूरोप के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार यूएस+ 124.53 बिलियन रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 59.47% की वृद्धि दिखाता है। वर्ष 2020-21 (अप्रैल-नवंबर) में यूएस\$ 37.23 बिलियन से यूरोप को निर्यात वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में 60.93% बढ़कर यूएस\$ 59.92 बिलियन हो गया। यूरोप से आयात वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में यूएस+ 40.86 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में 58.15% बढ़कर यूएस+ 64.61 बिलियन हो गया।

(स्रोत: डीजीसीआईएवएस)

(क) यूरोपीय संघ (ईयू)

27 देशों के समूह के रूप में यूरोपीय संघ भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, यूरोपीय संघ के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार यूएस+ 81.76 बिलियन रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 46.69% की वृद्धि दिखाता है। यूरोपीय संघ को निर्यात वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में यूएस\$ 27.71 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में यूएस+ 44.97 बिलियन हो गया। इसी प्रकार यूरोपीय संघ से आयात वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में यूएस+ 28.03 बिलियन से 31.25% बढ़कर वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में यूएस+ 36.78 बिलियन हो गया। (स्रोत: डीजीसीआईएवएस)

यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार में महत्वपूर्ण मुद्दे सैनिकी और फाइटो-सैनिकी मानकों, तकनीकी बाधाओं, कोटा/टैरिफ की जटिल प्रणाली, भारतीय उत्पादों के खिलाफ एंटी-डंपिंग/सुरक्षा उपायों आदि हैं। इन मुद्दों का भारत के यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए बाजार पहुंच पर असर पड़ता है। इन मुद्दों को संयुक्त कार्य समूहों और व्यापार पर उप-आयोग

में नियमित रूप से उठाया जाता है। व्यक्तिगत यूरोपीय देशों के साथ व्यापार को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर भी द्विपक्षीय मंचों पर संयुक्त आयोगों और द्विपक्षीय बैठकों के दौरान चर्चा की जाती है।

(i) भारत-यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार और निवेश समझौते

(क) भारत और यूरोपीय संघ ने 2007 से 2013 तक एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते (बीटीआईए) पर बातचीत की ताकि द्विपक्षीय व्यापार को विविधता और प्रोत्साहन दिया जा सके। हालांकि 16वें दौर के पश्चात 2013 के बाद उस समय बातचीत रुक गयी थी जब यूरोपीय संघ प्रश्नों और रहस्यों में मतभेदों के अंतर्गत विशेष रूप से भारत के उच्च संवेदनशीलता वाले कुछ क्षेत्रों में बातचीत करने से पीछे हट गए थे।

(ख) दोनों पक्षों की संवेदनशीलताओं पर चर्चा करने और वार्ताओं को फिर से आरंभ करने हेतु रचनात्मक रूप से सम्मिलित होने के लिए 2016 से गंभीर प्रयास किए गए हैं। जुलाई 2020 के भारत-यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन में नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों का मार्गदर्शन करने के लिए मंत्रालय के स्तर पर भारत-यूरोपीय संघ के बीच उच्च स्तरीय वार्ता स्थापित करने का निर्णय लिया।

(ग) उच्च स्तरीय वार्ता की दो बैठकों में दोनों पक्षों के मंत्री अंततः बातचीत को पुनः आरंभ करने की संस्तुति करने पर सहमत हुए और पहली बार भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में माननीय प्रधान मंत्री और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष/सदस्य देशों के प्रमुखों द्वारा 08ण05ण2021 को पोर्टो में प्रतिनिधित्व किया गया इसमें नेताओं ने मुक्त व्यापार समझौते एक अकेले निवेश संरक्षण समझौते

और भौगोलिक संकेतों पर समझौते जिसे साथ-साथ किया जाना है के लिए बातचीत पुनः आरंभ करने की घोषणा की। यह एक आधारभूत और ऐतिहासिक क्षण था और इसने भारत-यूरोपीय संघ के संबंधों को एक परिवर्तनकारी पथ पर स्थापित किया है।

- (घ) नेताओं ने लचीले मूल्य शृंखला और नियामक सहयोग पर भारत-यूरोपीय संघ के संयुक्त कार्य समूहों के गठन और विश्व व्यापार संगठन के मुद्दों पर भारत-यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच वार्ता की भी घोषणा की।

(ख) भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए)

ईएफटीए ट्रेड ब्लॉक में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेन्स्टीन सम्मिलित हैं। 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, ईएफटीए के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 220.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 128.5% की वृद्धि दर्ज की गयी, जो कि 9.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ईएफटीए को 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 1.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया जो 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 6.99: की वृद्धि के साथ 1.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ईएफटीए से 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 8.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया जो 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, 145.5% की वृद्धि के साथ 21.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

(i) भारत-ईएफटीए टीईपीए वार्ता

भारत और ईएफटीए ने अक्टूबर 2008 में व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) पर बातचीत आरंभ की थी। बातचीत 14 विभिन्न क्षेत्रों (ट्रैक्स)/अध्यायों में आयोजित की जाती है जैसे कि वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, उत्पत्ति के नियम, बौद्धिक संपदा अधिकार, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता के उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं सरकारी खरीद, विवाद निपटान, प्रतिस्पर्धा, व्यापार की सुविधा, निवेश, सतत विकास, कानूनी और शैतिज प्रावधान और व्यापार के उपचार, जिसे दोनों पक्ष समयबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब तक 17 दौरों की बातचीत हो चुकी है जिसमें अंतिम दौर की बातचीत 18.21 सितंबर 2017 के दौरान हुई थी। इसके पश्चात, किसी आम

सहमति पर पहुंचने हेतु मतभेदों को सुलझाने के लिए मुख्य वार्ताकारों और बकाया क्षेत्रों पर संबंधित क्षेत्र के नेतृत्व (ट्रैक लीड्स) के स्तर पर नियमित चर्चा की जा रही है। मुख्य वार्ताकारों के बीच अंतिम बातचीत 27 मई 2021 को हुई थी जिसके पश्चात 28 जून 2021 को ट्रैक लीड्स इन सर्विसेज और 9 अगस्त 2021 को ट्रैक लीड्स इन गुड्स के बीच चर्चा हुई थी, जिसके दौरान सभी बकाया मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। दोनों पक्षों की महत्वाकांक्षाओं और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए आम सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत ईएफटीए के साथ एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभप्रद समझौते के लिए प्रतिबद्ध है।

(ii) भारत-यूके व्यापार समझौता

- (क) यूके यूरोप क्षेत्र में भारत के सबसे अधिक आयात व्यापार के भागीदारों में से एक है। 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, यूके के साथ द्विपक्षीय व्यापार 12.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 47.3% की वृद्धि दर्ज की गई। यूके को 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, 5.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया जो 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, 40.78% की वृद्धि के साथ 7.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, यूके से 3.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया जो 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, 59.03% की वृद्धि के साथ 4.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

- (ख) भारत और यूके ने 4 मई 2021 को परिवर्धित व्यापार साझेदारी ईटीपी, के शुभारंभ पर एक 'घोषणा-पत्र' पर हस्ताक्षर किए, जिसकी घोषणा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने उसी दिन की थी। इस घोषणा में इस साल के अंत तक व्यापार वार्ता आरंभ करने के उद्देश्य से ईटीपी के शुरुआती लाभ प्राप्त करने के लिए, एक अंतरिम समझौते रूआईए, से उत्पन्न होने वाले अवसर पर विशिष्ट विचार वाले एक व्यापक एफटीए की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता सम्मिलित है। ईटीपी के एक भाग के रूप में, दोनों पक्ष जीवन विज्ञान, कृषि, शिक्षा, विधि, नाविक, समुद्री, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों के संबंध में एक-दूसरे की बाजार तक पहुंच बनाने से संबंधित चिंताओं और अनुरोधों को सुविधाजनक बनाने

पर भी सहमत हुए।

(ग) अगले चरण के रूप में, एफटीए से पूर्व अभ्यास को पूरा करने के लिए, बातचीत करने वाले दलों ने घरेलू हितधारकों के साथ परामर्श किया था। सितंबर-अक्टूबर के दौरान, द्विपक्षीय कार्य समूहों (बीडब्ल्यूजी) को भी एफटीए वार्तालापों के दौरान त्वरित प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए एक-दूसरे की महत्त्वकांक्षाओं, हितों और संवेदनशीलताओं को समझने के लिए लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान मंत्रालय और आधिकारिक स्तर पर विचार-विमर्श शीघ्रातिशीघ्र आरंभ करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए यूके एसओएस की यात्रा के दौरान 13 जनवरी 2022 को बातचीत शुरू की गई है, जिसके दौरान जेटको का 15वां सत्र भी निर्धारित किया गया था।

(घ) वार्ता का पहला दौर भी 17 से 28 जनवरी 2022 तक वार्ता आरंभ होने के तुरंत बाद आयोजित किया गया है। दोनों पक्ष दिसंबर 2022 तक व्यापक एफटीए को समाप्त करने और उस पर हस्ताक्षर करने का प्रयास करेंगे।

(ग) अन्य यूरोपीय देश

वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, अन्य छह यूरोपीय देशों के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 92.46% की वृद्धि दर्ज करते हुए 7.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, इन यूरोपीय देशों को 2.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 109.2% की वृद्धि के साथ, 5.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसी तरह, 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान इस देश से किया गया 1.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 48.26% की वृद्धि के साथ 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

(घ) संस्थागत तंत्र

कई यूरोपीय देशों, जैसे कि यूके, फ्रांस, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, बेल्जियम-लक्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाक गणराज्य, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, बोस्निया और हर्जगोविना, साइप्रस, फिनलैंड, ग्रीस, रोमानिया और तुर्की के साथ-साथ यूरोपीय संघ के साथ संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं।

वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर 2021) के दौरान, निम्नलिखित संयुक्त आयोगों की बैठकें आयोजित की गईं:

क्र.सं.	संयुक्त आयोग	भारतीय सह-अध्यक्ष	स्थान और तिथि
1.	भारत पुर्तगाल संयुक्त आर्थिक आयोग (जेईसी) का 5वां संस्करण	श्री हरदीप एस पुरी, राज्य मंत्री (सी एंड एड आई)	8-9 अप्रैल 2021 नई दिल्ली में
2.	व्यापार एवं निवेश पर दूसरी भारत-यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय वार्ता	श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री	डीवीसी 29 अप्रैल, 2021
3.	आर्थिक सहयोग के लिए भारत-इटली संयुक्त आयोग (जेईसी) का 21वां सत्र	श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री	डीवीसी 9 जुलाई 2021
4.	भारत स्विट्जरलैंड संयुक्त आर्थिक आयोग (जेईसी) का 18वां सत्र।	सुश्री निधि मणि त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग।	डीवीसी 9 सितंबर 2021
5.	भारत और बेल्जियम-लक्जमबर्ग आर्थिक संघ (बीएलईयू) के बीच संयुक्त आर्थिक आयोग (जेईसी) का 17वां सत्र।	श्री बी.वी.आर सुब्रह्मण्यम, वाणिज्य सचिव	डीवीसी 16 सितंबर 2021
6.	आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक सहयोग पर भारत-साइप्रस संयुक्त समिति का 9वां सत्र	सुश्री निधि मणि त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग।	डीवीसी 21 अक्टूबर 2021

(ङ) अन्य द्विपक्षीय कार्यकलाप (मंत्री स्तर पर)

माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने:

♦ पुर्तगाल के विदेश मंत्री डॉ. ऑगस्टो सैंटोस सिल्वा के साथ 14 अप्रैल 2021 को आभासी बैठक की।

♦ सुश्री एलिजाबेथ ट्रस, यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के साथ 4 मई 2021 और 13 सितंबर 2021 को आभासी बैठक की।

♦ स्लोवेनिया के आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री जर्ज्कोपासिवालेस्क के साथ 29 जून 2021 को आभासी

बैठक की।

- ♦ सुश्री ऐनी-मैरी ट्रेवेलियन, यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के साथ 20 सितंबर 2021 को परिचयात्मक आभासी बैठक की।
- ♦ नीदरलैंड्स के विदेश व्यापार और विकास सहयोग मंत्री श्री टॉम डी ब्रुइन के साथ 25 अक्टूबर 2021 को टेली-कॉन्फ्रेंस की।

(च) अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप

यूरोप के लिए निर्यात लक्ष्य 2021.22 की निगरानी: वर्ष 2021-22 के लिए एफटी-यूरोप प्रभाग के तहत आने वाले 38 यूरोपीय देशों के लिए 83.27 बिलियन अमरीकी डॉलर का एक महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह प्रभाग मासिक आधार पर विदेश स्थित मिशनों और निर्यात संवर्धन संगठनों के साथ निर्यात लक्ष्य की समीक्षा करता है। अप्रैल-दिसंबर 2021 की अवधि में, वार्षिक लक्ष्य का लगभग 72% हासिल कर लिया गया है। नवंबर 2021 तक की प्रगति की समीक्षा संयुक्त सचिव (एफटी-यूरोप) द्वारा 15 दिसंबर 2021 को की गई ताकि इस गति को बनाए रखा जा सके और वर्ष के लिए समग्र लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

11. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन

(क) विश्व व्यापार संगठन और संबंधित मुद्दे

कोविड-19 महामारी के कारण बहुपक्षीय व्यापार तंत्र बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है और इसका दृढ़ विश्वास है कि नियम आधारित, समावेशी, खुला और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार तंत्र, जो आम सहमति के आधार पर निर्णय लेने के

सिद्धांत पर काम करता है, उसका कोई विकल्प नहीं है और विश्व व्यापार संगठन के नियमों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।

विश्व व्यापार संगठन का बारहवां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी-12) 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में कजाख़स्तान की अध्यक्षता में चार वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित किया जाने वाला था, क्योंकि एमसी-11 ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में दिसंबर 2017 में हुआ था। इस असामान्य अंतराल के कारण, एमसी-12 में ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए काफी उम्मीद और दबाव था, ताकि यह दिखाया जा सके कि विश्व व्यापार संगठन अभी भी महत्व रखता है और काम कर के दिखा सकता है।

परिणाम प्राप्त करने के लिए सदस्यों की प्राथमिकताओं में महामारी के प्रति डब्ल्यूटीओ की प्रतिक्रिया, मत्स्य पालन संबंधी सब्सिडी वार्ता, कृषि मुद्दे जिनमें खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग शामिल है, डब्ल्यूटीओ सुधार, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क पर स्थगन आदि शामिल हैं।

महानिदेशक डब्ल्यूटीओ की भारत यात्रा (20-23 अक्टूबर 2021) डब्ल्यूटीओ के आगामी 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में हुई। एमसी-12 के आयोजन के पूर्व, महानिदेशक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एमसी-12 मुद्दों पर वरिष्ठ नेताओं से विचार-विमर्श करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख सदस्य देशों का दौरा कर रहे थे।

इसके अलावा, महानिदेशक की भारत यात्रा (किसी भी एशियाई देश में पहली बार) ने विश्व व्यापार संगठन में भारत की भूमिका और एक सफल एमसी-12 के लिए इसके समर्थन की महत्ता को उजागर किया।



केंद्रीय मंत्रियों, सचिवों, उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक



एचसीआईएम के साथ बैठक



उद्योग जगत के नेताओं के साथ बैठक 21.10.21

विश्व व्यापार संगठन में जिन प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है उन पर भारत के विचार इस प्रकार हैं:

(i) डब्ल्यूटीओ सुधार

विश्व व्यापार संगठन के सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण के लिए सुधारों पर पिछले कई वर्षों से चर्चा चल रही है जिसमें विभिन्न निकायों से प्रस्ताव और सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। यह चर्चा तब उच्च स्तर पर चली गई, जब यूएस-ईयू-जापान ने मूलतः चीन को लक्षित करती त्रिपक्षीय पहल की घोषणा की जिसमें नियमों का पालन न करने और चीन में औद्योगिक सब्सिडी, राज्य के स्वामित्वाधीन उद्यमों, जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विदेशी निवेश व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी, गैर-बाजार-उन्मुखी नीतियों और बाजार पहुंच बाधाओं सहित अन्य मुद्दों को देखने की बात कही गई। एमसी-12 के आयोजन से पूर्व की अवधि में डब्ल्यूटीओ सुधारों पर चर्चा जोर पकड़ रही है। अभी हाल ही में, अक्टूबर 2021 में, यूरोपीय संघ ने एक कार्य समूह की संरचना का प्रस्ताव किया है जो विश्व व्यापार संगठन के सुधारों के संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है।

भारत ने अगस्त 2019 में बोलिविया, क्यूबा, इक्वाडोर, मलावी, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, युगांडा, जिम्बाब्वे और ओमान द्वारा सह-प्रायोजित एक विकासशील देश सुधार प्रस्ताव (विकासशील देश सुधार पत्र "विकास और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए विश्व व्यापार संगठन का सुदृढीकरण") प्रस्तुत करने की पहल का नेतृत्व किया। दिसंबर 2020 में महापरिषद के समक्ष सुधार पत्र का एक संशोधित संस्करण रखा गया था ताकि विकास के महत्व पर फिर से बल देकर डब्ल्यूटीओ सुधारों पर चल रही चर्चाओं में संतुलन बनाए रखा जाए।

इस प्रस्ताव के प्रमुख घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ◆ बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के बुनियादी मूल्यों को संरक्षित करना जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लेना भी शामिल है।
- ◆ विवाद निपटान प्रणाली में गतिरोध का समाधान: भारत अपीलीय निकाय की बहाली और दो स्तरीय विवाद निपटान प्रणाली के सामान्य कार्यकरण का पक्षधर है।
- ◆ विकास संबंधी सरोकारों की रक्षा करना जिसमें विकासशील सदस्यों और एलडीसी (सबसे कम विकसित देश) के लिए विशेष और विभेदक व्यवहार (एसएंडडी) की केंद्रीयता की पुष्टि एक अपरक्राम्य, संधि-निहित अधिकार होगा।
- ◆ पारदर्शिता और अधिसूचनाओं में विकासशील सदस्यों द्वारा सामना की जा रही क्षमता संबंधी बाधाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा समावेशी और पारस्परिक रूप से सहमत विधियों से इन कठिनाइयों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

कार्य दल की स्थापना को लेकर यूरोपीय संघ के प्रस्ताव परए भारत का विचार है कि यह प्रस्ताव विश्व व्यापार संगठन के संस्थागत ढांचे में मूलभूत परिवर्तन चाहता है और प्रस्तावित किए जाने वाले अधिकांश परिवर्तन संभवतः भारत के हित में नहीं हो सकते हैं और उनका झुकाव विकासशील देशों के हित के विरुद्ध होगा। आगे चलकर किसी समय उनका विकासशील देशों की घरेलू नीति निर्माण पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

(ii) कृषि

विश्व व्यापार संगठन में चल रही कृषि वार्ताओं के वर्तमान तर्क-वितर्क में विकसित सदस्य-देश शामिल हैं जो विकासशील

देशों से बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए घरेलू समर्थन कम करके नीतिगत गुंजाइश में कमी लाने के साथ-साथ कृषि करार में मौजूद पारदर्शिता दायित्वों के अलावा और भी अधिक कठिन पारदर्शिता दायित्वों को ओढ़ने की मांग कर रहे हैं।

विश्व व्यापार संगठन में 29 जुलाई 2021 को आयोजित सीओए-एसएस की बैठक में अध्यक्ष देश ने सात वार्ता क्षेत्रों नामतः घरेलू समर्थन बाजार पहुंच निर्यात प्रतिस्पर्धा निर्यात प्रतिबंध कपास विशेष सुरक्षा तंत्र, खाद्य सुरक्षा उद्देश्य के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग और पारदर्शिता के संबंध में प्रत्येक क्षेत्र के लिए "कृषि पर अध्यक्षीय पाठ का प्रारूप" प्रस्तुत किया। लेकिन अध्यक्षीय पाठ पूरी तरह से असंतुलित है और इसने एमसी-12 में विकासशील देशों के पक्ष में कृषि के संबंध में आने वाले किसी भी तरह के उचित परिणाम की संभावनाओं को कम कर दिया है।

विकसित बनाम विकासशील सदस्यों की हकदारी में विषमताएं हैं। जहां विकसित देश विकासशील देशों द्वारा प्रदान किए गए घरेलू समर्थन को लक्षित कर रहे हैं वहीं भारत कृषि वार्ता में पहले कदम के रूप में कुछ विकसित देशों द्वारा प्रदान किए गए व्यापार को विकृत करने वाले समर्थन को समाप्त करके एक समान अवसर की स्थिति बहाल करने की मांग कर रहा है। कृषि पर प्रारूप अध्यक्षीय पाठ में भारत की स्थिति की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है।

भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण मुद्दा खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (पीएसएच) है क्योंकि खाद्य सुरक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर भारत की खाद्य स्टॉक खरीद विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अंतर्गत आती है। भारत इन अनिश्चितताओं को दूर करने और नई खाद्य फसलों के लिए पीएसएच के विस्तार की मांग करने तथा नए कार्यक्रमों को कवर करने के लिए पीएसएच के लिए एक स्थायी समाधान चाहता है। भारत न तो पीएसएच मुद्दे को अन्य कृषि मुद्दों से जोड़ना चाहता है और न ही कार्य-कार्यक्रम चाहता है। भारत जी-33 के साथ मिलकर पीएसएच मुद्दे का स्थायी समाधान करने में लगा हुआ है। पीएसएच मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए जी-33 प्रस्ताव को भारत द्वारा 15 सितंबर 2021 को सह-प्रायोजित किया गया है।

भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के कार्यक्रमों में वर्षों से महत्वपूर्ण योगदान किया है और इसने अपने समीपवर्ती और

दूर के पड़ोसियों को खाद्य आपूर्ति के रूप में व्यापक सहायता दी है। तथापि, डब्ल्यूएफपी के सामने आने वाली समस्याएं इसके वित्तपोषण से संबंधित हैं न कि खरीद से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े सरोकारों के कारण भारत डब्ल्यूएफपी हेतु व्यापक छूट देने के लिए सहमत होने के विरुद्ध है, जिसके पास अन्यथा खाद्य आपूर्ति के लिए तलाशने के कई विकल्प हैं।

इसके अलावा, भारत विश्व व्यापार संगठन में इस मुद्दे को उठाता रहा है कि अंतरराष्ट्रीय खाद्य सहायता के प्रयोजनार्थ या जी2जी (सरकार से सरकार को) आधार सहित गैर-व्यावसायिक मानवीय उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक भंडार से निर्यात की अनुमति दी जानी चाहिए।

(iii) विकासशील देशों के साथ विशेष और विभेदक व्यवहार तथा क्रमागति

विकासशील सदस्यों जिनमें एलडीसी भी शामिल हैं, के लिए विशेष और विभेदक व्यवहार (एसएंडडीटी) में विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न सदस्यों के बीच विकास के स्तरों में भारी अंतर को पहचाना गया है और यह विकासशील सदस्यों को अपनी घरेलू व्यापार नीति को इस रूप में तैयार करने की स्वतन्त्रता देता है जिससे उन्हें गरीबी कम करने के रोजगार पैदा करने और वैश्विक व्यापार प्रणाली में सार्थक रूप से एकीकृत होने में मदद मिलती है।

विकसित देश संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा किए गए विशिष्ट प्रस्तावों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं कि भारत चीन ब्राजील और इंडोनेशिया सहित विकासशील देशों को विशेष और विभेदक व्यवहार के प्रावधानों के दायरे से बाहर कर दिया जाए जो विकासशील देशों को विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न नियमों के कार्यान्वयन में रियायतें देते हैं।

भारत ने 11 अन्य सदस्यों के साथ एलडीसी सहित विकासशील देशों के लिए विशेष और विभेदक व्यवहार के प्रावधानों की निरंतर प्रासंगिकता को उजागर करने के लिए एक पेपर प्रस्तुत किया है। एसएंडडी के सिद्धांत को अफ्रीकी समूह अफ्रीकी कैरिबियन और प्रशांत (एसीपी) समूह और एलडीसी समूह ने भी समर्थन दिया था। यह स्पष्ट है कि विकास पर चल रही यह बहस विश्व व्यापार संगठन के सामने पहले से मौजूद चुनौतियों में असहमति का एक और मुद्दा जोड़ देगी और इसलिए, समझदारी यही होगी कि अपने हितों की रक्षार्थ इस लड़ाई को लड़ने के लिए सभी विकल्पों का पता लगाया जाए।

(iv) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स

इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने 1998 में विश्व व्यापार संगठन की चर्चा में प्रवेश किया। डब्ल्यूटीओ की महापरिषद (जीसी) ने विकासशील देशों की आर्थिक एवं वित्तीय और विकास संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक ई-कॉमर्स से जुड़े व्यापार से संबंधित सभी मुद्दों की व्यापक जांच करने के लिए अन्वेषण-पूर्ण और वार्ता-रहित अधिदेश के साथ ई-कॉमर्स पर एक व्यापक कार्य-कार्यक्रम (डब्ल्यूपीईसी) की स्थापना की। दिसंबर 2017 में एमसी-11 में विभिन्न देशों के प्रयासों से अन्य बातों के साथ-साथ डब्ल्यूपीईसी के अन्वेषण-पूर्ण और अपरक्राम्य अधिदेश को जारी रखने का निर्णय लिया गया था, जिसकी पुष्टि बाद में दिसंबर 2019 में महापरिषद द्वारा की गई थी।

जनवरी 2019 में ई-कॉमर्स पर नियम बनाने का समर्थन करने वाले डब्ल्यूटीओ के लगभग सत्तर सदस्यों की ओर से ई-कॉमर्स पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था। भारत उक्त बहुपक्षीय पहल में शामिल नहीं हुआ है। उक्त पहल के तहत चर्चा डब्ल्यूपीईसी के अन्वेषण-पूर्ण और अपरक्राम्य अधिदेश के विपरीत चलती है। ई-कॉमर्स में नियमों और अनुशासन पर बातचीत मौजूदा वैश्विक ई-कॉमर्स स्थिति के अत्यधिक विषम स्वरूप और ई-कॉमर्स से संबंधित मुद्दों के तेजी से बदलते जटिल और बहुरूपी आयामों के निहितार्थ पर समझ की कमी को देखते हुए समय-पूर्व ही मानी जा सकती है।

भारत सदस्य देशों एवं विशेषकर विकासशील देशों द्वारा घरेलू भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार सह्यक नीति और विनियामक ढांचे के निर्माण तथा डिजिटल अंतराल को पाटने के लिए डिजिटल क्षमता को विकसित करने तथा डिजिटलीकरण के लाभों को साझा कर पाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। भारत डब्ल्यूपीईसी के तहत बातचीत को फिर से मजबूत करने का समर्थन करता है। डब्ल्यूटीओ में दक्षिण अफ्रीका के साथ हाल ही में '1998 वर्क प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के तहत कार्य को फिर से शुरू करना' शीर्षक से एक संयुक्त प्रस्तुति में, डब्ल्यूपीईसी के तहत संरचित चर्चा की आवश्यकताएं जिसमें ई-कॉमर्स के विकास पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया हो तथा विकासशील देशों द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों और उनकी भागीदारी बढ़ाने के तरीकों पर बल दिया गया।

(v) इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क लगाने पर स्थगन

विश्व व्यापार संगठन के सदस्य वर्ष 1998 से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क नहीं लगाने पर सहमत हैं और मंत्रिस्तरीय बैठकों में समय-समय पर इस स्थगन को बढ़ाया गया है। एमसी-11 में स्थगन को दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। दिसंबर 2019 में आयोजित जीसी की बैठक में सदस्यों ने एमसी-12 तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क नहीं लगाने की मौजूदा प्रथा को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। विगत में विश्व व्यापार संगठन में दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत की संयुक्त प्रस्तुति में विकासशील देशों के लिए डिजिटल औद्योगीकरण हासिल करने के लिए नीतिगत स्वतन्त्रता बनाए रखने के लिए स्थगन पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

(vi) घरेलू विनियम (डीआर)

सेवा व्यापार में सुगमताएं पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करने की कुंजी घरेलू विनियमों पर बनाया गया अनुशासन होता है। सेवा-व्यापार परिषद को घरेलू विनियमन के संबंध में 'किसी भी आवश्यक अनुशासन' को तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। घरेलू विनियमन के संबंध में डब्ल्यूटीओ की वर्किंग पार्टी ऑन डोमेस्टिक रेगुलेशन (डब्ल्यूपीडीआर) को यह काम करने के लिए बहुपक्षीय रूप से अधिदेशित किया गया था।

भारत डब्ल्यूटीओ में वर्किंग पार्टी ऑन डोमेस्टिक रेगुलेशन (डब्ल्यूपीडीआर) में घरेलू विनियमों पर अनुशासन पर चर्चा को फिर से जीवंत करने का प्रयास कर रहा है। भारत विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों का ध्यान सेवा प्रदाताओं की आवाजाही और अर्हता अपेक्षाओं तथा प्रक्रियाओं पर अनुशासन की आवश्यकता की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है जिस पर आगे बढ़ पाने के कारण सभी प्रकार के सेवा व्यापार की पूर्ण क्षमता हासिल करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भारत ने इन मुद्दों पर जोर देने के लिए दिसंबर 2018 और मार्च 2019 में डब्ल्यूपीडीआर में दो प्रस्ताव रखे हैं।

भारत "सेवा डीआर पर संयुक्त वक्तव्य पहल" (जेएसआई) में भाग नहीं ले रहा है, जो इच्छुक डब्ल्यूटीओ सदस्यों की एक बहुपक्षीय पहल है जिसके तहत एमसी-11 के बाद से घरेलू विनियमन पर अनुशासन लाने की बातचीत चल रही है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ हाल ही में 'द लीगल स्टेटस ऑफ जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव्स एंड देयर नेगोशिएटेड आउटकम्स' शीर्षक से एक प्रस्तुति की, जिसमें सेवा डीआर पर संयुक्त वक्तव्य पहल (जेएसआई) के संबंध में कुछ सरोकारों को दर्शाया गया था। डब्ल्यूपीडीआर की एक बैठक जून 2021 में

बुलाई गई थी, जिसमें सेवा डीआर पर संयुक्त वक्तव्य पहल के संबंध में सरोकारों को उठाया गया था।

(vii) भारत द्वारा अधिसूचित एलडीसी सेवा छूट और तरजीहों का कार्यान्वयन

भारत ने सितंबर 2015 में सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) की सेवाओं और सेवा आपूर्तिकर्ताओं के लिए अपने तरजीही व्यवहार को अधिसूचित किया। इसके तहत, भारतीय व्यापार और रोजगार वीजा की मांग करने वाले एलडीसी आवेदकों के लिए वीजा शुल्क माफी (भारत डब्ल्यूटीओ का एकमात्र सदस्य है जिसने एलडीसी आवेदकों के लिए वीजा शुल्क माफ करने की पेशकश की है), एलडीसी को तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण (भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली समस्त तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के अवसरों का कम से कम 25 प्रतिशत निर्धारित करना), और विभिन्न क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों में बाजार पहुंच की प्रतिबद्धताएं और मोड 4 पेशेवरों की कई श्रेणियों में पहुंच की सुविधा प्रदान की गई हैं।

एलडीसी सेवा-माफी के तहत अधिसूचित तरजीहों के कार्यान्वयन पर एक वेबिनार डब्ल्यूटीओ द्वारा जून 2021 में आयोजित किया गया था, जिसके दौरान भारत ने अधिसूचित तरजीहों के कार्यान्वयन और एलडीसी द्वारा उनके उपयोग के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताया। सदस्यों ने इसे सराहा।

(viii) व्यापार सुविधा करार (टीएफए)

टीएफए के तहत भारत की प्रतिबद्धता (टीएफए के अनुच्छेद 23.2 के तहत) के अंतर्गत मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति (एनसीटीएफ) गठित की गई थी। यह समिति समय-समय पर टीएफए के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है और इसके संबंध में घरेलू समन्वयन करती है। शीर्ष समिति के रूप में एनसीटीएफ को उसके कार्यों में एक संचालन समिति मदद करती है जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य सचिव और राजस्व सचिव संयुक्त रूप से करते हैं। इन समितियों को आगे कार्य दलों द्वारा सहायता दी जाती है जिनमें विशिष्ट व्यापार सुविधा उपाय या परियोजना वाले प्रासंगिक संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (एनटीएफएपी) 2017-2020 का निर्माण एनसीटीएफ द्वारा किया गया एक प्रारंभिक उपाय था। वर्ष 2020 से 2023 की अवधि के लिए एक

नया एनटीएफएपी तैयार किया गया है जिसका उद्देश्य व्यापार सुविधा प्रयासों को बढ़ावा देने और कुशल पारदर्शी जोखिम आधारित, समन्वित, डिजिटल, निर्बाध और प्रौद्योगिकी प्रेरित प्रक्रियाओं के ज़रिए सीमा-पार समाशोधन पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए अतिरिक्त सुधार करना है।

भारत एनसीटीएफ के समग्र मार्गदर्शन में टीएफए के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से बढ़ रहा है। जहां भारत की टीएफए प्रतिबद्धताओं का विवरण श्रेणी 'ए' के लिए 72.3% और श्रेणी 'बी' के लिए 27.7% है, श्रेणी 'बी' की कई प्रतिबद्धताएं, जो अन्यथा 2022 तक पूरी की जानी हैं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। इस तरह हमारी प्रतिबद्धताओं, जो पहले से ही लागू हो चुकी हैं, को आज तक की गणना में ले लिया है और 78.2% तक पहुंचा दिया है। ये पहलें व्यापार की सुविधा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के साथ-साथ पारदर्शिता और खुलेपन पर जोर देने के भाव को भी दर्शाती हैं।

(ix) व्यापार नीति समीक्षा

विश्व व्यापार संगठन में भारत की सातवीं व्यापार नीति समीक्षा 6 से 8 जनवरी 2021 के दौरान सफलतापूर्वक पूरी हुई। विश्व व्यापार के साथ-साथ बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका और योगदान पर विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा दिए गए महत्व की सराहना करते हुए इस कवायद के दौरान डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों द्वारा 1050 से अधिक प्रश्न पूछे गए तथा टीपीआर बैठकों में 53 हस्तक्षेप किए गए थे।

भारत ने भी विश्व व्यापार संगठन सचिवालय और राष्ट्रों की सरकार द्वारा जारी रिपोर्टों पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाकर विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देशों के टीपीआर में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया। 2021-22 के दौरान, भारत ने सिंगापुर, चीन, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, रूसी परिसंघ, मॉरीशस गणराज्य और बहरीन साम्राज्य के टीपीआर में भाग लिया।

(ख) बौद्धिक संपदा पहल

(i) डब्ल्यूटीओ में ट्रिप्स काउंसिल में भारत की पहल-कोविड-19 के आलोक में ट्रिप्स समझौते के कुछ प्रावधानों से छूट की मांग

अक्तूबर 2020 में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त रूप से डब्ल्यूटीओ में ट्रिप्स छूट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस छूट प्रस्ताव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बौद्धिक संपदा

अधिकार चिकित्सा उत्पाद जिनमें टीकेए उपचार और निदान उपाय शामिल हैं, उनके समय पर और सस्ती पहुंच में बाधा न बनें और राष्ट्र कोविड-19 महामारी से उत्पन्न जन-स्वास्थ्य की आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट सकें। इस प्रस्ताव को विश्व व्यापार संगठन के 100 से अधिक सदस्यों और कई सिविल सोसाइटी संगठनों से समर्थन मिला है। भारत और अन्य सह-प्रायोजक विश्व व्यापार संगठन में इस प्रस्ताव पर आम सहमति बनाने के प्रयास कर रहे हैं।

(ii) व्यापार पहल के लिए सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी तथा तकनीकी बाधाएं

(क) डब्ल्यूटीओ में विशिष्ट व्यापार सरोकार (एसटीसी)/द्विपक्षीय मुद्दे

वाणिज्य समिति की बैठकों के लिए डब्ल्यूटीओ सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी और तकनीकी बाधाएं सदस्य देशों के एसपीएस/टीबीटी उपायों से उत्पन्न होने वाले वाणिज्य सरोकारों (विशिष्ट वाणिज्य सरोकारों) को हल करने हेतु एक मंच के रूप में काम करती हैं। भारत ने अब तक एसपीएस और टीबीटी समिति की बैठकों में 54 एसटीसी (22 टीबीटी और 32 एसपीएस) उठाए हैं और विशेष रूप से न्यूनतम अवशिष्ट स्तर (एमआरएल), जोखिम विश्लेषण अनुरूपता मूल्यांकन आदि से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए वह अन्य सदस्यों के साथ द्विपक्षीय रूप से जुड़ा रहा है। भारत ने अपने तकनीकी नियमों का भी बचाव किया जिस पर इन समिति की बैठकों में अन्य सदस्यों द्वारा चिंताएं व्यक्त की गई थीं।

(ख) नियामक खामियों को दूर करने के लिए तकनीकी विनियम (टीआर) अधिसूचित करना

वाणिज्य विभाग गुणवत्ता ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी नियमों के निर्माण की सुविधा हेतु प्रमुख विभागों/मंत्रालयों के प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है कि बाजार में अवमानक उत्पादों को नहीं रखा जाता है। प्राथमिकता केंद्रित उत्पादों के अतिरिक्त विभाग ने रसायन और मशीन सुरक्षा पर वृहद तकनीकी नियमों (ओटीआर) के निर्माण के लिए क्रमशः रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग (डीसीपीसी) और भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) के साथ सहभागिता की है।

(ग) नियामक सहयोग के ऊपर यूरोपियन यूनियन (ईयू) के साथ संयुक्त कार्य समूह का गठन

माल और सेवा दोनों क्षेत्रों में नियामक सहयोग पर यूरोपीय संघ से चर्चा के लिए अलग से एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया है। जेडब्ल्यूजी से अपेक्षा है दोनों पक्षों के पारस्परिक हित के क्षेत्रों पर चर्चा होगी और सूचनाओं को साझा करने की सुविधा मिलेगी।

(ग) बहुपक्षीय वार्ताएं/फोरा

(i) व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड)

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) का उद्देश्य विकासशील देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना है। व्यापार और विकास के एकीकृत उपचार तथा वित्त, प्रौद्योगिकी, निवेश एवं धारणीय विकास के क्षेत्रों में परस्पर संबंधित मुद्दों के लिए यह संयुक्त राष्ट्र के तहत केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। अंकटाड के वर्तमान जनादेश के तीन स्तंभ हैं: क) स्वतंत्र नीति विश्लेषण; ख) आम सहमति का निर्माण; और ग) तकनीकी सहायता।

हर चार साल पर होने वाला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अंकटाड का सर्वोच्च निर्णायकारी निकाय है और संगठन के लिए प्राथमिकताओं और दिशानिर्देशों का निर्धारण करता है तथा प्रमुख आर्थिक एवं विकास संबंधी मुद्दों पर नीतिगत सहमति पर बहस करने और विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। अंकटाड का ग्ट मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 3-7 अक्टूबर 2021 के दौरान आयोजित हुआ। यह बारबाडोस सरकार और अंकटाड द्वारा वर्चुअल रूप से सह-प्रायोजित था। वर्चुअल तरीक से भारत ने मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के पूर्ण सत्र में और क्षेत्रीय एकीकरण पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया।

(ii) व्यापार वरीयता की वैश्विक प्रणाली (जीएसटीपी)

13 अप्रैल 1988 को बेलग्रेड में व्यापार वरीयता की वैश्विक प्रणाली (जीएसटीपी) की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। टैरिफ रियायतों के विनिमय हेतु जीएसटीपी वार्ता के पहले दौर के परिणामों की 41 देशों द्वारा पुष्टि की गई और यह समझौता 19 अप्रैल 1989 को लागू हुआ। भारत ने अन्य देशों से रियायतें प्राप्त करते हुए 30 प्रॉडक्ट लाइनों (एचएस4-6 स्तर पर) पर वरीयताएं बढ़ाईं। कुछ उत्पाद जिन पर भारत ने टैरिफ रियायतें दी हैं, वे हैं कोपरा (15% एमओपी), केन मोलासेस या खांड (30% एमओपी), पोर्टलैंड सीमेंट (25% एमओपी), बछड़े का चमड़ा (एमओपी 30%), एल्युमिनियम ट्यूब और पाइप (15% एमओपी) आदि।

दूसरे दौर के परिणाम लागू नहीं किए गए हैं।

जीएसटीपी वार्ता का तीसरा दौर 2004 में ब्राजील के साओ पाउलो में आरंभ हुआ और 2010 में समाप्त हुआ। इसे लागू नहीं किया जा सका है क्योंकि समझौते की पुष्टि के लिए कम से कम 4 सदस्य देशों की आवश्यकता होती है। तीसरे दौर में, सहभागी देशों ने राष्ट्रों के इस समूह के भीतर से आयातित माल के कम से कम 70% (एलडीसी प्रतिभागियों के लिए 80%) पर 20% टैरिफ कटौती प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। भारत सहित अब तक 44 सदस्य देशों में से 8 देशों ने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। इन 8 देशों में से तीन देश— भारत, मलेशिया और क्यूबा ने इसकी पुष्टि कर दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 23 अगस्त 2012 को अपनी बैठक में तीसरे दौर की वार्ता के तहत भारत की रियायतों की अनुसूची पर क्रियान्वयन की मंजूरी दी।

रियायतों योजना कोए तीसरे दौर की बातचीत के तहत कम से कम चार प्रतिभागियों द्वारा अपने कार्यक्रम की पुष्टि करने और जीएसटीपी सचिवालय को सूचित करने के तीस दिन बाद लागू किया जाएगा। ऐसे चार प्रतिभागियों के बीच टैरिफ रियायतें लागू की जाएंगी और अन्य प्रतिभागी अपनी योजना की पुष्टि करने के बाद रियायतों का लाभ उठाएंगे।

(iii) बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक)

बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक), एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें सात सदस्य देश— बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं जो 6 जून 1997 को गठित हुआ। इस पहल का उद्देश्य उप-क्षेत्रीय आधार पर आर्थिक सहयोग का विस्तार करना है, जिसमें बंगाल की खाड़ी से जुड़े दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया के देशों को शामिल किया गया है।

बिम्सटेक ने प्राथमिकता वाले 14 सहयोग क्षेत्रों की पहचान की है जहां सदस्य देशों को उनके संबंधित क्षेत्रों में अगुवाई हेतु चिह्नित किया गया है। आतंकवाद एवं अंतरराष्ट्रीय अपराध, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन परियोजना एवं परिवहन और संचार हेतु भारत एक अग्रणी देश है।

2004 में, बिम्सटेक के सदस्य वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और सीमा शुल्क सहयोग में व्यापार शामिल करते हुए बिम्सटेक मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते को लागू करने के लिए सहमत हुए हैं।

व्यापार वार्ता समिति (टीएनसी) द्वारा अब तक कुल 21 दौर की वार्ता हो चुकी है। 18–19 नवंबर 2018 को ढाका में बिम्सटेक टीएनसी की 21 वीं बैठक और रूल्स ऑफ ओरिजिन (उत्पत्ति कानून), सेवाओं, निवेश, सीमा शुल्क सहयोग, व्यापार सुविधा एवं कानून विशेषज्ञों पर कार्य समूह की बैठकें आयोजित की गईं। यह निर्णय लिया गया कि बिम्सटेक समझौते के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर-सत्रीय बैठकें / वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएं। आरओओ चैप्टर और ऑपरेशनल सर्टिफिकेशन प्रोसीजर (ओसीपी) टेक्स्ट से संबंधित बाकी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन पर बिम्सटेक कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजीआरओओ) की 19वीं बैठक का आयोजन 21–22 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में हुआ।

20वें डब्ल्यूजीआरओओ का आयोजन उद्गम नियम अध्यायों और बिम्सटेक उत्पाद विशिष्ट नियमों (पीएसआर) के स्थानान्तरण को अंतिम रूप देने संबंधित शेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ढाका में (वर्चुअल मोड में) किया गया था।

(iv) ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका)

ब्रिक्स इन पांच प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। मूल रूप से पहले चार को 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पहले “ब्रिक” के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ब्रिक्स प्रेसीडेंसी का आयोजन वार्षिक आधार पर सदस्य देशों द्वारा बारी-बारी से किया जाता है। वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में ब्रिक्स देशों का हिस्सा 24.3%, विश्व की आबादी में लगभग 41%, और 2020 में वैश्विक पण्य व्यापार का लगभग 18% हिस्सा है।

वाणिज्य विभाग ब्रिक्स संबंधी आर्थिक और व्यापार विषयों को देखता है जिन पर संस्थागत व्यवस्था के तहत चर्चा की जाती है जिससे व्यापार एवं आर्थिक मुद्दों पर संपर्क समूह (सीजीईटीआई) के रूप में जाना जाता है। भारत की अध्यक्षता में 2021 के मार्च, जुलाई और अगस्त/सितंबर 2021 में सीजीईटीआई की 3 बैठकें आयोजित की गईं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में 3 सितंबर 2021 को ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक (टीएमएम) आयोजित की गई। ये सभी बैठकें वर्चुअल तरीके से आयोजित हुईं।

टीएमएम द्वारा 2021 में भारत के प्रमुख प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की गई और उन्हें अपनाया गया:

- ◆ बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था पर ब्रिक्स सहयोग के लिए वक्तव्य।
- ◆ ई-कॉमर्स में उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ढांचा।
- ◆ ब्रिक्स आईपीआर सहयोग के अंतर्गत आनुवंशिक संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के संरक्षण हेतु सहयोग ढांचा (कोऑपरेशन फ्रेमवर्क)।
- ◆ व्यावसायिक सेवाओं के व्यापार में सहयोग हेतु ब्रिक्स ढांचा (फ्रेमवर्क)।
- ◆ “ब्रिक्स आर्थिकभागीदारी 2025 हेतु रणनीति” के व्यापार एवं निवेश संबंधी पहलुओं पर ब्रिक्स क्रियान्वयन रोडमैप।

उपरोक्त के अतिरिक्त वाणिज्य विभाग द्वारा संबंधित मंत्रालयों/संगठनों के समन्वय में निम्नलिखित कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए:

- ◆ 16 से 18 अगस्त 2021 तक वर्चुअल ब्रिक्स व्यापार मेला
- ◆ 22 जुलाई 2021 को ब्रिक्स एमएसएमई गोलमेज सम्मेलन
- ◆ 16 जुलाई और 13 अगस्त 2021 को व्यापार और सेवा सांख्यिकी पर ब्रिक्स कार्यशालाएं

(v) शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), एक बहुपक्षीय संगठन है जिसकी स्थापना, 2001 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के नेताओं द्वारा चीन के शंघाई में की गई। संगठन की स्थापना करने वाले एससीओ चार्टर पर जून 2002 में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए और 19 सितंबर 2003 को यह लागू हुआ। 9 जून 2017 को अस्ताना, कजाकिस्तान में एक शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान एससीओ के पूर्ण सदस्य बने। वर्तमान में एससीओ के आठ सदस्य हैं।

वर्ष 2021 के लिए कजाकिस्तान गणराज्य सरकार के प्रमुखों की परिषद का अध्यक्ष था। वर्ष के दौरान वाणिज्य विभाग ने एससीओ की दो बैठकों में भाग लिया, जो इस प्रकार हैं:

- ◆ विदेश आर्थिक एवं विदेश व्यापार गतिविधि (एससीओ वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक) के लिए उत्तरदायी एससीओ सदस्य राज्यों के मंत्रालयों और एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के आयोग की बैठक जो 21-22 जून,

26-27 अगस्त और 15-17 सितंबर 2021 के दौरान आयोजित हुई।

- ◆ विदेश आर्थिक एवं विदेश व्यापार गतिविधियों के लिए उत्तरदायी एससीओ सदस्य राज्यों के मंत्रियों की बैठक जो 14 अक्टूबर 2021 को आयोजित हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ने किया। बैठक के दौरान, “शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के मंत्रियों द्वारा विदेश आर्थिक एवं विदेश व्यापार गतिविधियों को बहाल करने और संतुलित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी राज्यों का वक्तव्य” अंगीकार किया गया जो संतुलित एवं टिकाऊ आर्थिक विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित था।

(vi) जी20 और भारत

जी20 की स्थापना एशियाई वित्तीय संकट के मद्देनजर 1999 में 19 देशों (अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) तथा यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के एक फोरम के रूप में की गई। यद्यपि, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से प्रभावी ढंग से निबटने हेतु जी20 को 2008 में तब प्रमुखता मिली जब इसे वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के फोरम से बढ़ाकर देश/सरकार के प्रमुखों का फोरम बनाया गया। 2009 में जी20 ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में जी8 की जगह ली। जी20 के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और दुनिया की दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जी20 के अंतर्गत वाणिज्य विभाग (डीओसी) व्यापार और निवेश कार्य समूह (टीआईडब्ल्यूजी) का समन्वयक/नोडल विभाग है।

2021 में जी20 की अध्यक्षता इटली के पास थी। जबकि कोविड-19 महामारी की वजह से टीआईडब्ल्यूजी की पहली तीन बैठकें वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई थीं, टीआईडब्ल्यूजी की चौथी बैठक 10.11 अक्टूबर 2021 और जी20 व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक (टीआईएमएम) 12 अक्टूबर 2021 को सोरेंटो, इटली में प्रत्यक्ष रूप से आयोजित की गई। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने जी20 व्यापार व

निवेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। निम्नलिखित पर बल देते हुए टीआईएमएम ने जी20 मंत्रीस्तरीय वक्तव्य को अंगीकार किया:

- ◆ विश्व व्यापार संगठन में सुधार,
- ◆ व्यापार और स्वास्थ्य,
- ◆ सेवाएं और निवेश,
- ◆ सरकारी सहायता और स्तर का खेल मैदान,
- ◆ व्यापार और पर्यावरण स्थिरताएं और
- ◆ एमएसएमई।

वर्ष 2022 में, अध्यक्ष पद इंडोनेशिया के पास है और भारत ट्रोइका (टीआरओआईकेए) का सदस्य होगा। 2023 में भारत जी20 की अध्यक्षता करेगा।

(vii) भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए)

इन विकासशील देशों के लिए प्रासंगिक वैश्विक मुद्दों पर सहयोग और समन्वयन को बढ़ावा देने हेतु तीन अलग-अलग महाद्वीपों के तीन प्रमुख लोकतंत्रों के बीच आईबीएसए एक त्रिपक्षीय विकास पहल है। 6 जून 2003 को “ब्राजीलिया घोषणा” के जरिए औपचारिक रूप से स्थापित, आईबीएस, बहुपक्षवाद को मजबूत करने, दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करने और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों के भीतर निर्णय लेने के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु नीति समन्वयन की एक प्रमुख पहल का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व व्यापार संगठन के दोहा दौर जैसे मुद्दों पर विचार विनिमय हेतु आईबीएसए के व्यापार मंत्री अक्सर मिलते हैं। 2012 से भारत आईबीएसए की अध्यक्षता कर रहा है।

दिनांक 23 मई 2013 को भारत ने नई दिल्ली में व्यापार और निवेश पर आईबीएसए कार्य समूह (डब्ल्यूजीटीआई) की 10वीं बैठक की मेजबानी की।

भारत की आईबीएस, अध्यक्षता के दौरान, वाणिज्य विभाग ने 4.5 अगस्त 2021 की अवधि में भारतीय कॉफी बोर्ड ए बेंगलुरु के सहयोग से एक वर्चुअल कॉफी उत्सव की मेजबानी की, जिसका विषय था – कॉफी देश और सहयोग। कोविड-19 महामारी के फैलने से हर दूसरे उद्योग की तरह कॉफी क्षेत्र को भी भारी नुकसान हुआ। आईबीएसए कॉफी उत्सव ने कॉफी उद्योग पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला और भविष्य के विकास के लिए इन

तीन देशों में समाधान और अवसरों पर विचार-विमर्श किया।

(viii) सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जीएसपी)

सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जीएसपी) एकतरफा तरजीही टैरिफ प्रणाली है जो एलडीसी सहित विकासशील देशों से उत्पादित उत्पादों (जीएसपी प्रदान करने वाले देशों द्वारा अनुमत) पर टैरिफ छूट प्रदान करती है। भारतीय उत्पादों के लिए जीएसपी योजना का विस्तार ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, बुल्गारिया, यूरोपीय संघ, जापान, कजाकिस्तान, न्यूजीलैंड, रूसी संघ, स्विटजरलैंड, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम जैसे 11 देशों द्वारा किया गया है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने जीएसपी योजना के तहत मूल प्रमाण पत्र (सीओओ) जारी करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है जिससे 1 अप्रैल 2021 से सभी तरजीही प्रमाण पत्र (सीओओ) के लिए प्रभावी बनाया गया है। इसके लिए निर्यातकों को केवल सरकार द्वारा नामित संबंधित अधिकृत एजेंसी द्वारा सीओओ जारी करने हेतु सीओओ प्रारूप में अपने शिपमेंट का विवरण ऑनलाइन भरना जरूरी है। यद्यपि यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए जीएसपी योजना के तहत एरजिस्टर्ड प्रणाली (आरईएक्स) का उपयोग ईयू जीएसपी लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है जिसमें निर्यातक को आरईएक्स नंबर प्राप्त करने हेतु पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है और उसके बाद निर्यातक ऐसे निर्यात हेतु मूल के विवरण को स्व-प्रमाणित कर सकता है।

(ix) सप्लाई चेन रेजिलिएंस इनिशिएटिव (एससीआरआई)

27 अप्रैल 2021 को ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के व्यापार और उद्योग मंत्रियों द्वारा शुरू की गई एक त्रिपक्षीय पहल आपूर्ति श्रृंखला लोचशीलता पहल यानी सप्लाई चेन रेजिलिएंस इनिशिएटिव (एससीआरआई) भारत-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं की लोचशीलता को बढ़ाने और आपूर्ति के भरोसेमंद स्रोतों को विकसित करने का प्रयास करती है और साथ निवेश आकर्षित करती है। आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य में हाल ही में वैश्विक स्तर पर बदलाव सहित कोविड-19 की मौजूदा संकट की वजह से कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं की आपूर्ति में व्यवधान के साथ-साथ स्वास्थ्य पेशेवरों की सीमा पार आवाजाही के कारण यह और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

इस पहल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- ◆ आपूर्ति स्रोतों के विविधता तथा क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता सहित हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला के लोचशीलता को बढ़ाना।
- ◆ क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करना और सहभागियों के बीच परस्पर पूरक संबंध मजबूत करना।
- ◆ यद्यपि व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, उनका विस्तार करना और उनमें विविधता लाना व्यापक उद्देश्य है, तथापि विशिष्ट कार्य योजनाओं में व्यापार प्रलेखन का डिजिटलीकरण, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां, सहयोग के लिए क्षेत्रों की पहचान, अन्य देशों का पता लगाना, क्षमता निर्माण, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना शामिल हैं जिन्हें इस पहल में शामिल किया जा सकता है।
- ◆ भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रियों ने 27 अप्रैल 2021 को औपचारिक रूप से आपूर्ति श्रृंखला लोचशीलता पहल (एससीआरआई) की शुरुआत की। ताकि भारत-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं की लोचशीलता को बढ़ाया जा सके और आपूर्ति के भरोसेमंद स्रोतों को विकसित कर निवेश आकर्षित किया जा सके।

पहल को आगे बढ़ाने के लिए, निम्नलिखित आरंभिक परियोजनाओं को हाथ में लेने का निर्णय लिया गया:

- ◆ आपूर्ति श्रृंखला लोचशीलता पर सर्वोत्तम कार्यव्यवहार साझा करना तथा
- ◆ हितधारकों को उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण की संभावना का पता लगाने के अवसर प्रदान करने हेतु निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम और खरीदार-विक्रेता सुमेलन कार्यक्रम आयोजित करना।

पूर्वोक्त निर्णय के अनुसरण में, इस पहल को आगे बढ़ाने के तौर-तरीकों और उसमें की गई पर्याप्त प्रगति पर वरिष्ठ अधिकारियों की तीन त्रिपक्षीय (ऑस्ट्रेलिया-भारत-जापान) बैठक (एसईओएम) जुलाई-सितंबर और दिसंबर 2021 में आयोजित की गई।

(x) वर्चुअल जे-ब्रिज टाई अप इवेंट के माध्यम से पहला क्रेता-विक्रेता मिलान कार्यक्रम 18 नवंबर

2021 को आयोजित किया गया था।

भारत संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय विकास शाखा ईएससीएपी के संस्थापक सदस्य देशों में से एक है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के मुख्य आर्थिक एवं सामाजिक विकास केंद्र के रूप में काम करता है। 53 सदस्य देशों और 9 सहयोगी सदस्य देशों से मिलकर, एक भौगोलिक क्षेत्र जो पश्चिम में तुर्की से पूर्व में प्रशांत द्वीप राष्ट्र किरिबाती तक और उत्तर में रूसी संघ से दक्षिण में न्यूजीलैंड तक फैला है, ईएससीएपी संयुक्त राष्ट्र के पांच क्षेत्रीय आयोगों में सर्वाधिक व्यापक है। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में काम करने वाला संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा निकाय भी है।

1947 में थाईलैंड के बैंकॉक में अपने मुख्यालय के साथ स्थापित ईएससीएपी इस क्षेत्र की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों को दूर करने का प्रयास करता है। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में काम करता है:

- ◆ आईसीटी और आपदा जोखिम न्यूनीकरण
- ◆ पर्यावरण और विकास
- ◆ सामाजिक विकास
- ◆ आंकड़े (सांख्यिकी)
- ◆ व्यापक आर्थिक नीति और विकास के लिए वित्तपोषण
- ◆ व्यापार निवेश और नवाचार
- ◆ परिवहन
- ◆ ऊर्जा

ईएससीएपी उन मुद्दों पर ध्यान देता है जिन्हें क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से निबटाया जा सकता है जिनमें शामिल हैं:

- ◆ ऐसे मुद्दे जिनका इस क्षेत्र के सभी देशों अथवा देशों के समूहका सामना करते हैं, जिसके हल के लिए एक दूसरे से सीखना आवश्यक है।
- ◆ क्षेत्रीय या बहु-राष्ट्रीय भागीदारी से लाभान्वित होने वाले मुद्दे।
- ◆ ऐसे मुद्दे जो सीमा-पार प्रकृति के हैं, या जो सहयोगात्मक अंतर-देशीय दृष्टिकोणों से लाभान्वित हो सकते हैं।
- ◆ ऐसे मुद्दे जो संवेदनशील या उदीयमान प्रकृति के हैं और जिनप आगे ध्यान देने और वार्ता करने की आवश्यकता है।

(क) ईएससीएपी का वार्षिक सत्र

क्षेत्र में समावेशी एवं धारणीय आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए सहायक निकायों और कार्यकारी सचिव की सिफारिशों पर निर्णय लेने के लिए प्रस्तावित रणनीतिक की समीक्षा और समर्थन करने के लिए काम की रूपरेखा और कार्यक्रम और इसके संदर्भ की शर्तों के अनुरूप कोई अन्य आवश्यक निर्णय लेने के लिए मंत्री-स्तर पर आयोग की वार्षिक बैठक होती है।

ईएससीएपी का 77वां सत्र 26-29 अप्रैल 2021 को थाईलैंड के बैंकॉक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन आयोजित किया गया था। सत्र का विषय था- “एशियायी और प्रशांत देशों में क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से संकटों से उबरकर बेहतर पुनर्निर्माण करना”।

(ख) ईएससीएपी को भारत का योगदान

ईएससीएपी के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन में क्षेत्रीय संस्थानों और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सहयोग किया जाता है। वर्ष के दौरान ईएससीएपी के साथ भारत ने घनिष्ठ सहयोग करते हुए काम किया है। ईएससीएपी के निम्नलिखित क्षेत्रीय संस्थानों को भारत ने सततर वित्तीय सहायता मुहैया कराने की भी प्रतिबद्धता जताई है:

- ◆ नई दिल्ली में भारत द्वारा प्रायोजित एशिया एवं प्रशांत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र यानी एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (एपीसीटीटी)।
- ◆ धारणीय कृषि यंत्रीकरण केंद्र (सीएसएएम), बीजिंग, चीन।
- ◆ चिबाए जापान में एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के लिए सांख्यिकीय संस्थान (एसआईएपी)।

(ग) भारत में उप क्षेत्रीय कार्यालय

यूएन-ईएससीएपी के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करते हुए, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया के लिए एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय (एसआरओ) भारत की वित्तीय सहायता से नई दिल्ली में स्थापित किया गया।

एसआरओ की मुख्य गतिविधियां हैं:

- ◆ उप-क्षेत्रीय एवं आयोग मुख्यालय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हुए आयोग के एजेंडे को उप-क्षेत्रीय

स्तर पर लागू करना।

- ◆ उप-क्षेत्र के भीतर सदस्य देशों के प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशिष्ट उप-क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और उनमें सहयोग करना।
- ◆ ज्ञान प्रबंधन एवं नेटवर्किंग के लिए उप-क्षेत्रीय केंद्रों के रूप में काम करना।
- ◆ तकनीकी सहायता वाली गतिविधियों के संचालन का नेतृत्व करना और उप-क्षेत्र में आयोग की क्रियान्वयन शाखा के रूप में काम करना।
- ◆ उप-क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के साथ घनिष्ठ कार्य-संबंध स्थापित करना और उप-क्षेत्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली गतिविधियों के समन्वयन को बढ़ावा देना।
- ◆ एक क्षेत्रीय ढांचे के साथ उप-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु अन्य उप-क्षेत्रीय अंतर सरकारी निकायों सहित उप-क्षेत्र में अन्य संबंध कार्यकारी पक्षों के साथ मजबूत भागीदारी और नेटवर्क स्थापित करना।

(xi) किम्बर्ले प्रक्रिया प्रमाणन योजना

किम्बरले प्रक्रिया (केपी) कॉन्फ्लिक्ट हीरो (ऐसे कठोर हीरे जिनका इस्तेमाल विद्रोही आंदोलनों द्वारा वैध सरकार के खिलाफ युद्धों को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है) के प्रवाह को रोकने हेतु उद्योग और नागरिक समाज के पर्यवेक्षकों के साथ सहभागी सरकारों की एक संयुक्त पहल है। किम्बरले प्रॉसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (केपीसीएस) एक संयुक्त राष्ट्र निरूपित (2000 का यूएनजीए प्रस्ताव 55/56 और यूएनएससी प्रस्ताव 1459 (2003)) अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन योजना है। इसके लिए प्रत्येक भागीदार को कच्चे हीरे के उत्पादन और व्यापार पर आंतरिक नियंत्रण लगाना जरूरी होता है। किसी गैर-सहभागी के साथ कच्चे हीरे के व्यापार की अनुमति नहीं होती। कच्चे हीरे के सभी निर्यात के साथ एक वैध केपी प्रमाणपत्र होना चाहिए जिसमें बताया गया हो कि हीरे विवाद मुक्त हैं।

केपीसीएस में वर्तमान में 56 सहभागी हैं, जो यूरोपीय संघ और इसके सदस्य देशों के साथ 82 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिनकी गिनती एकल सहभागी के रूप में होती है। सभी प्रमुख हीरा उत्पादक वाणिज्य और पॉलिशिंग केंद्र केपी के सदस्य हैं। नागरिक समाज और उद्योग समूह भी केपी में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। केपी की अध्यक्षता वार्षिक आधार पर चक्रित होती

है। उपाध्यक्ष का चयन वार्षिक “पूर्ण” बैठक में किया जाता है और अगले वर्ष वह स्वतः अध्यक्ष बन जाता है। केपीसीएस के अध्यक्ष केपीसीएस के क्रियान्वयन कार्य समूहों और समितियों के संचालन और सामान्य प्रशासन की देखरेख करते हैं। 2021 के लिए रूसी संघ केपी अध्यक्ष है और बोत्सवाना 2021 के उपाध्यक्ष होने के नाते 2022 में केपी का अध्यक्ष बनेगा।

भारत केपीसीएस के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत वर्ष 2008 और 2019 में किम्बरले प्रक्रिया का अध्यक्ष था।

12. सेवाओं में व्यापार

(i) वर्ष 2021.22 में सेवाओं में द्विपक्षीय जुड़ाव

वाणिज्य विभाग का व्यापार नीति प्रभाग (सेवा) यूरोपीय संघ, ईएफटीए, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ सेवाओं में व्यापार सहित विभिन्न ट्रेड के तहत द्विपक्षीय एफटीए, वार्ता में संलग्न है। भारत-जापान सीईपी, क्रियान्वयन और भारत-कोरिया सीईपीए समुन्वयन संबंधित मुद्दों पर वाणिज्य भागीदारों की संयुक्त समिति के तहत गठित संबंधित उप-समूहों में चर्चा की जा रही है। इसके अलावा, यह प्रभाग (डिवीजन) सेवाओं पर भारत-चीन कार्यकारी-समूह के तहत चीन के साथ और यूके के साथ समुन्नत ट्रेड पार्टनरशिप और जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी (जेटको) की बैठकों के तहत द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में भी संलग्न है।

दिनांक 23-11-2021 को नई दिल्ली में भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत-संयुक्त राज्य व्यापार नीति मंच (टीपीएफ) की बारहवीं मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में, अन्य विषयों के साथ-साथ, सेवाओं के व्यापार से संबंधित मुद्दों जैसे- सामाजिक सुरक्षा समझौता/समग्रता संधि, नर्सिंग सेवाओं में एमआरए, लेखा सेवाओं में एमआरए और डिजिटल व्यापार पर चर्चा की गई।

मौजूदा एफटीए के क्रियान्वयन के संदर्भ में सेवा आपूर्तिकर्ताओं के गतिशीलता मुद्दों को हल करने और निर्यातकों तथा अन्य हितधारकों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाएँ यदि कोई होएँ तो उसे दूर करने के लिए व्यवसाय संबंधी निकायों के बीच पारस्परिक मान्यता समझौतों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रित प्रयास किए जा रहे हैं।

(ii) सेवा व्यापार आँकड़े

यह प्रभाग वाणिज्यिक प्रज्ञता एवं सांख्यिकी महानिदेशक (डीजीसीआई एंड एस) के समन्वय से और संबंधित विभागों के परामर्श के साथ सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आँकड़ों के संग्रहण और संकलन के लिए एक रूपरेखा का अनुसरण कर रहा है।

(iii) उद्योग हितधारकों के साथ संपर्क

आईटी/आईटीईएस, श्रव्य दृश्य सेवाओं, चिकित्सा मूल्य यात्रा, पर्यटन, उच्च शिक्षा और लेखा सेवाओं के क्षेत्रों में उद्योग हितधारकों के साथ केंद्रित अंतर्क्रिया का आयोजन किया गया। विचार-विमर्श से निकल कर आए महत्वपूर्ण कार्यवाई योग्य बिंदुओं और सुधार सुझावों पर संबंधित अभिकरणों के साथ कार्यवाई की जा रही है।

(iv) सेवा निर्यात सेल

भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न नोडल मंत्रालयों/विभागों के प्रयासों में निर्यात अभिमुखन लाने के लिए और विभिन्न स्तरों पर शुरू किए गए कार्यक्रमों और योजनाओं में समन्वयन हेतुएँ वाणिज्य विभाग के अनुरोध पर चैंपियन सेवा क्षेत्र को संभालने वाले नोडल मंत्रालयों/विभागों में एक सेवा निर्यात प्रकोष्ठ बनाया गया है।

(v) अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए व्यापार संवर्धन।

उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन (एचईएस)

- ◆ एक वैश्विक सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन संयुक्त रूप से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयएँ भारत सरकारएँ भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) तथा सेवा निर्यात संवर्धन संघ यानी सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसईपीसी) द्वारा किया जाता है। इस आयोजन को मानव संसाधन विभाग मंत्रालय तथा एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (ईडीसीआईएल) का भी सहयोग प्राप्त है।
- ◆ दिनांक 25-27 फरवरी 2021 को 16वें उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन फिक्की द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म

के माध्यम से किया गया। शिखर सम्मेलन का विषय था 'उच्च शिक्षा @2030% आर.आई.एस.ई. (R.I.S.E.) लोचशीलता नवाचार। धारणीयता। उद्यम'

♦ आयोजन के मुख्य आकर्षण थे:

- शीर्ष शिक्षाविदों, उद्योग जगत के अग्रणी हस्तियों, कुलपतियों, छात्रों आदि के साथ आमने-सामने की वार्ता।
- व्युत्क्रम खरीददार विक्रेता बैठक यानी रिवर्स बायर सेलर मीट (आरबीएसएम) – अंतर्राष्ट्रीय छात्र भर्ती। भारतीय बाजार में उपलब्ध अवसरों को प्रदर्शित करना और विदेशी विश्वविद्यालयों को

सहयोग हेतु प्रोत्साहित करना।

- भारतीय बाजार में रुचि रखने वाले वैश्विक विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का अवसर।
- वर्तमान में मौजूदा 'गैर-लाभकारी' संरचना के पुनरावलोकन के साथ उच्च शिक्षा क्षेत्र में एफडीआई आकर्षित करना।
- अनुसंधान छात्र एवं संकाय विनिमय कार्यक्रमों, सह-कार्यक्रमों आदि के लिए सहयोग तथा गठबंधन करना।

अध्याय 7

विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) और
निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू)

1. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)

वर्ष 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) कांडला में स्थापित किया गया था, इसके बाद देश में सात अन्य ईपीजेड की स्थापना की गई थी। तदोपरांत, अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति की घोषणा की गई, जिसमें विभिन्न नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया गया। इस नीति का उद्देश्य एसईजेड को आर्थिक विकास के लिए एक ऐसे प्रमुख चालक के रूप में बनाना है, जो गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित हो और केंद्र तथा राज्य, दोनों स्तरों पर एक आकर्षक वित्तीय पैकेज के साथ-साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल नियामक ढांचे के साथ पूरक हो। तदनुसार, कांडला और सूरत (गुजरात), सांताक्रूज (महाराष्ट्र), कोचीन (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित पहले से मौजूद सभी 8 ईपीजेड को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में परिवर्तित किया गया।

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 को मई, 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 23 जून, 2005 को इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। 10 फरवरी, 2006 को एसईजेड नियमों द्वारा समर्थित, एसईजेड अधिनियम, 2005, लागू हुआ।

एसईजेड अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- ◆ अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन।
- ◆ वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना।
- ◆ घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना।
- ◆ रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
- ◆ अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना।

एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी भी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग, माल के निर्माण या सेवाएँ प्रदान करने, या दोनों के लिए या

एक मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग/माल गोदाम क्षेत्र के रूप में एक एसईजेड की स्थापना की जा सकती है। ऐसे प्रस्तावों पर, संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुशंसा की जाती है, तदोपरांत एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है। एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किए जा रहे एसईजेड मुख्य रूप से निजी निवेश संचालित पहल होते हैं।

(क) एसईजेड का मौजूदा कार्यप्रदर्शन

फरवरी, 2006 में एसईजेड नियमों की अधिसूचना के बाद, वाणिज्य विभाग ने 425 एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए हैं, जिनमें से 358 को अधिसूचित किया जा चुका है। एसईजेड में समग्र रूप से 25,60,286 व्यक्तियों को प्रदान किए गए कुल रोजगार में से, 24,25,582 वृद्धिशील रोजगार है, जो फरवरी 2006 के बाद सृजित हुए हैं। यह अधोसंरचनात्मक गतिविधियों के लिए विकासकर्ताओं द्वारा सृजित लाखों कार्य-दिवसों के रोजगार के अलावा है। वर्ष 2020-21 में एसईजेड से भौतिक निर्यात 7,59,524 करोड़ रुपये दर्शाया गया है, जिसमें वर्ष 2019-20 में 7,96,669 करोड़ रुपये की तुलना में उक्त वर्ष के दौरान -4.66: की कमी दर्ज की गई है। पिछले सोलह वर्षों (वर्ष 2005-06 से 2020-21) में निर्यात में समग्र तौर पर 3,225: की वृद्धि हुई है। 30 सितंबर, 2021 को एसईजेड से कुल भौतिक निर्यात 4,48,247 करोड़ रुपये का हो गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के निर्यात की तुलना में 28.30: की वृद्धि को दर्शाता है। 30 सितंबर, 2021 तक एसईजेड में कुल निवेश 6,28,565.89 करोड़ रुपये है, जिसमें एसईजेड अधिनियम, 2005 के बाद स्थापित किए गए नए अधिसूचित एसईजेड में 5,92,845.46 करोड़ रुपये शामिल हैं। एसईजेड में स्वचालित मार्गों के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है।

वर्ष 2005-06 से कार्यशील एसईजेड से निर्यात निम्नानुसार हैं:

वर्ष	निर्यात		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (आईएनआर)
	(मूल्य करोड़ रुपये में)	(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)	
2005-2006	22,840	5.08	-
2006-2007	34,615	7.69	52
2007-2008	66,638	14.81	93
2008-2009	99,689	21.71	50

वर्ष	निर्यात		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (आईएनआर)
	(मूल्य करोड़ रुपये में)	(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)	
2009-2010	2,20,711	46.54	121.40
2010-2011	3,15,868	69.30	43.11
2011-2012	3,64,478	76.01	15.39
2012-2013	4,76,159	87.45	31
2013-2014	4,94,077	81.67	4
2014-2015	4,63,770	75.84	(-)6.13
2015-2016	4,67,337	71.38	0.77
2016-2017	5,23,637	78.07	12.05
2017-2018	5,81,033	90.15	11
2018-2019	7,01,179	100.28	21
2019-2020	7,96,669	112.37	13.62
2020-2021	7,59,524	102.32	(-)4.66
2021-2022 (30.09.2021 से तक)	4,48,247	60.63	28.30*

*वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि की निर्यात वृद्धि

वर्तमान में कुल 268 एसईजेड निर्यात कर रहे हैं। इसमें से 162 आईटी/आईटीईएस एसईजेड हैं, और 106 मल्टी सेक्टर एसईजेड हैं। एसईजेड में अब तक 5,604 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं।

(ख) योजना की प्रभाविता

एसईजेड योजना ने भारत और विदेशों दोनों में निवेशकों के बीच जबरदस्त प्रतिक्रिया उत्पन्न की है, जो देश में निवेश के प्रवाह और अतिरिक्त रोजगार के सृजन से स्पष्ट प्रतीत होता है। विदेशी मुद्रा का अर्जन और अधोसंरचनात्मक विकास के अलावा, एसईजेड ने प्रत्यक्ष और साथ ही अप्रत्यक्ष रोजगार के क्षेत्र, नई गतिविधियों के उद्भव, खपत पैटर्न में बदलाव और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थानीय क्षेत्र प्रभाव हासिल किया है।

(ग) एसईजेड के कुछ महत्वपूर्ण पहलू

(i) एसईजेड हेतु भूमि की आवश्यकता

दिनांक 17 दिसंबर 2019 को किए गए एसईजेड नियम, 2006 में संशोधन के परिणामस्वरूप, सूचना प्रौद्योगिकी हेतु एक विशेष आर्थिक क्षेत्र, या सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं, बायोटेक या स्वास्थ्य (अस्पताल के

अलावा) सेवाओं के अलावा, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र या मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र स्थापित करने के लिए न्यूनतम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता पचास हेक्टेयर या उससे अधिक का एक निकटवर्ती भूमि क्षेत्र है। यदि असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, गोवा या किसी केंद्र शासित राज्यों में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो आवश्यक न्यूनतम भूमि क्षेत्र पच्चीस हेक्टेयर या उससे अधिक है।

सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं, बायोटेक या स्वास्थ्य (अस्पताल के अलावा) सेवाओं के लिए किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए कोई न्यूनतम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। शहरों की श्रेणी के आधार पर न्यूनतम निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र की आवश्यकता को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

क्र.सं.	शहरों की श्रेणियाँ	न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता
1	श्रेणी 'क'	50,000 वर्ग मीटर
2	श्रेणी 'ख'	25,000 वर्ग मीटर
3	श्रेणी 'ग'	15,000 वर्ग मीटर

(ii) विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की प्रक्रिया

एसईजेड की स्थापना के लिए संबंधित राज्य सरकार की

सिफारिश के बाद, अनुमोदन बोर्ड भूमि के न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकताओं और एसईजेड अधिनियम और नियमों में निर्धारित अन्य नियमों व शर्तों के अधीन एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी देता है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि एसईजेड के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में, पहली प्राथमिकता बेकार और बंजर भूमि के अधिग्रहण के लिए होनी चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो एसईजेड के लिए एकल फसल कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। यदि दोहरी फसल वाली कृषि भूमि के एक हिस्से को न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बलपूर्वक अधिग्रहित किया जाना है, विशेष रूप से बहु-उत्पाद एसईजेड के लिए, तो यह एसईजेड के लिए आवश्यक कुल भूमि के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार एसईजेड के लिए कोई जमीन आवंटित नहीं करती है। एसईजेड पर अनुमोदन बोर्ड केवल उन प्रस्तावों पर विचार करता है, जिनकी राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुशंसा की गई है। इसके अलावा, 5 अप्रैल 2007 को हुई इसकी बैठक में मंत्रियों के उच्चाधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) के निर्णय के अनुसार, राज्य सरकारों को 15 जून 2007 को सूचित किया गया है कि अनुमोदन बोर्ड ऐसे किसी भी एसईजेड को मंजूरी नहीं देगा जहां राज्य सरकारों ने 5 अप्रैल 2007 के बाद ऐसे एसईजेड के लिए भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा है या प्रस्तावित है।

(iii) एसईजेड के तहत भूमि का विवरण

1	7 केंद्रीय सरकार से संबंधित कुल भूमि क्षेत्र + 12 राज्य/निजी अधिसूचित एसईजेड	2,132.18 हेक्टेयर
2	358 अधिसूचित एसईजेड से संबंधित कुल भूमि क्षेत्र	39,838.16 हेक्टेयर
3	67 औपचारिक रूप से स्वीकृत एसईजेड से संबंधित कुल भूमि क्षेत्र	5,460.03 हेक्टेयर
4	अधिसूचित और औपचारिक रूप से स्वीकृत एसईजेड से संबंधित कुल भूमि क्षेत्र (1+2+3)	47,430.37 हेक्टेयर
5	सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत 34 एसईजेड से संबंधित भूमि क्षेत्र	20,454 हेक्टेयर
6	भारत के भूमि क्षेत्र के लिए अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्र का : (328 मि.हे.)	0.013%
7	भारत के कृषि भूमि क्षेत्र के लिए अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्र का : (142 मि.हे.)	0.026%

(iv) एसईजेड विकासकर्ताओं और इकाइयों को दिए जाने वाले वित्तीय लाभ और शुल्क रियायत

विदेशी निवेश सहित एसईजेड में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से एसईजेड इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान की गई हैं:

- एसईजेड इकाइयों के विकास, संचालन और रखरखाव हेतु शुल्क मुक्त आयात/माल की घरेलू खरीद।
- पहले 5 वर्षों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10ए के तहत एसईजेड इकाइयों के लिए निर्यात आय पर 100: आयकर छूट, फिर अगले 5 वर्षों के लिए 50:; उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए वापस निर्यात लाभ का 50%। (इकाइयों के लिए सावधि विधि (सनसेट क्लोज़) दिनांक 01-04-2020 से प्रभावी हुआ है)।
- आयकर अधिनियम की धारा 115जेबी के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से छूट। (दिनांक 01.04.2012 से वापस लिया गया)।
- केंद्रीय बिक्री कर से छूट, सेवा कर से छूट और राज्य बिक्री कर से छूट। ये अब जीएसटी में शामिल हो गए हैं, और एसईजेड को आपूर्ति आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत शून्य दर पर है।
- संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए अन्य शुल्क।
- केंद्रीय और राज्य स्तर की मंजूरी के लिए एकल खिड़की (सिंगिल विन्डो) निकासी।
- एसईजेड विकासकर्ताओं हेतु उपलब्ध प्रमुख प्रोत्साहनों और सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा अनुमोदित अधिकृत संचालन के लिए एसईजेड के विकास हेतु सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क से छूट।
 - आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएबी के तहत 15 वर्षों की अवधि में 10 वर्षों के ब्लॉक हेतु एसईजेड के विकास के व्यवसाय से प्राप्त आय पर आयकर छूट। विकासकर्ताओं हेतु सावधि विधि (सनसेट क्लॉउस) दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी हुआ है।

- केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) से छूट।
- सेवा कर से छूट (एसईजेड अधिनियम की धारा 7, 26 और दूसरी अनुसूची)।

(घ) एसईजेड में कारोबार में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) सुनिश्चित करने हेतु हालिया पहल

- ◆ निवल विदेशी मुद्रा अर्जन मानदंड के लिए गणना की पद्धति की समीक्षा की गई और अधिसूचना दिनांक 7 मार्च 2019 के द्वारा संशोधित की गई है
- ◆ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक इकाई के लिए उसकी विशेष प्रकृति को देखते हुए निवल विदेशी मुद्रा की गणना की सुविधा के लिए नियम 53ए डाला गया है।
- ◆ एसईजेड को सेवाओं की एक समान सूची, निविष्टि की गई सेवाओं की एक विस्तृत सूची जिसका उपयोग एसईजेड इकाइयों द्वारा अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिससे ऐसे प्रत्येक उदाहरण के लिए विकास आयुक्तों की अनुमति लेने हेतु इकाइयों की आवश्यकता से बचा जा सकता है।
- ◆ एसईजेड इकाइयों को अनुमत कैफेटेरिया, व्यायामशाला, शिशुगृह/बालवाड़ी और अन्य समान सुविधाओं/साधनों की स्थापना
- ◆ विकास आयुक्त को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में स्थानांतरित करने हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन
- ◆ आईटी/आईटीईएस एसईजेड इकाइयों के कर्मचारियों को घर से कार्य काम करने की अनुमति देने हेतु मार्च 2019 में एसईजेड नियमों में संशोधन
- ◆ एफटीडब्ल्यूजेड में परित्यक्त माल/अनिकासित कार्गो की निकासी के लिए दिशानिर्देश
- ◆ परिक्षेत्रों के लिए "डी-अधिसूचना" प्रक्रिया को औपचारिक बनाना, और केवल एसईजेड के उद्देश्य हेतु इसके वर्तमान अनिवार्य उपयोग को पृथक् करना
- ◆ विनिर्माण क्षेत्रों के सेवाकरण को सक्षम करने हेतु सहायता। विनिर्माण सक्षम सेवा कंपनियों, जैसे अनुसंधान एवं विकास सेवाएं, इंजीनियरिंग डिजाइन सेवाएं, रसद सेवा आदि की अनुमति देना।
- ◆ विकासकर्ता को राज्य की नीतियों के अनुरूप, क्षेत्रों/जोन्स में हितधारकों के साथ दीर्घकालिक पट्टा समझौते निष्पादित करने में लोचकता की अनुमति है।
- ◆ एक सह-विकासकर्ता से दूसरे सह-विकासकर्ता को अनुमोदन के हस्तांतरण के प्रावधानों को सक्षम करना।
- ◆ एसईजेड में इकाइयां स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ट्रस्टों और किसी अन्य फार्मों को सक्षम करने हेतु एसईजेड अधिनियम 2005 ख़ासा 2 (वी), में संशोधन।
- ◆ संशोधन दिनांक 23.10.2020 के माध्यम से, एसईजेड नियमों के नियम 24(3) में एक प्रावधान जोड़ा गया है, जो मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आपूर्ति पर वापसी और किसी भी अन्य समान लाभ की स्वीकार्यता के संबंध में है, जहां भुगतान विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र को विदेशी मुद्रा में किया जाता है।
- ◆ एसईजेड नियम 2006 में एक नया नियम 21ए डाला गया है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम 1947 (वर्ष 1947 का 46) के तहत अधिसूचित बहुपक्षीय या एकपक्षीय या अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा इकाई स्थापित करने में सक्षम बनाता है।
- ◆ इस विभाग के दिनांक 07.06.2021 के कार्यालय ज्ञापन के तहत बिजली दिशानिर्देश 2016 में संशोधन किया गया है, जिससे एक इकाई को अपने परिसर में गैर-पारंपरिक बिजली संयंत्रों को कैप्टिव खपत के विशेष उद्देश्य हेतु स्थापित करने की अनुमति मिलती है, बशर्ते कि धारा के तहत निर्धारित गैर-कर/शुल्क लाभ एसईजेड अधिनियम 2005 के 26 अधीन हो।
- ◆ एसईजेड/ईओयू में पहने/प्रयुक्त कपड़ों और प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाइयों हेतु नीति से संबंधित निर्देश संख्या 106 दिनांक 27 मई 2021 को जारी किया गया था।
- ◆ फार्मा उद्योग के लिए नियामक अनुपालन को कम करने के लिए सभी विकास आयुक्तों को निर्देश संख्या 107 दिनांक 26 अगस्त 2021 जारी किया गया है। इसके अलावा, एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम के साथ एफएसएसएआई के एकीकरण को लाइव कर दिया गया है।

- ◆ एसईजेड नियम 2006 के नियम 74 के तहत मौजूदा इकाई द्वारा स्थान के हस्तांतरण की वैकल्पिक विधि से संबंधित निर्देश संख्या 108 दिनांक 11 अक्टूबर 2021 जारी किया गया है।
- ◆ निर्देश संख्या 109 दिनांक 18 अक्टूबर 2021 जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नाम परिवर्तन, शेयर धारिता पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार हस्तांतरण व्यवस्था,

अदालत द्वारा अनुमोदित विलय और अलग किया जाना, नियमावली में परिवर्तन, निदेशकों के परिवर्तन आदि सहित पुनर्गठन किया जा सकता है। इस शर्त के अधीन कि संबंधित इकाई अनुमोदन समिति (यूएसी), विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता/इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर नहीं निकलेंगे या बाहर नहीं निकलेंगे, और एक कार्यशील लाभ कमाने वाली संस्था के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे।

अनुमोदित एसईजेड का राज्यवार वितरण (31.10.2021 तक)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	औपचारिक अनुमोदन	सैद्धांतिक स्वीकृति	अधिसूचित एसईजेड	कुल क्रियाशीलएसईजेड (एसईजेड अधिनियम से पहले + एसईजेड अधिनियम के तहत)
आंध्र प्रदेश	32	4	27	24
चंडीगढ़	2	0	2	2
छत्तीसगढ़	2	1	1	1
दिल्ली	2	0	0	0
गोवा	7	0	3	0
गुजरात	26	4	22	21
हरियाणा	25	3	22	7
झारखंड	2	0	2	0
कर्नाटक	61	0	50	34
केरल	29	0	25	20
मध्य प्रदेश	12	0	7	5
महाराष्ट्र	51	12	45	37
मणिपुर	1	0	1	0
नागालैंड	2	0	2	0
उड़ीसा	7	0	5	5
पुदुचेरी	1	1	0	0
पंजाब	5	0	3	3
राजस्थान	5	1	4	3

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	औपचारिक अनुमोदन	सैद्धांतिक स्वीकृति	अधिसूचित एसईजेड	कुल क्रियाशीलएसईजेड (एसईजेड अधिनियम से पहले + एसईजेड अधिनियम के तहत)
सिक्किम	1	0	0	0
तमिलनाडु	56	5	53	50
तेलंगाना	64	0	57	35
त्रिपुरा	1	0	1	0
उत्तर प्रदेश	24	1	21	14
पश्चिम बंगाल	7	2	5	7
कुल योग	425	34	358	268

विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) पर तथ्य पत्रक

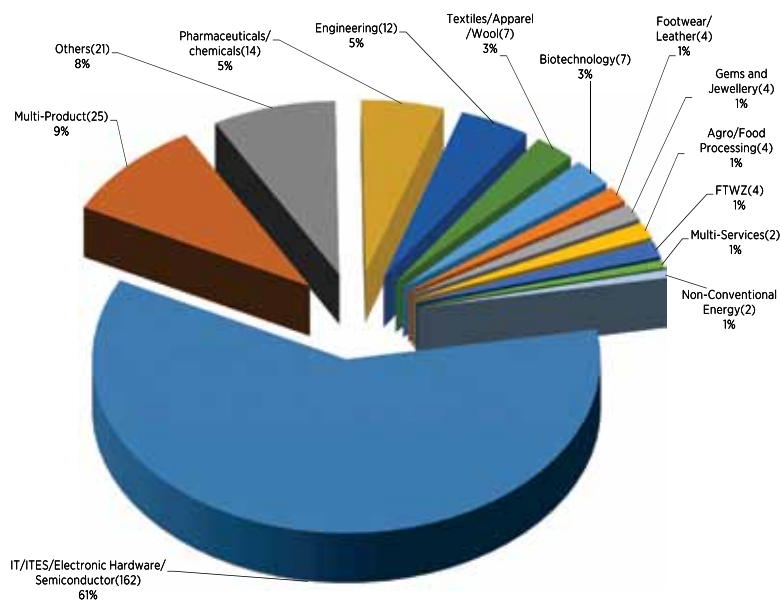
(समर्पित वेबसाइट: www.sezindia.nic.in)

औपचारिक स्वीकृतियों की संख्या (31.10.2021 तक)		425			
अधिसूचित एसईजेड की संख्या (31.10.2021 तक)		377 (एसईजेड अधिनियम 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित 7 केंद्रीय सरकार + 12 राज्य सरकार/निजी क्षेत्र के एसईजेड सहित)			
सैद्धांतिक अनुमोदनों की संख्या 31.10.2021 तक)		34			
कार्यशील एसईजेड की संख्या (30 सितंबर, 2021 तक)		268(श्रेणीवार विवरण: 25 बहु उत्पाद एसईजेड हैं, शेष क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड हैं)			
एसईजेड में स्वीकृत इकाइयाँ (30 सितंबर, 2021 तक)		5,604			
एसईजेड हेतु भूमि (31.10.2021 तक)	7 केंद्रीय सरकार + 12 राज्य सरकार/निजी एसईजेड, एसईजेड अधिनियम 2005 से पहले अधिसूचित।	एसईजेड अधिनियम 2005 के तहत अधिसूचित एसईजेड	कुल अधिसूचित एसईजेड क्षेत्र (1+2)	औपचारिक रूप से स्वीकृत एसईजेड	कुल क्षेत्रफल (3+4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2132.18 हेक्टर	39838.16 हेक्टर	41970.34 हेक्टर	5460.03 हेक्टर	47430.37 हेक्टर
	भूमि राज्य का विषय है। एसईजेड के लिए भूमि संबंधित राज्य सरकारों की नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार खरीदी जाती है।				
निवेश		निवेश (फरवरी, 2006 तक)	वृद्धिशील निवेश		कुल निवेश (30 सितंबर 2021 तक)
केंद्र सरकार के एसईजेड		2,279.20 करोड़ रुपये	19,812.48 करोड़ रुपये		22,091.68 करोड़ रुपये

वर्ष 2006 से पहले स्थापित राज्य सरकार/निजी एसईजेड	1,756.31 करोड़ रुपये	11,872.44 करोड़ रुपये	13,628.75 करोड़ रुपये
अधिनियम के तहत अधिसूचित एसईजेड	.	5,92,845.46 करोड़ रुपये	5,92,845.46 करोड़ रुपये
कुल	4,035.51 करोड़ रुपये	6,24,530.38 करोड़ रुपये	6,28,565.89 करोड़ रुपये
रोजगार	रोजगार (फरवरी, 2006 तक)	वृद्धिशील रोजगार	कुलरोजगार (30 सितंबर, 2021 तक)
केंद्र सरकार के एसईजेड	1,22,236 आदमी 71,351 आदमी	71,351 आदमी	1,93,587 आदमी
वर्ष 2006 से पहले स्थापित सरकार/निजी एसईजेड	12,468 आदमी	97,286 आदमी	1,09,754 आदमी
अधिनियम के तहत अधिसूचित एसईजेड	0 आदमी	22,56,945 आदमी	22,56,945 आदमी
कुल	1,34,704 आदमी	24,25,582 आदमी	25,60,286 आदमी
वर्ष 2019–20 में निर्यात	रु.7,96,669 करोड़ (112.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर), (वित्त वर्ष 2018–19 की तुलना में 13.62% की वृद्धि)		
डीटीए बिक्री (समतुल्य निर्यात) डीटीए बिक्री (सक. रात्मक एनएफई के लिए नहीं गिने गए)	रु.19,662 करोड़ (कुल उत्पादन का 2%) रु.1,14,445 करोड़ (कुल उत्पादन का 12%)		
वर्ष 2020–21 में निर्यात	रु.7,59,524 करोड़ (102.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर), (वित्त वर्ष 2019–20 की तुलना में –4.66% की कमी)		
डीटीए बिक्री (समतुल्य निर्यात) डीटीए बिक्री (सक. रात्मक एनएफई के लिए नहीं गिने गए)	रु.20,167 करोड़ (कुल उत्पादन का 2%) रु.1,76,634 करोड़ (कुल उत्पादन का 18%)		
वर्ष 2021–22 में निर्यात (30 सितंबर, 2021 तक)	रु.4,48,247 करोड़ (60.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर), (वित्त वर्ष 2020–21 की इसी अवधि के निर्यात की तुलना में 28.30% की वृद्धि) रु.12,931 करोड़ (कुल उत्पादन का 2%) रु. 1,46,050 (कुल उत्पादन का 24%)		
डीटीए बिक्री (समतुल्य निर्यात) डीटीए बिक्री (सक. रात्मक एनएफई के लिए नहीं गिने गए)			

भारत में एसईजेड का क्षेत्रवार संवितरण

(दिनांक 30.09.2021 के अनुसार कार्यशील एसईजेड की संख्या और प्रतिशत (268))



2. निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू)

निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) योजना को वर्ष 1981 की शुरुआत में आरंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बनाकर निर्यात को बढ़ावा देना था। इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) योजना की पूरक योजना के रूप में पेश किया गया था, जिसे साठ के दशक में आरंभ किया गया था। यह एसईजेड (पूर्ववर्ती ईपीजेड) के समान उत्पादन व्यवस्था को अपनाता है, लेकिन स्थानों में यह एक विस्तृत विकल्प प्रदान करता है।

निर्यात-आयात नीति के अनुसार, डीटीए में अनुमेय बिक्री को छोड़कर, वस्तुओं और सेवाओं के अपने पूरे उत्पादन को निर्यात

करने वाली इकाइयों को निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) के रूप में संदर्भित किया जाता है। ईओयू विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंधित विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में अर्थात् वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के अधीन कार्य करते हैं।

ईओयू विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अध्याय 6 और इसकी प्रक्रियाओं के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं, जैसा कि प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीएच) में निहित है।

30 सितंबर 2020 को संचालित 1607 ईओयू की तुलना में 30 सितंबर 2021 तक 1650 इकाइयां ईओयू योजना के तहत परिचालन में हैं।

कार्यात्मक ईओयू का राज्यवार वितरण (दिनांक 30.09.2021 तक)

एसईजेड	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यात्मक ईओयू
एनएसईजेड	चंडीगढ़	02
	दिल्ली	06
	हरियाणा	50
	हिमाचल प्रदेश	03
	जिम्मू और कश्मीर	01
	पंजाब	07
	राजस्थान	50
	उत्तर प्रदेश	47
	उत्तराखंड	01
सीएसईजेड	कर्नाटक	385
	केरल	89
आईएसईजेड	मध्य प्रदेश	8
वीएसईजेड	आंध्र प्रदेश	71
	तेलंगाना	130
एफएसईजेड	पश्चिम बंगाल	30
	झारखंड	02
	ओडिशा	01
	मेघालय	01

एमईपीजेड	तमिलनाडु	312
	पुदुचेरी	10
केएसईजेड	गुजरात	181
एसईईपीजेड	महाराष्ट्र	214
	दादरा और नगर हवेली	17
	दमन और दीव, गोवा	32
कुल		1650

ईओयू द्वारा निर्यात प्रदर्शन

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	ईओयू निर्यात
2017-18	1,04,381
2018-19	1,24,704
2019-20	1,20,172
2020-21	1,10,625*
2021.22 (सितंबर 2021 तक अनंतिम)	53,632*

*प्रावधिक/अनंतिम, जैसा कि कुछ इकाइयों से एपीआर और क्यूपीआर अभी प्राप्त होना बाकी है।

ईओयू के कार्य मुख्य रूप से कपड़ा और यार्न, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न और आभूषण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, प्लास्टिक, ग्रेनाइट और खनिज/अयस्क में केंद्रित हैं।

અધ્યાય 8

વિશિષ્ટ એજેસિયાં

1. बागान (चाय कॉफी, रबड़ और मसाले)

बागान क्षेत्र में चाय, कॉफी, रबड़ और मसालों का उत्पादन शामिल है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह बागान उद्योग और उसकी सहायक गतिविधियों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर नियोजित कई लोगों की आजीविका का मसला है। यह भारी विदेशी मुद्रा कमाने का भी जरिया है। बागान क्षेत्र, भारत की सबसे पुराने संगठित उद्योगों में से एक है और कई राज्यों की कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। बागान फसलों का वैशिष्ट्य स्थलांतर किए बगैर, परम्परागत कौशल विकास और सम्पोषणीय ढंग से उसकी विशाल वृद्धि संभावना तथा बेहतर जीवन की व्यापकता में निहित है। ऐतिहासिक तौर पर, भारत में विदेशी मुद्रा का अति अभाव पूरा करने के लिए बागानों को बढ़ावा दिया गया। अतः अपने इस उद्देश्य हेतु इस क्षेत्र को राज्य का पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ। यह इससे जाहिर है कि प्रत्येक फसल के लिए वस्तु बोर्ड स्थापित किए गए और जो इन बोर्ड को बागान विकास हेतु वांछित विभिन्न गतिविधियां चलाने का अधिकार देनेवाले विधान बनाए गए। इसके अलावा, हालांकि कृषि राज्य के अधीन है, फिर भी, निर्यात अर्जन में उसके स्थान को देखते हुए वस्तु बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत रखे गए।

प्रत्येक क्षेत्र के ब्योरों का सार निम्नानुसार हैं:

(क) चाय क्षेत्र

(i) चाय बोर्ड

चाय बोर्ड, चाय अधिनियम, 1953 के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है जो भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास हेतु अधिनियम में परिकल्पित प्रकार्यों, कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करती है। चाय बोर्ड में अध्यक्ष समेत 31 सदस्य हैं। बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष है। उपाध्यक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं और दो कार्यपालक निदेशक हैं जिनमें में से एक गुवाहाटी, असम में (सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र के लिए) और दूसरे कुन्नूर, तमिल नाडु में (सम्पूर्ण दक्षिण भारत क्षेत्र के लिए) तैनात हैं। बोर्ड के प्रकार्य इस प्रकार हैं: चाय बागानों में सक्षमता एवं अभिनवता सुसाध्य करने हेतु प्रभावी प्रबंधन कार्यनीतियां विकसित करना, उच्च दर्जे के चाय उत्पादन हेतु अभिनव संसाधन प्रौद्योगिकी विकसित करना, उच्च दर्जे के चाय निर्यात में वृद्धि, चाय उद्योग के सभी स्तरों पर मानव संसाधन का क्षमता निर्माण, चाय कृषि एवं प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं में अनुसंधान एवं विकास प्रयास सुदृढ़ करना लघु खेतों के चाय उत्पादन का मूल्य वर्धित करने के लिए टी एप्प “चाय सहयोग” का सहारा लेना जो उन्हें चाय फैक्ट्रियों तथा अत्याधुनिक नीलामी मंचों से जोड़ती है और ये सभी सेवाएं क्लॉउड प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होते हैं, जिससे

सभी पणधारकों तक उसकी कीमत पहुंच सकें।

(ii) भारत में चाय

भारत, विश्व में काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। अपनी आबादी के कारण, भारत में चाय उपयोग, वैश्विक उपयोग का 19 प्रतिशत है, हालांकि प्रति व्यक्ति उपयोग कम है। कुल उत्पादन का लगभग 81 प्रतिशत उपयोग देश के भीतर होता है। यह स्थिति, अन्य उत्पादक देशों के बिल्कुल विपरीत है, विशेषतः केन्या और दक्षिण अफ्रीका, जिनकी घरेलू मांग बहुत ही कम है, अतः वे अपना अधिकतर उत्पादन निर्यात कर सकते हैं। औसतन, कुल उत्पादन का लगभग 19 प्रतिशत निर्यात किया जाता है और शेष 81 प्रतिशत का सेवन देश के भीतर होता है। मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित करने के अलावा, चाय उद्योग, चाय उत्पादक राज्यों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस उद्योग की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह एक मिलियन से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराती है, जिनमें से अधिकतर महिलाएं हैं।

(iii) चाय उगाने वाले क्षेत्र

असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं। वे कुल उत्पादन का 98 प्रतिशत उत्पादन करते हैं। त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार और कर्नाटक अन्य परम्परागत राज्य हैं जहां छोटे स्तर पर चाय की खेती होती है। हाल ही के समय में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैण्ड और सिक्किम जैसे कुछ गैर-परम्परागत राज्यों ने भी भारत के चाय नक्शे में प्रवेश किया है। भारत में विश्व के कुछ बेहतरीन चाय का उत्पादन किया जाता है दार्जिलिंग, असम, नीलगिरी और कांगड़ा, जो अपने उत्कृष्ट जायके, ताज़गी और चमक के लिए विख्यात हैं। अपनी विविध कृषि जलवायु स्थितियों के कारण, भारत में विभिन्न प्रकार के चाय उगाए जाते हैं जो उपभोक्ताओं की भिन्न पसंद और जायके के लिए उपयुक्त हैं। हरेक इलाके की अपनी विशेष खासियत है जो उन्हें एक-दूसरे से अलग करती है।

(iv) उत्पादन

2020–2021 के दौरान चाय उत्पादन 1283.03 मिलियन कि. ग्रा. था, जबकि 2019–2020 में 1360.81 मिलियन कि.ग्रा. था। अतः यह 77.78 मिलियन कि.ग्रा. अर्थात् 5.72 प्रतिशत की कमी दर्शाता है जो कोविड-19 के प्रारंभिक लॉकडाउन और उत्तर भारत के प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्रों की विपरीत जलवायु स्थितियों की वजह से था।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारत में चाय उत्पादन

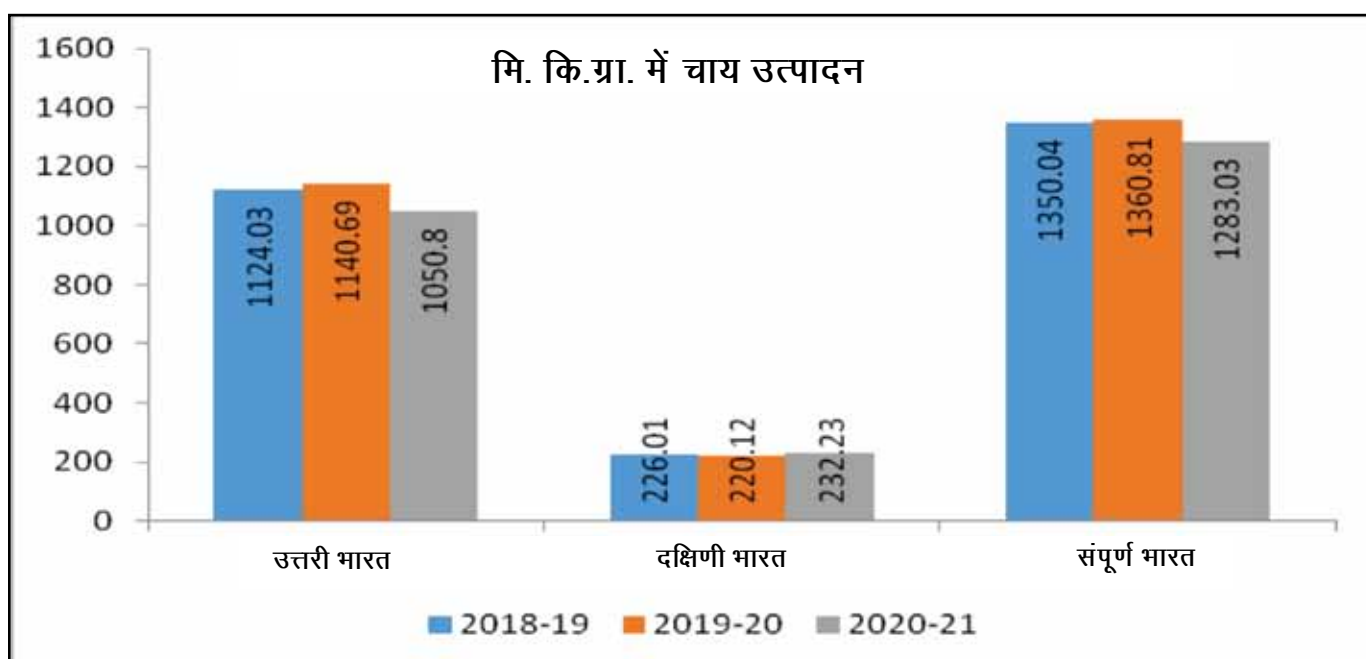
(मूल्य लाख किलो ग्राम में)

वर्ष	उत्तरी भारत	दक्षिणी भारत	संपूर्ण भारत
2018-19	1124.03	226.01	1350.04
2019-20	1140.69	220.12	1360.81
2020-21	1050.80	232.23	1283.03

स्रोत: चाय बोर्ड

2021-22: उत्पादन के अंतिम डेटा के आधार पर, 2021-22 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान संचित चाय उत्पादन 1164.69 मिलियन कि. ग्रा. था, जो समान अवधि से 55.59 मिलियन कि.ग्रा. अधिक था। यह अपेक्षित है कि 2021-22 का चाय उत्पादन, पिछले वर्ष के 1283.03 मिलियन कि.ग्रा. से बढ़कर 1350 मिलियन कि.ग्रा. होगा।

पिछले तीन वर्षों 2018-19, 2019-20, 2020-21 के उत्पादन ग्राफ की प्लॉटिंग



स्रोत: चाय बोर्ड

(v) निर्यात

2019-20 के दौरान 241.34 मिलियन कि.ग्रा. निर्यात मात्रा और रु.545.10 करोड़ मूल्य प्राप्ति की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 203.79 मिलियन कि.ग्रा. निर्यात मात्रा और रु.5311.53 करोड़ मूल्य प्राप्ति हुई, जो 37.55 मिलियन कि.ग्रा. निर्यात मात्रा और रु.145.57 करोड़ मूल्य प्राप्ति में कमी दर्शाता है। तथापि, 2020-21 में इकाई मूल्य प्राप्ति बढ़कर रु. 260.64

प्रति कि.ग्रा. हुई, जबकि 2019-20 में यह रु. 226.11 प्रति कि. ग्रा. थी। 2020-21 के कुल निर्यातों का लगभग 15.76 प्रतिशत मूल्य वर्धित स्वरूप के है (पैकबंद चाय, टी बैग और इन्स्टंट चाय) जबकि शेष थोक स्वरूप में है। 2020-21 में निम्न देशों के निर्यात में वृद्धि पाई गई; संयुक्त अरब अमीरात में 0.99 मिलियन कि.ग्रा., सिंगापुर में 0.27 मिलियन कि.ग्रा., ऑस्ट्रेलिया में 0.23 मिलियन कि.ग्रा., कजाखस्तान में 0.17 मिलियन कि.ग्रा., केन्या में 0.16 मिलियन कि.ग्रा.।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारत से चाय का निर्यात

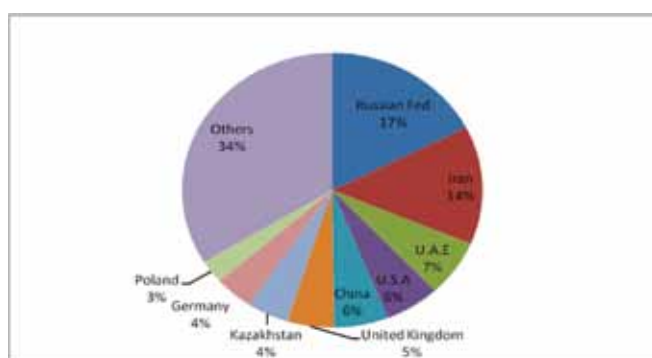
वर्ष	मात्रा (एम.के.जी.)	मूल्य (रु. करोड़ में)	इकाई मूल्य (रु./किग्रा)	मूल्य (M.US\$)	इकाई मूल्य (\$/Kg)
2018-19	254.50	5506.84	216.38	787.50	3.09
2019-20	241.34	5457.10	226.11	768.93	3.19
2020-21	203.79	5311.53	260.64	716.86	3.52

स्रोत: चाय बोर्ड

2021-22 के लिए : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 (अप्रैल-अक्तूबर) में, अनंतिम चाय निर्यात 110.28 मिलियन कि.ग्रा. था, और एफओबी मूल्य रु.3038.01 करोड़ था जबकि 2020-21 में यह 119.34 मिलियन कि.ग्रा. और समान अवधि का एफओबी मूल्य रु. 3047.93 करोड़ था। तथापि चाय निर्यातों की इकाई मूल्य प्राप्ति समान अवधि में रु. 20.08 प्रति कि.ग्रा. 7.86 प्रतिशत से अधिक है।

प्रारंभिक लॉकडाउन स्थितियों, प्रारंभिक अवधि में निर्यातयोग्य चाय फसल की हानि, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में केन्या चाय की कम नीलामी कीमत और संभारतंत्रीय चुनौतियों के संयुक्त प्रभाव ने अब तक निर्यात प्रभावित किया है और आनेवाले समय में इसका बढ़ना अपेक्षित है। यह अपेक्षित है कि 2021-22 में चाय निर्यात लगभग 190-200 मिलियन कि.ग्रा. होगा, परन्तु सुधार मूल्य प्राप्ति के साथ।

2020-21 में भारतीय चाय निर्यात की दिशा



स्रोत: चाय बोर्ड

(vi) आयात

वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयातित चाय की प्रमात्रा 27.75 मिलियन कि.ग्रा. थी, जिसका मूल्य 62.54 मिलियन अमरीकी डॉलर था और इकाई मूल्य 2.25 अमरीकी डॉलर प्रति कि.ग्रा. था,

जबकि 2019-20 में आयातित चाय की प्रमात्रा 15.54 मिलियन कि.ग्रा. थी, जिसका मूल्य 32.66 मिलियन अमरीकी डॉलर था और इकाई मूल्य 2.10 अमरीकी डॉलर प्रति कि.ग्रा. था।

वर्तमान में, शीर्ष 0902 के अंतर्गत चाय का मूल आयात शुल्क 100 प्रतिशत है और 210120 शीर्ष के अंतर्गत इन्स्टंट चाय का 30 प्रतिशत है। तथापि शुल्क छूट स्कीम और/अथवा ईओयू/एसईजेड इकाईयों के अंतर्गत चाय का शुल्क मुक्त आयात किया जा सकता है।

2021-22: वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 (अप्रैल-अक्तूबर) के दौरान, अनंतिम आयात 14.31 मिलियन कि.ग्रा. था, जिसका मूल्य 29.43 मिलियन है जबकि समान अवधि में यह 16.28 मिलियन कि.ग्रा. था और इसका मूल्य 40.57 मिलियन अमरीकी डॉलर था।

(vii) कीमतें

2020-21 के दौरान सार्वजनिक नीलामियों में कीमतें, 2019-20 के दौरान प्राप्त कीमत की तुलना में रु. 58.72 प्रति कि.ग्रा. से बढ़ी।

अवधि	उत्तरी भारत	दक्षिणी भारत	संपूर्ण भारत
2018-19	151.87	103.15	140.26
2019-20	148.55	96.52	137.65
2020-21	216.36	140.40	196.97

स्रोत: चाय बोर्ड

2021-22 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान, औसत नीलामी कीमत रु. 177.52 रही जो समान अवधि की तुलना में रु.38.37 (-) 17.77 से घटा। सीटीसी मूल्य 18.89 प्रतिशत से घटा, रूढ़िवादी मूल्य 13.47 प्रतिशत से घटी, परन्तु दार्जिलिंग मूल्य, समान अवधि की तुलना में 10.47 प्रतिशत से बढ़ा।

रुपये/कि.ग्रा. में चाय की श्रेणी कीमतें

श्रेणी	2021-2022	2020-2021	वृद्धि / कमी का (%)
सीटीसी	172-97	213-25	(-)18.89
ऑर्थो	204.28	236.08	(-)13.47
दार्जिलिंग	418.62	378.94	10.47
सभी चाय	177.52	215.89	(-)17.77

स्रोत: चाय बोर्ड

(viii) चाय विकास

“चाय विकास एवं संवर्धन स्कीम” के अंतर्गत, चाय बोर्ड, उन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है

(ix) उपलब्धियाँ

वित्तीय वर्ष 2021-22 (31.12.2021 तक) में प्रमुख घटकों की वास्तविक उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:

घटक	गतिविधियाँ	उपलब्धि
वृक्षारोपण विकास — बड़े उत्पादक	पुनरोपण और प्रतिस्थापन रोपण (हेक्टेयर)	906.57
	कायाकल्प (हेक्टेयर)	16.28
	सिंचाई सुविधाओं का निर्माण (हेक्टेयर)	474.68
	फील्ड मशीनीकरण (संख्या)	93
वृक्षारोपण विकास — छोटे उत्पादक	पुनरोपण/प्रतिस्थापन रोपण (हेक्टेयर)	74.11
	कायाकल्प प्रूनिंग (हेक्टेयर)	386.54
	फील्ड मशीनीकरण (लाभार्थी की संख्या)	555
	एसएचजी/एफपीओ को सहायता (लाभार्थी की संख्या)	487
	प्रशिक्षण/कार्यशाला/सेमिनार (सं.)	10
	ऑर्थोडॉक्स उत्पादन सब्सिडी (एम किग्रा)	62.49
मानव संसाधन विकास	दिव्यांग व्यक्ति जो चाय बागान श्रमिकों पर निर्भर/हृदय और कैंसर रोगियों के विशेष मामले (सं.) को सहायता	2
	शैक्षिक वजीफा, वर्दी / पुस्तक अनुदान आदि / नेहरू पुरस्कार (सं.)	1854
	भारत स्काउट्स, गाइड गतिविधियों के आयोजन के लिए सहायता (लाभार्थियों की संख्या)	2

(ग) चाय अनुसंधान

चाय बोर्ड की अनुसंधान गतिविधियाँ, तीन चाय अनुसंधान संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही हैं; उत्तर-पूर्व भारत के लिए

जिनका उद्देश्य है बागानों का चाय उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना, चाय प्रक्रिया, पैकेजिंग और मूल्य वर्धन सुविधाओं का आधुनिकीकरण तथा लघु चाय उत्पादकों के मध्य सहयोगी प्रयास प्रोत्साहित करना एवं चाय बागान कर्मचारियों के उन कल्याणकारी उपाय को लागू करना जो बागान श्रम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपूरक हैं। पुराने उम्रदराज़ चाय पौधों को उखाड़कर उनका पुनःरोपण/पुनरुज्जीवीकरण करने, सिंचाई सुविधाएं स्थापित करने, खेत यांत्रिकीकरण, सेल्फ हेल्प ग्रुप/उत्पादक गुटों के जरिए छोटे उत्पादकों के सामूहिकीकरण, प्रशिक्षण, निरूपण, अध्ययन दौरों, मूल्य वर्धन, गुणवत्ता प्रमाणीकीकरण, परम्परागत एवं हरी चाय उत्पादन प्रोत्साहित करने और कर्मचारियों के कल्याणकारी उपायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

टीआरए, दक्षिण भारत के लिए युपीएसआई और दार्जिलिंग चाय उद्योग के लिए डीटीआर एवं डीसी/क्युसीएल। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियामक मानकों का अनुपालन करने के लिए

विभिन्न नियामक मुद्दे उठाए गए हैं (जैसे कि कीटनाशकों की अवशेष सीमाएं तय करना, कीटनाशक अवशेष, लोहे के कण, धातु प्रदूषक, कृत्रिम रंग, गुणवत्ता प्राचल निर्धारण और पैकेजिंग मानकों की समस्या से निपटना)। अनुसंधान एवं उद्योग समर्थक गतिविधियों में की गई प्रगति का संक्षेप विवरण निम्नानुसार हैं:

- ◆ चाय कूड़े से खाद बनाने के लिए चाय कूड़े को पुनःप्रयुक्त करने का तरीका विकसित करना। इस विकसित तकनीक से चाय कूड़े से बड़े पैमाने पर (टन में) पोषणयुक्त मिट्टी तैयार करने में सहायता होगी।
- ◆ वर्ष के दौरान एफ2 संततियां विकसित करने का प्रयास किया गया जो अब भी जारी है। एफ2 जनरेशन उगाने के लिए कुल 193 फूलों का परागण किया गया और 28 सफल बीज संग्रहित कर नर्सरी में अंकुरित किए गए। यूपीएसआई-9 एक्स याबुकिता, सीआर-6017एक्स याबुकिता और टीआरएफ-4 एक्स एसए-6 के बीच नियंत्रित संकरण किया गया।
- ◆ यांत्रिकीकरण के क्षेत्र में, पिटिंग हेतु एक संशोधित पृथ्वी बरमा का क्षमता आकलन किया गया। संशोधित पृथ्वी बरमा एक व्यक्ति द्वारा चलाया जा सकता है और 45 बउ 30 बउ आयाम के लगभग 600 ग ` लिए जा सकते हैं।
- ◆ वर्ष के दौरान, यूपीएसआई-9 एक्स टीआरआई-2024 की एफ1 संततियों का फेनोटाइपिंग किया गया। 95 अलग-अलग पौधों से हरे पत्तों के नमूने लिए गए और कैफीन, कैरोटेनॉइड, क्लोरोफिल, एंथोसायनीन, अमीनो एसिड, कैंटेचिन तथा पॉलिफिनॉल हेतु विश्लेषित किए गए।
- ◆ माइक्रोबायल मेटाबोलाईट पर एनटीआरएफ द्वारा निधि प्राप्त परिस्कीम ने इन विट्रो और इन वाइवो स्थितियों में ब्लिस्टर और ग्रे ब्लाइट रोगों पर चुनिंदा माइक्रोबायल कल्चर फिल्ट्रेट के जैविक प्रभावकारिता की पुष्टि की।
- ◆ रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, कनिष्ठ स्तरीय कार्यपालकों, स्टाफ, सुपरवाइज़रों और श्रमिकों के लिए कुल 867 दौरे तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। कुल 48 चाय नमूनों में लोहे के कण जांचे गए।
- ◆ रूपात्मक अवलोकन, ऑर्गनोलेप्टिक तथा जैव-रसायन आकलन के आधार पर, नियंत्रणों सहित तुलना किए जाने पर 15 टेस्ट क्लोन प्रमुख पाए गए। तत्पश्चात,

इन प्रमुख परिग्रहणों की न्यूक्लियस प्लांटिंग सामग्रियां दार्जिलिंग के विभिन्न चाय बागानों में आपूरित किए गए ताकि विभिन्न लोकेशनों में इन प्रमुख क्लोन के निष्पादन की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया जा सके।

- ◆ क्यूसीएल ने (आईएसओ 17025:2005 से आईएसओ 17025:2017) में सफलतापूर्वक संक्रमण संपरीक्षा पूरी की और मार्च 2021 से आईएसओ 17025:2017 में कार्य कर रही है— जो परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशालाओं का अद्यतन वृत्तान्त है।

(ख) कॉफी क्षेत्र

(i) कॉफी बोर्ड

संसद द्वारा पारित कॉफी अधिनियम 1942, के अंतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन कॉफी बोर्ड एक सांविधिक संगठन है। बोर्ड में कुल 33 सदस्य हैं जिनमें सचिव है, जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यपालक है, एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष है, और शेष 31 सदस्य में संसद सदस्य, कॉफी उत्पादन राज्यों के हिताधिकारी सरकारी सदस्य और कॉफी उद्योग के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य हैं। बोर्ड का पुनर्गठन तीन वर्षों के लिए 8 मार्च 2019 से 7 मार्च 2022 तक के लिए किया जाता है। फिलहाल बोर्ड में 20 सदस्य नियुक्त हैं। कॉफी बोर्ड अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार ज्ञान, बाहरी एवं आंतरिक संवर्धन तथा श्रम कल्याण उपायों की गतिविधियों में ध्यान केंद्रित करता है। कॉफी बोर्ड का मुख्य कार्यालय बेंगलुरु में है। बालेहोन्नुरु, चिकमगलुरु जिला, कर्नाटक में स्थित केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्था (सीसीआरआई), अनुसंधान विभाग का मुख्यालय है और इसका उप-स्टेशन चेट्टली (कर्नाटक) तथा क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन चुंदले (केरल), थंडीगुडी (तमिलनाडु), नरसीपटनम (आंध्र प्रदेश) और दिफु (असम) में स्थित है। विस्तार नेटवर्क, परम्परागत कॉफी उत्पादन क्षेत्रों (कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु), गैर-परम्परागत क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश और ओडिशा) तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश) में फैला हुआ है।

(ii) कॉफी क्षेत्र

मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे परम्परागत क्षेत्रों के लगभग 4.65 लाख हेक्टेअर में कॉफी की खेती की जाती है, जो कुल उत्पादन का लगभग 97 प्रतिशत है। कुछ हद तक

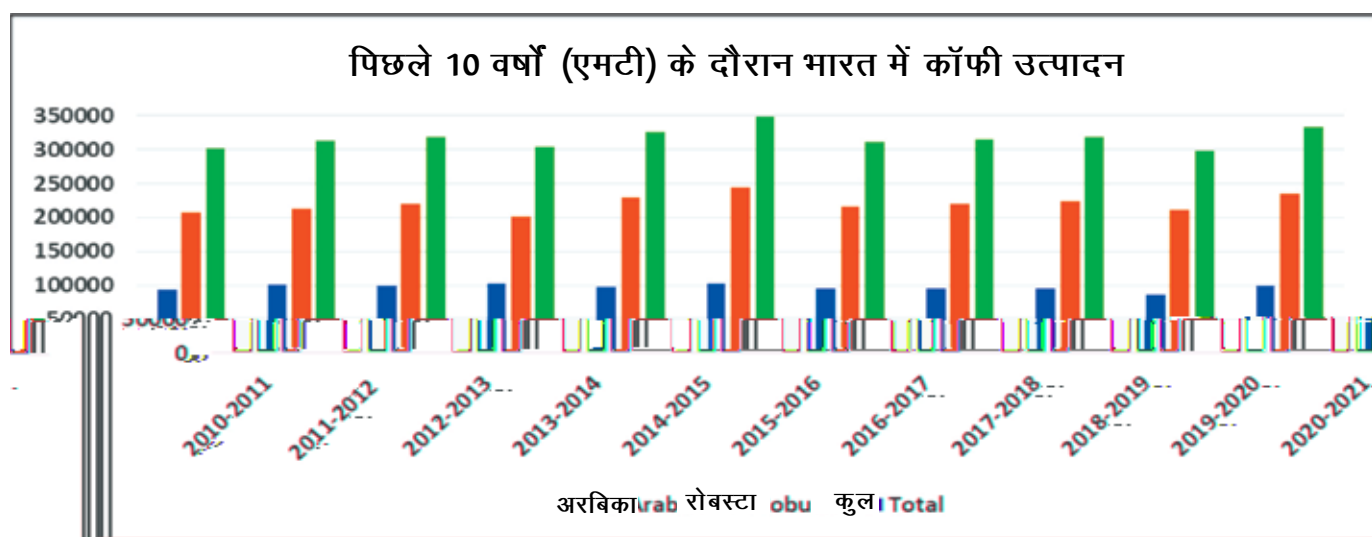
कॉफी की खेती आंध्र प्रदेश और ओडिशा के गैर-परम्परागत क्षेत्रों और कमतर हद तक असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड तथा मणिपुर जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में भी कॉफी की खेती की जाती है और यहां आदिवासी विकास एवं वनीकरण पर विशेष बल दिया जाता है।

देश में लगभग 3.92 लाख कॉफी सम्पत्तियाँ हैं, जिनमें से लगभग 3.90 लाख सम्पत्ति 99 प्रतिशत लघु उत्पादक श्रेणी की है (10 हेक्टेयर तक) जो क्षेत्र का 75 प्रतिशत है और उत्पादन का 70

प्रतिशत तथा कुल सम्पत्ति का शेष 1 प्रतिशत बड़े उत्पादक श्रेणी में आते हैं जिनकी सम्पत्ति 10 हेक्टेयर से अधिक है, क्षेत्र का 25 प्रतिशत है और उत्पादन का 30 प्रतिशत है।

(iii) कॉफी उत्पादन

2020-21 का अंतिम फसल अनुमान 3,34,000 एमटी है जिसमें 99,000 एमटी अरबिका और 2,35,000 एमटी रोबस्टा है। खिलने के पश्चात 2021-22 के अनुमान 3,69,000 एमटी है जिसमें 1,08,300 एमटी अरबिका है और 2,60,700 एमटी रोबस्टा है।



स्रोत: कॉफी बोर्ड

(iv) उत्पादकता

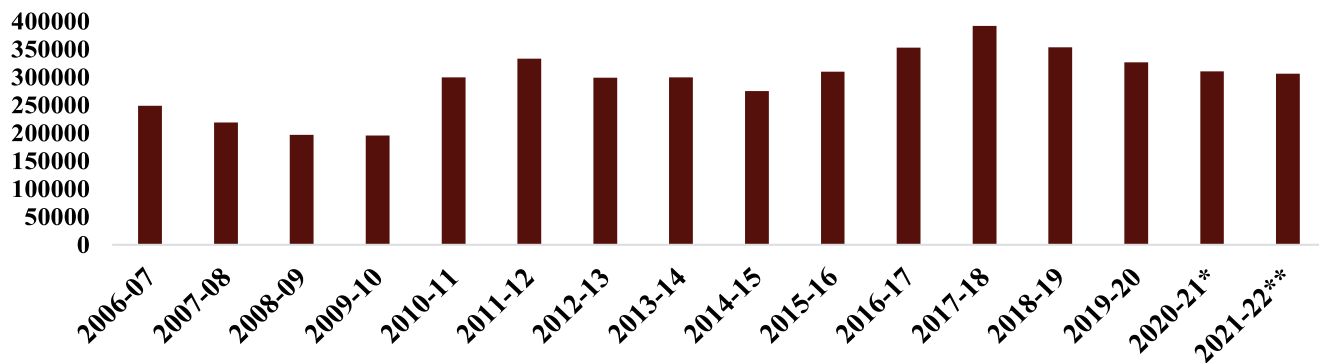
2020-21 के दौरान कॉफी की कुल उत्पादकता 790 किग्रा / हे. है। अरबिका की उत्पादकता 478 किग्रा / हे. है और रोबस्टा की उत्पादकता 1089 किग्रा / हे. है। परम्परागत कॉफी खेती क्षेत्रों में, उत्पादकता अधिक होती है जिसका कुल औसत 932 किग्रा / हे. है, इसमें अरबिका 670 किग्रा / हे. और रोबस्टा 1092 किग्रा / हे. है।

(v) कॉफी का निर्यात

मुख्य रूप से कॉफी निर्यात उन्मुख वस्तु है और फिलहाल

देश का 70 प्रतिशत उत्पादन निर्यात किया जाता है और शेष की खपत घरेलू बाज़ार में होती है। वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत ने कॉफी की कुल 3,10,692 एमटी मात्रा निर्यातित की (पुनःनिर्यात सहित) जिसका मूल्य 735 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर रु. 5451.93 करोड़ है जबकि पिछले वर्ष, 736 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर रु. 5,215 करोड़ मूल्य की 3,27,413 एमटी कॉफी का निर्यात किया गया। वर्तमान वर्ष में (अप्रैल से दिसम्बर 2021), कॉफी निर्यात 3,06,543 एमटी था जिसका मूल्य 730.04 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर रु. 5,419.80 करोड़ था।

पिछले 15 वर्षों (एमटी) के दौरान निर्यातित भारत कॉफी



*जारी किए गए निर्यात परमिट के आधार पर

**1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2021 तक जारी किए गए निर्यात परमिट के आधार पर

(vi) मूल्य वर्धित कॉफी का निर्यात

मूल्य वर्धित कॉफी के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2003-04 के दौरान 44,764 एमटी निर्यात किया गया जो कुल कॉफी निर्यात का 19 प्रतिशत हिस्सा था और 2020-21 में यह बढ़कर 1,01,284 एमटी हुआ जो कुल कॉफी निर्यात का 33 प्रतिशत हिस्सा है। 2020-21 के दौरान (अप्रैल से दिसम्बर 2021) मूल्य वर्धित कॉफी का निर्यात 93,49 एमटी था जो उस अवधि के कुल कॉफी निर्यात का 31 प्रतिशत है।

(vii) कॉफी की कीमतें

भारत में कॉफी की कीमतें काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय वस्तु विनियम की कीमतों से प्रभावित होती हैं जैसे कि अरबिका के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई), न्यूयॉर्क और रोबस्टा के लिए आईसीई, यूरोप। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भौतिक व्यापार के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन (आईसीओ) आईसीओ, लंदन संयुक्त सूचक कीमतों की घोषणा करती है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी की कीमतें काफी परिवर्तनशील हैं। 2020-21 के दौरान, अन्य माइल्ड (जहां भारतीय अरबिका समूहबद्ध है) की आईसीओ सूचक कीमतें जून 2020 में 141.52 अमरीकी सेंट/पाउंड और मार्च 2021 में 167.05 अमरीकी सेंट/पाउंड के बीच थी जिसका औसत 156.44 अमरीकी सेंट/पाउंड था, जो पिछले वर्ष की औसत कीमत से 16 प्रतिशत अधिक है। जबकि रोबस्टा की कीमतें अप्रैल 2020 में 63.97 अमरीकी सेंट/पाउंड और मार्च 2021 में 73.86 अमरीकी सेंट/पाउंड के बीच थी जिसका औसत उसी अवधि में 69.74 अमरीकी सेंट/पाउंड है जो पिछले वर्ष की कीमत से 2.3 प्रतिशत कम है।

चालू वित्तीय वर्ष (2020-21) के दौरान अन्य माइल्ड (अरबिका) की आईसीओ सूचक कीमतें अप्रैल 2021 में 168.65 अमरीकी सेंट/पाउंड से बढ़कर दिसम्बर 2021 में 268.08 अमरीकी सेंट/पाउंड हुई जिसका औसत मूल्य 217.97 अमरीकी सेंट/पाउंड था। इसी प्रकार, रोबस्टा की आईसीओ सूचक कीमतें, अप्रैल 2021 में 74.47 अमरीकी सेंट/पाउंड से बढ़कर दिसम्बर 2021 में 112.64 अमरीकी सेंट/पाउंड हुई, जिसका औसत मूल्य 95.60 अमरीकी सेंट/पाउंड था।

(viii) अनुसंधान उपलब्धियां

15 अक्तूबर 2021 तक अनुसंधान एवं उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों की कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

- ♦ सार्वजनिक-निजी साझेदारी के जरिए अरबिका कॉफी की छह आशाजनक एफ1 संकर का व्यापक गुणन करने के उद्देश्य से, मेसर्स जैन इरिगेशन लि. के साथ एक प्रारूप समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया है। चालू वर्ष में, व्यापक गुणन हेतु तीन एफ 1 संकर सामग्रियां साझा की जाएंगी।
- ♦ टिशू कल्चर तरीके से कॉफी व्हाइट स्टेम बोरेर टॉलरेंट जिनोटार्प एस.4595 का सफल गुणन किया गया और 2020 रोपण मौसम के दौरान, 27 स्थानों में इस जिनोटार्प के 30,000 टिशू कल्चर पौधे लगाए गए। परीक्षण भूमि की निरंतर निगरानी की गई और वर्तमान मौसम में, गैप फिलिंग से 2500 टिशू कल्चर पौधे आपूर्ति रोपित किए गए।

- ◆ 2021-22 के दौरान, रोबस्टा वेरिएंट सीएसआर की कुलीन जड़ क्लोन, 25 कृषकों को आपूर्ति की गई जिसे वे क्लोनल वंश-वृद्धि/टॉप ग्राफ्टिंग हेतु आवश्यक वनस्पतिक लकड़ी की निरंतर आपूर्ति स्रोत के लिए मदर गार्डन/बुड गार्डन स्थापित कर सकें।
- ◆ 'रोबस्टा की लक्षण विशिष्ट क्लोनल प्रकार का विकास' कार्यक्रम के अंतर्गत, भावी उपयोग हेतु अनुसंधान खेतों में बुड गार्डन स्थापित करने के लिए 106 कुलीन एवं संभाव्य मदर प्लान्ट उगाए गए।
- ◆ नेस्ले आर एण्ड डी, फ्रांस के साथ, "नेस्ले आर एण्ड डी द्वारा नये रोबस्टा प्रकारों का परिचय एवं आकलन" नामक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत, रोबस्टा प्रकार एफआरटी-95, कर्नाटक और केरल के तीन अनुसंधान खेतों में रोपित किया गया। यह उन पांच रोबस्टा प्रकारों के अलावा हैं जो 2020 में रोपित किए गए और परीक्षण भूमि की निगरानी की गई।
- ◆ "कॉफी लीफ रस्ट के टिकाऊ प्रतिरोध हेतु प्रजनन" कार्यक्रम के अंतर्गत, चार भिन्न परागणकर्ताओं के चॉर्गिरी क्रॉस करके नई विकसित एफ1 संकर के बीज, सीसीआरआई खेत में बोए गए।
- ◆ मिट्टी, पत्ते और कृषि रासायनिक विश्लेषण के जरिए कृषकों को परामर्श सेवा सहायता के अंतर्गत, 2020-21 के दौरान कुल 6016 नमूनों का विश्लेषण किया गया और कृषकों को परामर्श जारी की गई है। चालू वर्ष में अक्टूबर 2021 तक, 426 कृषकों से प्राप्त कुल 1,160 मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया गया और उर्वरक सिफारिश सहित सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किए गए।
- ◆ मिट्टी विश्लेषण आधारित उर्वरक सिफारिशों के बारे में जागरूकता लाने के लिए, कॉफी उत्पादक क्षेत्र में एक जागरूकता अभियान चलाया गया। क्योंकि मिट्टी नमूना चयन का मुख्य मौसम फसल कटाई के बाद होता है (दिसम्बर-मार्च), मार्च 2022 के अंत तक, 75 ऑन-स्पॉट मोबाइल परीक्षण अभियान चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- ◆ महत्वपूर्ण कॉफी कीटों (कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर, कॉफी बेरी बोरर और कॉफी शॉट होल बोरर) के प्रबंधन के हस्तक्षेपों को लोकप्रिय बनाने के लिए, बागान मालिकों के खेतों में चार जागरूकता अभियान चलाए गए

तथा कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर के प्रबंधन हेतु 126 बागान मालिकों के लिए, बुने न गए कपड़ों से टहनी लपेटने की तकनीक का प्रदर्शन किया गया।

- ◆ चार्जिंग प्रणाली के अंतर्गत, कॉफी बोर्ड के अनुसंधान विभाग ने चालू वर्ष के दौरान निम्न तीन सांपातिक प्रतिपादनों के नये परीक्षण किए हैं।
 - सीसीआरआई में अरबिका एवं रोबस्टा कॉफी पर "आरसीएफ चॉक-लाईम-वन" का क्षेत्र मूल्यांकन (2021-22 से 2022-23 तक) परिसकीम लागत-रु.2.5 लाख
 - रोबस्टा कॉफी की उपज और गुणवत्ता पर एचवायटीबी अमिनो एसिड आधारित सामग्री का मूल्यांकन (2020-21 से 2021-22 तक) परिसकीम लागत- रु.4.0 लाख
 - कॉफी लीफ रस्ट रोग प्रबंधन हेतु अरबिका कॉफी पर एमिस्टार टॉप (एज़ोक्सीस्ट्रोबिन+डायफेनोको नाज़ोल)का क्षेत्र मूल्यांकन (2020-21 से 2021-22 तक) परिसकीम लागत- रु.5.0 लाख

(ix) विस्तार एवं विकास सहायता

- ◆ लगभग 4662 कॉफी कृषकों को प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केंद्रों, (टीईसी), ग्राम स्तरीय कार्यशालों, सेमिनार और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कॉफी खेती पर प्रशिक्षण जैसे विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में शामिल किया गया।
- ◆ कर्नाटक सरकार की वित्तीय सहायता से कॉफी बोर्ड, कर्नाटक के चमाराजानगर, कोडागु और चिकमगलुरु जिलों में 2600 आदिवासी कृषकों के लिए "आदिवासियों द्वारा उत्पादित कॉफी और काली मिर्च का एकीकृत विकास कार्यक्रम" नामक परिसकीम क्रियान्वित कर रहा है।

(x) निर्यात संवर्धन

- ◆ कारोबार आसान करने हेतु नियामक अनुपालन न्यूनतम करने के लिए, कॉफी बोर्ड ने 2020-21 के दौरान डिजिटली हस्ताक्षरित कॉफी निर्यात दस्तावेज़ सहित ऑनलाइन निर्गमन क्रियान्वित किया है अर्थात् https://www.indiacoffee.org/ERCMC_Application.aspx

पर पंजीकरण सह सदस्यत्व प्रमाणपत्र (आरसीएमसीई), <https://www.indiacoffee.org/permit> पर निर्यात परमिट (फॉर्म सी) और उत्पत्ति का आईसीओ प्रमाणपत्र। इसके अलावा, कॉफी बोर्ड ने विदेशी व्यापार नीति के अनुसार आरसीएमसी प्रमाणपत्र की नवीकरण अवधि 1 अक्टूबर 3 वर्षों से बढ़ाकर 5 वर्ष किया और निर्यात परमिट (फॉर्म सी) तथा उत्पत्ति के आईसीओ प्रमाणपत्र की वैधता अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर 60 दिन किया। कॉफी बोर्ड ने आईसगेट मंच पर निर्यात दस्तावेजों का एकीकरण भी किया।

- ♦ विभिन्न विदेशी स्थानों में भारतीय कॉफी निर्यात का प्रचार करने के लिए, कॉफी बोर्ड द्वारा अनेक जेनेरिक प्रचारात्मक गतिविधियां चलाई जाती हैं जैसे कि कॉफी केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो/प्रदर्शनियों, विक्रेता-क्रेता बैठकों, कप टेस्टिंग सत्रों, व्यापार प्रतिनिधि-मण्डलों इ. में सहभागिता। कोविड-19 महामारी के कारण बोर्ड किसी बाह्य कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाया, परन्तु ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम मंचों और बोर्ड वेबसाइट जैसे डिजिटल माध्यम अभियानों के जरिए वर्चुअल कार्यक्रम चलाए और कॉफी का प्रचार किया।
- ♦ ब्राज़ील में भारतीय दूतावास और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय दूतावास के सहयोग से कॉफी बोर्ड ने 4 एवं 5 अगस्त 2021 को भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) वर्चुअल कॉफी उत्सव आयोजित किया, जो 5वें आईबीएसए शिखर सम्मेलन का पूर्वगामी था। इस दो-दिवसीय कार्यक्रम में 2000 से अधिक कारोबार प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
- ♦ ब्युनोस आयर्स, आर्जेन्टीना में भारतीय दूतावास ने कॉफी बोर्ड के सहयोग से 27 अगस्त 2021 को अर्जेन्टीना में भारतीय कॉफी के प्रचार पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। कॉमर्स चेम्बर्स, सरकार, प्रमुख कॉफी आयातकों, मिडिया, कॉफी बरिस्ता और ब्युनोस आयर्स के 60 से अधिक सहभागियों ने इसमें हिस्सा लिया।
- ♦ सिंगापुर (एचसीआई) में भारत के उच्चायोग, सिंगापुर कॉफी असोसिएशन (एससीए) और हाई एंटरप्राइज़ सिंगापुर (ईएसजी) के सहयोग से कॉफी बोर्ड ने 17 सितम्बर 2021 में भारतीय के कॉफी पर कपिंग सहित वर्चुअल कारोबार नेटवर्क सम्मेलन आयोजित किया। भारत के 22 निर्यातकों तथा 6 प्रमुख कॉफी आयातक

और सिंगापुर कॉफी असोसिएशन (एससीए) एवं हाई एंटरप्राइज़ सिंगापुर (ईएसजी) ने कारोबार इंटरएक्शन में हिस्सा लिया।

- ♦ रोम, इटली के भारतीय दूतावास के सहयोग से कॉफी बोर्ड ने 21 सितम्बर 2021 को भारतीय कॉफी का वर्चुअल नेटवर्क सम्मेलन आयोजित किया। इटली के सात प्रमुख कॉफी आयातक और भारत के 49 कॉफी निर्यातकों ने इसमें हिस्सा लिया और सम्पर्क व्यक्तियों के ब्योरों का आदान-प्रदान किया।
- ♦ गुआन्गझो, चीन के भारतीय दूतावास के सहयोग से कॉफी बोर्ड ने 21 सितम्बर 2021 को भारतीय कॉफी का वर्चुअल नेटवर्क सम्मेलन आयोजित किया। चीन के 25 प्रमुख कॉफी आयातकों और भारत के लगभग 19 निर्यातकों ने इसमें हिस्सा लिया और सम्पर्क व्यक्तियों के ब्योरों का आदान-प्रदान किया।
- ♦ हेग, नेदरलैंड्स के भारतीय दूतावास ने कॉफी बोर्ड के सहयोग से 4 सितम्बर 2021 को आयोजित वार्षिक उत्सव और 5 सितम्बर 2021 को आयोजित वार्षिक युआईटी उत्सव में भाग लिया। दोनों ही कार्यक्रमों में, ईओआई ने भारतीय कॉफी का प्रचार किया ताकि प्रभाव और दृश्यता से बेहतर ढंग से प्रचार हो सकें। 2000 से अधिक सहभागियों ने भारतीय कॉफी का स्वाद चखा।
- ♦ कायरो, इजिप्त के भारतीय दूतावास के सहयोग से कॉफी बोर्ड ने 12 अक्टूबर 2021 को भारतीय कॉफी का वर्चुअल नेटवर्क सम्मेलन आयोजित किया। इजिप्त के तेरह प्रमुख कॉफी आयातक और भारत के 29 कॉफी निर्यातकों ने इसमें हिस्सा लिया और सम्पर्क व्यक्तियों के ब्योरों का आदान-प्रदान किया।
- ♦ फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के भारतीय महावाणिज्य दूत ने भारतीय कॉफी बोर्ड के सहयोग से युनियन हॉल में 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर 2021 के दौरान आयोजित फ्रैंकफर्ट कॉफी उत्सव में भाग लिया। कॉफी उद्योग के व्यावसायिक उत्साही व्यक्तियों द्वारा फ्रैंकफर्ट में आयोजित में यह सबसे पहला कॉफी उत्सव था। कॉफी उत्सव में लगभग 40 प्रदर्शकों और साझेदारों (अधिकतर ब्रूअर्स और कॉफी रोस्टर) ने हिस्सा लिया।
- ♦ भूटान में भारतीय दूतावास ने वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, भारतीय चाय बोर्ड, भारतीय कॉफी बोर्ड,

भारतीय चाय संघ (आईटीए), भारतीय चाय कॉफी संघ (टीसीए), इंडियन चेम्बर ऑफ इंटरनेशनल बिज़नेस (आईसीआईबी) तथा भूटान वाणिज्य एवं उद्योग सदन (बीसीसीआई) के सहयोग से 25 नवम्बर 2021 को भूटान में भारतीय चाय एवं कॉफी का प्रचार करने के लिए भारतीय निर्यातकों एवं भूटानी आयातकों के बीच एक वर्चुअल क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया। भारत के 12 कॉफी निर्यातकों और भूटान के 28 कॉफी आयातकों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

(xi) बाज़ार विकास

- ◆ 2001 से कॉफी बोर्ड द्वारा **कॉफी गुणवत्ता प्रबंधन पर एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम** चलाया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में, कॉफी गुणवत्ता मूल्यांकन क्षेत्र में व्यावसायिक तौर पर प्रशिक्षित मानवबल विकसित करने में सहायता मिलती है। 2019-20 बैच में कुल 15 विद्यार्थियों ने इसमें प्रवेश लिया और कोविड-19 महामारी के चलते अगस्त 2021 तक विस्तारित होने पर पाठ्यक्रम पूर्ण किया। लगभग 12 विद्यार्थियों ने चालू वर्ष (2020-21) में पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया और केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान में अपना प्रथम तिमाही पूर्ण किया तथा उनकी दूसरी तिमाही, अक्तूबर 2021 से बेंगलुरु स्थित मुख्यालय में जारी है।
- ◆ **कापी शास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम:** कॉफी रोस्टिंग और ब्रूइंग कौशल पर यह कार्यक्रम 13 से 17 सितम्बर 2021 के बीच चलाया गया जिसमें 20 सहभागियों ने हिस्सा लिया।
- ◆ **एनएबीएल मान्यता:** कॉफी गुणवत्ता प्रभाग और विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला में आईएसओ/आईईसी 17025 का कार्यान्वयन और टीआईईए के अंतर्गत स्थापित प्रयोगशालाओं के लिए प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन सॉफ्टवेयर स्थापित करना।
- ◆ **कॉफी उद्यम प्रशिक्षण कार्यक्रम:** होटल मैनेजमेंट एण्ड क्रेटरिंग टेक्नॉलॉजी, नई दिल्ली के दिल्ली संस्थान में 22 से 24 अगस्त 2021 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के सहयोग से कॉफी उद्यम प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला बैच चलाया। इस कार्यक्रम में लगभग 14 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
- ◆ 17 अगस्त 2021 को **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार, 2020** के अवसर पर, भारत में जीआई पंजीकरण के

उत्कृष्ट सरलीकरण और पंजीकृत जीआई के प्रचार श्रेणी में कॉफी बोर्ड को **“राष्ट्रीय आईपी पुरस्कार 2020”** प्राप्त हुआ।

(xii) कॉफी बोर्ड के नये अभिक्रम

- ◆ **कॉफी क्षेत्र का समावेशी विकास:** कर्नाटक सरकार की वित्तीय सहायता से, कॉफी बोर्ड, कर्नाटक के मूल आदिवासियों द्वारा उत्पादित कॉफी और काली मिर्च का उत्पादन एवं विपणन का प्रचार कर रहे हैं। वर्ष के दौरान, इस कार्यक्रम ने तीन जिलों के लगभग 2600 आदिवासी कृषकों को लाभान्वित किया। नाबार्ड की सहायता से राज्य की सर्वप्रथम सम्पूर्ण-आदिवासी कृषक उत्पादक कम्पनी (एफपीसी) स्थापित की गई और 2020-21 के दौरान एफपीसी में रूपांतरण हेतु दो एफपीओ गठित किए गए।
- **ओडिशा में कॉफी विकास कार्यक्रम:** कॉफी बोर्ड ने कोरापट जिले के आदिवासियों द्वारा उगाए जानेवाली कॉफी और काली मिर्च का प्रचार करने हेतु ओडिशा सरकार के साथ मिलकर एक कार्यक्रम शुरू किया है। यह एक चार-वर्षीय कार्यक्रम है, जो ओडिशा सरकार की वित्तीय सहायता और कॉफी बोर्ड की तकनीकी सहायता से चलाई जाएगी। इसका बजट रु. 16.46 करोड़ है और इससे लगभग 4100 आदिवासी कृषक 2000 एचए (विद्यमान और नये) क्षेत्र में कॉफी और काली मिर्च का उत्पादन कर पाएंगे।
- ◆ इनके अलावा, बतौर डिजिटल परिवर्तन यात्रा, बोर्ड द्वारा निम्न तकनीकी अभिक्रम चलाए जा रहे हैं:
 - **कॉफी कनेक्ट—** क्षेत्र पदाधिकारियों का कार्य सरल बनाने और कार्य क्षमता सुधारने के लिए 2018-19 के दौरान इंडिया कॉफी फील्ड फोर्स एप प्रमोचित किया गया। अब तक बोर्ड के विस्तार कर्मचारियों ने कॉफी इस्टेट करनेवाले 81440 कॉफी कृषक पंजीकृत किए हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, विस्तार क्षेत्र अधिकारियों ने 21720 कॉफी बागानों का दौरा किया, एसएमएस के जरिए कॉफी कृषकों को 4150 परामर्श प्रदान किए, कॉफी कनेक्ट एप इस्तेमाल करते हुए 3649 प्रदर्शनियां, 589 ग्रामीण स्तरीय कार्यशालाएं/सेमिनार, 139 क्षमता निर्माण कार्यक्रम, 1550 फसल अनुमान दौरे, 3093 सब्सिडी निरीक्षण, फसल हानि सर्वेक्षण तथा अन्य संबंधित दौरे किए।

- **कॉफी कृषि तिरंगा (सीकेटी):** जुलाई 2018 से कॉफी बोर्ड, कॉफी कृषकों के लिए “कॉफी कृषि तिरंगा” नामक एंफ आईवीआरएस आधारित मोबाइल फोन परामर्श सेवा शुरू करते हुए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी सक्षम विस्तार सेवा कार्यान्वित कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान, बोर्ड ने सीकेटी सेवाओं का लाभ उठाते हुए कर्नाटक के लगभग 48650 कॉफी कृषकों को कॉफी उत्पादन प्रौद्योगिकी, मौसम और कीमत संबंधी जानकारी, तथा कोविड-19 पर भारत सरकार की खबरों पर परामर्श दिए। चालू वर्ष के दौरान अक्टूबर 2021 तक बोर्ड ने 69000 पंजीकृत कॉफी कृषकों को 42 साप्ताहिक परामर्श जारी किए और प्रश्न रिकॉर्ड करने/कीमत की जानकारी सुनने के लिए/साप्ताहिक परामर्श सुनने के लिए 1,46,956 कॉल प्राप्त किए। इन सभी शंकाओं का समाधान 48 घंटों के भीतर किया गया।

(ग) प्राकृतिक रबर (एनआर) क्षेत्र

(i) रबर बोर्ड

रबर बोर्ड एक वैधानिक संस्था है जिसका गठन रबर अधिनियम, 1947 की धारा (4) के अंतर्गत किया गया था और यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य कर रहा है। इस बोर्ड का नेतृत्व केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसके 28 सदस्य होते हैं जो प्राकृतिक रबर उद्योग के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि रबर उत्पादक क्षेत्र, रबर निर्माण उद्योग, श्रमिकों के हित, प्रमुख रबर उत्पादक राज्यों के सरकारों के प्रतिनिधि और संसद के सदस्यगण (लोकसभा से दो और राज्य विधान परिषद् से एक) और कार्यकारी निदेशक। बोर्ड की कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियाँ कार्यकारी निदेशक के पास निहित हैं। बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोट्टायम में स्थित है।

भारतीय रबर उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला से संबंधित विकासात्मक और नियामक कार्यों का निर्वहन बोर्ड द्वारा प्राकृतिक रबर (एनआर) से संबंधित अनुसंधान, विकास, विस्तार और प्रशिक्षण गतिविधियों में सहायता और प्रोत्साहन के माध्यम से किया जाता है। बोर्ड के कार्यों में रबर के आंकड़ों को बनाए रखना, रबर के विपणन को बढ़ावा देना और श्रम कल्याण गतिविधियों को आरंभ करना भी सम्मिलित है। 1955 में स्थापित, भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान (आरआरआईआई) केरल राज्य के कोट्टायम में स्थित है और इसके नौ क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र (आरआरएस) हैं जो देश के विभिन्न रबर उत्पादक

राज्यों में स्थित हैं। आरआरआईआई देश में एनआर के जैविक और तकनीकी सुधार को सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान गतिविधियों को अपने हाथ में लेता है। कोट्टायम में स्थित बोर्ड के अंतर्गत, राष्ट्रीय रबर प्रशिक्षण संस्थान (एनआईआरटी) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसके पास एनआर उद्योग के सभी क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास के लिए जनादेश है और रबर उद्योग के विकास में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

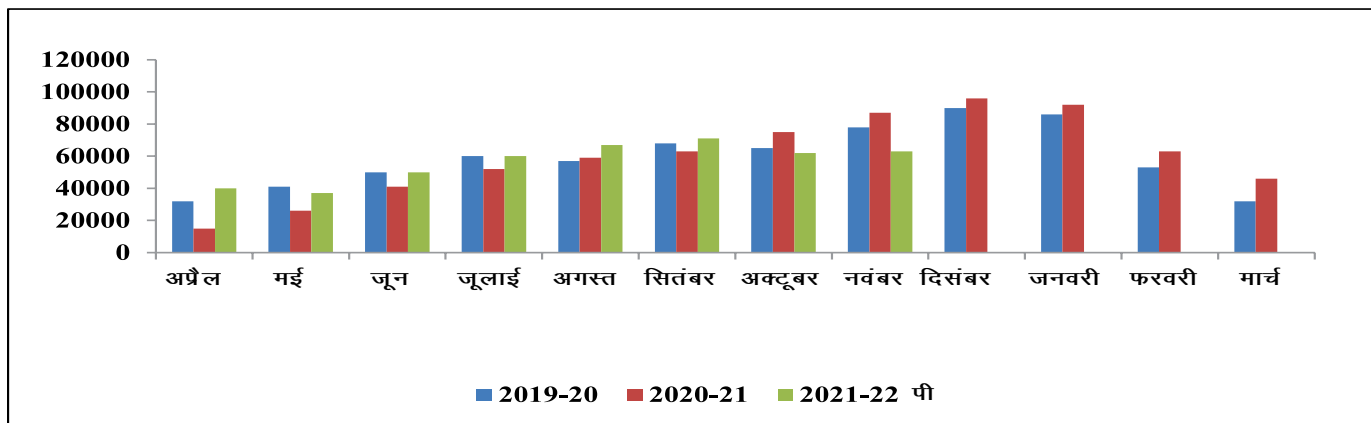
(ii) रबर, उत्पादन और उत्पादकता के अंतर्गत क्षेत्र

रबर की खेती के अंतर्गत, देश का कुल क्षेत्रफल एक वर्ष पूर्व 8,22,300 हेक्टेयर से बढ़कर 2020-21 के दौरान 8,23,000 हेक्टेयर हो जाने का अनुमान है। भले ही 2020-21 के दौरान रबर की खेती के अंतर्गत दोहन योग्य क्षेत्र 6,92,900 हेक्टेयर था, परन्तु मात्र 4,96,000 हेक्टेयर, 71.6 प्रतिशत ने एनआर के उत्पादन में योगदान दिया है। 2020-21 के दौरान, दोहन किए गए क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर उत्पादन के संदर्भ में औसत उपज 1,442 किलोग्राम/हेक्टेयर था।

2019-20 के दौरान, 7,12,000 टन की तुलना में 2020-21 के दौरान देश में एनआर का उत्पादन 7,15,000 टन हो गया था, जिसमें 0.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई थी। हालांकि, कोविड-19 के प्रतिबंधों के कारण 2020-21 की पहली तिमाही में एनआर के उत्पादन में कमी आई, यह क्षेत्र विभिन्न घटकों के कारण वापसी करने में सफल रहा, जिसमें उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए रबर बोर्ड द्वारा किए गए उपायों और केरल सरकार की आरपीआईएस स्कीम को जारी रखना सम्मिलित है। बोर्ड द्वारा किए गए उपायों में रबर बोर्ड द्वारा प्रचारित कंपनियों के माध्यम से इनपुट, विशेष रूप से वर्षा से सुरक्षा प्रदान करने वाली सामग्री की आपूर्ति, सम्बद्ध लागत को कम करने के लिए स्व-दोहन को बढ़ावा देना और इस तरह लाभ में वृद्धि, दोहन में अप्रयुक्त क्षेत्र को अपनाना, टैपर्स गहन कौशल विकास कार्यक्रम (टीआईएसपी) और बीमारियों को नियंत्रित करने में बोर्ड द्वारा समय पर हस्तक्षेप आदि सम्मिलित हैं।

अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान, एनआर का उत्पादन अस्थायी रूप से 4,50,000 टन अनुमानित है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उत्पादित 4,18,000 टन की तुलना में 7.7 प्रतिशत की उच्च सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है।

एनआर का मासिक उत्पादन (टन)



स्रोत: रबर बोर्ड (पी) अनुमान

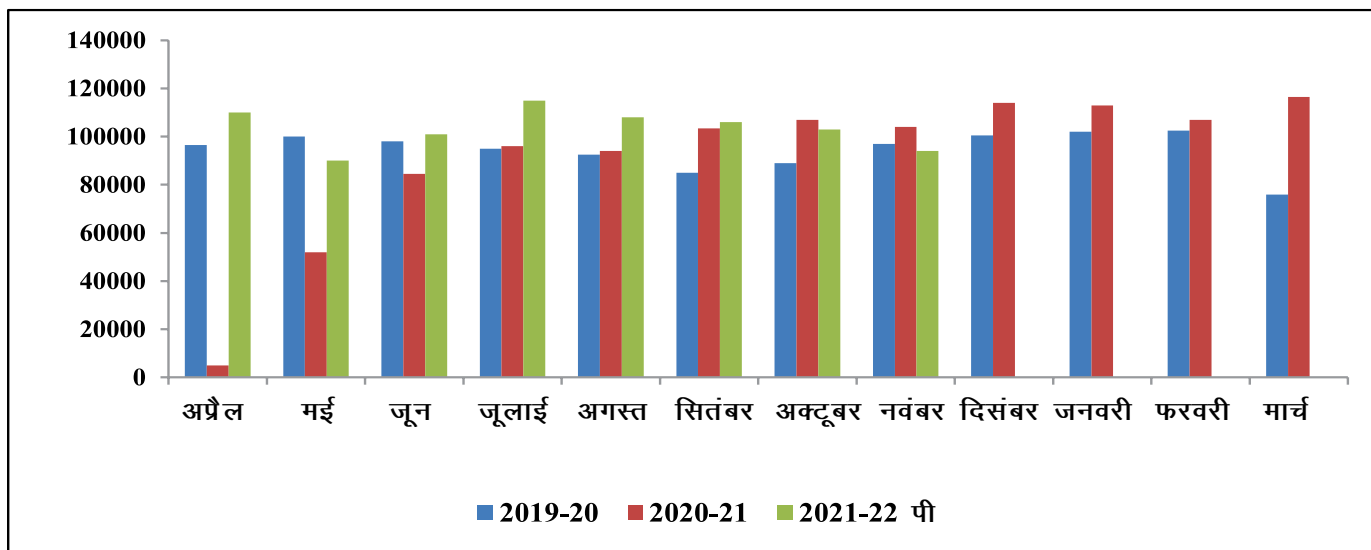
(iii) एनआर की खपत

2020-21 में एनआर की घरेलू खपत 10,96,410 टन थी, जो 2019-20 के दौरान खपत की गयी 11,34,120 टन से 3.3 प्रतिशत कम थी। 2020-21 के दौरान, ऑटो टायर क्षेत्र ने 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी, जबकि 2019-20 के दौरान 12.5 प्रतिशत की उच्च नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, सामान्य रबर से निर्मित सामान के क्षेत्र ने 2020-21 के दौरान 16.4 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की, जबकि 2019-20

के दौरान 8.6 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की थी। 2020-21 के दौरान, ऑटो-टायर निर्माण क्षेत्र देश में खपत की गयी एनआर की कुल मात्रा के 71.2 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी था।

अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान, एनआर की खपत अस्थायी रूप से 8,27,000 टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान खपत की गयी 6,45,910 टन की तुलना में 28 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है।

एनआर की मासिक खपत (टन)



स्रोत: रबर बोर्ड (पी) अनुमान

(iv) एनआर का आयात

वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एवं एस) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 के दौरान 4,57,223 टन की तुलना में 2020-21 के

दौरान एनआर का कुल आयात 10.2 प्रतिशत घटकर 4,10,478 टन रह गया। 2020-21 के दौरान, एनआर के कुल आयात का 86.2 प्रतिशत ब्लॉक रबर के रूप में था। 2020-21 के दौरान, स्रोत देशों में इंडोनेशिया का आयातित कुल मात्रा के

39 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ वर्चस्व था, इसके पश्चात, वियतनाम की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत और कोटे डी आइवर की 11 प्रतिशत।

प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, भारत ने अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान, 3,41,498 टन एनआर का आयात किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 2,51,307 टन आयात किया गया था।

(v) एनआर का निर्यात

देश से एनआर के निर्यात की मात्रा 2020-21 में घटकर 11,343 टन हो गई, जो 2019-20 में 12,872 टन थी। जून से दिसंबर 2020 तक विदेशी बाजारों में लेटेक्स कंसंट्रेट की अपेक्षाकृत अधिक कीमत ने 2020-21 के दौरान निर्यात को आकर्षक बना दिया। देश से निर्यात किए जाने वाले एनआर का मुख्य स्वरूप लेटेक्स कंसंट्रेट्स 76 प्रतिशत था और मुख्य गंतव्य देश चीन था।

भारत ने अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान, 2,894 टन एनआर का निर्यात किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6,488 टन निर्यात किया गया था।

(vi) स्कीम

एमटीईएफ की अवधि के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित "प्राकृतिक रबर क्षेत्र का सतत और समावेशी विकास" स्कीम को 2020-21 के दौरान विस्तारित किया गया था। यह स्कीम 2021-22 के दौरान भी जारी है। वर्ष 2020-21 के लिए अनुमोदित परिव्यय रु. 187.69 करोड़ था और व्यय रु. 201.60 करोड़ था। वर्ष 2021-22 के लिए बजट स्वीकृति 190 करोड़ रुपये है और आरई 2021-22 के दौरान, 60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की गई है। दिसंबर 2021 तक का व्यय रु. 224.50 करोड़ है।

(vii) प्रमुख गतिविधियों के संबंध में भौतिक उपलब्धि (2021-22 नवंबर तक)

रबड़ वृक्षारोपण का विकास और विस्तार

- ♦ 8500 हेक्टेयर क्षेत्र रबर वृक्षारोपण (नवीन रोपण एवं पुनरोपण) के अंतर्गत लाया गया और 2020-21 के दौरान आदिवासी विकास के अंतर्गत, 650 हेक्टेयर रबर वृक्षारोपण का रखरखाव जारी रखा गया। 2021 के वृक्षारोपण मौसम के दौरान, 10260 हेक्टेयर क्षेत्र को रबर की खेती के अंतर्गत लाया गया है।
- ♦ रबर बोर्ड की नर्सरी ने 2020-21 के दौरान उत्पादकों को लगभग 2.74 लाख गुणवत्तापूर्ण वृक्षारोपण सामग्री

वितरित की गई। नवंबर 2021 तक वृक्षारोपण सामग्री उत्पादन के आंकड़े 4.25 लाख हैं।

- ♦ वृक्षारोपण अंगीकरण कार्यक्रम में भी 14000 हेक्टेयर क्षेत्र दोहन के अंतर्गत लाया गया। 6.93 लाख हेक्टेयर के कुल परिपक्व क्षेत्र की तुलना में कुल दोहन क्षेत्र 4.96 लाख हेक्टेयर था। 2021-22 के दौरान (नवंबर तक) होल्लिंग एडॉप्शन 35000 हेक्टेयर था।
- ♦ किसान शिक्षा और कौशल विकास के एक भाग के रूप में, बोर्ड ने 97742 उत्पादकों/दोहन करने वालों (2020-21) को लाभान्वित करते हुए कौशल प्रशिक्षण, संगोष्ठी और समूह बैठकों का आयोजन किया गया। वर्ष 2021-22 (नवंबर तक) के दौरान आयोजित किसान शिक्षा कार्यक्रमों से कुल 26,568 उत्पादक लाभान्वित हुए।
- ♦ रबर बोर्ड ने 2020-21 के दौरान, मनरेगा के संसाधनों का उपयोग करके 11,110 हेक्टेयर में रबर बागानों और अन्य सांस्कृतिक कार्यों के विकास के लिए रबर उत्पादकों को समर्थन दिया। रबड़ बोर्ड वर्ष 2021-22 (नवंबर तक) के दौरान मनरेगा अभिसरण के माध्यम से वृक्षारोपण विकास के लिए 117 उत्पादकों और अन्य वृक्षारोपण प्रबंधन गतिविधियों के लिए 7,450 उत्पादकों (4,042 हेक्टेयर) को सहायता प्रदान कर सकता है।
- ♦ उत्पादकों और दोहनकर्ताओं को सशक्त बनाने के एक भाग के रूप में, बोर्ड ने रबर उत्पादक सोसइटी (आरपीएस) स्वयं सहायता समूहों और टैपर्स बैंक को बढ़ावा दिया और नियमित रूप से 2,670 आरपीएस और 382 समूह प्रसंस्करण केंद्रों (2020-21) की गतिविधियों की निगरानी की/उन्हें समर्थन दिया। 2021-22 के दौरान, 2,606 आरपीएस और 271 जीपीसी (नवंबर तक) के लिए समर्थन बढ़ाया गया है।
- ♦ रुपये 0.83 करोड़ के परिव्यय के साथ 1049 छोटे उत्पादकों के स्वामित्व वाले 852.75 हेक्टेयर में कोलेटोट्रिचम सर्कुलर लीफ स्पॉट रोग के प्रकोप के विरुद्ध छिड़काव के लिए एक विशेष स्कीम लागू की गई।
- ♦ छोटे उत्पादकों के लिए एक सहायक आय सृजन गतिविधि के रूप में केरल राज्य औषधीय पादप बोर्ड की वित्तीय और तकनीकी सहायता वाले शीर्ष आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल्स के साथ मिलकर रबर के बागानों में औषधीय पौधों की अंतर-फसलीकरण को बढ़ावा दिया गया।

(viii) अनुसंधान

- ◆ 22 जून 2021 को क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, असम के प्रायोगिक फार्म में आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) रबर (हेविया ब्रासिलिएन्सिस) को खेत में रोपा गया।
- ◆ जीन आइसोपेंटेनाइल ट्रांसफरेज़ की अतिरिक्त प्रतियों को सम्मिलित करते हुए पाँच जीएम पौधों को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया जो विकास दर में वृद्धि कर सकते हैं और टैपिंग पैनेल ड्रायनेस को सहनशीलता प्रदान कर सकते हैं।
- ◆ रबर क्लोन आरआरआईआई 105 की संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण और व्याख्या पूरा की गयी। जीनोम का आकार 1.4 जीबी से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था। रबर की संपूर्ण जीनोम समनुक्रम (असेंबली) का विमोचन जून 2021 में किया गया था।
- ◆ केरल में रबर बागानों के 'भूस्खलन क्षेत्र मानचित्र' पर एक रबर सूचना पोर्टल विकसित और प्रारंभ किया गया, जिसमें भूस्खलन प्रवृत्त क्षेत्रों की प्रत्येक श्रेणी के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) का पालन किया जाना है।
- ◆ इडुक्की जिले में इलायची के बागानों के लिए ऑनलाइन उर्वरक अनुशंसा विकसित करने के लिए मसाला बोर्ड, रबर बोर्ड और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, केरल (आईआईआईटीएमके) के बीच समझौता ज्ञापन का निष्पादन किया गया। रबड़ बोर्ड के तकनीकी सहयोग से मसाला बोर्ड में मृदा नमूना एकत्रीकरण एवं विश्लेषण का कार्य प्रगति पर है।
- ◆ एनई क्षेत्र में रबर की खेती के लिए भविष्य की जलवायु अनुकूलता का विश्लेषण वक्र के अंतर्गत क्षेत्र (एयूसी) और गहन सहनशीलता सीमा (सीटीएल) के संयोजन से किया गया। परिणाम ने संकेत दिया है कि कुल 107 जिले सामान्य अनुकूल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
- ◆ त्रिपुरा के सेपाहीजाला जिले और आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में रबर बागानों के अंतर्गत, भू-स्थानिक मानचित्रण और रकबे का अद्यतन पूरा किया गया।
- ◆ अकाल सहिष्णुता के लिए पाइपलाइन क्लोनों के भौतिक और रूपात्मक मूल्यांकन पर किए गए अध्ययनों ने आरआरआईएम 600 और आरआरआईआई 430 क्लोनों को अकाल सहिष्णु क्लोन के रूप में प्रकट किया गया।
- ◆ अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर राज्यों के लिए ऑनलाइन उर्वरक अनुशंसा (रबसिस) के साथ रबड़ मृदा सूचना प्रणाली की गंभीर रूप से जांच की गई और इसे अंतिम रूप दिया गया।
- ◆ हेविया के उपलब्ध आनुवंशिक संसाधनों की संभावित उपज की ऊपरी सीमा 9 किलो प्रति वृक्ष, प्रति वर्ष अनुमानित की गई थी।
- ◆ लेटेक्स जैव-रासायनिक मापदंडों का उपयोग करते हुए, छह पाइपलाइन क्लोनों को शीत प्रवृत्त क्षेत्र क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र (आरआरएस, अगरतला) में किए गए एक क्लोनल नर्सरी अध्ययन से चेक क्लोन आरआरआईआई 430, आरआरआईएम 600 और आरआरआईआई 105 से बेहतर माना गया।
- ◆ आरआरआईआई द्वारा अपनाए गए प्रभावशाली नियंत्रण उपाय उत्तरी मालाबार और दक्षिण कर्नाटक क्षेत्रों में देखे गए कोलेटोट्रिचम सर्कुलर लीफ स्पॉट रोग और लीफ फॉल को नियंत्रित करने में सफल रहे।
- ◆ केरल में वर्ष 2021 के लिए एनआर की खेती/उत्पादन के लागत की गणना विभिन्न टैपिंग प्रणालियों डी1, डी2, डी3 और डी7 के लिए अनुशंसित पद्धतियों के आधार पर, हायर और सेल्फ-टैपिंग परिदृश्यों के अंतर्गत की गई।
- ◆ आरआरआईआई को एमएसएमई निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा "इनक्यूबेटर के माध्यम से एमएसएमई की उद्यमिता और प्रबंधकीय विकास के लिए समर्थन" स्कीम के अंतर्गत, "मेजबान संस्थान" के रूप में अनुमोदित किया गया है।
- ◆ आरआरआईआई ने "स्टेबल फ्री रेडिकल असिस्टेड डिवल्केनाइजेशन" पर एक भारतीय पेटेंट प्राप्त किया है (पेटेंट संख्या 370393, अनुदान की तिथि: 28.06.2021)। भारतीय पेटेंटों को दाखिल करने के लिए दो आविष्कार अर्थात् (प) "बेहतर प्रदर्शन वाले प्राकृतिक रबर लेटेक्स से जल आधारित संपर्क आसंजक" और (पप) "अत्यधिक पारदर्शी प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन" प्रस्तावित किया गया था।
- ◆ "भंडारण टैंकों की रबर लाइनिंग" के शीर्षक से रबर उत्पाद इंक्यूबेशन केंद्र (आरपीआईसी) परिसकीम के अंतर्गत, रबर से रबर और रबर से धातु के आसंजन के लिए बेहतर प्रदर्शन वाले दो विशेष आसंजक विकसित किए गए।

आंतरिक अनुप्रयोगों के लिए एनआर लेटेक्स और रबर टाइल्स का कमरे के तापमान पर वल्केनाइजेशन के लिए एक फॉर्मूलेशन विकसित किया गया। पांच रबर उत्पादों के फार्मूले के विपरीत अभियांत्रिकी और पुनर्निर्माण का संचालन किया गया।

- ♦ ताजे और शुष्क चषक गाँठों (कप-लम्प्स) से निर्मित ब्लॉक रबर के कच्चे रबर के गुणों (प्लास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी रिटेंशन इंडेक्स) के उन्नयन के लिए कारखाने में सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया गया। बहुत कम अमोनिया संरक्षित लेटेक्स से अच्छी गुणवत्ता वाली चादरें बनाने और स्किम लेटेक्स के प्रसंस्करण का समय दो दिनों (48 घंटे) से 2 से 4 घंटे तक कम करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गई।
- ♦ जून 2020 में आरंभ किए गए रबर प्रोडक्ट्स इनक्यूबेशन सेंटर ने आठ उत्पाद विकसित किये।
- ♦ रबर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रीच कंप्लायंस लेबोरेटरी को अक्टूबर 2021 में प्रारंभ किया जाएगा।
- ♦ परीक्षण की स्कीम के अंतर्गत, बीआईएस के सहयोग से केंद्रीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला कच्चे रबर के परीक्षण और प्रमाणन में रबर बोर्ड का नामित निकाय है। वर्ष के दौरान, सितम्बर 2021 तक 6970 मानकों का परीक्षण किया गया, कुल 2.08 लाख टन के आयात के लिए 1903 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए।
- ♦ परिस्कीम प्रतिवेदन, अभियांत्रिकी सहायता, गुणवत्ता नियंत्रण गतिविधियों और प्रदूषण नियंत्रण प्रबंधन तकनीकों को प्रभार्य आधार पर प्रदान करके एनआर प्रोसेसरों को सहायता प्रदान की जाती है। इस अवधि के दौरान विभाग ने तीन परिस्कीम रिपोर्ट और पांच परिस्कीम प्रोफाइलें तैयार की।

(ix) प्रशिक्षण

- ♦ रबड़ प्रशिक्षण संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय रबड़ प्रशिक्षण संस्थान (एनआईआरटी) कर दिया गया है और एनआईआरटी के माइक्रोसाइट और ईआरपी को प्रारंभ किया गया।
- ♦ स्कीम के अंतर्गत, रबर उद्योग मूल्य श्रृंखला के सभी

हितधारकों के 4,000 लाभार्थियों के वार्षिक लक्ष्य के विपरीत, दिसंबर तक ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 197 बैचों का आयोजन किया गया, जिसमें 947 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों सहित 3,794 प्रतिभागियों को लाभ प्राप्त हुआ।

- ♦ एनआर की गुणवत्ता में सुधार, प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के प्रोत्साहन, उत्पादकता में वृद्धि, लेटेक्स हार्वेस्टिंग, रोग प्रबंधन, शीट रबर प्रसंस्करण और ग्रेडिंग, सहायक आय सृजन गतिविधियों आदि पर ध्यान देने के साथ स्थान विशिष्ट के विषयों पर 1,836 प्रतिभागियों को लाभान्वित करने वाले 21 ऑनलाइन बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- ♦ आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी तकनीक और रबर उत्पाद निर्माण में तीन महीने की अवधि के दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरे किए गए और कार्यक्रम में भाग लेने वाले 18 अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया। अक्टूबर 2021 के दौरान, रबर उत्पाद निर्माण में प्रमाणपत्र कार्यक्रम का दूसरा बैच आरंभ किया गया।
- ♦ रोजगार/उद्यमिता की दिशा में डीआरसी परीक्षण पर एक प्रमाणपत्र कार्यक्रम आरंभ किया गया।
- ♦ मधुमक्खी पालन पर एक वर्षीय प्रमाणपत्र कार्यक्रम के सोलह बैच तेरह आरपीएस में चल रहे हैं।
- ♦ 2021-22 के दौरान, स्नातक छात्रों के लिए दो महीने की अवधि का लैब केमिस्ट कोर्स आरंभ करने के लिए मैसर्स. एडिशनल स्किल एक्वीजीशन प्रोग्राम (एएसएपी), केरल सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। 2020-21 के दौरान, पंजीकृत 58 छात्रों के साथ दो बैचों को फिर से आरंभ किया गया और अक्टूबर 2021 के दौरान 31 छात्रों का एक नया बैच आरंभ किया गया।
- ♦ एनआईआरटी में पाठ्यक्रम से जुड़े कार्यक्रमों के संचालन के लिए और इंटर्नशिप/प्लेसमेंट में सहायता प्रदान करने के लिए मैसर्स के.ई. कॉलेज, मन्नम; गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, नट्टकम; गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, अदूर और मेसर्स मंगलम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कोट्टायम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

2021 के दौरान शुरू हुए अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

- ♦ रबर प्रौद्योगिकी, रबर उत्पादों के निर्माण और विभिन्न

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के 95 डिप्लोमा/बी. टेक/एमटेक/एम.एससी के छात्रों के परीक्षण के लिए 5-20 दिनों का व्यावहारिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

- ♦ सभी एनआर उत्पादक क्षेत्रों के साथ ई-व्यापार के लिए गुणवत्ता मूल्यांकनकर्ताओं को दस दिवसीय प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया गया। चार बैचों का आयोजन किया गया और 87 अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया।
- ♦ एनई/एनटी क्षेत्रों में 165 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए विशेष रूप से दोहन, प्रसंस्करण और सहायक आय सृजन गतिविधियों में 3-8 दिनों की अवधि के प्रशिक्षण के सात बैचों का आयोजन किया गया।
- ♦ आईएमआईटीसी में उपकरण और मशीनरी के लिए विस्तारित तकनीकी सहायता के लिए थाटन, म्यांमार में स्थित मैसर्स इंडो-म्यांमार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर (आईएमआईटीसी) की स्थापना के संबंध में मैसर्स एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड और मैसर्स. सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के साथ सहयोगात्मक परिसकीम आरंभ किया गया।

(x) श्रम कल्याण उपाय

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 8 (2) (एफ) में प्रावधान है कि बोर्ड को बेहतर काम करने की स्थिति सुनिश्चित करने के उपायों को लागू करना चाहिए और रबर बागान के श्रमिकों के लिए सुविधाओं और प्रोत्साहनों में सुधार के प्रावधानों को लागू करना चाहिए। 2020-2021 के दौरान, बोर्ड ने विभिन्न श्रम कल्याण स्कीमों के अंतर्गत, 16,353 रबर दोहनकर्ताओं/बागान श्रमिकों को लाभ पहुँचाते हुए रु. 298.46 लाख वितरित किया। अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान, बोर्ड ने विभिन्न श्रम कल्याण स्कीमों के अंतर्गत, 6,989 रबर दोहनकर्ताओं/बागान श्रमिकों को लाभ पहुँचाते हुए रु. 96.83 लाख वितरित किया।

(xi) रबर जनगणना

रबर बोर्ड डिजिटल विश्वविद्यालय, केरल के सहयोग से विकसित डिजिटल मोबाइल एप्लिकेशन, 'रुबैक' का उपयोग करके रबर रोपण के अंतर्गत क्षेत्र, नए रोपित क्षेत्र, पुनः रोपित क्षेत्र, वृक्षों की आयु प्रोफाइल, वृक्षों की संख्या, वर्षों से खाली छोड़े गए क्षेत्र, नए क्लोनों को अपनाने का स्तर, जोतों का

आकार और दोहनकर्ता आदि के विवरण को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के साथ, रबर पर राष्ट्रव्यापी जनगणना आयोजित कर रहा है। कोट्टायम जिले में क्षेत्र की गणना आरंभ की गयी है।

(xii) लाइसेंस

निर्माताओं के 136 नए और नवीनीकृत 92 लाइसेंस, एनआर में ट्रेडिंग (डीलरों) के लिए 586 नए/1452 नवीनीकरण लाइसेंस और नवंबर 2021 तक एक नए/नवीनीकृत 15 प्रोसेसर लाइसेंस जारी किए गए। 30 नवंबर 2021 तक कुल लाइसेंस प्राप्त निर्माता, डीलर और प्रोसेसर लाइसेंस क्रमशः 4343, 7959 और 105 हैं।

(xiii) आजादी का अमृत महोत्सव

20 से 26 सितंबर 2021 तक एमओसी को 'वाणिज्य सप्ताह' के रूप में आवंटित सप्ताह के दौरान 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाया गया। रबर बोर्ड ने राज्य सरकार और वाणिज्य विभाग के साथ त्रिपुरा में वाणिज्य उत्सव और निर्यातक सम्मेलन का समन्वय किया। रबर बोर्ड ने 7,52,090 उत्पादकों/श्रमिकों/टैपर्स की भागीदारी के साथ भारत भर में रबर उत्पादक क्षेत्रों में 'महा अमृत दोहन दिवस' (26 सितंबर 2021 को थीम के साथ आयोजित विशेष दोहन कार्यक्रम) का आयोजन किया। रबर बोर्ड ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के उपलक्ष्य में 20 से 26 सितंबर 2021 के सप्ताह के दौरान, पूर्वोत्तर में 926.54 हेक्टेयर क्षेत्र में रबर के पौधे लगाने का समन्वय किया।

(xiv) बोर्ड द्वारा उठाये गए मुख्य कदम

- ♦ एटीएमए के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबर बागान के विकास के लिए सहयोगात्मक परियोजना: ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) के प्रतिनिधित्व वाले प्रमुख टायर कंपनियों से 1,100 करोड़ के योगदान के साथ उत्तर पूर्व में नए रबर बागानों के विकास और रबर के संसाधित स्वरूपों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक परिसकीम को अनुमोदित किया गया है और श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री की पहल और मार्गदर्शन के अंतर्गत, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। पांच वर्षों में पूर्वोत्तर में 2,00,000 हेक्टेयर रबर के बागान विकसित करने की स्कीम है। रबर की बुवाई जुलाई 2021 में आरंभ हुई और

2021 में बुवाई किये जाने का संभावित क्षेत्र 3858 हेक्टेयर है। बोर्ड ने 2022 के दौरान, 26,000 हेक्टेयर और 2023 से प्रति वर्ष 50,000 हेक्टेयर में रबर की बुवाई का लक्ष्य रखा है। एटीएमए ने परिस्कीम के लिए दिसंबर 2021 तक 16.97 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। टायर कंपनियों की वित्तीय सहायता या तो रबर के वृक्षों की अपरिपक्व अवधि के दौरान, ब्याज की आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी, उन मामलों में जहाँ किसान नाबार्ड प्रायोजित स्कीम के माध्यम से ऋण प्राप्त करते हैं या परिस्कीम में भाग लेने वाले किसानों को रोपण सामग्री की आपूर्ति के लिए वित्तपोषण के माध्यम से प्रदान करते हैं।

- ♦ रबर उत्पादन प्रोत्साहन स्कीम (आरआईपीएस): केरल सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान, रबर उत्पादक समितियों के माध्यम से रबर बोर्ड के सहयोग से आरम्भ की गई यह स्कीम अब संचालन के सातवें चरण में है। बोर्ड रसद सहायता प्रदान कर रहा है और राज्य सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग 5.25 लाख रबर उत्पादकों ने स्कीम के तहत पंजीकरण कराया और अब तक 1770 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

(घ) स्पाइसेस क्षेत्र

(i) स्पाइसेस बोर्ड

भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, निर्यातक और उपभोक्ता है और 180 से अधिक देशों में मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात करता है। भारत में वर्षभर लगभग 10.5 मिलियन टन मसालों का उत्पादन होता है। भारत से मसालों का निर्यात कुल उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत है। भारत मसाला प्रसंस्करण का वैश्विक केंद्र है और प्रमुख मसालों, जैसे मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया, सौंफ और मूल्य वर्धित उत्पादों, जैसे मसाला तेल और ओलियोरेसिन, करी पाउडर आदि के उत्पादन और निर्यात में विश्व में अग्रणी है।

(ii) 2020-21 और 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान निर्यात निष्पादन

कोविड-19 महामारी के प्रकोप और वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिणामी मंदी के बाद भी, भारत से मसालों के निर्यात ने 2020-21 के दौरान अपने रुझान को ऊपर की ओर जारी रखा है और मसाला निर्यात के इतिहास में पहली बार 4 बिलियन

अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार हो गया है। वाणिज्यिक गुप्तचर और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एवं एस) के अनुसार, 2020-21 के दौरान मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात 17,58,985 टन रहा है, जिसका मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 26,651.05 करोड़ (3763.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 12,85,756 टन के विपरीत 30973.32 करोड़ (4178.81 मिलियन अमेरिकी डॉलर) था। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, मसालों के निर्यात ने कुल मात्रा में 37 प्रतिशत और रुपये के संदर्भ में 16 प्रतिशत और पिछले वित्त वर्ष की तुलना में डॉलर के संदर्भ में 11 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाया है।

2021-22, (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, भारत ने 2.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात किया। भारतीय मसालों के प्रमुख गंतव्य देश चीन, अमेरिका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड, यूके, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, सऊदी अरब, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, नीदरलैंड आदि हैं।

(iii) इलायची का उत्पादन (छोटी और बड़ी)

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में इलायची (छोटी) के उत्पादन का प्रारंभिक अनुमान 23340 टन है, जिसकी औसत उत्पादकता 500.72 किलोग्राम/हेक्टेयर है, जिसने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में 3.50: की वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान इलायची (बड़ी) का अनुमानित उत्पादन 8882 टन है, जिसकी औसत उत्पादकता 281.24 किलोग्राम/हेक्टेयर है और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 0.89: की वृद्धि हुई है।

(iv) वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान प्रमुख कार्यकलाप/उपलब्धियां

- ♦ मसाला बोर्ड की स्कीम, अर्थात "मसालों में निर्यात प्रोत्साहन एवं गुणवत्ता सुधार और इलायची के अनुसन्धान एवं विकास के लिए एकीकृत स्कीम" को 15वें वित्त आयोग की अवधि (2021-22 से 2025-26) के दौरान, कार्यान्वयन के लिए रु. 577.5 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- ♦ छोटी इलायची की पुन:रोपण/पुनरुद्धार के लिए 848.72 हेक्टेयर और बड़ी इलायची की पुन:रोपण के लिए 1327.69 हेक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए आवेदनों को एकत्र किए जा रहे हैं और किसानों को सहायता प्रदान

करने के लिए संसाधित किए जा रहे हैं।

- ◆ गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कटाई के बाद के कार्यों के मशीनीकरण में किसानों की सहायता के लिए, बोर्ड 448 उपकरणों, जैसे कि हल्दी पॉलिशर, हल्दी बॉयलर, काली मिर्च थ्रेशर, बीज मसाला थ्रेशर, पुदीना आसवन इकाइयाँ आदि के लिए आवेदन एकत्र करने की प्रक्रिया में है।
- ◆ मसाला बोर्ड ने मसाला उद्योग के हितधारकों, विशेष रूप से कृषक समुदाय को मसालों के लिए सामान्य आधारभूत ढांचा और प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए प्रमुख उत्पादन/बाजार केंद्रों में 8 फसल वाले विशिष्ट मसाला पार्कों की स्थापना की है और अब उनका रखरखाव कर रहा है। बोर्ड ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और गुना; केरल के पुट्टडी; राजस्थान के जोधपुर एवं कोटा; आंध्र प्रदेश के गुंटूर; तमिलनाडु के शिवगंगा और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मसाला पार्क स्थापित किए हैं।
- ◆ कोचीन, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, गुंटूर, तूतीकोरिन, कांडला और कोलकाता में स्थित बोर्ड के 8 गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं (क्यूईएल) ने चालू वर्ष के दौरान, विश्लेषण आत्मक सेवाएं और चुनिंदा मसालों के निर्यात खेपों का अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन प्रदान करना जारी रखा। अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान, क्यूईएल ने मसाला निर्यात खेप में 80,000 से अधिक मापदंडों का विश्लेषण किया, जिसमें एफ्लाटॉक्सिन, अवैध रंग, कीटनाशक अवशेष, साल्मोनेला आदि सम्मिलित हैं। साथ ही, इस अवधि के दौरान, बोर्ड ने मसाला निर्यातकों को 2194 स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और 29469 विश्लेषणात्मक रिपोर्ट जारी की है।
- ◆ अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान, बोर्ड के कार्यालयों द्वारा कुल 5050 निर्यातक पंजीकरण (मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र, सीआरईएस) और 452 इलायची डीलर लाइसेंस जारी किए गए।
- ◆ अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान, अजरबैजान, थाईलैंड, यूईई, यूके और मलेशिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय मिशनों के सहयोग से, मसाला बोर्ड द्वारा भारत के मसाला निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु बाजार से जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने के लिए पांच अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) का आयोजन किया

गया। बीएसएम को भारतीय निर्यातकों और प्रमुख विदेशी खरीदारों की सक्रिय भागीदारी से चिह्नित किया गया था और बोर्ड मिशनों के सहयोग से चालू वर्ष के दौरान इस तरह के और अधिक कार्यक्रम आयोजित करने की प्रक्रिया में है।

(v) नई पहल

बोर्ड ने गुणवत्ता, सुरक्षा, पता लगाने की क्षमता आदि के वैश्विक मानकों के अनुपालन में मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदमों को उठाया है/इसमें भागीदारी की है।

- ◆ भारतीय मसालों के लिए ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसिबिलिटी इंटरफेस: भारतीय मसालों के लिए ब्लॉकचेन-संचालित ट्रेसिबिलिटी इंटरफेस बनाने के लिए स्पाइसेस बोर्ड-यूएनडीपी की संयुक्त पहल का उद्देश्य मसाला मूल्य श्रृंखला की दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि करना है और निर्यात के लिए मसालों के स्रोत को सुदृढ़ करना है। मसाला किसानों को निर्यातकों और बाजारों से जोड़ने के लिए मसाला बोर्ड द्वारा विकसित ई-स्पाइस बाजार पोर्टल के साथ ब्लॉकचेन ट्रेसिबिलिटी इंटरफेस को एकीकृत किया जाएगा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चुनिंदा जिलों में मिर्च और हल्दी की खेती में लगे 3,000 से अधिक किसानों का मार्गदर्शन किया जाएगा।
- ◆ मसाला बोर्ड ने अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय की पहल के अनुरूप प्रमुख हितधारक के अनुपालनों का अंकीकरण किया है और तदनुसार मसालों के निर्यातक (सीआरईएस), इलायची नीलामी लाइसेंस (सीएएल), और इलायची लाइसेंस डीलर (सीडीएल) के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया है और तिमाही निर्यात विवरण (क्यूईआर) पूरी तरह से ऑनलाइन जमा किया है।
- ◆ मसाला बोर्ड के भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआई) ने आईआईआईटीएमके, त्रिवेणी, केरल और रबर बोर्ड के सहयोग से इलायची की खेती के लिए एकीकृत जीआईएस आधारित मृदा उर्वरता मूल्यांकन और जलवायु के अनुकूल इलायची की खेती के लिए ऐप आधारित उर्वरक अनुशंसा पर एक सहयोगी अनुसंधान परिसंस्करण का शुभारम्भ किया है।

- ◆ मसाला बोर्ड ने छोटी इलायची के लिए एक क्लाउड आधारित ई-नीलामी सुविधा आरंभ की है, जो बोदिनायकनूर, तमिलनाडु और केरल के पुट्टडी में अपने दो नीलामी केंद्रों को डिजिटल रूप से एकीकृत कर रही है, जिससे इलायची उत्पादकों और व्यापारियों के लिए बाजार के अवसर का विस्तार हो रहा है।
- ◆ स्पाइस एक्सचेंज इंडिया: मसाला बोर्ड ने देश से मसालों के निर्यात की सुविधा के लिए एक विशेष 3डी वर्चुअल प्लेटफॉर्म विकसित किया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म भारतीय निर्यातकों के लिए विदेशों में आयातकों के संपर्क में रहने के लिए एक विशेष बाजार पोर्टल के रूप में कार्य करता है और वैश्विक मसाला व्यापार डाटा और मसालों पर उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराकर निर्यातकों को सहयोग करता है। प्लेटफॉर्म नवीनतम तकनीकों से लैस है जो उपयोगकर्ताओं को व्यापार के नेटवर्किंग के लिए एआई समर्थित मैच मेकिंग तकनीक से सहायता प्राप्त वैश्विक मसाला बिरादरी के साथ जुड़ने के लिए वर्चुअल कार्यालय बनाने में सक्षम बनाता है।
- ◆ कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स (सीसीएससीएच) के 5वें सत्र का आयोजन बोर्ड द्वारा अप्रैल 2021 के दौरान भारत के साथ अध्यक्ष के रूप में और मसाला बोर्ड के साथ सचिवालय के रूप में वर्चुअल मोड में किया गया। 5 सत्रों में सीसीएससीएच ने विकसित किए गए 8 मसालों (काली, सफेद और हरी मिर्च, जीरा, अजवायन, लहसुन, लौंग, अजवायन, तुलसी और अदरक) के लिए सामंजस्यपूर्ण वैश्विक गुणवत्ता मानकों को विकसित किया है।

2. तम्बाकू

तम्बाकू भारत में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल है। उत्पादन को नियंत्रित करने, विदेशी विपणन को प्रोत्साहित करने और आपूर्ति एवं मांग में बार-बार होने वाली असंतुलन की घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु भारत सरकार द्वारा तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के अंतर्गत 1 जनवरी, 1976 को तम्बाकू बोर्ड का गठन किया गया।

तम्बाकू बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष इसके प्रमुख होते हैं। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 का उद्देश्य देश में तम्बाकू उद्योग का नियोजित विकास करना है। उद्योग को बढ़ावा देने

के लिए अधिनियम में उल्लिखित बोर्ड की विभिन्न गतिविधियाँ हैं:

- ◆ भारत और विदेशों में मांग के संबंध में वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन और संसाधन को विनियमित करना।
- ◆ वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादकों, डीलरों और निर्यातकों (पैकर्स सहित) और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं और अन्य संबंधित लोगों के लिए उपयोगी जानकारी का प्रचार करना।
- ◆ उत्पादकों के स्तर पर तम्बाकू ग्रेडिंग को बढ़ावा देना।
- ◆ पंजीकृत उत्पादकों द्वारा वर्जीनिया तंबाकू की बिक्री के लिए नीलामी प्लेटफॉर्म की स्थापना और नीलामी प्लेटफॉर्म पर नीलामीकर्ता के रूप में कार्य करना।
- ◆ मौजूदा बाजारों का रखरखाव और सुधार और भारत के बाहर नए बाजारों का विकास।
- ◆ भारत और विदेशों दोनों में वर्जीनिया तंबाकू बाजार पर निरंतर नजर रखना/निगरानी रखना और उत्पादकों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना।
- ◆ भारत सरकार के पूर्वानुमोदन से उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक या उचित समझे जाने पर उत्पादकों से वर्जीनिया तम्बाकू खरीदना।

(i) एफसीवी तंबाकू के उत्पादन को विनियमित करना

तंबाकू बोर्ड अधिनियम की धारा 8 (2) (ए) के अनुसार, भारत और विदेशों में तंबाकू की मांग को ध्यान में रखते हुए तंबाकू बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक एफसीवी तंबाकू के उत्पादन और संसाधन का विनियमन है। यह उद्देश्य हर साल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए फसल स्कीम और एफसीवी तंबाकू के फसल के आकार को अलग-अलग तय करके और वाणिज्यिक माली, तंबाकू उत्पादकों और खलिहान संचालकों को पंजीकृत करके प्राप्त किया जा रहा है।

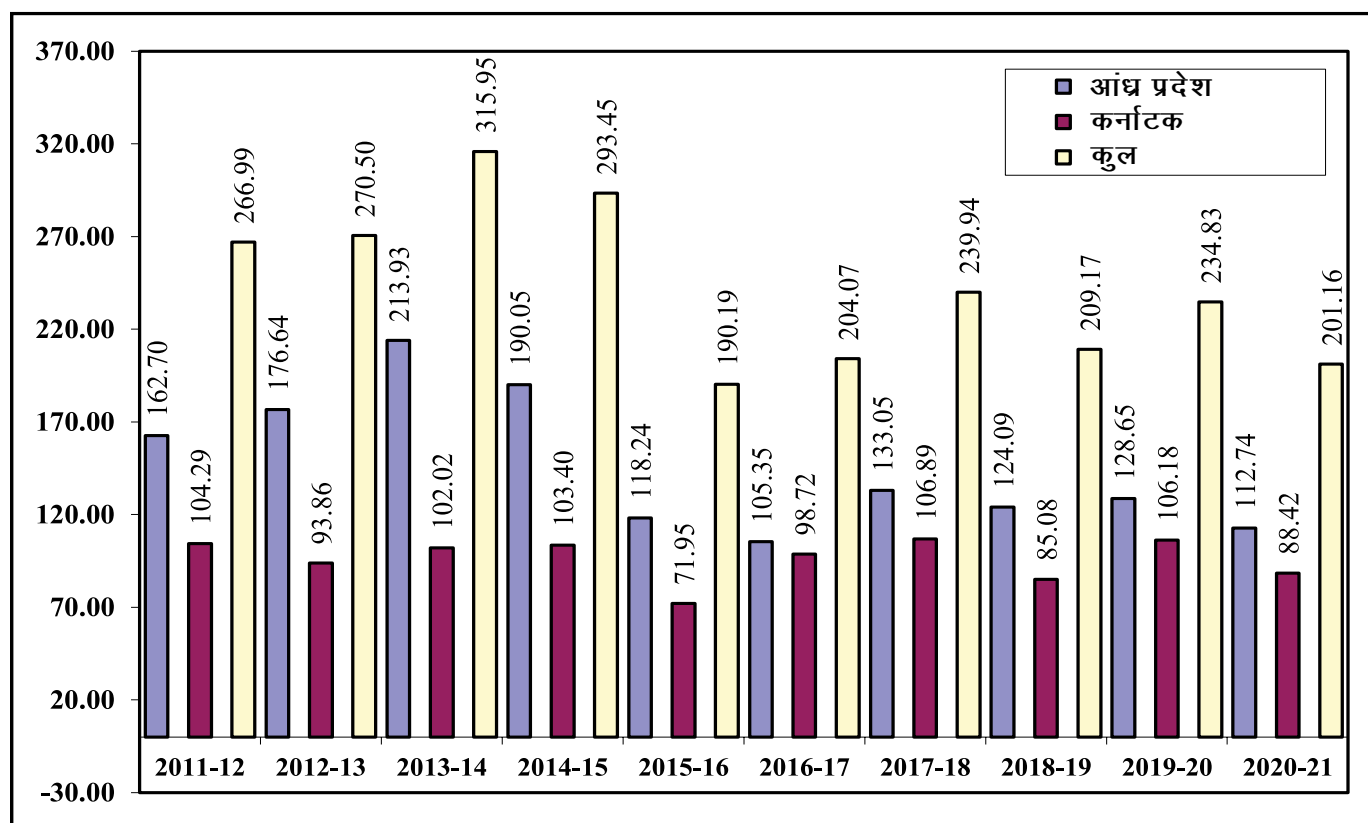
(ii) भारत में एफसीवी तंबाकू उत्पादन

पिछले दस वर्षों में एफसीवी तंबाकू उत्पादन में साल दर साल उतार-चढ़ाव रहा है। ये उतार-चढ़ाव उपज पर मौसम के प्रभाव के साथ-साथ आपूर्ति की कीमत में उतार-चढ़ाव और तंबाकू बोर्ड द्वारा किए गए फसल विनियमन के रूप में बाजार में हलचल के संदर्भ में प्रतिबिंबित होते हैं। 2011-12 से 2020-21

की अवधि के दौरान एफसीवी तंबाकू उत्पादन ने (-)1.68 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की है।

वर्ष 2020-21 में एफसीवी तंबाकू का उत्पादन 201.16 मिलियन किलोग्राम रहा, जबकि पिछले वर्ष के दौरान इसका उत्पादन 234.83 मिलियन किलोग्राम रहा था। 2020-21 के फसल मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश में एफसीवी तंबाकू का उत्पादन 112.74 मिलियन किलोग्राम रहा है और कर्नाटक में लगभग 1,38,751 हेक्टेयर में 88.42 मिलियन किलोग्राम एफसीवी तंबाकू की खेती की गई।

2021-22 के फसल मौसम के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने आंध्र प्रदेश के लिए 130.00 मिलियन किलोग्राम और कर्नाटक के लिए 97.00 मिलियन किलोग्राम की फसल मात्रा निर्धारित की है। 31 दिसंबर, 2021 तक आंध्र प्रदेश में 38,451 खलिहानों को शामिल करते हुए बोर्ड के साथ कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 42,999 हो गई है और 2021-22 के फसल मौसम के दौरान 58,263 हेक्टेयर में तंबाकू की खेती की गई। कर्नाटक में 53,695 खलिहानों को शामिल करते हुए बोर्ड के साथ कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 41,438 हो गई है और 2021-22 के फसल मौसम के दौरान 71,877 हेक्टेयर में तंबाकू की खेती की गई।



स्रोत: तंबाकू बोर्ड

(iii) 2021-22 फसल मौसम के लिए एफसीवी फसल उत्पादन नीति

2020-21 फसल मौसम की तुलना में 2021-22 फसल मौसम के दौरान निर्धारित राज्यवार फसल उत्पादन की मात्रा इस प्रकार है:

(फसल का आकार एमकेजी में)

फसल का मौसम	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	कुल
2021-22	130.00	97.00	227.00
2020-21	115.00	88.00	203.00

(iv) विस्तार और विकास गतिविधियाँ

तंबाकू बोर्ड भारतीय एफसीवी तंबाकू को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न विस्तार और विकास स्कीमों को लागू करता है। तंबाकू बोर्ड अपनी विभिन्न स्कीमों के तहत पंजीकृत एफसीवी तंबाकू उत्पादकों को नए और बेहतर पैकेज अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। तंबाकू बोर्ड केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान (सीटीआरआई), राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएचएम) और तंबाकू कंपनियों के अनुसंधान और विकास विंग के सहयोग से योग्य और प्रशिक्षित फील्ड स्टाफ के व्यापक नेटवर्क का उपयोग

करके उत्पादकों को सहायता और विस्तार सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करता है।

- ◆ वर्ष 2021-22 के फसल मौसम के दौरान बोर्ड द्वारा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में एफसीवी तंबाकू उत्पादकों को सीटीआरआई, राजमुंदरी और आईटीसी अनुसंधान प्रभाग, राजमुंदरी के माध्यम से 6,926.31 किलोग्राम बीज की आपूर्ति की व्यवस्था की गई।
- ◆ 2021-22 के फसल मौसम के दौरान बोर्ड की भागीदारी के बिना किसानों की समिति के माध्यम से उर्वरकों की खरीद और वितरण के लिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में एक वैकल्पिक प्रक्रिया सफलतापूर्वक लागू की गई है जैसा कि पिछले वर्ष किया गया था। कर्नाटक के उत्पादकों को 20132.80 मीट्रिक टन उर्वरक वितरित की गई। आंध्र प्रदेश में उत्पादकों को 8308.08 मीट्रिक टन उर्वरक वितरित की गई।
- ◆ आंध्र प्रदेश में, मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए 8,927.60 हेक्टेयर क्षेत्र में हरी खाद की फसल उगाई गई, जिससे उत्पादकों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने और फसल की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद होगी।
- ◆ स्वस्थ और मजबूत पौधों को उगाने के लिए उत्पादकों को कर्नाटक में 11.23 लाख ट्रे की और आंध्र प्रदेश में 6.64 लाख ट्रे की आपूर्ति की गई। ट्रे में पौधों को उगाने से निश्चित तौर पर खेत में इन्हें बेहतर तरीके से लगाया जा सकेगा जिसके परिणामस्वरूप बिना किसी रोपाई झटके के और कीटों और बीमारी की घटनाओं को कम कर एकसमान फसल वृद्धि में मदद मिलेगी। एससी/एसटी उत्पादकों को 35 प्रतिशत और अन्य श्रेणी के उत्पादकों को 25 प्रतिशत सब्सिडी पर कर्नाटक के एफसीवी तंबाकू उत्पादकों को 63.25 लाख रुपये की राशि दी गई।
- ◆ बोर्ड उत्पाद की शुद्धता को बढ़ाने और कीटनाशक अवशेषों से मुक्त सुरक्षित तंबाकू के उत्पादन के लिए एफसीवी तंबाकू उत्पादकों के बीच आईपीएम अभ्यासों को बढ़ावा दे रहा है। फसल मौसम 2021-22 के दौरान, बोर्ड कुछ आईपीएम चीजों जैसे फेरोमोन जाल, पीला चिपचिपा जाल, जैव कीटनाशक, गेंदा के पौधे, ज्वार और बाजरा के बीज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एफसीवी तंबाकू उत्पादकों को वितरण करने की व्यवस्था कर रहा है।
- बोर्ड ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के एफसीवी तंबाकू उत्पादकों को क्रमशः 375 लीटर और 2215 लीटर ट्राइकोडर्मा और स्फूडोमोनास जैव कीटनाशकों के वितरण की व्यवस्था की। जैव कीटनाशक मृदा

जनित रोगों के नियंत्रण में सहायता करेंगे, जिसके कारण रासायनिक कवकनाशी के उपयोग को कमी आएगी। कर्नाटक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्पादकों को 50 प्रतिशत की दर से और अन्य श्रेणी के उत्पादक लाभार्थियों को 30 प्रतिशत की दर से सब्सिडी के लिए 0.86 लाख रुपये की राशि दी गई।

- कर्नाटक के उत्पादकों को फेरोमोन जाल और पीला चिपचिपा जाल की आपूर्ति के लिए 0.16 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई।
- बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में सीटीआरआई रिसर्च स्टेशन नर्सरी से खरीदे गए 10 लाख गेंदे के पौधे तंबाकू उत्पादकों को मुफ्त में वितरित किए। कर्नाटक में, सीटीआरआई से खरीदे गए 3.80 लाख गेंदे के पौधे उत्पादकों को मुफ्त में वितरित किए गए।
- कर्नाटक राज्य बीज निगम, कर्नाटक सरकार से 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1,998 किलोग्राम बाजरा बीज और 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 570 किलोग्राम ज्वार बीज की खरीद के लिए 1.25 लाख रु. खर्च किए गए और फसल को चूसने वाले कीट अर्थात् सफेद मक्खी, एफिड (माहू) से बचाव उपायों के तौर पर खेत की मेड़ों पर आड़/सीमा फसल के तौर पर उगाने के लिए कर्नाटक के एफसीवी उत्पादकों को मुफ्त में आपूर्ति की गई थी।
- ◆ बोर्ड उत्पादकों को जैविक तंबाकू के उत्पादन के लिए प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। 2021-22 के फसल मौसम के दौरान, कर्नाटक के 106 उत्पादकों ने प्राकृतिक खेती माध्यम से 106 एकड़ भूमि में एफसीवी तंबाकू की खेती की। प्राकृतिक खेती माध्यम से एफसीवी तंबाकू की खेती में उपयोग किए जाने वाले जैविक खादों, प्राकृतिक कीटनाशकों के उपयोग के लिए खर्च को पूरा करने के लिए प्रत्येक उत्पादक को 5000/- रुपये प्रति भूखंड और नकद प्रोत्साहन के रूप में 10,000/- रुपये की राशि प्रदान की गई।
- ◆ बोर्ड, पर्यावरण के अनुकूल उपायों के एक हिस्से के रूप में उत्पादकों को तंबाकू को रोगमुक्त रखने की जरूरत को पूरा करने के लिए तेजी से बढ़ने वाले पेड़ पौधों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में, तंबाकू बोर्ड ने तंबाकू उत्पादकों के लिए उत्पादक पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 10 तेजी से बढ़ते पेड़ पौधे लगाना अनिवार्य बना दिया है।
- ◆ 26 सितंबर 2021 को "आजादी का अमृत महोत्सव" की पूर्व संध्या पर आंध्र प्रदेश के सभी नीलामी प्लेटफार्मों में एफसीवी तंबाकू उत्पादकों द्वारा 75 तंबाकू उगाने वाले

गांवों में 75000 वृक्षारोपण का सामूहिक वृक्षारोपण किया गया, जोकि प्रगतिशील भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने को मनाने के लिए भारत सरकार की एक व्यापक, राष्ट्रव्यापी पहल है जोकि नागरिक भागीदारी पर केंद्रित है।

- ◆ बोर्ड गहन विस्तार कार्यक्रम के माध्यम से एफसीवी तंबाकू की उत्पादकता, गुणवत्ता और शुद्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से मॉडल परिसकीम क्षेत्र स्कीम (एमपीए) लागू कर रहा है। 2021-22 के फसल मौसम के दौरान, आंध्र प्रदेश में 17 गांवों और कर्नाटक में 14 गांवों को मॉडल परिसकीम क्षेत्र स्कीम को लागू करने के लिए अधिसूचित किया गया था। समय-समय पर अच्छी कृषि पद्धतियों पर उत्पादकों को सलाह देने और आंकड़ों के संग्रह के लिए मॉडल परिसकीम गांव में 4 महीने के लिए एक विस्तार कार्यक्रमों को नियुक्त किया जाता है। विस्तार कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 8000 रुपये/प्लेटफॉर्म की राशि आवंटित की जा रही है।
- ◆ बोर्ड फसल कटाई के बाद उत्पाद प्रबंधन व्यवहारों को लागू करने के लिए एफसीवी तंबाकू उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है और इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, बोर्ड पैकेट बंद तंबाकू में गैर-तंबाकू संबंधित सामग्री को मिलने से बचने के लिए कैनवास तिरपाल की आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा है और तंबाकू के भंडारण के लिए थोक शेड के निर्माण को बढ़ावा दे रहा है।
- ◆ एफसीवी तंबाकू के संसाधन में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, बोर्ड ने व्यापार के साथ सहयोग में सब्सिडी देकर खलिहानों के इन्सुलेशन (ताप प्रतिरोधन) के माध्यम से बड़े पैमाने पर ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। फसल मौसम 2021-22 के दौरान कर्नाटक में 649 खलिहानों और आंध्र प्रदेश में 330 खलिहानों के इन्सुलेशन (ताप प्रतिरोधन) का लक्ष्य रखा गया है। आंध्र प्रदेश में 100 खलिहानों में वेंचुरी भट्टी की स्थापना का प्रस्ताव है।
- ◆ बोर्ड तंबाकू की खेती में अच्छी कृषि पद्धतियों की जानकारी प्रदान करने के लिए विस्तार कर्मियों के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चला रहा है।
- ◆ बोर्ड ने व्यापार के साथ-साथ आईसीएआर – सीआईईई, भोपाल और आईसीएआर – सीटीआरआई, राजमुंदरी को “एफसीवी तंबाकू पत्ती बंधन मशीन का विकास और मूल्यांकन” नामक एक शोध परिसकीम का काम दिया है और इन संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

- ◆ तम्बाकू बोर्ड ने मैसर्स आईटीसी के साथ समन्वय में व्यवहार्यता और पत्ती की गुणवत्ता के संदर्भ में एफसीवी तम्बाकू की खुली पत्ती खलिहान (लूज लीफ बार्न) तकनीक की प्रभावकता के मूल्यांकन हेतु 03/12/2021 को आईसीएआर-सीटीआरआई, राजमुंदरी को एक अनुसंधान अध्ययन का काम दिया है और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सीटीआरआई (आरएस), कंदुकुर में खुली पत्ती खलिहान (लूज लीफ बार्न) का निर्माण शुरू किया गया और बेसमेंट का काम पूरा हो गया है।
- ◆ उत्पादकों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, एकीकृत कीट प्रबंधन पद्धतियों, निरंतर तंबाकू उत्पादन, सीपीए अवशेषों के प्रबंधन, एनटीआरएम के उन्मूलन और अन्य अच्छी कृषि पद्धतियों पर अध्ययन दौरे और कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- ◆ नवंबर 2021 तक विस्तार और विकासात्मक स्कीमों के लिए 107.83 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। वर्तमान फसल मौसम के दौरान विस्तार और विकास स्कीमों (आंध्र प्रदेश और कर्नाटक) के कार्यान्वयन के लिए खर्च को पूरा करने के लिए लगभग 380 लाख रुपये की राशि की आवश्यकता होगी।

(v) तंबाकू नीलामी

एफसीवी तंबाकू की बिक्री के लिए नीलामी सिस्टम पहली बार 1984 में कर्नाटक में और उसके बाद 1985 में आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी।

वर्ष 2021-22 के दौरान हुई प्रगति

- ◆ वर्ष 2021-22 के दौरान आंध्र प्रदेश में, 1 अप्रैल 2021 से 16 सितंबर 2021 तक (नीलामी बिक्री 15 मार्च 2021 को शुरू हुई और 16 सितंबर 2021 को समाप्त हुई) 145.97 प्रति किलोग्राम के औसत मूल्य पर 2020-21 की कुल 107.39 मिलियन किलोग्राम आंध्र प्रदेश एफसीवी तम्बाकू फसल बेची गई।
- ◆ वर्ष 2021-22 के दौरान कर्नाटक में, 24 सितंबर, 2021 से 7 जनवरी 2022 तक (नीलामी बिक्री 24 सितंबर, 2021 को शुरू हुई और अभी चल रही है) 153.07 प्रति किलोग्राम के औसत मूल्य पर 2021-22 की कुल 35.15 मिलियन किलोग्राम कर्नाटक एफसीवी तम्बाकू फसल बेची गई।

3. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात

विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी। पिछले 35 वर्षों से कृषि-निर्यात समुदाय की सेवा कर रहे इस प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसके प्रमुख हैं अध्यक्ष, एपीडा। देश के विभिन्न हिस्सों में निर्यातकों तक पहुंचने के लिए, एपीडा ने मुंबई, बंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, कोच्चि, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, वाराणसी और भोपाल में 12 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

एपीडा को एपीडा अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध 14 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद समूहों के निर्यात संवर्धन और विकास का दायित्व सौंपा गया है। चावल को एपीडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा, एपीडा को चीनी के आयात की निगरानी करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एपीडा जैविक निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।

एपीडा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना और गुणवत्ता उन्नयन करने के अलावा बाजारों के विकास कार्य में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में, एपीडा अपनी प्लान स्कीम 'एपीडा की कृषि निर्यात प्रोत्साहन स्कीम' के तहत स्कीम के उप-घटक – बाजार विकास, अवसंरचना विकास और गुणवत्ता विकास के तहत पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(i) एपीडा अधिनियम की पहली अनुसूची के उत्पाद

- ◆ फल, सब्जियां और उनके उत्पाद
- ◆ मांस और मांस उत्पाद
- ◆ पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पाद
- ◆ दुग्ध उत्पाद
- ◆ मिष्ठान्न, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद
- ◆ शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद
- ◆ कोको और उसके उत्पाद, सभी प्रकार की चॉकलेट
- ◆ मादक और गैर-मादक पेय पदार्थ
- ◆ अनाज और अनाज उत्पाद
- ◆ मूंगफली, मूंगफली और अखरोट
- ◆ अचार, चटनी और पापड़
- ◆ ग्वार गम
- ◆ फूलों की खेती और फूलों की खेती के उत्पाद
- ◆ हर्बल और औषधीय पौधे

एपीडा की कृषि निर्यात प्रोत्साहन स्कीम— वर्ष 2021–2022 के दौरान एपीडा को आवंटित स्कीम बजट का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

बजट आवंटन विवरण: 2021–2022 (अप्रैल–अक्टूबर 2021)

(मूल्य करोड़ रुपये में)

स्कीम घटक	डीओसी द्वारा स्वीकृत बजट	31.10.2021 तक वास्तविक व्यय	लाभार्थियों की संख्या
अवसंरचना विकास	26.00	19.15	70
बाजार का विकास	50.00	5.74	58
गुणवत्ता विकास	9.00	1.21	11
कुल	85.00	26.10	139

स्रोत: एपीडा

(ii) कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस)—विनियामक अनुपालन का बोझ कम करना

- ◆ एपीडा ने विनियामक अनुपालनों को कम करने की प्रक्रिया शुरू की और कारोबार करने में आसानी लाने के लिए 10 ऐसे अनुपालनों की पहचान की और इस प्रकार पहचाने

गए अनुपालनों के संबंध में कार्रवाई की गई जिसके परिणामस्वरूप लागत में बचत हुई और झंझट मुक्त कारोबार संभव हुआ।

- ◆ इसके अलावा, एपीडा ने विशेष रूप से महामारी की अवधि के दौरान व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्चुअल

निरीक्षण शुरू कर दिया है।

(iii) वर्चुअल व्यापार मेला

कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने तथा भारत को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए विश्व बाजार के संभावित विकल्प के रूप में प्रस्तुत करके मौजूदा बाजारों को बनाए रखने हेतु, एपीडा ने अग्रणी कदम उठाया और अपनी संस्थानिक टीम के माध्यम से अपना खुद का मंच पेश किया जहां विभिन्न कृषि उत्पादों के गुण दिखाने के साथ-साथ भारतीय निर्यातकों और आयातकों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए वर्चुअल व्यापार मेलों के आयोजन किया जाता है। एपीडा ने 10 से 12 मार्च 2021 तक 'इंडिया राइस एंड एग्रो क्मोडिटी शो' के लिए दो वर्चुअल व्यापार मेले और 26 से 28 मई 2021 तक इंडिया फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लोरीकल्चर शो का आयोजन किया।

(iv) वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक

अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एपीडा ने जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक भारतीय मिशनो के सहयोग से भूटान, अजरबैजान, कतर, सऊदी अरब, नेपाल, उजबेकिस्तान, वियतनाम, नीदरलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, दक्षिण कोरिया, सूडान, जापान खाड़ी देशों, बहरीन, अंगोला, मिस्र, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, मोरक्को, जॉर्डन, लाओस, टोगो, घाना, ईरान, कनाडा के साथ 27 वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन किया। भारतीय मिशनो, भारत के आयातकों, निर्यातकों और उत्पाद संघों ने इनमें भाग लिया। दोनों पक्षों की ओर से ई-कैटलॉग भी जारी किया गया।

(v) कृषि निर्यात नीति (ईपीपी)

- ♦ संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ राज्य कृषि निर्यात कार्य स्कीम को समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप देने के लिए सहयोग करने के अनुरोध पर अनुवर्ती कार्रवाई के बाद, पांच राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र नामतः मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ने राज्य विशिष्ट कार्य स्कीम को अंतिम रूप दिया है। शेष राज्यों की कार्य स्कीमएं अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में हैं।
- ♦ हरियाणा सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) का गठन किया गया है।
- ♦ एपीडा ने किसान सहकारी समितियों के निर्यात लिंकेज को मजबूत करने के लिए नेफेड के साथ एक समझौता

ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- ♦ एपीडा ने 26 अगस्त 2021 को तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसका उद्देश्य एफपीओ/किसानों/कृषि स्टार्ट-अप/निर्यातकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करके, राज्य में जैविक खेती और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देकर, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करके, निर्यात के लिए चिन्हित कृषि उत्पादों के व्यापार को संगठित आदि करके तमिलनाडु में उत्पाद समूहों के लिए निर्यात कार्यनीति तैयार करना है।
- ♦ इफको और केआरआईबीएचसीओ (कृभको) के प्रतिनिधियों के साथ उनके बड़े किसान आधार को वैश्विक व्यापार से जोड़ने के लिए संवाद बैठकें आयोजित की गई हैं। इफको ने मौजूदा निर्यात समूह का विस्तार करने और अधिक गंतव्यों का पता लगाने की इच्छा व्यक्त की है।
- ♦ क्लस्टर विकास स्कीमों की समाभिरूपता के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग), खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और डीजीएफटी के साथ तालमेल बनाया जा रहा है।
- ♦ डीजीएफटी: पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ज़िले निर्यात केंद्र के रूप में (डीईएच) पहल के आधार पर जिलों में तालमेल बैठाने के लिए डीजीएफटी के साथ एकीकरण किए जाने के उद्देश्य से, जुलाई 2021 में इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से दो दिवसीय वर्चुअल आउटरीच कार्यक्रम 'भारत से दुनिया तक' आयोजित किया गया था। चूंकि एपीडा के वर्चुअल ट्रेड फेयर प्लेटफॉर्म मॉडल को अपनाया गया था, इस आयोजन में वाशिंगटन डीसी (यूएसए), यूएई और जापान स्थित भारतीय दूतावासों ने भागीदारी की।
- ♦ इन्वेस्ट इंडिया: महाराष्ट्र में आम क्लस्टर के लिए इन्वेस्ट इंडिया की ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) पहल के साथ एकीकरण की दिशा में, एपीडा ने इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से जापान स्थित भारत के दूतावास के साथ समन्वय करके मई 2021 में टोक्यो, जापान में मैंगो फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 का आयोजन किया। इसमें संभावित खरीदारों के साथ आम का नमूना चयन और उसके बाद सुपरमार्केट, मॉल, रेस्तरां आदि के साथ बड़े पैमाने पर आम का प्रचार करना शामिल था।
- ♦ जल्द खराब होने वाले उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, अगस्त 2021 में सऊदी अरब में भारत के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से एक वर्चुअल बी2बी व्यापार सुविधा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में रियाध में भारतीय दूतावास, निर्यातकों और प्रमुख सऊदी सुपरमार्केट खुदरा विक्रेताओं की भागीदारी देखी गई।
- ♦ निर्यात अवसंरचना, भंडारण और संभारिकी के सेवा प्रदाता के लिए आपसी सहयोग पर विस्तृत चर्चा करने

के लिए सीडब्ल्यूसी के साथ बातचीत की गई है। आगे सहयोग के लिए सीडब्ल्यूसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

- ◆ कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रेल परिवहन द्वारा किए जाने वाली आवश्यक हस्तक्षेप कार्रवाई पर चर्चा के लिए रेल मंत्रालय के साथ कई दौर की बैठकें आयोजित की गई हैं। वाराणसी (पूर्वी उत्तर प्रदेश) और बिहार क्षेत्र में आईसीडी को सक्रिय करने के मुद्दे पर भारतीय कंटेनर निगम (कॉनकॉर) के अधिकारियों और अन्य ऑपरेटरों/लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं के साथ भी चर्चा की गई। एक ऑनलाइन वीसी बैठक आयोजित की जा रही है जहां संबंधित व्यापार संघों को संभावित समाधान की तलाश के लिए आवश्यक विशिष्ट मुद्दों और हस्तक्षेपों को चिह्नित करने का अवसर दिया जाएगा।
- ◆ अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) टीम के साथ हुई बातचीत की श्रृंखला की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, जीआई आम (अल्फांसो) के लिए ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी और एपीडा पैकहाउस में डिजिटल परीक्षण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्तावों के लिए दो प्रायोगिक परिस्कीमों को निष्पादित करने के लिए मंजूरी दी गई थी।

(vi) ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए पहल

(क) निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों और बी2बी बैठकों का आयोजन

कोविड महामारी के कारण विदेशों में भारतीय मिशनों के सहयोग से वर्चुअल मोड में निम्नलिखित संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- ◆ दक्षिण कोरिया में मैंगो प्रमोशन— 22 मई 2021
- ◆ कुवैत में मैंगो प्रमोशन — 28 अप्रैल 2021
- ◆ जापान में मैंगो प्रमोशन — 27 मई 2021 से 29 मई 2021
- ◆ जर्मनी में मैंगो प्रमोशन — 30 मई 2021 से 5 जून 2021
- ◆ यूके में मैंगो प्रमोशन — 14 जून 2021
- ◆ भूटान में मैंगो प्रमोशन — 28 जुलाई 2021
- ◆ उज़्बेकिस्तान में मैंगो प्रमोशन— 29 जुलाई 2021
- ◆ एपीडा ने अगस्त-अक्टूबर 2021 के दौरान भूटान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, सिंगापुर और ईरान को कृषि उत्पादों के निर्यात के संबंध में आयोजित वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक में ताजे फल और सब्जी निर्यातकों को भागीदारी करने की व्यवस्था की।

(ख) कृषि उत्पाद निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना

ताजे फल, सब्जियों और फूलों के निर्यात के महत्व को ध्यान में रखते हुए अंगूर, प्याज, आम, केला, अनार और फूलों की खेती के लिए निर्यात संवर्धन मंच (एफपीएफ) का गठन किया गया था। इन मंचों का उद्देश्य इन उत्पादों की निर्यात क्षमता, झेली जा रही समस्याओं और निर्यात बढ़ाने की रूपरेखा पर विचार करते हुए हितधारकों के बीच केंद्रित विचार-विमर्श करना है।

(ग) ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को निर्यात के लिए SO₂ और CO₂ गैसों का उपयोग करके अंगूर के उपचार के लिए प्रोटोकॉल तैयार करना

एपीडा ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के केंद्रीय कटाई-उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संसंस्थान (सीआईपीएचईटी) लुधियाना के सहयोग से SO₂ और CO₂ गैसों का उपयोग करके एक स्वचालित धूमन कक्ष में अंगूर के उपचार के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित किया। धूमन कक्ष का प्रदर्शन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इस सफलता के आधार पर, एपीडा न्यूजीलैंड में अंगूर की बाजार पहुंच की तलाश करेगा।

(घ) बाजार पहुंच संबंधी मुद्दे

- ◆ अनार के फलों के लिए ऑस्ट्रेलियाई बाजार पहुंच प्रदान की गई। एपीडा ने कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ बातचीत की।
- ◆ वाणिज्य विभाग और कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग ने भूटान के साथ सक्रिय बातचीत करके उस देश में प्याज, भिंडी और टमाटर के निर्यात के लिए बाजार पहुंच की व्यवस्था की।
- ◆ स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में यूरोपीय संघ की नई अपेक्षा को पूरा करने के लिए यूरोपीय संघ को हरी मिर्च के निर्यात की प्रक्रिया तैयार की गई और ब्रुसेल्स स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से यूरोपीय आयोग को प्रस्तुत की गई।
- ◆ एपीडा और कृषि मंत्रालय भारत में अमरीकी निरीक्षक को तैनात करने के बजाय एनपीपीओ इंडिया को स्वीकृति-पूर्व कार्यक्रम की निगरानी अंतरित करने के लिए एसडीए एपीएचआईएस के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि निरीक्षण की बड़ी लागत को कम किया जा सके और संयुक्त राज्य अमेरिका में आमों के निर्यात के अवसर अधिक निर्यातकों के लिए उपलब्ध हो सकें।

(ड) व्यापार सुविधा

- ◆ निर्यात वस्तुओं पर मालभाड़े और कंटेनर की बड़ी लागत की समस्या का सामना कर रहे ताजे फल और सब्जियों के निर्यातकों की बैठकें आयोजित कीं।
- ◆ वर्ष के दौरान, एपीडा की वित्तीय सहायता स्कीम के तहत ताजे फल और सब्जियों के 12 निर्यातकों को वित्तीय सहायता दी गई।

(vii) प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात के लिए पहल

- ◆ मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात के लिए भांडागार सहित मूंगफलीके छिलकेउतारने (शेलिंग), श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) और प्रसंस्करण की 182 इकाइयों को मान्यता दी गई है।
- ◆ (अप्रैल-अक्टूबर 2021) की अवधि में, मूंगफली के 30 नए एककों को पंजीकृत किया गया और 34 एककों के पंजीकरण का नवीकरण किया गया।
- ◆ मूंगफली के निर्यात के लिए कुल 11907 निर्यात प्रमाणपत्र (सीआई) जारी किए गए हैं। 230271.504 मीट्रिक टन मूंगफली और मूंगफली उत्पादों का निर्यात किया गया है (अप्रैल-अक्टूबर 2021) जिसमें यूरोपीय संघ का हिस्सा 3996.946 मीट्रिक टन और गैर यूरोपीय संघ का हिस्सा 226274.558 मीट्रिक टन है।

(viii) पशुधन उत्पादों के निर्यात के लिए पहल

- ◆ एपीडा ने अंतर-मंत्रालयी समिति के निरीक्षण के बाद 02 नए मांस प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया, 21 प्रतिष्ठानों के लिए वैधता का नवीकरण किया और 18 मांस प्रतिष्ठानों की वैधता बढ़ा दी। मांस प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों में 28 व्यापारी निर्यातकों को जोड़ा/नवीकृत किया गया है।
- ◆ एपीडा और भारतीय मिशन द्वारा कठोर अनुवर्ती कार्रवाई के बाद, कंबोडिया ने खेप के कोविड-19 परीक्षणों के बाद प्रशीतित गोवंश मांस के आयात की अनुमति दी।
- ◆ संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारतीय शहद के विरुद्ध दायर की गई डंपिंग रोधी शुल्क याचिका के मुद्दे पर कार्यनीति बनाने के लिए शहद-निर्यातकों के साथ बैठक का आयोजन किया।
- ◆ एपीडा ने पहली बार हाथरस, उत्तर प्रदेश के डेयरी उत्पादों के एक निर्यातक को न्यूजीलैंड और सऊदी अरब

को व्हाइट बफेलो बटर निर्यात करने में मदद की।

- ◆ निर्यात के लिए मांस एवं मांस उत्पादों के संशोधित वातावरण पैकेजिंग के संबंध में भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी), मुंबई के माध्यम से निम्नलिखित पैकेजिंग मानक तैयार करवाए गए थे:
 - बकरी का मांस और डेबोनड डिग्लैंडेड भैंस का मांस पर रिपोर्ट भाग-I
 - सूखे अंडे की जर्दी पाउडर पर रिपोर्ट भाग-II
 - हैम (एचएएत) और चिकन सलामी पर रिपोर्ट भाग-III

(ix) जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए पहल

(क) देशों के साथ पारस्परिक मान्यता

- ◆ **ताइवान** — हालांकि भारत ने 2009 में ताइवान के जैविक मानकों के साथ एनपीओपी के समानक के लिए पहल की थी, ताइवान ने जैविक प्रणाली की पारस्परिक मान्यता के लिए आगे कार्रवाई करने की इच्छा व्यक्त की है। तदनुसार, दोनों देशों ने एक-दूसरे के मानकों की समीक्षा की और राष्ट्रीय विनियमन के कार्यान्वयन को सत्यापित करने के लिए ऑनसाइट मूल्यांकन किया जिसके बाद मानकों के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए अतिरिक्त स्पष्टीकरण दिए गए। पत्रों के आदान-प्रदान के पाठ को वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा भी अनुमोदित कर दिया गया है और पत्रों पर हस्ताक्षर एवं आदान-प्रदान के लिए यह मामला विचाराधीन है।
- ◆ **दक्षिण कोरिया**— पारस्परिक मान्यता के लिए दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत अंतिम चरण में है क्योंकि दोनों देशों द्वारा ऑनसाइट मूल्यांकन किया जा चुका है। जापान के साथ बातचीत चल रही है।
- ◆ **ऑस्ट्रेलिया**— पारस्परिक मान्यता के लिए ऑस्ट्रेलिया के समक्ष एपीडा के प्रस्ताव के आधार पर, उनसे औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हुई है और इस मामले में आगे बढ़ने के लिए तकनीकी चर्चा की गई है। न्यूजीलैंड ने भी एनपीओपी के साथ पारस्परिक मान्यता निष्पादित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।
- ◆ **कनाडा**— कनाडाई खाद्य निरीक्षण एजेंसी द्वारा एपीडा को अनुरूपता सत्यापन निकाय का दर्जा देने की प्रक्रिया चल रही है।

- ♦ **यूआई—** एनपीओपी के साथ पारस्परिक मान्यता के लिए यूआई की सहमति मांगी गई है जिसके लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

(ख) प्रत्यायन गतिविधियाँ

एपीडा आईएसओ-17011 की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के कार्यान्वयन के लिए सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है। एपीडा आईएफ का सदस्य भी है और नियमित रूप से आईएफ को प्रत्यायन संबंधी सभी कार्यकलाप पर अपनी टिप्पणियाँ और मतदान देता है। इस अवधि में किए गए प्रत्यायन संबंधी कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

- ♦ एनएबी द्वारा स्वैच्छिक आधार पर जैविक रेशों और उत्पादों तथा जैविक प्रसाधन एवं व्यक्तिगत देखभाल के उत्पादों के लिए संरक्षण श्रृंखला के मानकों को अधिसूचित किया गया है, जिसके आधार पर दो प्रमाणन निकायों को आधिकारिक मान्यता दी गई है।
- ♦ एनपीओपी में उल्लिखित प्रत्यायन प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) द्वारा 1 और प्रमाणन निकाय को मान्यता प्रदान की गई है जिससे अब प्रमाणन निकायों की कुल संख्या 32 हो गई है।
- ♦ एनएबी द्वारा मध्य पूर्व, उत्तर-पश्चिम एशिया और पड़ोसी देशों के अलावा यूरोपीय संघ, अफ्रीका में विदेशी प्रमाणन के लिए एक प्रमाणन निकाय का प्रत्यायन बढ़ा दिया गया है।

(ग) एनपीओपी प्रक्रियाओं की ट्रेसनेट ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से निगरानी

एपीडा एफएसएसएआई को वेब आधारित ट्रेसबिलिटी सिस्टम ट्रेसनेट से जैविक प्रोसेसर और व्यापारी का डेटा प्रदान कर रहा है जिससे प्रमाणित जैविक उत्पादों का घरेलू शुद्धता सत्यापन किया जा सके। हेल्प डेस्क जैविक उत्पादों का सुचारु व्यापार सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेटरों और प्रमाणन निकायों द्वारा रिपोर्ट किए गए परिचालन मुद्दों पर कार्रवाई करता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनपीओपी के तहत जैविक उत्पादों का निर्यात निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा	मूल्य (अमेरिकी डॉलर मिलियन)
2018-19	614089 एमटी	757

2019-20	638998 एमटी	689
2020-21	888179 एमटी	1040

(ख) ई-गवर्नेंस पहल

एपीडा ने मौजूदा ई-गवर्नेंस प्रणालियों को सुधारने के लिए वर्ष के दौरान कई पहलों की हैं और हितधारकों के लाभ के लिए नई ऑनलाइन सुविधाएं शुरू की हैं। हितधारकों के लिए नई प्रणाली के विकास और कार्यान्वयन में प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

(क) क्लाउड माइग्रेशन

उद्देश्य यह था कि समस्त एपीडा डेटा और ऑनलाइन एप्लिकेशन को सर्वर से हटाकर भुवनेश्वर स्थित एनआईसी क्लाउड में स्थानांतरित किया जाए। इस स्थानांतरण से डेटा की सुरक्षा हुई और बड़ी मात्रा में डेटा रखने के लिए गुंजाइश मिली।

(ख) वर्चुअल ट्रेड फेयर (वीटीएफ)

कोविड-19 के प्रकोप के कारण लगाए गए प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए और वास्तविक बैठकों के आयोजन से बचने के लिए वर्चुअल ट्रेड फेयर (वीटीएफ) एप्लिकेशन का विकास कार्य पूरा किया गया। इस मंच में प्रवेश कक्ष, प्रदर्शक स्टॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बातचीत के विकल्प शामिल थे। वीटीएफ सफल सिद्ध हुई क्योंकि निर्यातक वास्तविक समय में बात करते हुए अपने खाद्य उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन कर पाए और उन्हें खरीदारों को बेच पाए।

(ग) ग्रेपनेट में ब्लॉकचेन तकनीक

एपीडा ने अपने ग्रेपनेट ट्रेसबिलिटी सिस्टम के अंतर्गत ब्लॉकचेन समाधान लागू किया। ब्लॉकचेन तकनीक ने अंगूर के जीवनचक्र में, कृषि आवंटन से लेकर अंगूर की डिलीवरी तक शामिल सभी गतिविधियों और कदमों को ट्रैक करने में मदद की।

(घ) फार्मर कनेक्ट पोर्टल

फार्मर कनेक्ट एपीडा द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो 24x7 ऑनलाइन दृश्यता डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुविधा देती है। यह एफपीओ/एफपीसी/सहकारी समितियों और निर्यातकों को सीधे संवाद के लिए एक मंच प्रदान करती है जिसकी सहायता से आईसीटी प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया था।

(ड) प्याज, पान के पत्तों, सब्जियों और अन्य फलों पर हॉर्टिनेट ट्रे सेबिलिटी

एपीडा ने प्याज, पान के पत्ते, अन्य फल (5) और सब्जियों (43) के लिए हॉर्टिनेट में फार्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की।

(च) प्रमाणन निकाय प्रत्यायन मॉड्यूल

पूरे उद्योग में दस्तावेजों की कागज रहित कार्रवाई के चलते, एपीडा ने वार्षिक रिपोर्ट ऑनलाइन बनाने और जमा करने के लिए जैविक प्रमाणन निकायों द्वारा दस्तावेजों/सूचनाओं को ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रणाली में बिना किसी शारीरिक कष्ट के दस्तावेज जमा करने की एक सुविधाजनक व्यवस्था की गई है।

(छ) एपीडा वेबसाइट पुनः डिजाइनिंग

एपीडा वेबसाइट को अधिक प्रयोक्ता अनुकूल, सूचनाप्रद और सूचना-प्राप्ति आसान बनाने के लिए, इस वेबसाइट को हितधारकों के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके फिर से डिजाइन किया गया है।

(ज) एपीडा का मोबाइल ऐप

एपीडा ने मोबाइल प्रौद्योगिकी शुरू करने और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर मोबाइल ऐप के माध्यम से व्यापार करने में आसानी के लिए प्रयोक्ताओं की सुविधा का प्रस्ताव दिया है और यह जल्द ही आईओएस प्लेटफॉर्म में उपलब्ध होगा। मोबाइल ऐप में एपीडा के सदस्य, ऐग्री एक्स्चेंज, फार्म पंजीकरण शामिल हैं।

(xi) गुणवत्ता पहल

- ◆ निर्यात प्रमाणन हेतु एपीडा अनुसूचित उत्पादों के नमूना चयन और विश्लेषण के लिए 225 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्राधिकृत किया गया और उनकी निगरानी की गई थी।
- ◆ ताजे फल और सब्जियां और मूंगफली एवं उनके उत्पादों जैसे पौधों की उत्पत्ति की निगरानी के लिए आयातक देश की अपेक्षाओं के अनुसार एनआरसी अंगूर ग्रेप्स पुणे में राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला (एनआरएल) का उन्नयन।
- ◆ निर्यातकों के पंजीकृत विनिर्माण एककों द्वारा स्थापित 16 संस्थानिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं, 4 वाणिज्यिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत किया गया और 5 विनिर्माण एकक जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

के लिए प्रमाणित किया गया है, को गुणवत्ता विकास की स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

- ◆ एचएसीसीपी, आईएसओ-22000, आईएसओ-9001, बीआरसी और जीएपी के लिए निर्माण एककों को कार्यान्वयन और प्रमाणन सेवाएं प्रदान करने के लिए 5 कार्यान्वयन और 5 प्रमाणन एजेंसियों को मान्यता दी गई थी।
- ◆ निर्यात बढ़ाने के लिए निरंतर बाजार पहुंच सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित निर्यात प्रक्रियाओं को आयातक देश की अपेक्षाओं की तर्ज पर नवीकृत और अनुकूल बनाया गया था:
 - अंगूर के निर्यात की प्रक्रिया – कृषि रसायनों के अवशेषों की निगरानी के लिए ताजा अंगूर के निर्यात के लिए ग्रेपनेट।
 - अनार के निर्यात की प्रक्रिया – अनार के निर्यात के लिए अनारनेट;
 - मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात के लिए प्रक्रिया— एफलाटॉक्सिन के स्तर की निगरानी करता है;
 - ताजी हरी मिर्च के निर्यात की प्रक्रिया – कृषि रसायनों के अवशेषों की निगरानी;
 - पान के पत्तों के निर्यात की प्रक्रिया – साल्मोनेला की निगरानी;?
- ◆ 245 से अधिक निर्यात अस्वीकृतियों, रैपिड अलर्ट, शिकायतों की निगरानी की जिसमें प्रयोगशालाओं और एनआरएल जैसे संबंधित हितधारकों को नियंत्रण नमूनों के पुनः विश्लेषण के लिए सूचना देना शामिल था ताकि निर्यात अस्वीकृतियों और रैपिड अलर्ट को कम करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की सलाह दी जा सके।
- ◆ परीक्षण और प्रमाणन की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए एनआरएल के माध्यम से नमूना-चयन, विश्लेषण और ग्रेडिंग के हालिया तरीकों पर प्राधिकृत प्रयोगशालाओं के फील्ड सैंपलरों को प्रशिक्षण दिया गया।
- ◆ आयातक देश की आवश्यकताओं जैसे कि एसएफडीए द्वारा अनुरूपता का प्रमाणपत्र और एग्रोकैमिकल्स एवं दूषित पदार्थों के एमआरएल (अधिकतम अवशिष्ट सीमा) के संबंध में हितधारकों के लिए सहायता (हैंड

होलिडिंग) कार्यक्रम किए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रयोगशालाएं अंतरराष्ट्रीय क्षमता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करें, कीटनाशकों और एफ्लोटॉक्सिन के अवशेषों की जांच के लिए एनआरएल के माध्यम से अधिकृत प्रयोगशालाओं के दक्षता परीक्षण किए गए।

- ◆ संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर को अपने अपने बीज प्रमाणन स्कन्ध को जैविक प्रमाणन निकायों के रूप में अधिसूचित करने में मदद की ताकि यह क्षेत्र केसर, अखरोट और अन्य उत्पादों के लिए जैविक प्रमाणन कार्यकलाप में समाभिरूपता ला सके।

(xii) अनाज और अनाज उत्पादों के निर्यात के लिए पहल वर्ष 2021-22 के दौरान बासमती चावल के निर्यात के लिए आरसीएसी (12 नवंबर 2021 तक)

कुल आरसीएसीएस	मात्रा (एमटी)
17454	21377190369

वर्ष 2021-22 के दौरान चीनी के आयात के लिए आरसीएसी (12 नवंबर 2021 तक)

कुल आरसीएसीएस	मात्रा (एमटी)
53	6797.636

अच्छी गुणवत्ता वाले बासमती चावल की उपलब्धता बढ़ाने और कीटनाशकों के अवशेषों को लेकर आयातक देशों के मानकों को पूरा करने के लिए, एपीडा बासमती उत्पादकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए जीआई क्षेत्र में 7 राज्यों की सहायता कर रहा है। किसानों को अच्छी कृषि पद्धतियों और कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए एपीडा ने बीईडीएफ के सहयोग से लगभग 75 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

(xiv) नए उत्पादों/जीआई उत्पादों को चिह्नित करना

क्र.सं.	उत्पाद	जीआई/ऑर्गे. निक/ पहली बार	राज्य	देश
1	सुरवर्णरेखा आम	जीआई	आंध्र प्रदेश	दक्षिण कोरिया
2	दहनु घोलवड़ सपोटा	जीआई	महाराष्ट्र	यूके
3	मराठवाड़ा केसर आम	जीआई	महाराष्ट्र	यूके
4	जलगांव केला	जीआई	महाराष्ट्र	दुबई
5	नरेंग केला	जीआई	केरल	सिंगापुर
6	शाही लीची	जीआई	बिहार	यूके

राज्यों के सभी संस्थानों, एपीडा और निर्यातकों की पहुंच में सुधार के लिए Basmati-net पर किसानों को पंजीकृत किया जा रहा है। Basmati-net एपीडा द्वारा किसानों के पंजीकरण के लिए खरीफ, 2017 में शुरू की गई एक वेब-समर्थित प्रणाली है। अब तक पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में 125903 किसानों को पंजीकृत किया गया है। अन्य राज्यों में Basmati-net प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए एपीडा नियमित रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली सरकार के संपर्क में है।

(xiii) अवसंरचना विकास

विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित सामान्य अवसंरचना परिसकीर्ण पूरी हो चुकी हैं/31 मार्च 2022 पूरी होने की संभावना है:

- ◆ पंजाब मार्कफेड द्वारा चुहरवाली, जालंधर में शहद प्रसंस्करण इकाई की स्थापना
- ◆ गुजरात कृषि उद्योग निगम द्वारा नरोड़ा, अहमदाबाद में मौजूदा एकीकृत पैक हाउस का आधुनिकीकरण और उन्नयन
- ◆ असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा करीमगंज, असम में ताजे फल और सब्जियों के लिए पैक हाउस की स्थापना
- ◆ परवाणू में एचपीएमसी द्वारा टेढ़ा पैक मशीन, सेब का रस और सांईकाई की स्थापना
- ◆ कृषि विभाग, आइजोल-मिजोरम द्वारा पैक हाउस की स्थापना
- ◆ मेंगलोर, हरिद्वार, उत्तराखंड में आईक्यूएफ के साथ फ्रोजन सब्जियों के लिए प्रसंस्करण इकाई की स्थापना
- ◆ बिष्णुपुर, मणिपुर में शहद प्रसंस्करण के लिए साझा बुनियादी सुविधाओं की स्थापना

क्र.सं.	उत्पाद	जीआई/ऑर्गे. निक/ पहली बार	राज्य	देश
7	भागलपुरी जर्दालु आम	जीआई	बिहार	यूके बहरीन
8	जैविक प्रमाणित कटहल पाउडर और क्यूब्स	पहली बार और जै. विक	कर्नाटक	जर्मनी
9	बाजरा	पहली बार और जै. विक	उत्तराखंड	डेनमार्क
10	पेटेंट ग्राम चावल	पहली बार	तमिलनाडु	घाना और यमन
11	ताजा कटहल	पहली बार	त्रिपुरा	यूके
12	मोरिंगा	पहली बार	तमिलनाडु	ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, घाना
13	लाल चावल	पहली बार	हरयाणा	अमेरीका
14	फ्लेवर्ड जंगेरी पाउडर	पहली बार	मुंबई	अमेरीका
15	जामुन फल	पहली बार	उत्तर प्रदेश	यूके
16	मुंगफली	पहली बार	पश्चिम बंगाल	नेपाल
17	ड्रैगन फ्रूट्स	पहली बार	महाराष्ट्र	दुबई
18.	बर्मीज़ अंगूर	पहली बार	असम	दुबई
19.	जर्दालु आम	पहली बार	भागलपुर, बिहार	लंदन
20.	मोरिंगा मूल्य वर्धित उत्पाद	पहली बार	तमिलनाडु	ऑस्ट्रेलिया, घाना और वियतनाम
21.	वैक्यूम फ्रीज सूखे जातीय गैर बासमती चावल	पहली बार	तमिलनाडु	ऑस्ट्रेलिया, घाना और वियतनाम
22.	ग्राम चावल	पहली बार	कुंभकोणम, तंजावुरी	घाना और यमन
23.	मदुरै मल्ली और अन्य पारंपरिक फूल	जीआई	मदुरै	अमेरिका और दुबई
25.	मखाना	जीआई	पटना	जापान
26.	पाश्चुरीकृत भैंस का मक्खन (नमकीन)	पहली बार	हाथरस	न्यूजीलैंड
27.	मिक्स वेजिटेबल	पहली बार	उत्तर प्रदेश	दुबई
28.	हिमालयी बकरी का मांस	पहली बार	हरिद्वार	दुबई, यूएई
29.	ड्रैगन फ्रूट	पहली बार	उत्तराखंड	लंदन
30.	17 चावल, सुरतीकोलम चावल, अम्बेमोहर चावल, काली मूच चावल और इंग्रिणी चावल	पहली बार	गुजरात	लंदन
31.	कटहल, पैशन फ्रूट आदि के 15 मूल्यवर्धित उत्पाद	पहली बार	गुजरात	ऑस्ट्रेलिया
32.	कटहल के मूल्यवर्धित उत्पाद	पहली बार	केरल	न्यूजीलैंड
33.	कटहल के मूल्यवर्धित उत्पाद	पहली बार	केरल	अमेरीका
34.	फाजली आम	जीआई	केरल	किंगडम ऑफ बहरीन
35.	ड्रैगन फ्रूट	पहली बार	कोलकाता	किंगडम ऑफ बहरीन
36.	बर्धमान मिहिदाना	जीआई	पश्चिम बंगाल	किंगडम ऑफ बहरीन
37.	लदाख एप्रीकोट	पहली बार	पश्चिम बंगाल	दुबई
38.	चेरी (मिश्री किस्म)	पहली बार	लदाख	मध्य पूर्व

क्र.सं.	उत्पाद	जीआई/ऑर्गे. निक/ पहली बार	राज्य	देश
39.	सेब	पहली बार	कश्मीर	कतर बहरीन
40.	सीताभोग	पहली बार	हिमाचल प्रदेश	बहरीन
41.	ताज़ी सब्जियाँ	पहली बार	पश्चिम बंगाल	कतर
42.	गैर-बासमती चावल	पहली बार	पुकार, झारखंड	वियतनाम
43.	मूंगफली	पहली बार	पारादीप पोर्ट	नेपाल
44.	भालिया गेहूं	पहली बार	पश्चिम बंगाल	केन्या
45.	ताजे फल और सब्जियां	पहली बार	गुजरात	श्रीलंका दुबई

4. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीडीए)

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीडीए), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय, एमपीडीए अधिनियम 1972 के तहत देश में समुद्री उत्पादों के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और इसके भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।

(i) निर्यात कार्यप्रदर्शन

चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-दिसंबर 2021-22) में एकत्र किए गए

वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात कार्य-प्रदर्शन

		अप्रैल-दिसंबर 2020-21	अप्रैल-दिसंबर 2021-22 (अस्थायी)	वृद्धि (%)
टन में मात्रा	Q:	858907	967371	12.63
मूल्य (रुपये करोड़ में)	V:	33482.12	42136.77	25.85
अमेरिकी डॉलर (मिलियन)	\$:	4536.69	5757.33	26.91

स्रोत: एमपीडीए

(ii) निर्यात सुविधा और संवर्धन

- वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक: वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, एमपीडीए ने जापान (6), थाईलैंड (2), पुर्तगाल (2), मोजाम्बिक, चीन, ग्रीस, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, कतर, बेलारूस, इटली, स्पेन, वियतनाम (2) और रूस (2) के आयातकों के साथ 23 वर्चुअल क्रेता विक्रेता मीट का आयोजन किया।
- चीन में समुद्री खाद्य पदार्थ बाजार पर एक बाजार अनुसंधान अध्ययन पूरा किया। "चीन में समुद्री खाद्य बाजार पर बाजार अनुसंधान" पर एक वर्चुअल वेबिनार

अनंतिम अनुमानों के अनुसार, भारत ने यूएस+ 5.8 बिलियन (9,67,371 मीट्रिक टन) मूल्य के समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात किया है। जिसमें जमे हुए झींगा प्रमुख निर्यात वस्तु रही, इसके बाद जमी हुई मछली का स्थान रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन भारतीय समुद्री भोजन के शीर्ष निर्यात बाजार बने रहे। चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर माह तक भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात के अनंतिम आंकड़ों का विवरण, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, उसी अवधि के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

का आयोजन किया, जिसमें पूरे भारत के 170 निर्यातकों ने भाग लिया।

- निर्यातकों, आयातकों, एक्वा किसानों, मछुआरों और समुद्री भोजन प्रेमियों के लिए उपयोगकर्ता विशिष्ट इंटरफ़ेस के साथ जून 2021 में नई अद्यतन एमपीडीए वेबसाइट लॉन्च की।
- फिलीपीन चैंबर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड इंक और मनीला, फिलीपींस में भारतीय दूतावास के सहयोग से दिनांक 27 मई 2021 को "समुद्री मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर" पर वर्चुअल व्यापार सम्मेलन का आयोजन

किया, जिसमें भारत और फिलीपींस के 56 निर्यातकों और अधिकारियों ने भाग लिया।

- ♦ दिनांक 21 जुलाई 2021 को भारतीय दूतावास, थाईलैंड के सहयोग से “समुद्री और जलीय कृषि उत्पादों पर भारत-थाईलैंड बिजनेस मीट” का आयोजन किया, जिसमें भारत और थाईलैंड के 260 निर्यातकों, निवेशकों और अधिकारियों ने भाग लिया।
- ♦ भारतीय दूतावास, हनोई; भारत के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को मत्स्य क्षेत्र में भारत-वियतनाम ऑनलाइन व्यापार बैठक का आयोजन किया। हो ची मिन्ह सिटी एंड वियतनाम एसोसिएशन ऑफ सीफूड एक्सपोर्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स (वीएसईपी), जिसमें भारत और वियतनाम के 70 निर्यातकों और अधिकारियों ने भाग लिया था।
- ♦ **इकाइयों का पंजीकरण:** इस अवधि के दौरान (अप्रैल-अक्टूबर), 10 प्रसंस्करण संयंत्र, 88 निर्यातक, 14 भंडारण परिसर, 9 सूखे मछली हैंडलिंग केंद्र, 1 जीवित मछली हैंडलिंग केंद्र, 1 ताजा/ठंडा मछली हैंडलिंग केंद्र, 9 पीलींग शेड, 4 परिवहन वाहन, एमपीईडीए के साथ पंजीकृत किए गए थे।
- ♦ व्यापार करने में आसानी के लिए, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान एमपीईडीए ने गैर-रेडियो गतिविधि प्रमाण पत्र, कानूनी मूल का प्रमाण पत्र, शुल्क मुक्त आयात प्रमाण पत्र, और पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र जैसे निर्यात सुविधा प्रमाणपत्रों को मान्य करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया।
- ♦ **प्रमाणपत्रों का ऑनलाइन सत्यापन:** ई-गवर्नेंस पहल के एक हिस्से के रूप में, एमपीईडीए निर्यातकों के लिए 6 अप्रैल 2020 से ऑनलाइन के माध्यम से डीएस 2031 प्रमाणपत्र जारी कर रहा है। 1 अप्रैल से 15 अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान, एमपीईडीए ने 4025 कैच सर्टिफिकेट, 13573 डीएस 2031 सर्टिफिकेट, 225 आईसीसीएटी सर्टिफिकेट, 106 नॉन-रेडियो एक्टिव सर्टिफिकेट, 96 ड्यूटी फ्री सर्टिफिकेट, 36 आरसीएमसी सर्टिफिकेट और 01 कानूनी मूल के सर्टिफिकेट जारी किए। प्रमाणपत्रों के लिए सभी शुल्क संग्रह डिजिटल रूप में प्राप्त किए गए हैं।
- ♦ **प्रमुख मत्स्यन बंदरगाहों का उन्नयन:** एमपीईडीए के हस्तक्षेप के आधार पर, वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में

पांच प्रमुख मछली पकड़ने के बंदरगाह – कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेटुआघाट को आर्थिक गतिविधि के केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है।

- ♦ यूएस पब्लिक लॉ 101-162 की धारा 609 के तहत, भारत में पैदावार के तहत कोई भी जंगली पकड़ा हुआ झींगा अमेरिका में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। सीआईएफटी-टेड डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए मामले को एमपीईडीए/मत्स्य पालन विभाग के साथ लगातार परामर्श किया जा रहा है और ईओआई और अमेरिकी अधिकारियों के साथ इसका अनुसरण किया जा रहा है।
- ♦ अमेरिका ने वर्ष 2017 में एमएमपीए विनियमन पेश किया है और सभी निर्यातक देशों से एमएमपीए नियमों का अनुपालन करने का अनुरोध किया है। अमेरिका के एमएमपीए के तहत 30 नवंबर 2021 से पहले यूएसए में तुलनात्मकता खोज आवेदन दाखिल करने के लिए, सीएमएफआरआई/एफएसआई के समर्थन से समुद्री स्तनपायी स्टॉक मूल्यांकन अध्ययन प्रगति पर है, और इसकी अंतिम रिपोर्ट समय सीमा से पहले प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।
- ♦ एमपीईडीए के हस्तक्षेप के आधार पर, कृषि और सहकारिता मंत्रालय, थाईलैंड ने अंडमान और निकोबार से थाईलैंड के लिए नौकायन करने वाले मछली पकड़ने वाले जहाजों हेतु अंडमान द्वीप समूह से समुद्री भोजन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अग्रिम रिपोर्टिंग समय को घटाकर 36 घंटे कर दिया है।

(iii) समुद्री भोजन के मूल्यवर्धन के लिए सहायता

मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात ने भारतीय समुद्री उत्पादों के लिए इकाई मूल्य प्राप्ति में वृद्धि की है। लेकिन अधिकांश आधुनिक उपकरण अत्यधिक पूंजी गहन हैं। मूल्यवर्धन को अपनाने की दिशा में भारतीय समुद्री खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं की सहायता करने के लिए, एमपीईडीए नई इकाइयों की स्थापना, मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए मौजूदा उत्पादन क्षमता का विस्तार करने और संस्थागत वित्त के माध्यम से मूल्यवर्धन में विविधता लाने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता स्कीमों का संचालन कर रहा है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एमपीईडीए द्वारा जारी

वित्तीय सहायता (अप्रैल से सितंबर)

(मूल्य लाख रुपये में)

स्कीम	लाभार्थियों की संख्या	सहायता
विशिष्ट मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी विकास स्कीम	3	926.58
समुद्री उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम	1	95.84
सीसीडी- वाहन के लिए सहायता	1	7.89
टीआईयूएसएमपी – टंडा मछली प्रबंधन केंद्र	1	12.52
के लिए सहायता	2	107.08
विषाल कोल्ड स्टोरेज स्कीम के लिए सीसीडी सहायता	8	1149.91
कुल		

वित्तीय सहायता स्कीमों के अलावा, एमपीईडीए समुद्री भोजन मूल्यवर्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता रहा है। एमपीईडीए मूल्य संवर्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योग को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस करके और कार्य बल के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करके मूल्यवर्धन की दृष्टि को प्राप्त करने की परिकल्पना करता है।

(iv) जलीय कृषि विकास

- ♦ **क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** एमपीईडीए ने तटीय राज्यों में जलीय कृषि किसानों के लिए कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की है, जिसका उद्देश्य प्रमुख मुद्दों पर किसानों को संवेदनशील बनाना है, जिसमें एंटीबायोटिक अवशेष, बेहतर प्रबंधन प्रथाओं (बीएमपी) को अपनाना और निर्यात उन्मुख प्रजातियों के लिए विविधीकरण शामिल है। इस संबंध में, जलीय कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के खिलाफ 276 जागरूकता अभियान चलाए गए और प्रजातियों के विविधीकरण के प्रचार के लिए 47 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा एमपीईडीए स्कीमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और 5 किसानों की बैठक आयोजित की गई।
- ♦ **प्रजाति विविधीकरण:** एमपीईडीए ने फिन मछलियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस्मों में विविधता लाने के लिए तकनीक विकसित की है, जैसे तिलापिया,

सीबास, स्कैम्पी, मिट्टी केकड़ा इत्यादि। इस संबंध में, विविध प्रजातियों के लोकप्रियकरण के लिए वर्ष के दौरान निर्यात योग्य प्रजातियों के लिए 8 प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू किए गए थे।

- ♦ **फार्म और हैचरी का नामांकन:** जलीय कृषि उत्पादन का पता लगाने के लिए, फार्मों और हैचरी का नामांकन जारी रखा जा रहा है। इस अवधि के दौरान, 5250.021 हेक्टेयर के जल प्रसार क्षेत्र वाले 1132 फार्मों और 140 मिलियन क्षमता वाले 4 हैचरी को एमपीईडीए द्वारा नामांकित किया गया था।
- ♦ **जलीय कृषि का प्रमाणन (शाफरी):**
 - पायलट कार्यक्रम में, 8-10 महीनों की अवधि में एंटीबायोटिक अवशेषों के लिए हैचरी इनपुट और हैचरी बीजों पर सफलतापूर्वक परीक्षाओं की एक श्रृंखला से गुजरने के बाद, तीन हैचरी को एंटीबायोटिक मुक्त बीज के उत्पादन के लिए शाफरी प्रमाणित किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान सभी ओआईई सूचीबद्ध रोगजनकों के लिए हैचरी के बीजों का भी परीक्षण नकारात्मक पाया गया। इस वर्ष के दौरान अब तक नौ हैचरी प्रमाण के लिए नामांकित हुई हैं, और आठ की प्रारंभिक लेखापरीक्षा पूरी हो चुकी है।
 - इस उद्देश्य के लिए गठित एक तकनीकी समिति द्वारा फार्मों के प्रमाणन हेतु एक मसौदा दिशानिर्देश

और प्रक्रिया तैयार की गई थी, और इसे टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में डाला गया था। यह स्कीम पायलट पैमाने पर लागू किए जाने के लिए तैयार है।

- एमपीईडीए ने जुलाई 2021 में पूर्वोत्तर राज्यों के मत्स्य निदेशकों हेतु एक वर्चुअल बैठक की मेजबानी की, ताकि इन राज्यों में जलीय कृषि विकास की दिशा में व्यवहार्य परिसकीमों के कार्यान्वयन की संभावनाओं पर चर्चा की जा सके।

(v) गुणवत्ता आश्वासन

- ◆ एमपीईडीए ने पोर्बंदर में एक और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की है, ताकि मछली और मत्स्य उत्पादों में अनधिकृत पदार्थों और पर्यावरणीय दूषित पदार्थों के अवशेषों का परीक्षण किया जा सके। वर्तमान में, एमपीईडीए पांच गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का संचालन करता है, और ये सभी प्रयोगशालाएं आईएसओ 17025:2017 के अनुसार एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हैं, और ईआईसी द्वारा अनुमोदित हैं। कोच्चि में लैब को एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है।
- ◆ अप्रैल-दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण स्कीम (एनआरसीपी) के तहत एमपीईडीए प्रयोगशालाओं द्वारा 7297 नमूनों का परीक्षण किया गया था।
- ◆ एमपीईडीए ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में 4 और एलिसा स्क्रीनिंग लैब स्थापित किए हैं। इनके साथ, एमपीईडीए अब 16 एलिसा प्रयोगशालाओं का संचालन करती है, जो प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं के लिए एक्वाकल्चर झींगा की कटाई से पहले जांच करती है, और किसानों को प्री-हार्वैस्ट सर्टिफिकेट (पीएचटीसी) जारी करती है। यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए खेती की गई झींगा की खेप के लिए पीएचटी प्रमाणपत्र एक अनिवार्य आवश्यकता है। अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान एमपीईडीए एलिसा प्रयोगशालाओं द्वारा 10788 पीएचटीसी जारी किए गए हैं।
- ◆ एनएबीएल, नई दिल्ली द्वारा आयोजित मूल्यांकनकर्ता पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद, तीन एमपीईडीए अधिकाधिकारियों को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) के साथ मूल्यांकनकर्ता के

रूप में नामांकित किया गया था।

- ◆ एमपीईडीए क्यूसी लैब, कोच्चि के एमपीईडीए माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिवीजन समुद्री खाद्य पैकेजिंग सामग्री की सतह पर कोविड-19 न्यूक्लिक एसिड सहित रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस और कवक का पता लगाने और मात्रा का पता लगाने के लिए मछली और मत्स्य उत्पादों का परीक्षण कर रहे हैं।

(vi) गुणवत्ता आश्वासन और जैव सुरक्षा पर बाजार विशिष्ट कार्य

- ◆ चीन: वर्ष 2019 से, जीएससी ने उनके द्वारा निर्यात की जाने वाली खेप में पैकेजिंग सामग्री, व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस (डब्ल्यूएसएसवी) और संक्रामक हाइपोडर्मल और हेमेटोपेटिक नेक्रोसिस वायरस (आईएचएचएनवी), कैडमियम और विब्रियो पैराहामोलिटिकस पर कोविड-19 न्यूक्लिक एसिड का पता लगाने के कारण 85 भारतीय समुद्री भोजन प्रतिष्ठानों (दिनांक 31.12.2019 तक) को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबित 85 प्रतिष्ठानों में से 61 आंतरिक/बाहरी पैकिंग सामग्री पर कोविड-19 न्यूक्लिक एसिड की उपस्थिति के कारण हैं, 15 डब्ल्यूएसएसवी की उपस्थिति के कारण हैं, और 9 अन्य कारणों से हैं। एमपीईडीए ने इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (सीसीएमबी) जैसे संस्थानों से संपर्क किया है, ताकि कोविड-19 न्यूक्लिक एसिड की उपस्थिति को खत्म करने के लिए सीफूड पैकेजिंग कीटाणुरहित करने हेतु एक समाधान खोजा जा सके और सीसीएमबी द्वारा उपयोग की सिफारिश की जा सके। अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए व्यापार के लिए 1: हाइपोक्लोराइट समाधान को परिचालित किया गया है। इसके अलावा, एमपीईडीए और ईआईसी के साथ जीएससी द्वारा निलंबित इकाइयों के वर्चुअल निरीक्षण की सुविधा प्रदान कर रहा है। 31 दिसंबर 2021 तक 36 इकाइयों का निरीक्षण किया गया है और वे जीएससी द्वारा उठाए गए गैर-अनुरूपता (एनसी) को मंजूरी देने की प्रक्रिया में हैं।
- ◆ यूरोपीय संघ: दिनांक 09.07.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित भारत-यूरोपीय संघ

जेडबल्यूजी परामर्श बैठक में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, केवल “समुद्र में पकड़े गए उत्पादों” हेतु काम करने वाले 23 नए मत्स्य प्रतिष्ठानों को नवंबर 2020 में यूरोपीय कमीशन द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। बाद में यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए 49 अतिरिक्त इकाइयों को मंजूरी दी। वर्तमान में, 404 यूरोपीय संघ अनुमोदित इकाइयां यूरोपीय संघ को समुद्री भोजन को प्रक्रियागत और निर्यात करती हैं। भारत में 70 यूरोपीय संघ अनुमोदित कोल्ड स्टोरेज हैं।

(vii) प्रौद्योगिकी विस्तार और समर्थन

- ◆ **नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर (एनएसीएसए):** एमपीईडीए के तहत एक सोसायटी एक्वा किसानों के बीच क्लस्टर खेती को बढ़ावा दे रही है और इस अवधि के दौरान अप्रैल-दिसंबर 2021, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल में लगभग 30 कृषि क्लस्टर सोसायटी का आयोजन किया गया। एनएसीएसए ने मिट्टी और पानी की गुणवत्ता के मापदंडों और रोग निदान के परीक्षण के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में 03 एक्वा वन केंद्र (एओसी) की स्थापना की।
- ◆ सोसाइटियों के झींगा किसानों की सुविधा के लिए एनएसीएसए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (ई-सांता) पर काम कर रहा है, ताकि बिचौलियों से बचकर निर्यातकों को अपना उत्पाद बेच सके।
- ◆ **नेटफिश:** एमपीईडीए के तहत एक सोसायटी, नेटफिश ने अप्रैल से दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान 944 विस्तार कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे लगभग 16044 मत्स्य हितधारकों को लाभ हुआ। मछली गुणवत्ता प्रबंधन और समुद्री मत्स्य संसाधनों के संरक्षण में क्षमता निर्माण हेतु सभी समुद्री राज्यों में चयनित बंदरगाहों और लैंडिंग केंद्रों में और उसके आसपास कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। यह मछुआरे समाजों, संघों और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के साथ नेटवर्किंग करके जमीनी स्तर पर काम करता है।
- ◆ जुलाई 2021 के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में और अक्टूबर 2021 के दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ‘भारत में समुद्री मत्स्य प्रबंधन के शोधन’ पर 9 ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन किया। इस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों के

बीच किशोर मछली पकड़ने, आईयूयू, ट्रेसबिलिटी, वेसल मॉनिटरिंग, हार्बर डेवलपमेंट और एमएफआरए नियमों जैसे मुद्दों, और एमएफआरए नियमों के कार्यान्वयन के लिए कार्यप्रणाली तैयार करना और बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य के मौजूदा एमएफआरए में संशोधन करना।

- ◆ अगस्त 2021 के दौरान पश्चिम बंगाल के पुरबा मेदिनीपुर और हावड़ा जिलों में 6 यूरोपीय संघ द्वारा अनुमोदित मछली प्रसंस्करण इकाइयों में 6 ‘सेफेलोपोड्स के मूल्य संवर्धन पर व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम’ का आयोजन किया, जिससे प्रबंधक, प्रौद्योगिकीविदों, पर्यवेक्षकों और उच्च तौर पर कुशल श्रमिकों सहित 147 प्रशिक्षुओं को लाभ हुआ।
- ◆ केरल, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में लगभग 500 अनुसूचित जाति के मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए उन्हें मछली पकड़ने के उपकरण, मछली सुखाने वाली इकाइयों आदि से लैस किया गया था। ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मनाने के क्रम में “पोषणीय भविष्य हेतु जिम्मेदारी से मछली पकड़ना” विषय पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम 26 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया था, जिसमें 9 समुद्री राज्यों में 9 मछली पकड़ने के बंदरगाहों को शामिल किया गया था, जिसमें 121 मछली पकड़ने वाली नौकाएं और 1057 से अधिक मछुआरे शामिल थे।
- ◆ एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने और इस प्रकार समुद्री प्रदूषण से बचने के लिए, वर्ष के दौरान मछली पकड़ने के बंदरगाहों और मछली पकड़ने के जहाजों पर विभिन्न हितधारकों के बीच एकल उपयोग प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों और एकल उपयोग प्लास्टिक के अपशिष्ट प्रबंधन पर लगभग 400 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- ◆ दिनांक 1 से 15 नवंबर 2021 के दौरान वाणिज्य विभाग और उसके संगठनों द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के अनुपालन के हिस्से के रूप में, नेटफिश-एमपीईडीए ने एक राष्ट्रव्यापी महासागर सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों और अधिकारियों को शामिल किया गया है। समुद्री राज्यों में कुल 11 मछली पकड़ने के बंदरगाह/लैंडिंग केंद्रों का चयन किया गया था, और शुरुआत में नवंबर 2021 के पहले सप्ताह के दौरान हितधारकों की

बैठकें आयोजित की गईं। इसके बाद, मछुआरों ने मछली पकड़ने के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इसे बंदरगाह पर एकत्र किया। पुनर्चक्रण के लिए बंदरगाह से प्लास्टिक कचरे के संग्रह हेतु स्थानीय निकायों/एजेंसियों के साथ व्यवस्था की गई थी, और तदनुसार मछुआरों द्वारा लाए गए कचरे को बंदरगाह से हटा दिया गया था। उत्सव के हिस्से के रूप में हार्बर और तटीय सफाई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, और मछुआरों के बीच हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और संसाधनों को एकल उपयोग प्लास्टिक से होने वाले नुकसान और एकल उपयोग प्लास्टिक को कैसे मिटाया जाए, इसके बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा की गई।

(viii) अनुसंधान एवं विकास

दिनांक 5 जनवरी 1996 को तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत आरजीसीए, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित एकमात्र अनुसंधान

संस्थान है जिसने एमपीईडीए के तहत अपनी 25 वर्ष की सेवाओं को पूरा किया, तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कार्य करता है। इसका मुख्य फोकस बड़े पैमाने पर उत्पादन पर झींगा को छोड़कर किसी अन्य प्रजाति की अनुपस्थिति में भारत में विविध जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास पर है। इन सभी प्रजातियों की संस्कृति को एमपीईडीए द्वारा सभी राज्यों में 'प्रयोगशाला से जमीन तक' कार्यक्रम के रूप में प्रदर्शित किया गया था। खारे पानी और समुद्री कृषि दोनों के लिए विविध जलीय कृषि को बढ़ावा देने हेतु सेवा में योगदान देने के लिए हमारे देश में किसी भी अन्य शोध संस्थान की तुलना में यह शोध केंद्र एकमेव स्वचलित संस्थान है। इसके अलावा, अंतर्देशीय मछली उत्पादन के लिए गिफ्ट तिलपिया की शुरुआत करके भी। भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु के तहत समुद्री विज्ञान में पीएचडी कार्यक्रम के लिए अनुसंधान कार्य करने हेतु आरजीसीए को अनुसंधान केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। वर्तमान में, आरजीसीए, एमपीईडीए के एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर के रूप में कार्य कर रहा है।

आरजीसीए द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 (अक्टूबर तक) के दौरान प्रदान किए गए प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम नीचे तालिका में दिए गए हैं:

क्र.सं.	प्रशिक्षण का नाम	2021-22	
		शिक्षण की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1.	एशियन सीबास एक्वाकल्चर के लिए सर्वोत्तम पालन अभ्यास	02	34
2.	मैंग्रोव मड क्रैब एक्वाकल्चर	01	25
3.	आनुवंशिक रूप से उन्नत खेती वाले तिलापिया (गिफ्ट) का प्रजनन, बीज उत्पादन और ग्रो-आउट फार्मिंग	03	67
4.	एक्वाकल्चर जेनेटिक्स रिसर्च में पीसीआर और इसका अनुप्रयोग	02	52
5.	पीसीआर का उपयोग करके एक्वाकल्चर रोग निदान	02	54
कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम		10	232

वित्त वर्ष में अप्रैल-अक्टूबर 2021 के दौरान आरजीसीए में एनएबीएल मान्यता प्राप्त केंद्रीय एक्वाकल्चर प्रयोगशालाओं द्वारा विश्लेषण किए गए एक्वाकल्चर नमूने

परीक्षण / गतिविधियों का नाम	2021-22	
	नमूने	लाभार्थियों की संख्या
पीसीआर (रोग निदान)	734	555
सूक्ष्म जीव विज्ञान और जल गुणवत्ता	870	
ऊतक विज्ञान	420	

निगरानी / एनएसपीएएडी	102	
बीज स्वास्थ्य	14	
पीसीआर मसाला पहचान	1972	
अनुक्रमण	94	

♦ **मड क्रैब प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट:** आरजीसीए को इस वर्ष के दौरान बौद्धिक संपदा भारत, पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार द्वारा पेटेंट अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार 20 वर्षों के लिए मड क्रैब हैचरी टेक्नोलॉजी नामक एक आविष्कार हेतु पेटेंट प्रदान किया गया है।

♦ **एनएबीएल प्रत्यायन:** राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से एनएबीएल मान्यता (आईएसओ/आईईसी 17025:2017) दिनांक 26.06.2021 को आरजीसीए केंद्रीय आनुवंशिक प्रयोगशाला और दिनांक 18.10.2021 को केंद्रीय विकृति प्रयोगशाला को 2 वर्षों के लिए प्रदान की गई है। सेंट्रल एक्वाकल्चर जेनेटिक्स लेबोरेटरी ने इंटरनैशनल जर्नल बायोकेमिकल जेनेटिक्स, स्प्रिंगर (वॉल्यूम 59; 856–869, 2021) में "जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल फोर मैंग्रोव मड क्रैब स्पीशीज (जीनस स्काइला) यूजिंग मल्टीपल

मॉलिक्यूलर मार्कर्स" शीर्षक से एक शोध पत्र प्रकाशित किया। (खंड 59; 856–869, 2021)

♦ **सेंट्रल एक्वाकल्चर पैथोलॉजी:** प्रयोगशाला ने इनवर्टेब्रेट पैथोलॉजी, एल्सेवीएर (वॉल्यूम 179; 107536, 2021) के इंटरनैशनल जर्नल में "सर्विलांस ऑफ डिस्सीज़ इन्सिडेन्स इन श्रिम्प फार्म्स लोकेटेड इन द ईस्ट कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया एंड इन विट्रो एंटीबैक्टीरियल एफीकेसी ऑफ प्रीबायोटिक्स अगेंस्ट विब्रियो पैराहेमोलिटिक्स" नामक एक शोध पत्र प्रकाशित किया।

♦ **अप्रैल-अक्टूबर 2021 के दौरान आरजीसीए द्वारा बीज आपूर्ति:** निर्यातोन्मुख जलीयकृषि के विविधीकरण के लिए आरजीसीए द्वारा बीज आपूर्ति का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	परिस्कीम का नाम	प्रजातियों का नाम	2021-22	
			लाभार्थियों की संख्या	आपूर्ति किए गए बीज की संख्या
1	सीबेस हैचरी थोडुवई, टीएन	सीबास बीज खसं.,	329	4151196
2	मड क्रैब हैचरी थोडुवई, टीएन	क्रैब इंस्टार खसं.,	49	505190
3	एक्वाकल्चर डेमो फार्म कराईकल (यूटी)	क्रैबलेट्स खसं.,	4	12125
4	जीआईएफटी तिलापिया हैचरी विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	जीआईएफटीबीज खसं.,	5	735500
		गिफ्ट ब्लूडस्ट क्स खसंख्या,	7	11800
5	ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लीकेशन सेंटर फॉर एल. वन्नामेई विसाक, एपी	बीएमसी एल.वन्नामेई	14	6148
6.	एल वन्नामेई, चेन्नई, टीएन के लिए जलीय संगरोध सुविधाएं	एक्यूएफ (एल.वन्नामेई)	144	116490
		ब्रूडर्स खसंख्या,	3	2240
		एसपीएफ पी.मॉडन ब्लूडर्स	1	50000

क्र.सं.	परिस्कीम का नाम	प्रजातियों का नाम		2021-22	
				लाभार्थियों की संख्या	आपूर्ति किए गए बीज की संख्या
7.	आर्टेमिया डेमो फार्म थारुवाइकुलम और उप्पूर, टीएन	आर्टेमिया	बायोमास (किलो)	13	474.2
			सिस्ट (टिन)	17	195.5
8.	मल्टी-स्पेसिसएक्वाकल्चर कॉम्प्लेक्स (एमएसी) वल्लारपदम, केरल	जीआईएफटी बीज संख्या,	809	1852302	
		सीबास फिंगरलिंग्स सं.,	197		164321
		पोम्पानो फिंगरलिंग्स सं.,	-		-
		पी. मोनोडोन सं.,	6		184900
		एट्रोप्लस सुरटेन्सिस	46		30501

5. व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) (जिसे पहले डंपिंग रोधी और संबद्ध कर्तव्यों के महानिदेशालय के रूप में जाना जाता था), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग का एक संलग्न कार्यालय है। एंटी-डंपिंग और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी), जिसका गठन वर्ष 1997 में किया गया था, को मई 2018 में डीजीएडी के रूप में पुनर्गठित किया गया है, डीजीएडी को डीजीटीआर में पुनर्गठन और पुनः डिजाइन करके, सभी व्यापार उपचारात्मक कार्यों को सिंगल विंडो फ्रेमवर्क के तहत शामिल किया गया है, अर्थात् एंटी-डंपिंग ड्यूटी (एडीडी), काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी), सेफगार्ड ड्यूटी (एसजीडी), सेफगार्डर्स मेजर्स (क्यूआर) आदि। इस प्रकार, डीजीएफटी के डीजीएडी, वाणिज्य विभाग, सुरक्षा महानिदेशालय, राजस्व और सुरक्षा विभाग (क्यूआर) के कार्यों को मिलाकर डीजीटीआर का गठन किया गया है। डीजीटीआर मल्टी-स्पेक्ट्रम कौशल वाला एक पेशेवर रूप से एकीकृत संगठन है, जो विभिन्न सेवाओं और विशेषज्ञता से प्राप्त अधिकारियों से दक्ष है। डीजीटीआर एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें देने से पहले स्वतंत्र रूप से जांच करता है। हालांकि, सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

यह डंपिंग रोधी, प्रतिकारी शुल्क और सुरक्षा उपायों सहित सभी व्यापार उपचारात्मक उपायों को प्रशासित करने वाला एकल राष्ट्रीय प्राधिकरण है। डीजीटीआर घरेलू उद्योग को अनुचित व्यापार प्रथाओं के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ एक

समान अवसर प्रदान करता है, जैसे कि किसी भी निर्यातक देश से डंपिंग और कार्रवाई योग्य सब्सिडी, डब्ल्यूटीओ व्यवस्था, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और नियमों के प्रासंगिक ढांचे के तहत व्यापार उपचारात्मक तरीकों का उपयोग करके और अन्य प्रासंगिक कानून, और अंतरराष्ट्रीय समझौते, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से। यह हमारे घरेलू उद्योग और निर्यातकों को अन्य देशों द्वारा उनके खिलाफ स्थापित व्यापार उपचार जांच के मामलों से निपटने में व्यापार रक्षा सहायता भी प्रदान करता है।

6. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस)

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) भारत के व्यापार आंकड़ों और वाणिज्यिक सूचनाओं के संग्रह, संकलन और प्रसार के लिए भारत सरकार का प्रमुख संगठन है। एक महानिदेशक की अध्यक्षता में निदेशालय का कार्यालय कोलकाता में है, और यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, व्यापारियों के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक सूचनाओं को एकत्र करने, संकलित करने और प्रकाशित/प्रसारित करने के साथ साथ विदेशी खरीदार संबंधी सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। यह भारत के विदेश व्यापार आंकड़ों के संकलन और प्रसार के लिए आईएसओ प्रमाणीकरण 9001:2015 के साथ निर्यात और आयात डेटा के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने वाला पहला बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग संगठन है।

डीजीसीआई-एंड-एस की नई पहल

- डीजीसीआईएंडएस ने अगले महीने के दूसरे दिन से 30 प्रमुख कमोडिटी समूहों में प्रारंभिक मासिक व्यापारिक वस्तु एक्जिम व्यापार डेटा जारी करना शुरू कर दिया है।
- डीजीसीआईएंडएस ने अप्रैल 2021 से डेटा प्रसार पोर्टल के माध्यम से जिलेवार निर्यात डेटा का प्रसार शुरू कर दिया है।
- इस निदेशालय द्वारा ई-ऑफिस का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। हालांकि, इसका कार्यक्षेत्र निदेशालय के भीतर सीमित है।
- नीति निर्माण के लिए प्रयास डैशबोर्ड हेतु केपीआई के माध्यम से डेटा प्रसार और प्रसारण।
- 'जीरो टाइम लैग' के साथ मासिक आधार पर अनुकूलित डेटा का प्रसार करके, वर्ष 2021-22 के निर्यात 400 बिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य की निगरानी।

2016-17 से 2021-22 तक संसाधित रिकॉर्ड्स की संख्या (करोड़) (30.09.2021 तक)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल
2016-17	1.05	0.82	1.87
2017-18	1.13	0.92	2.05
2018-19	1.34	1.22	2.55
2019-20	1.37	1.21	2.58
2020-21	1.25	1.00	2.25
2021-22 (30.09.2021 स तक)	1.57	1.28	2.85

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

रिकॉर्ड के प्रकार द्वारा संसाधित रिकॉर्ड्स का प्रतिशत

वर्ष	निर्यात				आयात				कुल			
	ई.डी.आई	गैर ई.डी.आई	एसई जेड	मैनुअल	ई.डी.आई	गैर ई.डी.आई	एसई जेड	मैनुअल	ई.डी.आई	गैर ई.डी.आई	एसई जेड	मैनुअल
2016-17	90.31	4.92	4.21	0.56	94.08	0.61	5.27	0.04	91.96	3.03	4.67	0.33
2017-18	91.85	3.79	4.23	0.13	94.62	0.34	5.03	0.01	93.09	2.24	4.59	0.08
2018-19	93.30	1.62	5.08	0.00**	95.21	0.18	4.60	0.01	94.21	0.93	4.85	0.00**
2019-20	92.93	0.77	6.30	0.00**	94.93	0.08	4.99	0.00**	93.86	0.44	5.69	0.00**
2020-21	93.13	0.88	5.98	0.00**	94.77	0.09	5.15	0.00**	93.86	0.53	5.61	0.00**
2021-22 (30.09.2021 तक)	96.15	0.26	3.59	0.00**	96.19	0.03	3.77	0.00**	96.17	0.16	3.67	0.00**

** मैनुअल पोर्ट से प्राप्त डेटा नगण्य है

विभिन्न प्रकार के लेन-देन का व्यापार

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

वर्ष	निर्यात				कुल निर्यात	आयात				कुल आयात
	ईडीआई	गैर ईडी. आई	एसईजेड	मैनुअल		ईडीआई	गैर ईडी. आई	एसईजेड	मैनुअल	
2016-17	220.01	21.25	34.19	0.29	275.75	309.50	41.80	32.40	0.66	384.36
2017-18	253.67	9.27	40.32	0.30	303.55	406.92	16.37	42.04	0.25	465.58
2018-19	280.00	5.36	44.67	0.01	330.04	457.81	6.84	49.36	0.07	514.08
2019-20	264.53	3.79	44.79	0.00	313.11	418.58	6.80	49.32	0.01	474.71
2020-21	254.40	2.84	33.10	0.54	290.88	347.29	5.26	41.87	0.02	394.44
2021-22 (30.09.2021 तक)	167.21	1.65	29.47	0.00**	198.33	243.22	1.02	29.66	0.00**	273.89

** मैनुअल पोर्ट से प्राप्त डेटा नगण्य है

व्यापार के मूल्य में विभिन्न प्रकार के लेन-देन का प्रतिशत योगदान

वर्ष	निर्यात				आयात				कुल			
	ईडीआई	गैर ईडी. आई	एसईजेड	मैनुअल	ईडी. आई	गैर ईडी. आई	एसईजेड	मैनुअल	ईडी. आई	गैर ईडी. आई	एसईजेड	मैनुअल
2016-17	79.79	7.71	12.40	0.11	80.52	10.88	8.43	0.17	80.22	9.55	10.09	0.14
2017-18	83.57	3.05	13.28	0.10	87.40	3.52	9.03	0.05	85.89	3.33	10.71	0.07
2018-19	84.84	1.62	13.53	0.00**	89.05	1.33	9.60	0.01	87.41	1.44	11.14	0.00**
2019-20	84.48	1.21	14.31	0.00**	88.18	1.43	10.39	0.00**	86.71	1.34	11.95	0.00**
2020-21	87.46	0.98	11.38	0.19	88.05	1.33	10.62	0.00**	87.80	1.18	10.94	0.08
2021-22 (As on 30.09.2021)	84.31	0.83	14.86	0.00**	88.80	0.37	10.83	0.00**	86.91	0.57	12.52	0.00**

** मैनुअल पोर्ट से प्राप्त डेटा नगण्य है

7. गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस — कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत बनाया गया विशेष प्रयोजन वाहन (जीईएम-एसपीवी)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत एक धारा 8 कंपनी के रूप में राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के तौर पर गवर्नमेंट

ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) की स्थापना को मंजूरी दी है।

भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम 1961, दिनांक 8 दिसंबर 2017 की अधिसूचना के तहत निम्नलिखित प्रविष्टि की गई है: "32. राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल — गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस का विकास, संचालन और रखरखाव"।

जीएफआर 2017 के नियम 149 के अनुसार, जीईएम पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की अनिवार्य रूप से जीईएम के माध्यम से खरीद की जानी चाहिए।

एक खुले और पारदर्शी खरीद मंच के माध्यम से प्रापण/खरीद में आसानी के मामले में होने वाले अपार लाभों को पूरी तरह से महसूस करने के लिए, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (सिक्किम को छोड़कर) ने उनके लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध खरीद हेतु जीईएम के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है।

इसकी स्थापना के बाद से, जीईएम ने 34.75 लाख से अधिक विक्रेताओं और लगभग 38.34 लाख उत्पादों के साथ एक बाजार निर्मित किया है। 6 जनवरी 2022 तक, 57,025 से अधिक सरकारी संगठनों ने जीईएम के माध्यम से 155,108 करोड़ रुपये से अधिक के 85.83 लाख से अधिक लेनदेन किए हैं।

इसमें कुल 34.75 लाख विक्रेताओं को शामिल किया गया है, जिनमें से 7.42 लाख एमएसएमई हैं, जो विक्रेता आधार का लगभग 19: हिस्सा हैं, और जीईएम पर संचयी सकल व्यापारिक मूल्य का 56: से अधिक योगदान करते हैं।

जीईएम ने जीएफआर में निर्धारित खरीद के विभिन्न तरीकों को सक्षम किया है, और खरीद करते समय सूचित निर्णय लेने हेतु खरीदारों की सुविधा के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक उपकरण उपलब्ध कराए हैं। विश्व बैंक का एक स्वतंत्र अध्ययन इस अवधि के लिए जीईएम पर औसत मूल्य पर 9.75: की औसत बचत को दर्शाता है।

फरवरी 2019 से जनवरी 2020 तक, शीर्ष पांच श्रेणियों में अधिकतम बचत 23.48: से 60.52: तक देखा गया है। इसका श्रेय मुख्य रूप से प्रति बोली में बढ़ी हुई भागीदारी और जीईएम पोर्टल पर कुशल मूल्य खोज को दिया जा सकता है।

जीईएम ने एकल उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए जीईएम पर डिफेंस पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल और इसके सब-पोर्टल की कार्यक्षमता को शामिल करके, सरकार की दृष्टि के अनुरूप देश के लिए एक एकीकृत खरीद प्रणाली का निर्माण किया है। रेलवे के साथ एकीकरण का कार्य प्रगति पर है और यह पूरा होने का उन्नत चरण है। एकीकृत खरीद प्रणाली, जीईएम पर पोर्टल प्रकाशित करने पर बिखरे हुए विक्रेता आधारों को समेकित करेगी, जिससे बड़े पैमाने की किफायतें, बेहतर मूल्य की खोज, और खरीद में सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार होगा।

हाल ही में जीईएम ने पोर्टल के माध्यम से स्क्रेप की बिक्री की सुविधा हेतु फॉरवर्ड नीलामी की कार्यक्षमता भी शुरू की है।

जीईएम ने भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग गोलमेज (आई-स्पिरिट) के सहयोग से जेम-सहाय ऐप्स भी विकसित किया है, जो एमएसएमई द्वारा झेली जाने वाली क्रेडिट एक्सेस चुनौतियों का समाधान प्रदान करता है, और फिनटेक का लाभ उठाकर "वित्त तक पहुंच" प्रदान करता है। एमएसई, जिन्हें विशेष रूप से जीईएम के एकमात्र मालिक कहा जा सकता है, अब रुळमड प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर की स्वीकृति के बिंदु पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को निर्बाध रूप से पूरा कर सकते हैं। 'लेन्डर एगोनिस्टिक' यह मंच भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विधिवत विनियमित ऋणदाताओं को भाग लेने और जीईएम पर विक्रेताओं को पूंजी/स्मार्ट संग्रह खाते प्रदान करने की अनुमति देता है।

समावेश को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), जनजातीय कारीगरों, शिल्पकारों, स्टार्टअप्स, जीईएम ने एमएसएमई मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के परामर्श से, तथा स्टार्टअप रनवे के माध्यम से अपने कार्यक्षेत्र के विस्तार हेतु विभिन्न पहल की हैं जैसे सरस संग्रह, ट्राइब्सइंडिया ईस्टोर, कारीगर और बुनकर, बांस और वूमनिया आदि।

जीईएम को सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के साथ ही साथ बाजार संसाधनों द्वारा संचालित किया जाता है।

8. व्यापार सुविधा संस्थान (आईडीआई, आईआईपी, आईआईएफटी)

(क) भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई)

1978 में भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई) की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत और बॉम्बे सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950 के तहत हीरा, रत्न और आभूषण के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। आईडीआई वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है और रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की एक परिस्कीम है। आईडीआई हीरा निर्माण, हीरे की ग्रेडिंग, आभूषण डिजाइनिंग और आभूषण निर्माण, रत्नशास्त्र के क्षेत्रों में व्यावसायिक शैक्षिक स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे एक ही जगह पर रत्न और आभूषण के सभी पहलुओं का प्रशिक्षण मिल जाती है। संस्थान सोने के मूल्यांकन, अपरिष्कृत हीरे की छंटाई और हीरे की ग्रेडिंग पहलुओं पर सीमा शुल्क अधिकारियों के कौशल का उन्नयन करता है।

प्रदान करता है। संस्थान उद्यमी विकास केंद्र (सीईडी), गुजरात सरकार की कौशल विकास स्कीम के तहत एमएसएमई जीएंड जे इकाइयों के मौजूदा कर्मचारियों के कौशल का उन्नयन भी कर रहा है।

आईडीआई को उद्योग आयुक्तालय, गुजरात सरकार ने रत्न और आभूषण के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान के रूप में भी मान्यता दी है। संस्थान ने हीरा उद्योग के लिए गुजरात में सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) के संचालन के लिए और अखिल भारतीय स्तर पर आभूषण क्षेत्र के लिए परिसकीम प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संस्थान की रत्नशास्त्र प्रयोगशाला हीरा, रत्नों और आभूषणों की जांच और पहचान और हीरे की ग्रेडिंग, रत्न पहचान और हीरे के आभूषण की क्वालिटी रिपोर्ट जारी करने के काम में लगी हुई है। संस्थान की डायमंड ग्रेडिंग लैबोरेटरी को डीजीएफटी, एमओसी एंड आई द्वारा हीरे के प्रमाणीकरण/ग्रेडिंग के लिए एफटीपी 2015-2020 के अध्याय 4 के अनुसार अधिकृत किया गया है। आईडीआई अपने कतारगाम परिसर में डायमंड डिटेक्शन एंड रिसोर्स सेंटर (डीडीआरसी) को भी संचालित कर रहा है ताकि छोटे / मध्यम हीरा निर्माता / हीरा व्यापारियों / जौहरियों को सस्ती दरों पर हीरा स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें। आईडीआई इस विषय पर हीरा और स्वर्ण बुलियन व्यापार के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए आईएस: 1418:2009 द्वारा "सिंथेटिक हीरे की पहचान" और "सोने की परख" पर विभिन्न कार्यशालाओं / सेमिनारों का भी आयोजन करता है।

(ख) भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी)

भारतीय पैकेजिंग संस्थान वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना 1966 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है जबकि कोलकाता (1976), चेन्नई (1971), दिल्ली (1986), हैदराबाद (2006), अहमदाबाद (2017) और विशाखापत्तनम (2021) में इसके क्षेत्रीय केंद्र हैं। संस्थान घरेलू और निर्यात बाजार के लिए पैकेजिंग सामग्री और पैकेजों के परीक्षण और

प्रमाणन जैसी विभिन्न गतिविधियों में लगा हुआ है, जिसमें खतरनाक / जोखिम भरे सामानों के परिवहन हेतु पैकेजिंग का अनिवार्य यूएन प्रमाणन, प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श, परिसकीमएं और पैकेजिंग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास शामिल है।

(i) प्रशिक्षण, शिक्षा और क्षमता निर्माण कार्यक्रम

- ◆ आईआईपी हैदराबाद ने जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जेएनटीयू), हैदराबाद द्वारा मान्यता प्राप्त पैकेजिंग प्रौद्योगिकी में अपने पहले एम.एससी. पाठ्यक्रम (अकादमिक सत्र 2021-23) की शुरुआत की।
- ◆ आईआईपी दिल्ली ने गुरु गोबिंद सिंह इंप्रिस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू), दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त पैकेजिंग प्रौद्योगिकी में अपने पहले एम.एससी. पाठ्यक्रम (अकादमिक सत्र 2021-23) की शुरुआत की।
- ◆ 250 से अधिक पैकेजिंग में पी.जी. डिप्लोमा (पीजीडीपी) के छात्र 2020-21 में उत्तीर्ण हुए और उन्हें प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी मिली और 130 से अधिक छात्रों ने पत्राचार (डीपीसी) के माध्यम से पैकेजिंग में डिप्लोमा उत्तीर्ण किया।
- ◆ आईआईपी चेन्नई ने प्रमाणित पैकेजिंग इंजीनियर्स (सीपीई) पर एक वर्षीय ऑनलाइन पाठ्यक्रम (8 जुलाई 2021) शुरू किया।
- ◆ आईआईपी ने सुगंध, स्वाद और प्रसाधन सामग्री की पैकेजिंग और प्रसंस्करण पर छह महीने का ऑनलाइन प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू किया और 17 अगस्त, 2021 को श्री डी.के. सिंह, अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त (एमएसएमई) द्वारा इसकी शुरुआत की गई।
- ◆ आईआईपी ने आईटीसीएफएसएएन – एफएसएसआई के सहयोग से खाद्य पैकेजिंग और सुरक्षा प्रबंधन पर तीन महीने का सर्टिफिकेट कोर्स (3 अप्रैल 2021) शुरू किया।
- ◆ आईआईपी ने हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पश्चिम बंगाल के साथ मिलकर खाद्य पैकेजिंग में प्रगति पर कई सारे इंटरनशिप कार्यक्रम (4 सप्ताह) (2021-22) की शुरुआत की।



श्री रवींद्र जायसवाल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश सरकार और श्री प्रवीण कुमार, निदेशक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने 4 जनवरी 2021 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों (लकड़ी के खिलौने) की पैकेजिंग पर कार्यशाला का उद्घाटन किया।

- ◆ आईआईपी ने खिलौनों, बनारसी जरी वाली साड़ी, गुलाबी मीनाकारी, लकड़ी और लकड़ी के नक्काशीदार उत्पादों आदि की पैकेजिंग पर नौ (9) प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रत्येक एक सप्ताह) आयोजित किया।
- ◆ आईआईपी ने पिछले एक साल में आजादी का अमृत

महोत्सव के तहत उत्पाद पैकेजिंग और पैकेज पर विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 5000 कारीगरों, शिल्पकारों और छोटे व्यापारियों/उद्यमियों को प्रशिक्षित किया है।

- ◆ आईआईपी ने वाणिज्य विभाग द्वारा 20–26 सितंबर 2021 के दौरान लद्दाख, गोवा, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली में आयोजित वाणिज्य सप्ताह में भाग लिया।

(ii) पैकेजिंग डिजाइन और विकास

- ◆ चाय (उपभोक्ता और थोक पैकेजिंग) के निर्यात पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग डिजाइन और विनिर्देश और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरणों हेतु परिवहन पैक विकसित किया।
- ◆ भारतीय जन जातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के लिए 5 विभिन्न प्रकार की शहद पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग डिजाइन विकसित किया।
- ◆ आईआईपी ने खिलौनों की पैकेजिंग के लिए 10 प्रोटोटाइप भी विकसित किए हैं।



आईआईपी द्वारा विकसित खिलौने के पैकेजिंग प्रोटोटाइप

- ◆ आईआईपी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) की एक परिसकीम के तहत बागवानी उत्पादों के लिए बांस के बक्से के नमूने डिजाइन और विकसित किए हैं।

(iii) परीक्षण और प्रमाणन

- ◆ आईआईपी ने अपने सभी केंद्रों द्वारा खतरनाक सामानों

की पैकेजिंग के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रमाणपत्र जारी करने के लिए डिजिटलीकरण प्रक्रिया को लागू किया है। इससे परीक्षण/प्रमाणन जारी करने की प्रक्रिया में लगने वाला समय पहले के 20–25 दिनों से घटाकर 7–10 दिन हो गया है।

वर्ष	जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जोखिमभरा सामान' आईएमडीजी)	जारी किए गए प्रमाणपत्र की संख्या (अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ)
2020-21	9231	1500
2021.22 (अक्टूबर-2021 तक)	8400	860

- ♦ उद्योग के अनुरोध पर खतरनाक उत्पादों को ले जाने वाली पैकेजिंग सामग्री के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रमाणन की वैधता को 12 महीने से बढ़ाकर 18 महीने किया जा रहा है, जिसे 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। इससे भारत सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यापार करने में आसानी) मिशन का विस्तार होगा।

(iv) अन्य उपलब्धियाँ

- ♦ आजादी का अमृत महोत्सव, भारत/75 के तहत, आईआईपी ने अब तक 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आईटीआई/पॉलिटेक्निकों के विभिन्न उत्पादों और प्रशिक्षित कारीगरों, शिल्पकारों, कृषि-उद्यमियों, व्यापारियों और शिक्षकों के लिए पैकेजिंग डिजाइन और विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की है।



श्री आरके माथुर, उपराज्यपाल, लद्दाख ने आजादी का अमृत महोत्सव, भारत/75 (10 अप्रैल 2021) के तहत पैकेजिंग पहल पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

(v) समझौता ज्ञापनों का सहयोग और हस्ताक्षर



आईआईपी ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अनुग्रहपूर्ण उपस्थिति से उत्तर प्रदेश के पैकेजिंग के प्रोटोटाइप के डिजाइन और विकास के लिए यूपी सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए



आईआईपी ने श्री जयेश रंजन, मुख्य सचिव, सरकार उद्योग एवं वाणिज्य की उपस्थिति में पैकेजिंग प्रौद्योगिकी में आईआईपी के एम.एस. पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए जेएनटीयू, हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

(vi) आईआईपी के विभिन्न केंद्रों में गणमान्य व्यक्तियों का दौरा



श्रीमती अनुप्रिया पटेल, माननीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार ने 11 सितंबर 2021 को आईआईपी अहमदाबाद केंद्र का दौरा किया। उन्होंने निदेशक के साथ समीक्षा बैठक की और आईआईपी के उद्योग, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की।

(ग) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

(i) अवलोकन

- ♦ विदेश व्यापार से संबंधित अनुसंधान और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2 मई 1963 को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) की स्थापना एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी।
- ♦ इसकी सर्वांगीण उपलब्धियों को देखते हुए, संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मई 2002 में "मानित विश्वविद्यालय" का दर्जा दिया गया था और जून 2018 में संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा श्रेणी —C "मानित विश्वविद्यालय" के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- ♦ राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएससी) ने 2015 में 3.53 के समग्र सीजीपीए स्कोर के साथ आईआईएफटी को उच्चतम 'ए' श्रेणी की मान्यता दी। आईआईएफटी एएसएसबी मान्यता हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है।

(ii) आईआईएफटी की रैंकिंग

- ♦ एनआईआरएफ (नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क) रैंकिंग 2021 में आईआईएफटी को प्रबंधन श्रेणी के तहत 25वां स्थान हासिल हुआ है।
- ♦ एमबीए यूनिवर्स बी-स्कूल रैंकिंग में, आईआईएफटी को समग्र श्रेणी में 11वां स्थान हासिल हुआ है।

(iii) संगठनात्मक संरचना और कार्य

प्रबंधन बोर्ड संस्थान का प्रमुख कार्यकारी निकाय है। प्रबंधन बोर्ड में 11 सदस्य शामिल हैं और इसकी अध्यक्षता संस्थान के निदेशक द्वारा की जाती है। वाणिज्य विभाग के सचिव संस्थान के अध्यक्ष होते हैं। संस्थान के निदेशक संस्थान के प्रमुख कार्यकारी होते हैं और संस्थान के मामलों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण करते हैं।

(iv) आईआईएफटी की संस्थागत स्थापना

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शिक्षा, अनुसंधान और सहयोग को प्रोत्साहित करने और उसे बढ़ाने के लिए आईआईएफटी में निम्नलिखित विभाग हैं:

♦ कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम (ईएमपी) प्रभाग

ईएमपी विभाग की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मुद्दों और व्यापार नीति पर इसके निहितार्थ के बारे में व्यापक समझ विकसित करने हेतु सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों, उद्यमियों, निर्यातकों, कॉर्पोरेट क्षेत्र और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई है। इसने कई सारे समकालीन व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर विचार, राय, विश्लेषण तैयार करने हेतु डिजाइन किए गए कार्यक्रमों की शुरुआत की है।

विभाग ने वर्ष 2000 में तंजानिया में दार-एस-सलाम में वित्त प्रबंधन संस्थान (आईएफएम) के सहयोग से एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत की थी। कार्यक्रम का तेरहवां बैच 1 मार्च 2021 से शुरू हुआ है।

◆ प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) प्रभाग

संस्थान का प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) विभाग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय विपणन, वित्त, निर्यात-आयात प्रबंधन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, रणनीतिक प्रबंधन, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) हेतु क्षमता निर्माण, डेटा विश्लेषण, व्यापार विश्लेषण आदि के क्षेत्र में सरकारी/पीएसयू, कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र के अधिकारियों/कार्यपालकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

आईआईएफटी, भारतीय व्यापार सेवा परिवीक्षाधीनों के लिए नौ महीने का आवासीय आधार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक नोडल संस्थान है। इसके अलावा, संस्थान भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा आदि के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की पहल के तहत, आईआईएफटी देश भर में फैले रोजगार कार्यालय के अधिकारियों को लगातार विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

◆ अंतर्राष्ट्रीय सहायोग एवं क्षमता विकास (आईसीसीडी) विभाग

आईआईएफटी का अंतर्राष्ट्रीय सहायोग एवं क्षमता विकास (आईसीसीडी) विभाग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ शैक्षणिक गठबंधन कायम करके संस्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि संयुक्त प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें। छात्रों और संकायों का आदान-प्रदान इन शैक्षणिक सहयोगों का एक अभिन्न अंग है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता विकास (आईसीसीडी) विभाग ने 9 जून 2021 को संयुक्त शैक्षणिक गतिविधियों, सहयोगी अनुसंधान परिसकीमों के विकास, अनुसंधान और शिक्षण कर्मियों के आदान-प्रदान आदि के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए लीड्स विश्वविद्यालय, यूके के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

◆ प्रबंधन में स्नातक अध्ययन (जीएसएम) विभाग

संस्थान का प्रबंधन में स्नातक अध्ययन (जीएसएम) विभाग पूर्णकालिक/दीर्घावधि कार्यक्रमों के लिए नोडल विभाग है। विभाग प्रशासनिक एवं शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के

अतिरिक्त, संस्थान के पूर्ण कालिक, सप्ताहांत एमबीए और प्रमाण पत्र कार्यक्रमों में प्रवेश का काम देखता है।

◆ अर्थशास्त्र विभाग

आईआईएफटी ने अर्थशास्त्र में उन्नत ज्ञान प्रदान करने के लिए अर्थशास्त्र में एम.ए. कार्यक्रम प्रारंभ किया है। 4 अक्टूबर 2021 को दिल्ली और कोलकाता दोनों परिसरों में एमए (अर्थशास्त्र) के चौथे बैच की शुरुआत हुई। दिल्ली में 63 छात्र और कोलकाता में 65 छात्र इस कार्यक्रम में हैं।

4 अक्टूबर 2021 को ऑनलाइन मोड में अर्थशास्त्र में पीएच.डी. 2021 की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में 04 उम्मीदवारों (02-दिल्ली और 02-कोलकाता) को प्रवेश मिला है।

◆ अनुसंधान विभाग

अनुसंधान विभाग की गतिविधियों का उद्देश्य आईआईएफटी के लिए दृश्यता बढ़ाना और मजबूत अनुसंधान परिणामों के साथ व्यापार नीति विश्लेषण के लिए एक विचार मंच के रूप में उभरना है। विभाग के अनुसंधान और अन्य गतिविधियों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में दीर्घकालिक और अल्पकालिक शैक्षिक कार्यक्रमों में सहायता करना भी है। इस प्रकार, प्रबंधन के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियों के आधार को व्यापक करने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं। संस्थान के विकास में अनुसंधान गतिविधि का बहुत महत्व है क्योंकि यह अनुसंधान और प्रशिक्षण के बीच एक मजबूत व्यापक अंतरफलक प्रदान करता है। सरकार और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रायोजित अध्ययनों के अलावा, संस्थान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिसकीमों के लिए सफलतापूर्वक बोली लगा रहा है।

पूरे हुए अनुसंधान अध्ययन

- ◆ दिल्ली के लिए निर्यात प्रोत्साहन नीति और रणनीतिक कार्य स्कीम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित
- ◆ वर्ष 2020-2025 की अवधि हेतु नई वित्तीय सहायता स्कीम के निर्माण पर अध्ययन, एपीईडीए द्वारा प्रायोजित
- ◆ वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआर परिसकीमों के मूल्यांकन हेतु अध्ययन। एसपीएमसीआईएल द्वारा प्रायोजित
- ◆ कोविड-19 पर अध्ययन: भारतीय हस्तशिल्प निर्यात

के लिए चुनौतियाँ, अवसर और खतरा: ईपीसीएच द्वारा प्रायोजित एक प्रभाव मूल्यांकन

- ◆ भारत यूरोपीय संघ के सीमित व्यापार समझौते से संभावित लाभ पर अध्ययन: ब्रुसेल्स के दूतावास द्वारा प्रायोजित एक पूर्व पूर्व मूल्यांकन

अनुसंधान अध्ययन प्रगति पर

- ◆ अवैध व्यापार पीड़ितों के संरक्षण पुनः प्राधिकारण अधिनियम (टीवीपीआरए) में चावल की गैर-सूचीबद्धता पर अध्ययन, एपीडा द्वारा प्रायोजित
- ◆ अगरबत्ती के आयात पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अगरबत्ती उद्योग पर प्रभाव, केवीआईसी द्वारा प्रायोजित
- ◆ वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर परिसकीमों के मूल्यांकन हेतु अध्ययन। एसपीएमसीआईएल द्वारा प्रायोजित
- ◆ समकालीन प्रबंधन में भागवत गीता के निहितार्थ पर अध्ययन: आईसीएसएसआर द्वारा प्रायोजित एक अनुभवजन्य अध्ययन

पीएच.डी. कार्यक्रम

- ◆ 6 नवंबर, 2021 से पीएचडी कार्यक्रम (प्रबंधन) 2021 शुरू किया गया है। दिल्ली में पैतालीस (45) छात्र (30 अंशकालिक और 15 पूर्ण कालिक) इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सेमेस्टर-1 पाठ्यक्रम की पढ़ाई चल रही है।
- ◆ सेंटर फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन एंड लॉजिस्टिक्स (सीटीएफएल)

मार्च 2018 में आईआईएफटी में लॉजिस्टिक्स डिवीजन द्वारा सेंटर फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन एंड लॉजिस्टिक्स (सीटीएफएल) की स्थापना की गई थी। सीटीएफएल ने शीर्ष 8 निर्यात क्षेत्रों (परिधान, कृषि, रसायन, चमड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, रत्न एवं आभूषण और समुद्र) के क्षेत्र विशिष्ट लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक विकसित किए हैं। और उनके समाधान के साथ चुनिंदा क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं और चिन्हित स्थान और क्षेत्र विशिष्ट लॉजिस्टिक मुद्दों को मापा भी है। केंद्र ने लॉजिस्टिक विभाग, संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), और विभिन्न सरकारी निकायों जैसे नीति आयोग, एनसीटीएफ

विभिन्न मंत्रालयों आदि को लॉजिस्टिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए मूल्यवान जानकारी प्रदान की है।

सीटीएफएल की स्थापना के बाद से, केंद्र भारत की व्यापार और लॉजिस्टिक विशेषज्ञता को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है और वैश्विक स्तर पर देश के लिए प्रतिस्पर्धा हासिल करने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मोर्चों पर विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग के लिए खुद को नोडल प्रमुख के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया है।

◆ पूर्व छात्र मामलों के प्रभाग (डीएए)

डीएए संस्थान को आगे बढ़ाने और अर्थपूर्ण बनाने हेतु पूर्व छात्रों को जोड़े रखने हेतु सभी नियमित वार्षिक गतिविधियां जैसे कि क्षेत्रीय चैप्टर सम्मेलन, सिंगापुर में आईआईएफटी कॉन्क्लेव, विशाल पूर्व छात्र मिलन, 25 से 10वर्ष के बैच के लिए सम्मेलन और विभिन्न अन्य गतिविधियों का आयोजन करता है

आईआईएफटी के पूर्व छात्र कॉर्पोरेट, सार्वजनिक क्षेत्र, मीडिया, खेल और शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों में शीर्ष पदों पर हैं। पूर्व छात्र गर्मियों और अंतिम नियोजन (प्लेसमेंट), अतिथि व्याख्यान श्रृंखला, कॉर्पोरेट प्रतियोगिताओं, लाइव परिसकीमों, परामर्श और अन्य संस्थान-उद्योग संबंधित गतिविधियों के आयोजन के लिए नियमित रूप से छात्रों के लिए काफी सहायता, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। महामारी (कोविड-19) की स्थिति को देखते हुए, पूर्व छात्र संबंध समिति ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

◆ कॉर्पोरेट संबंध और नियोजन (प्लेसमेंट) विभाग

नियोजन (प्लेसमेंट) समिति, जो एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस पूर्ण कालिक प्रोग्राम के छात्रों का एक निर्वाचित निकाय है, कॉर्पोरेट संबंध और नियोजन (प्लेसमेंट) विभाग के तहत कार्य करता है। नियोजन (प्लेसमेंट) समिति के पास कॉर्पोरेट क्षेत्रों तक पहुंचने और संस्थान में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप और अंतिम नियोजन (प्लेसमेंट) प्रक्रिया को संचालित करने का अधिकार है।

इन प्रयासों में नियोजन (प्लेसमेंट) समिति का मार्गदर्शन विभाग प्रमुख द्वारा किया जाता है। नियोजन (प्लेसमेंट) समिति आधार तैयार करती है, अतिथि व्याख्यान के लिए कंपनी के दिग्गजों को आमंत्रित करती है, ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्रों को शामिल करती है और स्नातक छात्रों के अंतिम नियोजन (प्लेसमेंट) को सुरक्षित करती है।

आईआईएफटी ने अपने प्रमुख एमबीए (आईबी) प्रोग्राम के 2019-21 बैच के लिए अंतिम नियोजन (प्लेसमेंट) का कार्य पूरा किया। नियोजन (प्लेसमेंट) के दौरान औसतन 21.08 लाख रुपये प्रति वर्ष की सीटीसी देखी गई और मध्य सीटीसी 20 लाख रुपये प्रति वर्ष रही। उच्चतम सीटीसी पेशकश की बात करें तो यह 46.5 लाख रुपये प्रति वर्ष रही, जबकि बैच के शीर्ष 25 प्रतिशत छात्रों को सालाना 25.22 लाख रुपये का औसत सीटीसी प्राप्त हुआ। नियोजन (प्लेसमेंट) प्रक्रिया में 117 कंपनियों ने भाग लिया।

2020-22 के ग्रीष्मकालीन इंटरनशिप के लिए 100 प्रतिशत प्लेसमेंट के साथ अंतिम नियोजन (प्लेसमेंट), जो पहले पूरा हो चुका है, चुनौतीपूर्ण समय में एक असाधारण उपलब्धि है।

◆ सीईएनईएसटी

आईआईएफटी ने एनईसी के सहयोग से 2016 में सीईएनईएसटी (उत्तर पूर्वी अध्ययन केंद्र) की स्थापना की है। एनईसी के सचिव सीईएनईएसटी के शीर्ष निकाय के अध्यक्ष हैं। केंद्र में सभी पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले हितधारक शामिल हैं। निर्यात में सुधार के लिए केंद्र सभी पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और नेटवर्किंग के काम में लगा है। सीईएनईएसटी के तहत आईआईएफटी कोलकाता का एमडीपी डिवीजन निर्यात जागरूकता पर इक्कीस दिवसीय कार्यशालाओं के माध्यम से असम के 20 विभिन्न जिलों के 1000 संभावित उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

9. सार्वजनिक क्षेत्र निगम (ईसीजीसी, एमएमटीसी लिमिटेड, पीईसी लिमिटेड, आईटीपीओ, एसटीसी, एसटीसीएल लिमिटेड)

(क) ईसीजीसी लिमिटेड

ईसीजीसी लिमिटेड, भारत सरकार की एक प्रमुख निर्यात ऋण

एजेंसी (ईसीए) का भारत से निर्यात को बढ़ावा देने एवं सहायता प्रदान करने के लिए "न लाभ न हानि" आधार पर निर्यातकों और बैंकों को अल्प अवधि (एसटी), मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि (एमएलटी) आधार पर निर्यात क्रेडिट बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1957 में, मुंबई में गठन किया गया। यह वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केनई सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है। ईसीजीसी लिमिटेड का मिशन, उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से भारतीय निर्यातों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागत प्रभावी बीमा एवं व्यापार संबद्ध सेवाएं प्रदान करके भारतीय निर्यात उद्योग की सहायता करना है। ईसीजीसी लिमिटेड की सेवाएं बैंक वित्त तक पहुंच, सूचना तक पहुंच तथा विदेशी क्रेताओं / देशों से बकाया ऋणों की वसूली में सहायता को संभव बनाती हैं।

सीसीईए के दिनांक 27.06.2018 के अनुमोदन के दृष्टिगत, 2021-22 के दौरान ईसीजीसी को 260 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा, सीसीईए ने 29 सितंबर 2021 को आयोजित अपनी बैठक में ईसीजीसी लिमिटेड को पांच साल की अवधि में अर्थात वित्त वर्ष 2021-2022 से वित्त वर्ष 2025-2026 तक 4,400 करोड़ रुपये के पूंजी प्रवाह को मंजूरी दी है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के माध्यम से ईसीजीसी की लिस्टिंग प्रक्रिया के साथ उपयुक्त रूप से तालमेल बिटाने के लिए किए गए प्रयासों के साथ अनुमोदन मिलने से ईसीजीसी की अधिक निर्यात में सहायता करने की बीमा करने की क्षमता में वृद्धि होगी। स्वीकृत राशि से अतिरिक्त 88,000 करोड़ रुपये तक के जोखिमों का बीमा करने की क्षमता बढ़ जाएगी और इससे ईसीजीसी पांच साल की अवधि में 5.28 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त निर्यात में सहायता करने के लिए कवर जारी कर सकेगा।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईसीजीसी का प्रदर्शन (31 दिसंबर 2021 तक)

(मूल्य करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	प्रदर्शन मानक	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22 (31.12.21 तक)
1	बीमा कवर की कुल संख्या	28,158	22,179
2	कुल अधिकतम देयता	1,01,238	95,920
3	कवर किया गया कुल व्यवसाय (जोखिम मूल्य)	6,02,801	4,08,258
4	कुल प्रीमियम राशि	1,062	739

(ख) एमएमटीसी लिमिटेड

मुख्य रूप से खनिजों एवं अयस्कों के निर्यात तथा अलौह धातुओं के आयात का काम करने के लिए 1963 में एक स्वतंत्र संस्था के रूप में एमएमटीसी लिमिटेड का निगमन किया गया। पिछले कुछ वर्षों में एमएमटीसी ने राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा व्यवसाय के नए अवसरों को ध्यान में रखते हुए अपने कारोबार के क्षेत्र में विविधता लाई है और उर्वरक, बुलियन, कृषि आदि जैसे विभिन्न जींसों का आयात एवं निर्यात को कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल किया गया।

एमएमटीसी, अन्य जींसों में व्यापार करने के अलावा सोना एवं चांदी के आयात के लिए नामित एजेंसियों में से एक के रूप में काम करता है।

(i) पहल

मेक इन इंडिया

एमएमटीसी, जीएमएस स्कीम के माध्यम से घरेलू सोने के मौद्रिकीकरण में आर्थिक कार्य विभाग की सहायता करता रहा है।

◆ स्वच्छ भारत — स्वच्छ कार्य स्कीम (एसएपी-2021-22)

2021-22 के दौरान, एमएमटीसी के सक्षम प्राधिकारी ने स्वच्छ भारत अभियान में सहायता करने के लिए एसएपी गतिविधियां करने के लिए रु. 1.40 लाख (एक लाख चालीस हजार रुपये केवल) का बजट अनुमोदित किया है। एसएपी के लिए आवंटित धन का उपयोग विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जा रहा है जो एमएमटीसी के कार्यालयों में देश भर में की जा रही हैं, जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

◆ स्वच्छ कार्यालय परिसर

- भारत भर में स्थित सीओ/क्षेत्रीय कार्यालयों में एमएमटीसी के कार्यालय परिसर में स्वच्छता से संबंधित नारों/साइनेज और तस्वीरों का प्रदर्शन।
- एमएमटीसी कारपोरेट कार्यालय में कार्यालय अभिलेखों का उचित रखरखाव और उनकी सफाई की निरंतरता।
- पुरानी फाइलों/अभिलेखों को रिकॉर्ड प्रतिधारण अनुसूची के अनुरूप एमएमटीसी कॉलोनी में रिकॉर्ड

रूम में भेजकर इन्हें निकालने के अभियान को जारी रखना।

- ◆ **स्वच्छ आवास:** दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, एमएमटीसी द्वारा दिल्ली के जेजे क्लस्टर, हैदरपुर में सफाई गतिविधियां की गई।

◆ स्वच्छ विद्यालय पहल

- स्वच्छता अभियान में भागीदारी के माध्यम से गोद लिए गए स्कूल, नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, मालवीय नगर, नई दिल्ली को स्वच्छता मिशन में शामिल करना।
- विद्यालय का सौंदर्यीकरण अर्थात सफाई, पौधे उगाना, पेंट, मरम्मत आदि।
- स्वास्थ्य और फिटनेस: बच्चों को खुद को स्वस्थ, फिट और चुस्त रखने के लिए प्रोत्साहित करना।

- ◆ **स्वच्छ प्रतीक स्थान:** झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के प्रसार और प्रसाधन किट के वितरण के लिए स्वास्थ्य शिविर के साथ-साथ आस-पास की झुग्गी बस्तियों/गांव/मोहल्ले में सफाई का आयोजन करना।

◆ कार्यशाला और संगोष्ठी/प्रशिक्षण

- प्रतिष्ठित सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के सहयोग से, गोद लिए गए स्कूल अर्थात नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, नई दिल्ली में एक स्वच्छता जागरूकता/बेहतर स्वच्छता व्यवहारों पर चर्चा आयोजित की गई और इसके बाद स्वच्छता किट का वितरण किया गया।
- भारत भर में एमएमटीसी कालोनियों में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार में, विशेष रूप से सूखे और गीले घरेलू कचरे के संबंध में स्वच्छता संबंधी पहलू में परिवर्तन लाने के लिए घर-घर जाकर अभियान।

- ◆ देश भर में प्रत्येक वर्ष 1 से 15 नवंबर की अवधि में विभिन्न गतिविधियों के साथ स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन करना।

एमएमटीसी ने अतीत में एमएमटीसी कार्यालयों/कॉलोनी में कई गतिविधियां शुरू की हैं जिनमें कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतलों/कंटेनरों का उपयोग न करने के

बारे में जागरूकता फैलाना, कार्यालय परिसर में स्वच्छता (साफ-सफाई) से संबंधित पोस्टर/नारे/साइनेज/फोटोग्राफ प्रदर्शित करना, एमएमटीसी कॉलोनी/गोद लिए विद्यालय में वृक्षारोपण/पौधे लगाना, एमएमटीसी कार्यालयों में कार्यालय अभिलेखों सहित सफाई कार्यों का उचित रखरखाव और उसे निरंतर बनाए रखना, गोद लिए गए स्कूल के परिसर की सफाई करना, हाईजीन/स्वच्छता/साफ-सफाई व्यवहारों पर वेबिनार, गोद लिए गए स्कूल के शिक्षकों/छात्रों के लिए स्वच्छता किट यानी फेस मास्क और सैनिटाइज़र आदि का वितरण करना शामिल है।

आज की तारीख में, एमएमटीसी लिमिटेड द्वारा एसएपी-2021-22 के लिए आनुपातिक बजट राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है और लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

(ii) डिजिटल इंडिया

भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को लागू करने के एक भाग के रूप में, एमएमटीसी एनआईसी (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक संगठन) से ई-ऑफिस लाइट लागू करने की प्रक्रिया में है। एनआईसी का ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर एक वर्कफ़्लो-आधारित सॉफ्टवेयर है जो भौतिक फाइलों को डिजिटाइज़ करने, फाइल पर नोटिंग कैप्चर करने, विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने, पत्रों और अधिसूचनाओं के रूप में निर्णय जारी करने आदि में सक्षम है। ई-ऑफिस के कार्यान्वयन से उत्पादकता/आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा और निर्णय लेने में पारदर्शिता में वृद्धि होगी। इसके अलावा, एमएमटीसी में ई-पेमेंट्स और भीम सहित 100 प्रतिशत ई-टेंडरिंग का पालन किया जा रहा है।

(iii) स्वच्छ ऊर्जा

एमएमटीसी ने 2007-08 में कर्नाटक के गजेंगिड़ में 15 मेगावाट क्षमता की पवन चक्की परिसकीम स्थापित की थी। यह परिसकीम सफलतापूर्वक संचालित और इसने कर्नाटक राज्य की कुछ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करके क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है। एमएमटीसी पवन उत्पादन से आय भी अर्जित करती है।

(iv) वित्तीय प्रदर्शन

एमएमटीसी को पिछले वित्त वर्ष के दौरान 24,056.04 करोड़ रुपये के कारोबार की तुलना में 2020-21 के दौरान 26,364.50

करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस कारोबार में 1,804.74 करोड़ रुपये का निर्यात, 20,696.64 करोड़ रुपये का आयात और 3,863.12 करोड़ रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है। एमएमटीसी को 2020-21 में 769.69 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ जिसका मुख्य कारण 2009-10 के एक विवादित मामले में मैसर्स एंग्लो कोल के साथ मुकदमेबाजी के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न देयता के कारण 877.43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना था जिसमें 2014 में ब्याज के साथ यूएस +78.77 मिलियन के मध्यस्थता भुगतान के साथ लंबे समय से मुकदमा चल रहा था, जिसे 2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने बरकरार रखा था। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय की डबल खंडपीठ ने 2015 में एमएमटीसी को कुछ राहत दी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 2020 में मध्यस्थता पंचाट बहाल कर दिया। हालांकि, एमएमटीसी उच्चतम न्यायालय में एक उपचारात्मक याचिका के माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परिणाम को लेकर थोड़ी निश्चितता है। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण लंबित होने तक पूर्व-पंचाट ब्याज का प्रावधान न करने के कारण एमएमटीसी की बहियों में 128.89 करोड़ रुपये की आकस्मिक देयता दर्शाई गई है। मध्यस्थता की अवधि के दौरान, एमएमटीसी, एनआईएनएल पर कोई औपचारिक दावा दर्ज किए बिना मामले के घटनाक्रम के बारे में एनआईएनएल को सूचित कर रहा था, हालांकि, एमएमटीसी अपनी बहियों में एनआईएनएल पर आकस्मिक देयता के रूप में एंग्लो कोयला के प्रति देनदारी दिखा रहा था।

एमएमटीसी की एनआईएनएल पर 31 मार्च 2021 तक 3,528.47 करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारी है और बैंकों से उधार लेकर एनआईएनएल को ऋण/कार्यशील पूंजी प्रदान किए जाने से इसमें निरंतर वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप 2019-20 में एमएमटीसी की बैंक सीमा समाप्त हो गई और परिणामस्वरूप, एमएमटीसी को एनआईएनएल के विनिवेश से प्राप्त आय के माध्यम से चुकाए जाने वाले अपने ऋणों को 2020-21 के दौरान मजबूरन पुनर्संचित कराना पड़ा जो डीआईपीएम के तत्वावधान में किया जा रहा है। विनिवेश की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

एमएमटीसी तरलता संकट से जूझ रहा है, प्रमुख रूप से 2019 से और 2014-15 को छोड़कर वित्त वर्ष 2012-13 के बाद से एनआईएनएल के कल्पित ब्याज को छोड़कर इसका पीएटी लगातार नकारात्मक रहा है। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है

कि वित्त वर्ष 2016-17 में 168 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2017-18 में 79 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2018-19 में 403 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2019-20 में 1500 करोड़ रुपये की निरंतर भारी उधारी के कारण निरंतर नकारात्मक नकदी प्रवाह को बनाए रखने और एनआईएनएल की देय ब्याज आय की प्रतिपूर्ति करने के लिए बैंक सीमा वित्त वर्ष 2019-20 तक समाप्त हो गई थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 से, बैंकों ने एनआईएनएल में उच्च जोखिम और संचित असुरक्षित ऋणों पर बकाया देय के कारण अतिरिक्त/नए असुरक्षित ऋण की अनुमति नहीं दी।

(v) सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल), एमएमटीसी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, एमटीपीएल ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान दर्ज 333.59 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 486.20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बिक्री कारोबार हासिल किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 45.74 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।

(vi) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)

एमएमटीसी लिमिटेड ने ओडिशा और अन्य के साथ संयुक्त रूप से नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) - 1.1 मिलियन टन क्षमता के लौह और इस्पात संयंत्र, 0.8 मिलियन टन कोक ओवन और कैस्टिंग पावर प्लांट के साथ उत्पाद इकाई की स्थापना की। भारत सरकार ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी, एनआईएनएल के विनिवेश के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसमें चार केंद्रीय पीएसयू यानी एमएमटीसी, एनएमडीसी, भेल और मेकॉन और ओडिशा सरकार की दो कंपनियां यथा: ओएमसी और आईपीआईसीओएल शेयरधारक

हैं। सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के भारी कर्ज से रक्षा करने के लिए एनआईएनएल के विनिवेश का निर्णय लिया है। तदनुसार, वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) ने एनआईएनएल के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एनआईएनएल के विनिवेश को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

(vii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, बोर्ड स्तर पर निदेशक मंडल/सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित कोई सीएसआर बजट नहीं है क्योंकि कंपनी को पिछले वर्षों अर्थात् 2019-20 और 2020-21 में घाटा हुआ है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-198 के अनुसार परिकल्पित सीएसआर बजट अर्थात् पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत ऋणात्मक है। अंतः, कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत अनिवार्य आवंटन को खर्च करना अनिवार्य नहीं है।

(ग) पीईसी लिमिटेड

एसटीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में 21 अप्रैल 1971 को पीईसी लिमिटेड का गठन किया गया था। 27 मार्च 1991 से पीईसी लिमिटेड, वाणिज्य विभाग के तहत एक स्वतंत्र कंपनी बन गई। पिछले कुछ वर्षों में, पीईसी लिमिटेड विभिन्न आवश्यक और औद्योगिक वस्तुओं का आयात-निर्यात कर रहा है। पीईसी का खाता एनपीए होने से कंपनी का कामकाज ठप हो गया है।

(i) कार्य-प्रदर्शन

2016-17 से कंपनी का बिक्री कारोबार नीचे दिया गया है:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

मदें	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
परिचालन से राजस्व	4271.51	4470.91	627.87	8.32	0.00
कर पूर्व लाभ	(92.84)	(56.96)	(499.19)	(147.02)	(129.09)
कर पश्चात लाभ	(92.84)	(56.96)	(499.19)	(147.02)	(129.09)
लाभांश और कॉर्पोरेट कर	--	-	-	-	-
इक्विटी	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
भंडार	(1,139.97)	(1193.91)	(1693.10)	(1840.12)	(1969.21)
निवल मूल्य	(1,079.97)	(1133.91)	(1633.10)	(1780.12)	(1909.21)

(ii) बिक्री कारोबार

2016-17 से कंपनी का बिक्री कारोबार नीचे दिया गया है:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	बिक्री कारोबार
2016-17	4254.07
2017-18	4451.92
2018-19	617.87
2019-20	8.03
2020-21	0.00

(iii) निर्यात और आयात

(मूल्य करोड़ रुपये में)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
निर्यात	63.27	327.61	51.97	7.79	0.00
आयात	3980.11	3849.10	523.24	0.00	0.00

(iv) मानव संसाधन

2021 में पीईसी लिमिटेड में एक वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम) चरण-प्प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत 07 कर्मचारियों ने वीआरएस लिया था। 30 सितंबर 2021 तक, कंपनी में 37 कर्मचारी हैं, जिनमें से 07 कर्मचारी पीईसी के बाहर प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(v) अनुपालन

कंपनी, सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग, सिटीजन चार्टर, पब्लिक रिड्रेसल मैकेनिज्म और आरटीआई से संबंधित सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन कर रही है।

(vi) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता

अधिनियम की धारा 135 लागू करने से, कंपनी ने एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है। निदेशक मंडल द्वारा अपनाई गई सीएसआर नीति, कंपनी की वेबसाइट www.peclimited.com पर उपलब्ध है। पीईसी को 2014-15 से घाटा हो रहा है, इसलिए उस पर सीएसआर खर्च करने की कोई बाध्यता नहीं है।

(घ) भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)

भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), भारत की प्रमुख

व्यापार संवर्धन एजेंसी है जो व्यापार और उद्योग के लिए सेवाओं का एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदान करती है और भारत के व्यापार के विकास के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है।

आईटीपीओ, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में अपने मुख्यालय और चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ, देश के विभिन्न क्षेत्रों से भारत और विदेशों में अपने कार्यक्रमों में व्यापार और उद्योग की प्रतिनिधित्व भागीदारी सुनिश्चित करता है।

आईटीपीओ, शुरुआत से ही एशियन ट्रेड प्रमोशन फोरम (एटीपीएफ), व्यापार संवर्धन संगठनों (टीपीओ) के समूह में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। आईटीपीओ, इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो (आईसीपीबी) द्वारा आयोजित गतिविधियों में भी शामिल होता है। आईटीपीओ, प्रदर्शनी उद्योग को बढ़ावा देनेवाले संगठन, यूएफआई— दी ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ एग्जिबिशन इंडस्ट्री, फ्रांस का सदस्य बन गया है। आईटीपीओ, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एक्जीबिशन एंड इवेंट्स (आईआईई), यूएसए का सदस्य बन गया है। आईआईई, ऐसी प्रदर्शनियों और अन्य कार्यक्रमों के विशेष महत्व को बढ़ावा देता है जिनसे खरीदार और विक्रेता एक साथ आते हैं, जैसे रोड शो, किसी प्रदर्शनी घटक के साथ सम्मेलन, और प्रोप्राइटरी कॉर्पोरेट प्रदर्शनियाँ।

(i) प्रगति मैदान का पुनर्विकास

आईईसीसी परियोजना: ऐतिहासिक प्रगति मैदान मेला मैदान को दो चरणों में एक विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर (आईईसीसी) में पुनर्विकसित किया जा रहा है (दूसरा चरण कुछ वर्षों बाद शुरू किया जाएगा)। पहले चरण में, सिंगल फार्मेट में 7000 पैक्स क्षमता सहित 11450 पैक्स की कुल क्षमता के साथ 53000 वर्गमीटर के भव्य विश्व स्तरीय अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की जानी है— जिसकी क्षमता, विज्ञान भवन की क्षमता से पांच गुना अधिक है। साथ ही, 3000 पैक्स वाले एक एम्फीथिएटर और एक विशाल खुला प्रदर्शनी क्षेत्र के साथ 1.36 लाख वर्ग मीटर के प्रदर्शनी क्षेत्र वाले सात आधुनिक प्रदर्शनी हॉल्स और 4800 इक्विवलेंट कार इकाइयों (ईसीयू) के लिए 1.6 लाख वर्ग मीटर की सिंगल लेवल बेसमेंट पार्किंग, जो सुरंग से जुड़ी होगी, प्रगति मैदान

मेट्रो स्टेशन के साथ स्काईवॉक कनेक्टिविटी, 8857 वर्ग मीटर के प्रशासनिक ब्लॉक और आधुनिक सहायक अवसंरचना की स्थापना की जानी है।

आईईसीसी परिसकीम पर काम चल रहा है और इसके सभी खंडों को अब जून 2022 तक पूरा किया जाना है। कन्वेंशन सेंटर, आईईसीसी परिसकीम की उत्कृष्ट कृति है जो प्रतिष्ठित है और इसमें अण्डाकार अग्रभाग और नवीनतम आधुनिक वास्तुकला वाले ऊंचे मंच पर एक लंबा ढांचा बना हुआ है जिसकी प्रेरण संसद भवन और राष्ट्रपति भवन से मिली है। कन्वेंशन सेंटर के सम्मुख 20 से अधिक एफ एंड बी आउटलेट युक्त एक विशाल प्लाजा होगा, रंगीन फव्वारे वाला एक बड़ा जलाशय होगा, जिससे यह स्थान, दिल्ली और देश के लोगों के लिए एक वास्तविक आधुनिक कीर्तिमान वाला स्थान बन गया है।



प्रगति मैदान में आईईसीसी का निरीक्षण करते हुए माननीय सीआईएम

प्रगति मैदान में और उसके आसपास एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर विकास (आईटीसीडी) परिसकीम, आईईसीसी परिसकीम का एक अभिन्न अंग है जिसे 923 करोड़ रुपये की लागत से एक साथ लागू किया जा रहा है। ये यातायात जाम दूर करने वाले हस्तक्षेप, पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं और

फरवरी 2022 तक पूरा किए जाने निर्धारित हैं। इन यातायात समाधानों का उद्देश्य मथुरा रोड को डब्ल्यू-पॉइंट से डीपीएस और भैरों मार्ग—रिंग रोड चौराहे को छह अंडरपास के माध्यम से सिग्नल—मुक्त बनाना है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इंडिया गेट को पुराना किला रोड/मथुरा रोड से होकर रिंग रोड से

जोड़ते हुए प्रगति मैदान से होकर गुजरनेवाली छह लेन की विभाजित सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह सुरंग, भैरों मार्ग के समानांतर, अत्यावश्यक मार्ग का काम करेगी, जो अतिरिक्त जाम होता जा रहा है। इससे दिल्ली और एनसीआर के लोगों को इस क्षेत्र में बढ़ते यातायात संकट और वाहनों के प्रदूषण से भी राहत मिलेगी।

माननीय प्रधान मंत्री ने 13 अक्टूबर 2021 को आईसीसी परिसकीम के एक भाग के रूप में पीएम गति शक्ति के शुभारंभ के मौके पर नए प्रदर्शनी कॉम्प्लेक्स (हॉल 2,3, 4 और 5) का उद्घाटन किया। माननीय प्रधान मंत्री को सीएमडी, आईटीपीओ द्वारा उद्घाटन से पहले एक फोटो गैलरी के माध्यम से परिसकीम की वर्तमान स्थिति सहित इसकी पूरी जानकारी दी गई थी। माननीय सीआईएम ने कार्यक्रम के दौरान उल्लेख किया कि विश्व स्तरीय, अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर 2023 में जी20 शिखर सम्मेलन के लिए बनाया जा रहा है। माननीय सीआईएम के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल द्वारा आईसीसी परिसकीम की प्रगति की प्रत्येक माह समीक्षा की जा रही है और सीएमडी, आईटीपीओ नियमित रूप से पूरी परिसकीम की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं।

(ii) भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ)

भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) ने 14 से 27 नवंबर 2021 तक प्रगति मैदान (नई दिल्ली) में अपने प्रमुख कार्यक्रम, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) के 40 वें संस्करण का आयोजन किया। आईआईटीएफ के 40वें संस्करण का विषय "आत्मनिर्भर भारत/सेल्फ-रिलायंट इंडिया" था। यह प्रदर्शनी दो वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित की गई थी क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण बी2सी इवेंट आयोजित करने पर प्रतिबंध के कारण इस विशाल आयोजन का 2020 संस्करण रद्द कर दिया गया था।

14 नवंबर 2021 को माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा आईआईटीएफ 2021 का उद्घाटन किया गया था। यह कार्यक्रम प्रगति मैदान परिसर के नए और मौजूदा हॉल में लगभग कुल 73,000 वर्ग मीटर प्रदर्शनी क्षेत्र में आयोजित किया गया था।



उद्घाटन समारोह के दौरान आईआईटीएफ 2021 फेयर गाइड का शुभारंभ करते हुए माननीय सीआईएम और अन्य गणमान्य व्यक्ति

इस कार्यक्रम में बिहार भागीदार राज्य था और उत्तर प्रदेश और झारखंड फोकस राज्य थे। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भागीदारी थी, इन मंडलों में राज्य के फूड कोर्ट्स में अपनी विशेष स्वदेशी उपज, कला, शिल्प और व्यंजन प्रदर्शित किए गए।

प्रतिभागियों, आगंतुकों और अन्य हितधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन एक क्यूरेटेड वातावरण में किया गया था। बड़ी संख्या में आए आगंतुकों ने कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया।

आईआईटीएफ 2021 संस्करण में विभिन्न सरकारी विभागों/मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्टार्ट-अप, एमएसएमई इकाइयों, विदेशी दूतावासों/उच्चायोग और अन्य निजी कंपनियों ने भागीदारी की। इस आयोजन में ग्रामीण कारीगरों, शिल्पकारों, महिला उद्यमियों, हथकरघा बुनकरों, कलाकारों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), स्टार्ट-अप और एमएसएमई इकाइयों सहित बहुत अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया।

(iii) वित्तीय विशिष्टताएँ

वर्ष 2020-21 के दौरान आईटीपीओ को 81.36 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सृजित कुल आय 50.38 करोड़ रुपये थी, जिसमें 5.54 करोड़ रुपये का परिचालन से राजस्व शामिल था।

कोविड-19 महामारी के वैश्विक स्तर पर प्रकोप के कारण, प्रदर्शनी उद्योग का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सितंबर 2021 तक प्रगति मैदान में नियोजित सभी प्रदर्शनियों को या तो रद्द कर दिया गया या पुनर्निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त, दुनिया भर में यात्रा प्रतिबंधों और महामारी के कारण, आईटीपीओ द्वारा किसी विदेशी मेले का आयोजन नहीं किया जा सका। इसलिए, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आईटीपीओ कोई परिचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं कर पाया है।

(iv) भारत और विदेशों में मेले

कोविड-19 महामारी के वैश्विक स्तर पर प्रकोप के कारण, प्रदर्शनी उद्योग का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सितंबर 2021 तक प्रगति मैदान में नियोजित सभी प्रदर्शनियों को या तो रद्द कर दिया गया या पुनर्निर्धारित किया गया।

हालांकि, बैंकों में जमा पर मामूली ब्याज आय के अतिरिक्त,

अप्रैल से 28 अक्टूबर 2021 तक 9 तृतीय-पक्ष आयोजनों से आय उत्पन्न हुई है।

इसके अलावा, आईटीपीओ ने 591 वर्गमीटर में अनुगा, कोलोन (जर्मनी), 9 से 13 अक्टूबर 2021 सफलतापूर्वक आयोजित किया है। इस मेले में चौंतीस प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करते हुए डीडीएमए द्वारा आईटीपीओ को अब बी2बी और बी2सी कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई है।

आईटीपीओ ने आईआईटीएफ के 2021 संस्करण के लिए विषय के रूप में "आत्मनिर्भर भारत"/"सेल्फ-रिलायंट इंडिया" का चयन किया है। यह सात पुराने प्रदर्शनी हॉल और चार नए प्रदर्शनी हॉल में आयोजित किया जा रहा है।

(v) क्षेत्रीय व्यापार केंद्र

आईटीपीओ ने राज्य सरकारों को राज्यों की राजधानियों/प्रमुख शहरों में निर्यात अवसंरचना के सृजनार्थ क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केंद्र (आरटीपीसी) स्थापित करने में सहायता प्रदान की है।

◆ चेन्नई में तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन (टीएनटीपीओ)। टीएनटीपीओ, 309 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत से टीएनटीपीओ की विस्तार स्कीम के तहत 7633 वर्ग मीटर के क्षेत्र के साथ एक बहु-प्रयोजन (सम्मेलन/प्रदर्शनी) हॉल के निर्माण का कार्यान्वयन कर रहा है। विस्तार के बाद 34.61 एकड़ भूमि में कुल 39,952 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में 8 प्रदर्शनी हॉल, 2 कन्वेंशन सेंटर और 3 कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे।

◆ बेंगलुरु में कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन (केटीपीओ)। केटीपीओ, केटीपीओ की विस्तार स्कीम के तहत 7633 वर्ग मीटर के क्षेत्र के साथ एक बहु-प्रयोजन (सम्मेलन/प्रदर्शनी) हॉल के निर्माण का कार्यान्वयन कर रहा है। विस्तार के बाद, 10,371 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल में सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के लिए दो हॉल होंगे। अनुमानित परिसकीम लागत रु. 67.59 करोड़ है।

◆ पंपोर में जम्मू और कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन (जेकेटीपीओ)। जेकेटीपीओ एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। जम्मू और कश्मीर सरकार के पास 51.25

प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं, भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के पास 40 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) के पास 4.55 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं और कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के पास कंपनी के 4.20 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं।

(vi) कोविड-19 प्रबंधन

आईटीपीओ ने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और विभागों जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के साथ अनुकूलन, सुधार और भविष्य की तैयारी सुनिश्चित की।

लॉकडाउन के बाद नवीनतम तकनीकों और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के एकीकरण से घर से कामकाज को अनुकूलित किया और आईटीपीओ के कामकाज और प्रदर्शनी उद्योग की सुविधा के लिए आवश्यक सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए गए।

फिंगरप्रिंट-आधारित उपस्थिति प्रणाली के स्थान पर चेहरे की पहचान-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली भी शुरू की गई थी।

(ड) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी)

18 मई 1956 को एसटीसी की स्थापना की गई थी जिसका

मुख्य उद्देश्य पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करना और देश से निर्यात के विकास में निजी व्यापार और उद्योग के प्रयासों में मदद करना था। एसटीसी ने देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जब उसने भारत में बड़े पैमाने पर खपत की आवश्यक वस्तुओं (जैसे गेहूं, दाल, चीनी, खाद्य तेल, आदि) और औद्योगिक कच्चे माल के आयात की व्यवस्था की।

एसटीसी के खाते को घाटे के कारण ऋणदाता बैंकों द्वारा मार्च/ जून 2018 से वर्तमान में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वर्तमान तरलता संकट का समाधान करने के लिए, कंपनी लागत में कमी के संभावित क्षेत्रों की निरंतर समीक्षा कर रही है और परिहार्य खर्चों में कमी के समुचित उपाय कर रही है। इस दिशा में, एसटीसी ने देश भर में फैले अपने सभी शाखा कार्यालय (आगरा को छोड़कर) बंद कर दिए हैं और कानूनी, वसूली और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर कार्रवाई करने के लिए उन स्थानों पर केवल 2-3 प्रबंधकों को बरकरार रखा है। इसके अलावा, कंपनी ने समय-समय पर अपने कर्मचारियों को वीआरएस का प्रस्ताव किया है, जिसके परिणामस्वरूप, 1 अक्टूबर 2021 को कार्मिकों की संख्या घटकर 171 हो गई है। एसटीसी ने व्यावसायिक गतिविधि करना बंद कर दिया है और वर्तमान में एक गैर-ऑपरेटिव कंपनी के रूप में जारी है।

2019-20, 2020-21 और अप्रैल-जून 2021 के दौरान एसटीसी का समग्र प्रदर्शन बनाम पिछले वर्ष की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में नीचे दी गई है:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

मद	वास्तविक	वास्तविक	अलेखापरीक्षित	
	2019-20	2020-21	अप्रैल-जून 2020	अप्रैल-जून 2021
निर्यात	11	शून्य	शून्य	शून्य
आयात	2536	12	शून्य	शून्य
घरेलू	383	235	195	शून्य
कुल बिक्री	2930	247	194	शून्य
कर पूर्व लाभ	(113.63)	(51.23)	(6.79)	(6.35)

(च) मसाला व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसीएल)

(i) पृष्ठभूमि

- ♦ अक्टूबर 1982 – इलायची व्यापार निगम लिमिटेड के रूप में निगमित, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
- ♦ अगस्त 1987 – “स्पाइसेस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड”

के रूप में पुनर्नामित किया गया।

- ◆ सितंबर 1999 – द एसटीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी बनी।
- ◆ अगस्त 2004 – “एसटीसीएल लिमिटेड” के रूप में पुनर्नामित

(ii) शेयर पूंजी

- ◆ अधिकृत शेयर पूंजी – रु. 5 करोड़
- ◆ चुकता शेयर पूंजी – रु. 1.5 करोड़ (पूरी चुकता पूंजी एसटीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास है)
- ◆ निवल मूल्य: 31 मार्च 2021 को (– रु. 4564.31) करोड़

(iii) कार्य

एसटीसीएल को बंद करने के संबंध में दिनांक 13.08.2013 को आयोजित की गई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के पश्चात्, कंपनी ने वर्ष 2014–15 से सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर दिया था। वर्तमान में कंपनी अपने व्यापार सहयोगियों से बकाया राशि की वसूली के लिए मध्यस्थता मामलों सहित विभिन्न कानूनी मामलों का अनुसरण कर रही है और अन्य सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है।

10. निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)

भारत सरकार द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) का गठन, निर्यात नियंत्रण तथा प्रेषण पूर्व निरीक्षण तथा इससे संबंधित मामलों के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार का बेहतर विकास सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। निर्यात निरीक्षण परिषद, जीसों की अधिसूचना के लिए केंद्रीय सरकार का एक सलाहकार निकाय है जो निर्यात से पहले गुणवत्ता नियंत्रण और/या निरीक्षण, ऐसी अधिसूचित वस्तुओं के लिए गुणवत्ताक मानक स्थापित करने और ऐसी वस्तुओं के मामले में लागू किए जाने वाले गुणवत्ता नियंत्रण और/या निरीक्षण के प्रकार को निर्दिष्ट करने के अध्यक्षीन होंगी।

ईआईसी, भारत का आधिकारिक निर्यात प्रमाणन निकाय होने के साथ-साथ अधिसूचित वस्तुओं के लिए सक्षम प्राधिकरण है जो भारत से निर्यात किए जाने वाले खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ईआईसी की प्रमुख भूमिका,

आयातक देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात किए गए उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह आश्वासन अधिनियम की धारा 7 के तहत स्थापित इसकी क्षेत्रीय एजेंसियों, निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (ईआईए) द्वारा खेप-वार निरीक्षण प्रणाली अथवा गुणवत्ता आश्वासन/खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणन के माध्यम से प्रदान किया जाता है। पूरे भारत में 24 उप कार्यालयों, जिनमें एनएबीएल द्वारा आईएसओ 17025 के अनुसार प्रत्यायित अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थित हैं, के नेटवर्क सहित मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, चेन्नई और दिल्ली में ईआईए के मुख्यालय स्थित हैं।

ईआईसी के अधिदेश के तहत अधिसूचित वस्तुएं पशु केंसिंग, काली मिर्च, बासमती चावल, गैर-बासमती चावल (यूरोपीय संघ के निर्यात हेतु), काली मिर्च, क्रशड बोन्स, ओस्सीन और जिलेटिन, अंडा और अंडा उत्पाद, फीड एडिटिव्स और प्रीमिक्सचर, मछली और मछली उत्पाद, ताजा कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पाद, फल एवं सब्जी उत्पाद, शहद, दूध और दुग्ध उत्पाद, मूंगफली और मूंगफली उत्पाद (यूरोपीय संघ और मलेशिया) हैं। ईआईसी की स्वैच्छिक प्रमाणन स्कीम के तहत इन उत्पादों के अतिरिक्त अन्य उत्पादों के लिए प्रमाणन किया जाता है जो अधिसूचित नहीं हैं। निर्यात प्रमाणन, ईआईसी की फील्ड निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (ईआईए) द्वारा किया जाता है और यह दो प्रणालियों नामतः खेप-वार निरीक्षण (सीडब्ल्यूआई) प्रणालियों और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन आधारित प्रमाणन प्रणाली (एफएसएमएससी) पर आधारित होता है जो एचएसीसीपी पर आधारित होता है। ये प्रणालियां इस प्रकार तैयार की गई हैं जिससे आयातक देश की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित हो। ईआईसी प्रमाणन वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जाता है। यह भारत के विभिन्न व्यापारिक साझेदारों द्वारा मान्यता प्राप्त है जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई अन्य आयातक देश शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा विनियमन और प्रमाणन की परिवर्तनशील गतिकी के इस युग में, ईआईसी ने दुनियाभर से अपने व्यापार साझेदारों में विश्वास बनाने के लिए अपनी भूमिका और प्रकार्यों में रूपांतरण किया है। ईआईसी, खाद्य सुरक्षा घटनाओं की बढ़ती व्यापकता के साथ ही आयातक देशों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यातक भाईचारे सहित हितधारकों को विकसित करने में महत्वपूर्ण रहा है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) समझौतों के बाद अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि और मांग में वृद्धि होने से खाद्य का वैश्विक व्यापार का महत्व काफी अधिक बढ़ रहा है। स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) चुनौतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने और वैश्विक खाद्य व्यापार में गैर-टैरिफ उपायों से उत्पन्न इन चुनौतियों से निपटने के लिए तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। ईआईसी, तुल्यता और मान्यता के सभी संभावित अवसरों का दोहन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आयातक देशों के प्रतिनिधि मंडल आधिकारिक नियंत्रण और जोखिम नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन करते हैं।

ईआईसी यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्यातकों के हित सुरक्षित हैं, हमेशा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक निर्धारित करने और सुझाव उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होता है। ईआईसी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली अपनाई है और यह आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित है।

(i) ईआईसी की प्रमुख गतिविधियाँ

- ◆ आयातक देशों के मानकों के अनुसार निर्यात के लिए वस्तुओं की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर आधारित प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों का अनुमोदन;
- ◆ निर्दिष्ट विनिर्देशनों के अनुसार निर्यातित वस्तु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खेप वार निरीक्षण (सीडब्ल्यूआई) पर आधारित प्री-शिपमेंट निरीक्षण और प्रमाणन;
- ◆ विभिन्न अधिमान्य प्रशुल्क स्कीमों के तहत निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के लिए अधिमान्य उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करना;
- ◆ निर्यात प्रमाणन स्कीमों के तहत विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्रों, अर्थात्, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, प्रामाणिकता प्रमाणपत्र, गैर-जीएमओ प्रमाणपत्र आदि जारी करना;
- ◆ निरीक्षण एजेंसियों और प्रयोगशालाओं को मान्यता;
- ◆ आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुसार अवशेष निगरानी स्कीमएं;
- ◆ गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्रों में

उद्योग और अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण;

- ◆ डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों द्वारा टीबीटी अधिसूचना और भारत के व्यापार पर उनके प्रभाव की निगरानी।

(ii) हमारा विजन

एक विश्वसनीय और कुशल निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली के माध्यम से भारतीय निर्यात के लिए दुनिया भर में पहुंच को आसान बनाना और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करने के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा प्रमाणित करने के लिए भारत के प्रमुख संगठन के रूप में वैश्विक ख्याति अर्जित करना।

(iii) हमारा मिशन

- ◆ विश्व व्यापार संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रमाणन प्राधिकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर देश के भीतर एक निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन अवसंरचना तैयार करना;
- ◆ आयातकों में भारतीय निर्यात की गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे में विश्वास पैदा करना;
- ◆ चयनित सीमांत क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना;
- ◆ समकक्षता समझौतों के माध्यम से हमारे प्रमुख व्यापारिक भागीदारों से ईआईसी की निर्यात प्रमाणन प्रणाली के लिए मान्यता प्राप्त करना;
- ◆ अंतरराष्ट्रीय मंच में भाग लेना और भारतीय हितों की रक्षा करना;
- ◆ अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से जनशक्ति की क्षमता बढ़ाना।

(iv) विदेश व्यापार नीति और एग्जिम व्यापार

चूंकि ईआईसी का विजन, एक विश्वसनीय और कुशल निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली के माध्यम से भारतीय निर्यात के लिए विश्वव्यापी पहुंच सुगम बनाना और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करने के लिए गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रमाणित करने के लिए भारत के प्रमुख संगठन के रूप में वैश्विक ख्याति अर्जित करना है, इसका उद्देश्य आयातकों के साथ-साथ आयातक देशों के प्राधिकारियों में विश्वास स्थापित करना है ताकि भारतीय उत्पादों को लगातार वैश्विक स्वीकृति मिले।

ईआईसी ने आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुसार, खाद्य मर्दों के निरीक्षण, जांच और प्रमाणन के क्षेत्र में पांच दशक से अधिक के अनुभव से, ईआईसी ने मजबूत प्रमाणन प्रणाली विकसित कर ली है। ईआईसी, सीमा पर किए जाने वाले अनेक निरीक्षणों से बचने और अंततः व्यापार को सुगम बनाने के लिए प्रमुख

व्यापार साझेदारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)/परस्पर मान्यता समझौते (एमआरए)/समतुल्यता समझौते/मान्यता/सहयोग समझौते प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

ईआईसी के निम्नलिखित व्यापारिक साझेदारों के साथ

समतुल्यता समझौते/मान्यताएं/ सहयोग समझौते हैं:

क्र.सं.	देश	विवरण	हस्ताक्षरित
1	अमेरिका	संयुक्त राज्य फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यूएसएफडीए) द्वारा काली मिर्च।	20.04.1988
2	यूरोपीय संघ	यूरोपीय आयोग द्वारा मछली और मत्स्य उत्पाद।	23.12.1997
3	श्रीलंका	श्रीलंका मानक संस्थान की आयात निरीक्षण स्कीम के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद के निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली की मान्यता के लिए समझौता।	26.12.2002
4	कोरिया	विभिन्न खाद्य उत्पादों के लिए कोरिया फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (केएफडीए) द्वारा उनके अनुमोदित विदेशी अधिकृत निरीक्षण संगठन स्कीम के तहत मान्यता जिसमें फ्रोजन समुद्री उत्पाद, जैम, परिरक्षित सामान, सॉस, चीनी सिरप, खाद्य तेल और वसा आदि शामिल हैं।	30.12.2003
5	जापान	कुक्कुट मांस और उसके उत्पादों के लिए जापान स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा मान्यता।	19.10.2005
6	यूरोपीय संघ	बासमती चावल की प्रामाणिकता के प्रमाण पत्र के लिए यूरोपीय आयोग।	29.06.2006
7	चीन	निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वालिटी सुपरविजन, इंस्पेक्शन एंड क्वारंटीन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाईना (एक्यूएसआईक्यू) के बीच लौह अयस्क के निरीक्षण पर सहयोग का समझौता।	21.11.2006
8	एफएसवीपीएस	फेडरल सर्विस फॉर वेटरनरी एंड फाइटोसैनिटरी सर्विलांस (इसके बाबाद एफएसवीपीएस) और एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया (भारत काका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) (इसके बाबाद ईआईसी) के बीच हुई चर्चा संबंधी प्रोटोकॉल।	28.07.2009
9	थाईलैंड	थाईलैंड सरकार द्वारा ईआईसी प्रमाणन की मान्यता।	31.06.2012
10	चीन	भारत गणराज्य के समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वालिटी सुपरविजन, इंस्पेक्शन एंड क्वारंटीन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाईना के बीच मत्स्य उत्पादों के आयात और निर्यात व्यापार से संबंधित सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू)।	20.05.2013
11	भूटान	भूटान कृषि और खाद्य नियामक प्राधिकरण की आयात निरीक्षण स्कीम के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद के निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली की मान्यता के लिए समझौता।	27.09.2013
12	अमेरीका	भारत के निर्यात निरीक्षण परिषद, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और दी यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमैन सर्विसेज के बीच समझौता ज्ञापन।	23.03.2015
13	चीन	भारतीय रेपसीड भोजन के आयात पर स्वास्थ्य और सुरक्षा विनियमों के लिए भारत गणराज्य के निर्यात निरीक्षण परिषद, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वालिटी सुपरविजन, इंस्पेक्शन एंड क्वारंटीन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाईना के बीच प्रोटोकॉल।	15.05.2015
14	रसियन फेडरेशन / कस्टम यूनियन	भारत गणराज्य से रूसी संघ को तैयार डेयरी उत्पादों की सुरक्षा आपूर्ति सुनिश्चित करने पर रूसी भ. रतीय प्रोटोकॉल।	09.08.2016
15	चीन	चीन जनवादी गणराज्य के दी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स और भारत गणराज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के निर्यात निरीक्षण परिषद के बीच भारत से चीन को मछली भोजन/मछली के तेल के निर्यात के लिए स्वच्छता और निरीक्षण आवश्यकताओं के संबंध में प्रोटोकॉल।	28.11.2018

क्र.सं.	देश	विवरण	हस्ताक्षरित
16	नीदरलैंड	भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की निर्यात निरीक्षण परिषद और दी नीदरलैंड फूड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी आथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्र ऑफ एग्रीकल्चर, नेचर एण्ड फूड क्वालिटी ऑफ दी किंगडम ऑफ नीदरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन।	28.03.2019
17	चीन	जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स, चीन जनवादी गणराज्य और निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआ. ईसी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के बीच भारतीय मिर्च स्पेंट के आयात पर स्वच्छता और फाइटोसेनिटरी विनियमों का प्रोटोकॉल।	09.05.2019

ईआईसी ने भारत सरकार द्वारा व्यापार करने में आसानी और डिजिटल इंडिया के संबंध में की गई पहलों को पूरा करने के लिए विशिष्ट उद्देश्य से अपने संसाधनों और सेवा की गुणवत्ता में परिवर्तन किया है जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य वस्तुओं के निर्यात बनाम अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। ईआईसी अवसंरचना के निर्माण, कौशल उन्नयन, तकनीकी क्षमता और विश्लेषणात्मक क्षमता में अन्य हितधारकों, जैसे अन्य प्रचार बोर्डों, निर्यातकों, आयातक देशों के प्राधिकरणों, उद्योग संघों, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। ईआईसी, विकसित देशों द्वारा प्रभारित एसपीएस उपायों

से संबंधित किसी भी भावी चुनौती का सामना करने के लिए अपनी क्षमता में सक्रिय तौर पर विकास कर रहा है।

(v) अधिसूचित वस्तुओं की सूची

निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 में केंद्र सरकार को परिषद की सलाह पर भारत से व्यापार की सुरक्षा की अपेक्षाओं के आधार पर, निर्यात के लिए अपने मानक के साथ-साथ वस्तुओं को अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है। अधिनियम के तहत अधिसूचित विभिन्न वस्तुएं नीचे तालिका में दर्शाई गई हैं:

निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत अधिसूचित वस्तुएँ

अधिसूचित वस्तुएं	राजपत्र आदेश/अधिसूचना(एँ)/आदेश
पशु आवरण	आदेश का. आ. 2947 दिनांक 03.11.1997 और अधिसूचना का. आ. 2948 दिनांक 03.11.1997 परिवर्ती संशोधन द्वारा अधिसूचना का. आ. 1315 (अ.) दिनांक 08.6.2012 अधिसूचना का. आ. 6332(अ.) दिनांक 28.11.2018.
बासमती चावल	आदेश का. आ. 67 (अ.) दिनांक 23.01.2003 और अधिसूचना का. आ. 68(अ.) दिनांक 23.01.2003 और परिवर्ती संशोधन द्वारा अधिसूचना का. आ. 1139 दिनांक 15.5.2004, अधिसूचना का.आ. 716 दिनांक 05.3.2005 और अधिसूचना का. आ. 791 (अ.) दिनांक 24.5.2006. का.आ. 136 (अ.) दिनांक 13.01.2016. अधिसूचना का.आ. 6337(अ.) दिनांक 28.11.2018.
काली मिर्च	आदेश का. आ. 245 दिनांक 07.3.1988 और अधिसूचना का. आ. 1311 दिनांक 22.4.1991. अधिसूचना का. आ. 6333(अ.) दिनांक 28.11.2018.
कुचल हड्डी, ओसेन और जिलेटिन	आदेश का. आ. 725 (अ.) दिनांक 03.4.2012 और अधिसूचना का. आ. 726 (अ.) दिनांक 03.4.2012.
अंडा और अंडा उत्पाद	आदेश का. आ. 4368(अ.) और अधिसूचना का.आ. 4369(अ.) दोनों दिनांक 15 सितंबर 2021
फीड योजक और पूर्व मिश्रण	आदेश का. आ. 3523(अ.) और अधिसूचना का.आ. 3524 दोनों दिनांक 28.11.2013. अधिसूचना का.आ. 6339(अ.) दिनांक 28.11.2018.
मछली और मत्स्य उत्पाद	आदेश 729 (अ.) दिनांक 21.8.1995 परिवर्ती संशोधन द्वारा आदेश का. आ. 792 (अ.) दिनांक 17.8.2001, आदेश का. आ. 722 (अ.) दिनांक 10.7.2002, आदेश का. आ. 464 (अ.) दिनांक 24.4.2003, आदेश का. आ. 1227 (अ.) दिनांक 23.10.2003 और आदेश का.आ. 1227 (अ.) दिनांक 31.7.2006 और सिद्धांत अधिसूचना का.आ. 730 (अ.) दिनांक 21.8.1995 और परिवर्ती संशोधन द्वारा अधिसूचना का.आ. 415 (अ.) दिनांक 11.4.2002, अधिसूचना का.आ. 1029(अ.) दिनांक 24.9.2002, अधिसूचना का.आ. 1034 (अ.) दिनांक 9.9.2003, और अधिसूचना का. आ. 717 दिनांक 25.02.2005, अधिसूचना का.आ. 612 दिनांक 15.02.2007, अधिसूचना का.आ. 1519 (अ.) दिनांक 16.6.2008, अधिसूचना का. आ. 2714(अ.) दिनांक 28.10.2009, अधिसूचना का.आ. 143 (अ.) दिनांक 21.01.2011 और अधिसूचना का.आ. 497 (अ.) दिनांक 10.3.2011. अधिसूचना का.आ. 6341(अ.) दिनांक 28.11.2018.

अधिसूचित वस्तुएं	राजपत्र आदेश/अधिसूचना(ए)/आदेश
ताजा कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पाद	आदेश का.आ. 1377(अ.) दिनांक 30.12.2002 और अधिसूचना का.आ. 1378(अ.) दिनांक 30.12.2002 और परिवर्ती संशोधन द्वारा अधिसूचना का.आ. 719 दिनांक 25.02.2005 और अधिसूचना का.आ. 1517 दिनांक 16.6.2008.
फल और सब्जी उत्पाद	आदेश का.आ. 3352(अ.) और का.आ. 3353(अ.) दोनों दिनांक 28.10.2016. अधिसूचना का.आ. 6338(अ.) दिनांक 28.11.2018.
शहद	आदेश सं. का.आ. 276 (अ.) दिनांक 04.03.2002 और अधिसूचना का.आ. 277 (अ.) दिनांक 04.03.2002 और परिवर्ती संशोधन द्वारा अधिसूचना का.आ. 1444 दिनांक 19.12.2003, अधिसूचना का.आ. 1245 दिनांक 14.05.2004 और अधिसूचना का.आ. 1581 दिनांक 16.06.2008. अधिसूचना का.आ. 6336(अ.) दिनांक 28.11.2018.
दूध और दूध उत्पाद	आदेश का.आ. 4031(अ.) और अधिसूचना का.आ. 4032(अ.) दोनों दिनांक 9 नवंबर, 2020.
मूंगफली और मूंगफली उत्पाद	डीओसी पत्र दिनांक 16 मई 2013.
कच्चा मांस (टंडा/जमे हुए)	आदेश का.आ. 203 दिनांक 15.01.1993 और अधिसूचना का.आ. 204 दिनांक 15.01.1993 और परिवर्ती संशोधन द्वारा अधिसूचना का.आ. 205 दिनांक 25.01.1993, अधिसूचना का.आ. 1989 दिनांक 03.9.1993 और का.आ. 2221 दिनांक 04.10.1993. अधिसूचना का.आ. 6335(अ.) दिनांक 28.11.2018.
गैर-बासमती चावल	डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 29/2015-2020 दिनांक 04.11.2019.

भारत सरकार की सलाहकार संस्था, निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) ने देश की सेवा के 57 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। प्रमुख उपलब्धियां मजबूत नेतृत्व, प्रतिबद्ध और प्रेरित कर्मचारियों और सभी संबंधित हितधारकों के समर्थन का साझा प्रयास हैं।

निर्यातकों के बीच अच्छे व्यापार व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए, ईआईसी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और निर्यातकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता है। ईआईसी, भारत से सुरक्षित और स्वस्थ निर्यात से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण हितधारक रहा है।

(vi) वाणिज्य उत्सव मनाना

ईआईसी ने 23 से 25 सितंबर 2021 तक वाणिज्य उत्सव मनाया, जिसका विषय वाणिज्य उत्सव: आजादी का अमृत महोत्सव, भारत / 75!! था। इस कार्यक्रम का आयोजन, वाणिज्य विभाग द्वारा भारत की आजादी के 75 गौरवशाली वर्षों के अवसर के स्मरणोत्सव में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वाणिज्य सप्ताह (20 से 26 सितंबर 2021 तक सप्ताह) के एक भाग के रूप में किया गया था। इन तीन दिनों के दौरान, ईआईसी द्वारा अखिल भारतीय आधार पर निर्यातकों के लिए वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिनमें भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया। ईआईसी द्वारा आयोजित किए गए पांच वेबिनार में निर्यातकों और हितधारकों की भारी भागीदारी देखी गई और 23 से 25 सितंबर 2021 तक लगभग 3,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(vii) ईआईए चेन्नई उप-कार्यालय विशाखापत्तनम का नया कार्यालय-सह-प्रयोगशाला परिसर



श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम, आईएस, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ईआईए-चेन्नई, उप कार्यालय-विशाखापत्तनम के नए कार्यालय-सह-प्रयोगशाला परिसर का उद्घाटन।

श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम, आईएएस, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, आईएएस, संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और निदेशक, ईआईसी की उपस्थिति में 24 सितंबर 2021 को निर्यात निरीक्षण एजेंसी—चेन्नई, उप कार्यालय—विशाखापत्तनम के नए कार्यालय—सह—प्रयोगशाला परिसर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों में श्री के.एस. श्रीनिवास, आईएएस, अध्यक्ष, एमपीईडीए और डॉ. एम. अंगमुथु, आईएएस, अध्यक्ष, एपीडा उपस्थित थे। इस सुविधा की स्थापना के साथ, क्षेत्र के निर्यातक चेन्नई जैसे अन्य दूर के स्थानों पर नमूने भेजने के बजाय विशाखापत्तनम में नमूनों का परीक्षण कर सकेंगे। इससे निर्यातकों के समय और लागत की बचत होगी और क्षेत्र से निर्यात में आसानी होगी।

(vii) ईआईए चेन्नई उप—कार्यालय विशाखापत्तनम का नया कार्यालय—सह—प्रयोगशाला परिसर

श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम, आईएएस, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, आईएएस, संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और निदेशक, ईआईसी की उपस्थिति में 24 सितंबर 2021 को निर्यात निरीक्षण एजेंसी—चेन्नई, उप कार्यालय—विशाखापत्तनम के नए कार्यालय—सह—प्रयोगशाला परिसर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों में श्री के.एस. श्रीनिवास, आईएएस, अध्यक्ष, एमपीईडीए और डॉ. एम. अंगमुथु, आईएएस, अध्यक्ष, एपीडा उपस्थित थे। इस सुविधा की स्थापना के साथ, क्षेत्र के निर्यातक चेन्नई जैसे अन्य दूर के स्थानों पर नमूने भेजने के बजाय विशाखापत्तनम में नमूनों का परीक्षण कर सकेंगे। इससे निर्यातकों के समय और लागत की बचत होगी और क्षेत्र से निर्यात में आसानी होगी।

(viii) सीडब्ल्यूआई के तहत टेबल अंडे को शामिल करना और अंडा और अंडा उत्पादों को प्रमाणित करने के प्रावधान

ईआईसी अधिसूचित वस्तुओं के लिए मौजूदा आदेश और अधिसूचनाओं के संशोधन पर काम कर रहा है। इस संबंध में, दिनांक 15 सितंबर 2021 के एस.ओ. 4368(अ.) और एस.ओ. 4369(अ.) में अंडा और अंडा उत्पादों के निर्यात के लिए नए नियम प्रकाशित किए गए हैं। अब, ताजा अंडे भी नए नियमों के तहत शामिल हैं और गैर यूरोपीय संघ देशों को अंडे और अंडे उत्पादों के निर्यात के लिए खेप—वार निरीक्षण (सीडब्ल्यूआई)

के प्रावधान को शामिल किया गया है जिससे छोटे व्यापारियों और व्यापारी निर्यातकों द्वारा टेबल अंडे और अंडा उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

(ix) भारत से यूरोपीय संघ को समग्र उत्पादों का निर्यात

ईआईसी ने मिश्रित उत्पादों, जिसमें डेयरी और कुक्कुट मांस शामिल हैं, के निर्यात का मामला यूरोपीय संघ के साथ उठाया है और अंत में, ईसी ने परिषद निर्देशक 93/23/ईसी के अनुच्छेद 29 के अनुसार तीसरे देशों द्वारा प्रस्तुत स्कीमों का अनुमोदन करने पर निर्णय 2011/163/ईयू में संशोधन करते हुए दिनांक 17.05.2021 के निर्णय (ईयू) 2021/880 को लागू करने के आयोग के निर्णय के बारे में सूचित किया है। चूंकि ईआईसी ने केवल सदस्य राज्यों या तीसरे देशों से आने वाले डेयरी उत्पादों का उपयोग करने की गारंटी प्रदान की है, जिन्हें ऐसे उत्पादों को यूरोपीय संघ को निर्यात करने के लिए अनुमोदन दिया गया है, जिन्हें यूरोपीय संघ को निर्यात करने हेतु मिश्रित उत्पादों में शामिल किया जाएगा। तदनुसार, भारत को डेयरी उत्पादों और कुक्कुट उत्पादों के लिए पाद टिप्पणी के साथ अनुबंध के तहत अद्यतन किया गया है" अनुच्छेद 2 के अनुसार, यूरोपीय संघ को ऐसे कच्चे माल के आयात के लिए अनुमोदित केवल सदस्य देशों अथवा अन्य तृतीय देशों से कच्चे माल का उपयोग, यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने वाले कंपोजिट उत्पाद बनाने के प्रस्कीमर्थ करने वाले तृतीय देश।

(x) ईआईए कोच्चि का खाद्य और कृषि वस्तुओं के लिए आनुवंशिक संशोधित जीव (जीएमओ) के लिए प्रवीणता परीक्षण प्रदाता (पीटीपी) के रूप में प्रत्यायन

निर्यात निरीक्षण एजेंसी—कोच्चि, पीटीपी को एनएबीएल द्वारा आईएसओ/आईसी 17043:2010 के अनुपालन में खाद्य और कृषि वस्तुओं (जैविक) के लिए आनुवंशिक संशोधित जीव (जीएमओ) के लिए पीटी प्रदाता के रूप में प्रत्यायित किया गया है। ईआईए—कोच्चि, प्रवीणता परीक्षण प्रदाता (पीटीपी), आईएसओ/आईसी 17043:2010 के अनुपालन में राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (जीएमओ) के लिए भारत में पहला और एकमात्र प्रत्यायित पीटी प्रदाता है। प्रत्यायन के दायरे में दो जीएम तत्वों बंडट 3डै प्रमोटर और एनओएस टर्मिनेटर वाले खाद्य और कृषि उत्पाद कवर हैं।



वर्चुअल मोड के माध्यम से 4-8 अक्टूबर 2021 के दौरान "एफएओ जैव सुरक्षा परिसकीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रशिक्षण" आयोजित किया गया।

(xi) खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) जैव सुरक्षा परियोजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रशिक्षण

निर्यात निरीक्षण परिषद, खाद्य और कृषि संगठन, पर्यावरण मंत्रालय, श्री लंका सरकार और बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (बीसीआईएल) द्वारा संयुक्त रूप से 4 से 8 अक्टूबर 2021 के दौरान वर्चुअल मोड में "आनुवंशिक संशोधित जीवों (जीएमओ)/ जीवित संशोधित जीवों (एलएमओ) का पता लगाना" पर श्रीलंका की "एफएओ जैव सुरक्षा परिसकीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रशिक्षण" आयोजित किया गया था। इस पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण एजेंसियों के अधिकारियों ने विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया। कार्यक्रम के प्रतिभागियों में श्रीलंका सरकार द्वारा तीन प्रयोगशालाओं अर्थात कृषि जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, पेराडेनिया विश्वविद्यालय; नेशनल प्लांट क्वारंटीन सर्विसेस (एनपीक्यूएस), कटुनायके और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलंबो और श्रीलंकाई मान्यता बोर्ड से नामित प्रतिनिधि शामिल थे। निर्यात निरीक्षण एजेंसी के अधिकारियों द्वारा विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए गए थे जिनमें खाद्य वस्तुओं में जीएमओ/एलएमओ का पता लगाने में शामिल आधुनिक उपकरणों और तकनीकों पर बल दिया गया था।

ईआईसी में एक सतर्कता अनुभाग है जिसके अध्यक्ष, मुख्य

सतर्कता अधिकारी हैं और शिकायतों का निपटान केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। ईआईसी और ईआईए, प्रत्येक वर्ष, सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाते हैं। इसके अलावा, ईआईसी और ईआईए पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआई अधिनियम 2005) की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

11. लॉजिस्टिक क्षेत्र

लॉजिस्टिक्स प्रभाग का सृजन, कार्य व्यापार नियम में संशोधन करते हुए देश में लॉजिस्टिक क्षेत्र के समेकित विकास और लॉजिस्टिक लागत में कटौती करने के अधिदेश के साथ जुलाई 2017 में किया गया है। उक्त अधिदेश के लिए, यह प्रभाग, फ्रेट लॉजिस्टिक्स में विनियामक, अवसंरचनात्मक या सेवा संबंधी बाधाओं का पता लगाने तथा उद्योग-जगत को संबद्ध करके और अंतर-मंत्रालयीय समन्वय, कार्यनिष्पादन और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना और सेवाओं की दक्षता की निगरानी, अंतर-साधन के संवर्धन के लिए अवसंरचना और नीति/विनियामक हस्तक्षेपों की एक समेकित प्रणाली के सेवा सृजन और विभिन्न पद्धतियों में कौशल अंतरालों की पहचान करने का कार्य कर रहा है। यह प्रभाग लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला में डिजिटलीकरण को अपनाए जाने को बढ़ावा दे रहा है और उसके लिए प्रोत्साहित कर

रहा है। 13 अक्टूबर 2021 को, माननीय प्रधान मंत्री ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्घाटन किया, जिसके बाद, सीसीईए ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा पीएम गति शक्ति पर 21 अक्टूबर 2021 को प्रस्तुत किए कैबिनेट नोट को मंजूरी दे दी। इसके बाद, मंत्रिमंडल सचिवालय की दिनांक 10 नवंबर 2021 की अधिसूचना के माध्यम से, लॉजिस्टिक क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए अधिदेश, डीपीआईआईटी को आवंटित किया गया है और लॉजिस्टिक विभाग को डीपीआईआईटी को हस्तांतरित कर दिया गया है।

प्रमुख उपलब्धियां

प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

(i) एकीकृत नीति और विनायमक ढांचा

♦ **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति:** सभी केंद्रीय मंत्रालयों के साथ आपूर्ति और मांग पक्ष पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति बनाई गई है और इसमें लॉजिस्टिक्स दक्षता में वैश्विक मानकों की बराबरी करने और उनमें सुधार करने के मुख्य उद्देश्य से और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने के लिए विशिष्ट कार्रवाई बिंदु परिभाषित करते हुए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है। नीति पर विशिष्ट कार्रवाई योग्य मदों के साथ 75-सूत्री राष्ट्रीय लॉजिस्टिक सुधार कार्य स्कीम भी तैयार की गई है। संशोधित नीति, अनुमोदन के अंतिम चरण में है। नीति का लक्ष्य, अगले 5 वर्षों में लॉजिस्टिक्स की लागत को लगभग 5 प्रतिशत तक कम करना, प्रमुख वैश्विक लॉजिस्टिक्स-संबंधित प्रदर्शन सूचकांकों में शीर्ष 25 में रैंकिंग प्राप्त करना और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार लॉजिस्टिक्स को प्रोत्साहित करना है।

♦ **टर्मिनलों और लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास के लिए ढांचागत दिशानिर्देश (टर्मिनलों और लॉजिस्टिक पार्कों का राष्ट्रीय ग्रिड):** समुचित अंतर-मंत्रालयी परामर्श प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया जिसमें टर्मिनल विकास और उनके इष्टतम क्षमता उपयोग में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं और विशेष उपयोग, मानक, स्थान प्रतिबंध, आदि जैसे

प्रमुख मुद्दों को संबोधित किया गया है। वर्तमान में, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के हिस्से के रूप में शामिल करने के लिए इसकी समीक्षा की जा रही है।

♦ **पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान:** अक्टूबर 2021 में आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया गया है जो एक ऐसी एकीकृत स्कीम है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अलग-अलग हस्तक्षेप को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ समग्र रूप से एकीकृत करने के लिए एक जीआईएस प्लेटफॉर्म पर आर्थिक क्षेत्रों और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को दर्शाया गया है और परिस्कीमों की स्कीम, संचालन और निगरानी के लिए समन्वित आईटी सक्षम मानचित्र आधारित एप्रोच दी गई है। 30 अक्टूबर 2021 को सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) अधिसूचित किया गया है और नेटवर्क स्कीम समूह (एनपीजी) कार्यात्मक बनाया गया है और उनकी पहली बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। विषय विशेषज्ञों के साथ-साथ मंत्रालयों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के साथ तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू) का गठन किया जा रहा है। बीआईएसएजी-एन द्वारा प्रशिक्षण कार्यशालाएं पूरी हो गई हैं। वर्तमान में, राष्ट्रीय मास्टर प्लान में राज्यों को शामिल करने के लिए पीएम गति शक्ति पर राज्यों के क्षेत्रीय सम्मेलन नवंबर 2021 से जनवरी 2022 तक चल रहे हैं, जिसके बाद जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक राज्यों को राष्ट्रीय मास्टर प्लान में शामिल करने और उनकी क्षमता निर्माण के लिए राज्य सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बीआईएसएजी-एन द्वारा विकसित किए जा रहे जीआईएस प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अप्रैल 2022 तक पूरा होने और शुरू किए जाने की आशा है।

♦ **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक कानून:** वर्तमान में, विभिन्न तरीकों से माल की ढुलाई विभिन्न कानूनों द्वारा शासित है, जिसके परिणामस्वरूप नियामक वातावरण का विखंडन हुआ है, एकाधिक शासी निकाय विद्यमान हैं, प्रक्रियाएं जटिल हैं और संबंधित कानूनों के तहत अलग-अलग दस्तावेज अपेक्षाएं और देनदारियां हैं, जिससे लॉजिस्टिक परिसंपत्तियों का क्षमता से कम प्रदर्शन और उपयोग हुआ है। विभिन्न तरीकों से माल की ढुलाई के लिए नियामक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए, एक व्यापक

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक कानून से क्रॉस-सेक्टरल, बहु-अधिकारक्षेत्रीय, और मल्टीमॉडल समन्वय, साझेदारी और सेवाओं में वृद्धि होगी और नियामक निश्चितता सुनिश्चित होगी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक कानून का मसौदा तैयार है और इसे अंतिम रूप देने के लिए संबंधित मंत्रालयों की अंतर-विभागीय समिति का गठन कर लिया गया है।

- ♦ विश्व बैंक द्वारा प्रत्येक दो वर्षों में जारी किया जाने वाला लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई), विभिन्न देशों के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रयुक्त सबसे व्यापक संदर्भित रिपोर्टों में से एक है। सूचकांक में, भारत 2018 में 160 देशों में से 44 वें स्थान पर था, जबकि 2014 में 54वें स्थान पर था (अब तक का सबसे हालिया अध्ययन 2018 में किया गया है)।

(ii) डिजिटल परिवर्तन

- ♦ **एलपीपीटी:** लॉजिस्टिक्स प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल (LPPT), जिसे विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों, सरकारी एजेंसियों और निजी संस्थाओं द्वारा उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो सभी लॉजिस्टिक कार्यों के लिए एक व्यापक भू-विश्लेषण-आधारित स्कीम और निगरानी उपकरण (monitoring tool) के रूप में एक प्रबंधित सेवा प्रदाता के माध्यम से विकास के अधीन है। इस उपकरण (जववस) का मुख्य उद्देश्य किसी भी उपयोगकर्ता का समर्थन करना है: परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से ओ-डी जोड़े (O&D Pairs) के आधार पर वस्तुओं (कोयला, सीमेंट, खाद्यान्न, उर्वरक, स्टील, लौह अयस्क आदि) की (घरेलू) आवाजाही की पहचान (सड़क, रेल, वायु, तटीय नौवहन और जलमार्ग), देश के भीतर मौजूदा और आगामी बुनियादी सुविधाओं (रसद या लॉजिस्टिक पार्क, गोदाम और टर्मिनल) और परिवहन हब (हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन आदि) की स्थिति की निगरानी, कनेक्टिविटी की पहचान सभी बुनियादी सुविधाओं और परिवहन हब और औसत भीड़ के साथ डेटा का समर्थन, पहले मील – अंतिम मील कनेक्टिविटी सहित चुनिंदा वस्तुओं के लिए परिवहन की अनुमानित अवधि और लागत, बुनियादी सुविधाओं और परिवहन केंद्रों पर औसत प्रसंस्करण समय की पहचान और उच्च दृष्टांतर क्षेत्रों की पहचान में सहायता और उपयोगकर्ता ने देश भर में मुद्दों की पहचान की।

- ♦ **यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी):** यूएलआईपी एक एकीकृत नेशनल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म है, जो लाइन मंत्रालयों और पीजीए (आईसीईजीएटीई, ई-वे बिल, एफओआईएस, पीसीएस 1ग, वाहन, सारथी, फास्टैग, आईईसी एयर कार्गो कम्प्युनिटी सिस्टम आदि)की लॉजिस्टिक्स आईटी पहलों को एकीकृत करता है। नीति आयोग की सलाह के अनुसार – यूलिप का विकास एनआईसीडीसी (एनआईसीडीसी) द्वारा किया जा रहा है, जो अपने अंतिम चरण में है और इसे संचालन तथा रखरखाव के लिए रसद विभाग (स्वहपेजपबे कपअपेपवद) को सौंप दिया जाएगा।
- ♦ **स्मार्ट एनफोर्समेंट ऐप:** राज्यों और केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के लिए जोखिम आधारित प्रबंधन डिजिटल सिस्टम, अपराधों (कर, वस्तु, वाहन और सड़क पर व्यवहार से संबंधित) के भौतिक निरीक्षण को कम करने तथा सड़क पर अनुपालन बोझ और देरी को अधिकतम संभव सीमा तक कम करने के लिए। इस अवधारणा का सबूत तैयार है तथा संबंधित केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों के साथ डेटा एकीकरण का अनुसरण किया जा रहा है।
- ♦ **सिक्वोर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज (एसएलडीई):** ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी के आधार पर सभी संबंधित हितधारकों के मध्य डिजिटल रूप से लॉजिस्टिक्स से संबंधित दस्तावेजों के उत्पादन, भंडारण और सुरक्षित एक्सचेंज के लिए एक ऑनलाइन और स्वचालित प्रणाली को लागू करने के लिए एक डिजिटल समाधान। बीटा संस्करण को एचडीएफसी (HDFC), एसबीआई (SBI), आईसीआईसीआई (ICICI) और एक्सिस बैंक सहित बैंकों के साथ उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण के बाद लॉन्च किया गया है। मंच के लिए होस्टिंग आवश्यकताओं पर काम किया जा रहा है।
- ♦ **पीजीएके लिए आयात निकासी प्रणाली:** एक कुशल ऑनलाइन आयात निकासी प्रणाली जो 4 पीजीए – डब्ल्यूसीसीबी, एक्यूसीएस, टीसीओर सीडीएससीओके अधिकारियों को सीमा शुल्क निकासी से संबंधित सभी पृष्ठभूमि / आंतरिक गतिविधियों को ऑनलाइन करने, आयात मंजूरी के लिए जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों को अपनाने की अनुमति देगी। डिजिटल निगरानी और स्थिति की ट्रैकिंग, चेतावनी प्रणाली आदि जो एनओसी जारी करने

के लिए अग्रणी है। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क सिंगल विंडो आयात और निर्यात के लिए एकल इंटरफ़ेस होगा और पूरी प्रणाली को आईसीईजीएटीई के साथ एकीकृत किया जाएगा। एक्जूसीएस के साथ उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण पूरा कर लिया गया है। संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालयों (सीबीआईसी, आईसीईजीएटीई आदि) के साथ डेटा एकीकरण का अनुसरण किया जा रहा है।

- ♦ **जीएचजी कैलकुलेटर:** परिवहन के तरीके के आधार पर प्रति शिपमेंट कार्बन उत्सर्जन डेटा की गणना करने के लिए एक उपकरण। यह पर्यावरणीय लागत सहित जीएचजीउत्सर्जन और परिवहन की कुल लागत के संदर्भ में परिवहन के सबसे टिकाऊ तरीके को चुनने के निर्णय लेने में सहायता करेगा। बीटा (Beta) संस्करण लॉन्च किया गया है, अन्य मोड, उत्सर्जन और वस्तुओं को शामिल करने के लिए मंच के दायरे का विस्तार किया जा रहा है। मंच के लिए होस्टिंग आवश्यकताओं पर भी काम किया जा रहा है।
- ♦ **फ्रेट इंडेक्स (थिमपहीज प्दकमग):** एक तुलनात्मक फ्रेट इंडेक्स तथा सड़क और रेल के बीच माल भाड़ा दरों की तुलना करने के लिए एक ढाँचा। यह भारतीय रेलवे को सर्वोत्तम मूल्य निर्धारण निर्णय लेने और गतिशील माल ढुलाई दरों की ओर बढ़ने में सहायता करेगा – सड़क शुल्क के खिलाफ बेंचमार्किंग फ्रेट (थिमपहीजे) और रेलवे के मोडल शेयर में वृद्धि। इस अवधारणा का प्रमाण विकसित किया गया है। मंच के लिए होस्टिंग आवश्यकताओं पर भी काम किया जा रहा है।
- ♦ **इंडिया लॉजिस्टिक्स की वेबसाइट- logistics.gov. पद:** भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में गतिविधियों के लिए वन स्टॉप पोर्टल, लॉजिस्टिक्स से संबंधित ज्ञान का भंडार, लॉजिस्टिक्स डिवीजन और अन्य परिवहन मंत्रालयों / राज्यों की पहल और फीडबैक के लिए एक मंच है। बीटा संस्करण तैयार है और लॉन्च के लिए तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है।

(iii) राज्यों के साथ जुड़ाव

- ♦ **लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (एलईएडीएस):** लॉजिस्टिक्स डिवीजन रैंकिंग राज्यों द्वारा लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम में सुधार के लिए राज्यों के बीच संघीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उनके

लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के आधार पर सालाना प्रकाशित एक रिपोर्ट पहली बार 2018 में प्रकाशित हुई थी, उस दौरान एक्जिम (EXIM) लॉजिस्टिक्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 2019 की रिपोर्ट डोमेस्टिक और एक्जिम लॉजिस्टिक्स दोनों पर केंद्रित है। लीड्स 2021 अभ्यास सूचकांक निर्माण के लिए धारणा—आधारित संकेतकों के साथ—साथ वस्तुनिष्ठ मापदंडों को लेकर राज्य के घरेलू और एक्जिम लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम का विश्लेषण करने में एक कदम आगे बढ़ गया है। लीड्स रिपोर्ट 2021 एक उद्देश्य मानदंड के आधार पर राज्यों को रैंकिंग प्रदान करती है और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने वाले प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए रसद (लॉजिस्टिक्स) में सुधार के लिए विशिष्ट सिफारिश करती है।

- ♦ **एसएलसी और एसएलसीसी :** कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उस विशेष राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार के लिए विभिन्न केंद्र / राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और बेहतर समन्वय के लिए अपने राज्य लॉजिस्टिक सेल और राज्य रसद समन्वय समिति का गठन किया है। कई राज्यों ने एक एकीकृत राज्य रसद स्कीम भी विकसित की है।
- ♦ **फ्रेट स्मार्ट सिटीज:** शहरी फ्रेट और लॉजिस्टिक्स की दक्षता में सुधार की आवश्यकता पर जोर देने के लिए फ्रेट स्मार्ट सिटीज कॉन्सेप्ट (पहले सिटी लॉजिस्टिक्स) की अवधारणा शुरू की। 2 जुलाई 2021 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों और उद्योग निकायों के 300 से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक राष्ट्रीय स्तर के हितधारक परामर्श “माल ढुलाई स्मार्ट शहरों पर परामर्श बैठक” आयोजित की गई और “शहरी माल ढुलाई प्रणाली को बढ़ाने” पर एक पुस्तिका जो सुधार के उपायों का सुझाव देती है। शहरी भाड़ा जारी किया गया और एक फ्रेट स्मार्ट सिटीज वेबसाइट शुरू की गई। राज्यों से उन शहरों को नामित करने का अनुरोध किया गया है, जिन्हें फ्रेट स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा सकता है।

(iv) अंतरराष्ट्रीय सहयोग

- ♦ **लॉजिस्टिक्स पर भारत-सिंगापुर संयुक्त कार्य समूह:** 2019 में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में डिजिटल समाधान

प्रदान करने जैसे सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के साथ गठित किया गया है, जैसे पोर्ट प्रक्रिया में सुधार: पोर्ट इवैक्यूएशन (म्बंनजपवद) इन्फ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट प्रोसेस और शिकायत निवारण और प्रबंधन, मानकीकरण, देयता व्यवस्था और अन्य तत्व रसद दक्षता के लिए, इंटरमॉडल ट्रांसफर की दक्षता में सुधार – टर्मिनलों पर प्रौद्योगिकी, वेयरहाउसिंग मानकों और स्किलिंग – लॉजिस्टिक्स में व्यक्तियों का प्रशिक्षण: ड्राइवर, हैंडलर आदि।

- ♦ **भारत-जापान संयुक्त कार्य समूह:** भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता (IJIC) साझेदारी के तहत 2020 में गठित, रसद (लॉजिस्टिक्स) में अंतराल और मुद्दों की पहचान करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, रसद मुद्दों को हल करने के उपायों का सुझाव देने और प्रदर्शन और पायलट पर काम करने के उद्देश्य से रसद परिसकीम। लॉजिस्टिक्स पर तीसरा संयुक्त कार्य समूह सितंबर 2021 में आयोजित किया गया था, जिसमें वेयरहाउस पेशेवरों के कौशल निर्माण पर ज्ञान साझा किया गया था। वेयरहाउस काइजेन (ज्ञानप्रमद) प्रैक्टिशनर स्कीम की प्रभावकारिता और लाभों को प्रदर्शित करने के लिए भारत में वेयरहाउसिंग मानकों के लिए भौतिक बुनियादी ढाँचे और सर्वोत्तम पायलट परिसकीम पर सहयोग, रेल परिवहन के लिए एलएनजी उपयोग की संभाव्यता (feasibility), टर्नअराउंड समय में सुधार और कंटेनरों की दृश्यता पर चर्चा की गई। दोनों पक्ष एक सुगम द्विपक्षीय व्यापार की दिशा में सहयोग करने के लिए कंटेनर आवाजाही पर अतिरिक्त जानकारी साझा करने पर सहमत हुए।

12. नेशनल एक्सपोर्ट इन्सुरेंस अकाउंट (एनईआईए) ट्रस्ट

भारत सरकार ने रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के भारत से परिसकीम निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2006 में एनईआईए ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट की स्थापना 66 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष के साथ की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार से प्राप्त 3,091 करोड़ रुपये के योगदान के साथ, कॉर्पस (corpus) बढ़कर 4,959.09 करोड़ रुपये (30 नवंबर 2021 तक) हो गया है।

एनईआईए के तहत शामिल प्रमुख क्षेत्र निर्माण, इंजीनियरिंग सामानों की आपूर्ति, जल उपचार संयंत्र, विद्युत पारेषण (transmission) और वितरण परिसकीमएं आदि हैं, जबकि

कवर किए गए प्रमुख देशों में श्रीलंका, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, तंजानिया, सेनेगल, ईरान, मालदीव, कोटे शामिल हैं। डी'आइवर, घाना, कैमरून, सूरीनाम और मॉरिटानिया। सफल परिसकीम निर्यात विदेशों में परिसकीमों को क्रियान्वित करने में भारत की क्षमता पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। एनईआईए परिसकीम निर्यात के लिए अपने कवर के माध्यम से भारतीय परिसकीम निर्यातकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और राष्ट्रीय रणनीतिक हित के क्षेत्रों में एक मजबूत पैर जमाने में सहायता करता है। सफल परिसकीम निर्यात विदेशों में परिसकीमों को क्रियान्वित करने में भारत की क्षमता पर निरंतर प्रभाव डालने में सक्षम बनाता है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)ने 29 सितंबर 2021 को आयोजित अपनी बैठक में एनईआईए ट्रस्ट के लिए कॉर्पस प्रतिबद्धता को 4,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,741 करोड़ रुपये कर दिया और 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 1,650 करोड़ रुपये के निवेश को मजूरी दी।

वित्त वर्ष 2020-21 में, एनईआईए ट्रस्ट ने 38 परिसकीमों के लिए 1,912.22 करोड़ रुपये के कवर मूल्य के साथ 47 कवर जारी किए हैं, जिसमें 19 देशों में 2,621.22 करोड़ रुपये के कुल परिसकीम मूल्य के साथ-साथ रुपए के कुल कवर मूल्य के साथ 18 कवरों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी शामिल है। 5,383.13 करोड़ रुपए 31 दिसम्बर 2021 तक, 58,515.13 करोड़ रुपये के परिसकीम मूल्य के साथ 228 परिसकीमों 54 देशों में 40778.24 करोड़ रुपये के कवर मूल्य के साथ 339 कवरों के माध्यम से कवर के तहत थीं।

13. वर्ल्ड एक्सपो 2020

वर्ल्ड एक्सपो सबसे पुराने और सबसे बड़े वैश्विक आयोजनों में से एक है, जिसका आयोजन 1851 से ब्यूरो इंटरनेशनल डेस एक्सपोज़िशन (बीआईई), पेरिस द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों और राष्ट्रों को विचारों को साझा करके सीखने में मदद करना है, साथ ही साथ नवाचार का प्रदर्शन करना और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला आदि जैसे क्षेत्रों में आगे की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना है।

वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई में 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। यह पहला एक्सपो है, जो एमईएसए (मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया)क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। वर्ल्ड एक्सपो 2020 का मुख्य विषय

“कनेक्टिंग माइंड्स, क्रिएटिंग द फ्यूचर” है। मुख्य विषय को आगे एक्सपो के तीन उप विषयों में बांटा गया है – अवसर, गतिशीलता और स्थिरता। वर्ल्ड एक्सपो, दुबई में 190 से अधिक देशों और 25 मिलियन अपेक्षित आगंतुकों की भागीदारी के साथ कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की शुरुआत की उम्मीद है।

वर्ल्ड एक्सपो 2020, दुबई में भारत प्रमुख प्रतिभागियों में से एक है। वाणिज्य विभाग (डीओसी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार इस आयोजन में भारत की भागीदारी के आयोजन के लिए नोडल विभाग है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफआईसीसीआई) इंडस्ट्री पार्टनर है और एनबीसीसीइंडिया पवेलियन का कंस्ट्रक्शन पार्टनर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) है।

इंडिया पवेलियन का निर्माण तकरीबन 10,000 वर्ग मीटर के डिस्टले एरिया के साथ 4614 वर्ग मीटर के प्लॉट पर किया गया है। इंडिया पवेलियन के अंदर डिस्टले जो 4 मंजिलों (G+3) में फैला है, उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत के कौशल, जीवंत स्टार्ट-अप इको-सिस्टम, कपड़ा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में निवेश के अवसरों के अलावा कई क्षेत्रों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। भाग लेने वाले राज्यों, क्षेत्रों के साथ-साथ भारतीय कॉरपोरेट्स से डिजिटल और इमर्सिव सामग्री के गतिशील प्रदर्शन के माध्यम से बुनियादी ढांचे, सेवाओं, आदि के साथ-साथ हमारी समृद्ध कला और विरासत। इंडिया पवेलियन के अग्रभाग में एक अद्वितीय गतिशील डिजाइन है, जिसमें 600 से अधिक मूविंग ब्लॉक

शामिल हैं, जिन्हें “इंडिया ऑन द मूव” के विषय का प्रतिनिधित्व करते हुए दिन के दौरान कई आकर्षक पैटर्न प्रस्तुत करने के लिए अपने संबंधित अक्ष पर व्यक्तिगत रूप से स्थानांतरित करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। सूर्यास्त के बाद, अग्रभाग जीवंत हो जाता है, क्योंकि यह एक विशाल स्क्रीन में तब्दील हो जाता है, जिस पर भारत के विभिन्न पहलुओं और प्रौद्योगिकी, वस्त्र, खेल, कला, संस्कृति आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसके कौशल और प्रगति का प्रतिनिधित्व करने वाली शानदार ऑडियो-विजुअल सामग्री का उच्च रिज़ॉल्यूशन प्रक्षेपण मानचित्रण होता है।



माननीय सीआईएम वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन करते हुए।

इंडिया पवेलियन दुनिया भर के विचारकों के बीच बी₂ बी / बी₂ जी / जी₂ जीकार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला की मेजबानी करेगा, विषयगत गोलमेज सम्मेलन, प्रमुख भारतीय कलाकारों की विशेषता वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, फूड फेस्टिवल, देश के सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ भारतीय सिनेमा का प्रदर्शन। भारतीय मंडप आगंतुकों (Visitors) को भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुआयामी आयामों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

अध्याय 9

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/
अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और
दिव्यांगजन के कल्याण के लिए शुरू
किए गए कार्यक्रम

वाणिज्य विभाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और दिव्यांगजन के कल्याण हेतु किए जाने वाले अन्य उपायों के साथ-साथ आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों के उचित कार्यान्वयन के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और वस्तु बोर्डों के साथ संपर्क करता है।

वाणिज्य विभाग में दो अलग-अलग संपर्क अधिकारी (एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन के लिए और एक अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए) कार्यरत हैं। संपर्क अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों का शीघ्रता से निस्तारण सुनिश्चित करते हैं तथा यह भी ध्यान रखते हैं कि विभाग के सहयोगी संगठनों द्वारा आरक्षित श्रेणियों के लिए ग्राह्य विभिन्न लाभ उन्हें दिए जाएं। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग (मुख्य) के अनुसूचित जनजाति समुदाय के कर्मचारियों और अनुसूचित जाति समुदाय के कर्मचारियों के लिए अलग से 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन भी किया गया है।

वाणिज्य विभाग (मुख्य) और उसके सहयोगी संगठनों में 30 सितंबर 2021 को सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की संख्या दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-ख में दिया गया है। इस विभाग से संबद्ध विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों का विवरण आगामी पैराग्राफों में दिया गया है।

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कल्याण

(क) भारतीय परियोजना एवं उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी लि.)

पीईसी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कल्याण के संबंध में सभी सरकारी निर्देशों/अनुदेशों का विधिवत रूप से अनुपालन किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अर्हक अवधि में पदोन्नति के प्रत्येक चरण पर एक वर्ष की छूट प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, प्रधान कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर का रखरखाव किया जा रहा है। चालू वर्ष में 30 सितंबर 2021 तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड (एमएमटीसी लिमिटेड)

30 सितंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार एमएमटीसी में कर्मचारियों की कुल संख्या 637 (बोर्ड स्तर के कार्यकारी और एमआईसीए कर्मचारियों सहित) थी, जिसमें से 136 (21.35%) कर्मचारी अनुसूचित जाति, 69 (10.83%) अनुसूचित जनजाति और 76 (11.93%) अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के थे।

(i) संपर्क अधिकारी

कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में उन्हें अनुमत आरक्षण एवं अन्य रियायतों के संबंध में सरकार के आदेशों और अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

(ii) छूट/रियायतें

सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को दी गई रियायत/छूट नीचे दी गई हैं:

- ♦ आयु में 5 वर्ष तक की छूट,
- ♦ लिखित परीक्षा/वैयक्तिक साक्षात्कार में अर्हक अंकों में 5% की छूट,
- ♦ भर्ती नियमों के तहत निर्दिष्ट सीमा तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में अंकों के प्रतिशत में छूट।

विभागीय पदोन्नति के संबंध में निम्नलिखित छूट प्रदान की जाती है:

- ♦ कर्मचारी संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा में अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत की छूट।
- ♦ कनिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति में टंकण परीक्षा में 5 शब्द प्रति मिनट तक की छूट दी गई।
- ♦ वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता श्रेणी के तहत स्टाफ संवर्ग के भीतर पदोन्नति के लिए अर्हक अवधि में एक वर्ष की छूट।

सीधी भर्ती एवं विभागीय पदोन्नति हेतु सभी चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि नामित किए जाते हैं।

(iii) प्रशिक्षण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के कार्यात्मक और सॉफ्ट कौशल को उन्नत करने के लिए उन्हें समय-समय पर विभिन्न इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों में नामित किया जाता है।

(iv) क्वार्टर का आवंटन

क्वार्टर आवंटन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को 'ख' श्रेणी के आवास के लिए 10% तथा 'ग' और 'घ' श्रेणी के आवास के संबंध में 5% आरक्षण प्रदान किया जाता है।

(v) बैठकें

कंपनी ने "सुगठित बैठक स्कीम" लागू की है जिसमें प्रबंधन-तंत्र सेवा मामलों तथा कल्याण के उपायों पर चर्चा करने एवं इनके जुड़ मुद्दों का समाधान करने के लिए समय-समय पर प्रबंधन कर्मचारियों के विभिन्न प्रतिनिधि संगठनों के साथ बैठक करती है। इसी सिद्धांत के अनुरूप, कंपनी के और फेडरेशन ऑफ एमएमटीसी एससी/एसटी वेलफेयर एसोसिएशन के सभी कार्यालयों में एमएमटीसी एससी/एसटी वेलफेयर एसोसिएशन के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(vi) आंतरिक शिकायत निवारण समिति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है।

(ग) स्पाइसेस बोर्ड

बोर्ड ने कर्मचारियों के कल्याण हेतु और उनकी समस्याओं के निवारण के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समितियों का गठन किया था। बोर्ड ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण से जुड़े मामलों के लिए एक संपर्क अधिकारी नामित किया था। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का भी गठन किया गया है जैसाकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा अनुशंसित किया गया था।

(घ) वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है और संपर्क अधिकारियों के विधिवत अनुमोदन के साथ इस निदेशालय ने अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध प्रस्तुत किया है।

(ङ) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संबंध में सभी सरकारी निर्देशों/अनुदेशों का एनएसईजेड द्वारा विधिवत अनुपालन किया जाता है। एनएसईजेड में कुल 60 कर्मचारियों में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित क्रमशः 9, 4 और 16 कर्मचारी हैं।

(च) चाय बोर्ड

चाय बोर्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा आवधिक आधार पर जारी किए गए अनुदेशों/दिशानिर्देशों का पालन करते हुए कई कार्यक्रम आयोजित करता है।

(छ) भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)

आईटीपीओ में आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किया गया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित किया गया है। प्रत्येक विभागीय पदोन्नति/चयन समिति (डीपीसी/डीएससी) की बैठकों में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित उपयुक्त स्तर के अधिकारी इन श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के कार्य से जुड़े होते हैं।

(ज) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(एपीडा)

प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों के कल्याण और विकास का कार्य किया जा रहा है।

(झ) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी लिमिटेड)

♦ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के

अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

- ♦ सरकारी कंपनियों में भर्ती और पदोन्नति के लिए आरक्षण पर प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संघ के प्रतिनिधियों को नामित किया जाता है।
- ♦ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- ♦ भारत सरकार के नियमों के अनुसार भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- ♦ अभ्यर्थियों/कर्मचारियों की भर्ती/पदोन्नति के लिए गठित पैनल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कम से कम एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है।
- ♦ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाता है।
- ♦ अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए ओबीसी कल्याण के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- ♦ भर्ती पैनल में अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों की नियुक्ति पर उचित विचार किया जाता है।
- ♦ ईसीजीसी लिमिटेड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित भारत सरकार की नीति लागू की गई है। परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सीधी भर्ती में, सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार 10% पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित हैं।

(ज) रबड़ बोर्ड

रबड़ बोर्ड ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया। संपर्क अधिकारी शिकायतों/समस्याओं को दर्ज करने के लिए वैधानिक रजिस्टर रखता है। बोर्ड आवधिक तौर पर ऐसी शिकायतों को, यदि कोई हो, मॉनिटर करता है, और ऐसी शिकायतों का समय पर निपटान करता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों द्वारा

शिकायत/समस्या होने पर संपर्क अधिकारी की सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है।

(ट) विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया।

(ठ) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों के समग्र कल्याण और विकास को ध्यान में रखते हुए एक समर्थकारी वातावरण बनाना बहुआयामी दृष्टिकोण है।

(ड) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

आईआईएफटी संसद के तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के अनुसार प्रवेश और भर्ती में आरक्षण की नीति लागू करता है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए भेदभाव विरोधी समिति का गठन किया गया है।

2. दिव्यांगजन के कल्याण के लिए किए गए कार्यक्रम

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 (1) में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि प्रत्येक उपयुक्त सरकार, प्रत्येक सरकारी स्थापन में प्रत्येक समूह में पदों की संवर्ग संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या के कम से कम चार प्रतिशत को बैचमार्क दिव्यांगजन से भरेगी, जिनमें से प्रत्येक एक प्रतिशत खंड (क), (ख) और (ग) के तहत बैचमार्क दिव्यांगजन के लिए और एक प्रतिशत खंड (घ) और (ड.) के तहत बैचमार्क दिव्यांगजन के लिए आरक्षित होगा अर्थात्:

(क) अंध और निम्न दृष्टि।

(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास।

(ग) चलन दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क धात रोग, मुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण भी है।

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता।

(ड) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों में खंड (क) से खंड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर,अंधता भी है।

दिव्यांगजन को सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में दिशा-निर्देश हैं ताकि दिव्यांगजन के लिए एक बाधा मुक्त कार्यस्थल सुलभ हो सके। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 23(1) के अनुसरण में, वाणिज्य विभाग में एक शिकायत निवारण अधिकारी नामित किया गया है। वाणिज्य विभाग (मुख्य) और उसके सहयोगी संगठनों में 30.09.2021 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में दिव्यांगजन की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-ग में दिखाया गया है।

(क) भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड(पीईसी लिमिटेड)

दिव्यांगजन के संबंध में सरकारी निर्देशों/अनुदेशों का पीईसी में विधिवत अनुपालन किया जाता है। पीईसी में, स्टाफ संवर्ग के लिए समय वेतनमान पदोन्नति योजना चलाई जा रही है। दिव्यांगजन के लिए पदोन्नति की अर्हक अवधि में पदोन्नति के प्रत्येक चरण में एक वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा, प्रधान कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर भी रखा जा रहा है। आज तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी लिमिटेड)

कार्यालय परिसर तक सुलभ पहुंच के लिए दिव्यांगजन कर्मचारियों के लिए रैंप की व्यवस्था की गई है।

दिव्यांगजन कर्मचारियों को उनकी अशक्तता को ध्यान में रखते हुए ऐसे पदों पर तैनात किया जाता है, जहां वे अपना काम कुशलता से कर सकें।

कार्यालय भवनों में फ्लोर गंतव्य की घोषणा करने वाले श्रवण संकेत हैं। उनमें से कुछ में ब्रेल प्रतीकों में फ्लोर कॉल के बटन भी हैं। कार्यालय भवन में दिव्यांगजन कर्मचारियों के लिए अलग से वॉशरूम भी है।

(ग) स्पाइसेस बोर्ड

स्पाइसेस बोर्ड ने आरक्षण के मामलों और दिव्यांगजन की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए एक संपर्क अधिकारी को नामित किया है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार दिव्यांगजन के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करने के प्रयोजन से वर्ष 2019 के दौरान एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया है। निदेशक (वित्त) इस समिति के अध्यक्ष हैं और चार अन्य सदस्य हैं जिनमें एक समूह-ख अधिकारी दिव्यांगजन श्रेणी के हैं।

(घ) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड)

यह कार्यालय पहले से ही गलियारों, स्वागत कक्ष, शौचालय, हैंड रेल वाली सीढ़ियों आदि जैसी सुविधाओं से लैस है, जो दिव्यांगजन के लिए सुलभ हैं। हाल ही में परिसर में ब्रेल लिपि वाली एक लिफ्ट भी संस्थापित की गई है। इसके अलावा, जोन परिसर में एनएसईजेड द्वारा दिव्यांगजन के लिए विशिष्ट व्यवस्था करते हुए छह जनसुविधाओं का निर्माण भी किया गया है।

(ड) चाय बोर्ड

चाय बोर्ड आमतौर पर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/दिशानिर्देशों का पालन करते हुए दिव्यांगजन के कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाता है।

(च) भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)

आईटीपीओ में आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किया गया। दिव्यांगजन के हितों की रक्षा के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित किया गया है। दिव्यांगजन के लिए पदों/सेवाओं में आरक्षण के संबंध में दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण भी शामिल है।

(छ) रबड़ बोर्ड

रबड़ बोर्ड ने दिव्यांगजन की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए संपर्क अधिकारी/शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया है। वह शिकायत/समस्या दर्ज करने के लिए वैधानिक रजिस्टर रखता है और बोर्ड समय-समय पर ऐसी शिकायतों, यदि कोई हो, की निगरानी करता है, और समय पर उनका निपटान करता है। बोर्ड हर वर्ष 3 दिसंबर को प्रतिष्ठित दिव्यांगजन का भाषण समारोह आयोजित करके "अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस" मनाता है और बोर्ड के दिव्यांगजन कर्मचारियों को सम्मानित करता है। बोर्ड ने दिव्यांगजन कर्मचारियों की सुचारु आवाजाही के लिए 'रैंप' और लिफ्ट की व्यवस्था की है। दृष्टिबाधित कर्मचारी ईपीएबीएक्स के संचालन

में लगे हुए हैं। बोर्ड ने दिव्यांगजन को यूनिसेक्स शौचालय की सुविधा प्रदान की है।

(ज) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(एपीडा)

सरकारी मानदंडों के अनुसार, सभी ग्रेडों में दिव्यांगजन का आरक्षण कुल संख्या का 4% होता है। मौजूदा 80 कर्मचारियों में, दो पदधारी शारीरिक रूप से दिव्यांगजन हैं। एपीडा ने दिव्यांगजन के कल्याण का ख्याल रखा है। एपीडा ने एक कर्मचारी के लिए कार्यालय के भीतर आने-जाने के लिए मोटर चालित व्हीलचेयर की व्यवस्था की है। इसके अलावा, उन्हें नियमानुसार सभी सुविधाएं दी जाती हैं। अभी तक उनकी ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है।

(झ) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी लिमिटेड)

- ◆ दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगजन कर्मचारियों के पदों की उपयुक्तता के अनुसार स्थानांतरित किया जाता है।
- ◆ भर्ती और पदोन्नति परीक्षा में उन्हें लिखने वाले (स्क्राइब) को साथ रखने की अनुमति है।
- ◆ दिव्यांगजन कर्मचारियों को विकलांगता के अनुकूल/सुलभ कार्यालय स्थलों पर तैनात किया जाता है।
- ◆ दिव्यांगजन की भर्ती के लिए सरकारी आरक्षण नीति का सख्ती से पालन किया जाता है।
- ◆ दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों से संबंधित मामले पर कार्रवाई करने के लिए दिव्यांगजन हेतु संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- ◆ कोविड-19 महामारी के दौरान दिव्यांगजन कर्मचारियों को घर पर रहकर कार्य करने (वर्क फ्रॉम होम) की सुविधा प्रदान की गई।

(ञ) विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र

- ◆ वीएसईजेड के भवन के प्रवेश द्वार पर सुगम पहुंच और रैंप की व्यवस्था की गई है।
- ◆ लिफ्ट की व्यवस्था की गई है।
- ◆ शौचालय का निर्माण/व्यवस्था।
- ◆ पार्किंग स्थल को चिह्नित कर लिया गया है।

- ◆ दिव्यांगजन अनुकूल भवन की व्यवस्था की गई है।
- ◆ दिव्यांगजन के कल्याण के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया।

(ट) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड में दिव्यांगजन कर्मचारियों के समग्र कल्याण और विकास को ध्यान में रखते हुए एक समर्थकारी वातावरण बनाना एक बहुआयामी दृष्टिकोण है।

(ठ) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

आईआईएफटी संसद के किसी भी तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के अनुसार प्रवेश और भर्ती में आरक्षण नीति लागू करता है।

3. महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम

वाणिज्य विभाग में निम्नलिखित कार्यों के साथ एक स्वतंत्र महिला प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है:

- ◆ महिलाओं के कल्याण और आर्थिक सशक्तीकरण से संबंधित मामलों तथा अन्य संबंधित मुद्दों के संबंध में महिला और बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय।
- ◆ वाणिज्य विभाग की प्लान स्कीमों और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना कि कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से महिला कल्याण, विकास और सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया जाता है।
- ◆ जेंडर-उन्मुखी बजटिंग से संबंधित सभी मामले और वार्षिक रिपोर्ट/निष्पादन बजट में जेंडर संबंधी मुद्दों को शामिल करना।
- ◆ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण। वाणिज्य विभाग, इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि में शिकायत समिति का गठन; उनके प्रदर्शन की निगरानी करना और आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
- ◆ महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए जागरूकता सप्ताह के साथ-साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाना।
- ◆ इस विषय से संबंधित अन्य प्रासंगिक मामले।

(क) भारतीय परियोजना एवं उपकरण निगम लिमिटेड(पीईसी लिमिटेड)

पीईसी एक छोटा संगठन है जिसमें 30.09.2021 तक कुल 30 कर्मचारी (प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर) हैं, जिनमें से 3 महिलाएं हैं। महिला कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) की शर्तों के अनुपालन में, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण के लिए पीईसी में 'आंतरिक शिकायत समिति' का पुनर्गठन किया गया है।

पीईसी में महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एक व्यापक नीति को अपनाया गया है। वर्ष के दौरान किसी भी कर्मचारी से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी लिमिटेड)

- ◆ एमएमटीसी में महिला कल्याण गतिविधियां राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति के व्यापक दिशानिर्देशों और सार्वजनिक क्षेत्रों में महिला मंच (डब्ल्यूआईपीएस) के उद्देश्यों से उद्भूत होती हैं। एमएमटीसी इस मंच पर अपनी महिला कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। एमएमटीसी की एक महिला महाप्रबंधक डब्ल्यूआईपीएस अपेक्स का महासचिव है। अनेक अन्य महिला कर्मचारी डब्ल्यूआईपीएस की सदस्य हैं।
- ◆ एमएमटीसी की पदोन्नति नीति में बोर्ड स्तर से नीचे हर स्तर पर बिना महिला-पुरुष भेदभाव के योग्य और मेधावी अभ्यर्थियों को चयन का समान अवसर दिया जाता है।
- ◆ कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में एक सक्रिय आंतरिक शिकायत समिति है। महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी शिकायत को दर्ज करवाने के लिए शिकायत समिति से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए समय-समय पर प्रयास किए जाते हैं।
- ◆ एमएमटीसी द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यात्मक और

व्यावहारिक प्रशिक्षणों में महिला कर्मचारियों का अच्छा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।

(ग) स्पाइसेस बोर्ड

30 सितंबर, 2021 को स्पाइसेस बोर्ड के स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 379 है और मौजूदा संख्या 279 है। इनमें से 74 महिला कर्मचारी हैं। बोर्ड की एक महिला (समूह ए स्तर) अधिकारी को "महिला कल्याण अधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि यदि कोई कठिनाइयां/समस्याएं हों, तो उन्हें हल किया जा सके, या उन्हें संभावित समाधान के लिए सुझावों के साथ उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सके। महिला कर्मचारियों की शिकायतों का समय पर और उचित तरीके से समाधान किया जाता है।

(घ) वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस)

महिलाओं से संबंधित मामलों को देखने के लिए एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

(ङ) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

एपीडा ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में महिला अधिकारी भी शामिल हैं।

(च) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी लिमिटेड)

- ◆ महिला दिवस पर महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें कैंसर जांच शिविर और कैंसर जागरूकता पर सेमिनार आदि शामिल हैं।
- ◆ कंपनी नेतृत्व विकास के लिए महिला कर्मचारियों को कार्यक्रमों/सेमिनारों/कार्यशालाओं में नामित करती है।
- ◆ कार्यस्थल पर उत्पीड़न से संबंधित मामलों से निपटने के लिए आंतरिक शिकायत समितियां मौजूद हैं।
- ◆ भर्ती एवं पदोन्नति पैनल में महिला सदस्य की नियुक्ति पर समुचित ध्यान दिया जाता है।
- ◆ कंपनी में पदोन्नति पैनल/सरकारी प्रशिक्षण में भाग लेते समय दो वर्ष से कम आयु के शिशु वाली महिला कर्मचारियों द्वारा किए गए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की

योजना है, जिसमें महिला कर्मचारी की संबंधित पात्रता के अनुसार साथ रह रहे बच्चे के लिए तथा एक परिचर के लिए प्रावधान है।

- ◆ ईसीजीसी लिमिटेड की महिला कर्मचारियों के लिए शिशु के दो वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, करों को छोड़कर 5000/- रुपये की सीमा तक शिशु-गृह व्यय की प्रतिपूर्ति की एक योजना है।
- ◆ कंपनी के पास महिला कर्मचारियों को उनके बच्चे के 2 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक दो दिन का विशेष अवकाश देने की योजना है।
- ◆ कोविड-19 महामारी के दौरान गर्भवती महिला कर्मचारियों को घर पर रहकर कार्य करने (वर्क फ्रॉम होम) की सुविधा प्रदान की गई।

(छ) रबर बोर्ड

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अनुसार, आंतरिक शिकायत समिति का गठन चार सदस्यों से किया जाता है, जिसमें बाहर से एक सदस्य भी शामिल होता है, जो सामाजिक कार्य गतिविधियों से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं (विवरण रबर बोर्ड की वेबसाइट में प्रकाशित है)। प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठक आयोजित की जा रही है और इस अवधि में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

(ज) विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

(झ) चाय बोर्ड

चाय बोर्ड आमतौर पर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/दिशानिर्देशों का पालन करते हुए महिलाओं के कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाता।

(ञ) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड में महिला कर्मचारियों के समग्र कल्याण और विकास को ध्यान में रखते हुए एक समर्थकारी वातावरण बनाना बहुआयामी दृष्टिकोण है।

(ट) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

संस्थान ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

(ठ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा)

एम्पीडा ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

अध्याय 10

पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता और
संबद्ध गतिविधियां

1. नागरिक चार्टर

वाणिज्य विभाग व्यापार क्षेत्र और आम जनता के साथ अपने संव्यवहार करने में सत्यनिष्ठा, विवेक, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा शिष्टाचार और समझ के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों तक सभी सेवाएं एवं प्रतिबद्धताएं सर्वाधिक प्रभावी और कुशल तरीके से प्रदान की जाएंगी।

यह विभाग सार्वजनिक लाभ में वृद्धि करने के लिए विदेश व्यापार नीति की प्रक्रियाओं को विकसित करने का प्रयास करेगा और वैश्वीकृत एवं उदार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लागू नियमों के तहत आवश्यक विभिन्न अपेक्षाओं को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लगातार ग्राहक समूहों से परामर्श करते रहेंगे और इस विभाग के लिए प्रासंगिक कानून एवं प्रक्रियाओं में हुए सभी परिवर्तनों का यथासमय प्रचार करेंगे। सेवा प्रदान करने के मानक इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	सेवाएँ/लेनदेन	अधिकतम समय सीमा
1.	बाज़ार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुमोदन।	ई एवं एमडीए प्रभाग में प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 3 माह।
2.	निर्यात के लिए व्यापार अवसरचना स्कीम (टाआईईएस) के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुमोदन।	3 माह* (*पूर्ण दस्तावेजों की उपलब्धता और निधि की उपलब्धता के अध्यधीन।)
3.	विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना के लिए अनुमोदन।	राज्य सरकार की सिफारिशों और पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर मामलों को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना; सुरक्षा संबंधी स्वीकृति के अध्यधीन, अनुमोदन बोर्ड से अनुमोदन-प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर अनुमोदन पत्र जारी करना।
4.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 i. सूचना प्रदान करना या आरटीआई अधिनियम, 2005 में निर्दिष्ट किसी भी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करना। ii. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत दायर अपीलों का निपटान।	i. आरटीआई अधिनियम, 2005 में निर्धारित समय सीमा के भीतर। ii. आरटीआई अधिनियम, 2005 में निर्धारित समय सीमा के भीतर।
लोक शिकायत निवारण तंत्र		
5.	लोक शिकायतों का समाधान	45 दिन (पूर्ण विवरण प्राप्त होने और शिकायत पर अंतिम निर्णय लेने वाले प्राधिकारी से प्रतिक्रिया प्राप्त होने के अध्यधीन) (*यदि अधिक समय लगने की संभावना हो, तो शिकायतकर्ता को 45 दिनों के भीतर अंतरिम उत्तर देकर सूचित किया जाएगा।)
6.	डीजीएफटी, आदि द्वारा पारित सांविधिक आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों पर अपीलीय समिति द्वारा कार्रवाई करने के लिए।	3 महीने के अंदर— नोट: यह अपीलकर्ता और उत्तरदाताओं से पूर्ण विवरण/ दस्तावेजों की प्राप्ति के अध्यधीन है।

2. लोक शिकायत

लोक शिकायत प्रकोष्ठ इस विभाग और इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों के कर्मचारियों की शिकायतों के त्वरित निवारण की कार्रवाई करता है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और

निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएमएस) के अनुसार, 01.01.2021 से 31.12.2021 (पीएमओ और कोविड –19 संबंधित लोक शिकायतों सहित) के दौरान 7260 लोक शिकायतों का निपटारा किया गया। एक शिकायत पेटिका गेट नंबर 14, उद्योग भवन, नई दिल्ली में सूचना और सुविधा काउंटर पर रखी गई है।

3. सतर्कता प्रकोष्ठ

विभाग में सतर्कता अनुभाग, जिसके प्रभागीय प्रमुख संयुक्त सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी (जेएस एंड सीवीओ) हैं, विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहे सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और कमोडिटी बोर्ड में कार्यरत बोर्ड स्तर की नियुक्तियों, भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारियों और वाणिज्य विभाग के समूह 'ए' और समूह 'बी' अधिकारियों की शिकायतों और सतर्कता मामलों पर कार्रवाई करता है।

सतर्कता अनुभाग एआईएस (आचरण) नियमावली और सीसीएस (आचरण) नियमावली (विभाग के सभी समूह ए अधिकारियों की वार्षिक अचल विवरणी सहित) से संबंधित मामलों को भी देखता है और सीवीसी एवं डीओपीटी को विभिन्न वार्षिक/त्रैमासिक/मासिक रिपोर्टें प्रस्तुत करता है। सतर्कता अनुभाग में निवारक सतर्कता के अंतर्गत संवेदनशील कार्यालयों के नियमित और आकस्मिक निरीक्षण करने, प्रक्रियाओं की समीक्षा और उन्हें सुव्यवस्थित करने जैसे कार्यकलाप भी करता है, जिनमें षष्ठाचार या कदाचार की गुंजाइश हो और उनकी रोकथाम के लिए अन्य उपाय शुरू करने, भ्रष्टाचार और अन्य कदाचार का पता लगाने और विभाग के साथ-साथ उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में षष्ठाचारियों को दंड देने, विभाग में अवांछनीय व्यक्तियों की आवा-जाही/आगमन पर नजर रखने, संदिग्ध सत्यनिष्ठा के अधिकारियों की सूची/सहमत सूची तैयार करना और उनकी तैनाती गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में करना और पीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंजूरी देने और पीसी अधिनियम की धारा 17क के तहत सीबीआई द्वारा जांच शुरू करने की अनुमति देने का कार्य भी शामिल हैं।

वर्ष 2021-22 (अक्टूबर, 2021 तक) के दौरान लगभग 73 जांच/पूछताछ की गई और इन जांच कार्यवाहियों के आधार पर, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/कमोडिटी बोर्डों और वाणिज्य विभाग में 15 मामलों में बड़ी/छोटी शास्ति लगाई गई।

अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 26 अक्टूबर, 2021 से 1 नवंबर, 2021 की अवधि में कार्यशाला/संवेदनवर्धक कार्यक्रमों का आयोजन, शपथ ग्रहण, बैनरों आदि का प्रदर्शन करके सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय रहा स्वतंत्र

भारत /75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता।

4. सूचना का अधिकार

- ♦ वाणिज्य विभाग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है और विभाग की वेबसाइट पर सभी आवश्यक प्रणालियों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई है।
- ♦ आरटीआई आवेदन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा प्रबंधित आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन दायर किए जाते हैं और आरटीआई प्रकोष्ठ वाणिज्य विभाग के नोडल खाते में प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपयुक्त सीपीआईओ/एफएए/ लोक प्राधिकारी को अग्रेषित/स्थानांतरित करते हैं। आरटीआई प्रकोष्ठ वाणिज्य विभाग में विभिन्न सीपीआईओ/एफएए अन्य विभागों/सरकारी प्राधिकरणों को वास्तविक आरटीआई आवेदन/अपील भी स्थानांतरित करता है। वाणिज्य विभाग ने अपने आरटीआई आवेदन/अपील व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए गेट नंबर 14, उद्योग भवन, नई दिल्ली में एक सुविधा काउंटर की व्यवस्था की है।
- ♦ वर्तमान में, इस विभाग में निदेशक/उप सचिव और अवर सचिव स्तर के 34 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) हैं और 15 प्रथम अपीलीय अधिकारी (एफएए) हैं, जो अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारी हैं और आरटीआई अधिनियम के तहत दायर पहली अपील की सुनवाई और निपटान करते हैं। श्री लक्ष्मण राव अथुकुरी, उप निदेशक वाणिज्य विभाग के नोडल सीपीआईओ हैं और श्री अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव को वाणिज्य विभाग के पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
- ♦ वर्तमान में वाणिज्य विभाग के अधिकार क्षेत्र में 31 लोक प्राधिकारी (पीए) हैं। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए इनमें से प्रत्येक पीए के अपने स्वयं के नोडल सीपीआईओ, सीपीआईओ और एफएए हैं। यह उल्लेखनीय है कि वाणिज्य विभाग स्वयं एक सरकारी प्राधिकरण है। छोटे सरकारी प्राधिकरणों में, अक्सर नोडल सीपीआईओ स्वयं उस सरकारी प्राधिकरण का एकमात्र सीपीआईओ होता है जबकि बड़े सरकारी

प्राधिकरण जैसे वाणिज्य विभाग, डीजीएफटी आदि में, नोडल सीपीआईओ आरटीआई आवेदन/अपील को उपयुक्त सीपीआईओ/एफएए को अग्रेषित करने के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करता है और उस सरकारी प्राधिकरण से संबंधित आरटीआई के सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें पारदर्शिता ऑडिट का वार्षिक संचालन, आरटीआई ऑनलाइन तक पहुंचने के लिए व्यक्तिगत सीपीआईओ को यूजर आईडी/पासवर्ड जारी करना और आरटीआई के सभी मामलों के लिए डीओपीटी और केंद्रीय सूचना आयोग के साथ संपर्क सूत्र की भूमिका निभाना शामिल है।

- ♦ जनवरी से दिसंबर, 2020 की अवधि में, इस विभाग के विभिन्न सीपीआईओ द्वारा 603 आरटीआई आवेदनों का निपटारा किया गया और 540 आवेदन अन्य लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित किए गए। इसी अवधि में, इस विभाग के विभिन्न एफएए द्वारा आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 53 अपीलों का निपटारा भी किया गया था।
- ♦ जनवरी से अक्टूबर, 2021 की अवधि में, इस विभाग के विभिन्न सीपीआईओ द्वारा 407 आवेदनों का निपटारा किया गया और 628 आवेदन अन्य लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित किए गए। इसी अवधि में, इस विभाग के विभिन्न एफएए द्वारा आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 46 अपीलों का निपटारा भी किया गया।

5. राजभाषा

राजभाषा प्रभाग हिंदी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी करता है और राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिपादित राजभाषा नीति को विभाग के सरकारी काम-काज में लागू करता है। 2021-2022 के दौरान राजभाषा प्रभाग की गतिविधियां नीचे दी गई हैं:-

क) हिंदी सलाहकार समिति की बैठक :

वाणिज्य विभाग में एक हिंदी सलाहकार समिति है जो विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न संगठनों के सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करती है। विभाग में हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है।

ख) संसदीय राजभाषा समिति

वर्ष 2021-22 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने वाणिज्य विभाग के अधीन संगठनों का निरीक्षण किया जिसमें संयुक्त सचिव (राजभाषा प्रभारी) एवं निदेशक (राजभाषा) ने भाग लिया। इन बैठकों के दौरान दिए गए आश्वासनों को जल्द पूरा करने के लिए संबंधित संगठनों को संप्रेषित किया गया।

ग) राजभाषा प्रोत्साहन

(i) हिंदी पखवाड़ा

विभाग में 16-30 सितंबर 2021 के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान 7 प्रतियोगिताएं नामतः राजभाषा ज्ञान और हिंदी अनुवाद, निबंध लेखन, टिप्पण और प्रारूपण, हिंदी टंकण, कविता पाठ, श्रुतलेख और हिंदी में आशुभाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। पुरस्कार राशि 5000/- रूपए (प्रथम), 3000/- रूपए (द्वितीय), 2000/- रूपए (तृतीय) और 1000/- रूपए (सांत्वना) थी। विभाग के कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस वर्ष पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था।

(ii) वार्षिक विशेष प्रोत्साहन योजना

विभाग के कर्मचारियों को हिंदी में अधिकाधिक सरकारी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु "वार्षिक विशेष प्रोत्साहन योजना" शुरू की गई है, जिसके तहत 5,000/- रुपये (प्रथम) 4000/- रुपये (द्वितीय) और 3000/- रुपये (तृतीय) का नकद पुरस्कार दिया जाता है। इस योजना के तहत कुल 60 पुरस्कार (हिंदी और हिंदीतर भाषी कर्मचारियों के लिए) प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान इस योजना के तहत विभाग के 27 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

(iii) हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

विभाग के कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

(iv) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन

वाणिज्य विभाग में सरकारी कामकाज में हिन्दी की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान समय-समय पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

आयोजित की गई।

(v) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजभाषा शील्ड योजना

यह प्रोत्साहन स्कीम विभाग के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए कई वर्षों से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत कार्यालयों को राजभाषा के क्षेत्र में उनके निष्पादन के लिए शील्ड/ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। कार्यालयों के निष्पादन का मूल्यांकन निर्धारित प्रपत्र में दी गई जानकारी और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों के आधार पर एक समिति द्वारा किया जाता है।

घ) निरीक्षण

विभाग के नियंत्रणाधीन संगठनों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में हुई प्रगति की निगरानी और समीक्षा उनकी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से और निरीक्षण करके की जाती है। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हिन्दी प्रभाग के अधिकारियों द्वारा वाणिज्य विभाग के कुछ कार्यालयों का भी निरीक्षण किया गया।

इसके अलावा, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए विभाग के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों का निरीक्षण किया गया।

6. ई-गवर्नेंस

वाणिज्य विभाग के लिए एनआईसी द्वारा संचालित परियोजना गतिविधियां :

- ♦ **वाणिज्य विभाग की वेबसाइट:** सामग्री की प्रयोक्ता हितैषी प्रस्तुति तथा सुखद अनुभूति में वृद्धि के साथ एक नई अनुक्रियाशील, द्विभाषी वेबसाइट अभिकल्पित की गई है तथा डब्ल्यू3सी दिशानिर्देशों एवं भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश (जीआईजीडब्ल्यू) के अनुसार विकसित की गई है। वाणिज्य विभाग की शिकायत निगरानी प्रणाली को भी इस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। आवेदक अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं और अपनी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। विभाग द्वारा इन शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए मजबूत कार्यप्रवाह आधारित कार्रवाई-तंत्र भी विकसित किया गया है। वेबसाइट और शिकायत निगरानी प्रणाली को एनआईसी

क्लाउड पर होस्ट किया गया है और इसमें निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। वेबसाइट का एसटीक्यूसी ऑडिट भी चल रहा है जिसके बाद यह साइट जीआईजीडब्ल्यू के अनुरूप हो जाएगी।

- ♦ **पीएम डैशबोर्ड ऑफ डैशबोर्ड (प्रयास) – केपीआई एकीकरण:** पीएम डैशबोर्ड ऑफ डैशबोर्ड (प्रयास) में केपीआई का एकीकरण वाणिज्य विभाग के लिए किया गया है। आयात/निर्यात और सेवा क्षेत्र से जुड़े छः केपीआई एकीकृत किए गए हैं और आंकड़े किसी माह विशेष के लिए नामतः आरंभिक, अन्तिम और अंतिम 3 चरणों पर डाले जा रहे हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देखने के लिए इन केपीआई पर सहज दृश्य व्यवस्था विकसित की गई है। प्रयास डैशबोर्ड के देखने के अधिकार सभी मंत्रियों को दिए जाते हैं। सभी मंत्रियों को डैशबोर्ड पर प्रदर्शन/प्रशिक्षण दिया गया।

- ♦ **डीओसी के नियंत्रणाधीन विभिन्न स्वायत्त निकायों में ई-ऑफिस कार्यान्वयन:** डीओसी के नियंत्रणाधीन विभिन्न स्वायत्त निकायों/संस्थानों में ई-ऑफिस कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके लिए एनआईसी-डीओसी द्वारा आवश्यक परामर्श/समन्वय किया जा रहा है। सातों एसईजेड को कॉमर्स ई-ऑफिस इंस्टेंस पर ऑन-बोर्ड लिया गया है और ई-ऑफिस को कार्यान्वित किया गया है। सेज के सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। एमएमटीसी में ई-ऑफिस का कार्यान्वयन पूरा हो चुका है और आईटीपीओ के लिए ई-ऑफिस का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- ♦ **भारत के व्यापार से संबंधित डेटाबेस/प्रणालियों का उन्नयन:** देश के निर्यात और आयात व्यापार से संबंधित डेटाबेस अर्थात् मासिक निर्यात आयात डेटा बैंक (एमआईडीबी) और निर्यात आयात डेटा बैंक (ईआईडीबी) प्रणाली जो वस्तु के 8-अंकीय एचएस कोड वर्गीकरण पर आधारित है तथा प्रमुख वस्तु का विदेश व्यापार एवं देश (एफटीएसपीसीसी) और विदेश व्यापार निष्पादन विश्लेषण (एफटीपीए) प्रणाली जो देश-वार और देश के प्रमुख वस्तु-वार निर्यात और आयात की जानकारी उपलब्ध कराने वाले प्रमुख वस्तु वर्गीकरण पर आधारित है, को नवीनतम ओपन सोर्स प्रौद्योगिकी के साथ उन्नत किया जा रहा है। ये प्रणालियाँ क्लाउड पर कार्यान्वयन के लिए सुरक्षा ऑडिट की स्वीकृति के

अध्यधीन हैं।

- ♦ **वाणिज्य विभाग के लिए डैशबोर्ड:** वाणिज्य विभाग के व्यापार संबंधी विभिन्न सांख्यिकी और अन्य कार्यकलाप की निगरानी करने के लिए, व्यवसाय जानकारी (बीआई) टूल का उपयोग करके एक डैशबोर्ड बनाया गया है। आम जनता द्वारा देखने के लिए डैशबोर्ड विभाग की वेबसाइट पर रखा गया है, जबकि दूसरा संस्करण जिसमें आंतरिक मुद्दे भी हैं, विभाग के अधिकारियों द्वारा देखने के लिए इंटरनेट पोर्टल पर उपलब्ध है। डैशबोर्ड को एनआईसी क्लाउड वातावरण में नियोजित किया गया है। डैशबोर्ड के लिए यूआरएल <https://dashboard.commerce.gov.in> और <https://intradashboard.commerce.gov.in> हैं।
- ♦ **व्यापार विश्लेषण संबंधी डैशबोर्ड:** देश के व्यापार विवरण को बेहतर रूप में प्रस्तुत करने और उसे मॉनिटर करने के लिए, एनआईसी के उत्कृष्ट आंकड़ा विश्लेषण केंद्र (सेंटर एक्सीलेंस फॉर डेटा एनालिटिक्स-सीईडीए) की मदद से देश के पण्यवस्तु व्यापार पर एक डैशबोर्ड विकसित किया जा रहा है। वस्तु और प्रमुख वस्तु के 8-अंकीय एचएस कोड वर्गीकरण के आधार पर डीजीसीआईएंडएस के मासिक व्यापार डेटा का उपयोग देश-वार और देश के वस्तु-वार व्यापार की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए किया जाना है। डैशबोर्ड को एनआईसी क्लाउड वातावरण में कार्यान्वित किया जाना है।
- ♦ **विदेश स्थित भारतीय मिशनो द्वारा रिपोर्टिंग के लिए प्रणाली:** विदेशों में भारतीय वाणिज्यिक मिशनो द्वारा रिपोर्टिंग के लिए वेब आधारित प्रणाली विकसित की जा रही है। ये मिशन माल, सेवा, व्यापार रक्षा उपायों, किए गए व्यापार संवर्धन कार्यकलाप, निवेश, लॉजिस्टिक आदि में व्यापार के संबंध में देश विशिष्ट मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक डेटा पर रिपोर्ट कर सकते हैं। यह प्रणाली एनआईसी क्लाउड वातावरण में लगाई गई है।
- ♦ **व्यापार संबद्ध डेटाबेस/प्रणालियों का रखरखाव:** देश के निर्यात और आयात पर व्यापार संबंधी डेटाबेस का रखरखाव किया जा रहा है। इसमें निर्यात आयात डेटा बैंक (ईआईडीबी) प्रणाली शामिल है, जो वस्तु के 8-अंकीय एचएस कोड वर्गीकरण पर आधारित है और प्रमुख वस्तु वर्गीकरण पर आधारित प्रमुख वस्तु का विदेश

व्यापार और देश (एफटीएसपीसीसी) प्रणाली है जो देश के आयात और निर्यात की देश-वार एवं प्रमुख वस्तु-वार जानकारी प्रदान करती है। डीजीसीआईएंडएस से उपलब्ध नवीनतम डेटा के साथ इन प्रणालियों का उन्नयन किया जा रहा है। ये प्रणालियाँ इंटरनेट पर वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

- ♦ **वाणिज्य विभाग का इंटरनेट पोर्टल:** इंटरनेट पोर्टल में विभागीय प्रयोक्ताओं के लिए विभिन्न एप्लिकेशन हैं।
 - सम्मेलन कक्ष बुकिंग प्रणाली (सीआरबीएस) बैठकों के लिए सम्मेलन कक्ष और उपकरण (लैपटॉप, एलसीडी प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर) की ऑनलाइन बुकिंग करने तथा इंटरनेट पोर्टल पर कक्ष की उपलब्धता के संबंध में पूछताछ करने की सुविधा देती है।
 - लेखन-सामग्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक मांग प्रणाली (ईआरएसएसआई) विभाग में प्रयोक्ताओं को लेखन-सामग्री की अपनी मांग को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने और इंटरनेट पोर्टल पर उनके अनुरोधों की स्थिति के बारे में पूछताछ करने की सुविधा प्रदान करती है।
 - विभाग में वाणिज्य सचिव के कार्यालय के माध्यम से प्राप्त वीआईपी सन्दर्भों पर समय पर कार्रवाई किए जाने एवं की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए वीआईपी संदर्भ निगरानी प्रणाली कार्यान्वित की गई है।
 - विभाग में वस्तु/क्षेत्रीय प्रभागों के माध्यम से विभिन्न संगठनों/एजेंसियों और व्यापारिक समुदायों से प्राप्त बजट-पूर्व प्रस्तावों को समेकित करने, उन पर कार्रवाई करने और मॉनिटर करने के लिए, बजट-पूर्व प्रस्ताव पर कार्रवाई करने की प्रणाली एक वार्षिक कवायद के रूप में लागू की गई है।
 - विभाग के अनुभागों/प्रभागों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले कार्यालय ज्ञापन/कार्यालय आदेश/नोटिस/परिपत्र के रखरखाव और प्रसार के लिए विभाग में का.ज्ञा./आदेश/नोटिस/परिपत्र के प्रसार के लिए एक केंद्रीकृत तंत्र बनाया गया है।
- ♦ विश्व व्यापार एटलस तक पहुंच: वाणिज्य विभाग ने मैसर्स आईएचएस ग्लोबल लिमिटेड, यूके के साथ एक

करार किया है जिसमें डीजीसीआईएंडएस से लिए गए भारतीय व्यापार डेटा के बदले 80 से अधिक देशों के विश्व व्यापार एटलस नामक व्यापार डेटाबेस तक पहुंच प्राप्त की जाएगी। केवल प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को कनेक्ट पर ग्लोबल ट्रेड एटलस (जीटीए) तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक सुरक्षित एक्सेस कंट्रोल तंत्र तैयार किया गया है। जीटीए प्रणाली पर प्रयोक्ता सृजन और व्यापार डेटा के हस्तांतरण से संबंधित किसी भी मुद्दे/स्पष्टीकरण के लिए डीजीसीआईएंडएस एवं आईएचएस ग्लोबल लिमिटेड के बीच समन्वयन एनआईसी द्वारा किया जा रहा है।

◆ निम्नलिखित के लिए एनआईसी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आवंटन हेतु समन्वय:

- स्पाइसेस
- रबर बोर्ड
- कॉफी बोर्ड
- भारतीय निर्यात परिषद
- विशेष निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एसईजेड)
- एपीडा
- एम्पीडा
- एमएमटीसी
- ईआईसी
- लॉजिस्टिक प्रभाग
- आईटीपीओ
- चाय बोर्ड
- एसटीसी
- डीजीटीआर
- जेम

◆ **एफएमएस सेवाएँ:** एनआईसी अधिकारियों की टीम एनआईसीनेट पर निम्नलिखित नेटवर्क सेवाएं प्रदान कर रही है :

- ईमेल सेवाएँ
- नेटवर्क प्रबंधन
- वीसी सेवाएँ
- एंटी-वायरस लगाना
- ओएस पैच प्रबंधन

○ वीपीएन सेवाएँ

◆ **केंद्रीय परियोजनाओं पर सहायता:** केंद्रीय आईसीटी परियोजनाओं पर सहायता

- ई-कार्यालय
- स्पैरो
- पीएफएमएस
- सीपीजीग्राम्स
- आरटीआई-एमआईएस
- प्रगति
- भविष्य- ऑनलाइन पेंशन और भुगतान ट्रेकिंग प्रणाली
- एलआईएमबीएस
- अनुभव
- ई-विजिटर
- एसीसी रिक्ति की निगरानी प्रणाली।

7. विदेश स्थित भारतीय मिशन पोस्ट में वाणिज्यिक प्रकोष्ठ

भारतीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक प्रकोष्ठ विदेश स्थित 105 भारतीय मिशनों का हिस्सा हैं। वे वाणिज्य विभाग (डीओसी) के विस्तार कार्यालय के रूप में कार्य करते हैं जो सरकार से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का समन्वय, प्रसार करते हैं और मिशन देश में हो रहे महत्वपूर्ण व्यापार एवं आर्थिक घटनाक्रम पर रिपोर्ट करते हैं। वाणिज्यिक प्रकोष्ठ में वाणिज्यिक प्रतिनिधि निजी और सरकारी क्षेत्रों के आर्थिक ऑपरेटरों के लिए मिशन में पहला संपर्क-सूत्र होता है। 105 वाणिज्यिक प्रकोष्ठ में से, 2 मिशनों में एक विशेष वाणिज्यिक अभिविन्यास हैं-विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा में भारत का स्थायी मिशन और ब्रुसेल्स में विभाग का मिशन।

वाणिज्यिक प्रकोष्ठ के लिए बजट प्रावधान वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाता है। तथापि, इन पदों पर प्रशासनिक नियंत्रण विदेश मंत्रालय के पास है। इनमें से अधिकांश पद विदेश सेवा बोर्ड प्रक्रिया के माध्यम से विदेश मंत्रालय द्वारा भरे जाते हैं। वाणिज्यिक प्रकोष्ठ को मजबूत करने और उनके कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए, इन कार्यालयों के लिए बजटीय आवंटन समय-समय पर बढ़ाया गया है। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में 172.54 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को बढ़ाकर

2021-22 के बजट अनुमान में 200.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

विदेशों में हमारे मिशनों के वाणिज्यिक प्रकोष्ठ संबंधित मेजबान देश के साथ भारत के व्यापार से संबंधित विभिन्न कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके तहत निम्नलिखित शामिल हैं:

- ♦ व्यापार, आर्थिक और निवेश संबंधी जानकारी का संग्रह और प्रचार-प्रसार।
- ♦ आर्थिक, वाणिज्यिक और व्यापार नीति संबंधी घटनाक्रम की निगरानी; दोनों देशों के सरकार के स्तर के साथ व्यापारिक समुदायों के स्तर पर द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों की निगरानी।
- ♦ बाजार अनुसंधान, सर्वेक्षण और चल रहे व्यापार का महत्वपूर्ण विश्लेषण।
- ♦ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने सहित व्यापार और निवेश संबंधी पूछताछ पर कार्रवाई करना, पण्यवस्तु और सेवा व्यापार को बढ़ावा देना, निवेश और संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना तथा व्यापार विवादों के समाधान में सहायता करना।
- ♦ भारत के व्यापार और निवेश आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहुपक्षीय और क्षेत्रीय संस्थानों से संबंधित उभरती प्रवृत्ति का विश्लेषण।

माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा माननीय विदेश मंत्री द्वारा हाल ही में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 30.04.2020 और 20.04.2021 को सभी भारतीय मिशनों में वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के कामकाज की समीक्षा की गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले सभी मिशनों को देश के व्यापार हितों से संबंधित मामलों पर काम करने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए थे। माननीय मंत्रियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में, निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

- ♦ पर्यटन, व्यापार, प्रौद्योगिकी, टैरिफ-भिन्न बाधाओं के समाधान से संबंधित मामलों को दर्ज करने के लिए एक संशोधित प्रोफार्मा मिशनों के साथ साझा किया गया है ताकि की गई कार्रवाई पर नज़र रखी जा सके और नियमित प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके।
- ♦ पर्यटन मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के परामर्श से मिशन के लिए मार्गदर्शन नोट जिसमें पर्यटन और प्रौद्योगिकी के तहत विभिन्न कार्रवाई योग्य क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है, उसे मिशनों के साथ साझा किया

गया है।

- ♦ सभी मिशन बैठक के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों की रिपोर्ट दे रहे हैं। उपयुक्त कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय प्रभागों द्वारा इन रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

वाणिज्यिक प्रकोष्ठों के कार्य को प्रभावी बनाने की दिशा में की गई अन्य पहलों में ये शामिल हैं:

- ♦ कोविड-19 के दौरान विभिन्न पहलें अर्थात् भारत द्वारा चीन से आयात की जाने वाली महत्वपूर्ण मध्यवर्ती/आपूर्ति से संबंधित 1054 प्रमुख उत्पाद लाइनों की पहचान करना और हमारे व्यवसायों/उद्योग निकायों को व्यवधान से बचने और वैकल्पिक स्थानों से इनकी आपूर्ति करने की सलाह देना। इसके अलावा, ऐसी 550 उत्पाद लाइनों की पहचान करना जहां भारत और चीन दोनों प्रमुख निर्यातक देश हैं और जहां संकट के इस समय में अन्य देश जो अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं, वहाँ भारतीय निर्यातक भारत से आपूर्ति प्राप्त करने में उनकी सहायता करने की संभावना तलाश सकते हैं। इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे विदेशी मिशनों से उनके देशों में इस तरह के सोर्सिंग और निर्यात के अवसरों का पता लगाने और इस संबंध में हमारे निर्यातकों का मार्गदर्शन करने का अनुरोध करके सहायता मांगी गई थी।
- ♦ कुछ क्षेत्रों में उभरते व्यापार घटनाक्रम पर ध्यान केंद्रित करना और संभावित अवसरों की पहचान करना। एक वस्तु-वार विश्लेषण किया गया था और इन निर्यात अवसरों से लाभ उठाने के लिए कुछ क्षेत्रों में अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत की क्षमता को चयनित मिशनों के साथ साझा किया गया था।
- ♦ **वेब आधारित रिपोर्टिंग:** वाणिज्य विभाग ने संशोधित प्रोफार्मा (व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन के सभी तीन पहलुओं को दर्ज करने के लिए) पर ऑनलाइन प्रस्तुति देने के लिए एक पोर्टल का संचालन किया है। ऑनलाइन डैशबोर्ड से वाणिज्यिक प्रकोष्ठ की रिपोर्टिंग, डेटा प्रबंधन और निष्पादन मूल्यांकन में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।
- ♦ **वास्तविक समय में व्यापार के अवसरों की रिपोर्ट करना:** मिशनों को सलाह दी गई है कि वे निर्यात संवर्धन परिषदों/निर्यातकों को अपने-अपने देशों में वास्तविक

समय में निर्यात के अवसरों के बारे में सचेत करने के अपने प्रयासों पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित करें। मिशनों से कहा गया है कि वे विशेष रूप से एफआईआईओ द्वारा सेवित इंडिया ट्रेड पोर्टल पर सार्वजनिक निविदाओं के आधार पर निर्यात के अवसरों को पोस्ट करें। कुछ मिशनों ने नियमित प्रस्तुतियों से इन उद्देश्यों का समर्थन करते हुए सराहनीय कार्य किया है।

वित्त वर्ष 2021-22 में 400 बिलियन अमरीकी डॉलर के पण्य-वस्तु निर्यात का स्तर प्राप्त करने के राष्ट्रीय प्रयास के शुभारंभ के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 6 अगस्त 2021 को संबोधित सभी राजदूतों/उच्चायुक्तों और उनके वाणिज्यिक/आर्थिक प्रकोष्ठ के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी।

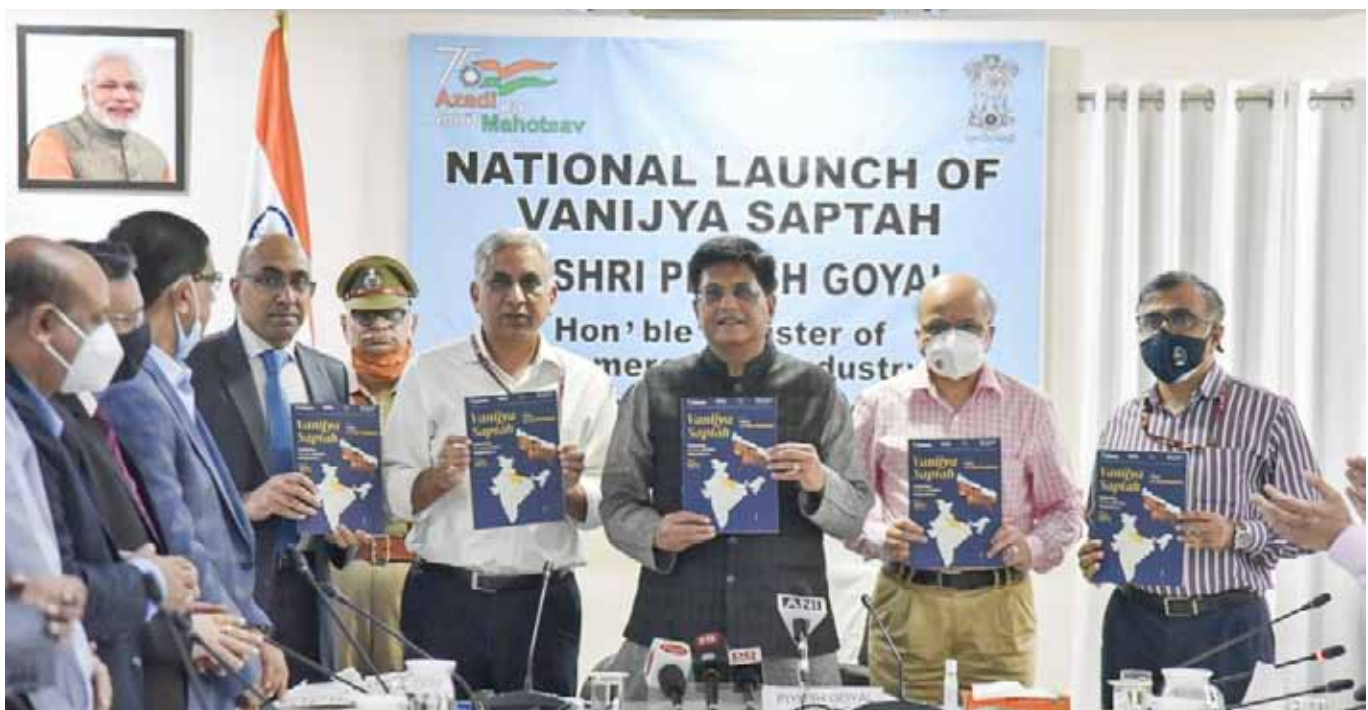
8. आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएम)

आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए, वाणिज्य विभाग ने 20 से 26 सितंबर, 2021 तक 'वाणिज्य सप्ताह' का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य यह उजागर करना था कि किस प्रकार भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक हितधारक को ऐसे स्तरीय उत्पादों का उत्पादन करने के लिए सशक्त बना रहा है जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़े हो सकते हैं— 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड'। इसके लिए वाणिज्य विभाग ने राज्य सरकारों, संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन और पूरे देश में निर्यात प्रक्रिया में लगे सभी संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर एक सप्ताह तक

के कार्यकलाप करने के लिए काम किया।

इन विषयों अथवा आकांक्षी उद्देश्यों के आधार पर एक सप्ताह के विभिन्न कार्यकलाप आयोजित किए गए (i) अधिक आत्मनिर्भरता की ओर (ii) भारत दर्शन: उभरती आर्थिक शक्ति (iii) हरित और स्वच्छ एसईजेड (iv) वाणिज्य उत्सव (v) खेतों से विदेशी भूमि तक, जिसे सरकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता के संदर्भ में उत्कृष्टता प्राप्त करने के केंद्रीय विचार के साथ आगे बढ़ा रही है, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं जो 'भारत में बनाएँ विश्व के लिए' (मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित ये कार्यक्रम व्यापार और पर्व का मिलाजुला रूप थे। सभी आयोजनों में न केवल व्यापार के मुख्य हितधारकों अर्थात् निर्यातकों ने भाग लिया बल्कि राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योगों, व्यापारियों, उत्पादकों, बागान श्रमिकों, एमएसएमई और अन्य हितधारकों ने अखिल भारतीय आधार पर लगभग 700 जिलों को कवर करते हुए व्यापक रूप से और उत्साहपूर्वक भाग लिया गया। पांचों विषयों पर आयोजित सभी कार्यक्रम ज़बरदस्त सफल रहे क्योंकि प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के साथ-साथ सभी हितधारकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।



माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नोएडा एसईजेड से सप्ताह भर चलने वाले वाणिज्य सप्ताह के उत्सव का उद्घाटन किया

वाणिज्य विभाग के अधीन संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निर्यात संवर्धन परिषद/अन्य संगठन।

संबद्ध कार्यालय

1. विदेश व्यापार महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली – 110107।
2. व्यापार उपचार महानिदेशालय, जीवन तारा भवन, चौथी मंजिल, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001। फोन: 011-23348653, 23348654।

अधीनस्थ कार्यालय

1. वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय, 565, आनंदपुर, वार्ड नंबर 108, सेक्टर-1, प्लॉट नंबर 22, ईसीएडीपी कोलकाता – 700107 फोन: 91.33.24434055(4 लाइन) फैक्स: +91.3.24434051।
2. कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रशासनिक भवन, कक्कनड, कोच्चि – 600030, केरल।
3. फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, द्वितीय एमएसओ भवन, चौथी मंजिल, क्रमांक. 44, निज़ाम पैलेस कॉम्प्लेक्स, 234/4, एआईसी बोस रोड, कोलकाता – 700020, पश्चिम बंगाल।
4. एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग 45, प्रशासनिक कार्यालय भवन, तांबरम, चेन्नई – 600045, तमिलनाडु।
5. कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांधीधाम, कच्छ-370230, गुजरात।
6. एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400096, महाराष्ट्र।
7. विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रशासनिक भवन, दुव्वाडा, विशाखापत्तनम – 530046, आंध्र प्रदेश।
8. नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा दादरी रोड, फेज-II, नोएडा – 201305, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
9. वेतन एवं लेखा कार्यालय (वाणिज्य), उद्योग भवन, नई दिल्ली – 110107।
10. वेतन एवं लेखा कार्यालय (आपूर्ति प्रभाग), जीवन तारा भवन, दूसरी मंजिल, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

स्वायत्त निकाय

1. कॉफी बोर्ड, 1, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर वेधी, बेंगलोर – 560001, कर्नाटक।
2. रबर बोर्ड, सब-जेल रोड, पी.बी. नं.1122, कोट्टायम – 686002, केरल।
3. टी बोर्ड, 14, बीटीएम सारणी, ब्रेबोर्न रोड, पी.बी. नंबर 2172, कोलकाता – 700001, पश्चिम बंगाल।
4. तंबाकू बोर्ड, पी.बी.नं. 322, गुंटूर – 522004, आंध्र प्रदेश।
5. स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, एन.एच. बाइपास, पीबी-2277, पलारीवट्टोम पी.ओ. कोच्चि – 682025, केरल।
6. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एमपीईडीए हाउस, पनमपिल्ली एवेन्यू, कोच्चि – 682036, केरल।
7. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एनसीयूआई बिल्डिंग, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली – 110016।
8. भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, तीसरी मंजिल, एनडीवाईएमसीए सांस्कृतिक केंद्र भवन, 1, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001।

9. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, बी-21, संस्थागत क्षेत्र, आईआईटी के दक्षिण में, नई दिल्ली – 110016।
10. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, बी-2, एमआईडीसी एरिया, पी.बी.नं. 9432, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400096, महाराष्ट्र।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. भारतीय राज्य व्यापार निगम, जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली – 110001।

एसटीसी की सहायक कंपनी

एसटीसीएल लिमिटेड, नंबर 7ए, "एसटीसी ट्रेड सेन्टर", तीसरी मंजिल, नंदिनी लेआउट, बैंगलोर – 560096, कर्नाटक।

2. एमएमटीसी लिमिटेड, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003।
3. पीईसी लिमिटेड, "हंसालय", 15, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001।
4. भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम) लिमिटेड, 10वीं मंजिल, एक्सप्रेस टावर्स, पी.बी. नंबर 373, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021, महाराष्ट्र।
5. भारत व्यापार संवर्धन संगठन, प्रगति मैदान, मथुरा रोड, नई दिल्ली – 110001।

विशेष उद्देश्य वाहन

1. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) एसपीवी (जीईएम एसपीवी), जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110 001।

वाणिज्य विभाग के तहत ईपीसी की सूची

1. **केमेक्ससिल**, झांसी कैसल (चौथी मंजिल), 7-कूपरेज रोड, मुंबई-400039, महाराष्ट्र (दूरभाष | 022-22021288, 2021330; फ़ैक्स: 022-2026684)।
2. **भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद**, काजू भवन, मुंडककल पश्चिम, कोल्लम – 691001, केरल (दूरभाष: 0474-2742704, फ़ैक्स: 0484-2377973)।
3. **कैपेक्सिल**, वाणिज्य भवन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधा केंद्र, 1/1 वुड स्ट्रीट, तीसरी मंजिल, कोलकाता-700016, पश्चिम बंगाल (दूरभाष: 033-22890524/25; फ़ैक्स: 033-22891724)।
4. **चमड़ा निर्यात परिषद**, 1, शिवगंगा मेन रोड, सीता नगर, नुंगमबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु – 600034 (दूरभाष | 044-48684380 – 84)।
5. **ईईपीसी इंडिया**, वाणिज्य भवन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधा केंद्र, पहली मंजिल, 1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता-700016, पश्चिम बंगाल (दूरभाष: 033-22890651/52; फ़ैक्स: 033-22890654)।
6. **ईओयू एंड एसईजेड (ईपीसीईएस) के लिए निर्यात संवर्धन परिषद**, फ्लैट नंबर 101 ए, 10 वीं मंजिल, हिमालय हाउस, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली – 110001 (दूरभाष | 011-23329766 – 69; ईमेल: मचबमे/मचबमे।में)।
7. **जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल**, ऑफिस नंबर एडब्ल्यू – 1010, टॉवर – ए, जी – ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, आईसीआईसीआई बैंक के बगल में, बांद्रा – कुरिया कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई 400051 (दूरभाष: 022 – 23821801/06, फ़ैक्स: 022-23808752)।
8. **प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद**, डायनस्टी व्यापारपार्क, भूतल बी-विंग, कार्यालय संख्या 2, चकला, अंधेरी ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र 400 059 (दूरभाष: 022-4017 0000)।

9. **स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल**, 1-ई/6, स्वामी राम तीर्थ नगर, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110055 (दूरभाष: 011-23516183; फ़ैक्स: 011-23632147)।
10. **शैलैक और वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सिल)**, वणिज्य भवन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधा केंद्र, दूसरी मंजिल, 1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता-700016, पश्चिम बंगाल (दूरभाष: 033-22834417/697; फ़ैक्स: 033-22834699)।
11. **फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल)**, 101, आदित्य ट्रेड सेंटर, अमीरपेट, हैदराबाद-500038, आंध्र प्रदेश (दूरभाष: 23735462/66; फ़ैक्स: 23735464)।
12. **सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, डीपीटी** - 417, चौथी मंजिल, प्राइम टावर्स, प्लॉट नंबर 79 और 80, पॉकेट- एफ, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-I, नई दिल्ली - 110020 (टेली: 011-43562656, 011-45626332, 011-46605216)।
13. **प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया**, 411, सूर्य किरण बिल्डिंग (चौथी मंजिल), 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 (दूरभाष। 91-11-41514673, 41563287)।
14. **भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद**, 78-79 बजाज भवन, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021, महाराष्ट्र (दूरभाष: 022-22023225; फ़ैक्स: 022-22029236)।

अन्य संगठन

1. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन, निर्यात भवन, राव तुला राम मार्ग, सेना अस्पताल(अनुसंधान एवं रेफरल) के सामने, नई दिल्ली-110057।
2. इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, कटारगाम, जीआईडीसी, सुमुल डेयरी रोड, पी.बी. नं. 508, सूरत-395008, गुजरात।
3. फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान, ए-10/ए, सेक्टर-24, नोएडा - 201301, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
4. राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र, एनसीटीआई कॉम्प्लेक्स, प्रगति मैदान, नई दिल्ली -
5. मूल्य स्थिरीकरण कोष ट्रस्ट, कमरा नं. 2003, 20वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, टॉल्स्टॉय मार्ग, कनॉट प्लेस। नई दिल्ली - 110001।
6. इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, 20वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001

वाणिज्य विभाग (मुख्यालय) तथा इसके सहयोगी संगठन में 30.09.2021 को सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अ.जा./अ.जन./ अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या को दर्शाता विवरण

संगठन का नाम	समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या (30.09.2021 तक)	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	11	12	13	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	समूह क	157	0	21	0	4	0	17	0	0	0	0	सीएसएसएस, सीएससीएस, सीएसएस कैडर के पद के ग्रुप ए अधिकारियों की भर्ती के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कैडर नियंत्रण प्राहि
	समूह ख	188	0	24	0	7	0	24	0	0	0	0	कार है। पूर्व संवर्ग (जेटीओ और एसटीओ) के लिए, यह भर्ती राजभाषा विभाग द्वारा की जाती है। संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	158	8	38	0	11	0	38	3	1	1	एमटीएस (ओबीसी-6, ईडब्ल्यूएस-5, एसटी-1) के लिए	द्वारा जारी पदोन्नति/ तैनाती / स्थानान्तरण आदेशों को विभाग क्रियान्वित करता है। इसलिए, जानकारी 'शून्य' है।
आपूर्ति प्रभाग	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	आईआईएसएस और आईएसएस संवर्गों के संबंध में, डीजीएसएडडी को समाप्त करने के लिए इन्हें समाप्त घोषित किया गया है। जहाँ तक सीएसएसएस, सीएससीएस, सीएसएसएस का संबंध है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कैडर कंट्रोल्स अथॉरिटी है और इसलिए भर्ती केवल कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा ही की जा रही है।
	समूह क	63	0	9	0	6	0	10	0	0	0	0	
	समूह ख	58	0	12	0	4	0	10	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	35	0	15	0	2	0	3	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

संगठन का नाम	समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या (30.09.2021 तक)	जनवरी-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या	जनवरी-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	जनवरी-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	जनवरी-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	जनवरी-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	जनवरी-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	जनवरी-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	जनवरी-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	जनवरी-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 30.09.2021 तक अधूरी रह गई	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)	समूह क	67	5	0	0	0	0	0	0	0	0	लागू नहीं	दिनांक 30.09.2021 तक कुल 71 कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की संख्या 21 है, जिसमें से 17 समूह-ए और 4 समूह-बी हैं, शेष 50 कर्मचारी पीएमयू और एसपीवी मार्केट के हैं। जनवरी-सितंबर 2021 के दौरान भर्ती सरकारी कर्मचारियों की संख्या 1 है और पीएमयू और एसपीवी मार्केट की संख्या 4 है।
	समूह ख	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लागू नहीं	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लागू नहीं	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लागू नहीं	
उप कुल (क)		730	13	119	0	34	0	102	3	1	1	12	

वाणिज्य विभाग के तहत संलग्न कार्यालय

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)	समूह क	123	3	22	0	7	0	20	2	2	0	0	वर्ष 1996 से सचिवों की समिति द्वारा डीजीएफटी में ग्रुप सी के पदों पर सीधी भर्ती पर प्रतिबंध है। इसलिए ग्रुप सी में कोई भर्ती नहीं की गई है। ग्रुप बी (राजपत्रित) में भर्ती का तरीका 100% पदोन्नति के माध्यम से है।
	समूह ख	284	0	53	0	24	0	12	0	0	0	एससी-28, एसटी-09, ओबीसी-17	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	466	0	133	0	31	0	31	0	0	0	एससी-84, एसटी-62, ओबीसी-121	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	ईडब्ल्यूएस-10	
उप कुल (ख)		874	3	209	0	62	0	63	2	2	0	334	

संगठन का नाम	समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या (30.09.2021 तक)	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति कर्मचारी की संख्या	अनुसूचित जाति कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	ओबीसी कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 30.09.2021 तक अधूरी रह गई	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
वाणिज्य विभाग के अधीन अधीनस्थ कार्यालय														
वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस)	समूह क	20	0	6	0	0	0	3	0	0	0	0	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित	
	समूह ख	132	0	33	0	14	0	4	0	0	0	0	एससी-9, एसटी-6, ओबीसी-1	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	87	0	12	0	8	0	33	0	0	0	0	एससी-20, एसटी-5, ओबीसी-14, ईडब्ल्यूएस-16	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
एमईपीजेड एसईजेड	समूह क	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	71	2	14	0	0	0	2	1	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	22	0	13	0	1	0	1	0	0	0	0	1*	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*अ.जा. श्रेणी में स्टेनॉ ग्रेड प् की एक रिक्ति को भरने के लिए, मंत्रालय के माध्यम से एमएससी को एक उम्मीदवार के लिए अनुरोध भेजा गया।
कांडला एसईजेड	समूह क	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	22	0	1	0	1	0	7	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	34	0	4	0	0	0	10	0	0	0	0	2 (एससी)	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

संगठन का नाम	समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या (30.09.2021 तक)	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	ओबीसी कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित सितियों की संख्या जो 30.09.2021 तक अधूरी रह गई	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
विशाखापट्टनम एसईजेड	समूह क	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	13	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
फाल्ता एसईजेड	समूह क	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
	समूह ख	18	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	7	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
इंदौर एसईजेड	समूह क	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	सभी उम्मीदवारों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है क्योंकि कोई सीधी मर्ती नहीं होती है।
	समूह ख	13	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
नोएडा एसईजेड	समूह क	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	'सभी प्रतिनियुक्ति पद **17 प्रतिनियुक्ति पद
	समूह ख	22	0	2	0	1	0	5	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	33	0	7	0	3	0	11	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

संगठन का नाम	समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या (30.09.2021 तक)	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए कुल संख्या	अनुसूचित जाति कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	ओबीसी कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 30.09.2021 तक अधूरी रह गई	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
कोचीन एसईजेड	समूह क	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	ग्रुप सी के तहत 30 सुरक्षा गार्डों में से 23 सुरक्षा गार्ड अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं
	समूह ख	25	0	3	0	2	0	5	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	17	0	1	0	1	0	9	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
सीपज़ एसईजेड	समूह क	11	4	6	3	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	70	8	10	0	6	1	7	3	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	43	0	9	0	2	0	17	0	0	0	0	ओबीसी-6, एसएसी-3, एसटी-2, ईडब्ल्यूएस-1
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप कुल (ग)		697	18	138	4	45	1	118	4	0	0	86	
वाणिज्य विभाग के तहत स्वाय 1 निकाय और कर्मोडिटी बोर्ड													

संगठन का नाम	समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या (30.09.2021 तक)	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 30.09.2021 तक अक्षरी रह गई	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
स्पाइसेस बोर्ड	समूह क	77	0	11	0	6	0	20	0	0	0	3 (एससी), 1 (एसटी) और 1 (ओबीसी) सीधे भर्ती द्वारा भरे जाने हैं	'एमओसी से दिनांक 22.02.2017 के पत्र संख्या एफ संख्या 5/2015-प्लान्ट (लॉर्ड ट) पत्राव आदेश के अनुसार रेडिफिक-बी के एक पद को छोड़कर 22.02.2017 के बाद कोई नियुक्ति नहीं की गई है। मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 5/6/2018-प्लान्ट-डी से स्पाइसेस (मामले) बोर्ड के पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस अनुमोदन के अनुसार, मंत्रालय ने स्वी त भर्ती नियमों के अनुसार आगामी 3 वर्षों में पदोन्नति/चयन द्वारा 379 की संख्या के भीतर रिक्त पदों को भरने की सलाह दी है। स्पाइसेस बोर्ड ने वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली को अनुमोदन के लिए मसीदा भर्ती विनियम (आरआर) प्रस्तुत किया है। आरआर के अनुमोदन पर ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण सहित रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा।
	समूह ख	98	0	13	0	15	0	26	0	0	0	3 (एससी), 1 (एसटी) और 9 (ओबीसी) सीधे भर्ती द्वारा भरे जाने हैं	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	104	0	16	0	10	0	39	0	0	0	3 (एससी), 1 (एसटी) और 9 (ओबीसी) सीधे भर्ती द्वारा भरे जाने हैं	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

संगठन का नाम	समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या (30.09.2021 तक)	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	ओबीसी कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 30.09.2021 तक अधूरी रह गई	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
रबड़ बोर्ड	समूह क	178	0	31	0	15	0	24	0	0	0	0	मंत्रालय के पत्र एफ नं. 5/1004/2015-प्लॉट (कॉर्ड, दिनांक 22.02.2017 के द्वारा बोर्ड को निर्देश दिया गया था कि पुनर्गठन के कारण मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई रिक्तियाँ (पदोन्नति या नियुक्ति) न भरें। बाद में मंत्रालय ने पत्र संख्या 6/2/2019-प्लॉट सी दिनांक 27/04/2021 के माध्यम से केवल पदोन्नति रिक्तियों को भरने की अनुमति दी है। इसके अलावा, मंत्रालय ने पत्र एफ. सं 6/09/2017-प्लॉट-सी दिनांक 11/11/2019 के माध्यम से रबर बोर्ड के सुव्यवस्थापन और पुनर्गठन के एक हिस्से के रूप में स्वी त कर्मचारियों की संख्या 1649 से घटाकर 905 कर दी थी। दिनांक 30/09/2021 को 905 की स्वी त संख्या के बजाय 1110 कर्मचारी थे। इसलिए, बोर्ड अब अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या को 905 तक कम करने की प्रक्रिया में है।
	समूह ख	432	0	56	0	32	0	73	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	500	0	71	0	47	0	168	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

संगठन का नाम	समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या (30.09.2021 तक)	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 30.09.2021 तक अधूरी रह गई	टिप्पणियाँ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
चाय बोर्ड	समूह क	62	0	8	0	4	0	18	0	0	0		‘वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत पुनर्गठन योजना में, चाय बोर्ड ने सभी श्रेणियों के लिए 312 अधिकारियों (अध्यक्ष, चाय बोर्ड के पद को छोड़कर, जो एक मैर-कार्यकारी पद है) के लिए प्रस्ताव पेश किया है। दूसरी ओर, चाय बोर्ड को बागान प्रभाग, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी सूचित किया गया कि पत्र संख्या 5/1004/2015-‘लांट (कोर्ड- दिनांक 22.02.2017 के तहत कोई भी रिक्त पद उनकी पूर्ण अनुमति के बिना सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जाना चाहिए। नतीजतन, रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को लंबित रखा गया है।
	समूह ख	112	0	18	0	5	0	30	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	209	0	35	0	14	0	21	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
बि और प्रसं- त खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अॅलरमिअॅल्ल	समूह क	21	0	3	0	1	0	1	0	0	0	2	एमओसी एंड आई द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन के अनुसार, समूह सी के पदों को नहीं भरा जाएगा और पुनर्गठन लागू होने के बाद, इन्हें समाप्त कर दिया जाएगा।
	समूह ख	29	0	6	0	1	0	4	0	0	0	1	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	30	0	4	0	3	0	6	0	0	0	5	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

संगठन का नाम	समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या (30.09.2021 तक)	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 30.09.2021 तक अधूरी रह गई	टिप्पणियाँ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारती निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)	समूह क	100	0	21	0	5	0	24	0	0	0	पुनर्गठन जारी है	
	समूह ख	47	16	7	3	6	1	16	7	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	109	0	11	0	1	0	19	0	0	0		
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
कॉफी बोर्ड	समूह क	67	0	6	0	5	0	21	0	0	0	15	
	समूह ख	129	0	22	0	7	0	27	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	368	0	64	0	25	0	48	0	0	0		
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)	समूह क	61	0	13	0	7	0	19	0	0	0	एससी-2, एसटी-1, ओबीसी-3	एमपीईडीए का पुनर्गठन प्रस्ताव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विचाराधीन है। वाणिज्य विभाग के निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरा जाएगा।
	समूह ख	62	0	13	0	8	0	20	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	59	0	10	0	4	0	25	0	0	0		
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	13	0	3	0	3	0	4	0	0	0		

संगठन का नाम	समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या (30.09.2021 तक)	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या कुल संख्या	अनुसूचित जाति कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	9	10	11	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 30.09.2021 तक अधूरी रह गई	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
तंबाकू बोर्ड	समूह क	80	0	16	0	9	0	20	0	0	0	0			
	समूह ख	71	0	10	0	5	0	24	0	3	0	0			
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	155	0	29	0	9	0	40	0	0	0	0			
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	28	0	4	0	2	0	15	0	0	0	0			
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), दिल्ली	समूह क	59	12	3	3	0	0	5	1	0	0	एससी-6, एसटी-5, ओबीसी-13	संस्थान ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को संवर्ग पुनर्गठन का कार्य सौंपा है और यह कार्य अभी प्रक्रियाधीन है।		
	समूह ख	44	0	11	0	4	0	4	0	0	0	ईडब्ल्यूएस-7			
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	11	0	3	0	0	0	3	0	0	0	एससी-3, एसटी-3, ओबीसी-4 ओबीसी-9			
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), कोलकाता	समूह क	20	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0			
	समूह ख	9	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0			
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी)	समूह क	28	0	5	0	3	0	7	0	0	0	3-एससी 2-ओबीसी			
	समूह ख	7	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0			
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	39	0	6	0	0	0	7	0	0	0	1-एससी, 2-ओबीसी, 1-एसटी			
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

संगठन का नाम	समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या (30.09.2021 तक)	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	ओबीसी कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 30.09.2021 तक अधूरी रह गई	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
उप कुल (घ)		3424	29	536	6	256	1	784	8	3	0	152	
वाणिज्य विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम													
भारतीय राज्य व्यापार निगम (एसटीसी)	समूह क	104	0	22	0	8	0	17	0	0	0	एसटीसी में, ग्रुप ए में पिछले 4 वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई है (लगभग)	*समूह 'ए' में डीएम (वित्त) की एक अजा. रिक्ति भरी नहीं गई है।
	समूह ख	36	0	10	0	4	0	2	0	0	0	एसटीसी में, पिछले 25 वर्षों (लगभग) से ग्रुप बी एंड सी में कोई भर्ती नहीं हुई है।	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	32	0	12	0	2	0	1	0	0	0		
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)	समूह क	99	3	21	0	3	0	14	0	0	0	1 (एसटी)	बाहर प्रतिनिधित्व पर कार्यरत 7 अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है।
	समूह ख	38	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	322	0	63	0	8	0	27	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	23	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	
पीईसी लिमिटेड (प्रोजेक्ट एंड इन्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)	समूह क	29	0	10	0	2	0	4	0	0	0	0	कॉलम 7: ग्रुप ए में एक एसटी कर्मचारी प्रतिनिधित्व पर है इसलिए रिपोर्ट से बाहर रखा गया है। अनुसूचित जाति (1), अनुसूचित जनजाति (2)
	समूह ख	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	एससी (14), एसटी (06) ओबीसी (15), ईडब्ल्यूएस (0)	

संगठन का नाम	समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या (30.09.2021 तक)	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	ओबीसी कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारी की संख्या	जनवरी- सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 30.09.2021 तक अधूरी रह गई	टिप्पणियाँ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ईसीजीसी लिमिटेड (एक्सपोर्ट क्रेडिटगारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)।	समूह क	231	0	41	0	15	0	48	0	0	0	0	कॉलम 7 में, ग्रुप ए में एक एसटी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है इसलिए रिपोर्ट से बाहर रखा गया है
	समूह ख	270	0	50	0	23	0	70	0	0	0	0	एससी-5, एसटी-4, ओबीसी-9*
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	20	6	3	0	3	0	2	1	0	0	0	कॉलम 4 में अनुकंपा के आधार पर ग्रुप सी में 6 कर्मचारियों की नियुक्ति
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह क	293	0	58	0	23	0	33	0	0	0	0	*एमएमटीसी के बोर्ड ने प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देश पर सभी नई भर्तियों को, पुनर्गठन/ समापन को ध्यान में रखते हुए र करने का निर्णय लिया है।
	समूह ख	196	0	41	0	33	0	4	0	0	0	0	
एमएमटीसी लिमिटेड (खनिज अऔर धातु व्यापार निगम)	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	64	0	12	0	4	0	14	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप कुल (ख)		1758	9	376	0	129	0	236	1	0	0	57	
कुल योग		7483	72	1378	10	526	2	1303	18	6	1	641	

एससी - अनुसूचित जाति, एसटी - अनुसूचित जनजाति, ओबीसी - अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

वाणिज्य विभाग (विशिष्ट) और उसके सहयोगी संगठनों में विभिन्न श्रेणियों में पीडब्ल्यूडी की कुल संख्या दर्शाने वाला ववरण

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (30 सितंबर 2021 को)	जनवरी सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या (30.09.2021 को)						जनवरी-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए विकलतांग कर्मचारियों (श्रेणी वार) की संख्या					पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित शक्तियों की कुल संख्या जो अधूरी रह गई (30 सितंबर 2021 तक)	टिप्पणियाँ
				क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	अ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
वाणिज्य विभाग (मुख्यालय)	समूह क	157	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		सीएसएसएस, सीएससीएस, सीएसएस कैडर के पद के ग्रुप ए अधिकारियों की मर्ती के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कैडर नियंत्रण प्राधिकारी है। पूर्ण संवर्ग (जेटीओ और एसटीओ) के लिए, यह मर्ती राजभाषा विभाग द्वारा की जाती है। संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा जारी पदोन्नति/ तैनाती/ स्थानांतरण आदेशों को विभाग क्रियान्वित करता है। इसलिए, जानकारी 'शून्य' है।
	समूह ख	188	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	158	8	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2		
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
आपूर्ति विभाग	समूह क	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*आईआईएस और आईएसएस संवर्गों के संबंध में, डीजीएसएंडडी के समान के लिए इन्हें आगे समाप्त घोषित किया गया है, जहां तक सीएसएस, सीएससीएस, सीएसएसएस का संबंध है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है और इसलिए मर्ती केवल कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा की जा रही है।
	समूह ख	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	35	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (30 सितंबर 2021 को)	जनवरी सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या (30.09.2021 को)						जनवरी-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए विकललांग कर्मचारियों (श्रेणी वार) की संख्या					पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित शक्तियों की कुल संख्या जो अधूरी रह गई (30 सितंबर 2021 तक)	टिप्पणियाँ
				क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)	समूह क	67	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	छ।	दिनांक 30.09.2021 तक कुल 71 कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों की संख्या 21 है, जिसमें से 17 समूह-ए और 4 समूह-बी हैं, शेष 50 कर्मचारी पीएमयू और एसपीवी मार्केट के हैं। जनवरी-सितंबर 2021 के दौरान भर्ती सरकारी कर्मचारियों की संख्या 1 है और पीएमयू और एसपीवी मार्केट की संख्या 4 है।	
	समूह ख	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	छ।		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	छ।		
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	छ।		
उप कुल (क)				730	13	3	2	5	0	0	0	1	0	0	2	
वाणिज्य विभाग के तहत संलग्न कार्यालय																
विदेश व्यापार महानिदेशाल (डीजीएफटी)	समूह क	123	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	यूपीएससी को सीएसई 2020 (आईटीएस के लिए) के माध्यम से शक्ति भरने की सूचना दी गई।	
	समूह ख (राजपत्रित)	77	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ख (गैर राजपत्रित)	207	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	466	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	2		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
उप कुल (ख)		874	3	2	4	10	0	0	0	0	0	0	0	3		
वाणिज्य विभाग के अधीन अधीनस्थ कार्यालय																

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (30 सितंबर 2021 को)	जनवरी सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या (30.09.2021 को)						जनवरी-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए विकलंग कर्मचारियों (श्रेणी वार) की संख्या					पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित स्थितियों की कुल संख्या जो अधूरी रह गई (30 सितंबर 2021 तक)	टिप्पणियाँ
				क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	'छठे सीपीसी की सिफारिश के अनुसार ग्रुप डी के सभी कर्मचारियों को ग्रुप सी (एमटीएस) माना जाता है।
	समूह क	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ब्यवस्थापक इल बंकेतम ब्यवस्थापक नजीवतपजल		
	समूह ख	132	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	सस लतपनच ठ चवेजे तेम चतवउवजपवदस चवेजे दक जीमतम पे देव चतवअपेपवद च तिममतअजपवद वित च्केप		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	87	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3		
	समूह ग* (सफाई कर्मचारी)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
एमईपीजेड एसईजेड	समूह क	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ख	71	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग* (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (30 सितंबर 2021 को)	जनवरी सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या (30.09.2021 को)						जनवरी-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए विकलांग कर्मचारियों (श्रेणी वार) की संख्या					पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो अधूरी रह गई (30 सितंबर 2021 तक)	टिप्पणियाँ
				क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	समूह क		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख राजपत्रित		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख (गैर राजपत्रित)		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी का छोड़कर)		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
विशाखापत्तनम एसईजेड	समूह ग (सफाई कर्मचारी)		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह क		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
फाल्टा एसईजेड	समूह क		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)		7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह क															

[illegible]

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (30 सितंबर 2021 को)	जनवरी सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या (30.09.2021 को)						जनवरी-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए विकलांग कर्मचारियों (श्रेणी वार) की संख्या					पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो अधूरी रह गई (30 सितंबर 2021 तक)	टिप्पणियाँ
				क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
एसईईपीजेड-एसईजेड	समूह क	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	70	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	एलडीसी का 1 पद एचएच (श्रवण बाह्य) श्रेणी के लिए आरक्षित	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप कुल (ग)		697	15	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	4		
वाणिज्य विभाग के तहत स्वायत्त निकाय और कर्मोडिटी बोर्ड																
स्पाइसेस बोर्ड	समूह क	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	98	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	104	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
रबर बोर्ड	समूह क	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	मंत्रालय के पत्र एफ सं. 5/1004/2015 प्लॉट (कोर्ड) दिनांक 22.02.2017 के द्वारा बोर्ड को यह निर्देश दिया गया था कि वह पुनर्गठन प्रक्रिया के कारण मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना सीधी मर्ती रक्तियां न भरे ।	
	समूह ख	432	0	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	500	0	2	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (30 सितंबर 2021 को)	जनवरी सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या (30.09.2021 को)						जनवरी-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए विकलंग कर्मचारियों (श्रेणी वार) की संख्या					पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित सितियों की कुल संख्या जो अधूरी रह गई (30 सितंबर 2021 तक)	टिप्पणियाँ
				क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत पुनर्गठन योजना में, चाय बोर्ड ने सभी श्रेणियों के लिए 312 अधिकारियों (अध्यक्ष, चाय बोर्ड के पद को छोड़कर, जो एक भेय-कार्यकारी पद है) के लिए प्रस्ताव पेश किया है। दूसरी ओर, चाय बोर्ड को बागान प्रभाग, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी सूचित किया गया कि पत्र संख्या 5/1004/2015-प्लांट (कार्ड) दिनांक 22.02.2017 के तहत कोई भी रिक्त पद उनकी पूर्व अनुमति के बिना सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को लंबित रखा गया है।
चाय बोर्ड	समूह क	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	एमओसी एंड आई द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन के अनुसार, समूह सी के पदों को नहीं भरा जाएगा और पुनर्गठन लागू होने के बाद इन्हें समाप्त कर दिया जाएगा।	
	समूह ख	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	209	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)	समूह क	21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
	समूह ख	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	30	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), नई दिल्ली	समूह क	100	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ख	47	16	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	109	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (30 सितंबर 2021 को)	जनवरी 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या (30.09.2021 को)						जनवरी-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए विकललांग कर्मचारियों (श्रेणी वार) की संख्या					पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो अधूरी रह गई (30 सितंबर 2021 तक)	टिप्पणियाँ
				क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	15		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीडीए)	समूह क		61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	'एमपीडीए का पुनर्गठन प्रस्ताव वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विचाराधीन है। वाणिज्य विभाग के निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरा जाएगा।
	समूह ख		62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)		59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), दिल्ली	समूह क		59	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
	समूह ख		44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)		11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), कोलकाता	समूह क		20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (30 सितंबर 2021 को)	जनवरी सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या (30.09.2021 को)						जनवरी-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मर्ती किए गए विकलतांग कर्मचारियों (श्रेणी वार) की संख्या					पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित शक्तियों की कुल संख्या जो अधूरी रह गई (30 सितंबर 2021 तक)	टिप्पणियाँ
				क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
कॉफी बोर्ड	समूह क	67	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	129	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	368	0	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
तंबाकू बोर्ड	समूह क	80	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	“ग्रुप ए में एक पद अर्थात पीडब्ल्यूडी-एचएच के तहत सांख्यिकीय अधिकारी के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहली अधिसूचना के जवाब में, 96 आवेदन प्राप्त हुए लेकिन केवल एक आवेदक ही पात्र है। हालांकि, वे साक्षात्कार में शामिल नहीं हुए।
	समूह ख	71	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	155	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	28	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी)	समूह क	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	39	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (30 सितंबर 2021 को)	जनवरी सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या (30.09.2021 को)						जनवरी-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए विकलांग कर्मचारियों (श्रेणी वार) की संख्या					पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो अधूरी रह गई (30 सितंबर 2021 तक)	टिप्पणियाँ
				क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
उप कुल (घ)				3424	16	11	42	0	2	1	0	0	0	7		
वाणिज्य विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम																
स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसटीसी)	समूह क	104	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	एसटीसी में, ग्रुप ए में पिछले (लगभग) 4 वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई है।	
	समूह ख	36	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	एसटीसी में, पिछले (लगभग) 25 वर्षों से ग्रुप बी एंड सी में कोई भर्ती नहीं हुई है।	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)	समूह क	99	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	322	0	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	23	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (30 सितंबर 2021 को)	जनवरी सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या (30.09.2021 को)						जनवरी-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए विकललांग कर्मचारियों (श्रेणी वार) की संख्या					पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो अधूरी रह गई (30 सितंबर 2021 तक)	टिप्पणियाँ
				क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
पीईसी लिमिटेड (प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)	समूह क	29	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ख	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ईसीजीसी लिमिटेड (एक्सपोर्ट क्रेडिटगारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)।	समूह क	231	0	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ख	270	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	20	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
एमएमटीसी लिमिटेड (खनिज और धातु व्यापार निगम)	समूह क	293	0	1	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ख	196	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
उप कुल (ङ)		1758	9	9	8	29	0	0	0	0	0	0	0	0		
कुल योग		7483	61	30	25	95	0	2	1	0	1	0	0	16		

ए (दृष्टिहीनता और कम दृष्टि); बी (बधिर और ऊँचा सुनने वाले); सी (सिरेबल पाल्सी, कुछ रोग उपचारित, बीनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रोफी सहित लोकोमोटर अक्षमता) और 'डी एंड ई (डी: ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने की विशिष्ट अक्षमता और मानसिक बीमारी + ई: ए से डी तक बहरपन-दृष्टिहीनता सहित कई अक्षमताएं)।

ए (दृष्टिहीनता और कम दृष्टि); बी (बधिर और ऊँचा सुनने वाले); सी (सरेबल पाल्सी, कुछ रोग उपचारित, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रोफी सहित लोकोमोटर अक्षमता) और 'डी एंड ई' (डी: ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने की विशिष्ट अक्षमता और मानसिक बीमारी + ई: ए से डी तक बहरपन-दृष्टिहीनता सहित कई अक्षमताएँ)।

वर्ष 2008 से विभिन्न रिपोर्टों में प्रतिवेदित लेखापरीक्षा अवलोकनों की स्थिति/की गई कार्रवाई

क्र. सं.	पैरा संख्या और रिपोर्ट	पैरा का सार	पैरा की स्थिति
सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क मुद्दे – ईओयू/एसईजेड			
1	वर्ष 2020 का 17 अध्याय-V पैरा संख्या 5.2.2(घ) डीएपी- 87	निर्यातोन्मुख इकाइयां/विशेष आर्थिक जोन (घ) डीटीए में पुनः प्रयोज्य पैकिंग सामग्री की निकासी पर सीमा शुल्क का भुगतान न करना	एटीएन प्रस्तुत करने के लिए पैरा वार उत्तर प्रस्तुत करने के लिए पैरा राजस्व विभाग को भेजा गया। इस संबंध में राजस्व विभाग के साथ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
2	वर्ष 2020 का 17 अध्याय-V पैरा संख्या 5.2.2(ख) डीएपी. 80	निर्यातोन्मुख इकाइयां/विशेष आर्थिक जोन-(ख) डी-बॉन्डिंग के समय ईओयू द्वारा तैयार माल पर एसएडी का भुगतान न करना	एटीएन प्रस्तुत करने के लिए पैरा वार उत्तर प्रस्तुत करने के लिए पैरा राजस्व विभाग को भेजा गया। इस संबंध में राजस्व विभाग के साथ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
3	वर्ष 2020 का 17 अध्याय -V पैरा संख्या. 5.2.2(ग) डीएपी -92	निर्यातोन्मुख इकाइयां/विशेष आर्थिक जोन - (ग) एसईजेड से डीटीए इकाई को निकासी किए गए माल पर शुल्क का गैर-वसूली	संशोधित टिप्पणियां पोर्टल पर दिनांक 11.08.2021 को अपलोड की गई। लेखापरीक्षा ने पत्र दिनांक 07.09.2021 के माध्यम से संशोधित टिप्पणियों की समीक्षा की है और "पीएसी द्वारा अंतिम स्वीकृति के अधीन कोई और टिप्पणी नहीं" है।
4	वर्ष 2020 का 17 अध्याय -V पैरा संख्या. 4.12.3 डीएपी - 60	वापस नहीं किए गए और समाप्त हो चुके गेट पास के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाना	एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर दिनांक 28.06.2021 को अपलोड किया गया। एटीएन लेखापरीक्षा द्वारा मंत्रालय को दिनांक 02.08.2021 को लौटाया गया। अंतिम एटीएन एपीएमएस पोर्टल में अपलोड किया जा रहा है।
5	वर्ष 2020 का 17 अध्याय -IV पैरा संख्या. 4.12.1 डीएपी -56	डेवलपर्स से लागत वसूली शुल्क और ब्याज की वसूली न होना	एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर दिनांक 28.06.2021 को अपलोड किया गया। दिनांक 16.07.2021 को लेखापरीक्षा ने उत्तर दिया "पीएसी द्वारा अंतिम स्वीकृति के अधीन कोई और टिप्पणी नहीं है"।
सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क मुद्दे – डीजीएफटी			
1	वर्ष 2008 का 6 (अध्याय IV)	केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क	40 से अधिक उप पैराओं के लिए अंतिम समेकित एटीएन - इसमें 100 से अधिक एटीएन शामिल हैं। प्राप्त एटीएन की जांच की जा रही है। कुछ एटीएन के संबंध में लेखापरीक्षा से प्राप्त टिप्पणियों का पुनरीक्षण, और आवश्यक कार्रवाई प्रगति पर है।

क्र. सं.	पैरा संख्या और रिपोर्ट	पैरा का सार	पैरा की स्थिति
2	वर्ष 2009-10 का 15	अध्याय-71 के तहत माल का आयात	दिनांक 16.03.2020 को सीएजी से 8 मामलों और 36 इकाइयों से जुड़े पैरा 4.10 का विवरण प्राप्त किया गया था, और इसे दिनांक 17.03.2020 को एटीएन की जांच और प्रस्तुत करने के लिए डीजीईपी को भेजा गया था। डीजीईपी से दिनांक 15.05.2021 को संशोधित एटीएन प्रस्तुत करने और दिनांक 17.09.2021 को अनुस्मरण कराने का अनुरोध किया गया है। अंतिम एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाना बाकी है।
3	वर्ष 2013 का पीए 8 (अध्याय 1)	डीमड एक्सपोर्ट ड्राबैक स्कीम	सीएजी ने दिनांक 21.12.2020 को ऑडिट की पिछली टिप्पणियों का जवाब फिर से जमा करने का अनुरोध किया है। डीसी, एफएसईजेड से सीएजी द्वारा अनुरोध के अनुसार की गई कार्रवाई को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, और इस संबंध में संशोधित एटीएन प्रगति पर है।
4	वर्ष 2014 का 12 पैरा 2.4 से 2.19	संवर्धनात्मक उपाय (फोसक उद्योग स्कीम)	सीएजी ने आरए (क्षेत्रीय प्राधिकरण) जयपुर और आरए सूरत से पत्र दिनांक 08.09.2021 के माध्यम से और स्पष्टीकरण मांगा है। मंत्रालय द्वारा संशोधित एटीएन दिनांक 12.10.2021 को अपलोड किया गया। लेखापरीक्षा से आवश्यक कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है।
5	वर्ष 2015 का 8 पैरा 8.5.10 (डीएपी टीबीए)	डीजीएफटी की ईडीआई लेखापरीक्षा प्रणाली की लेखापरीक्षा	सीएजी ने एपीएमएस पोर्टल टिप्पणियों के माध्यम से शेष मामलों की प्रगति दिनांक 15.09.2021 को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। मामले की जांच की जा रही है क्योंकि सीएजी द्वारा पहले ही मंजूर किए गए कुछ पैरा लंबित दिखाए गए हैं और शेष को संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।
6	वर्ष 2017 का 1 पैरा 4.1.1 से 4.1.5 (डीएपी 105)	अलग-अलग तिथियों के साथस्क्रिप्स (ला. इसेस को फिर से पंजीकृत करके शुल्क क्रेडिट का उपयोग)	सीएजी को सूचित किया गया है कि पैरा में मामला सीमा शुल्क, राजस्व विभाग से संबंधित है। राजस्व विभाग के डीबीके डिवीजन द्वारा अग्रपिछ जांच विवरण, आवश्यक कार्रवाई के लिए सीएजी के साथ साझा किया जा रहा है।
7	वर्ष 2019 का 17 5.1 से 5.2 डीएपी - 95	विदेश व्यापार नीति की स्कीम: निर्यात दायित्व की पूर्ति न करने के संबंध में लगातार अनियमितता	सीएजी ने आगे दस्तावेज की पुष्टि करने के लिए सवाल उठाया है, और कई मामलों में वसूली की स्थिति की मांग की है। मामले को संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ उठाया जा रहा है और इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।
8	वर्ष 2019 का 17 5.4 जिसमें 32 डीएपी शामिल हैं लंबित-3	अन्य निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के प्रावधानों का अनुपालन न करना (पोर्टल पर इसे उप-पैरा के स्थान पर अलग-अलग पैरा के रूप में गिना गया है)	डीएपी संख्या 14/84- चेन्नई - आरए चेन्नई द्वारा वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है और दिनांक 01.10.2021 को अनुस्मारक भेजा गया है। डीएपी संख्या 44 - सीएजी ने पत्र दिनांक 11.10.2021 के मूल दिनांक 22.09.2021 में आदेश जारी करने के बाद प्रगति की मांग की। क्षेत्रीय प्राधिकरण, बंगलौर ने दिनांक 13.10.2021 को सूचित किया और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
9	वर्ष 2019 का 17 5.4.2 डीएपी 23	प्रोत्साहन और पुरस्कार स्कीम (आईआईएस): निर्यात किए गए माल के पुनः आयात पर दिए गए लाभों की वसूली के प्रावधान का अभाव	वित्त मंत्रालय, डीबीके (ड्यूटी ड्राबैक) डिवीजन से प्राप्त एटीएन को सीएजी द्वारा जांच के लिए दिनांक 31.03.2021 को एपीएमएस पर अपलोड किया गया था। सीएजी ने दिनांक 20.05.2021 को और स्पष्टीकरण मांगा है। तदनुसार, डीबीके प्रभाग, वित्त मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

क्र. सं.	पैरा संख्या और रिपोर्ट	पैरा का सार	पैरा की स्थिति
10	वर्ष 2019 का 17 अध्याय-3, 4 और 5 (एपीएमएस पोपो. टैल पर अपलोड की गई नई रिपोर्ट)	फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस): शामिल कर की कटौती न करने के कारण अतिरिक्त क्रेडिट का दिया जाना	आरए कोचीन ने दिनांक 03.08.2020 को सूचित किया कि मूलधन और ब्याज की वसूली अभी बाकी है। लेखापरीक्षा को भी इसकी सूचना दी गई थी।
11	वर्ष 2019 का 17 अध्याय-3, 4 और 5 (एपीएमएस पोपो. टैल पर अपलोड की गई नई रिपोर्ट)	लागू दरों के अनुसार विलंब शुल्क प्रभारित नहीं करना/कम प्रभार लगाना	दिनांक 20.11.2020 को पैरा के अंतिम निपटान हेतु सीएजी को उत्तर भेजा गया। सीएजी ने मेसर्स बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के मामले में वसूली किए जाने और प्रगति की मांग की। क्षेत्रीय प्राधिकरण जयपुर को मामले की प्रगति को सूचित करने हेतु पिछली बार दिनांक 22.10.2021 को अनुसमारका भेजा गया।
12	वर्ष 2020 का 5 अध्याय-3, 4 और 5 (एपीएमएस पोपो. टैल पर अपलोड की गई नई रिपोर्ट)	भारत से वस्तु निर्यात स्कीम (एमआईएस) और भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसआईएस) पर निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुशंसा टिप्पणियां सीएजी को 01.03.2021 को भेजी गईं। सभी संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों/सेज से पैरा-वार एटीएन मांगा गया है। 46 आरए/एसआईजेड को एटीएन प्रारूपों में पैरा विशिष्ट टिप्पणियां भेजी हैं। पैरा विशिष्ट टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।
13	वर्ष 2020 का 17 अध्याय-3, 4 और 5 (एपीएमएस पोपो. टैल पर अपलोड की गई नई रिपोर्ट)	i. अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग (04 डीएपी) ii. निर्यात प्रोत्साहन स्कीम का अनुपालन न करना (03 डीएपी) iii. कारण बताओ नोटिस और न्यायनिर्णयन प्रक्रिया पर विषय विशिष्ट अनुपालन। (03 पैरा)	i. 4 जांच के तहत 4 पैरा (डीएपी-110 अध्याय-III) ii. 3 जांच के तहत 3 डीएपी (अध्याय-V) iii. 3 जांच के अधीन 3 पैरा हैं (डीएपी-97 अध्याय-IV) संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को नियमित रूप से स्मरण दिलाया जाता है और संबंधित प्राधिकरण द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
सिविल पैरा ईआईसी/एपीडा/एमपीडा की स्थिति			
1	वर्ष 2015 की रिपोर्ट संख्या 18 का पैरा संख्या 2.2	सेवा कर की वसूली न होने के कारण परिहार्य व्यय। भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)।	मामला विचाराधीन है।
2	पैरा संख्या 4.1, 2018 की रिपोर्ट संख्या 4 (अध्याय-IV)	एपीआईए द्वारा अपने वित्तीय हितों को सुरक्षित नहीं करने के कारण हानि।	दिनांक 22.10.2021 को लेखापरीक्षा से समीक्षा टिप्पणी प्राप्त हुई और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
3	वर्ष 2020 का 10, अध्याय-II (पैरा 2.2)	एमपीआईए द्वारा मैगोव क्रेब परिसस्कीम में निष्फल व्यय	दिनांक 20.10.2021 को एपीएमएस पर अपलोड किए गए संशोधित एटीएन, और लेखापरीक्षा से आवश्यक कार्रवाई की प्रतीक्षा है।

क्र. सं.	पैरा संख्या और रिपोर्ट	पैरा का सार	पैरा की स्थिति
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (वाणिज्यिक) बकाया अनुच्छेदों की सूची – एफटी (एसटी)			
1	4.3.1 (वर्ष 2010 का 9)	एसटीसी लिमिटेड से संबंधित व्यावसायिक सहयोगियों के साथ अनुबंध करने और निष्पादित करने में आंतरिक नियंत्रण तैयार करने में विफलता।	पारा लंबित है क्योंकि मामला विचाराधीन है।
2	4.1 (वर्ष 2011-12 का सीए 3)	लौह अयस्क व्यापार खंड – एसटीसी लिमिटेड	पारा लंबित है क्योंकि मामला विचाराधीन है।
3	4.1 (वर्ष 2012-13 का 8) नया जोड़ा गया	एक व्यावसायिक सहयोगी को निधियां जारी करने में अनियमितताएं।	पारा लंबित है क्योंकि मामला विचाराधीन है।

पीएसी पैरा पर स्थिति: एपीडा			
कुल पैरा	लोकसभा संख्या / रिपोर्ट संख्या।	विषय	स्थिति
पैरा संख्या 1 से 5	वर्ष 2020 के लिए 17 ^{वां} लोकसभा की 18 ^{वां} रिपोर्ट	एपीईडीए द्वारा प्रभावी निगरानी में	4 पैरा के संबंध में प्राप्त लेखापरीक्षा टिप्पणियां और इन पैरा के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रभाग द्वारा 1 पैरा के संबंध में एटीआर अपलोड किया गया और लेखापरीक्षा से टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है।
पीएसी पैरा पर स्थिति: एसईजेड			
पैरा संख्या 1 से 7	वर्ष 2018 के लिए 16 ^{वां} लोकसभा की 90 ^{वां} रिपोर्ट	विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) का कार्यप्रदर्शन	7 पैरा के आलोक में मण्डल को अपूर्ण एटीआर रिटर्न एवं आवश्यक कार्यवाही प्रभाग द्वारा की जा रही है।
पैरा संख्या. 8, 11, 15, 18, 19, 20, 23, 26, 29	वर्ष 2021 के लिए 17 ^{वां} लोकसभा की 40 ^{वां} रिपोर्ट	विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) का कार्यनिष्पादन	एटीआर को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

विभिन्न रिपोर्टों में प्रतिवेदित लेखापरीक्षा अवलोकनों की स्थिति/की गई कार्रवाई

क्र. सं.	वर्ष	पैरा/पीए रिपोर्टों की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के बाद पीएसी को एटीएन प्रस्तुत किया गया है	पैरा/पीए रिपोर्टों का विवरण, जिन पर एटीएन लंबित हैं।				
			मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजे गए एटीएन की संख्या	लेखापरीक्षा के पास लंबित एटीएन की संख्या	भेजे गए लेकिन मंत्रालय द्वारा टिप्पणियों के साथ लौटाए गए एटीएन की संख्या, और लेखापरीक्षा जिन्हें पुनः प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा कर रही है	नगरानी कक्ष/ पीएसी शाखा (लोकसमा) को प्रेषित	अन्य कारणों से लंबित एटीएन की संख्या (विचाराधीन)
1.	2008	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क मुद्दे	--	--	01	--	--
2.	2009	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क मुद्दे	--	--	01	--	--
3.	2010	वाणिज्यिक	--	--	--	--	01
4.	2011	वाणिज्यिक	--	--	--	--	01
5.	2012	वाणिज्यिक	--	--	--	--	01
6.	2013	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	--	01	--	--
		वाणिज्यिक	--	--	--	--	--
7.	2014	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	01	--	--	--
8.	2015	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	--	01	--	--
		सिविल	--	--	--	--	01
		वाणिज्यिक	--	--	--	--	--
9.	2016	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	--	--	--	--
		वाणिज्यिक	--	--	--	--	--
10.	2017	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	--	01	--	--
		सिविल	--	--	--	--	--
		वाणिज्यिक	--	--	--	--	--

क्र. सं.	वर्ष	चैरा/पीए रिपोर्टों की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के बाद पीएसी को एटीएन प्रस्तुत किया गया है	चैरा/पीए रिपोर्टों का विवरण, जिन पर एटीएन लंबित हैं।				
			मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजे गए एटीएन की संख्या	लेखापरीक्षा के पास लंबित एटीएन की संख्या	भेजे गए लेकिन मंत्रालय द्वारा टिप्पणियों के साथ लौटाए गए एटीएन की संख्या, और लेखापरीक्षा जिन्हें पुनः प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा कर रही है	नगरानी कक्ष/ पीएसी शाखा (लोकसभा) को प्रेषित	अन्य कारणों से लंबित एटीएन की संख्या (विचाराधीन)
11.	2018	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	--	--	--	--
		सिविल	--	01	--	--	--
		वाणिज्यिक	--	--	--	--	--
		पीएसी	--	--	07	--	--
12.	2019	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	--	06	--	01
		सिविल	--	--	--	--	--
		वाणिज्यिक	--	--	--	--	--
		पीएसी	--	--	--	--	--
13.	2020	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	--	15	01	--
		सिविल	--	01	--	--	--
		वाणिज्यिक	--	--	--	--	--
		पीएसी	--	01	04	--	--
14.	2021	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	--	--	--	--
		सिविल	--	--	--	--	--
		वाणिज्यिक	--	--	--	--	--
		पीएसी	09	--	--	--	--
		कुल – 56	09	04	37	01	05



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग